

पाण्डुलिपि विज्ञान

लेखक
डॉ० सत्येन्द्र



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
जयपुर

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय
ग्रन्थ निर्माण योजना के अन्तर्गत, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित।

प्रथम-संस्करण : 1978

Pradhulipi Vijnana

भारत सरकार द्वारा विषयवर्गी सूच्य पर
उपलब्ध कराए गए कागज से निर्मित।

मूल्य : 40 00

© सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक .

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,
ए-26/2, विद्यालय मार्ग, तिलक नगर
जयपुर-302004

मुद्रक .

जयपुर मान प्रिण्टर्स,
चौडा रास्ता,
जयपुर

श्रीमती विद्याधरी को

11



12

13

कृतज्ञता-ज्ञापन

मैं उन सबके प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने मुझे इस पुस्तक के लेखन में और प्रस्तुतीकरण में किसी न किसी रूप में सहायता दी है, या जिनकी कृतियों का उपयोग इस पुस्तक में किया गया है।

मैं राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ भण्डारणी, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और शब्दावली आयोग के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस ग्रन्थ का लेखन मुझे सौंपा और प्रकाशन की व्यवस्था की। जिनका सर्वाधिक आभार मुझे इस ग्रन्थ के लेखन और प्रकाशन के सम्बन्ध में मानना चाहिये वे हैं श्री यशदेव शल्य। उनके स्नेह और तत्पर सहयोग के साथ उनके उचित परामर्शों से ही इसका यह रूप बन सका है। वे मेरे इतने अपने हैं कि उनके प्रति शब्दों में कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की जा सकती।

मैं इस पुस्तक के मुद्रक के प्रति भी हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, उन्होंने तत्परतापूर्वक इसकी छपाई की, इससे मुझे प्रसन्नता हुई।

सत्येन्द्र

भूमिका

सौजिये यह है पाडुलिपि विज्ञान की पुस्तक। आपने "पाडुलिपि" तो देखी होगी, उसका भी विज्ञान हो सकता है या होना है यह बात भी जानने योग्य है।

इस पुस्तक में कुछ यही बताने का प्रयत्न किया गया है कि पाडुलिपि विज्ञान क्या है और उसमें किन बातों और विषयों पर विचार किया जाता है? वस्तुतः पाडुलिपि कितने भी अवयव हैं प्रायः सभी का अलग अलग एक विज्ञान है और उनमें से कइया पर अलग-अलग विद्वानों द्वारा लिखा भी गया है, किन्तु पाडुलिपि-विज्ञान उन सबस जुड़ा होकर भी अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है, मैंने इसी दृष्टि को आधार बनाकर यह पुस्तक लिखी है। कही कही पाडुलिपि के अवयवों में आलंकारिकता और चित्र सज्जा का उल्लेख पाडुलिपि निर्माण के उपयोगी कला-तत्त्वों के रूप में भी हुआ है।

पर, यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि पाडुलिपि मूलतः कलात्मक भावना से व्याप्त रहती है। पहले तो उपयोगी कलात्मकता का स्पर्श उसमें रहता है। लिप्यात्मक सुन्दर हो, जिस पर साफ साफ लिखा जा सके। लेखनी अच्छी हो, स्याही भी मन को भाने वाली हो और लिखावट ऐसी हो कि आसानी से पढ़ी जा सके। यह भी दृष्टि रहती है कि लिखावट को देखकर उसे पढ़ने का मन करने लगे। कई रंगों की स्याहिया का उपयोग पहले तो अभिप्राय या प्रयोजन भेद के आधार पर किया जाता है, जैसे, पुष्पिका, छद्म नाम अंतरंग शीर्षक, आदि मूल पाठ से भिन्न बताने के लिए लाल स्याही से लिखे जाते हैं। किन्तु यह उपयोगी सहज सुन्दरता तो पुस्तक या पाडुलिपि को सामान्यतः उसकी ग्राह्यता बढ़ाने के लिए ही होती है।

पर, पाडुलिपि पूरी उत्कृष्ट कला की वृत्ति हो सकती है, और यह भी हो सकता है कि उसमें विविध अवयवों में ही कलात्मकता हो।

सम्पूर्ण कृति की कलात्मकता में उत्कृष्टता के लिए लिप्यासन भी उत्कृष्ट होना चाहिये, यथा बहुत सुन्दर बना हुआ साचीपात हा सकता है। हाथीदात हा सकता है।¹ उस पर कितने ही रंगों से बना हुआ आकषक हाशिया हो सकता है, उस पर वक्रिया पक्की स्याही या स्याहियों में, कई पाठों में मोहक लिखावट की गयी हा, प्रत्येक अक्षर सुडौल हो। पुष्पिकाएँ भिन्न रंग की स्याही में लिखी गयी हा। मांगलिक चिह्न या शब्द भी मोहक हा। ऐसी कृति सर्वांग सुन्दर होती है, ऐसी पुस्तक तैयार करने में बहुत समय और परिश्रम करना पड़ता है।

कृतिकार या लिपिकार की कला का प्रथम उत्कृष्ट प्रयोग हमें लिखावट में मिलता है।

1 कलबर के सवहालय में 'हवन बन्दे काशी' श्री ए० एम० उस्मानो साहब न बताया है कि "यह किताब भी नादरात का अद्वय नमूना है। हाथीदात में बरक तैयार करके उन पर नहायत रोगन काली शिवाही से उम्दा नमतालिक में लिखा गया है। हुस्फ की मोत्र पक्क बहुत उमदा है।—
इस पर सोने का काम सोने में सोहागा है। बहुत बारीक और कानिसे दीर गुलाररी है।"
(‘द रिपब्लिक’ पृ० 37)।

लिखावट को तरह तरह से सुन्दर बनाने से लिपि के विकास में ग्रन्थ कारकों के साथ एक कारण उसे सुन्दर बनाने के प्रयत्न से भी सम्बन्धित है। किन्तु लिपि लेखन ग्रन्थों में प्रायः एक कला का रूप ले लेता है। फारस में इस कला का विशेष विकास हुआ है। वहाँ से भारत में भी इसका प्रभाव आया और फारसी लिपि में तो इस कला का चरमोत्कर्ष हुआ। भारत में अक्षरों के आलंकारिक रूप में लिखने का चलन कम नहीं रहा। हमने कितने ही अक्षरों के आलंकारिक रूप, आगे पुस्तक में दिये हैं।

लेखन/लिखावट में सुन्दरता या कलात्मकता के समावेश से ग्रन्थ का मूल्य बढ़ जाता है। लिपि के कलात्मक हो जाने पर मसत ग्रन्थ ही कलाकृति का रूप ले लेता है। 'एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड ऐथिक्स' का यह उद्धरण हमारे ध्यान की पुष्टि करता है "Not only so, but Skilled Scribes have devoted infinite time to Copying in luxurious Style the Compositions of famous persian poets and their manuscripts are in themselves works of art"

ग्रन्थ लेखन समय लगाकर धैर्य और लेखन कौशल से लिपि में सौन्दर्य निरूपित करके मसत कृति/ग्रन्थ को ही एक कलाकृति बना देते हैं।

लिपि में विविध प्रकार की कलात्मकता और आलंकारिकता लाकर ग्रन्थ की सुन्दरता के साथ मूल्य में भी वृद्धि की जाती है। सोने-चाँदी की स्याही से भी ग्रन्थ की सुन्दरता में चार-चाँद लग जाते हैं।

इन कलात्मकता लाने वाले लिप्यासन, लिपि और स्याही-आदि जैसे उपकरणों के बाद ग्रन्थ के मूल्यवर्द्धन में सर्वाधिक महत्त्व चित्रकला के योगदान का होता है।

ग्रन्थों में चित्रांकन का एक प्रकार तो केवल सजावट का होता है। विविध ज्यामितिक आकृतियाँ, विविध प्रकार की लता-पताएँ, विविध प्रकार के फल फूल और पशु पक्षी, आदि ये पुस्तक को लिपिकार और चित्रकार सजाते हैं।

ग्रन्थ चित्रांकन का दूसरा प्रकार होता है। वस्तु को, विशेषतः कया-वस्तु को हृदयगम कराने के लिए रेखाओं से बनाये हुए चित्र या रेखा चित्र।

यह रेखा-चित्र आगे अधिकाधिक कलात्मक होते जाते हैं। इसकी प्रति हमें वहाँ मिलनी है जहाँ ग्रन्थ चित्राधार बन जाता है और उसका काव्य मात्र आधार बन कर रह जाता है। उत्कृष्ट कलाकार की उत्कृष्ट कलाकृति बन जाता है, यह ग्रन्थ और कवि पीछे छूट जाता है। ऐसी कृतियों का मूल्य क्या हो सकता है। जयपुर के महाराजा के निजी पोथी-खाने में एक 'गीतगोविन्द' की सचित्र प्रति थी। बताया जाता है कि इसने पृष्ठ 10 इंच लम्बे और 8 इंच चौड़े थे। कुल 210 चित्र युक्त पृष्ठ थे यह भी बताया जाता है कि एक अक्षरों की महिला इसे 6 करोड़ रुपये में खरीदन की तैयार थी। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर चित्र थे। ये चित्र विविध रंगों में अत्यन्त कलात्मक थे। इन्हीं के कारण 'गीतगोविन्द' की इस प्रति का मूल्य इतना बढ़ गया था।

इन प्रकार यह सिद्ध होता है कि पांडुलिपि प्रथम कलाकृति होती है। कलात्मक काव्य के साथ सुन्दर लिप्यासन, कलात्मक लिपि लेखन कलात्मक पृष्ठ सजावट और कलात्मक चित्र-विधान से इनके अपने मूल्य के साथ पांडुलिपि का भी मूल्य घटता-बढ़ता है।

इस कलात्मकता के साथ भी पांडुलिपि का विज्ञान हमने इस पुस्तक में निरूपित किया है ।

पर मुझे लगता है कि यह पुस्तक पांडुलिपि-विज्ञान की भूमिका ही हो सकती है, इसके द्वारा पांडुलिपि-विज्ञान की नींव रखी जा रही है ।

पांडुलिपि का रूप बदलता रहा है और बदलता रहेगा । पांडुलिपि-विज्ञान की समस्त सम्भावनाओं को दृष्टि में रख कर अपनी भूमि प्रस्तुत करनी होगी । पांडुलिपि नावयव इकाई है और प्रत्येक अवयव घनिष्ठ रूप से परस्पर सम्बद्ध है किन्तु विकास-क्रम में इनमें से प्रत्येक में परिवर्तन की सम्भावनाएँ हैं । विकास-यात्रा में इकाई के किसी भी अवयव में परिवर्तन आने पर पांडुलिपि के रूप में भी परिवर्तन आयेगा तदनुकूल ही उसकी वैज्ञानिक समीक्षा में भी और विज्ञान के द्वारा उन्हें ग्रहण करने में भी ।

पांडुलिपि के प्रत्येक अवयव से सम्बन्धित ज्ञान-विज्ञान और अनुसंधान का अपना-अपना इतिहास है । प्रत्येक के विकास के अपने सिद्धान्त हैं । इन अवयवों की मूल्य सत्ता भी है पर ये पांडुलिपि-निर्माण में जब संयुक्त होते हैं तो बाहर से भी प्रभावित होते हैं और संयुक्त समुच्चय की स्थिति में पांडुलिपि से भी प्रभावित होते हैं, उनसे पांडुलिपि भी प्रभावित होती है । यह सब-कुछ प्रकृत नियमों से ही होता है । हाँ, उसमें मानव-प्रतिभा का योगदान भी कम नहीं होता । पांडुलिपि-विज्ञान में इन सभी क्रिया-प्रतिक्रियाओं को भी देखना होता है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि पांडुलिपि-विज्ञान का क्षेत्र बहुत विशद है, बहुत विविधतापूर्ण है और विभिन्न ज्ञान-विज्ञानों पर आश्रित है । भला मुझ जैसा अल्प-ज्ञान वाला व्यक्ति ऐसे विषय के प्रति क्या न्याय कर सकता है ।

पर पांडुलिपियों की खोज में मुझे कुछ रुचि रही है जो इस बात से विदित होती है कि मेरा प्रथम लेख जो कृष्णकवि के "विदुरप्रजागर" पर था और "माधुरी" में सम्भवतः 1924 ई० के किसी अंक में प्रकाशित हुआ था, एक पांडुलिपि के आधार पर लिखा गया था । फिर श्री महेन्द्र जी (अब स्वर्गीय) ने मुझे सन् 1926 के लगभग से नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज का अधिकारी नियुक्त कर दिया । इससे पांडुलिपियों और अनुसंधान में रुचि बढ़नी ही चाहिये थी । इसी सभा के पांडुलिपि-विभाग का प्रबन्धक भी मुझे रहना पड़ा । मथुरा के प० गोपाल प्रसाद व्यास (प्राज के लघुप्रतिष्ठित हास्यरस के महाकवि, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान मन्त्री तथा पद्मश्री से विभूषित एव हिन्दी हिन्दुस्तान के सम्पादकीय विभाग के पञ्चमी सदस्य) हस्तलेखों की खोज के खोजकर्ता नियुक्त किये गये । वही मथुरा में श्री त्रिवेदी (अब स्वर्गीय) काशी नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज करने आये । मुझसे उन्हें स्नेह था, वे मेरे पास ही ठहरे । इस प्रकार कुछ समय तक प्रायः प्रतिदिन हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज पर बातें होतीं । इन सभी बातों से यह स्वाभाविक ही था कि हस्तलिखित ग्रन्थों और उनकी खोज में मेरी रुचि बढ़ती । उधर ब्रज-साहित्य-मण्डल की मथुरा में स्थापना हुई । उसके लिए भी हस्तलेखों में रुचि लेनी पड़ी । जब मैं क० मु० हिन्दी विद्यापीठ में था तो वहाँ भी हस्तलेखों का सग्रहालय स्थापित किया गया । यहाँ अनुसंधान पर होने वाली सगोष्ठी में हस्तलेखों के अनुसंधान पर वैज्ञानिक चर्चाएँ करनी और करानी पड़ी । प० उदयशंकर शास्त्री ने विद्यापीठ का हस्त-

लिखावट को तरह-तरह से सुन्दर बनाने से लिपि के विकास में अन्य कारणों के साथ एक कारण उसे सुन्दर बनाने के प्रयत्न से भी सम्बन्धित है। किन्तु लिपि-लेखन अपने-आप में एक कला का रूप ले लेता है। फारस में इस कला का विशेष विकास हुआ है। वहाँ से भारत में भी इसका प्रभाव आया और फारसी लिपि में तो इस कला का चरमोत्कर्ष हुआ। भारत में अक्षरों के आलंकारिक रूप में लिखने का चलन कम नहीं रहा। हमने कितने ही अक्षरों के आलंकारिक रूप, आगे पुस्तक में दिये हैं।

लेखन/लिखावट में सुन्दरता या कलात्मकता के समावेश से ग्रन्थ का मूल्य बढ़ जाता है। लिपि के कलात्मक हो जाने पर ममस्त ग्रन्थ ही कलाकृति का रूप ले लेता है। 'एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड ऐथिक्स' का यह उद्धरण हमारे कथन की पुष्टि करता है "Not only so, but Skilled Scribes have devoted infinite time to Copying in luxurious Style the Compositions of famous persian poets and their manuscripts are in themselves works of art"

अनन्त समय लगाकर धैर्य और लेखन कौशल से लिपि में सौन्दर्य निरूपित करके समस्त कृति/ग्रन्थ को ही एक कलाकृति बना देते हैं।

लिपि में विविध प्रकार की कलात्मकता और आलंकारिकता लाकर ग्रन्थ की सुन्दरता के साथ मूल्य में भी वृद्धि की जाती है। सोने-चाँदी की स्याही से भी ग्रन्थ की सुन्दरता में चार-चाँद लग जाते हैं।

इन कलात्मकता लाने वाले लिप्यासन, लिपि और स्याही-आदि जैसे उपकरणों के बाद ग्रन्थ के मूल्यवर्द्धन में सर्वाधिक महत्त्व चित्रकला के योगदान का होता है।

ग्रन्थों में चित्रांकन का एक प्रकार तो केवल सजावट का होता है। विविध ज्यामितिक आकृतियाँ, विविध प्रकार की लता-पताएँ, विविध प्रकार के फल फूल और पशु पक्षी, आदि से पुस्तक को लिपिकार और चित्रकार सजाते हैं।

ग्रन्थ चित्रांकन का दूसरा प्रकार होता है। वस्तु को, विशेषतः कथा-वस्तु को हृदयगम कराने के लिए रेखाओं से बनाये हुए चित्र या रेखा-चित्र।

यह रेखा-चित्र आगे अधिकाधिक कलात्मक होते जाते हैं। इसकी शक्ति हमें वहाँ मिलती है जहाँ ग्रन्थ चित्राधार बन जाता है और उसका काव्य मात्र आधार बन कर रह जाता है। उत्कृष्ट कलाकार की उत्कृष्ट कलाकृति बन जाता है, यह ग्रन्थ और कवि पीछे छूट जाता है। ऐसी कृतियों का मूल्य क्या हो सकता है। जयपुर के महाराजा के निजी पोथी-खाने में एक 'गीतगोविन्द' की सचित्र प्रति थी। बताया जाता है कि इसके पृष्ठ 10 इंच लम्बे और 8 इंच चौड़े थे। कुल 210 चित्र युक्त पृष्ठ थे यह भी बताया जाता है कि एक अमरीकी महिला इसे 6 करोड़ रुपये में खरीदने को तैयार थी। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर चित्र थे। ये चित्र विविध रंगों में अत्यन्त कलात्मक थे। इन्हीं के कारण 'गीतगोविन्द' की इस प्रति का मूल्य इतना बढ़ गया था।

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पांडुलिपि प्रथमतः कलाकृति होती है। कलात्मक काव्य के साथ सुन्दर लिप्यासन, कलात्मक लिपि लेखन कलात्मक पृष्ठ सज्जा और कलात्मक चित्र-विधान से इनके अपने मूल्य के साथ पांडुलिपि का भी मूल्य घटता-बढ़ता है।

इस कलात्मकता के साथ भी पाडुलिपि का विज्ञान हमने इस पुस्तक में निरूपित किया है ।

पर मुझे लगता है कि यह पुस्तक पाडुलिपि-विज्ञान की भूमिका ही हो सकती है, इसके द्वारा पाडुलिपि-विज्ञान की नींव रखी जा रही है ।

पाडुलिपि का रूप बदलता रहा है और बदलता रहेगा । पाडुलिपि-विज्ञान की समस्त सम्भावनाओं को दृष्टि में रख कर अपनी भूमि प्रस्तुत करनी होगी । पाडुलिपि सावयव इकाई है और प्रत्येक अवयव घनिष्ठ रूप से परस्पर सम्बद्ध है किन्तु विकास-क्रम में इनमें से प्रत्येक में परिवर्तन की सम्भावनाएँ हैं । विकास-मात्रा में इकाई के किसी भी अवयव में परिवर्तन आने पर पाडुलिपि के रूप में भी परिवर्तन प्रायेण तत्पुनः ही उसकी वैज्ञानिक समीक्षा में भी और विज्ञान के द्वारा उन्हें ग्रहण करने में भी ।

पाडुलिपि के प्रत्येक अवयव से सम्बन्धित ज्ञान-विज्ञान और अनुसंधान का अपना-अपना इतिहास है । प्रत्येक के विकास के अपने सिद्धान्त हैं । इन अवयवों की मूल्य सत्ता भी है पर ये पाडुलिपि-निर्माण में जब समुक्त होते हैं तो बाहर से भी प्रभावित होते हैं और समुक्त समुच्चय की स्थिति में पाडुलिपि से भी प्रभावित होते हैं, उनसे पाडुलिपि भी प्रभावित होती है । यह सब-कुछ प्रकृत नियमों से ही होता है । हाँ, उसमें मानव-प्रतिभा का योगदान भी कम नहीं होता । पाडुलिपि-विज्ञान में इन सभी क्रिया-प्रतिक्रियाओं को भी देखना होता है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि पाडुलिपि-विज्ञान का क्षेत्र बहुत विशद है, बहुत विविधतापूर्ण है और विभिन्न ज्ञान-विज्ञानों पर आश्रित है । भला मुझ जैसा अल्प-ज्ञान वाला व्यक्ति ऐसे विषय के प्रति क्या न्याय कर सकता है !

पर पाडुलिपियों की खोज में मुझे कुछ रुचि रही है जो इस बात से विदित होती है कि मेरा प्रथम लेख जो कृष्णकवि के “विदुरप्रजागर” पर था और “माधुरी” में सम्भवतः 1924 ई० के किसी अंक में प्रकाशित हुआ था, एक पाडुलिपि के आधार पर लिखा गया था । फिर श्री महेन्द्र जी (अब स्वर्गीय) ने मुझे सन् 1926 के लगभग से नागरी प्रचारिणी सभा, प्रागर के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज का अधिकारी नियुक्त कर दिया । इससे पाडुलिपियों और अनुसंधान में रुचि बढ़नी ही चाहिये थी । इसी सभा के पाडुलिपि-विभाग का प्रबन्धक भी मुझे रहना पड़ा । मयुरा के पं० गोपाल प्रसाद व्यास (प्राज के सम्बन्धप्रतिष्ठित हास्यरस के महाकवि, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान मन्त्री तथा पद्मश्री से विभूषित एव हिन्दी हिन्दुस्तान के सम्पादकीय विभाग के यशस्वी सदस्य) हस्तलेखों की खोज के खोजकर्ता नियुक्त किये गये । वहीं मयुरा में श्री त्रिवेदी (अब स्वर्गीय) काशी नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज करने आये । मुझसे उन्हें स्नेह था, वे मेरे पास ही ठहरे । इस प्रकार कुछ समय तक प्रायः प्रतिदिन हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज पर बातें होतीं । इन सभी बातों से यह स्वाभाविक ही था कि हस्तलिखित ग्रन्थों और उनकी खोज में मेरी रुचि बढ़ती । उधर ब्रज-साहित्य-मण्डल की मयुरा में स्थापना हुई । उसके लिए भी हस्तलेखों में रुचि लेनी पड़ी । जब मैं क० मु० हिन्दी विद्यापीठ में था तो वहाँ भी हस्तलेखों का संप्रहास्य स्थापित किया गया । यहाँ अनुसंधान पर होने वाली सगोष्ठी में हस्तलेखों के अनुसंधान पर वैज्ञानिक चर्चाएँ करनी और करानी पड़ीं । पं० उदयशंकर शास्त्री ने विद्यापीठ का हस्त-

लेखागार सम्भाला। वे भी इस विषय में निष्णात थे। उनसे भी सहायता मैंने ली है। सूरसागर के संपादन और पाठालोचन के लिए एक वृहद् बेमीनार का आयोजन भी मुझे ब्रज-साहित्य-मण्डल के लिए करना पड़ा था। इन सभी के परिणामस्वरूप मेरी रचि पांडुलिपियों में बढ़ी और पांडुलिपियों की खोज की दिशा में भी कुछ कार्य किया।

पर इनमें मेरी पांडुलिपि-विज्ञान की पुस्तक लिखने की योग्यता मिट नहीं होती। अतः यह मेरी अनधिकार चेष्टा ही मानी जायगी। हाँ, मुझे इन वर्षों में प्रवृत्त होने का साहस इसी भावना से हुआ कि इससे एक अभाव की पूर्ति तो हो ही सकती है। इससे उस बात की सम्भावना भी बढ़ सकेगी कि आगे कोई यथार्थ प्रधिकारी इस पर और अधिक परिपक्व और प्रामाणिक ग्रन्थ प्रस्तुत कर सकेगा।

जो भी हो, आज तो यह पुस्तक आरको समर्पित है और इस मान्यता के साथ समर्पित है कि यह पांडुलिपि-विज्ञान की पुस्तक है। डॉ० हीरालाल माहेश्वरी एम० ए०, पी० एच० डी०, डी० लिट्० ने मेरे आग्रह पर अपना अनुभव और अध्ययन के आधार पर कुछ उपयोगी टिप्पणियाँ हस्तलेखों पर तैयार करवा दीं। इन्होंने शतश हस्तलेखों का उपयोग अपने अनुसंधान में किया है। कठिन यात्राएँ करके कठिन व्यक्तियों से पांडुलिपियों का प्राप्ति किया है और उनका अध्ययन किया है। इसी प्रकार श्री गोपाल नारायण बहुरा जी ने भी कुछ टिप्पणियाँ हमें दीं। ये बहुत वर्षों तक राजस्थान प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान में सम्बन्धित रहे, वहाँ से सेवा निवृत्त होने पर जयपुर के सिटी-पैलेस के 'पीपीखाने' और संग्रहालय में हस्तलिखित ग्रन्थों के विभाग से सम्बन्धित हो गये, इस समय भी वही हैं। इनको हस्तलेखों का दीर्घकालीन अनुभव है। और सोने में सुगंध की वान यह है कि प्राच्य विद्या-प्रतिष्ठान में इन्हें विद्वद्भार मुनि जिन विजय जी (अब स्वर्गीय) के साथ भी काम करने का अच्छा अवसर मिला। हमारे आग्रह पर इन्होंने भी हमें इस विषय पर कुछ टिप्पणियाँ लिखकर दीं। इनकी इस सामग्री का यथानुभव हमने पूरा उपयोग किया है और उसे इन विद्वानों के नाम से यथास्थान इस पुस्तक में समायोजित किया है। इनके इस सहयोग के लिए मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। जहाँ तक मुझे ज्ञात है वहाँ तक मैं समझता हूँ कि 'पांडुलिपि-विज्ञान' पर यह पहली ही पुस्तक है। गुजराती की मुनि पुण्यविजय की लिखी पुस्तक 'भारतीय जैन श्रमण संस्कृति और लेखन कला' में पांडुलिपि-विषयक कुछ विषयों पर अच्छी ज्ञातव्य सामग्री बहुत ही श्रम, अध्ययनाय और सूक्ष्म-वृत्त के साथ सजोयी गयी है पर इसमें दृष्टि सांस्कृतिक चित्र उपस्थित करने की रही है। उनकी इस पुस्तक को जैन लेखन-कला और संस्कृति विषय का लघु विश्वकोष माना जा सकता है। इससे भी हमें बहुत-सी उपयोगी ज्ञान-सामग्री मिली है। मुनि पुण्यविजय जी का प्रसिद्ध पांडुलिपि शोधकर्ता हैं और इस विषय के प्रामाणिक विद्वान हैं। उनके चरणों में मैं अपने श्रद्धा-नुमन समर्पित करता हूँ।

किन्तु इस क्षेत्र में सबसे पहले जिस महामनीषी का नाम लिया जाना चाहिये वह हैं "भारतीय प्राचीन लिपि माला" के यशस्वी लेखक महा-महोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद श्रोत्रा जी हिन्दी के अनन्य सेवक और हिन्दी वती थे। "भारतीय प्राचीन लिपि माला" जैसी अद्वितीय कृति उन्होंने देवावो और आग्रहों की चिन्ता न करके अपने व्रत के अनुसार हिन्दी में ही लिखी, और भारतीय विद्वानों के लिए एक प्रादुर्भाव प्रस्तुत किया। उनका यह ग्रन्थ तो पांडुलिपि-विज्ञान का मूलन-आधार ग्रन्थ ही है। मैंने ब्राह्मी लिपि का पहला

पाठ उनकी इसी पुस्तक से सीखा था। मैं तो उनके दिव्य चरणों में श्रद्धा में पूर्णतः समर्पित हूँ। वे और उनके ग्रन्थ तो अब भी प्रेरणा का अखंड स्रोत हैं। उसे भी बहुत-बहुत इस ग्रन्थ में लिया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे ही ग्रन्थ अनेक हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं के विद्वानों के ग्रन्थों से लाभ उठाया गया है और यथास्थान उनका नामोल्लेख भी किया गया है। इन सबके समक्ष में श्रद्धापूर्वक विनत हूँ। इन सभी विद्वानों के चरणों में मैं एक विद्यार्थी की भाँति नमन करता हूँ और उनके आशीर्वाद की याचना करता हूँ। उनके ग्रन्थों की सहायता के बिना यह पुस्तक नहीं लिखी जा सकती थी और पांडुलिपि-विज्ञान का बीज बपन नहीं हो सकता था।

इस पुस्तक की तैयारी में सबसे अधिक सहायता मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अनुसंधान अधिकारी प्रवक्ता, डॉ० रामप्रकाश कुलश्रेष्ठ से मिली है। उनकी सहायता के बिना यह ग्रन्थ लिखा जा सकता था, इसमें मुझे संदेह है। इसका एक-एक पृष्ठ उनका ऋणी है।

इस पुस्तक का एक छोटा-सा इतिहास है। जब केन्द्रीय हिन्दी-निदेशालय और शब्दावली-आयोग ने साहित्य और भाषा विषय की विषय-नामिकाएँ बनाईं तो उनमें मुझे भी एक सदस्य नामांकित किया गया। इन्हीं विषय-नामिकाओं में जब यह निर्धारित किया गया कि किन-किन ग्रन्थों का मौलिक लेखन कराया जाय, तब "पांडुलिपि-विज्ञान" को भी उभी सूची में सम्मिलित किया गया। इसका लेखन कार्य मुझे सौंपा गया।

जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में हिन्दी विभागाध्यक्ष हाकर आ गया और कुछ वर्ष बाद राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की स्थापना हुई तो इस अकादमी के 'साहित्यालोचन' और 'भाषा' की विषय नामिका का एक सदस्य केन्द्र की ओर से मुझे भी बनाया गया। साथ ही उक्त ग्रन्थ भी लिखवाने और प्रकाशन के लिए राजस्थान-हिन्दी-ग्रन्थ-अकादमी को दे दिया गया। दिसम्बर, 73 तक इस विषय पर विशेष कार्य नहीं हुआ। 74 के आरम्भ से कुछ कार्य आरम्भ हुआ। 5 मार्च, 74 का ग्रन्थ अकादमी के निदेशक पद से निवृत्त होकर मैं इस ग्रन्थ के लिखने में पूरी तरह प्रवृत्त हो गया। इसका परिणाम यह ग्रन्थ है।

इस ग्रन्थ की रचना में राजस्थान विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों का पूरा-पूरा उपयोग किया गया है। राजस्थान-हिन्दी-ग्रन्थ-अकादमी के पुस्तकालय का भी उपयोग किया गया है।

प० कृपाशंकर तिवारी जी के एक लेख को अपनी तरह से इसमें मैंने सम्मिलित कर लिया है। प० उदयशंकर शास्त्री जी के एक चार्ट को भी ले लिया गया है। इन सबका यथास्थान उल्लेख है।

जिन विषयों की चर्चा की गयी है उनके विशेषज्ञों के ग्रन्थों से तद्विषयक वैज्ञानिक प्रक्रिया बताने या विश्लेषण पद्धति समझाने के लिए आवश्यक सामग्री उद्धृत की गयी है और यथास्थान उनका विश्लेषण भी किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक चरण को प्रामाणिक बनाने का यत्न किया गया है। इन सभी विद्वानों के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। यदि ग्रन्थ में कुछ प्रामाणिकता है तो वह उन्हीं के कारण है।

इन प्रयत्नों के किये जान पर भी हो सकता है कि यह भानुपती का कुनवा

होकर रह गया हो, पर मुझे लगता है कि इसमें पाटुलिपि-विज्ञान का सूत्र भी प्रबन्ध है।

पाटुलिपि-विज्ञान का अध्ययन विश्वविद्यालय के स्तर के विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए उपयोगी होता है। प्रत्येक शोध-संगोष्ठी में पाटुलिपि विषयक चर्चा किसी न किसी रूप में आवश्यक होती है, पर सम्पूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान के अभाव में सतही ही रह जाती है। इतिहास, साहित्य, समाज-शास्त्र, राजनीति-शास्त्र, आदि कितने ही ऐसे विषय हैं जिनमें किसी न किसी दृष्टि में पाटुलिपियों का उपयोग करना पड़ जाता है। साहित्य के अनुसंधानकर्त्ता का काम तो पाटुलिपियों के बिना चल ही नहीं सकता। विश्वविद्यालयों में अब पी.एच.डी. से पूर्व एम.फिल. के अध्ययन-प्रवृत्तियों का और विधान किया गया है। इसमें पी.एच.डी. के लिए परितन्त्र अनुसंधान की योग्यता प्रदान कराने की व्यवस्था है। इस उपाधि के लिए पाटुलिपि-विज्ञान का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ अथवा एम.फिल. की उपाधि से यह लाभ नहीं मिल सकेगा जो अभीष्ट है। अनुसंधान की प्रक्रिया का ऐसे अध्ययन में अभाव महत्त्व है पर अनुसंधान-प्रक्रिया के अन्तर्गत विविध विज्ञानों की सहायता अपेक्षित होती है और यह पाटुलिपि-विज्ञान ऐसा ही एक विज्ञान है। पर इस पुस्तक की आवश्यकता स्वयंसिद्ध है।

मैं भी यह विषय अपने घाप में रोचक है, अतः मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसका हिन्दी जगत में स्वागत किया जायगा।

सत्येन्द्र

विषय-सूची

- | | |
|--|--------|
| क—भूमिका | I-VI |
| ख—कृतशता ज्ञापन | VII |
| ग—विषय-सूची | VIII |
| घ—चित्र-सूची | XII |
| 1. पाडुलिपि-विज्ञान और उसकी सीमाएँ | 1-18 |
| <p>नाम की समस्या-1, पाडुलिपि-विज्ञान क्या है-2, पाडुलिपि विषयक विज्ञान की आवश्यकता-8, पाडुलिपि विज्ञान एवं अन्य सहायक विज्ञान-9, शोध प्रक्रिया विज्ञान-10, लिपि विज्ञान-11, भाषा विज्ञान-11, पुरातत्त्व-12, इतिहास-12, ज्योतिष-13, साहित्य-शास्त्र-13, पुस्तकालय विज्ञान-14, डिप्लोमैटिक्स-14, पाडुलिपि-पुस्तकालय-15, आधुनिक पाडुलिपि आगार-17 ।</p> | |
| 2. पाडुलिपि-अन्य-रचना-प्रक्रिया | 19-65 |
| <p>रचना प्रक्रिया में लेखक तथा भौतिक सामग्री-19, लेखक-20, लिपिकार-23, पर्यायवाची-24, महत्त्व-25, लिपिकार द्वारा विकृतियाँ-25, उद्देश्य-28, पाठ सम्बन्धी भूलों का पता लगाना-29, लेखन-31, लेखन आनुष्ठानिक टोना-31, अन्य परम्पराएँ-32, शुभाशुभ-33, सामान्य परम्पराएँ-33, लेखन दिशा-33, पक्ति बद्धता-34, मिलित शब्दावली-34, विराम चिह्न-34, पृष्ठ संख्या-35, अक्षराको की सूची-36, शोधन-38, चिह्न-38, छूटे अक्षरों की पूर्ति के चिह्न-40, अन्य चिह्न-41 सक्षिप्ति चिह्न-41 अक्षरलेखन-42 शब्दों से अक्षर-42, शब्द और मर्यादा साहित्य-शास्त्र से-44, विशेष पक्ष मंगल प्रतीक-45, नमस्कार-46, आशीर्वाचन-47, प्रशस्ति-47, वर्जना-47, उपसहार पुष्पिका-48, शुभाशुभ-48, लेखन विराम में शुभाशुभ-49, लेखनी शुभाशुभ-49, स्याही-52, प्रकार-54, विधियाँ-56, कुछ सावधानियाँ-57, विधि-नियम-58, रंगीन स्याही-59, सुनहरी, रुपहरी स्याही-60, चित्र रचना रंग-60, सचित्र ग्रन्थों का महत्त्व-62, अन्य रचना के उपकरण 64, रेखापाटी 64, डोरा डोरी-64, अन्य-64, हडताल-65, प्रकार-65 ।</p> | |
| 3. पाडुलिपि-प्राप्ति और तत्सम्बन्धित प्रयत्न क्षेत्रीय अनुसन्धान | 66-124 |
| <p>क्षेत्र एवं प्रकार-66, निजी क्षेत्र-66, खोजकर्ता 67, व्यवसायी माध्यम-68, साभिप्राय खोज-68, विवरण लेना-70, विवरण का स्वरूप-71, बाह्य-विवरण-71, उदाहरण-71, प्रांतिव्य वरिचय-79, भतिरिक्त पक्ष-81, रस-रखाव-81, पुस्तक का स्वरूप-81, पुस्तक</p> | |

का प्रकार-82, लिप्यासन-82, रूप-विधान-84, पक्ति एव अक्षर परिमाण-84, पत्रो की सख्या-84, विशेष-85, अलकरण-85, स्याही का विवरण-86, अंतरग परिचय-86, ग्रन्थकार/रचयिता का नाम-86, रचना-काल-87 रचना का उद्देश्य-87, स्थान, भाषा, भाषा वैशिष्ट्य, लिपि-लिपिकार, लिपिकार का परिचय, आश्रयदाता, प्रतिलिपि का स्वामित्व-87, अंतरग परिचय का अन्तरिक पक्ष-88, प्रस्तावित प्राह्य-88, विवरण लेखन में दृष्टि-90, लेखा-जोखा-91, कातावधि-91, अनुक्रमणिकाएँ-94 तालिकाएँ-94, विवरण में क्रम-94, तुलनात्मक अध्ययन-95, उदाहरण कविचन्द-95, निदर्पण-113, विवरण प्रकार लघु सूचना-113, नलिन विलोचन शर्मा की पद्धति-114, उदाहरण तालिका-116, सर्वद्वैतार्थ सुभाव-117, उपयोगी तालिकाएँ-117, आंतरिक विवरण विस्तार के रूप-118, कालक्रमानुसार सूची 119, तालिका-रूप-120, कल्लेवाइर्ट की सूची : रूप-121, प्रतिलिपि काल का महत्त्व-122, नकली पाडुलिपियाँ-124 :

4 पाडुलिपियों के प्रकार

125-172

प्रकार-भेद अनिवार्य-128, लिप्यासन के प्रकार-129, चट्टानीय शिलालेख-130, शिलापट्टीय-132 स्तम्भीय-133, धातु वस्तु-136, पाडुलिपियों के प्रकार—प्रस्तर शिलाश्रो पर ग्रन्थ-138, धातु पत्रो पर ग्रन्थ-140, मृण्मय-140, पेपीरस-141, चमड़े पर लेख-142, ताडपत्रीय-143, भूर्जपत्रीय-145, साचीपातीय-145, कागजीय-148 तूलीपातीय-151, पटीय ग्रन्थ-151, रेशमी कपड़े के-153, काष्ठपट्टीय-154, आकार के आधार पर प्रकार-156, गण्डी-156, वच्छपी-156, मुष्टी-157, सपुट फलक-157, छेद पाटी-157, लेखन-शैली से प्रकार-157, कुडलित-157, रूप विधान से प्रकार-159, त्रिपाट-159, पचपाट-159, शुद्ध-159, ग्रन्थ-159, सजावट के आधार पर प्रकार-159, ग्रन्थ में चित्र-160, सजावटी चित्रों की पुस्तकें-161, उपयोगी चित्रों वाली पुस्तकें-161, भिन्न माध्यम में लिखी पुस्तकें-162, अक्षरों के आकार पर आधारित प्रकार-162, कुछ ग्रन्थ प्रकार-162, पत्रों के रूप में-163, जिल्द के रूप में-163 पोथी, पोथी, गुटबा-165 शिलालेख के प्रकार—इनकी छाप लेना-168, धातु पत्र-170, पत्र चिट्ठी पत्री-171, कुछ अद्भुत लेख-171, उपसंहार-172 :

5 लिपि-समस्या

173-214

महत्त्व-173 लिपियाँ-173, चित्र-लिपि-174, चित्र और ध्वनि-176, चित्र-177, ध्रिम्ब एव रेखा चित्र-179, चित्र लिपि से विभाग-180, तीन प्रकार की लिपियाँ-181, अज्ञात लिपियों को पढ़ने के

प्रयास-182, भारत की लिपियों के पढ़ने का इतिहास-182, लिपि के अनुमधान की वैज्ञानिक प्रक्रिया-189, गिन्धुघाटी की लिपि-190, शब्द मूलक चित्रलिपि (logograph)-190, ध्वनिबर्णों शब्द-प्रतीक वाली लिपि-191, शब्द चिह्नों में व्याकरण सम्बन्धों को जानने का सिद्धान्त-191, लिपि के पढ़ने में ग्रहचर्च-196, ब्राह्मी लिपि की सामान्य वर्णमाला-198, भारत में लिपि-विकार-199, लिपियों के वर्ण-200, विदेशी लिपियाँ-200, प्रादेशिक लिपियाँ-200, जनजातियों की लिपियाँ-201, साम्प्रदायिक लिपियाँ-201, चित्र रेखा-चित्र लिपियाँ-201, स्मरणोपकारी लिपियाँ-201, उगारी या रोदी हुई लिपियाँ-201, शैली-परक लिपियाँ-202, सभ्रमण स्थिति छोटक लिपि-202, त्वरा लेखन-202, विशिष्ट शैली-202, हिंसाव-विताव विषयक शैली-202, दैवी या काल्पनिक-202, अठारह लिपियाँ-202, भ्लेच्छिन विकल्प-203, पल्लवी लिपियाँ-204, दातासी लिपि-205, सहृदेवी लिपि-205, व्यावहारिक समस्याएँ-205, पांडुलिपियों की विशिष्ट अक्षरावली-206, विवादास्पद वर्ण-207, भ्रान्त वर्ण-209, प्रमाद से त्रिसे वर्ण-209, विशिष्ट वर्ण-चिह्न-211, विराम चिह्नों के लिए चार बातें-212, उपसहार-213 ।

6. पाठालोचन

215-245

भूमिका-215, मूल-पाठ के उपयोग-215, लिपिक का सर्जन-215, पाठ की अशुद्धि और लिपिक-216, शब्द विकार . काल्पनिक-216, शब्द-विकार . यथायं उदाहरण-216, प्रमाद या परिणाम-217, छूट, भूल और भ्रम-217, समानता के कारण ग्रन्थ अक्षर मुनि पुण्य-विजयजी की सूची-218, लिपिक के कारण वश-वृक्ष-219, पाठालोचन की आवश्यकता-220, प्रक्षेप या क्षेपक-221, क्षेपक के कारण-221, छूट-222, अप्रामाणिक कृतियाँ-222, पाठालोचन में शब्द और अर्थ का महत्त्व-223, पांडुलिपि-विज्ञान और पाठालोचन-224, प्रणालियाँ-224, वैज्ञानिक चरण-225, प्रक्रिया-226, ग्रन्थ-सूत्र-226, तुलना-226, मूके प्रणाली-227, वर्तनी सम्बन्धी उलभने-228, विश्लेषण में निष्कर्ष-232, प्रतिलिपिकार प्रणाली-232, स्थान सेवत प्रणाली 232, पाठ साम्य के समूह की प्रणाली-233, पत्र-संख्या प्रणाली-233, ग्रन्थ प्रणाली-233, पाठ-प्रतियाँ-233, पाठ-तुलना-234, प्रामाणिक पाठ निर्धारण-234, पाठ-सम्बन्धों का वृक्ष-236, बाह्य और अंतरंग सम्भावनाएँ-236, पाठानुसंधान में भ्रान्ति और निवारण-237, तत्कालीन रूप और अर्थ से पुष्टि-238, पाठान्तर देना-238 प्रक्षेप और परिशिष्ट-239, ग्रन्थ-नाम और पाठालोचन-240, पाठ निर्माण-241, पचतन्त्र वश वृक्ष-242, एजरटन की प्रणाली 243, हर्डन की सांख्यिकीय पद्धति-244, तुलनात्मक-भाषा वैज्ञानिक पद्धति-245, सङ्कल्पनात्मक पद्धति-245 ।

7. काल निर्धारण

246-309

भूमिका-246, काल-संकेत से समस्या-246, काल-संकेत के प्रकार-246, इनसे समस्याएँ-248, काल-निर्धारण की दो पद्धतियाँ-249, काल-संकेत न रहने पर-250, पाणिनी की भ्रष्टाध्यायी का उदाहरण-250, अंतरंग साक्ष्य का आधार-251, काल-संकेतों के रूप-252, सामान्य पद्धति-255, कठिनाइयाँ-255, अर्थांतर की कठिनाई और पाठान्तर का भ्रमेला-257, विविध सन्-संबन्ध-259, नियमित सवत्-259, शक सवत्-259, शाके शालिवाहने-260, पूर्वकालीन शक-संवत्-260, कुपाण सवत्-260, वृत्त, मालव तथा विक्रम सवत्-260 गुप्त सवत् तथा वलभी सवत्-261, हर्ष सवत्-261, सप्तमि सवत्-262, बलिधुग संवत्-262, बुद्ध निर्वाण सवत्-262, बाह्यस्पत्य सवत्-262 ग्रह परिवृत्ति सवत्सर-264, हिजरी सन्-264, शाहूर सन् या सूर सन् या अरबी सन्-264, फसली सन्-265, सयतो का सम्बन्ध : तालिकाबद्ध-266, निरपेक्ष काल-क्रम-269, सवत्-काल जानना-270, सौर वर्ष . सक्रान्ति-270, चान्द्रवर्ष-271 योग-271, भारतीय काल-गणना की जटिलता-272 शब्दों में काल सख्या-273, राज्यारोहण सवत् से काल-निर्धारण श्री बी सी. सरकार के आधार पर, विवेचना सहित-275, साक्ष्य : बाह्य अंतरंग-279, बाह्य साक्ष्य-279 अंतरंग साक्ष्य-279, वैज्ञानिक-280, बाह्य साक्ष्य . विवेचन-280 तुलसी के उदाहरण से-280, बहि साक्ष्य की प्रामाणिकता-284 अनुश्रुति या जनश्रुति-284, इतिहास एव ऐतिहासिक घटनाएँ 285 इतिहास की सहायता में सावधानी-286, काल-निर्णय में भ्रमेले के कुछ कारण (पदमावत का उदाहरण)-288, सामाजिक परिस्थितियाँ एव सांस्कृतिक उल्लेख-289, अंतरंग साक्ष्य-291, कागज लिप्यासन-292, स्याही-293 लिपि 293, लेखन-पद्धति, अलकरण आदि-296, सकेताक्षरी की कालावधि-296, अंतरंग पक्ष सूक्ष्म साक्ष्य-298, भाषा-298, वस्तु-विषयक साक्ष्य-299, वैज्ञानिक प्रविधि-300, कवि-निर्धारण समस्या-300 ।

8. शब्द और अर्थ की समस्या

310-333

अर्थ की दृष्टि से शब्द-भेद-310, शास्त्र एव विषय के आधार पर शब्द-भेद तालिका-311, मिलित शब्द-312, विकृत शब्द-312, पाठ-विवृतियों के मूल कारण-313, विकृत शब्दों के भेद 316, मात्रा-विकार-316, अक्षर-विकृत शब्द-316 विभक्त अक्षर-319, युक्ताक्षर-विकृति-320, घसीटाक्षर विकृति-321, अलकरण निर्भर विकृति-321, नवरूपाक्षर युक्त शब्द-322, लुप्ताक्षरी शब्द-323, आगमाक्षरी-323, विपर्यस्ताक्षरी-323, सकेताक्षरी शब्द-324, विशिष्टार्थी

शब्द-324, सह्या वाचक शब्द-326, यतनीच्युत शब्द-326, स्थाना-
पत्र शब्द-326 अपरिचित शब्द-327, कुपठित-329, घर्ष समस्या-
330, व्याकरण की उपेक्षा के परिणाम-332, अभिधा, लक्षणा,
व्यजना-333 ।

9 रत्न-रत्नाव

334-361

रत्न-रत्नाव की समस्या-334, ताडपत्र ग्रन्थ कहीं सुरक्षित-334, भूर्ज-
पत्र ग्रन्थ कहीं-334. कागज के ग्रन्थों की स्थिति-335, ग्रन्थों के
विनाश के कारण-335, विदेशी आक्रमण-335. साम्प्रदायिक विद्वेष-
336, भडारों को बचाने के उपाय-336, 'तुनह्लाड' में ग्रन्थ सुरक्षा
का कारण-337, बन्दराओं में ग्रन्थ-339, ज्ञान भडारों के रक्षण की
आवश्यकता के कारण-339, बाहरी प्राकृतिक वातावरण से रक्षा-
341, झूलर का अभिमत-342, रत्न-रत्नाव का विज्ञान-344, वाता-
वरण का प्रभाव-344, अच्छे रत्न-रत्नाव के उपाय-345, साधन-
345, पांडुलिपियों के शत्रु-346, पाइमल चिकित्सा-347, कीड़े-
मकोहों से हानि और रक्षा-347, वाष्प चिकित्सा-348, दीमक-
348 पांडुलिपियों में विकृतियाँ और चिकित्सा-350, सामग्री-350,
चिकित्सा-351, ग्रन्थ चिकित्साएँ-352, शिफन चिकित्सा-353,
टिश्यू चिकित्सा-353, परतोपचार-354, भीगी पांडुलिपियों का
उपचार-354, कागज को अम्ल रहित करना-355, अम्ल-निवारण-
355, राष्ट्रीय अभिलेखागार की पद्धति-356, अमोनिया गैस से
उपचार-357, ताडपत्र एवं भूर्जपत्र का उपचार-357, डेक्स्ट्राइन की
लेई-358, मंटे की लेई-359, चमड़े की जिल्दों की सुरक्षा-359,
उपयोगी पुस्तकें-360 ।

परिशिष्ट— 1 पुस्तकालय सूची

362-374

परिशिष्ट— 2 कालनिर्धारण

374-375

परिशिष्ट— 3 ग्रन्थ-सूची

376-380

चित्र-सूची

चित्र	पृष्ठ संख्या
मंगल प्रतीक [5]	पृष्ठ 45-48 के लिए
समाप्त के कल्पमूत्र का एक चित्र	पृष्ठ 61 के लिए
चदामन का चित्र	पृष्ठ 61 के लिए
ताडपत्र की पादुलिपि का चित्र	पृष्ठ 61 के लिए
सचित्र मूर सागर	पृष्ठ 62 के लिए
मंनासत प्रसंग का अन्तिम पत्र	पृष्ठ 63 के लिए
1. चट्टानीय शिलालेख	130
2. रोसेटा का शिलालेख	131
3. पुष्पगिरि का शिलालेख	132
4. वातशुंड का पालि या धीर स्तम्भ	133
5. देवगिरि का सती स्तम्भ	134
6. महाकूट का धर्म स्तम्भ	134
7. नालन्दा की मृण्मय मुहर	136
8. मोहनजोदडो में प्राप्त मुहर	136
9. काष्ठपट्टिका सचित्र	154
10. सचित्र कुडलित ग्रन्थ	157
11. कुडली ग्रन्थ : रखने के पिटक के साथ	158
12. रेखाचित्र की प्रक्रिया (चित्र-1)	175
13. आदिम मानव के बनाये चित्र - वर्गाकार घड़ मुक्त (चित्र-2)	175
14. सिन्धुघाटी की मुहरों से चित्रलिपि में मनुष्य के विविध रेखांकन (चित्र-3)	175
15. प्रस्तर युग का जंगली बिल	177
16. दो शंसी बद्ध हिरण वृशमन चित्र	178
17. बनियावेरी गुफा में स्वास्तिक पूजा	178
18. लहनतन	179
19. आरोही नर्तन	179
20. एरिजोना में प्राप्त प्राचीनतम चित्रलिपि	179
21. मिस्र की हिरोग्लिफिक चित्रलिपि	180
22. चित्रलिपि	181
23. हस्तलेखों की वर्णमाला, मात्राएँ एवं अंक	200
24. ददरेवा का शिलालेख	254
25. तुनह्लाम की बौद्ध गुफाओं का चित्र	338

पाण्डुलिपि-विज्ञान और उसकी सीमाएँ

नाम की समस्या

इस विज्ञान का सम्बन्ध मनुष्य द्वारा लिपिबद्ध की गई सामग्री से है। मनुष्य ने कितनी ही महत्वाब्धियों पूर्व लेखन-कला का आविष्कार किया था। तब से अब तक लिपिबद्ध सामग्री अनेक रूपों में मिलती है। अतः यहाँ लेखन से भी कई अर्थ ग्रहण किये जा सकते हैं। आधुनिक युग में जिस तरह से हाथ से, लेखनी के द्वारा कागज पर लिखा जाता है उसी प्रकार मनुष्य की सम्यता के आरम्भ और विवास की अवस्थाओं में यह लेखनक्रिया इंटो पर, पत्थरों पर, शिलालेखों के रूप में या टकण द्वारा की जाती रही। मोम-पाटी पर या चमड़े पर भी लिखा गया। ताडपत्र पर नुकीली लेखनी से गोदन द्वारा यह काम किया गया और कपड़ों पर छापों द्वारा, भोजपत्र पर लेखनी के द्वारा, ताम्रपत्र तथा अन्य धातु पत्रों पर टकण द्वारा या ढालकर या छापो द्वारा अपने विचारों को प्रकृत किया गया है। अतः इस विज्ञान को इन सभी प्रकार के लेखों का अपनी सामग्री के रूप में उपयोग करना होगा। इन सभी को हम लेख तो ग्रामानी में कह सकते हैं क्योंकि विविध रूपों में लिपिबद्ध होने पर भी लिखने का भाव इनके साथ बना हुआ है। मुहावरों में भी टकण द्वारा लेखन, गोदन द्वारा लेखन, आदि प्रयोग आते हैं। इतिहासकारों ने भी अपने अनुसंधानों में इनको अभिलेख, गिलालेख, ताम्रपत्र लेख आदि का नाम दिया है। इन्हें जो लेख भी मिले हैं उन्हें, वासुदेव उपाध्याय ने धार्मिक लेख, प्रशामाय अभिलेख, स्मारक-लेख, आज्ञापत्र एवं दान-पत्र के रूपों में प्रस्तुत किया गया बताया है। मुद्राओं पर भी अभिलेख प्रकृत माने जाते हैं। इन अभिलेखों में आगे पुस्तक-लेखन आता है तो इसका एक अलग वर्ग बन जाता है। वस्तुतः यहाँ वर्ग संकुचित अर्थ में इस पाण्डुलिपि विज्ञान का मर्यादा क्षेत्र है। अग्नेजी में इन्हें 'मैंग्युस्त्रिप्ट' कहते हैं। 'मैंग्युस्त्रिप्ट' शब्द को हस्तलेख नाम भी दिया जाता है और पाण्डुलिपि भी। एतद अर्थ में पाण्डुलिपि का उपयोग हाथ की लिखी पुस्तक के उस रूप को दिया जाने लगा है जो प्रेम में मुद्रित होने के लिए देने की दृष्टि में अन्तिम रूप में तैयार हो। फिर भी, इसका निश्चित अर्थ वही है जो हस्तलेख का ही सचता है। हस्तलेख का अर्थ पाण्डुलिपि में अधिक विस्तृत माना जा सकता है क्योंकि उसमें शिलालेख तथा ताम्रपत्र आदि का भी समावेश माना जाता है किन्तु पाण्डुलिपि का मन्त्र ग्रन्थ में ही होता है। आज मैंग्युस्त्रिप्ट के पर्याय के रूप में 'हस्तलेख' और 'पाण्डुलिपि'

1. १० उदयशंकर शास्त्री ने पारुलिपि के सम्बन्ध में यह लिखा है कि आजकल हस्तलिखित ग्रन्थों को पारुलिपियाँ कहा जाने लगा है। किन्तु प्राचीन काल में पारुलिपि उन हस्तलेखों को कहा जाता था जिनके प्राकृत (ममविद्या) को पहले लकड़ी के पट्टे या जमीन पर छिदिया (पांडु) (चाक) में लिखा जाता था फिर उसे मुद्र करके अन्यत्र उत्तार दिया जाता था और उसी को पत्राक कर दिया जाता था। हिन्दी में यह अर्थ विषय अग्नेजी के कारण हुआ है। अग्नेजी में किसी भी प्रकार के हस्तलेख को 'मैंग्युस्त्रिप्ट' कहते हैं।

दोनो ही प्रयुक्त होते हैं। हस्तलेख से हस्तरेखाओं का भ्रम हो सकता है। इस दृष्टि से 'मैन्युस्क्रिप्ट' के लिए पाण्डुलिपि शब्द कुछ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है इसलिए हमने इसी शब्द को मान्यता दी है।

अंग्रेजी के विश्वकोषों में 'मैन्युस्क्रिप्ट' का क्षेत्र काफी विशद माना गया है।¹ फलतः आज 'मैन्युस्क्रिप्ट' या 'पाण्डुलिपि' का यही विस्तृत अर्थ लिया जाता है। यही अर्थ इस ग्रन्थ में भी ग्रहण किया गया है।

पाण्डुलिपि विज्ञान क्या है ?

मनुष्य अपनी आदिम अवस्था के वन्य-स्वरूप को पार करके इतिहास और सस्कृति का निर्माण करता हुआ, लाखों वर्षों की जीवन-यात्रा सम्पन्न कर चुका है। वह अपनी इस यात्रा में चरण-चिह्न छोड़ता आया है। इन चिह्नों में से कुछ आदिम अवस्था में गुफाओं में निवास के स्मारक गुहा-चित्र हैं जो 30,00,00 वर्ष ई पू से मिलते हैं। इन चिह्नों में इनके अतिरिक्त भवनों के खडहर हैं, विशाल समाधियाँ हैं, देवस्थान हैं; अन्य उपकरण जैसे बर्तन, मृदाभांड, मुद्राएँ, एव मृण्मूर्तियाँ हैं, इंटें हैं, तथा अस्त्र-शस्त्र हैं। इनके साथ ही साथ शिलालेख हैं, ताम्रपत्र हैं, भित्तिचित्र हैं। इन सबके द्वारा और सब में

1. न्यू यूनीवर्सल ऐनसाइक्लोपीडिया भाग 10 में बताया गया है कि मैन्युस्क्रिप्ट संदिन के [Manu Scriptus] मनु+स्क्रिप्ट्स से उत्पन्न है। इनका अर्थ होता है हाथ की लिखावट। विशद अर्थ में कोई भी ऐसा लेख जो छपा हुआ नहीं है इसके अन्तर्गत आयेगा। संकुचित अर्थ में छापी का प्रयत्न होने से पूर्व जो सामग्री पेपीरस, वाचमेण्ट अथवा कागज पर लिखी गई वही 'मैन्युस्क्रिप्ट' कही गई। ऐनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के अनुसार छापेबाने की छापी आरम्भ होने से पूर्व का ममस्त साहित्य 'मैन्युस्क्रिप्ट' के रूप में ही था। इसके अनुसार वह ममस्त सामग्री 'मैन्युस्क्रिप्ट' कही जायेगी जो किसी भी रूप में लिखी गई हो, चाहे वह कागज पर लिखी हो अथवा किसी अन्य वस्तु पर, जैसे धातु, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, कपड़े, बूझ की छील, बूझ के पत्ते, अथवा चमड़े पर।

In Archaeology a manuscript is any early writing on stone, metal, wood, clay, linen, bark and leaves of trees and prepared skins of animals such as goats sheep and calves —The American People's Encyclopaedia, (p 175)

विद्वानों का यह अभिमत है कि छोर में जो सामग्री अब तक मिली है उसके आधार पर यह माना जा सकता है कि पहले लेखन-वायं आग्नि मानवी की चित्रकला की भाँति गुफाओं की भित्तियों पर या किलाभ्रयों की भित्तियों पर हुआ होगा। तब पत्थरों या डोंको का उपयोग किया गया होगा। तदनन्तर मिट्टी (Clay) की इंटों पर। इंटों के बाद पेपीरस का आविष्कार हुआ होगा। पेपीरस के खरडों [Rolls] पर ग्रन्थ रहता था। इनके साथ साथ चिह्ने, मिटाने और किर दिवने की सुविधा की दृष्टि से लकड़ी की पाटी या पट्टी काम में ली जाने लगी। परिसर में मोम की पाटी का उपयोग मिलता है। आगे के विकास में यह मोम पाटी आवरण पत्र का रूप लेने लगी। 'पेपीरस' के रोमन या खरीते बलजिनाएँ या कुण्डलियाँ बहुत लम्बे होने से। ये असुविधाजनक लगे तो इन्हें दुहरा विहृता कर घुट या पन्ने का रूप दिया गया और मोमपाटी के आवरण पत्र इन घुटों के रक्षक बन गये। ये ऊपर और नीचे के दोनों पत्र एक और तार से गुँथे जाने से। बाद में लिप्यासन के लिए पेपीरस के स्थान पर पार्चमेण्ट [चर्मपत्र] काम में आने लगा तो पार्चमेण्ट या चर्म-पत्र ग्रन्थ के घुटों की भाँति और मोमपाटी या लकड़ी की पट्टियाँ आवरण पत्र की भाँति उपयोग में आने लगे। इनको कोडेक्स [Codex] कहा जाता है। आधुनिक जित्य-बन्द ग्रन्थों के पूर्वज ये 'कोडेक्स' ही हैं। ऐसा माना जाता है कि पार्चमेण्ट [चर्मपत्र] का उपयोग लिप्यासन के लिए प्रथम ई० म० की से होने लगा था। इनका कोडेक्स रूप में प्रचार ईसा की चौथी शताब्दी से विशेष रूप से हुआ। ये सभी पाण्डुलिपि के भेद हैं, जिन्हें विवास-भ्रम से यहाँ बताया गया है।

से उस प्रागैतिहासिक मनुष्य का रूप ऐतिहासिक काल की भूमिका में उभरता है, जो प्रगति पथ की ओर चलता ही जा रहा है। उसके सघर्ष के अवशेष इतिहास के काल क्रम में दबे मिल जाते हैं। उनसे मनुष्य की सघर्ष कथा का बाह्य साक्ष्य मिलता है। इन बाह्य साक्षियों के प्रमाण से हम उसके अंतरंग तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक ऐसे आदिम उपादानों के साथ सहस्राब्दियों का मानवीय इतिहास जुड़ा हुआ है। इन अवशेषों के माध्यम से इतिहासकार उन प्राचीन सहस्राब्दियों का साक्षात्कार कल्पना के सहारे करता है। उन्हीं के आधार पर वह प्राचीन मानव के मन एवं मस्तिष्क, विचारों और आस्थाओं के मूत्र तैयार करता है।

उदाहरणार्थ—ग्लेटामीरा¹ की गुफाओं में दूर भीतर छँधरे में कुछ चित्र बने मिले। मनुष्य ने अभी भवन या भोंपड़ी बनाना नहीं सीखा, अतः वह प्राकृतिक पहाड़ियों या गुफाओं में शरण लेता था। गुफाओं में भीतर की ओर उसने एक छँधरा स्थान चुना यानी उसने निभूत स्थान, एकान्त स्थान चुना क्योंकि वह चाहता था कि वहाँ वह जो कुछ करना चाहे, वह सबकी दृष्टि में न आवे। उसका वह स्थान ऐसा है, कि जहाँ उसके अन्य साथी भी यो ही नहीं आ सकते। स्पष्ट है कि वह यहाँ पर कोई गुह्य कृत्य करना चाहता था।

चित्र—यहाँ उसने चित्र बनाये। अवश्य ही वह इस समय तक कृत्रिम प्रकाश उत्पन्न करना जान गया था, उसी प्रकाश में वह चित्र बना सका, अन्यथा वह चित्र न बना पाता। साथ ही, उस गुह्य स्थान पर जो चित्र उसने बनाये वे चित्र सोईशय हैं। इसका उद्देश्य टोना हो सकता है। वह टोने में अवश्य विश्वास करता था। उसी टोने के लिए तथा तद्विषयक अनुष्ठानों के लिए एकान्त अन्धकार पूर्ण गुह्य अथवा उस गुफा में उसने चुना, और वहाँ वे चित्र बनाये।² इन चित्रों के माध्यम से टोने के द्वारा वह अपना अभीष्ट प्राप्त करना चाहता था। प्रागैतिहासिक काल के लोग टोने में विश्वास करते थे। उनके लिए टोना धर्म का ही एक रूप था ऐसा कुछ हम गुहा और उनके चित्रों को देखकर कह सकते हैं। किन्तु यथार्थ यह है कि यह जो कुछ कहा गया है उससे भी और अधिक कहा जा सकता था—पर यह सब कुछ बाह्य साक्ष्य से मानस के अंतरंग तक पहुँचने के उपक्रम में कल्पना के उपयोग से सम्भव होता। उदाहरणार्थ—सामने चित्र है। पुरातत्वविद् उसे देख रहा है। चित्र, उसकी भूमि, उसका स्थान स्थान का स्वरूप और स्थिति, वहाँ उपलब्ध कुछ उपादान, गुफाओं का काल—ये सब पुरातत्वविद् की कल्पना दृष्टि के लिए एक

1 Much research in this field has been done in recent years, and we now have a fairly definite knowledge of the Art of some of the most primitive of men known to the anthropologist (from 30 000 to 10 000 B C) but the famous cave drawings of animals at Altamura in Spain are the most important

—The Meaning of Art, p 53

2 There is evidence to show that paintings have been often repainted, and that the places where they are found were in some way regarded as sacred by the Bushmen.

—The Meaning of Art, p 54

‘By the symbolical representation of an event, primitive man thinks he can secure the actual occurrence of that event The desire for progeny, for the death of an enemy, for survival after death, or for the exorcism or propitiation of adequate symbol (यही टोना है।)

—Read Herbert The Meaning of Art, p 57

भाषा हैं जिनसे वह आदिम युग के मनुष्य के मानस को पढ़कर निरूपित कर पाता है।

सम्पत्ता और सङ्कृति के विवास में यह आदिम मनुष्य ऐसे मोड़ पर पहुँचता है कि वह एक ओर तो चित्र से लिपि की दिशा में बढ़ता है, दूसरी ओर 'भाषा' का विकास कर लेता है। तब वह अपने विचारों को इस प्रकार लिख सकता है कि पढ़ने वाला जैसे स्वयं लिखने वाले के समक्ष खड़ा होकर लिपि की लकीरों से लेखक के मानस का साक्षात्कार कर रहा हो। अब सामान्यतः अपनी कल्पना से उसे लेखक के मानस का निर्माण नहीं करना, जैसे गुफा निवासी के मानस का किया गया, वह मानस तो लेख से लेखक ने ही खड़ा कर दिया है। इस लेखन के अनेक रूप हो सकते हैं, अनेक लिपियाँ हो सकती हैं, अनेक भाषाएँ हो सकती हैं। पर सबसे मनुष्य का मानस व्यापार, उसके भाव विचार, उसन जो देखा समझा उसका विवरण होता है। वस्तुतः लेख में ही मनुष्य का साक्षात् मानस प्रतिबिम्बित मिलता है। ये सभी चित्र से लेकर लिपि लेखन तक, पाण्डुलिपि के अन्तर्गत माने जा सकते हैं।

'लेखन' एक जटिल व्यापार है। इसमें एक तत्त्व तो लेखक है, जिसके अन्तर्गत उसका व्यक्तित्व उसका मनोविज्ञान और अभिव्यक्ति के लिए उसका उत्साह, अभिप्राय और प्रयत्न—शरीर, हृदय और मस्तिष्क—इन सबसे बनी एक इकाई—सभी सम्मिलित हैं, उसके अन्य तत्त्व लेखनी लिखने के लिए पट या कागज, स्याही आदि हैं। इनमें से प्रत्येक का अपना इतिहास है, सबके निर्माण की कला है, और सबको समझने का एक विज्ञान भी है। लिपिक अपना अलग महत्त्व रखता है। लेखक जब ग्रन्थ-रचना करता है, तब वह अपना लिपिक भी होता है क्योंकि वह स्वयं लिखकर ग्रन्थ प्रस्तुत करता है। लेखक के अपने हाथ में लिखे ग्रन्थ का अपने आप में ऐतिहासिक महत्त्व है। ग्रन्थ-रचयिता कितना ही विद्वान और पंडित हो जब ग्रन्थ रचना करता है, अपने विचारों और विषयों को लिपिवद्ध करता है तो कितनी ही समस्याओं को जन्म देता है। ये प्रायः वे ही समस्याएँ होती हैं जो सामान्य लिपिकार पैदा करता जाता है। और ऐसी अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पाण्डुलिपि-विज्ञान की अपेक्षा है।

हमने यह देखा कि पाण्डुलिपि से सम्बन्धित कई पक्ष हमारे सामने आते हैं। एक पक्ष ग्रन्थ के लेखन और रचना विषयक हो सकता है। यह ग्रन्थ लेखन की कला का विषय बन सकता है। दूसरा पक्ष, उसकी लिपि से सम्बन्धित हो सकता है, यह 'लिपि विज्ञान' का विषय है। लिपिकार सम्बन्धी पक्ष भी कम महत्त्व का नहीं। तीसरा पक्ष, भाषा विषयक है जो भाषा विज्ञान और व्याकरण के क्षेत्र की वस्तु है। चौथा पक्ष, उस ग्रन्थ में की गई चर्चा के सम्बन्ध में हो सकता है उसमें ज्ञान-विज्ञान की चर्चा हो सकती है, वह काव्य ग्रन्थ भी हो सकता है। ये सभी पक्ष साहित्यालोचन या विविध ज्ञान विज्ञान और काव्य शास्त्र से सम्बन्धित हैं। यह पक्ष शब्द अर्थ का ही एक पक्ष है। ये ग्रन्थ चित्रयुक्त भी हो सकते हैं। चित्र का विषय चित्रकला के क्षेत्र में जायेगा। ग्रन्थ जिम पर लिखा गया है उस वस्तु (चमड़ा इंट छाल पत्ता, कपड़ा, आदि) का एक अलग पक्ष है, फिर उसे किम प्रकार पुस्तकाकार बनाया जाता है यह अलग विज्ञान है। स्याही एवं लेखनी का निर्माण एक पृथक् अध्ययन का विषय है। ग्रन्थ इन सभी से मिलकर तैयार होता है और ये सभी पक्ष इससे बँध जाते हैं। इसके बाद ग्रन्थों की प्रतिलिपि का पक्ष आता है। किसी प्राचीन ग्रन्थ की अनेकानेक प्रतियाँ लम्बे ऐतिहासिक काल में बिखरी हुईं और विस्तृत

भू भाग में फँसी हुई मिलती हैं। प्रतिलिपि की अपनी कला है। इस पक्ष का अपना महत्त्व है। इन प्राचीन प्रतियों का लेकर उनके आधार पर ग्रन्थ का सम्पादन करना तथा एक आदर्श पाठ प्रस्तुत करना एक अलग पक्ष है। इसका एक अलग ही पाठालोचन-विज्ञान अस्तित्व में आ चुका है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक पाण्डुलिपि में कितनी ही बातें होती हैं और उनमें से अनेक का एक अलग विज्ञान है पर उनमें से कोई भी अलग अलग पाण्डुलिपि नहीं है, न लिपि मात्र पाण्डुलिपि है और न उसमें लिपी भाषा और अक्षर, न चित्र, न स्थाही और न कागज, न शब्दार्थ, न उनमें लिखा हुआ ज्ञान विज्ञान का विषय,—पाण्डुलिपि इन सबसे मिलकर बनती है, साथ ही इन सबसे भिन्न है। लेकिन इन सबके ज्ञान विज्ञान से पाण्डुलिपि के विज्ञान की भी हृदयगत करने में सहायता मिल सकती है। उसके ज्ञान के लिए ये विज्ञान सहायक हो सकते हैं। पाण्डुलिपि विज्ञान की दृष्टि से भिन्न पर सबसे पहले दृष्टि जाती है वह तो इन सबके पारस्परिक नियोजन की बात है। इन सबका नियोजनकर्ता एक व्यक्ति अवश्य होता है। वह स्वयं उस पाण्डुलिपि का कर्ता या सहाय है अथवा विद्वान और पण्डित। किन्तु वह मात्र एक लिपिक भी हो सकता है जो उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत करे। मूल पाण्डुलिपि भी पाण्डुलिपि है और उसकी प्रतिलिपि भी पाण्डुलिपि है। इस प्रकार एक व्यक्ति द्वारा पाण्डुलिपि के विभिन्न तत्त्वों के नियोजन मात्र से ही वह व्यक्ति पाण्डुलिपि को पूर्णता प्रदान करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि उसके जो उपादान हैं उन पर लेखक तथा लिपिकर्ता का वश नहीं होता। उसे कागज दूसरे से तैयार किया हुआ लेना होता है, वह कागज स्वयं नहीं बनाता। यदि अनेक प्रकार के कागज हो तो वह चयन कर सकता है। इसी प्रकार लेखनी तथा काम पर भी उसका अधिकार नहीं। वह प्राकृतिक उपादानों से लेखनी तैयार करता है और जैसी भी लेखनी उसे मिलती है उसका वह अपनी दृष्टि से निकृष्ट या उत्कृष्ट उपयोग कर सकता है। स्थाही भी वह बनी बनाई लेता है और यदि बनाता भी है तो जिन पदार्थों से स्थाही बनायी जाती है, वे सभी प्रकृतिदत्त पदार्थ होते हैं जिनका वह स्वयं उत्पादन नहीं करता। फिर जब वह लिखना प्रारम्भ करता है तो वर्ण, शब्द और भाषा उसे सत्कार, शिक्षा तथा अभ्यास से मिलते हैं। लिपि के अक्षरों के निर्माण में उसका कोई हाथ नहीं होता किन्तु प्रत्येक अक्षर के निर्धारित रूप को लिखने में वह अपने अभ्यास का और रुचि का भी फल प्रस्तुत करता है इससे वर्णों के रूप विन्यास में कुछ अन्तर आ सकता है। किन्तु इन सभी वस्तुओं का नियोजन वह एक विधि से ही करता है और इस विधि की परीक्षा ही पाण्डुलिपि विज्ञान का मुख्य लक्ष्य है। पाण्डुलिपि का विषय क्या है, यह पाण्डुलिपि विज्ञान के अध्येता की दृष्टि से विशेष महत्त्व की बात नहीं है। इसका उसे इतना ही परिचित होने की आवश्यकता है जितने से वह पाण्डुलिपि के विषय की कोटि निर्धारित कर सके।

किन्तु यह उसके लिए अवश्य आवश्यक है कि पाण्डुलिपि के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठें उनका वह प्रामाणिक समाधान प्रस्तुत कर सके। अतः जिन विषयों पर पाण्डुलिपिवेत्ता से प्रश्न किये जा सकते हैं वे सम्भवतः इस प्रकार के हो सकते हैं —

- (1) पाण्डुलिपि की खोज और प्रक्रिया। पाण्डुलिपि का क्षेत्रीय अनुसन्धान भी इसी के अन्तर्गत आवेगा।
- (2) भौगोलिक और ऐतिहासिक प्रणाली से पाण्डुलिपियों के प्राप्त होने के स्थानों का निर्देश।


- (3) पाण्डुलिपियों के मिलने के स्थान के समस्त परिवेश से प्राप्त पाण्डुलिपि का सम्बन्ध निरूपण ।
- (4) पाण्डुलिपियों के विविध पाठों के सकलन के क्षेत्रों का अनुमानित निर्देश ।
- (5) पाण्डुलिपि के काल-निर्णय की विविध पद्धतियाँ ।
- (6) पाण्डुलिपि के कागज, स्याही, लेखनी आदि का पाण्डुलिपि के माध्यम से ज्ञान और प्रत्येक काल-ज्ञान के अनुसंधान की पद्धति ।
- (7) पाण्डुलिपि की लिपि का विज्ञान तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ।
- (8) पाण्डुलिपि के विषय की दृष्टि से उसकी निरूपण शैली का स्वरूप ।
- (9) पाण्डुलिपि के विविध प्रकारों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तथा उन प्रकारों का भौगोलिक सीमा निर्देश ।
- (10) पाण्डुलिपि की प्रतिलिपिया के प्रसार का मार्ग तथा क्षेत्र ।
- (11) पाण्डुलिपियों के माध्यम से लिपि के विकास का इतिहास ।
- (12) लिपिकारों के निजी व्यक्तित्व का परिणाम ।
- (13) लिपिया में वैशिष्ट्य और उन वैशिष्ट्यों की भौगोलिक तथा ऐतिहासिक व्याख्या ।
- (14) पाण्डुलिपियों की प्रामाणिकता की परीक्षा ।
- (15) पाठालाचन-प्रणाली ।
- (16) पाठ-पुनर्निर्माण-प्रणाली ।
- (17) शब्द रूप और अर्थ तथा पाठ ।
- (18) पाण्डुलिपियों की सुरक्षा की वैज्ञानिक पद्धतियाँ ।
- (19) पाण्डुलिपियों के सग्रहालय और उनके निर्माण का प्रकार ।
- (20) पाण्डुलिपिया के उपयोग का विज्ञान ।
- (21) पाण्डुलिपि और उसके अलंकरण ।
- (22) पाण्डुलिपि में चित्र ।
- (23) पाण्डुलिपि की भाषा का निर्णय ।
- (24) पाण्डुलिपि लेखक प्रतिलिपिकार, चित्रकार और सज्जाकार ।
- (25) पाण्डुलिपि, प्रतिलिपि लेखन के स्थान, तथा प्राप्त सुविधाएँ, प्रतिलिपिकार की योग्यताएँ ।
- (26) ग्रन्थ-लयन तथा प्रतिलिपि लेखन के शुभ अशुभ मुहूर्त ।
- (27) पाण्डुलिपि के लिप्यकन में हस्ताक्षर प्रयोग, काव्य प्रयोग, सशोधन परिवर्द्धन की पद्धतियाँ ।

पाण्डुलिपि विज्ञान इसलिए भी विज्ञान है कि वह पाण्डुलिपि का अध्ययन किसी एक विशिष्ट पाण्डुलिपि को दृष्टि में रखकर नहीं करता बल्कि पाण्डुलिपि के सामान्य रूप को ही लेता है । पाण्डुलिपि शब्द से कोई विशेष पुस्तक सामने नहीं आती । प्रत्येक प्रकार की पाण्डुलिपियों में कुछ सामान्य लक्षण ऐसे होते हैं कि उनसे युक्त सभी ग्रन्थ पाण्डुलिपि कहे जाते हैं । पाण्डुलिपि शब्द के अन्तर्गत समग्र पाण्डुलिपियाँ सामान्यरूप में अभिहित होती हैं जो लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं, या लिखी जाएँगी । यह विज्ञान उन सभी को दृष्टि में रखकर विचार करता है । इसी दृष्टि से पाण्डुलिपि-गत सामान्य विषयों का पाण्डुलिपि-विज्ञान विश्लेषण करता है और विश्लेषित प्रत्येक अंग पर वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य-कारण परम्परा

में बाँधकर सैदान्तिक विचार करता है। इनके आधार पर वह ऐसे निष्कर्ष प्रस्तुत करता है जिनसे तत्सम्बन्धी विविध प्रश्नों और समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। पाण्डुलिपि-विज्ञान पाण्डुलिपि से सम्बन्धित तीनों पक्षों से सम्बन्धित होता है, ये पक्ष हैं : लेखन पक्ष, पाण्डुलिपि का प्रस्तुतीकरण पक्ष, जिसमें सभी प्रकार की पाण्डुलिपियाँ परिगणनीय हैं और तीसरा सम्प्रेषण पक्ष, जिसमें पाठक वर्ग सम्मिलित होता है, पाण्डुलिपि लेखक और पाठक इन दोनों पक्षों के लिए सेतु या माध्यम है। अतएव पाण्डुलिपि के अपने पक्ष के साथ पाण्डुलिपि-विज्ञान इन दोनों पक्षों का पाण्डुलिपि के माध्यम से उस अंश का जिस अंश के कारण पाण्डुलिपि हस्तलेख में आती है वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करता है। यह विज्ञान पाण्डुलिपि के समग्र रूप के निर्माण में इन दोनों पक्षों के योगदान का भी मूल्यांकन करता है।

ग्रन्थ रचना की प्रक्रिया में मूल अभिप्राय है लेखक का यह प्रयत्न कि वह पाठक तक पहुँच सके और आज के पाठक तक ही नहीं दीर्घाति-दीर्घकालीन भविष्य के पाठकों तक पहुँच सके। 'लेखन' क्रिया का जन्म ही अपनी अभिव्यक्ति को भावी युगों तक सुरक्षित रखने के लिए हुआ है।

फलतः लेखन के परिणामस्वरूप प्राप्त ग्रन्थ या पाण्डुलिपि लेखक के विचारों को सुरक्षित रख कर उसे पाठक तक पहुँचाते हैं। इस प्रकार पाण्डुलिपि एक सेतु या उपादान है जो काल की सीमाओं को लाँच कर भी लेखक को पाठक से जोड़ता है। पाठक भी इन्हीं के माध्यम से लेखक के पास पहुँच सकता है। इसे यों समझा जा सकता है :



लेखक का कथ्य भाषा में रूपान्तरित होकर लिपिबद्ध होकर लेखनी से लिप्यासन पर अंकित होकर पाण्डुलिपि का रूप ग्रहण कर पाठक के पास पहुँचता है। अब पाठक ग्रन्थ के लिप्यासन या लिपिबद्ध भाषा के माध्यम से लेखक के कथ्य तक पहुँचता है। लेखक और पाठक में काल गत और देशगत अन्तर है, और यह अन्तर ग्रन्थ के द्वारा शून्य हो जाता है, सभी तो आज हजारों वर्ष पूर्व के काल को लाँचकर देश काल के अन्तराल को मिटाकर हम लेखक से मिल सकते हैं। फिर भी, लेखक से पाठक तक या पाठक से लेखक तक की इस यात्रा में समस्याएँ खड़ी होती हैं। उनके समाधान का महत्त्वपूर्ण साधन पाण्डुलिपि है। इसी महत्त्वपूर्ण साधन तक पहुँचने की दृष्टि से पाण्डुलिपि-विज्ञान की उपादेयता सिद्ध होती है।

पाण्डुलिपि विषयक विज्ञान की आवश्यकता

यह प्रश्न स्वाभाविक रूप में उठता है और उठाया भी जा सकता है कि पाण्डुलिपियाँ का अस्तित्व इतना पुराना है जितना कि लिपि या लेखन का आविष्कार, किन्तु आज तक पाण्डुलिपि विज्ञान की आवश्यकता का अनुभव क्यों नहीं किया गया ? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है इसमें सन्देह नहीं। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि जिन प्रकार आविष्कार की जननी आवश्यकता है उसी प्रकार विज्ञान की जननी भी किसी प्रकार की आवश्यकता ही है। इस विज्ञान की आवश्यकता तब ही अनुभव की गई जबकि वैज्ञानिक दृष्टि की प्रमुखता हो गई। जिस युग में वैज्ञानिक दृष्टि प्रमुख होने लगी है उस युग में प्रत्येक बात की वैज्ञानिक पद्धति से समझने का प्रयत्न किया जाता है। इसी प्रयत्न के फलस्वरूप नये नये विज्ञानों का जन्म होता है। यह वैज्ञानिक दृष्टि उस विषय पर पहले पड़ती है जो कि विविध परिस्थितियों का फलस्वरूप अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे भाषा को तब महत्त्वमिदो से उपयोग में लाते रहे और उसे एक व्यवस्थित प्रणाली से समझने के मूल्य प्रयत्न भी आरम्भ हो जाने लगे किन्तु विज्ञान का रूप उसने उस समय ग्रहण किया जबकि एक और तो औद्योगिक क्रान्ति का परिणामस्वरूप नये निर्माणों और नये अनुसंधानों की प्रवृत्ति ने विज्ञान का प्रमुख आरूपण बना दिया। दूसरे उपनिवेशवाद और अण्विज्ञान के कारण दश विदशा की विविध प्रकार की भाषाएँ सामने आयीं उनका तुलनात्मक अध्ययन करना भी आवश्यक हो गया और इनको तब और भी प्रासंगिक माना जाकर तुलनात्मक रूप से भाषाओं को समझने के साथ साथ भाषाओं के वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करने की आवश्यकता प्रस्तुत कर दी। तब से भाषा का विज्ञान निरंतर प्रगति करता हुआ आज भाषिकी या लिङ्ग्विस्टिक्स (Linguistics) के नये रूप में एक प्रकार से पूरा विज्ञान बन चुका है। इसी प्रकार पाठालोचन की जब आवश्यकता प्रतीत हुई और विविध ग्रन्थों का पाठालोचन प्रस्तुत करना पड़ा तो उसके भी विज्ञान की आवश्यकता प्रतीत हुई। फलतः आज पाठालोचन का भी एक विज्ञान बन गया है। यह पहले साहित्य के क्षेत्र में कविता के शुद्ध रूप तक पहुँचने के साधन के रूप में आया फिर यह भाषा विज्ञान की एक शाखा के रूप में पल्लवित हुआ। अब यह एक स्वतन्त्र विज्ञान है। यही स्थिति पाण्डुलिपि विज्ञान की है। आज भारत में अनेक प्राचीन हस्तलेख एवं पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हो रही हैं। शतश हस्तलेख भण्डार, निजी भी और सस्थानों के भी इधर कुछ वर्षों में उद्घाटित हुए हैं। अतः पाण्डुलिपियों भी यह अपेक्षा करने लगी है कि उनकी समस्याओं का भी समग्र अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाया जाय। इस आवश्यकता का अनुभव करते हुए अभी कुछ वर्ष पूर्व भारतवर्ष में सस्कृत साहित्य सम्मेलन ने पाण्डुलिपि विज्ञान की आवश्यकता अनुभव की और एक प्रस्ताव पारित किया कि विश्वविद्यालयों में पाण्डुलिपिविज्ञान भी अध्ययन का एक विषय होना चाहिए। अब आज पाण्डुलिपि विज्ञान की उपादेयता सिद्ध हो चुकी है। इसका महत्व भी कम नहीं है क्योंकि शायद ही कोई विश्वविद्यालय ऐसा हो कि जिसमें पाण्डुलिपियों का संग्रह न हो। नई परिभाषा से सरकारी कार्यालयों और सस्थानों एवं सस्थानों के कागज पत्र भी पाण्डुलिपि हैं। इनके भण्डार दिन दिन महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है कि देश भर में पुराने और नये शतश हस्तलेख और पाण्डुलिपियों के भण्डार फँसे हुए हैं और बहुत से नये नये

पाण्डुलिपि भण्डार प्रकाश में आते जा रहे हैं। इस कारण भी पाण्डुलिपि-विज्ञान आज महत्त्वपूर्ण हो उठा है।

एक बात और है, कुछ ऐसी विज्ञान पहले से विद्यमान है जिनका सीधा सम्बन्ध हमारे पाण्डुलिपि-विज्ञान से है—यथा-पेलियोग्राफी एक विज्ञान है। यह वह विज्ञान है जो पेपीरस, पार्चेमेंट, मोमीपाटी (Postherds), नकड़ी या कागज पर के पुरातन लेखन को पढ़ने का प्रयत्न करता है। तिलियों का उद्घाटन करता है और उसका विश्लेषण करता है।¹ इसके प्रमुख ध्येय दो माने गये हैं—पहला ध्येय है पुरातन हस्त-लेखों को पढ़ना। यह बताना आवश्यक नहीं कि पुरातन हस्त-लेखों का पढ़ना कोई आसान कार्य नहीं है। वस्तुतः प्राचीन मध्ययुग एवं आधुनिक युग की हाथ भी लिखावट का ठीक ठीक पढ़ने के लिए लिपिविज्ञान (पेलियोग्राफी) का प्रशिक्षण आवश्यक है। इस विज्ञान के अध्ययन का दूसरा ध्येय है इन हस्तलिपियों का काल-निर्धारण एवं स्थान-निर्धारण। इसके लिए अन्तःसाक्ष्य और बहिःसाक्ष्य का सहारा लेना होता है, लिखावट एवं उसकी शैली आदि की भी सहायता लेनी होती है। ग्रन्थ का रूप कैसा है? वह बलिपिता है, पट्टबद्धित पुस्तक (कोडेक्स) है, या पत्रारूप है? उसका कागज या लिप्यासन, उसकी स्पष्टता, लेखनी का प्रकार, उसकी जिल्दबन्दी तथा साज-मज्जा, सभी की परीक्षा करनी होती है, और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालने होते हैं। सचित्र पाण्डुलिपियों के काल एवं स्थल के निर्धारण में चित्र बहुत सहायक होते हैं क्योंकि उनमें स्थान और काल के भेद के आधार बहुत स्पष्ट रहते हैं।

एक विज्ञान है एपिग्राफी। यह विज्ञान प्रस्तर-शिलालेखों या धातुओं पर अंकित लेखों या अभिलेखों को पढ़ना है उनका काल निर्धारित करता है, और उनका विश्लेषण करता है।

इसी प्रकार अन्य विज्ञान भी हैं। ये सभी पाण्डुलिपि के निर्मायक विविध तत्त्वों से सम्बन्धित हैं। पर इन सबसे मिलकर जो वस्तु बनती है और जिसे हम 'पाण्डुलिपि' कहते हैं, उस समय इकाई का भी विज्ञान आज अपेक्षित है। अन्य विविध विज्ञान इस विज्ञान के तत्त्व निर्धारण में सहायक हो सकते हैं। पर, समस्त अवयवों से मिलकर जब एक रूप खड़ा होता है, तब उसका स्वयमेव एक अलग वैज्ञानिक अस्तित्व होता है। उसको एक अलग विज्ञान के रूप में हमें जानना है। अतः पाण्डुलिपि-विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययता को पाण्डुलिपि को पाण्डुलिपि के रूप में समझने एवं तद्विषयक समस्याओं के वैज्ञानिक निराकरण में सहायक सिद्ध होता है।

पाण्डुलिपि-विज्ञान एवं अन्य सहायक विज्ञान

पाण्डुलिपि विज्ञान से सम्बन्धित कई विज्ञान हैं। ये इस प्रकार हैं— 1. डिप्लोमैटिक्स 2. पेलियोग्राफी, 3. भाषाविज्ञान, 4. ज्योतिष, 5. पुरातत्त्व, 6. साहित्य शास्त्र, 7. पुस्तकालय विज्ञान, 8. इतिहास, 9. खोज, शोध प्रक्रिया विज्ञान (Research Methodology) और 10. पाठालोचन-विज्ञान (Textual Criticism)।

1 Palaeography, Science of Reading, dating and analyzing ancient writing on papyrus, parchment, waxed tablets, postherds, wood or paper

सबसे पहले शोध-प्रक्रिया विज्ञान (Research Methodology) को ले सकते हैं। हस्तलिखित ग्रन्थों अथवा पाण्डुलिपियों को प्राप्त करने के लिए इस खोज-विज्ञान का बहुत महत्व है। बिना खोज के हस्तलेख प्राप्त नहीं हो सकते। यह खोज-विज्ञान हमें हस्तलेख खोज करने के सिद्धान्तों से ही अवगत नहीं करता, वह हमें क्षेत्र में काम करने के व्यावहारिक पक्ष को भी बताता है। पाण्डुलिपि विज्ञान के लिए इसकी सर्वप्रथम आवश्यकता है। इसी से ग्रन्थ सफल हो सकता है। यही सफल हमारे लिए आधार-भूमि है। यो तो भारत में और विदेशों में भी प्राचीन काल से पुस्तकालय रहे हैं।¹ प्राचीन काल में संपूर्ण साहित्य हस्तलेखों के रूप में ही होता था, अतः प्राचीन पुस्तकालयों में अधिकतर हस्तलेख और पाण्डुलिपियाँ ही हैं। उन्हीं की परम्परा में कितने ही धर्म-मन्दिरों में आज तक हस्तलेखों के भण्डार रखने की प्रथा चली आ रही है।² इसी प्रकार राजा-महाराजा भी अपने पोथीखानों में विशाल हस्तलेखों के भण्डार रखते थे।³ किन्तु इन पुस्तकालयों के प्रतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी हस्तलिखित सामग्री है जो जहाँ-तहाँ बिखरी पड़ी है। उस सामग्री को प्राप्त करना, उसका विवरण रखना या अन्य प्रकार से उसे प्रकाश में लाना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। पाण्डुलिपि-विज्ञानविद् का इस क्षेत्र में योगदान अत्यन्त आवश्यक है।

सामग्री प्राप्त करने की दिशा में दो प्रकार से कार्य हो सकता है - 1. व्यक्तिगत प्रयत्न एवं 2. संस्थागत प्रयत्न।

(1) व्यक्तिगत प्रयत्नों में कर्नेल टॉड, टैम्सिस्टेरी, डॉ० रघुवीर एवं राहुल साकृत्यामन प्रभृति कितने ही विद्वानों के नाम आते हैं। टॉड ने राजस्थान से विशेष रूप से कितनी ही सामग्री एकत्र की थी। शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, ग्रन्थ आदि का निजी विशाल भण्डार उन्होंने बना लिया था। वे साधन-सम्पन्न थे, और साम्राज्य-तन्त्र के अधिकार सम्पन्न अग थे। इटैलियन विद्वान टैम्सिस्टेरी ने राजस्थानी साहित्य की खोज के लिए अपने को समर्पित कर दिया था। राहुल जी एवं डॉ० रघुवीर के प्रयत्न बड़े प्रेरणाप्रद हैं। ये विद्वान् कितनी ही अभूतपूर्व सामग्री किन्-किन् कठिनाइयों में, अर्किचन होते हुए भी तिब्बत, मञ्चूरिया आदि से लाये जो अविस्मरणीय हैं।

(2) संस्थागत प्रयत्नों में हिन्दी क्षेत्र में नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, अग्रगण्य है। सन् 1900 से पूर्व से ही हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज सभा ने आरम्भ कराई। 1900 से खोज-विवरण प्रकाशित कराये। यह परम्परा आज तक चल रही है। इन खोज विवरणों से विदित होता है कि गाँवों और शहरों में यत्र-तत्र कितनी विशाल सामग्री अब भी है। बहुत सी सामग्री नष्ट हो गयी है। इन खोज विवरणों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है, उससे हिन्दी साहित्य के इतिहास-निर्माण में ठोस सहायता मिली है तथा शतशः साहित्यिक अनुसंधानों में भी ये विवरण सहायक सिद्ध हुए हैं। अतः ग्रन्थ संग्रह तो महत्वपूर्ण हैं ही,

1. मिस्र में अलबजेण्डुमा का, यूनान में एथेंस का, एशिया-माइनर में पोंम्पिग्राई का, भारत में मानदा की, तमिलनाडु का पुस्तकालय। कितने ही विश्वविद्यालयों का इतिहास में उल्लेख मिलता है। जिनके प्राचीन पुस्तकालय हस्तलेखों से भरे पड़े थे।
2. भारत में देवों के मन्दिरों, बौद्ध स्मारकों आदि में आज तक भी हस्तलेखों के विशाल संग्रह हैं। जैमिनेर के सप्रहानव का कुछ विवरण टॉड ने दिया है।
3. राजस्थान के प्रत्येक राज्य में ऐसे ही पोथीखाने थे।

उनका विवरण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।

इस समस्त कार्य को प्राज्ञ वैज्ञानिक प्रणाली से करने के लिए 'क्षेत्रीय प्रक्रिया' की अनिवार्यता सिद्ध हो जाती है। वस्तुतः पाण्डुलिपि विज्ञान के लिए यह विज्ञान पहली आधार शिला है।

पेलियोग्राफी लिपि विज्ञान होता है। पाण्डुलिपि विज्ञान की दृष्टि से लिपि विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। इसका सैद्धान्तिक पक्ष तो लिपि के जन्म की बात भी करेगा। उसका विकास भी बतायेगा। व्यावहारिक पक्ष में यह विज्ञान उन कठिनाइयों पर विजय के उपायों की ओर भी सचेत करता है, जो किसी प्रजात लिपि को पढ़ने में सामने आती हैं।¹ मिश्र की चित्रलिपि पढ़ने का इतिहास कितना रोचक है, उसमें कम रोचक इतिहास भारत की प्राचीन लिपियों के उद्घाटन और पठन का नहीं है।² इसी विज्ञान के माध्यम से हम विश्व की ममस्त लिपियों के स्वरूप से भी परिचित होते हैं।³ इसी विज्ञान की सहायता से पाण्डुलिपि विज्ञान विविध प्रकार की पाण्डुलिपियों की लिपियों की प्रकृति से परिचित होकर, उन्हें अपने उपयोग के योग्य बनाने की क्षमता पा सकता है। पाण्डुलिपियों में लिपि का महत्व बहुत है। लिपि के पढ़ने-समझने के सिद्धान्तों, स्थितियों और समस्याओं को हृदयगम करना पाण्डुलिपि-विज्ञान का एक आवश्यक पक्ष है।

लिपि विज्ञान के व्यावहारिक दृष्टि से दो भेद किये जाते हैं इनको अंग्रेजी में ऐपिग्राफी (Epigraphy) अर्थात् अभिलेख लिपि विज्ञान तथा पेलियोग्राफी (Palaeography) अर्थात् लिपि विज्ञान कहते हैं।

डेविड डिरिजर का कहना है कि अभिलेख लिपि-विज्ञान यूनानी अभिलेख विज्ञान, लातीनी अभिलेख विज्ञान, हिब्रू अभिलेख विज्ञान जैसे विशेष क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है। यह विज्ञान मुख्यतः उन प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन में प्रवृत्त रहता है जो क्लामो, धातुओं और मिट्टी जैसी सामग्रियों पर काट कर, खोद कर, या ढालकर प्रस्तुत किये गये हैं। इस अध्ययन में प्रजात निपिया का उद्घाटन (decipherment) तथा उनकी व्याख्या सम्मिलित रहती है।

पेलियोग्राफी (Palaeography) भी ऐपिग्राफी की तरह क्षेत्रीय विभागों में बाँटी दी गई है। इसका उद्देश्य मुख्यतः उस लेखन का अध्ययन है जो कोमल पदार्थों पर पया कागज़, चर्मपत्र, पेपीरस लिनन (linen) और मोमपत्र पर या तो चित्रित किया गया है या उनका (Traced) या चिह्नित किया गया है। यह क्रिया शलाका (स्टाइलस), कूची, सैंटा या कलम से की जा सकती है। इस विज्ञान का भी अनिवार्य अंतरंग विषय लिपि उद्घाटन (decipherment) एक व्याख्या भी है। स्पष्ट है कि उपर्युक्त दोनों विज्ञानों में मूल भेद 'लिप्यासन' के कठोर या कोमल होने के कारण है। कुछ विद्वान् 'डिप्लोमैटिक्स' को भी पेलियोग्राफी की ही एक शाखा मानते हैं, इसमें शासकीय पट्टों-परवानों की लिपि को पढ़ने का प्रयत्न सम्मिलित रहता है। यह विषय भी हमारे विज्ञान का अंतरंग विषय ही है।

'भाषा-विज्ञान' भाषा का विज्ञान है। पाण्डुलिपि में लिपि के बाद भाषा ही महत्वपूर्ण होती है। भाषा-विज्ञान लिपि के उद्घाटन में सहायक होता है। यह हम आगे देखेंगे कि

1. देखिये ब्रह्मय्य—'लिपि समस्या'।
2. डिरिजर, डेविड—राइटिंग बूक 20

सबसे पहले शोध प्रक्रिया विज्ञान (Research Methodology) को ले सकते हैं। हस्तलिखित ग्रन्थों अथवा पाण्डुलिपियों को प्राप्त करने के लिए इस खोज-विज्ञान का बहुत महत्त्व है। बिना खोज के हस्तलेख प्राप्त नहीं हो सकते। यह खोज-विज्ञान हमें हस्तलेख खोज करने के सिद्धान्तों से ही अवगत नहीं करता, वह हमें क्षेत्र में काम करने के व्यावहारिक पक्ष को भी बताता है। पाण्डुलिपि विज्ञान के लिए इसकी सर्वप्रथम आवश्यकता है। इसी से ग्रन्थ सङ्कलन हो सकता है। यही सङ्कलन हमारे लिए आधार-भूमि है। यों तो भारत में और विदेशों में भी प्राचीन काल से पुस्तकालय रहे हैं।¹ प्राचीन काल में संपूर्ण साहित्य हस्तलेखों के रूप में ही होता था, अतः प्राचीन पुस्तकालयों में अधिकांश हस्तलेख और पाण्डुलिपियाँ ही हैं। उन्हीं की परम्परा में कितने ही धर्म-मन्दिरों में आज तक हस्तलेखों के भण्डार रखने की प्रथा चली आ रही है।² इसी प्रकार राजा-महाराजा भी अपने पोथीखानों में विशाल हस्तलेखों के भण्डार रखते थे।³ किन्तु इन पुस्तकालयों के अतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी हस्तलिखित सामग्री है जो जहाँ-तहाँ बिखरी पड़ी है। उस सामग्री को प्राप्त करना, उसका विवरण रखना या अन्य प्रकार से उसे प्रकाश में लाना भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है। पाण्डुलिपि-विज्ञानविद् का इस क्षेत्र में योगदान अत्यन्त आवश्यक है।

सामग्री प्राप्त करने की दिशा में दो प्रकार से कार्य हो सकता है — 1. व्यक्तिगत प्रयत्न एवं 2. संस्थागत प्रयत्न।

(1) व्यक्तिगत प्रयत्नों में कर्नल टॉड, टेंसिस्टेरी, डॉ० रघुवीर एवं राहुल साहृत्यायन प्रभृति कितने ही विद्वानों के नाम आते हैं। टॉड ने राजस्थान से विशेष रूप से कितनी ही सामग्री एकत्र की थी शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, ग्रन्थ आदि का निजी विशाल भण्डार उन्होंने बना लिया था। वे साधन-सम्पन्न थे, और साम्राज्य-सन्त्र के अधिकार सम्पन्न अग थे। इटैलियन विद्वान टेंसिस्टेरी ने राजस्थानी साहित्य की खोज के लिए अपने को समर्पित कर दिया था। राहुन जी एवं डॉ० रघुवीर के प्रयत्न बड़े प्रेरणाप्रद हैं। ये विद्वान् कितनी ही अमूल्य सामग्री किन्-किन् कठिनाइयों में, अकिंचन होते हुए भी तिब्बत, मचूरिया आदि से लाये जो अविस्मरणीय हैं।

(2) संस्थागत प्रयत्नों में हिन्दी क्षेत्र में नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, अग्रगण्य है। सन् 1900 से पूर्व से ही हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज सभा ने आरम्भ कराई। 1900 से खोज विवरण प्रकाशित कराये। यह परम्परा आज तक चल रही है। इन खोज विवरणों से विदित होता है कि गाँवों और शहरों में यत्र-तत्र कितनी विशाल सामग्री अब भी है। बहुत सी सामग्री नष्ट हो गयी है। इन खोज विवरणों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है, उससे हिन्दी साहित्य के इतिहास निर्माण में ठोस सहायता मिली है तथा शतशः साहित्यिक अनुसंधानों में भी ये विवरण सहायक सिद्ध हुए हैं। अतः ग्रन्थ संग्रह तो महत्त्वपूर्ण हैं ही,

1. मिस्र में अलन्नेविडुया का, यूनान में एयेंस का, एशिया माइनर में पोम्पेजार्ड का, भारत में नागदा की, तमिऴनाडु का पुस्तकालय। कितने ही विश्वविद्यालयों का इतिहास में उल्लेख मिलता है। जिनके प्राचीन पुस्तकालय हस्तलेखों से भरे पड़े थे।
2. भारत में जैनो के मन्दिरों, बौद्ध सभारामों आदि में आज तक भी हस्तलेखों के विशाल संग्रह हैं। जैन मन्दिर के सप्रहलय का कुछ विवरण टॉड ने दिया है।
3. राजस्थान के प्रत्येक राज्य में ऐसे ही पोथीखाने थे।

उनका विवरण भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

इस समस्त कार्य को आज वैज्ञानिक प्रणाली से करने के लिए 'क्षेत्रीय प्रक्रिया' की अनिवार्यता सिद्ध हो जाती है। वस्तुतः पाण्डुलिपि विज्ञान के लिए यह विज्ञान पहली आधार शिला है।

पैलियोग्राफी लिपि-विज्ञान होता है। पाण्डुलिपि विज्ञान की दृष्टि से लिपि विज्ञान बहुत महत्त्वपूर्ण विज्ञान है। इसका संद्वान्तिक् पक्ष तो लिपि के जन्म की बात भी करेगा। उसका विकास भी बतायेगा। व्यावहारिक पक्ष में यह विज्ञान उन कठिनाइयों पर विजय के उपायों की ओर भी संकेत करता है, जो किसी अज्ञात लिपि को पढ़ने में मानने आती है। 'मिस्र की चित्रलिपि पढ़ने का इतिहास कितना रोचक है उममें कम रोचक इतिहास भारत की प्राचीन लिपियों के उद्घाटन और पठन का नहीं है।¹ इसी विज्ञान के माध्यम से हम विश्व की समस्त लिपियाँ के स्वरूप से भी परिचित होते हैं।² इसी विज्ञान की सहायता से पाण्डुलिपि विज्ञान विविध प्रकार की पाण्डुलिपियों की लिपियों की प्रकृति से परिचित होकर उन्हें अपने उपयोग के योग्य बनाने की क्षमता पा सकता है। पाण्डुलिपियों में लिपि का महत्त्व बहुत है। लिपि के पढ़ने-समझने के सिद्धान्तों, स्थितियों और समस्याओं को हृदयगम करना पाण्डुलिपि-विज्ञान का एक आवश्यक पक्ष है।

लिपि विज्ञान के व्यावहारिक दृष्टि से दो भेद किये जाते हैं इनको अंग्रेजी में ऐपिग्राफी (Epigraphy) अर्थात् अभिलेख लिपि विज्ञान तथा पैलियोग्राफी (Palaeography) अर्थात् लिपि विज्ञान कहते हैं।

डेविड डिरिजर का कहना है कि अभिलेख लिपि-विज्ञान यूनानी अभिलेख विज्ञान, लातीनी अभिलेख विज्ञान, ट्रिब्रू अभिलेख विज्ञान जैसे विशेष क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है। यह विज्ञान मुख्यतः उन प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन में प्रवृत्त रहता है जो शिलाओं, धातुओं और मिट्टी जैसी सामग्री पर काट कर, खोद कर, या ढालकर प्रस्तुत किये गये हैं। इस अध्ययन में अज्ञात लिपियों का उद्घाटन (decipherment) तथा उनकी व्याख्या सम्मिलित रहती है।

पैलियोग्राफी (Palaeography) भी ऐपिग्राफी की तरह क्षेत्रीय विभागों में बाँटी गई है। इसका उद्देश्य मुख्यतः उस लेखन का अध्ययन है जो कोमल पदार्थों पर यथा कागज, चर्मपत्र, पेपरस, लिनेन (linen) और मोमपट्ट पर या तो चित्रित किया गया है या उनका (Traced) या चिह्नित किया गया है। यह क्रिया शलाका (स्टाइलस), कूँची, सेंटा या क्लम से की जा सकती है। इस विज्ञान का भी अनिवार्य अंतरंग विषय लिपि उद्घाटन (decipherment) एवं व्याख्या भी है। स्पष्ट है कि उपर्युक्त दोनों विज्ञानों में मूल भेद 'लिप्यासन' के कठोर या कोमल होने के कारण है। कुछ विद्वान 'डिप्लोमैटिक्स' को भी पैलियोग्राफी की ही एक शाखा मानते हैं, इसमें शासकीय पट्टों-परवानों की लिपि को पढ़ने का प्रयत्न सम्मिलित रहता है। यह विषय भी हमारे विज्ञान का अंतरंग विषय ही है।

'भाषा विज्ञान' भाषा का विज्ञान है। पाण्डुलिपि में लिपि के बाद भाषा ही महत्त्वपूर्ण होती है। भाषा-विज्ञान लिपि के उद्घाटन में सहायक होता है। यह हम आगे देखेंगे कि

1. देखिये अध्याय—'लिपि समस्या'।

2. डिरिजर, डेविड — राइटिंग पृष्ठ 20

किस प्रकार एक अभिलेख को एक अन्य भाषा में लिखा परिवर्तित कर लेने के कारण हीक नहीं पढ़ा जा सकता। भाषा लिपि-ज्ञान में बहुत सहायक होती है। फिर पाण्डुलिपि विज्ञान में पाण्डुलिपि के कई आयाम भाषा पर ही निर्भर करने हैं। पाण्डुलिपि की वस्तु का परिचय भाषा के बिना असम्भव है। भाषा विज्ञान से ही वह तकनीक भी निकाली जा सकती है जिसमें बिल्कुल ही अज्ञात लिपि और उमरी अज्ञात भाषा का कुछ अनुमान लगाया जा सके। ऐसी लिपि जिसकी लेखन प्रणाली और भाषा का पता नहीं, उद्घाटित नहीं की जा सकती है। एक प्रश्न यह कार्य असम्भव ही माना गया है। विश्व के इतिहास में अभी तक ऐसे उद्घाटन का केवल एक ही उदाहरण मिलता है। माइकेल वेट्रिम ने ग्रीक की लाइनियर बी (Linear B) का उद्घाटन किया। यह ग्रीक की एक भाषा थी। किन्तु इसके उद्घाटन से पूर्व न तो इसकी लेखन प्रणाली का ज्ञान था, न यह ज्ञान था कि यह कौनसी भाषा है। वस्तुतः यह सफलता वेट्रिम महादय को मुख्यतः भाषा-वैज्ञानिक विश्लेषण की एक सगत तकनीक के उपयोग में ही मिली। अतः भाषा-विज्ञान ऐसे कठिन मामला में सहायक हो सकता है।

किसी भी हस्तलेख के भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन से ही यह ज्ञान हो सकता है कि वह किस भाषा में लिखा गया है। इसी से उस ग्रन्थ की भाषा के व्याकरण, शब्द-रूपों एवं वाक्य विन्यास तथा शैली का ज्ञान भी होता है। जिस काल की और कहाँ की भाषा है, यह जानने में भी यह विज्ञान सहायक होता है। इस प्रकार भाषा ज्ञान से हम पाण्डुलिपि के क्षेत्र का परिचय पा सकते हैं। दूसरी ओर पाण्डुलिपि की भाषा स्वयं भाषा-विज्ञान की किसी समस्या पर प्रकाश डालने वाली सिद्ध हो सकती है। किसी विशेष-काल-गत भाषा की प्रवृत्तियों का ज्ञान पाण्डुलिपियों से हो सकता है। इस प्रकार भाषा-विज्ञान और पाण्डुलिपियाँ एक दूसरे के लिए सहायक हैं।

पुरातत्त्व (Archaeology) के विभिन्न अनुसंधान क्षेत्र में शिलालेख, मुद्रा-लेख, ताम्रपत्र आदि अनेक प्रकार की ऐसी सामग्रियाँ आती हैं जिसका उपयोग हस्तलेख-विज्ञान भी करता है। वस्तुतः पुरातत्त्व के क्षेत्र में जब ऐसे प्राचीन लेखों का अध्ययन होता है तब वह हस्तलेख विज्ञान के क्षेत्र में भी सम्मिलित होता है। अतः उसके लिए इस विज्ञान की शरण अनिवार्य ही है, और हमारे विज्ञान के लिए भी पुरातत्त्व सहायक है, क्योंकि बहुत से प्राचीन महत्वपूर्ण हस्तलेख पुरातत्त्व ने ही प्रदान किये हैं। मिस्र के पेपीरस सुमेरियन सभ्यता के ईंट लेख, भारत के तथा अन्य देशों के शिलालेख तथा अन्य लेख आदि पुरातत्त्व ने ही उद्घाटित किये हैं। और उनका उपयोग पाण्डुलिपि विज्ञान विशारदों ने किया है। यह भी तथ्य है कि पाण्डुलिपि-विज्ञान को पाण्डुलिपि के विषय में पुरातत्त्व कालीन जिस परिवेश और पृष्ठभूमि के ज्ञान की आवश्यकता होती है, वह पुरातत्त्व से प्राप्त हो सकता है।

इतिहास का क्षेत्र भी बहुत विशद है। इसकी आवश्यकता प्रायः प्रत्येक ज्ञान विज्ञान को पड़ती है। इसी दृष्टि से हमारे विज्ञान के लिए भी इतिहास की शरण आवश्यक होती है। इस विज्ञान को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए इतिहास की सहायता लेनी पड़ती है। हस्तलेखों की पृष्ठभूमि का ज्ञान भी इतिहास से ही मिलता है।

पाण्डुलिपियों में लेखकों के नाम और वंश रहते हैं, आश्रय-दाताओं के नाम रहते हैं, देश एवं काल से सम्बन्धित कितनी ही बातों का भी उल्लेख रहता है, आश्रय-दाताओं की भी वंश परम्परा दी जाती है। ऐसी प्रभूत सामग्री पाण्डुलिपियों की पुष्पिकाओं में भी दी

जाती हैं। लिपि का स्वरूप भी देश-काल से जुड़ा रहता है, इसी प्रकार कागज या लिप्यामन के प्रकार का सम्बन्ध भी देशकाल से होता है। किसी ग्रन्थ की विषय-वस्तु में विद्यमान तथ्यों की ओर न भी जाए तो भी उक्त बातों के लिए भी इतिहास का ज्ञान या इतिहास-ज्ञान की प्रक्रिया जाने बिना काम नहीं चल सकता।

इसी प्रकार इतिहास को बहुत सी सामग्री प्राचीन ग्रन्थों से, हस्तलेखों से मिलती है। उसके लिए भी पाण्डुलिपि विज्ञान की सहायता अपेक्षित है।

ज्योतिष—ज्योतिष का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उसमें एक शाखा काल-निदान की भी है। इसके अन्तर्गत दिन, तिथि, सवत्सर (सवत्-सन्) नूहूर्त, पक्ष, नक्षत्र, ग्रह, करण आदि का निदान और निर्णय आता है। यह ज्ञान इतिहास के लिए भी उपयोगी है, और हस्तलेख-विज्ञान के लिए भी। प्रत्येक हस्तलेख या पाण्डुलिपि का काल-निर्धारण ज्योतिष के 'पंचांग' आदि की सहायता से किया जाता है। काल-निर्धारण की कितनी ही जटिल समस्याएँ ज्योतिष की सहायता के बिना हल नहीं हो सकती। अतः हमारे इस विज्ञान को काल-निर्णय में 'ज्योतिष' की सहायता लेनी ही पड़ती है। यह कहा जा सकता है कि हजारों वर्ष पुराने 'पंचांग' या 'जयियाँ' मिलती हैं, उनकी सहायता से, तथा ऐसे ही कलेंडरों से काल निर्णय किया जा सकता है। यह भी ठीक है, पर आखिर ये पंचांग-कलेंडर आदि हैं तो ज्योतिष के ही अंग। अतः 'ज्योतिष' अत्यन्त उपयोगी और सहायक विद्या है, जिस पर हमारे विज्ञान के निष्कर्ष आधारित होते हैं।

साहित्य शास्त्र—साहित्य-शास्त्र के चार बड़े अंग माने जा सकते हैं—प्रथम-शब्दार्थ भाषा विज्ञान के अतिरिक्त शब्द से अर्थ तक पहुँचने के लिए शब्द-शक्तियों का विशेष महत्त्व साहित्य-शास्त्र में है। इसी का एक पटलू साहित्य शास्त्र में 'ध्वनि' है। दूसरा अंग है—'रस'। जिसके लिए साहित्य शास्त्रियों ने काव्य में 'नवरस' की प्रतिष्ठा की है। तीसरा अंग है—'छन्द'। एक और अंग है—'अलंकार'। हमारे विज्ञान के लिए 'शब्दार्थ' वाले विभाग की अपेक्षा तो पद-पद पर रहती है। 'रस' का ज्ञान साहित्यिक पाण्डुलेख के लिए तो सर्वोपरि है। अन्य ज्ञान विज्ञानों के ग्रन्थों के लिए इसकी उतनी आवश्यकता नहीं। हालांकि, प्राचीन काल में विविध ज्ञान विज्ञान को रूपक प्रणाली से भी प्रस्तुत करने की परिपाटी रही है।¹ प्रतीक प्रणाली का उपयोग भी ज्ञान-विज्ञान के लिए किया गया है। इन दोनों परिपाटियों में काव्यगत रस के शास्त्र का उपयोग सहायक होता है। अथ 'छन्द' को लें। प्राचीन काल में गद्य को ग्रन्थ लेखन की भाषा ही नहीं माना जाता था। पद्य ही सर्व प्रचलित तथा लोकप्रिय माध्यम रहा है क्योंकि पद्य का रचना विधान छन्द निर्भर होता है तथा उसे स्मरण रखना गद्य की अपेक्षा सुगम होता है। इस दृष्टि से छन्द-ज्ञान प्राचीन हस्तलेखों के लिए सामान्यतः आवश्यक माना जा सकता है। यदि ग्रन्थ गद्य में लिखा गया है तो 'छन्द' उतना उपयोगी नहीं होता। 'अलंकार' भी साहित्यशास्त्र का महत्वपूर्ण अंग है, और हस्तलेखों तथा पाण्डुलिपियों में इनका जहाँ-तहाँ उपयोग मिल सकता है। ऐसे स्थलों को समझने की दृष्टि से अलंकार ज्ञान का महत्व ही सकता है। लेकिन प्रत्येक की सीमा रेखा है— पाण्डुलिपि विज्ञान को इनकी वहीं तक आवश्यकता है, जहाँ तक ये पाण्डुलिपि की विषय-वस्तु को समझने में सहायक हैं।

पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालय विज्ञान का भी उतनेव वरना अप्रासंगिक नहीं होगा। हस्तलेखों या पाण्डुलिपियों का भण्डार जहाँ भी होगा वहाँ छोटा-मोटा पुस्तकालय स्वतः ही बन जायगा। प्राचीन काल में समस्त पुस्तकालय हस्तलेखों और पाण्डुलिपियों के ही होते थे। अलेक्जेंड्रिया, नालंदा तथा अन्य ऐसे ही प्राचीन पुस्तकालयों में सभी पुस्तकें हस्तलेखों के रूप में ही थीं। मुद्रण-यन्त्र के प्रचलन के बाद भी मुद्रित पुस्तकों के साथ हस्तलेख रहे हैं। आधुनिक काल में मुद्रित पुस्तकों के पुस्तकालय प्रधान हैं—हस्तलेखों के पुस्तकालय बहुत कम रह गये हैं। अब पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में 'आधुनिक हस्तलेखागारों' (Modern Manuscript Library) का एक नया आन्दोलन चल रहा है। इन पुस्तकालयों में राज्यों, सरकारों एवं बड़े-बड़े उद्योगों के महत्वपूर्ण लेख, महान् व्यक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तलेख, पत्र, मसविदें, प्रतिवेदन, विवरण, डायरी, नक्शियाँ आदि-आदि सुरक्षित रखे जाते हैं, साथ ही इन्हें अनुसंधान कर्त्ताओं को पुस्तकालय द्वारा उपलब्ध भी कराया जाता है। रूस की बोडिन एवं राबर्ट एम. वार्नर ने अपनी पुस्तक 'द माडर्न मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी' में बताया है कि —

“मैनुस्क्रिप्ट या पाण्डुलिपि पुस्तकालय का अस्तित्व ही अनुसंधान और विचारों की सेवा करने के लिये होता है।”¹

अतः पाण्डुलिपि-विज्ञान की दृष्टि से इस सेवा को प्रस्तुत करने के लिए भी पुस्तकालय-विज्ञान का सहारा अपेक्षित होता है। हस्तलेखों और पाण्डुलिपियों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाय, कैसे उनकी पजिकाएँ रखी जायें, कैसे उनकी सामान्य सुरक्षा का ध्यान रखा जाय, कैसे उन्हें पढ़ने के लिए दिया जाय, आदि बातें वैज्ञानिक विधि से पुस्तकालय विज्ञान ही बताता है। संग्रहालयों (Museum) और अभिलेखागारों के लिए इस विज्ञान का महत्त्व स्वयं सिद्ध है।

डिप्लोमेटिक्स

डिप्लोमेटिक्स वस्तुतः 'पट्टी-परवाना विज्ञान' है। डिप्लोमेटिक्स यूनानी शब्द 'डिप्लोमा' से व्युत्पन्न है। इसका यूनानी में अर्थ था 'मुड़ा हुआ कागज'। ऐसा कागज प्रायः राजकीय पत्रों, चार्टरों आदि में काम आता था। फलतः इसका अर्थ विशेषतया ऐसे पत्रों से जुड़ गया जो पट्टी, परवाने, लाइसेंस या डिग्री के कागज थे।

आगे चल कर डिप्लोमेटिक्स में विज्ञान का रूप ग्रहण कर लिया। आज इस विज्ञान का काम है प्राचीन शासकीय पट्टी-परवानों (documents), प्रमाण-पत्रों (diplomas), चारटरों एवं बुलों के लेख को उद्घाटित (decipherment) करना। ये परवाने शाहशाह, पोप, राजा तथा अन्य शासकों की चागरियों से जारी किये गये हैं। इस प्रकार यह विज्ञान पेलियोग्राफी की ही एक शाखा है।

स्पष्ट है कि 'डिप्लोमेटिक्स' विज्ञान इतिहास के उन स्रोतों का आलोचनात्मक अध्ययन करता है, जिनका सम्बन्ध अभिलेखों (records या archive documents) से होता है। इन अभिलेखों में चारटर, मैनडेट डीड (सभी प्रकार के) जजमेण्ट (न्यायालय-वादी) आदि सम्मिलित हैं। इन पट्टी परवानों के लेख को समझना, उनकी प्रामाणिकता पर विचार करना, उनके जारी किये जाने की तिथियों का अन्वेषण और निर्धारण करना, साथ ही

उनके निर्माण की प्रविधि को समझना तथा यह निर्धारित करना कि वे इन रूपों में किम उद्देश्य के लिए उपयोग में लाये जाते थे—इन सभी बातों को आज इस विज्ञान के क्षेत्र में माना जाता है। पहले इसमें मुहरबंद (sealing) करने की पद्धतियों का अध्ययन भी एक विषय था। अब यह विषय अलग विज्ञान बन गया है।

अतः यह विषय भी किसी सीमा तक पाण्डुलिपि विज्ञान का ही अंग है।

पाण्डुलिपि-पुस्तकालय

पुस्तकें ज्ञान विज्ञान का माध्यम हैं। ये पुस्तकें प्राचीन काल में पाण्डुलिपियों के रूप में ही होती थीं। अतः सभी प्राचीन पुस्तकालय पाण्डुलिपि पुस्तकालय ही थे।

इन प्राचीन पुस्तकालयों के इतिहास से हमें विदित होता है कि सबसे पहले पुस्तकालय मिस्र में आरम्भ हुए होंगे। मिस्र में पेपीरस पर ग्रन्थ लिखे जाते थे। ये खरोते¹ (Scrolls) के रूप में होते थे। इन ग्रन्थों में से एक पेपीरस ग्रन्थ ब्रिटिश संग्रहालय में है वह 133 फुट लम्बा है। ये खरोते गोलाकार लपेट कर रक्खे जाते थे। पेपीरस बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, अतः यह सम्भावना है कि बहुत से खरोते (स्कॉल) और ऐसे पुस्तकालय जिनमें वे रक्खे गये थे, ऐसे मिट गये हैं कि उनका हमें पता तक नहीं। फिर भी, जो कुछ ज्ञात हो सका है, उसके आधार पर विदित होता है कि पेपीरस स्कॉलो के ग्रन्थ ई० पू० 2500 में मिस्र में विद्यमान थे।

पेपीरस के साथ साथ या कुछ पहले से बेबीलोन (असीरिया) में मिट्टी की ईंटों (Clay tablets) पर लिखा जाता था। आधुनिक युग की ऐतिहासिक खुदाई से नि-हेवेह में 10,000 लेख ईंटें मिली, इससे नि-हेवेह में उनके पुस्तकालय का अस्तित्व सिद्ध होता है। मोहेनजोदडो में भी मिट्टी की पकाई हुई मुहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर लेख लिखे गये हैं।

ईटा और पेपीरस के बाद पांचमेण्ट (चमंपत्र) का उपयोग हुआ, उसके बाद कागज का उपयोग हुआ।

भारत में मोहेनजोदडो की लिपि का विकास 3000 ई० पू० में हो चुका होगा। यहाँ भी लेखयुक्त मुहरें या ताबीज मिले हैं। बाद में ग्रन्थों के लिए वृक्षों के पत्र और छाल का उपयोग पहले हुआ। ताडपत्र और भोजपत्र से ग्रन्थ रचना के लिए लिप्यासन का काम लिया जाने लगा। धातुपत्रों का भी उपयोग किया गया। भारतेतर क्षेत्रों में प्राचीन पुस्तकालयों की जो सूचना आज उपलब्ध है वह नीचे की तालिका से जानी जा सकती है —

नं० (क्रमगत)	स्थान	ग्रन्थ	स्थापनकर्ता	लियासन
1	2	3	4	5
1	ई पू 2500	गिज़ेह (Gizeh)	—	पेपीरस
2	ई पू 1400	अमर्ना	—	एमेहोटीप तृतीय (Amenho top III) पेपीरस
3	ई पू 1250	थीबीज	—	रेमेज (Remese) पेपीरस

1. इन्हें कलमिताएँ, मुँडलियाँ अथवा 'खरडा' भी कहते हैं।

	1	2	3	4	5
4	ई पू 600	निम्हेवेह (असीरिया)	10 000 इंटें	अमुरवेनीपाल	ईट (clay tablets)
5	?	उर	—	—	ईट
6	?	निप्पर (Nippur)	—	—	ईट
7	?	किमी	—	—	ईट
8	?	तेरलो	—	—	ईट
9	ई पू. 500	एथेन्स (यूनान)	—	पिजिस्ट्रेटम	पेपीरस
10	?	अलेक्जेंड्रिया	500,000 खरीते (Scrolls)	(1) अलेक्जेंडर (2) टालमी प्रथम	पेपीरस
11	ई पू 237	इदफिर (प्राचीन इदफुल (Idful)) होरेम के मंदिर में	—	—	पेपीरस
12	ई पू 411 ¹ से पूव । (दूसरी शती ई पू के आरम्भिक चरण के लगभग)	पगॅमस	200 000 खरीतो से भी कही अधिक	सिकंदर के बाद के उत्तराधिकारी	पेपीरस एवं पार्चमेन्ट ² (चमपत्र)
13	500 ईसवी	सेंट कॅथराइन की मोनस्ट्री सिनाई पर्वत पर	—	—	पार्चमेन्ट
14	600 ईसवी	सेंट गेले (स्विटजर लैंड में)	—	—	,
15	800 ई	(?) एथोस पर्वत पर (यूनान में)	—	—	"

- 1 माक एण्टनी ने 41 ई० पू० में पगॅमस पुस्तकालय के 200 000 खरीते (Scrolls) ग्रंथ किन्तोपेद्रा को दे न्ये वे वि उहे अलेक्जेंड्रियन पुस्तकालय में रखवा दिया जाय ।
- 2 पगॅमस के पुस्तकालय का बहुत संचयन हुआ । इनसे सिक्दरिया के लोगो को यह अज्ञात हो गयी कि कहीं सिक्दरिया के पुस्तकालय का महत्व कम न हो जाय । अतः उन्होंने पगॅमस को पेपीरस देना बन्द कर दिया । तब पगॅमस में चमपत्र के चमपत्र का आविष्कार किया गया जिसे पगॅमेन्टम कहा गया यही पार्चमेन्ट ही गया । पार्चमेन्ट के खरीते नहीं बन सकते थे, अतः उनके कुछ बने या पने बने । इन पन्नों की मिलाई की गयी । यह सिले हुए पन्नों का रूप कोडैक्स (Codex) कहा गया । यही आधुनिक जिल्बद पुस्तक का जनक है ।

1	2	3	4	5
16. 1200 ई० के बाद	लॉरेजो डे मेडिसो का पुस्तकालय, फ्लोरेंस, इटली	—	—	कोडेक्स पाचेंमेण्ट
17. 1367 ई	बिब्लियोथीक नेशनल (नेशनल लाइब्रेरी), पेरिस, फ्रांस	—	—	„
18. 1447 ई.	वेटिकन पुस्तकालय, वेटिकन सिटी मे			

(भारत तथा कुछ अन्य देशों के प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकालयों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।)

आधुनिक पाण्डुलिपि आगार

‘द माडर्न मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी’ के लेखक ने तीन प्रकार के संग्रहालयों में अन्तर किया है .

1. रक्षागार (Archives)
2. म्यूजियम-अजायबघर या अद्भुतालय
3. हस्तलेखागार या पाण्डुलिप्यागार

‘रक्षागार’ के सम्बन्ध में इनका कथन है कि : One of the most important types of Manuscript repository is the official archive which preserves the records of federal, state, or local government bodies¹

‘रक्षागार’ सरकारी कागज-पत्रों का भण्डार होता है। भारत में ‘राष्ट्रीय लेखा रक्षागार’ (National Archives) ऐसा ही संग्रहालय है। बीकानेर में ‘राजस्थान’ के ममस्त राज्यों के कागज पत्र एक संग्रहालय में सुरक्षित हैं। अजायबघर (Museum) में ऐसी वस्तुओं और हस्तलेखों का संग्रह रहता है जिनका महत्त्व दर्शनीयता के कारण होता है। कलात्मक वैचित्र्य या वैशिष्ट्य इनमें रहता है। इनका उपयोग हस्तलेखागारों या पाण्डुलिप्यागारों से भिन्न रूप में होता है।

उपर्युक्त अर्थकार के अनुसार हस्तलेखागार का प्रधान उद्देश्य है अध्येताओं तथा अनुसंधान-कर्त्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होना। वह लिखते हैं कि, ‘A manuscript library exists to serve the scholar and the student’

किन्तु ‘हस्तलेखागार’ का जो स्वरूप और विशेषता इस लेखक ने प्रस्तुत की है, वह ऐसे देशों के लिए है जहाँ सभ्यता, संस्कृति और लेखन का सूत्र 300-400 वर्ष पूर्व

1 Bordin, R. B & Warner, R M —The Modern Manuscript Library, P 9 इसी लेखक ने यह भी लिखा है, “Archives are the permanent records of a body, usually, but not necessarily, or going, of either a public or private character. (P 6)

से आरम्भ होता है और जहाँ 'ग्रन्थ लेखन' मुद्रणालयों के धा जाने के कारण स्वतन्त्र महत्त्व नहीं प्राप्त कर सका ।

भारत जैसे प्राचीन देश में तथा ऐसे ही अन्य प्राचीन देशों में हस्तलेखागारों में ज्ञान विज्ञान के हस्तलेख या पाण्डुलिपियाँ बड़ी सरया में मिलते हैं ।

इसका एक आभास हस्तलेखागारा की उस सूची से हो जाता है जो हम पहले देख चुके हैं । मुद्रण-यंत्र के प्रचलन से बहुत पूर्व से पाण्डुलिपियाँ प्रस्तुत की जाती रही हैं । अतः ऐसे पाण्डुलिपि भाण्डागारों का उद्देश्य अनुसंधान से जुड़ा होकर भी विस्तृत है । इतिहास के विविध युगों में ज्ञान विज्ञान की स्थिति ही तभी ज्ञान विज्ञान के सूत्रों को जानने के साधन भी ग्रन्थागारों में उपलब्ध होते हैं ।

महत्त्व

फलतः पाण्डुलिपि विज्ञान का महत्त्व स्वयं सिद्ध है । पाण्डुलिपि विज्ञान के विधिवत ज्ञान से इस महान् सम्पत्ति को समझन समझान का द्वार खुलता है, और हम रस्किन के शब्दों में 'राजसी सम्पत्ताकोष' (Kings Treasuries) में प्रवेश पाकर अभूतपूर्व रत्नों की परख करने में समर्थ हो सकते हैं । यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है ।



पांडुलिपि-ग्रन्थ-रचना-प्रक्रिया

लेखन और उसके उपरान्त ग्रन्थ-रचना का जन्म भी हमें आदिम आनुष्ठानिक पर्यावरण में हुआ प्रतीत होता है। रेखावन से लिपिविकास तक के मूल में भी यही है और उससे आगे ग्रन्थ-रचना में भी। प्राचीनतम ग्रन्थों में भारत के वेद और मिस्र की 'मृतकों की पुस्तक' आती हैं। वेद बहुत समय तक मौखिक रहे। उन्हें लिपिबद्ध करने का निषेध भी रहा। पर मिस्र के पेपीरस के खरीतो (scrolls) में लिखे ये ग्रन्थ समाधियों में दफनाये हुए मिले हैं। इन दोनों ही प्राचीन रचनाओं का सम्बन्ध धर्म और उनके अनुष्ठानों से रहा है। इन दोनों देशों में ही नहीं अन्य देशों में भी लेखन ऐसे ही आनुष्ठानिक पर्यावरण से युक्त रहा है। प्रायः सभी आरम्भिक ग्रन्थों में आनुष्ठानिक जादुई धर्म की भावना मिलती है। इसीलिए पद-पद पर शुभाशुभ की धारणा विद्यमान प्रतीत होती है। यही बात ग्रन्थ-रचना से सम्बन्धित प्रत्येक माध्यम तथा साधन के सम्बन्ध में है।

1. ग्रन्थ-रचना में पहला पक्ष है—'लेखक'। आरम्भ में लेखक का धर्म प्रचलित परम्पराओं, धारणाओं और वाक् विलासों को लिपिबद्ध करना था। यह समस्त लोकवाचार्त्ता 'अपौरुषेय' मानी जाती रही है और वाक् विलास 'मन्त्र'। इसमें लेखक को अधिक से अधिक 'व्यासजी' की तरह सम्पादक माना जा सकता है। बाद में 'लेखक' शब्द से मौलिक कृति का लेखन करने वाला भी अभिहित होना लगा। मौलिक कृति में कृतिकार को या ग्रन्थकार को किन बातों का ध्यान रखना होता था, इसका ज्ञान हमें पाणिनि के आघार पर डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने 'India As Known to Panini' (पाणिनि कालीन भारत) में कराया है। उन्होंने बताया है कि पहले ग्रन्थ का संगत रूप-विधान होना चाहिए। इसका पारिभाषिक नाम है—तन्त्र-युक्ति। तन्त्र-युक्ति में ये बातें ध्यान में रखनी होती हैं १—अभिकार या संगति अर्थात् आंतरिक समीचीन व्यवस्था या विधान। २—मगल—मगल कामना से आरम्भ। ३—हेत्वर्थ—वर्ण्य का आघार। ४—उपदेश—कृतिकार के निजी निर्देश। ५—अपदेश—वचनार्थ दूसरे के मत को उद्धृत करना।

इसी पहले पक्ष में लेखक के साथ पाठवक्ता या पाठवाचक भी रखना होगा। यह व्यक्ति मूल ग्रन्थ और लिपिकार के बीच में स्थान रखता है।

दूसरा पक्ष है भौतिक मामलों।

'राजप्रथीयोपाय सूत्र' (विक्रम की छठी शती) में इनका वर्णन यों किया गया है :

'तस्सज पोत्थरयणस्स, इमेयारूवे वण्णावासे पणत्ते, तं जहा-रयणामयाडं पत्तगाइ, रिट्ठामईयो वविद्याओं, तवणिज्जयए दोने, नाजामणिमए गठी, वेरुणियमणिमए लिप्पामणे, रिट्ठामए छरणे, तवणिज्जमई चकत्ता, रिट्ठामई मसी वइरामई लइमी, रिट्ठामयाड अकवराइ, अम्मिए सरथे। (पृ० 96)''¹

भौतिक सामग्री में निम्नलिखित वस्तुएँ आती हैं :—

1. लिप्यासन—वह वस्तु जिस पर लिखा जाना है, यथा—टैट, पत्थर, कागज, पत्र (ताड़ पत्र), घातु, चमड़ा, छाल (भूर्जपत्र), पेपेरम, कपड़ा आदि। इसकी विस्तृत चर्चा 'प्रकार' शीर्षक अध्याय में की गई है क्योंकि लिप्यासन भेद से भी ग्रन्थ-भेद माने जाते हैं।
2. मसि—स्याही
3. लेखनी—कूची, टाँकी, कलम आदि
4. डोरा
5. काष्ठ—पट्टिकाएँ (काम्बिका)
6. वेष्टन—छदजु (आच्छादन)
7. ग्रन्थि—ताड़पत्र आदि के ग्रन्थों में झीच में छेद करके डोरी पिरोयी जाती है। ग्रन्थ के दोनों ओर इस डोरी के दोनों छोरों पर लकड़ी, हाथी-दाँत, सीप, नारियल आदि की गोल टिकुली में से इस डोरी को निवाल कर गाठ दी जाती है। इन टिकुलियों को भी ग्रन्थि या गाँठ कहते हैं।
8. हडताल या हरताल—गलत लिख जाने पर उसे मिटाने का साधन है 'हडताल'।

तीसरा पक्ष है—लिपि और लिपिकार—

लिपिकार और लेखक तब ही पर्यायवाची होते हैं, जब लेखक ही लिपिकार का भी काम करता है। दोनों के लिए लिपि ज्ञान और उसका प्रयोग आवश्यक अनिवार्य है। जो ब्रह्मर ने हमें बताया है कि प्राचीन काल में इन लेखकों या लिपिकारों के लिये निर्देश ग्रन्थ लिखे गये थे। दो ऐसे ग्रन्थों का उन्होंने उल्लेख भी किया है : 1. लेख पञ्चाशिका। इसमें निजी पत्रों की रचना का वर्णन ही नहीं है वरन् पट्टों, परवानों तथा राजाओं की सधियों को लिखने का रूप भी बताया गया है। दूसरी पुस्तक है क्षेमेन्द्र व्यासदाम रचित 'लोक प्रशास' जिसके एक भाग में हुडी, अनुबंध आदि तैयार करने के रूप बताये गये हैं। वरसराज सुत हरिदास की 'लेखक मुक्ता मणि' का भी यही विषय है। एक ऐसी ही कृति महाकवि 'विद्यापति' की 'लिखनावली' भी है। इसका रचना काल सन् 1418 ई० है।

लेखक ग्रन्थ रचना में यह सबसे प्रधान पक्ष है।

'लेखक' शब्द लेखन क्रिया के कर्ता के लिये प्राचीनतम शब्द माना जा सकता है। रामायण एवं महाभारत में इसका उपयोग हुआ है। इससे विदित होता है कि महाकाव्य-युग में 'लेखक' होना एक व्यवसाय भी था और लेखन-कला की प्रतिष्ठा भी हो चुकी थी। पालि में 'विनय-पिटक' के लेखन को एक महत्त्वपूर्ण और श्लाघ्य कला माना गया है और भिक्षुणियों को लेखन-कला की शिक्षा देने का विधान है ताकि वे पवित्र धर्मग्रन्थों का लेखन कर सकें। इस काल में पिता की इच्छा यही मिलती है कि उसका पुत्र लेखक का व्यवसाय ग्रहण करे, ताकि वह सुखी रह सके। महावग्ग और जातको में भी ऐसे उल्लेख

है जिनसे उस काल में लेखन-व्यवसाय विशेषज्ञ का पता चलता है। पोथक (पाण्डुलिपि) लेखक का दो बार उल्लेख मिलता है और यह लेखक व्यावसायिक विशेषज्ञ लेखक ही हो सकता है।

शिला-लेखों के अनुसंधान से विदित होता है कि साची स्तूप के एक शिलालेख में 'लेखक' का प्राचीनतम उल्लेख है। यहाँ 'लेखक' लेखन-व्यवसाय प्रवृत्त व्यक्ति ही है, ब्रह्मर ने इस शिला-लेख का अनुवाद करते हुए लेखक का अर्थ 'कापीइस्ट ऑव मैन्युस्क्रिप्टस्' (Copyist of Mss) या राइटर, बलक ही दिया है। बाद के कितने ही शिलालेखों से सिद्ध होता है कि 'लेखक' शब्द से व्यवसायी लेखन कला विज्ञ का ही अभिप्राय है और इस समय तक 'लेखक वर्ग' एक व्यवसायवाची शब्द हो गया था। ये लेखक शिलालेखों पर उत्कीर्ण किये जाने वाले प्रारूप तैयार किया करते थे। बाद में लेखक को पाण्डुलिपि-कर्ता का कार्य सौंपा जाने लगा—ये लेखक बहुधा ब्राह्मण होते थे, या दरिद्र और धके-मादे वृद्ध कायस्थ। मन्दिरों और पुस्तकालयों में इन लेखकों की नियुक्ति ग्रन्थ-लेखन के लिये की जाती थी।

लेखक के पर्यायवाची जो शब्द भारतीय परम्परा में मिलते हैं वे हैं लिपिकार या लिबिकार या दिपिकार। इस शब्द का प्रयोग चतुर्थ शती ई० पू० में हुआ मिलता है। ग्रन्थों के अभिलेखों में यह शब्द कई बार आया है। इनमें यह दो अर्थों में आया है। एक तो लेखक दूसरे शिलालेखों पर लेख उत्कीर्ण करने वाला व्यक्ति। संस्कृत कोषों में इसे लेखक का ही पर्यायवाची माना गया है, जैसे—प्रवरकोश में—'लिपिकारोऽक्षरचणोऽक्षर चुचुष्व लेखके'। डॉ० राजवली पाठेय ने बताया है कि, A persual of Sanskrit literature and epigraphical documents will show that the 'lekhaka'. and it was employed more in the sense of 'a copyist' and 'an engraver' than in the sense of 'a writer'—

यों 'लिपि' और 'लिपिकार' शब्द का प्रयोग पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी हुआ है। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल का निष्कर्ष है कि पाणिनि के समय में 'लिपि' का अर्थ होता था लेखन तथा लेख।²

1 Pandey, R. B.—Indian Palaeography P 90

2. India As Known to Panini (अध्याय ५, खण्ड २, पृ० ३११) में बताया है कि गोल्लुस्कर के मतानुसार 'लेखन-कला पाणिनि से बहुत पूर्व से प्रचलित थी। पाणिनि की वैदिक साहित्य ग्रन्थ रूप (MSS) में भी उपलब्ध था। डॉ० अग्रवाल का कथन है कि पाणिनि ने 'ग्रन्थ, लिपिकार', 'यवनानी लिपि' आदि शब्दों का उपयोग किया है। अतः इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि पाणिनि के समय लेखन कला विकसित हो चुकी थी। डॉ० अग्रवाल ने आगे लिखा है कि—

(1) Lipikar (III 221) as well as its variant form 'libikara', denoted a writer. The term lipi with its variant was a standing term for writing in the Maurya period and earlier. Dharmalipi, with its alternative form dharmalipi, stands for the Edicts of Asoka engraved on rocks in the third century B C. An engraver is there referred to as lipikara (M R E II). Kautilya also knows the term 'A king shall learn the lipi (alphabet) and sankhyana (numbers, Arth 1 5)'. He also refers to samjosa-lipi 'Code Writing' (Arth I 12) used at the espionage Institute. In the Behistun inscription we find lipi for engraved writing. Thus it is certain that lipi in the time of Panini meant writing and script'.

'मत्स्य-पुराण' में लेखक के निम्नांकित गुण बताये गये हैं

सर्वं देशाक्षराभिज्ञं सर्वशास्त्रविशारदः ।
लेखकं कथितो राज्ञः सर्वाधिकरणेषु वै ॥
शीर्षोपेतान् सुसपूर्णान् शुभश्रेणिगतान् समान् ।
अक्षरान् वै लिखेद्यस्तु लेखकं स वरस्मृत ॥
उपायवाक्यकुशलसर्वशास्त्रविशारदः ।
बद्धार्थवक्ता चाल्पेन लेखकस्यान्नूपोत्तमः ॥
नाजाभिप्रायतत्त्वज्ञादेशकालविभागवित् ।
अनाहार्यो नृपभक्तो लेखकः स्यान्नूपोत्तमः ॥

(अध्याय, 189)

'गर्हपुत्राण' में लेखक के ये गुण बताये गये हैं—

मेघावी वाक्पटु प्राज्ञः सत्यवादी जितेन्द्रियः ।
सर्वशास्त्रसमालोकी ह्येव साधुः स लेखकः ॥¹

- 1 लेखक शब्द पर कुछ और रोचक सूचना हमें डॉ. बामुदेवगरण अशवाल व सय 'Notes from the Brahat Kathakosha' से मिलती है। उनका यह लेख 'The Journal of the United Provinces Historical Society, (Vol XIX, पार्ट I-II, जुलाई दिसम्बर, १९४६) में प्रकाशित है। इसमें पृ ८०-८२ में अनुभाग ३ में 'लेखक' शीर्षक से यह बताया है कि मौर्य के समय से लेखक प्रशासकीय तन्त्र का एक सदस्य रहा। कौटिल्य ने सञ्चालक (Accountant) और लेखक (Clerk) का वेतन ५०० कार्ष्णीय वापिस बताया है। जैसे जैसे समय बीता लेखक के दायित्व में भी वैसे वैसे ही वृद्धि हुई। फलीट ने अनुनाहस्तिक के एक अभिलेख में 'लिखितञ्च' का पाँचवीं शताब्दी में अभिप्राय कोई अभिलेख प्रस्तुत करना या शिल्पकार (Engraver) के लिए उत्कीर्ण करने के लिए एक प्लेट पर मसौदा तैयार कर देना था।

सातवीं शताब्दी में एक आदेशलेख (निर्माण ताम्रपत्र अभिलेख) में 'लेखक' के उल्लेख से विदित होता है कि राजा के निजी सचिवों में वह सम्मिलित था और उसका अधिकार और कर्तव्य बढ़ गए थे। हरिवेण के नपाकोश में एक लेखक महारानी और मन्त्रियों के साथ राजभवन में उपस्थित हैं। उसकी उपस्थिति में महाराजा के पत्र आते हैं जिन्हें पढ़कर लेखक उसका अभिप्राय बताता है। राजा ने किसी उपाध्याय के सम्बन्ध में लिखा था कि उसे सुगन्धित उबने वाला धी तथा मयी भोजनार्थ दिया जाय। लेखक ने 'मयी का अर्थ बताया 'कृष्णांगर मयी' अर्थात् कोयल की बाली स्याही धी में धोल कर चावल के साथ खाने को दी जाय। स्पष्ट है कि लेखक ने माय या मयी का अर्थ अर्थ दाल न बताकर बाली स्याही बताया। पत्र महारानी के नाम था। उसे पढ़ने का और उसकी व्याख्या का दायित्व लेखक पर था। जब राजा का विदित हुआ तो उसने बूढ़ाभाज को निकलवा दिया। यह १४वां बहानी में है। इसी प्रकार की दो अन्य बहानियाँ हैं, दोनों में पत्र महारानी के नाम हैं। पढ़ना और व्याख्या करना या अर्थ बताना लेखक का काम है। एक में लेखक न तम्ब (छम्भा) के स्थान पर 'स्तम्भ' पढ़कर अर्थ किया बकरी। अतः राजाशा मानकर एक हजार छम्भों के स्थान पर एक हजार बकरियाँ खरीदी गयीं। एक ऐसे ही पत्र में लेखक ने अन्धपय को 'अधपय' पढ़ा और राजकुमार को अधा कर दिया। मन्त्रीपण और महारानी को उस अर्थ की समीचीनता आदि से कोई लेना-देना नहीं। स्पष्ट है कि लेखक का दायित्व बहुत बढ़ गया था। उसकी व्याख्या ही प्रमाण-धी।

यही बातें 'शाङ्ग' धर पद्धति' में भी बताई गई हैं। 'पत्र कौमुदी' में तो राजलेखक के गुणों की लम्बी सूची दी गई है, इसके अनुसार लेखक को ब्राह्मण होना चाहिये।¹ जो मन्त्र-पाभिज्ञ हो, राजनीति-विशारद हो, नाना लिपियों का ज्ञाता हो, मेधावी हो, नाना भाषाओं का ज्ञाता हो, नीतिशास्त्र-कोविद हो, सन्धि-विग्रह के भेद को जानता हो, राजकार्य में विलक्षण हो, राजा के हितान्वेषण में प्रवृत्त रहने वाला हो, कार्य और अकार्य का विचार कर सकता हो, सत्यवादी हो, जितेन्द्रिय हो धर्मज्ञ हो और राजधर्म-विद हो, वही लेखक हो सकता था। स्पष्ट है कि लेखक का आदर्श बहुत ऊँचा रखा गया है। उस काल में लेखक को पाण्डुलिपि लेखक ही मानना होगा, क्योंकि तब मुद्रण मन्त्र नहीं थे, अतः लेखक जो रचना प्रस्तुत करता था वह पाण्डुलिपि (मैन्सक्रिप्ट) ही होती थी। उस मूल पाण्डुलिपि से अन्य लिपिकार प्रतिर्मा प्रस्तुत करते थे और जिन्हें आवश्यकता होती थी उन्हें देते थे। ब्राह्मणों को, मठों और विहारों को ऐसा ग्रन्थ-प्रदान करने का बहुत माहात्म्य माना गया है।

ऊपर के श्लोको में लेखक के जिन गुणों का उल्लेख किया गया है, उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है 'सर्व देशाक्षराभिज्ञ' — समस्त देशों के अक्षरों का ज्ञान लेखक को प्रवश्य होना चाहिये। साथ ही 'सर्वशास्त्र समालोकी'—समस्त शास्त्रों में समान गति लेखक की होनी चाहिये। एक पाण्डुलिपिविद में आज भी ये दो गुण किसी न किसी मात्रा में होने ही चाहिये। जो पाण्डुलिपि विज्ञान विद विविध लिपिमालाओं से और ज्ञान-विज्ञान कोशों से भी आज अपना काम चला सकता है, फिर भी उसके ज्ञान की परिधि विस्तृत प्रवश्य होनी चाहिए और उसके लिए सन्दर्भ-ग्रन्थों का ज्ञान तो अनिवार्य ही माना जा सकता है।

ऊपर उद्धृत पौराणिक श्लोको में जिन लेखक की गुणावली प्रस्तुत की गई है, वह वस्तुतः राज-लेखक है और उसका स्थान और महत्त्व लिखिया या लिपिकार के जैसा माना जा सकता है। हिन्दी में लेखक मूल रचनाकार को भी कहते हैं और लिखिया या लिपिकार को भी विशेषार्थक रूप में कहते हैं।

लिपिकार का महत्त्व विश्व में भी कम नहीं रहा। रोमन साम्राज्य के बिलख जाने पर साम्राज्य की ग्रन्थ सम्पत्ति कुछ तो विद्वानों ने अपने अधिकार में कर ली, और कुछ पादरियों (मोक्त) ने। इस युग में प्रत्येक धर्म-विहार (मोस्ट्री) में एक अलग कक्ष पाण्डुलिपि-कक्ष 'स्क्रिप्टोरियम' (Scriptorium) ही होता था। इस कक्ष में पादरी प्राचीन ग्रन्थों की हस्तप्रतियाँ या पाण्डुलिपियाँ स्वयं अपने हाथों से बड़ी सावधानी से तैयार किया करते थे। पाण्डुलिपि-लेखन को उन्होंने उच्चकोटि की कला से युक्त कर दिया था।

1. इस सम्बन्ध में डॉ० राजवनी पाण्डेय ने यह मत व्यक्त किया है - "There is no doubt that the invention of alphabet required some knowledge of linguistics and phonetics and as such it could be undertaken only by experts educated and cultured. That is why, for a very long time, the art of writing remained a special preserve of literary and priestly experts, mainly belonging to the Brahman class".
—Pandey, R. B. Indian Palaeography, p. 83.

Alphabet या अक्षरावली या वर्णमाला जब बनी तब ब्राह्मण वर्ण का अस्तित्व था भी, यह अनुसन्धान का विषय है, पर ब्राह्मण वर्ण विज्ञान थे और वर्णमाला देव-भाषा की थी—अतः उनका उस पर अधिकार ही अद्वय था।

के विविध प्रकार की चित्र-सज्जा से इन ग्रन्थों को विभूषित करते थे।¹ जैन मन्दिरों और बौद्ध विहारों में भी ऐसा ही प्रवन्ध था।

किन्तु यह बताया जाता है कि इससे पहले प्राचीन पाण्डुलिपियों के लिपिकार वे गुलाम होते थे, जिन्हें मुक्त कर दिया जाता था। रोम में कुछ व्यावसायिक लिपिकार स्त्रियाँ थीं। सन् 231 ई० में जब थोरिगेन ने 'ग्रोल्ड टैस्टामेन्ट' के सम्पादन-संशोधन का कार्य आरम्भ किया तो सन्त ग्रम्वोज ने लिपि सुलेखन (कैलीग्राफी) में विज्ञ कुछ कुशल अधिकारी (Deacon) एवं कुमारियाँ भेजी थीं। इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थ का सुलेखन एक व्यवसाय हो चुका था, जिसमें कुमारियाँ विशेष दक्ष थीं। बाद में, वह लेखन पादरियों का कर्तव्य बन गया। इन धर्म-विहारों में जहाँ ग्रन्थ-लेखन-रक्ष रहता था, लिपिकारों की सहायता के लिए पाठ-वक्ता (Dictator) भी रहते थे, जो ग्रन्थ का पाठ बोल-बोल कर लिखाते थे, इसके बाद वह ग्रन्थ एक संशोधक के पास भेजा जाता था, जो आवश्यक संशोधन करके उसे चित्रकार (मिनिएटर) को दे देता था जो उसे चित्र-सज्जा से सुन्दर बना देता था।²

भारत में भी धर्म-विहारों, मन्दिरों, सरस्वती तथा ज्ञान भण्डारों में लेखक-शालाओं का उल्लेख मिलता है। 'कुमारपाल प्रवन्ध' में यह उल्लेख इस प्रकार आया है "एकदा प्रातर्गुरुन सर्वसाधूश्च बन्दिस्वा लेखकशाला विलोकनाय गता। लेखका कागदपत्राणि लिखन्ता दृष्टा।"³ जैन धर्म में पुस्तक लेखन को महत्त्वपूर्ण और पवित्र कार्य माना है। आचार्य हरिभद्रसूरि ने 'योग-दृष्टि-समुच्चय' में 'लेखना पूजना दान में धावक के नित्यकृत्यों में पुस्तक लेखन का भी विधान किया है। जैन-ग्रन्थों से यह भी विदित होता है कि ग्रन्थ-रचना के लिए विद्वान् लेखक को विद्वान् शिष्य और श्रमण विविध सूचनाएँ देने में सहायता विद्या करते थे।⁴ ऐसी भी प्रथा थी कि ग्रन्थ-रचनाकार अपने विषय के मान्य शास्त्रवेत्ता और आचार्य के पास अपनी रचना संशोधनार्थ भेजा करते थे। उनसे पुष्टि पाने के बाद ही इन रचनाओं की प्रतियाँ कराई जाती थीं। भारत में ग्रन्थ-लेखन या लेखक का कार्य पहले ब्राह्मणों के हाथ में रहा, बाद में 'कायस्थों' के हाथ में चला गया। कायस्थ लेखकों का व्यवसायी वर्ग था। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति (1,336) की टीका में मूल पाठ में श्रायें 'कायस्थ' शब्द का अर्थ लेखक ही किया है, 'कायस्थगणका लेखकाश्च'। इसमें सन्देह नहीं कि कायस्थ वर्ग व्यावसायिक लेखकों का वर्ग ही था-यही श्रायें चल कर जाति के रूप में परिणत हो गया। कायस्थों का लेखन बहुत सुन्दर होता था। 'कायस्थ' शब्द के कई अर्थ किये गये हैं। किन्तु यथार्थ अर्थ यही प्रतीत होता है कि कायस्थ वह है जो काय में स्थित रहे-'काय' मीर्य काल में सेक्रेटैरियट (Secretariate) को कहा जाता था, और इसमें स्थित व्यक्ति था कायस्थ।

लेखक, लिपिकार, दिपिकार या दिविर के साथ अन्य पर्यायवाची भी भारत में प्रचलित थे-ये हैं करण, कर्णन्, शासनिन् तथा धर्मलेखिन्। डॉ वासुदेव उपाध्याय⁵

1. The World Book Encyclopedia (Vol. 11), p. 224.
2. Encyclopedia Americana, (Vol. 18), p. 241
3. भारतीय जैन धर्मण सस्कृति वने लेखन कला, पृ० 25।
4. वही, पृ० 107।
5. उपाध्याय, वासुदेव—प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, पृ० 256-257।

ने बताया है कि—

'कायस्थ शब्द के अतिरिक्त लेखक के लिए करण, करणिक, करनिन् आदि शब्द प्रयुक्त होते रहे। चेदिलेख म (करणिक घोर मुतेन) तथा चन्देलो की खजुराहो प्रशस्ति म करणिक शब्द का प्रयोग मिलता है जो मुन्दर अक्षर लिखते थे कीलहाने ने करण को भी कानूनी पत्रों के लेखक के अर्थ में माना है।' "उन्हें संस्कृत माया का अच्छा ज्ञान रहता था।

शिल्पी, रूपकार, सूत्रधार तथा शिलाकूट का काम भी लख उत्कीर्ण करना ही था।

पाण्डुलिपि विज्ञान की दृष्टि से 'लिपिकार' का महत्त्व बहुत अधिक है। उसका प्रयत्न के फलस्वरूप ही हमें हस्तलेख प्राप्त हुए हैं। उसकी कला से ग्रन्थ मुन्दर या अमुन्दर होता है, उसका व्यक्तित्व ग्रन्थ में दाप भी पैदा कर सक्ता है। लिपिकार का सम्बन्ध में डॉ० हीरालाल माहेश्वरी ने बताया है कि किसी हस्तलेख की प्रामाणिकता पर भी लिपिकार के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। उन्होंने दस प्रकार के लिपिकार बताये हैं —

- (1) जैन/श्रावक या मुनि।
- (2) साधु/सम्प्रदाय विशेष का या आत्मानदी।
- (3) गृहस्थ।
- (4) पढ़ाने वाला (चाहे कोई हो)
- (5) कामदार (राजघरान के लिपिक)
- (6) दफ्तरी।

5 वें और छठे में भेद है। कामदार तो लिपिक के रूप में ही रखे जाते हैं, दफ्तरी अथवा कार्यों के साथ आज्ञा होने पर प्रतिलिपि भी करता था।

- (7) व्यक्ति विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है।
- (8) अवसर विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है।
- (9) सग्रह के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है।
- (10) धर्म विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है।

लिपिकार द्वारा प्रतिलिपि में विकृतियाँ

उद्देश्य

लिपिकार से ही लिपिगत विकृतियाँ जुड़ी हुई हैं।

किसी प्रति का महत्त्व उसमें लिखी रचना अथवा पाठ के कारण ही है। अतः पाण्डुलिपि विज्ञान एवं पाण्डुलिपि सम्पादन के सदर्भ में जितनी भी भूलें संभव हो सकती हैं, उनको जानना भी आवश्यक है। संपादन में तो उनका निराकरण भी करना होता है। निराकरण प्रधानतया प्रति के 'उद्देश्य' से किया जा सकता है। पाठालोचन के विज्ञान में अभी तक इन और दृष्टि भी नहीं किया गया है। मुख्यतः पाठ सम्बन्धी भूलें/समस्याएँ ये होती हैं —

वे विविध प्रकार की चित्र-सज्जा से इन ग्रन्थों को विभूषित करते थे।¹ जैन मन्दिरों और बौद्ध विहारों में भी ऐसा ही प्रबन्ध था।

किन्तु यह बताया जाता है कि इससे पहले प्राचीन पाण्डुलिपियों के लिपिकार वे गुलाम होते थे, जिन्हें मुक्त कर दिया जाता था। रोम में कुछ व्यावसायिक लिपिकार स्त्रियाँ थीं। सन् 231 ई० में जब गोरिगेन ने 'ग्रोल्ल टैस्टामेन्ट' के सम्पादन-संशोधन का कार्य आरम्भ किया तो सन्त ग्रम्ब्रोज ने लिपि सुलेखन (कैलीग्राफी) में विज्ञ कुछ कुशल अधिकारी (Deacon) एव कुमारियाँ भेजी थीं। इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थ का सुलेखन एक व्यवसाय हो चुका था, जिसमें कुमारियाँ विशेष दक्ष थीं। बाद में, वह लेखन पादरियों का कर्त्तव्य बन गया। इन धर्म-विहारों में जहाँ ग्रन्थ-लेखन-वृत्त रहता था, लिपिकारों की सहायता के लिए पाठ-वक्ता (Dictator) भी रहते थे, जो ग्रन्थ का पाठ बोल-बोल कर लिखाते थे, इसके बाद वह ग्रन्थ एक संशोधक के पास भेजा जाता था, जो आवश्यक संशोधन करके उसे चित्रकार (मिनिएटर) को दे देता था जो उसे चित्र-सज्जा से सुन्दर बना देता था।²

भारत में भी धर्म-विहारों, मन्दिरों, सरस्वती तथा ज्ञान भण्डारों में लेखक-शालाओं का उल्लेख मिलता है। 'कुमारपाल प्रबन्ध' में यह उल्लेख इस प्रकार आया है "एकदा प्रातर्भूत सर्वसाधूश्च वन्दित्वा लेखकशाला विलोकनाय गता। लेखका कामदपत्राणि लिखन्ता दृष्टा।"³ जैन धर्म में पुस्तक लेखन को महत्त्वपूर्ण और पवित्र कार्य माना है। आचार्य हरिभद्रसूरि ने 'योग-दृष्टि समुच्चय' में 'लेखना पूजना दान में श्रावक के नित्यकृत्यों में पुस्तक लेखन का भी विधान किया है। जैन-ग्रन्थों से यह भी विदित होता है कि ग्रन्थ-रचना के लिए विद्वान् लेखक को विद्वान् शिष्य और श्रमण विविध सूचनाएँ देने में सहायता किया करते थे।⁴ ऐसी भी प्रथा थी कि ग्रन्थ-रचनाकार अपने विषय के मान्य शास्त्रवेत्ता और आचार्य के पास अपनी रचना संशोधनार्थ भेजा करते थे। उनसे पुष्टि पाने के बाद ही इन रचनाओं की प्रतियाँ कराई जाती थीं। भारत में ग्रन्थ-लेखन या लेखक का कार्य पहले ब्राह्मणों के हाथ में रहा, बाद में 'कायस्थों' के हाथ में चला गया। कायस्थ लेखकों का व्यवसायी वर्ग था। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति (1,336) की टीका में मूल पाठ में श्राये 'कायस्थ' शब्द का अर्थ लेखक ही किया है, 'कायस्थगणका लेखकाश्च'। इसमें सन्देह नहीं कि कायस्थ वर्ग व्यावसायिक लेखकों का वर्ग ही था—यही आगे चल कर जाति के रूप में परिणत हो गया। कायस्थों का लेखन बहुत सुन्दर होता था। 'कायस्थ' शब्द के कई अर्थ किये गये हैं। किन्तु यथार्थ अर्थ यही प्रतीत होता है कि कायस्थ वह है जो काय में स्थित रहे—'काय' मीर्य काल में सेक्रेटैरियट (Secretariate) को कहा जाता था, और इसमें स्थित व्यक्ति था कायस्थ।

लेखक, लिपिकार, दिपिकार या दिविर के साथ अन्य पर्यायवाची भी भारत में प्रचलित थे—ये हैं . करण, कणिन्, शासनिन् तथा धर्मलेखिन्। डॉ. धामुदेव उपाध्याय⁵

1. The World Book Encyclopedia (Vol. 11), p. 224.

2. Encyclopedia Americana, (Vol 18), p 241

3. भारतीय जैन श्रमण सस्कृति अने लेखन कला, पृ० 25।

4. वही, पृ० 107।

5. उपाध्याय, धामुदेव—प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, पृ० 256-257।

ने बताया है कि—

“कायस्थ शब्द के अतिरिक्त लेखन के लिए वरण, करणिक, करनिन् आदि शब्द प्रयुक्त होते रहे। चेदिलेख में (करणिक घोर सुतेन) तथा चन्देलो की खजुराहो प्रशस्ति में करणिक शब्द का प्रयोग मिलता है जो सुन्दर अक्षर लिखते थे” ... कीलहार्न ने करण को भी कानूनी पत्रों के लेखक के अर्थ में माना है। ... उन्हे संस्कृत मापा का अच्छा ज्ञान रहता था।

शिल्पी, रूपकार, सूत्रधार तथा शिलाकूट का काम भी लख उत्कीर्ण करना ही था।

पाण्डुलिपि विज्ञान की दृष्टि से ‘लिपिकार’ का महत्त्व बहुत अधिक है। उसके प्रयत्न के फलस्वरूप ही हमें इन्तलेख प्राप्त हुए हैं। उसकी कला से ग्रन्थ सुन्दर या असुन्दर होता है, उसका व्यक्तित्व ग्रन्थ में दोष भी पैदा कर सकता है। लिपिकार क सम्बन्ध में डॉ० हीरालाल माहेश्वरी ने बताया है कि किसी हस्तलेख की प्रामाणिकता पर भी लिपिकार का व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। उन्होंने दस प्रकार के लिपिकार बताये हैं :—

- (1) जैन/श्रावक या मुनि।
- (2) साधु/सम्प्रदाय-विशेष का या आत्मानदी।
- (3) गृहस्थ।
- (4) पढ़ाने वाला (चाहे कोई हो)।
- (5) कामदार (राजघरान के लिपिक)
- (6) दफ्तरी।

5 वें और छठे में भेद है। कामदार तो लिपिक के रूप में ही रखे जाते हैं, दफ्तरी अन्य कार्यों के साथ आज्ञा होने पर प्रतिलिपि भी करता था।

- (7) व्यक्ति विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है।
- (8) अवसर विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है।
- (9) सग्रह के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है।
- (10) धर्म विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है।

लिपिकार द्वारा प्रतिलिपि में विकृतियाँ

उद्देश्य

लिपिकार से ही लिपिगत विकृतियाँ जुड़ी हुई हैं।

किसी प्रति का महत्त्व उसमें लिखी रचना ग्रथवा पाठ के कारण ही है। अतः पाण्डुलिपि विज्ञान एवं पाण्डुलिपि सम्पादन के सदर्भ में जितनी भी भूलें संभव हो सकती हैं, उनको जानना भी आवश्यक है। संपादन में तो उनका निराकरण भी करता होता है। निराकरण प्रधानतया प्रति के ‘उद्देश्य’ से किया जा सकता है। पाठालोचन के विज्ञान में अभी तक इन चार दृष्टि भी नहीं किया गया है। मुख्यतः पाठ सम्बन्धी भूलें/समस्याएँ ये होती हैं :—

विकृतियाँ

- (अ) सचेष्ट (जानबूझ कर की गयी)
 (ब) निश्चेष्ट (अनजाने हो जाने वाली) तथा
 (स) उभयार्थक (सचेष्ट निश्चेष्ट)

ये कई प्रकार से होती हैं या भाई जाती हैं ---

- (क) मूल पाठ में वृद्धि के लिए ।
 (ख) मूल पाठ में से कुछ कमी के लिए ।
 (ग) मूल पाठ के स्थान पर अन्य पाठ बैठाने के लिए ।
 (घ) मूल पाठ के क्रम में परिवर्तन के लिए,
 (ङ) मूल पाठ में मिश्र पाठ की प्रति का अश ग्रहण करने के लिए,
 स्वेच्छा से ।
 (च) मिश्र पाठ की प्रति का किसी एक परम्परा की प्रति से मिलान
 करते समय स्वेच्छा से ।

अन्तिम दोनों का (ङ और च) एक प्रकार से आरम्भिक चारों में से किसी न किसी में अन्तर्भाव हो जाता है ।

ऐसा इसलिए होता है कि इनमें से कोई न कोई भूल हो जाती है ---

- (क) लिपिभ्रम, लिपि-साम्य ।
 (ख) वर्ण-साम्य (दूँटना या दुबारा लिखना) ।
 (ग) शब्द साम्य (दूँटना या दुबारा लिखना) ।
 (घ) लिपिकार द्वारा लिखे गये संकेत चिह्नों को न समझना ।
 (ङ) शब्द का ठीक अन्वय न कर सकना ।
 (च) पुनरावृत्ति (पक्ति, शब्द और अर्थ पक्ति की) ।
 (छ) स्मृति के सहारे लिखना ।
 (ज) बोले हुए को सुनकर लिखना । समान ध्वनियों वाली गलतियाँ
 इसी कारण होती हैं । यहाँ पाठ-वक्ता या पाठ-वाचक के तत्व को
 स्थान देते हैं । क्योंकि लिपिकार अक्षर देख नहीं रहा, सुन
 रहा है ।
 (झ) हाशिये में दिये गये पाठ को प्रतिलिपि करते समय सम्मिलित
 कर लेना । इसके तीन रूप हो सकते हैं—

1. हाशिये में क्रमशः भाई पक्ति का एक सीध वाली मूल पाठ की पक्ति में मिश्रण कर लेना ।
2. हाशिये की सम्पूर्ण पक्तियों या पूरे पाठ का बराबर वाले पूर्ण विराम चिन्ह के पश्चात् वाले मूल पाठ के बाद लिखना ।
3. अपवाद (Exception) के तौर पर कभी-कभी सम्पूर्ण हाशिये का पाठ प्रतिलिपि में आदि/अन्त और प्रसंग-विशेष की समाप्ति पर भी ले लिया जाता है ।
 (डॉ० माहेश्वरी को मेहोत्री कृत रामायण के विभिन्न हस्तलेखों का पाठ मिलान करने पर ऐसे उदाहरण मिले हैं । पर ऐसा कम ही पाया जाता है ।)

इस सम्बन्ध में ऊपर के क्रम स० (ज) 'बोले हुए को सुनकर लिखना' के तथ्य को विशेष रूप से स्पष्ट करना है। कारण यह है कि अभी तक पाठ-सशोधन-कर्त्ताओं ने इस ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया है। इससे भी बड़ा अनर्थ हुआ है। प्रायः इससे भाषाशास्त्रीय अध्ययता गलत परिणाम पर पहुँच सकता है और लोग पहुँचे भी हैं।

उदाहरणार्थ—इकारान्त ण ध्वनि 'य' करके इसी 'बोले हुए को सुनकर लिखने' के कारण लिखी गयी मिलती है। नवाणि > नवण्य। इसके संकड़ो उदाहरण दिये जा सकते हैं। इस बात का न समझने के कारण नामदेव की हिन्दी कविता 'के सम्पादको (पूना विश्वविद्यालय) ने इस एक प्रवृत्ति माना है, जो भूल है। वस्तुतः यह रूप उच्चारण सम्बन्धी इसी विशेषता के कारण है और यह णकार प्रधान राजस्थानी भाषा की प्रवृत्ति है। ऐसी प्रतियों को 'राजस्थानी' जानकर उनमें आई भूला का निराकरण इसी दृष्टिकोण (angle) से करना चाहिये, अन्यथा गलत परिणाम पर पहुँचने की आशंका रहेगी।

घोर > वीर

घोवड छेवड > वोवड छेवड

दूसरा ऐसा ही एक और उदाहरण दृष्टव्य है।—बीकानेर, नागौर तथा नागौर से दक्षिण (देवदर तक) के चारो ओर के इलाके (जिसके अन्तर्गत मिलता हुआ जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर राज्या की सीमा वाला प्रदेश है) की एक विशिष्ट ध्वनि है आ को ओ (घा > ओ) बोलना। यह 'ओ' 'घो' न होकर ' ' जैसी ध्वनि है। डाक्टर > डॉक्टर। इस इलाके में व्यापक रूप से यह ध्वनि प्रचलित है। यदि लिपिकार या बोलनेवाला इस इलाके का हुआ और इनमें से कोई भी दूसरा किसी और इलाके का, तो लेखन में अन्तर होगा।

उदाहरणार्थ—कादा > कोदा।

काड > कोड

(प्याज) (कितनी देर) (काल) (मोद)

इस स्थिति को न समझने के कारण भी बड़ी भूलें सम्भव हैं।

तीसरा उदाहरण— यह दूसरे के समान व्यापक नहीं है, किन्तु उसे भी ध्यान में रखना चाहिये। पलौदी और रोवरण के बाद पश्चिमोत्तर और पश्चिम की ओर जैसलमेर और पुरान बहावलपुर (अब पाकिस्तान में) तक भविष्यवाचक क्रियारूप 'स्यै' का प्रयोग है। यह एकवचन में 'स्यै' और बहुवचन में 'स्यै' है। जायस्यै=जाएगा, जायस्यै=जाएँगे। जरा भी असावधानी से यदि बिन्दी न लिखी या सुनी गई, तो समूचे अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। सप्रूह वाचक सजाआ में तो विशेष तीर से। उदाहरणार्थ—

राज जायस्यै=आप जाएँगे (आदर सूचक प्रयोग)।

राज जायस्यै=राज (नामक व्यक्ति) जाएगा।

चौथा और अन्तिम उदाहरण—मेवाड़ में लिखित प्रतियों के सन्दर्भ में है। गुजराती बागडी-भीली के प्रभाव से अनेक सजा शब्दों पर ' ' लगाने की ओर लगाकर बोलने की प्रथा है। जैसे, नदी > नदी। टका > टका। नदी का तात्पर्य 'नदी दी' से भी है। नदी अर्थात् नदी। टका अर्थात् समय का एक अर्थ, साथ ही उक्त से संबंधित मनुष्य भी। जैसे—चार टका=चार द्वार खाने वाला मनुष्य अथवा समय का चौथाई 'भाग'। किन्तु टका अर्थात् 2 पैसे।

कहने का तात्पर्य यह है कि इन प्रवृत्तियों का जानना जरूरी है, जो कि आदि, मध्य या पुष्पिका में लिखी रहती हैं।

उपर्युक्त समस्त भूलों का निराकरण प्रधानतः तो प्रति के 'उद्देश्य' में हो सकता है। उद्देश्य का पता प्रति में हमें इस प्रकार लग सकता है —

- (अ) प्रति के प्रथम पत्र के प्रथम पृष्ठ पर लिखा हुआ मिलता है।
- (ब) प्रति के अन्त में (पुष्पिका के भी अन्त में) अन्तिम पत्र पर लिखा हुआ मिलता है। ये दोनों पत्राकार तथा शेष प्रकार की प्रतियों में पाये जाते हैं।
- (स) पुष्पिका के पश्चात् (सबत् आदि का उल्लेख करने के बाद) मिलता है।
- (द) यदि गुटकी पोथी, या पोथिया आदि में कुछ रचनाएँ एक हस्तलेख में हों, और कुछ भिन्न में, तो प्रायः एक प्रकार के हस्तलेख के अन्त में मिलते हैं।

कारण—य सग्रह ग्रन्थ भी हो सकता है, जिनमें ध्येय यही रहता है कि अधिक से अधिक रचनाएँ सुविधापूर्वक एक साथ ही सुरक्षित रह सकें। इस कारण विभिन्न प्रकार की प्रतियों को (जो एक प्रकार के पत्रों पर हो) एकत्र कर जल्द बंधवा ली जाती है। अतः अध्येता को ध्यानपूर्वक मध्य का अंश (जहाँ एक हस्तलेख समाप्त होता है और दूसरा प्रारम्भ होता है) देखना चाहिये।

- (न) कभी-कभी हाशिये में भी लिखा रहता है। ऐसे उदाहरण भी मिले हैं कि उद्देश्य अन्तिम पत्र के हाशिये में स्थान की कमी से नहीं लिखा जा सका, अतः लिपिकार ने उस पत्र के ठीक पूर्व के पत्र के दाएँ हाशिये पर शेषांश लिखा हो। इस पूर्व के पत्र पर लिखित अंश को हाशिये का शेषांश नहीं समझना चाहिये। एकाध प्रतियों में ऐसा भी लिखा मिला है कि उद्देश्य लिखा तो प्रारम्भ के पत्रों पर है, किन्तु समाप्ति पुष्पिका के पश्चात् की गई है। इसका उद्देश्य प्रति की एकान्विति को द्योतित करना होता है तथा एक लिपिकार द्वारा लिखित है यह निर्दिष्ट करना होता है।

‘उद्देश्य’ में क्या लिखा रहता है ?

निम्नलिखित वाक्यावली से उद्देश्य का पता लगाया जा सकता है। सीधे रूप में तो उद्देश्य कहीं भी लिखा रहता है, यह ध्यान में रखने की बात है। जहाँ ऐसा है भी, वहाँ यह निश्चित समझना चाहिये कि उसमें सचेष्ट विकृतियों के अनेक उदाहरण मिलेंगे।

1. लिपिकार अमुक का शिष्य है।
2. लिपिकार ने अमुक गाँव में/अमुक गाँव के अमुक के घर में/अमुक गाँव के अमुक निवास स्थान पर प्रति लिखी।
3. लिपिकार ने अमुक 'डेरे' पर/अमुक सायरी में/अमुक देश (बीकाण, जोधाण, जैसाण, मेवाडो, दूँडाडो आदि) में प्रति लिखी।
4. लिपिकार ने अमुक समय में/यात्रा (जातरा) में/मन्दिर में/अमुक की सस्रगति में/अमुक भवसर पर (आलातीज, गणेश चौक, घूज, पूनू आदि) प्रति लिखी।
5. लिपिकार ने अमुक के कहने पर/आदेश पर/प्रति लिखी।

6. लिपिकार ने अमुक के लिए/अमुक की भेंट के लिए/अमुक के पाठ के लिए/अमुक के पढ़ने के लिए/अमुक के सप्रह के लिए/अमुक को सुनाने के लिए लिखी ।
7. लिपिकार ने स्व-पठनार्थ/पाठ के लिए/सप्रह के लिए लिखी ।
8. लिपिकार ने अमुक प्रति के बदले लिखी ।
(मूल प्रति नष्ट प्राय हो रही थी, उसके पाठ को सुरक्षित रखने के लिए)
“अमुक 'रे बदल' माँ लिखी,' या
“अमुक 'रे बदलायत लिखी,' लिखा मिलता है ।
9. ऐसे भी अनेक लिपिकार रहे हैं जिन्होंने प्रचारार्थ/बिक्री के लिए/धर्म भावना से/परिवार और मित्रों में भेंट देने के लिए प्रतियाँ लिखी हैं । दो के नाम ये हैं— साहब रामजी तथा प्राणमुख (नगीने वाला) ।
10. कई ऐसे भी लिपिकार हैं, जो एक समय एक के शिष्य हैं, बाद की लिखी प्रति में दूसरे के और तीसरी में तीसरे के शिष्य । ध्यानदास, साहब राम परमानन्द के नाम लिये जा सकते हैं । इस सम्बन्ध में ज्ञातव्य है कि —

1. (प्र) इससे यह न समझना चाहिये कि लिपिकार गुरु बदलता रहा है । अधिकांशतः वह नहीं ही बदलता है । गुरु से यह तात्पर्य है—

- (क) पिता (जो गृहस्थ स्थाय कर्म सन्यासी हो गये)
- (ख) विद्या पढाने वाला गुरु
- (ग) दीक्षा देने वाला गुरु ।
- (घ) अध्यात्म-पथ-निर्देशक गुरु एवं
- (ङ) सम्प्रदाय विशेष के प्रवर्तक गुरु ।

चार चार [प्रथम चार (क) से (घ) तक] गुरुओं के नाम अनेक प्रतियों में (एक ही प्रति में भी) मिलते हैं । धर्म के क्षेत्र में गुरु भी बदल जाते हैं किन्तु बहुत कम ।

(ब) राजस्थान में एक और विचित्र बात गुरु के सम्बन्ध है । स्वर्गस्थ गुरु के 'खोले' (गोद) भी किसी तनमान गुरु का शिष्य चला जाता है । खोले वह तब जाता है जबकि स्वर्गस्थ गुरु का आरम्भ किया हुआ काय उनकी मृत्यु के कारण अधूरा रह गया हो, अथवा वर्तमान गुरु के निर्देश से मृतक गुरु की आवाभा विशेष की पूति के निमित्त भी चला जाता है । ऐसी स्थिति में एक ही प्रति में रचना विशेष की समाप्ति पर एक जगह एक गुरु का नाम और दूसरी जगह स्वर्गस्थ गुरु का नाम लिखा मिलता है ।

किसी भी प्रति के पाठ को ग्रहण करते समय अथवा पाठ सम्पादन के लिए चुनने के समय उल्लिखित प्रकार से उद्देश्य जानना आवश्यक है । तभी उसकी तुलनात्मक विश्वसनीयता का पता लग सकेगा ।

इससे (उद्देश्य से) यह कैसे पता चलता है कि पाठ सम्बन्धी कौसी और कौन-कौनसी भूलें सम्भव हैं —

नोट 'सम्भावना' की जा सकती है । निश्चित रूप से तो पाठ-सम्पादन के समय भाई विकृतियों आदि के आधार पर ही कहा जा सकता है । सतर्कता के लिए कुछ आवश्यक विन्दु प्रस्तुत किए जा रहे हैं

- 1 गुरु की वृत्तियों में, साम्प्रदायिक भावना के अनुगार कुछ समावेश/जोड़ तो ?
- 2 गाँव किसका है ? ज्यादा कौन लोग हैं ? घर किसका है ? बास किसका है ? किस पर निर्भर है ? जैसे—यदि राजपूतो का गाँव है, तो सम्भव है कि सम्बन्धित प्रति में वह ऐसा नाम बँटा दे जैसा प्रायः राजपूतो के होते हैं क्योंकि पात्र प्रतीक हैं, अथवा (युद्ध में सम्बन्धित) घटना में मिश्रण कर दें उनकी प्रसन्नता हेतु ।

यदि घर 'धापना' का है, तो नाम-साम्य के कारण प्रसिद्ध कवि को भी धापन बना दे, लिपिकार यदि जाति विशेष का है, तो कवि विशेष को भी उस जाति का बना दे ।

उदाहरण सुरजनदामजी पूनिया जाति के थे । पूनिया धापन नहीं होते । धापन लिपिकार ने/धापन के घर में रहकर लिखने वाले ने/धापन के कहने से लिखने वाले ने इनको धापन लिख दिया ।

- 3 डेरा किसका है ? साधरी की शिष्य परम्परा क्या है ? 'देश' का नाम क्या है ? प्रथम से गद्दीधारी महन्त का, उसके गुरु का, उसके सम्प्रदाय की मान्यताओं का निर्दर्शन यत्र-तत्र किया गया मिलेगा । साधरी वाली स्थिति में प्रथम गुरु और उसके किसी शिष्य का नाम-उल्लेख किया गया मिलेगा । 'देश' का नाम लिखने वाला उससे इतर प्रान्त का होगा ।
- 4 समय क्या था ? कौनसी 'जातरा' थी ? मन्दिर किसका था ? प्रधान उपदेशक कौन था, (उसका सम्प्रदाय और गुरु कौन था) अवसर क्या था ? निश्चित है कि यत्र-तत्र इनसे सम्बन्धित पंक्तियाँ (मूल पाठ को तोड़ मरोड़ कर) यदि भावुक हुआ तो भावावेश में लिपिकार लिख देगा ।
- 5 किसके कहने/आदेश पर लिखी, उसकी पूर्वज-परम्परा और मान्यता का समावेश हो सकता है ।
- 6 इसमें सचेष्ट विकृति के उदाहरण पदे-पदे मिलेंगे । तात्पर्य यह है कि मूल रचना को (यदि वह किसी भी प्रकार में अस्पष्ट, दुर्बल और कठिन हो तो भी) मरल करके रचना होता है ।
- 7 इसमें भी उपर्युक्त (6) बान हो सकती हैं । अन्तर यह है कि इसमें एक विशेष मुहूर्त्त, सफाई और एकान्विति तथा एकरूपता का ध्यान रखा जाता है ।
- 8 यह मक्षिका स्थाने मक्षिका पात का उदाहरण है । इस प्रकार की प्रति अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय होगी ।
- 9 इसमें भी (6 व 7) स्थिति आएगी ।
- 10 ऐसे लिपिकार भी तुलना की दृष्टि से अधिक विश्वसनीय हैं । उनका ध्येय रचना विशेष को आगे लाना ही प्रायः पाया गया है ।

महत्त्वपूर्ण बात :

इस सम्बन्ध में अन्तिम एक बात और है । जहाँ लिपिकार स्वयं कवि हो, स्वयं के

पास प्रभूत रचना-नामग्री हो और सम्प्रदाय विशेष का हो, ऐसी स्थिति में यदि वह ईमानदार है, तब तो ठीक है ग्रन्थका बड़ी भारी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। यह पता लगाना बड़ा कठिन होगा कि कौनसा ग्रन्थ किस रूप में उसका स्वयं का है, और कौनसा नहीं। यह प्रश्न और भी जटिल हो जाता है, जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि मध्ययुग में पूरक-कृतित्व की भी सुदीर्घ परम्परा रही है। इससे भी अधिक क्षेपको की। तब प्रश्न यह है—

(1) क्या सम्बन्धित समस्या पूरक-कृतित्व या क्षेपक के स्वरूप से उपस्थित हुई है?

(2) क्या यह ऐसे लिपिकार की स्वयं की रचना है?

(3) क्या यत्र-तत्र से कुनवा जोड़ने का प्रयास है?

यदि प्रति एक ही मिली है तो और भी जटिलता बढ़ती है, क्योंकि तब पाठालोचन की दृष्टि से धाँकने का साधन नहीं रहता !

डा. माहेश्वरी के इस विवेचन से लिपिकार के एक ऐसे पक्ष पर प्रकाश पड़ता है, जिसे हमें पाठालोचन में भी ध्यान में रखना होगा।

लेखन

डेविड डिरींजर ने लिखा है कि “प्राचीन मिस्र नासियों ने लेखन का जन्मदाता, या तो थोथ (Thoth) को माना है, जिसने प्रायः सभी सांस्कृतिक तत्त्वों का आविष्कार किया था, या यह श्रेय आइसिस को दिया है, देवीलोनवासी माईक पुत्र नेबो (Nebo) नामक देवता को लेखन का आविष्कारक मानते हैं। यह देवता मनुष्य के भाग्य का देवता भी है। एक प्राचीन यहूदी परम्परा में शूता को लिपि (Script) का निर्माता माना गया है। यूनानी पुराणगाथा (मिश्र) में या तो हर्मीज नामक देवता को लेखन का श्रेय दिया गया है, या किसी अन्य देवता को। प्राचीन चीनी, भारतीय तथा अन्य कई जातियाँ भी लेखन का मूल देवी ही मानते हैं। लेखन का प्रतिशय महत्त्व ज्ञानार्जन के लिए सदा ही भाग्य रहा है, उधर लेखन का अक्षय लोगो पर जादुई शक्ति के जैसा प्रभाव पड़ता है।”²

यह बताया जा चुका है कि लेखन का आरम्भ आदिम आनुषंगिक आचरण और टोने के परिवेश में हुआ। यही कारण है कि सभी भाषाएँ और उनकी लिपियाँ देवी उत्पत्ति वाली मानी गई हैं और उनकी आरम्भिक रचनाएँ और ग्रन्थ भी देवी कृति हैं। भारत के वेद अपीरपर्यं हैं ही। प्राचीन मिस्र-नासियों ने अपनी प्राचीन भाषा को ‘देवताओं की वाणी’ या ‘मन्त्र’ नाम दिया था। मन्त्र (Mdw-ntr) संस्कृत मन्त्र का ही रूपान्तरण प्रतीत होता है। इस दृष्टि से यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आज भी या आज से कुछ पूर्व भी लेखन-वाच्य को धार्मिक महत्त्व दिया गया और लेखक को सब प्रकार की शुचिता से युक्त होकर ही लेखन में प्रवृत्त होने की परम्परा बनी। लेखन-मात्र को इतना पवित्र माना गया कि लिप्यासन—कागज, पत्र आदि भी पवित्र मान लिये गए। भारत में कैंसा ही कागज क्यों न हो अब से 20-25 वर्ष पूर्व अत्यन्त पावन माना जाता था। कागज का टुकड़ा भी यदि पैर से छू जाता था तो उसे धार्मिक अवमानना मान

कर सिर में लगाते थे और मन से क्षमा-याचना करते थे। जैनियों में 'प्राशातना' की भावना लेखन की इनी शुचिता के सिद्धान्त पर खड़ी हुई है। पुस्तक पर घूक आदि अपवित्र वस्तु न लगे, पंर की ठोकर न लगे, इन बातों का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक माना गया। यह विधान भौतिक दृष्टि से तो पुस्तक की रक्षा के लिए ही था, जिसे धार्मिक परिवेश में रखा गया। वस्तुतः समस्त 'लेखन' व्यापार के साथ मूल आनुष्ठानिक टोने का परिवेश-भाव भी जुड़ा हुआ है तभी उसके प्रति धार्मिक पावनता का व्यवहार विद्यमान है और धर्म में उसे स्थान मिल सका है।

सम्भवतः इसीलिए बहुत से हस्तलिखित ग्रन्थों के ग्रन्थ में निम्नलिखित मन्वृत श्लोकों में से एक लिखा हुआ मिलता है

'जलाद् रक्षेत स्थलाद् रक्षेत्, रक्षेत् शिथिल बन्धनाद्,
मूर्ध्न हस्ते न दातव्या, एव बदति पुस्तिका।'

'अग्ने रक्षेत् जलाद् रक्षेत्, मूपवेभ्यो विशेषतः ।

कष्टेन लिखित शास्त्र, यत्नेन परिपालयेत्'

"उदकानिल चौरैभ्यो, मूपवेभ्यो कृताशनात्

कष्टेन लिखित शास्त्र, यत्नेन परिपालयेत्"

इन श्लोकों में हस्तलेखों को नष्ट करने वाली वस्तुओं के प्रति सावधान रहने का संकेत है।

जल में ग्रन्थ की रक्षा करनी चाहिये। जल बागज-पत्र को गला देता है, स्याही को फँसा देता है या धो देता है और ग्रन्थ को ध्वंसेदार बना देता है, जल से धातु पर मोर्चा लग जाता है। स्थल से भी रक्षा करनी होती है। बागज पत्र पर धूल पड़ जाती है तो वह जीर्ण होने लगता है, तटवने लगता है। स्थल में से दीमक आदि निरन्तर ग्रन्थ को घट कर जाते हैं, धूल और सू दोनों ही ग्रन्थ को हानि पहुँचाते हैं। अग्नि से ग्रन्थ की रक्षा की जानी चाहिये, इसमें दो मत नहीं हो सकते। चूहों से ग्रन्थ की रक्षा का विशेष प्रयत्न होना चाहिये। ग्रन्थ की रक्षा चोरो से भी करनी चाहिये। ग्रन्थ की चोरी पहले होती थी, और आज भी होती है। हस्तलिखित ग्रन्थ आज अत्यन्त मूल्यवान् सामग्री मानी जाती है, अतः हस्तलिखित ग्रन्थ की चोरी आज उससे बड़ी घन राशि पाने की प्राप्ति से भी जाती है। इन हस्तलेखों का बाजार आज विदेशों में भी बढ़ा गया है, अतः चोरी का भय विशेष बढ़ गया है।

श्लोक में इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि शास्त्र ग्रन्थ कष्टपूर्वक लिखा जाता है, अतः यत्नपूर्वक इनकी रक्षा की जानी चाहिये।

ग्रन्थ परम्पराएँ

भारतीय हस्तलिखित ग्रन्थों में लेखकों द्वारा कुछ परम्परागत का अनुसरण किया है— जो इस प्रकार है

1. लेखन-दिशा,
2. पंक्ति बद्धता, लिपि की माप,
3. मिलित शब्दावली,

- 4, विराम चिह्न,
- 5 पृष्ठ सख्या,
- 6 सशोधन,
- 7 छूटे अक्षर,
- 8 सकेताक्षर,
- 9 अन्व-मुहर (Seal) ये पाण्डुलिपियों में नहीं लगाई जाती थीं, प्रामाणिक बनाने के लिए दानपत्रों आदि और वैसे ही शिलालेखों में लगाई जाती थी ।
- 10 लेखन द्वारा अक्षर प्रयोग (शब्द में भी)

विशेष

विशिष्ट परम्पराओं का सम्बन्ध लेखकों में प्रचलित धारणाओं या मान्यताओं से विदित होता है ये निम्न प्रकार की मानी जा सकती हैं .

- 1 मंगल प्रतीक या भगलाचरण
- 2 अक्षरकरण (Illumination)
- 3 नमोकार (Invocation)
- 4 स्वस्तिमुख (Initiation)
- 5 आशीर्वाचन (Benediction)
- 6 प्रशस्ति (Laudation)
- 7 पुष्पिका, उपसंहार (Colophone, Conclusion)
- 8 वज्रना (Imprecation)
- 9 लिपिकार प्रतिज्ञा
- 10 लेखनसमाप्ति शुभ

शुभाशुभ

कुछ बातें लेखन में शुभ कुछ अशुभ मानी गई हैं, ये भी परम्परा से प्राप्त हुई हैं : यथा

- 1 शुभाशुभ अक्षर
- 2 शुभाशुभ लेखनी
- 3, लेखन का गुण-दोष
- 4 लेखन विराम में शुभाशुभ

इनमें से प्रत्येक पर कुछ विचार आवश्यक है—

सामान्य परम्पराएँ—ये वे हैं जो लेखन के सामान्य गुणा से सम्बन्धित हैं । यथा :

- (1) लेखन-दिशा—लेखन की दिशाएँ कई हो सकती हैं । 1—ऊपर से नीचे की ओर,¹
2—दाहिनी से बाई ओर² 3—बायीं से दाहिनी ओर,³ 4—बायीं से दाहिनी ओर पुन

- 1 चीनी लिपि ।
- 2 खरोष्ठी लिपि, फारसी लिपि ।
- 3 नागरी (बाही) ।

कर तिर से लगाते थे और मन से क्षमा-याचना करते थे। जैनियों में 'प्राज्ञातना' की भावना लेखन की इसी शुचिता के सिद्धान्त पर खड़ी हुई है। पुस्तक पर धूक आदि अपवित्र वस्तु न लगे, पैर की ठोकर न लगे, इन बातों का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक माना गया। यह विधान भौतिक दृष्टि से तो पुस्तक की रक्षा के लिए ही था, जिसे धार्मिक परिवेश में रखा गया। वस्तुतः समस्त 'लेखन' व्यापार के साथ मूल आनुष्ठानिक टोने का परिवेश-भाव भी जुड़ा हुआ है तभी उसके प्रति धार्मिक पावनता का व्यवहार विद्यमान है और धर्म में उसे स्थान मिल सका है।

सम्भवतः इसीलिए बहुत से हस्तलिखित ग्रन्थों के अन्त में निम्नलिखित मस्कृत श्लोकों में से एक लिखा हुआ मिलता है

'जलाद् रक्षेत स्थलाद् रक्षेत्, रक्षेत् शिथिल बन्धनात्,

मूर्खं हस्ते न दातव्या, एव बदति पुस्तिका।'

"अग्ने रक्षेत् जलाद् रक्षेत्, मूषकेभ्यो विशेषतः ।

वष्टेन लिखित शास्त्र, यत्नेन परिपालयेत्"

"उदकानिल चौरैभ्यो, मूषकेभ्योऽवृताणानात्

कष्टेन लिखित शास्त्र, यत्नेन परिपालयेत्"

इन श्लोकों में हस्तलेखों की नष्ट करने वाली वस्तुओं के प्रति सावधान रहने का संकेत है।

जल में ग्रन्थ की रक्षा करनी चाहिये। जल कागज-पत्र को गला देता है, स्याही को फँसा देता है या धो देता है और ग्रन्थ को धब्बेदार बना देता है, जल से धातु पर मोर्चा लग जाता है। स्थल से भी रक्षा करनी होती है। कागज पत्र पर धूल पड़ जाती है तो वह जीर्ण होने लगता है, तड़कने लगता है। स्थल में से दीमक आदि निबल कर ग्रन्थ को चट कर जाते हैं, धूल और लू दोनों ही ग्रन्थ को हानि पहुँचाते हैं। अग्नि से ग्रन्थ की रक्षा की जानी चाहिये, इसमें दो मत नहीं हो सकते। चूहों से ग्रन्थ की रक्षा का विशेष प्रयत्न होना चाहिये। ग्रन्थ की रक्षा चोरी से भी करनी चाहिये। ग्रन्थों की चोरी पहले होती थी, और धाज भी होती है। हस्तलिखित ग्रन्थ धाज अरथन्त मूल्यवान् मामग्री मानी जाती है, अतः हस्तलिखित ग्रन्थ की चोरी धाज उससे बड़ी धन राशि पाने की धाजा से की जाती है। इन हस्तलेखों का बाजार धाज विदेशों में भी बन गया है, अतः चोरी का भय विशेष बढ़ गया है।

श्लोक में इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि शास्त्र ग्रन्थ वष्टपूर्वक लिखा जाता है, अतः यत्नपूर्वक इनकी रक्षा की जानी चाहिये।

ग्रन्थ परम्पराएँ

भारतीय हस्तलिखित ग्रन्थों में लेखकों द्वारा कुछ परम्पराया का अनुसरण किया है— जो इस प्रकार है

1. लेखन-दिशा,
2. पंक्ति बढ़ता, लिपि की माप,
3. मिलित शब्दावली,

- 4, विराम चिह्न,
- 5 गृष्ठ सख्या,
6. सशोधन,
- 7 छूटे अक्षर,
8. सकेताक्षर,
- 9 अक्ष-मुहर (Seal) ये पाण्डुलिपियो मे नही लगाई जाती थी, प्रामाणिक बनाने के लिए दानपत्रो आदि और वैसे ही शिलालेखो मे लगाई जाती थी ।
- 10 लेखन द्वारा अक्ष प्रयोग (शब्द मे भी)

विशेष

विशिष्ट परम्पराओ का सम्बन्ध लेखको मे प्रचलित धारणाओ या मान्यताओ से विदित होता है ये निम्न प्रकार की मानी जा सकती हैं :

- 1 मंगल-प्रतीक या मंगलाचरण
- 2 अलंकरण (Illumination)
- 3 नमोकार (Invocation)
- 4 स्वस्तिमुख (Initiation)
- 5 आशोर्वचन (Benediction)
- 6 प्रशस्ति (Laudation)
7. पुष्पिका, उपसहार (Colophone, Conclusion)
- 8 वरुणा (Imprecation)
- 9 लिपिकार प्रतिज्ञा
- 10 लेखनसमाप्ति शुभ

शुभाशुभ

कुछ बातें लेखन मे शुभ कुछ अशुभ मानी गई हैं, ये भी परम्परा से प्राप्त हुई हैं : यथा

- 1 शुभाशुभ आकार
- 2 शुभाशुभ लेखनी
- 3, लेखन का गुण-दोष
- 4 लेखन-विराम मे शुभाशुभ

इनमे से प्रत्येक पर कुछ विचार आवश्यक है—

सामान्य परम्पराएँ—ये वे हैं जो लेखन के सामान्य गुणा से सम्बन्धित हैं । यथा :

- (1) लेखन-दिशा-लेखन की दिशाएँ कई हो सकती हैं । 1-ऊपर से नीचे की ओर, 2-दाहिनी से बाईं ओर 3-त्रायी से दाहिनी ओर, 4-त्रायी से दाहिनी ओर

1. शीर्षी लिपि ।
2. खरोष्ठी लिपि, कारवी लिपि ।
3. नागरी (बाही) ।

दाहिनी से बायी ओर ।¹ 5-नीचे से ऊपर की ओर । भारतीय लिपियों में ब्राह्मी ओर उससे जनित लिपियाँ बायी ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती हैं, हिन्दी भी इसी परम्परा में देवनागरी या नागरी रूप में बायें से दायें लिखी जाती है । खरोष्ठी दायें से बायें लिखी जाती है, जैसे कि फारसी लिपि, जिसमें उर्दू लिखी जाती है ।

साथ ही लेखन में वाक्य पक्तियाँ ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं । यही बात ब्राह्मी, नागरी आदि लिपियों पर लागू होती है, खरोष्ठी, फारसी आदि पर भी । पर स्वात के एक लेख में खरोष्ठी नीचे से ऊपर की ओर लिखी गई मिलती है ।

(2) पक्ति बढ़ता—लिपि के अक्षरों की माप पहले भारतीय लिपियों में अक्षरों पर शिरो-रेखाएँ नहीं होती थी । फिर भी, वे लेख पक्ति में बाँध कर अवश्य लिखे जाते थे । यह बात मौर्य-कालीन शिलालेखों में भी प्रकट होती है । सभी अक्षर बाएँ से दाँए सीधी पडी रेखाओं में लिखे गये हैं, मात्राएँ मूलाक्षरों से ऊपर लगाई गई हैं । कुछ व्यतिक्रम अवश्य हैं, पर वे प्रवृत्ति को तो स्पष्ट करते ही हैं । घागे तो रेखाओं के चिह्न बनाकर या अन्य विधि से सीधी पक्ति में लिखने के सुन्दर प्रयास मिलते हैं । रेखापाटी या कविदा (रूल या पट्टी) का उपयोग इसी निमित्त ग्रन्थों में किया जाता था । लिपि के अक्षरों की माप भी एक लेख में बँधी हुई मिलती है, क्योंकि प्रायः प्रत्येक अक्षर लम्बाई चौड़ाई में समान मिलता है ।

(3) मिलित शब्दावली — आज हम जिस प्रकार शब्द-प्रतिशब्द वद्ध लेखन करते हैं, जिसमें एक शब्द अपने शब्द रूप में दूसरे से अलग बीच में कुछ अवकाश दे कर लिखा जाता है, उस प्रकार प्राचीन काल में नहीं होता था, सभी शब्द एक दूसरे से मिला कर लिखे जाते थे । हम जानते हैं कि यूनानी प्राचीन पाण्डुलिपियों में भी मिलित शब्दावली का उपयोग हुआ है ।² यही हमें विदित होता है कि 11वीं शताब्दी के आसपास ही अमिलित अलग अलग सही शब्दों में लिखने की प्रणाली यथार्थतः प्रचलित हुई ।

भारत में शिलालेखों और ग्रन्थों में ही यह मिलित शब्दावली मिलती है । इसे भी हम परम्परा का ही परिणाम मान सकते हैं । डॉ० राजबली पाठेय ने बताया है कि भारत में पृथक् पृथक् शब्दों में लेखन की ओर ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ भाषा का व्याकरण ऐसा पूर्ण था कि शब्दों को पहचानने और उनके वाक्यान्तर्गत सम्बन्धों में भ्रम नहीं रह सकता था । किन्तु क्या 11वीं शताब्दी तथा यूनानी ग्रन्थों में मिलित शब्दावली का भी यही कारण हो सकता है ? हिन्दी के प्राचीन ग्रन्थों में भी मिलित शब्दावली की परम्परा मिलती है ।

(4) विराम चिह्न — मिलित शब्दावली की परम्परा में विराम चिह्नो (Punctuation) पर भी ध्यान नहीं जाता । प्राचीन कोडेक्स ग्रन्थों की यूनानी पाण्डुलिपियों में सातवीं-आठवीं शताब्दी ई० में विराम चिह्नो का उपयोग होने लगा था । भारत में पाँचवीं शताब्दी ई० पू० से ईसवी सन् तक केवल एक विराम चिह्न उद्भावित हुआ था । दड, एक आड़ी लकीर । इसे कभी-कभी कुछ वक्र [>] करके भी लिख दिया

1 भारत में कहीं-कहीं ही ब्राह्मी लेखों में प्रयोगात्मक ।

2 The text of Greek MSS was, with occasional exceptions, written continuously without separation of words even when the words were written separately, the dimensions were often incorrectly made

जाता था। मदसौर प्रशस्ति, (473-74 ई०) में विराम चिह्न का नियमित उपयोग हुआ। इसमें पत्र की अर्द्धाली के बाद एक दंड (i) और चरण समाप्ति पर दो दंड (ii) रखे गये हैं। आगे इनका प्रयोग और सख्या भी बढ़ी। भारत में मिलने वाले विराम चिह्न ये हैं

1, 11, T (यह 3 तर में नहीं मिलता), 21, 7C, Ju, 41 77
7T, III, -, ८ था ७ था ८ २ २ २ ११-, ७ ७. ७

इन चिह्नों के साथ अक तथा मगल चिह्न भी विराम चिह्न की भाँति प्रयोग में लाये जाते रहे हैं।

(5) पृष्ठ सख्या—हस्तलिखित ग्रन्थ में यह परम्परा प्राप्त होती है कि पृष्ठ के अक या सख्या नहीं दी जाती, केवल पत्रों के अक दिये जाते हैं। तात्र पत्रों पर भी ऐसे ही अक दिये जाते थे। यह सख्या पत्रों (पत्र) की पीठ वाले पृष्ठ पर डाली जाती थी, इसलिए उसे साक पृष्ठ कहा जाता था, जो कुछ ऐसी पुस्तकों में हैं जिनमें पन्ने के पहले पृष्ठ पर ही अक डाल दिये गए हैं।

किन्तु प्रश्न यह है कि यह पृष्ठ सख्या किस रूप में डाली जाती थी? इस सम्बन्ध में मुनिजी ने बताया है¹ कि 'ताडपत्रीय जैन पुस्तकों में दाहिनी ओर ऊपर हाशिये में अक्षरात्मक अक और बायी ओर अकाल्मक अक दिये जाते थे। जैन छेद प्रागमो और उनकी चूणियों में पाठ, प्रायश्चित्त, भग, आदि का निर्देश अक्षरात्मक अकों में करने की परिपाटी थी। 'जिन कला सूत्र' के आचार्य श्री जिन भद्रिमणि क्षमा श्रमण कृत भाष्य में मूलसूत्र का गायक अक्षरात्मक अकों में दिया गया है।'

मुनि पुण्य विजय जी ने अक्षराको के लिए जो सूची⁵ दी है वह पृष्ठ 36 पर है। पृष्ठ 37 पर श्रीभाजी की सूची है।

इन अकों को दान-पत्रों और शिलालेखों में और पाण्डुलिपियों में किस प्रकार लिखा जाता था, यह श्रीभा जी ने बताया है, जो यो है "प्राचीन शिला-लेखों और दान-पत्रों में सब अक एक पक्ति में लिखे जाते थे परन्तु हस्तलिखित पुस्तकों के पत्राको में चीनी अक्षरों की नाई एक दूसरे के नीचे लिखे मिलते हैं। ई० स० की छठी शताब्दी के आस-पास मि० वावर के प्राप्त किये हुए ग्रन्थों में भी पत्राक इसी तरह एक-दूसरे के नीचे लिखे मिलते हैं। पिछली पुस्तकों में एक ही पन्ने पर प्राचीन और नवीन दोनों शैलियों से भी अक लिखे मिलते हैं। पन्ने के दूसरी तरफ के दाहिनी ओर के ऊपर की तरफ के हाशिये पर तो अक्षर सवेत से, जिनको अक्षर-पल्ली कहते थे, और दाहिनी तरफ के नीचे के हाशिये पर नवीन शैली के अकों से, जिनको अक-पल्ली कहते थे।"⁶

- 1 ई० पू० दूसरी शताब्दी से ई० सतवी तक यह ' ' चिह्न (२१२) के स्थान पर प्रयुक्त होता रहा है।
- 2 ईसवी सन् की प्रथम में आठवीं शताब्दी तक दो दण्डों के स्थान पर।
- 3 बुध्वाण-काल में और बाद में ८ के स्थान पर।
- 4 मुनि श्री पुण्य विजयजी—भारतीय जैन श्रमण सङ्गति अने लेखन कला, पृ० 62।
- 5 वही पृ० ६३।
- 6 भारतीय प्राचीन लिपि भाषा, पृ० 108।

१=१, नं, स्र, स्र, श्री, श्री

२=२, न, सि, सि, श्री, श्री

३=३, म०, श्री, श्री, श्री

४=क, क, क, क, क, क, क, क, क, क, क, क, क, क, क, क

५=क, क, क, क, क, क, क, क, क, क, क, क, क, क, क, क

६=क, क, क, क, क, क, क, क, क, क, क, क, क, क, क, क

७=ग, गी, गी, गी

८=क, क, क, क, क, क

९=उ, उ, उ, उ

दशक अंक

१=०, ०

२=घ, घा

३=ण, णा

४=स, स, सा, सा

५=८, ८, ८, ८, ८

६=वु, वु

७=क, क, क, क, क, क

८=७, ७

९=५, ५, ५, ५, ५

०=०

शतक अंक

१=सु, सु

२=सू, सू, सा, सा

३=सा, सा, सा

४=सा, सा, सा

५=सा, सा, सा

६=सं, सं, सं

७=सः, सः, सः

महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द भोभा जी की सूची भी 'भारतीय प्राचीन लिपि माला' से यहाँ दी जाती है—¹

१. ए. ख और ऊँ
२. द्वि. स्ति और न
३. त्रि. श्री और म
४. ङ्ङ, ङ्ङ, ङ्ङा, रक, रकं, च्क, च्कं, प्क, (प्के), क्क, क्कं, फ्र और पु
५. तृ, तृ, तृ, तृ, ह और नृ
६. फ्र, फ्र, फ्र, घ, भ, पु, व्या और फल
७. श, शा, शा, गर्भा, गर्भा, और भु
८. ह्र, ह्र, ह्र, और द्र
९. ओ, उँ, उँ, उँ, जँ, अ और नुँ
१०. लृ, लृ, ल, राट, उा, अ और सी
- २०= थ, था, थं, थॉ, ध, धं, ध्व और ष
- ३०= ल, लाल, ल और ली
- ४०= स, स, सा, सी और प्र
- ५०= ए, ए, ए, ए, ओ और ण
- ६०= चु, चु, घु, थु, थु, थु, थु, धु, धु और घु
- ७०= चु, चु, थु, थु, धु और न्त
- ८०= ए, ए, ए, ओ, ओ और पु
- ९०= ए, ए, ए, ए और ओ
- १००= सु, सु, लु और अ
- २००= सु, सु, सु, आ, ल और धुँ
- ३००= स्ता, स्ता, स्ता, सा, सु, सुँ और सू
- ४००= सू, स्ता, और स्ता

नेपाल, गुजरात, राजपूताना आदि में यह अक्षर-क्रम ई० स० की 16वीं शताब्दी तक बही-कही मिल जाता है। जैसे कि,

$$33 = \text{ॐ}, १00 = \text{ॐ}, १02 = \text{ॐ}, १3१ = \text{ॐ}, १40 = \text{ॐ}, 20६ = \text{ॐ}$$

आदि।

(6) संशोधन — संशोधन का एक पक्ष तो उन प्रमादों से सावधान करता है जो लिपिकार से हो जाते हैं, और जिनके कारण पाठ भेद की समस्या खड़ी हो जाती है। यह पाठालोचन के क्षेत्र की बात है और यही इसकी विस्तृत चर्चा की गयी है।

दूसरा पक्ष है हस्तलिखित ग्रन्थों में लेखन की त्रुटि का संशोधन जो स्वयं लिपिकार ने किया हो। मुनि पुण्य विजय जी ने ऐसी 16 प्रकार की त्रुटियाँ बतायी हैं, और इन्हें ठीक करने या इनका संशोधन करने के लिए लिपिकारों द्वारा एक चिह्न-प्रणाली अपनायी जाती है, उसका विवरण भी उन्होंने दिया है।

ऐसी त्रुटियों के सोलह प्रकार और उनके चिह्न नीचे दिये जाते हैं।

त्रुटिनाम	चिह्ननाम	चिह्न
1	2	3

1. पतित पाठ (कही किसी अक्षर या शब्द का छूट जाना 'पतित पाठ' है)
2. पतित पाठ विभाग
3. 'काना' [मात्रा की भूल]

^, V, V, X, X

X

4. अन्याक्षर [किन्हीं प्रायः समान सी ध्वनि वाले अक्षरों में से अनुपयुक्त अक्षर लिख दिया गया।]

'रेफ' के समान होने से भ्रान्ति के कारण यह भी पाठ-भ्रान्ति में सहायक होता ही है।

W

जिस अक्षर पर यह चिह्न लगा होगा, उसका शुद्ध अक्षर उस स्थान पर मानना होगा। यथा W

सन्धु। यहाँ स पर यह चिह्न है W अतः इसे 'श' पढ़ना होगा, खत्रिय पढ़ा जायगा 'क्षत्रिय'।

5. उलटी-सुलटी लिखाई

पाठपरवृत्ति दर्शक चिह्न

२, १
लिखना या 'बनकर' लिख गये

1	2	3
		<p>'वचनर' तो इसे ठीक करने के लिये व च न र लिखा जायगा। च न का अर्थ होगा कि 'न' पहले 'च' दूजे पढा जायगा। अधिक उलट मुलट हो तो क्रम से ३, ४ और अन्य श्रको का प्रयोग भी हो सकता है।</p>
6 स्वर-संधि की भूल	स्वर सध्यभादर्शक चिह्न	<p>अ=ऽ, आ=१.५.७.९, ९९, इ=८'९ ५ ५ ई=ई' - ९, ३=६'७. अ, अ, अ, अ=अ ए=ए, ऐ=ऐ औ=उ, औ=अ अ अं=ं</p>
7 पाठ भेद*	पाठ भेद दर्शक चिह्न	<p>प्र० पा०, प्रत्य० पाठा०, प्रत्यन्तरे पाठातरम्</p>
8. पाठ भेद	पाठानुसंधान दर्शक चिह्न	<p>उः.पं. उ३.पं३ चुं. नी. पं. नी</p>
9 मिलित पदो म भ्रान्ति	<p>पदच्छेद दर्शक चिह्न या वाक्यायं समाप्ति दर्शक चिह्न या पाद विभाग दर्शक चिह्न</p>	<p>' ।' यह मिलित पदो के ऊपर लगाया जाता है।</p>
10 विभाग भ्रान्ति*	विभाग दर्शक चिह्न	। । -
11 पदच्छेद भ्रान्ति*	एकपद दर्शक चिह्न	॥ -
12 विभक्ति वचन* भ्रान्ति	विभक्ति वचन दर्शक चिह्न	<p>ऐसे दो चिह्नो के बीच मे प्रस्तुत पद मे पदच्छेद निषेध सूचित होता है। 11, 12, 13, 23, 32, 41, 53, 62, 73, 82</p>

1

2

3

ये चिह्न विभक्ति और वचन में भ्राति न हो इसलिए लगाय जाते हैं।

ये जोड़े से अक आते हैं, जिनमें से पहला अक विभक्ति-द्योतक (1=प्रथमा 6 पंथी आदि) तथा दूसरा वचन-द्योतक होता है। (1=एक वचन, 2=द्विवचन, 3=बहुवचन) जैसे 11 का अर्थ है प्रथमा एक वचन।


13. पदों के अन्वय में अन्वयदशक चिह्न भ्राति*

शिरोभाग पर अन्वय क्रम

$$\begin{array}{c} 3 \quad 1 \\ \text{द्योतक अक-यथा न ततोऽर्थान्तर} \\ 4 \quad 2 \\ \text{स्वसवेदन प्रत्यक्षम्} \end{array}$$
 यहाँ 1 सख्या वाला पद पहले; 2 का उसके बाद, 3 उसके बाद तथा उसके बाद 4 अक वाला-इस क्रम से अन्वय होता है। ठीक अन्वय हुआ ततोऽर्थान्तर प्रत्यक्ष न स्वसवेदनम्।

14 विशेषण-भ्रम विशेष्य-भ्रम*

विशेषण विशेष्य सम्बन्ध दर्शाक चिह्न

U, 
 कभी-कभी वाक्यों में, प्रायः लम्बे वाक्यों में विशेषण कही और विशेष्य कही पड जाता है तब शिरोपरि लगाये गये उक्त चिह्नो से विशेषण-विशेष्य बताये जाते हैं, इससे भ्राति नहीं हो पाती।

कुछ अन्य सुविधाओं के लिए कुछ अन्य चिह्न भी मिलते हैं जिनसे 'टिप्पणी' का पता चलता है, अथवा किसी शब्द का किसी दूसरे पद से विशिष्ट सम्बन्ध विदित हो जाता है।

ऊपर के विवरण से यह भी स्पष्ट होगा कि ये चिह्न दो अभिप्राय सिद्ध करते हैं : एक तो इनसे लिपिकार की त्रुटियों का सशोधन हो जाता है, तथा दूसरे, पाठक को पाठ ग्रहण करने में सुविधा हो जाती है। हमने जिन पर पुष्प (*) लगाए हैं, वे त्रुटि मार्जन के लिए नहीं, पाठक की सुविधा के लिए हैं।

(7) छूटे अंश की पूर्ति के चिह्न

भूल से कभी कोई शब्द, शब्दांश, या वाक्यांश लिखने से छूट जाते हैं तो उसकी पूर्ति के कई उपाय शिलालेखों या पाण्डुलिपियों में किये गये मिलते हैं।

पहले जैसा अशोक के शिलालेखों में मिलता है, जहाँ छूट हुई वहाँ उस वाक्य के ऊपर या नीचे छूटा हुआ अक्षर लिख दिया जाता था। कोई चिह्न विशेष नहीं रहता था।

फिर ऊपर सशोधक चिह्नों में 'पतित पाठ दर्शक चिह्न' बताया गया है। इसे हस्त-पग, मोर पग या काक पद कहते हैं। इसे छूट के स्थान पर लगा कर छूटा पद पक्ति के ऊपर या हाशिये में लिख दिया जाता है। पतित पाठ का अर्थ ही छूटा हुआ पद है। काक पद $V \wedge \wedge \angle$ ये भी है और $\times +$ ये भी हैं।

किन्तु कभी-कभी इस कट्टम ($\times +$) के स्थान पर स्वस्तिक $\卐$ का प्रयोग भी मिलता है। यह भी छूट का द्योतक है और काक पद वा ही काम करता है।

कुछ अन्य चिह्न

$\卐$ स्वस्तिक का उपयोग कही कही एक और बात के लिए भी होता आया है जहाँ कही प्रतिलिपिकार को अर्थ अस्पष्ट रहता है, वह समझ नहीं पाता है तो वह वहाँ यह स्वस्तिक लगा देता है या फिर 'कुडल' (○) लगा देता है। कुडल से वह उस अक्षर को घेर देता है, जो उसे अस्पष्ट लगा या समझ में नहीं आया।

(8) सकेताक्षर या 'सक्षिप्ति चिह्न'¹ (Abbreviations)

भारत में शिलालेखों तथा पाण्डुलिपियों में सक्षिप्तीकरण पूर्वक सकेताक्षरों की परिपाटी आग्धा और कुपाणों के समय से विशेष परिलक्षित होती है। विद्वानों ने ऐसे सकेताक्षरों की सूची अपने ग्रन्थों में दी है। वह यो है

1. सम्बत्तर के लिए सम्ब, सब, स या स०
2. श्रीष्म² - श्री० (शु०) गै० गि० या गिगूहन
3. हेमन्त - हे०
4. दिवस - दि०
5. शुक्ल पक्ष दिन—सु० मुदि० या सुति०। शुक्ल पक्ष को शुद्ध भी कहा जाता है।
6. बहल पक्ष दिन—ब०, ब०दि०, या बति०
7. द्वितीय - द्वि०
8. सिद्धम् - श्री० श्री० सि०
9. राजत - रा०
10. दूतक—दू० (सदेश वाहक या प्रतिनिधि)
11. गाथा - गा०
12. श्लोक - श्लो०
13. पाद - पा०
14. ठक्कुर - ठ०

1 यह पर्याय प्रो० बामुदेव उपाध्याय द्वारा दिया गया है, प्राचीन भारतीय अभिलेखा का अध्ययन, पृ० 206।

2 उपाध्याय जी ने गुप्त रूप दिया है। वही, पृ० 260।

15. एद० ॥ या एदं० ॥ — 'ओकार' का चिह्न कुछ लोगो का विचार रहा है कि यह चिह्न स० 980 है। जैन-शास्त्र-लेखन इसी सवत् से आरम्भ हुआ पर मुनि पुण्यविजय जी इसे 'ओ०' का चिह्न मानते हैं।
16. ॥ ॐ ॥ ये चिह्न कभी-कभी ग्रन्थ की समाप्ति पर लगे मिलते हैं।
॥ ॐ ॥ ये 'पूर्ण कुम्भ' के द्योतक चिह्न हैं। जो 'मंगल वस्तु' है।
17. -६०३- के ०, ५६

किन्हीं-किन्हीं पुस्तको के अन्त में ये चिह्न मिलते हैं। मुनि पुण्यविजयजी का विचार है कि पाण्डुलिपियो में अध्ययन, उद्देश्य, श्रुतस्कन्ध, सर्ग, उच्छ्वास, परिच्छेद, लभक, काह आदि की समाप्ति को एकदम ध्यान में बैठाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की चित्राकृतियाँ बनाने की परिपाटी थी, ये चिह्न भी उसी निमित्त लिखे गये हैं।

(10) लेखक द्वारा अक लेखन

ऊपर हम अक्षरो से अक लेखन की बात बता चुके हैं, पर ग्रन्थों में तो शब्दों से अक द्योतन की परिपाटी बहुत लोकप्रिय विदित होती है। पाण्डुलिपियो की पुष्पिकाओं में जहाँ रचना काल आदि दिया गया है वहाँ कितने ही रचयिताओं ने शब्दों से अक का काम लिया है।¹

संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी तथा अन्य देशी भाषाओं के ग्रन्थों में शब्दों से अक सूचित करने की परिपुष्ट प्रणाली मिलती है। भा० जैन अम० स० तथा भा० प्रा० लि० मा० में 'अक्षो' के लिये उपयोग में आने वाले शब्दों की सूची दी गई है। ओम्ना जी का यह प्रयत्न प्राचीनतम है, भा० जैन अ० स० बाद की कृति है। दोनों के आधार पर यह सूची यहाँ प्रस्तुत की जाती है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि पहले इकाई की संख्या वाचक फिर दहाई एवं सैंकड़े व हजार की संख्या के बोधक शब्दों का प्रयोग होता है जैसे- कि पाद टिप्पणी का भाग (अ) सवत् 1623 को बता रहा है।

1. कुछ ग्रन्थों में से उदाहरण इस प्रकार हैं

- (अ) 3 2 6 1
मुण्णयनरसेन्दु मिते वर्षे षात्र प्रकरणवि चूरि .
- (ब) 7 8 4 1
मुनि बभु सागर सितकर मित वर्षे सम्यक्त्व कौमुदी ।
- (स) 1 1 8 1
संवत् सप्तिकृतबभु सप्तौ आस्वनि मिति तिथि माग,
त्रिन मंगल मंगल करन हरन सकल दुख धाग ।
- (द) 4 1 8 1
वेद षडु यत्र भू गणित सवत्सर कविवार,
धावन शुक्ल तयोदशी रथ्यो ग्रन्थ मुविवारि ।
- (ध) 6 7 7 1
रत सागर रवितुरण विभु सवत् मपुर वमत,
विकस्यो 'रसिक रसाल' तथि हृतगत मुद्द व सन्त' ।

- 0- शून्य, ख, गगन, आकाश, अम्बर, अन्न, विषत्, व्योम, अन्तरिक्ष, नभ, पूर्ण, रन्ध्र आदि । + विन्दु, छिद्र ।
- 1- आदि, शशि, इन्दु, विधु, चन्द्र, शीताशु, शीतरश्मि, सोम, शशांक, सुधाशु, अञ्ज, भू, भूमि, क्षिति, घरा, उर्वरा, गो, वसुधरा, पृथ्वी, क्षमा, धरणी, वसुधा, इला, कु, मही, रूप, पितामह, नायक, तनु, आदि । + फलि, सितरश्मि, निशेश, निशाकर, औषधीश, क्षपाकर, दाक्षायणी-प्राणेश, जंवातुक ।
- 2- यम, यमल, अश्विन, नासत्य, दक्ष, लोचन, नेत्र, अक्षि, दृष्टि, चक्षु, नयन, ईक्षण, पक्ष, बाहु, वर, कर्ण, कुच, ओष्ठ, गुल्फ, जागु जंघा, द्वय, द्वन्द्व, युगत, युग्म, अयन, कुटुम्ब, रविचन्द्रो, आदि । + श्रुति, श्रोत्र ।
- 3- राम, गुण, त्रिगुण, लोक, त्रिजगत्, भुवन, काल, त्रिकाल, त्रिगत, त्रिनेत्र, सहोदरा, अग्नि, वह्नि, पावक, वैश्वानर, दहन, तपन, हृताशन, ज्वलन, शिखिन, कृशानु, होतृ आदि । + त्रिपदी, अनल, तत्त्व, श्रेत, शक्ति, पुष्कर, संध्या, ब्रह्म, वर्ण, स्वर, पुरुष, अर्थ, गुप्ति ।
- 4- वेद, श्रुति, समुद्र, सागर, अग्नि, जलधि, उदधि, जलनिधि, अम्बुधि, केन्द्र, वर्ण, आश्रम युग, तुर्य, वृत्त, अय, आय, दिश, दिशा, बन्धु, कोष्ठ, वर्ण आदि । + वाङ्मि, नीरधि, नीरनिधि, वारिधि, वारिनिधि, अंबुनिधि, अम्बोधि, अर्णव, ध्यान, गति, सजा, कपाय ।
- 5- बाण, शर, मायक, इषु, भूत, पर्व, प्राण, पाण्डव, अर्थ, विषय, महाभूत, तत्त्व, इन्द्रिय, रत्न आदि । + अक्ष, वर्त्म, व्रत, समिति, कामगुण, शरीर, अनुत्तर, महाव्रत, शिवमुख ।
- 6- रस, अग, काम, ऋतु, मासार्थ, दर्शन, राग, अरि, शास्त्र, तर्क कारक, आदि । + समाप्त, लेश्या, क्षमाखंड, गुण, गुहक, गुहवक्त्र ।
- 7- नग, अग, भूभूत, पर्वत, शैल, अद्रि, गिरि, ऋषि, मुनि, अग्नि, वार, स्वर, घातु, अश्व, तुरग, वाजि, इन्द्र, धी, कलत्र आदि । + हय, भय, सागर, जलधि, लोक ।
- 8- वसु, अहि, नाग, गज, दति, दिग्गज, हस्तिन्, मातंग, कुजर, द्वीप, सर्प, तक्ष, सिद्धि, भूति, अनुष्टुभ, मगल, आदि । + नागेन्द्र, करि, मद, प्रभावक, कर्मन, धी गुण बुद्धि गुण, सिद्ध गुण ।
- 9- अक, नन्द, निधि, अह, रन्ध्र, छिद्र, द्वार, गो, पवन आदि । + खग, हरि, नारद रव, तत्त्व, ब्रह्म गुप्ति, ब्रह्मवृत्ति, प्रवेयक ।
- 10- दिश, दिशा, आधा, अगुलि, पक्ति, कुकुभ, रावणशिर, अक्षतार, कर्मन आदि । + यतिघर्म, धमणघर्म, प्राण ।
- 11- रुद्र, ईश्वर, हर, ईश, भव, भग, हूलिन, महादेव, अक्षीहिणी आदि । + शूलिन ।
- 12- रवि, सूर्य, अर्क, मार्तण्ड, द्युमणि, भानु, आदित्य, दिवाकर, भास, राशि, व्यय - आदि । + दिनकर, उष्णाशु, चत्रिन, भावना, भिक्षु प्रतिमा, यति प्रतिमा ।
- 13- विश्वदेवा., काम, अतिजगती, अघोप आदि । + विश्व, क्रिया स्थान, यक्षः ।
- 14- मनु, विद्या, इन्द्र, अक्ष, लोक आदि । + वासेव, भुवन, विश्व, रत्न, गुणस्थान पूर्व, भूतग्राम, रज्जु ।

- 15- तिथि, घर, दिन, अह्न, पक्ष आदि । + परमाधिक ।
 16- नृप, भूप, भूपति, अष्टि, कला, आदि । + इन्दुकला, शशिकला ।
 17- अत्यष्टि ।
 18- धृति, + अग्रह, पापस्यानक ।
 19- अतिधृति ।
 20- नख, कृति ।
 21- उत्कृति, प्रकृति, स्वर्ग ।
 22- कृति, जाति, + परीपह ।
 23- विकृति ।
 24- गायत्री, जिन, अहंत्, सिद्ध ।
 25- तत्त्व ।
 27- नक्षत्र, उदु, भ, इत्यादि ।
 32- दन्त, रद + रदन ।
 33- देव, अमर, त्रिदश, सुर ।
 40- नरक ।
 48- जगती ।
 49- तान, पवन ।
 + 64-स्त्री कला ।
 + 72-पुरुष कला ।


यह बात यहाँ ध्यान में रखना आवश्यक है कि एक ही शब्द कई अर्थों के पर्याय के रूप में आया है । उदाहरणार्थ—तत्त्व 3, 5, 9, 25 के लिए आ सकता है । उपयोगकर्ता और अर्थ कर्ता को उसका ठीक अर्थ अन्य सन्दर्भों से लगाना होगा ।

साहित्य में भी कवि-समय या काव्य रुढ़ि के रूप में सख्या को शब्दों द्वारा बताया जाता है । साहित्य-शास्त्र के एक ग्रन्थ से यहाँ शब्द और सख्या विषयक तालिका उद्धृत की जाती है जो 'काव्य कल्पलता वृत्ति' में दी गयी है ।

संख्या

पदार्थ

- एक- आदित्य, मेरु, चन्द्र, प्रासाद, दीपदण्ड, कलश, खग, हर नेत्र, शेष, स्वदण्ड, अगुष्ठ, हस्तिकर, नासा, वश, विनायक-दन्त, पताका, मन, शक्राश्व, अद्वैतवाद ।
 दो- भुज, दृष्टि, कर्ण, पाद, स्तन, सध्या, राम-लक्ष्मण, शृग, गजदन्त, प्रीति-रति, गंगा-गौरी, विनायक-स्कन्द पक्ष, नदीतट, रघुपुरी, खग-धारा, भरत-शत्रुघ्न, राम-सुत, रवि-चन्द्र ।
 तीन- भुवन, बलि, बह्नि, विद्या, सध्या, गज-जाति, शम्भुनेत्र, त्रिशिरा, मौलि, दशा, क्षेत्रपाल-फण, काल, मुनि, दण्ड, त्रिफला, त्रिशूल, पुरुष, पलाश-दल, कालिदास-काव्य, वेद, अवस्था, कम्बु-श्रीवारेखा, त्रिकूट-कूट, त्रिपुर, त्रियामा, यामा, यज्ञोपवीत सूत्र, प्रदक्षिणा, शुक्ति, शल्य, मुद्रा, प्रणाम, शिव, भवमार्ग, शुमेतर ।
 चार- ब्रह्मा के मुख, वेद, वर्ण, हरिभुज, सूर-गज-रद, चतुरिका स्तम्भ, सध, समुद्र, आश्रम, गो-स्तन, आश्रम कपाय, दिशाएँ, गज जाति, याम, सेना के अग, दण्ड, हस्त,





दशरथ-मुत्र, उपाध्याय, ध्यान, कथा, अभिनय, रीति, गोचरण, माल्य, संज्ञा, असुर भेद, योजनक्रोश, लोकपाल ।

पाच- स्मर, वाण, पाण्डव, इन्द्रिय, करागुलि, शम्भुमुख, महायज्ञ, विषय, व्याकरणग, व्रत-वह्नि, पाशवं, फणि फण, परमेष्ठि, महाकाव्य, स्थानक, तनु वात, मृगशिर, पचकुल, महाभूत, प्रणाम, पचोत्तर, विमान, महाव्रत, मरुत्, शस्त्र, श्रम, तारा ।

छ- रस, राग, व्रज कोण, त्रिशिरा के नेत्र, गुण, तर्क, दर्शन, गुहमुख ।

सात- विवाह, पाताल, शक्रवाह-मुख, दुर्गति, समुद्र, भय, सप्तपर्ण पर्ण ।

आठ- दिशा, देश, कुम्भपाल, कुल, पर्वत, शम्भु-मूर्ति, वसु, योगाग, व्याकरण, ब्रह्म, श्रुति ग्रहिकुल ।

नौ- सुधा-कुण्ड, जैन पद्म, रस, व्याघ्री स्तन, गुप्ति, अधिग्रह ।

दश- रावण-मुख, अगुली, यति धर्म, शम्भु, वर्ण, दिशाएँ, अगद्वार, अवस्था-दश ।

ग्यारह- रुद्र, अस्त्र, नेत्र, जिनमतोक्त अग, उपाग, ध्रुव, जिनोपासक, प्रतिमा ।

बारह- गुह के नेत्र, राशिर्षा, मास, सन्नान्तिर्षा, आदित्य, चक्र, राजा, चक्रि, सभासद् ।

तेरह- प्रथम जिन, विश्वेदेव ।

चौदह- विद्या-स्थान, स्वर, भुवन, रत्न, पुरुष, स्वप्न, जीवाजीवोपकरण, गुण, मार्ग, रज्जु, सूत्र, कुल, कर, पिण्ड, प्रकृति, स्रोतस्विनी ।

पन्द्रह- परम धार्मिक तिथिर्षा, चन्द्रकलाएँ ।

सोलह- शशिकला, विद्या देवियाँ ।

सत्रह- समय

अट्ठारह-विद्याएँ, पुराण, द्वीप, स्मृतिर्षा ।

उन्नीस- ज्ञाताध्ययन

बीस- वरशाखा, सकल जन-नख और श्रेणुलिर्षा, रावण के नग और भुजाएँ ।

शत- कमल दल, रावणांगुलि, शतमुख, जलधि-योजन, शतपत्र-पत्र, आदिम जिन-सुत, घृतराष्ट्र के पुत्र, जयमाला, मणि हार, स्रज, कीचक ।

सहस्र- ग्रहपति मुख, मगामुख, पकज-दल, रविकर, इन्द्रनेत्र, विश्वामित्राश्रम वर्ण, अर्जुन-भुज, सामवेद की शाखाएँ, पुण्य-नर-दृष्ट-चन्द्र ।¹

यहाँ तक हमने सामान्य परम्पराओं का उल्लेख किया है ।

विशेष मे ऐसी परम्पराएँ आती हैं जिनके साथ विशिष्ट भाव और धारणाएँ संयुक्त रहती हैं, इनमे कुछ आनुष्ठानिक भाव, टोना या धार्मिक संदर्भ रहता है । साथ ही अन्येतर कोई अन्य अभिप्राय भी मलग्न रहता है । इस अर्थ मे हमने 10 दाँतों ली हैं ।

(1) मगल प्रतीक मगल प्रतीक या मगनाचरण शिलानेख, लेख या ग्रन्थ लिखने से पूर्व मगल चिह्न या प्रतीक जैसे स्वस्तिक卐 या शब्द वद्ध मगल आदि अंकित करने की प्रथा प्रथम शताब्दी ई० पू० के अन्तिम चरण से और ई० प्रथम के आरम्भ से मिलने लगती है । इससे पूर्व के लेख बिना मगल-चिह्न, प्रतीक या शब्द के सीधे आरम्भ कर दिये जाते थे । मगलारम्भ के लिए सबसे पहले 'मिद्धम्', शब्द का प्रयोग हुआ, फिर इसके लिए

1. हमने यह उल्लेख प्रो० एतेश्वर बुके के 'भारतीय साहित्य' (प्रथम, 1957) में प्रकाशित (पृ० ११४-११९) लेख से ली है ।

एक चिह्न परिकल्पित हुआ **ॐ** । पहले यह चिह्न और 'सिद्ध' दोनों साथ-साथ आये

फिर अलग-अलग भी इनका प्रयोग हुआ । वस्तुतः यह चिह्न 'ओ०' **ॐ** का स्थानापन्न है । आगे चलकर 'इष्ट सिद्धम्' का उपयोग हुआ भी मिलता है, पर 'सिद्धम्' बहुत लोकप्रिय रहा ।

पाँचवीं शताब्दी ईसवी में एक और प्रतीक मंगल के लिए काम में आने लगा यह था 'स्वस्ति' । इसके साथ 'ओम्' भी लगाया जाता था, 'स्वस्ति' या 'ओम् स्वस्ति', कभी-कभी 'ओम्' के लिए '१' का प्रयोग भी कर दिया जाता था ।

'ओम्', 'ओम् स्वस्ति' या 'स्वस्ति' मात्र के साथ 'स्वस्ति श्रीमान्' भी इसी भाव से लिखा मिलता है । फिर कितने ही मंगल प्रतीक मिलते हैं, जैसे—स्वस्ति जयत्याविष्कृतम्, ओम् स्वामी महासेन ओम् स्वस्ति अमर सकाश, स्वस्ति जयत्यमल, ओम् श्री स्वामी महासेन, ओम् स्वस्ति जयत्याविष्कृतम्, ओम् स्वस्ति जयश्चाम्युदयश्च । ओम् नम शिवाय अथवा नमश्शिवाय, श्री ओम् नम शिवाय, श्री ओम् नम शिवाभ्याम्, ओम् ओम् नमो विनायकाय, ओम् नमो वराहाम, ओम् श्री आदि-वाराहाय नम, ओम् नमो देवराज-देवाय, ओम् नम सर्वज्ञाय । ये शिलालेखों आदि से प्राप्त मंगल-प्रतीक हैं । पर हस्तलेखों-पाण्डुलिपियों में हमें 'जिन' स्मरण मिलता है या अपने संप्रदाय के सस्थापक का 'ओम् निम्बार्काय या 'वाग्देवी' का स्मरण 'ओम् सरस्वत्य नम' और सामान्यतः "श्री गणेशाय नम" मिलता है । राम-सीता, कृष्ण राधा का स्मरण भी मिलता है । इस प्रकार की अनेक विधियों से पाण्डुलिपियों में मंगल शब्द मिलते हैं जिनका काल क्रम निर्धारण नहीं किया गया है, जैसा कि शिलालेखों के मंगल वाचकों का हुआ है ।

(2) नमस्कार (Invocation) — ऊपर के विवरण में हम मंगल या स्वस्ति के साथ 'नमस्कार' को भी मिला गये हैं । 'नमोकार' या 'नमस्कार' एक अन्य भावाश्रित उच्च है । इसको अंग्रेजी में डॉ. पाडेय ने INVOCATION (इनवोकेशन) का नाम दिया है । वस्तुतः जिम भांगलिक शब्द प्रतीक में 'नमो'-कार लगा हो वह इंवोकेशन या नमोकार ही है । सबसे प्राचीन नमोकार खारखेल के हाथी गुम्फा वाले अभिलेख में आता है । सीधे सादे रूप में 'नमो अहंतानाम्' एव 'नमो सर्वं सिद्धानाम्' आता है ।¹ शिलालेखों में जिमको नमस्कार किया गया है वे हैं—धर्म, इन्द्र, सकर्षण, वामुदेव, चन्द्र, मूर्य, महिमावतानाम, लोकपाल, यम, वरुण, कुबेर,

1. इस सम्बन्ध में मुनि पुण्यविजय जी का यह कथन है कि "भारतीय आर्य सङ्गति ना अनुयाइयों कोई पण कार्यनी शुरुआत काई नै कोई नानु के मोडु मगन करीने जेज करे छे व शाशवन निधमा-नुसार ग्रन्थ लेखनना आरम्भ माँ हरेक लेखकों उँ नम एँ नम , जयत्यनेकातकण्ठी एव , नमो जिनाय, नम श्री गुरुभ्य , नमो ब्रीतरागाय", ॐ नम सरस्वत्यै ॐ नम सर्वज्ञाय, नम श्री सिद्धार्थसुताय इत्यादि अनेक प्रकारना देव गुरु धर्म इष्टदेवता आदि ने लगता सामान्य के विशेष मदनसुचक नमस्कार

वासव, अर्हत, वर्द्धमान, बुद्ध, भागवत-बुद्ध, संबुद्ध, भास्कर, विष्णु, गरुड, केतु (विष्णु) शिव, पिनाकी, शूलपाणि, ब्रह्मा, आर्या वमुधारा (बौद्धदेवी) । हिन्दी पाण्डुलिपियों में यह नमोकार विविध देवी-देवताओं में सम्बन्धित तो होता ही है, सम्प्रदाय प्रवर्तक गुह्यों के लिए भी होता है ।

(3) आशीर्वाचन या मंगल कामना (Benediction) -- यों तो 'मंगल-कामना' के बीज रूप अशोक के शिलालेखों में भी मिल जाते हैं किन्तु इसी सन् की आरम्भिक शताब्दियों में मंगलकामना का रूप निखरा और यह विशेष लोकप्रिय होने लगी । वस्तुतः गुप्त काल में इसका विकास दृष्ट्या और भारतीय इतिहास के मध्ययुग में यह परिपाटी अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई ।

(4) प्रशस्ति (Laudation) -- किये गये कार्य की प्रशंसा और उसके शुभ फल का उल्लेख प्रशस्ति में होता है, इसमें शुभ कार्य के कर्ता की प्रशस्ति भी गभित रहती है । इसका बीज तो अशोक के अभिलेखों में भी मिल जाता है । इनमें नैतिक और धार्मिक कृत्यों, फलतः उनके कर्ताओं की सन्तुलित प्रशस्ति या प्रशंसा मिलती है ।

गुप्त एव वाकाटक काल में प्रशस्ति-लेखन एक नियमित कार्य बन गया और इसमें विस्तार भी आ गया, इनमें दानदाताओं की प्रशंसा के साथ उन्हें अमुक दिव्य फल की प्राप्ति होगी, यह भी उल्लेख किया गया है । आगे चल कर धर्म शास्त्रों एवं स्मृतियों के अर्थ भी पावन कार्य की प्रशंसा में उद्धृत किये गये मिलते हैं यथा

बहुभिवंसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभि ।

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ॥

अपि चर्प सहस्राणि स्वर्गं मोदेत भूमिद ।

(दामोदरपुर ताम्रपत्रानुवास्तवे)¹

विद्यापति की कीर्तिलता में यह प्रशस्ति अश इस प्रकार आया है :

गेहे गेहे कलौ काव्य, श्रोतातस्य पुरे पुरे ॥1॥

देशे देशे रमशाता, दाता जगति दुर्लभ ॥2॥²

बाद में यह परम्परा लकीर-पीटने की भाँति रह गई ।

(5) वर्जना-निन्दा-शाप (Imprecation) -- इनका अर्थ होता है किसी दुष्टत्व की अवमानना या भर्त्सना, जिसे शाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है । इसे निमी गिरालेख, अनुगासन, या प्र-य म लिखन का अभिप्राय यही होता था कि कोई उक्त दुष्टत्व न करे जिसमें वह शाप का भागी बन जाये । ऐसी निन्दा के बीज हमें अशोक अभिलेखों में भी मिलते हैं -- यथा, यह पत्थर है जो अशुभ है (एस्तु पीरस्तवे य अशु ज) । निन्दा या शाप-वाक्यों का नियमित प्रयोग चौथी शताब्दी ईसवी से होने लगा था । छठी से तेरहवी ईसवी शताब्दी के बीच यह निन्दा-परम्परा लकीर पीटने का रूप ग्रहण कर लेती है । बाद में कुछ शिलालेखों में इनके स्थान पर केवल 'गद्धे गलस'

1. Pandey, R. B. -- Indian Palaeography, p. 163

2. बहसाल, शासुदेवकरण (स) -- कीर्तिलता, पृ. 4.

अर्थात् 'गदहा शाप' गवारू गाली के रूप में लिखा गया है और एक में तो गदहे का ही रेखांकन कर दिया गया है। भारतीय मध्य-युगीन भाषाओं की वाच्य-परंपरा में मल-निंदा का भी यही स्थान है। इसके द्वारा अशोभनीय कार्य न करने की वर्जना अभिप्रेत होती है।

(6) उपसहार पुष्पिका--उपसहार या ममाग्नि की पुष्पिका में इन बातों का समावेश रहता था—

(1) रचनाकार - (कवि आदि) का नाम, लेखादि को अनुष्ठित कराने वाले या अनुष्ठाता का नाम, उत्कीर्ण कर्त्ता का नाम, दूतक का नाम।

(2) काल - रचना काल, तिथि आदि, लेखन काल, प्रतिलिपि काल।

(3) स्वस्तिवचन—यथा एक सगर-साहम प्रमथन प्रारम्भ सद्योदया 1258।

पुष्पाति श्रियमाशाशवधरणी श्री कीर्तिमिहोनुप 1259।

(4) निमित्त—

(5) समर्पण, यथा—माधुर्य-प्रभवस्यली गुण यशो-विस्तार शिक्षा मयी यावद्विषयमिदञ्च सेलतु कवेविद्याप्रतेभारती ।¹

(6) स्तुति—

(7) निंदा—

(8) राजाज्ञा — [जिसमें यह वृत्ति यो प्रस्तुत की गई]

यथा—सवत् 747 वैशाख शुक्ल तृतीया तिथी । श्री श्री जय जग
ज्योतिर्मल्ल-देव-भूपानामाज्ञया देवज्ञ-नारायण-सिंहेन
लिखितमिद पुस्तक सम्पूर्णमिति शिवम्

शुभाशुभ

भारतीय परम्परा में प्रत्येक बात के साथ शुभाशुभ किसी न किसी रूप में जुड़ा ही हुआ है। ग्रन्थ-रचना की प्रक्रिया में भी इसका योग है।

पुस्तक का परिमाण क्या हो, इस सम्बन्ध में 'योगिनी तन्त्र' में यह उल्लेख है—

मान वक्ष्ये पुस्तकस्य श्रुणु देवि समासत ।

मानेनापि फल विद्यादमाने श्रीर्हता भवेत् ।

हस्तमान पुष्टिमान मा वाहू द्वादशां गुलम् ।

दशागुल तथाष्टौ क्षततो हीन न कारयेत् ।

इसमें विधान है कि परिमाण में पुस्तक हाथ भर, मट्टी भर, बारह उगली भर, दम उँगनी भर और छाठ उँगली भर तक की हो सकती है। इसमें कम होने से 'श्री हीनता' का फल मिलता है। श्री हीन होना अशुभ है।

कैसे पत्र पर लिखा जाय ? 'योगिनी तन्त्र' में बताया है कि भूर्जपत्र, तेजपत्र, ताडपत्र, स्वर्णपत्र, ताम्रपत्र, केतकी पत्र, मातृण्ड पत्र, रौप्यपत्र, बट पत्र पर पुस्तक लिखी जा सकती है, अन्य किसी पत्र पर लिखने से दुर्गति होती है। जिन पत्रों का ऊपर उल्लेख हुआ है उन पर लिखना शुभ है, अन्य पर लिखना अशुभ है।





इसी प्रकार 'वेद' को पुस्तक रूप में लिखना निषिद्ध बताया गया है। जो व्यक्ति लिख कर वेदों का पाठ करता है उसे ब्रह्महत्या लगती है, और घर में लिखा हुआ वेद रखा हुआ हो तो उस पर बज्रपात होता है।

लेखक विराम में शुभाशुभ

भा० जै० श्र० स० म शुभाशुभ की एक और परम्परा का उल्लेख हुआ है। यदि लेखक या प्रतिलिपिकार लिखते-लिखते बीच में किसी कार्य में लेखन-विराम करना चाहता है तो उसे शुभाशुभ का ध्यान रखना चाहिये।

उसे क, ख, ग, च, छ, ज, ठ, ड, ण, थ, द, ध, न, फ, भ, म, य, र, प, स, ह, क्ष, ज्ञ पर नहीं रुकना चाहिये। इन पर रुकना अशुभ माना गया है। शेष में से किसी भी अक्षर पर रुकना शुभ है।

अशुभ अक्षरों के सम्बन्ध में अलग-अलग अक्षर की फल श्रुति भी उन्होंने दी है।

'क' कट जावे, 'ख' खा जावे, 'ग' गरम होवे, 'च' चल जावे, 'छ' छटक जावे, 'ज' जोखिम लावे, 'ठ' ठाम न बँठे, 'ड' डह जाये, 'ण' हानि करे, 'थ' धिरता या स्थिरता करे, 'द' दाम न दे, 'ध' धन छुडावे, 'न' नाश या नाठि करे, 'फ' फटवारे, 'भ' भ्रमावे, 'म' मट्टा या मन्द है, 'य' पुन न लिखे, 'र' रोवे, 'प' खिचावे, 'स' सन्देह धरे, 'ह' हीन हो, 'क्ष' क्षय करे, 'ज्ञ' ज्ञान न हो।

जिन्हें शुभ माना गया है उनकी फल-श्रुति इस प्रकार है :

'घ' घरछी लावे, 'ङ' ङट करे, 'च' टकावी (?) राखे, 'ड' डिगे नहीं, 'त' तुरन्त सावे, 'प' परमेश्वर का है, 'ब' बनिया है, 'ल' लावे, 'व' वावे (?), 'श' शान्ति करे।

इसमें मारवाड की एक और परम्परा का भी उल्लेख किया गया है कि वहाँ 'व' अक्षर आने पर ही लेखन-विराम किया जाता है और बहुत जल्दी उठना आवश्यक हुआ तो एक अन्य कागज पर 'व' लिख कर उठते हैं।

शुभाशुभ सम्बन्धी सभी बातें ग्रन्थ विश्वास मानी जायेंगी पर ग्रन्थ-रचना या ग्रन्थ लेखन या प्रतिलिपिकरण में ये परम्पराएँ मिलती हैं, अतः पाण्डुलिपि विज्ञान के जानार्थी के लिए यहाँ देदी गई हैं।

भारतीय भावधारा के अनुसार लेखन प्रक्रिया में आने वाली सभी वस्तुओं के साथ गुण-दोष या शुभ-अशुभ की मान्यता से एक टोने या अनुष्ठान की भावना गुयी रहती है। इसी प्रकार 'लेखन' के लिए जो अनिवायें उपकरण हैं उम लेखनी के साथ भी यह धार्मिक भावना हमें ग्रन्थों में वाणित मिलती है

लेखनी शुभाशुभ

लेखनी के सम्बन्ध में ये प्रचलित श्लोक 'भारतीय जन श्रमण संस्कृति में लेखन वला' में दिये गये हैं

भारतीय जन श्रमण संस्कृति में लेखन वला

श्राह्मणी श्वेतवर्णाच, रक्तवर्णाच क्षत्रिणी,
 वैश्यवी पीतवर्णाच, ग्रासुरी श्यामलेखिनी ॥1॥
 श्वेते सुख विजानीयात्, रक्ते दरिद्रता भवेत् ।
 पीते च पुष्कला लक्ष्मी, ग्रासुरी क्षयकारिणी ॥2॥
 चिताग्रे हरते पुत्रमाधोमुखी हरते धनम् ।
 वामे च हरते विद्या दक्षिणा लेखिनी लिखेत् ॥3॥
 अग्र ग्रन्थिर्हरेदायुर्मध्य ग्रन्थिर्हरेद्धनम् ।
 पृष्ठग्रन्थिर्हरेत् सवं निग्रन्थि लेखिनी लिखेत् ॥4॥
 नवागुलमिता श्रेष्ठा, अष्टौ वा यदि वाऽधिका,
 लेखिनी लेखयेन्नित्यं धन-धान्य समागम ॥5॥
 इति लेखिनी विचारः ॥¹

अष्टाह गुलप्रमाणेन, लेखिनी सुखदायिनी,
 हीनायाः हीन कर्मस्यादधिकस्याधिक फलम् ॥1॥
 आद्य ग्रन्थीर्हरेदायुर्मध्य ग्रन्थी हरेद्धनम् ।
 ग्रन्थ्य ग्रन्थीर्हरेत्सौख्यं, निग्रन्थी लेखिनी शुभा ॥²॥
 माथे ग्रन्थी मत (मति) हरे, ;
 बीच ग्रन्थि धन खाय,
 चार तसुनी लेखणे
 खलनारो कट जाय ॥³॥

इन श्लोकों से विदित होता है कि लेखनी के रंग, उससे लिखने के ढग, लेखनी में गाँठें, लेखनी की लम्बाई आदि सभी पर शुभाशुभ फल बताये गये हैं, रंग का सम्बन्ध वर्ण से जोड़ कर लेखनी को भी चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का माना गया है ।

सफेद वर्ण की लेखनी श्राह्मणी — इसका फल है सुख
 लाल वर्ण की क्षत्राणी — इसका फल है दरिद्रता
 पीले वर्ण की वैश्यवी — इसका फल है पुष्कल धन,
 श्याम वर्ण की ग्रासुरी होती है एक इसका फल होता है धन-नाश ।

किन्तु इस समस्त शुभ-अशुभ के अन्तरंग में यथार्थ अर्थ यही ⁴ कि निर्दोष लेखनी ही सर्वोत्तम होती है, उसी से लेखक को लेखन करना उचित है ।

वैसे 'लेखनी' एक सामान्य शब्द है, जिसका प्रयोग तूखिनी, शलाका, वर्णवर्तिका,⁴ वर्णिका⁵ और वर्णक⁶ सभी के लिए होता था । पत्थर और धातु पर अक्षर

1 भारतीय जैन धर्मण सहकृति शने लेखन कला, पृ० 34 ।

2 यह श्लोक स्व० चिन्मननाल द० दलाल द्वारा सम्पादित 'देव पद्धति' में भी आया है ।

3. भारतीय जैन धर्मण सहकृति शने लेखन कला, पृ० 34 ।

4. ब्रह्मकुमार चरित में ।

5. कोशों में ।

6. अक्षर-विस्तर में ।

उत्कीर्ण करने वाली शलाका भी लेखनी है। चित्रावन करने वाली मूंची तूलिका भी लेखनी है, अतः लेखनी का अर्थ बहुत व्यापक है। लेखन के अर्थ उपकरणों के नाम ऊपर दिये जा चुके हैं। बूह्लरन बताया है कि 'The general name of 'an instrument for writing' is lekhani, which of course includes the stilus, pencils, brushes, reed and wooden pens and is found already in the epics'¹

नरसल या नेत्रे की लेखनी का प्रयोग विशेष रहा। इसे 'कलम' कहा जाता है।² इसके लिए भारतीय नाम है इपीना या ईपिना जिसका शब्दार्थ है नरसल (reed)।

डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द भोभा जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में कलम शीर्षक से यह सूचना दी है कि

'विद्यार्थी लोग प्राचीन काल से ही लकड़ी के पाटो पर लकड़ी की गोल तीखे मुख की कलम (वर्णक) से लिखते चले आते हैं। स्याही से पुस्तकें लिखने के लिए नड (बह) या बाँस की कलमें (लेखनी) काम में आती हैं। अजता की गुफामो में जो रंगों से लेख लिखे गये हैं वे महीन बाला की कलमों (वर्तिका) से लिखे गये होंगे। दक्षिणी शैली के ताडपत्रों के अक्षर कुचरने के लिए सोहे की तीखे गोल मुख की कलम (शलाका) अब तक काम में आती है। कौई-कौई ज्योतिषी जन्मपत्र और वर्णकल के तरहों के लम्बे हाशिये तथा आधी लकीरें बनाने में सोहे की कलम को अब तक काम में लाते हैं, जिसका ऊपर का भाग गोल और नीचे का स्याही के परवार जैसा होता है।³

पाश्चात्य जगत् में एक ओर तो पत्थरों और शिलाओं में उत्कीर्ण करने के लिए छिनी (Chisel) को आवश्यक माना गया है, वहीं लेखनी के लिए पक्ष (पर या पक्ष), नरसल या धातु शलाका का भी उल्लेख मिलता है। पाश्चात्य जगत् में पक्ष की लेखनी का प्राचीनतम उल्लेख 7 वीं शती ई० में मिलता है।⁴

कोडंबस भाषुनिक पुस्तक का पूर्वज है। यह एक प्रकार से दो या अधिकाधिक पाठियों से बनती थी। ये पाठ्य पाठियाँ एक छोर पर छोटे म से लोह-धतु से जुड़ी रहती थी। इन पर मोम बिछा रहता था। इस पर एक धातु शलाका से खुरच कर या कुरेद (उकेर) कर अक्षर लिखे जाते थे।

One wrote or scratched (which is the original meaning of the word) with a sharply pointed instrument, the stylus which had at the other end a flat little spatula for erasing like the eraser at the end of the modern pencil'⁵

यह स्टाइलस भोभा जी की बताई शलाका जैसी ही विदित होती है। इसी से मोमपाटी पर अक्षर उत्कीर्ण किये जाते थे।

1 Buhler G — Indian Palaeography p 147

2 वही 147।

3 भारतीय प्राचीन लिपिमाला पृ० 157।

4 Encyclopaedia Americana (Vol 18) p 241

5 Op cit (Vol 4) p 225

स्याही

श्री गोपाल नारायण बहुरा के शब्दों में 'स्याही' विषयक चर्चा की भूमिका यों दी जा सकती है—

यों तो ग्रन्थ लिखने के लिए कई प्रकार की स्याहियों का प्रयोग दृष्टिगत होता है परन्तु सामान्य रूप से लेखन के लिए काली स्याही ही 'सार्वत्रिक' रूप में काम में लाई गई है। काली स्याही को प्राचीनतम संस्कृत में 'मपी' या 'मसि' शब्द से व्यक्त किया गया है। इसका प्रयोग बहुत पहले से ही शुरू हो गया था।

जनों की मान्यता है कि कश्यप ऋषि के वंशज राजा इक्ष्वाकु के कुल में नाभि नामक राजा हुआ। उसकी रानी मरुदेवी से ऋषभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह ऋषभ ही नाभेय ऋषभदेव नाम से जनों में आदि तीर्थंकर माने जाते हैं। कहते हैं कि आदिनाथ ऋषभदेव से पूर्व पृथ्वी पर चर्पा नहीं होती थी, अग्नि की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, कोई कंटीला वृक्ष नहीं था और ससार में विद्या तथा चतुराईयुक्त व्यवसायों का नाम भी नहीं था। ऋषभ ने मनुष्यों को तीन प्रकार के कर्म सिखाये—1. असिक्कर्म अर्थात् युद्ध विद्या, 2. मसिक्कर्म अर्थात् स्याही का प्रयोग करके लिखने पढ़ने की विद्या, और 3. वृषि कर्म अर्थात् खेती बाड़ी का काम। इसे चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का ही रूप माना जा सकता है। अन्तिम तीर्थंकर महावीर का निर्वाण विघ्नम सवत् से 470 वर्ष पूर्व और ईसा से 526 वर्ष पूर्व माना गया है। कहते हैं कि इससे 3 वर्ष आठ मास और दो सप्ताह बाद पाँचवें धारे का धारम्भ हुआ है जो 21 हजार वर्ष तक चलेगा। इससे मपी कर्म के धारम्भ का अनुमान लगाया जा सकता है।

'मसि, मशि या मपी का अर्थ कज्जल है। 'मपी कज्जलम्', 'मेला मपी पत्राजन च स्यान्मसिद्धयोरिम त्रिणाण्डशेष'। काली स्याही के निर्माण में भी कज्जल ही प्रमुख वस्तु है। इसीलिये स्याही के लिए भी मपी शब्द प्रयुक्त हुआ है। काली स्याही बनाने के कई नुस्खे मिलते हैं। उनमें कज्जल का प्रयोग सर्वत्र दिखाई देता है। एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिये कि ताडपत्र और कागज पर लिखने की काली स्याहियाँ बनाने के प्रकारों में भी अन्तर है। ताडपत्र वास्तव में काष्ठ जाति का होता है और कागज की बनावट इसमें भिन्न होती है। इसीलिए इन पर लिखने की स्याही के निर्माण में भी यत्किञ्चित् भिन्नता है।

स्याही बनाने में कज्जल और जल के अतिरिक्त अन्य उपकरणों का मिश्रण करने की कल्पना बाद की होगी। प्राचीन उल्लेखों में केवल जल और कज्जल के ही मन्दर्भ मिलते हैं। यह भी हो सकता है कि इन दोनों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की गणना रही हो। पुष्पदन्त विरचित महिम्न स्तोत्र के एक श्लोक में स्याही, कलम, दवात और पत्र का मन्दर्भ है—

असितगिरिसम स्यात् कज्जल सिन्धुपात्रे
सुरसचवरपाशा सेखनी पत्रमुर्वी ।
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्पकास
तद्यपि तत्र गुणानमोश पारं न याति ॥

अर्थात् श्वेतगिरि (हिमालय) जितना बड़ा डेर कज्जल का हो, जिसे समुद्र जितने बड़े पानी से भरे पात्र (दवात) में धोला जाय, देव वृक्ष (कल्प वृक्ष) की शाखाओं से लेखनी बनाई जाय (जो कभी समाप्त न हो) और समस्त पृथ्वी को पत्र (कागज) बनाकर शारदा (स्वयं सरस्वती) लिखने बैठे और निरन्तर लिखती रहे तो भी हे ईश ! तुम्हारे गुणों का पार नहीं है ।

महिम्न स्तोत्र का रचनाकाल 9 वीं शताब्दी से पूर्व का माना गया है किन्तु उक्त श्लोक को प्रशिष्ट मानकर कहा गया है कि मूल स्तोत्र के तो 31 ही श्लोक हैं जो अमरेश्वर के मन्दिर में उत्कीर्ण पाये गये हैं । 15 श्लोक बाद में स्तोत्र पाठको द्वारा जोड़ लिये गये हैं ।¹

परन्तु यह निश्चित है कि विस्तृत पत्र और स्याही आदि लेखन के आवश्यक उपकरणों के व्यापक प्रयोग के प्रमाण 8वीं शताब्दी के साहित्य में भी उपलब्ध होते हैं—सुबन्धु कृत 'वासवदत्ता' कथा में भी एक ऐसा ही उद्धरण मिलता है —

'स्वकृते यानया वेदानुभूता सा यदि नम पत्रायते सागरो लोलापते ब्रह्मा लिपिकरायते भुजगपतिर्वाक्यकथक तदा किमपि कथमप्येकेकेषु गसहस्रैरभि लिख्यते कथ्यते वा ।'²

अर्थात् आपके लिए इसने जिस वेदना का अनुभव किया है उसको यदि स्वयं ब्रह्मा लिखने बैठे, लिपिकार बने, भुजगपति शेषनाग बोलने वाला हो (साप की जीभ जल्दी चलती है) और लिखने वाला इतनी जल्दी-जल्दी लिखे कि कलम डुबाने से सागर रूपी दवात में हलचल मच जाय तो भी कोई एक हजार युग में थोड़ा बहुत ही लिखा जा सकता है ।

1. पाश्चात्य जगत् में हमें प्राचीनतम स्याही काली ही विदित होती है । सातवीं शती ईस्वी से काली स्याही के लेख मिल जाते हैं । यह स्याही दीपक के काजल या धुँये से तो बनती ही थी, हाथी-दाँत को जलाकर भी बनायी जाती थी । कोपला भी काम में आता था ।³ बहुत समयमाती लाल स्याही का उपयोग भी होता था, विशेषतः आरम्भिक अक्षरों के लेखन में तथा प्रथम पंक्ति भी प्रायः लाल स्याही से होती थी । नीली स्याही का भी नितांत प्रभाव नहीं था । हरी और पीली स्याही का उपयोग जब कभी ही होता था । सोने और चाँदी से भी पुस्तकें लिखी जाती थी ।

भारत में हस्तलेखों की स्याही⁴ का रंग बहुत पक्का बनाया जाता था । यही कारण है कि वैसे पक्की स्याही से लिखे ग्रन्थों के लेखन में चमक अब तक बनी हुई है । विविध प्रकार की स्याही बनाने के नुस्खे विविध ग्रन्थों में दिये हुए हैं । वैसे कच्ची

1 Brown, W Norman—The Mahimastava (Introduction), p 4 6

2 शुक्ल, जयदेव (स) —वासवदत्ता कथा, पृ 39 ।

3. The Encyclopaedia Americana (Vol 18), p. 241

4 भारत में स्याही का पर्यायवाची मयी या मयी था । प्राचीन काल में इही का उपयोग होता था । ई० पू० के ग्रन्थ 'पृष्ट सूत्र' में यह शब्द आया है । 'मयी' का अर्थ डॉ० राजवती पांडेय ने बताया है—मसलकर बनायी हुई । अन्तर में इसका अर्थ चूर्ण या पाउडर बताया है । स्याही के लिए एक दूसरा शब्द भी प्राचीन काल में कहीं-कहीं प्रयोग में आता था । अन्तर में 'मैना' की व्युत्पत्ति 'मैना' से मानी है । मैना = dirty black गंदा या काला । डॉ० पांडेय ने ठीक बताया है कि यह

स्याही भी बनाई जाती रही है। पक्की और कच्ची स्याही के अन्तर का एक रोचक ऐतिहासिक कथाश 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला' में डॉ० श्रीभा ने दिया है। यह वृत्त द्वितीय राजतरंगिणी के कर्ता जोनराज द्वारा दिया गया है और उनके अपने ही एक मुकुटमे से सम्बन्धित है।

जोनराज के दादा ने एक प्रस्थ भूमि किसी को बेची। उनकी मृत्यु हो जाने पर खरीदने वाले ने जाल रचा। बेनामे में था—'भूप्रस्थमेक विश्रीतम्'। खरीदने वाले ने उसे 'भूप्रस्थ दशक विश्रीतम्' कर दिया। जोनराज ने यह मामला राजा जैनोल्लामदीन के समक्ष रखा। उसने उस भूज-पत्र को पानी में डाल दिया। फल यह हुआ कि नये अक्षर धुल गए और पुराने उभर आये, जोनराज जीत गए। "(जोनराज कृत राजतरंगिणी श्लोक 1025-37)।" प्रतीत होता है कि नये अक्षर कच्ची स्याही से लिखे गये थे, पहले अक्षर पक्की स्याही के थे। भोजपत्र को पानी में धोने से पक्की स्याही नहीं धुलती, वरन् और अधिक चमक उठती है। कच्ची-पक्की स्याहियों के भी कई नुस्खे मिलते हैं :

'भारतीय जैन श्रमण संस्कृति अने लेखन कला' में बताया है कि पहले ताड़-पत्र पर लिखा जाता था। तीन-चार सौ वर्ष पूर्व ताड़-पत्र पर लिखने की स्याही का उल्लेख मिलता है। ये स्याहियाँ कई प्रकार से बनती थी—'भारतीय जैन श्रमण संस्कृति अने लेखन कला' में ये नुस्खे दिये हुए हैं जो इस प्रकार हैं :

प्रथम प्रकार :

सहवर-भृग त्रिफल., कासीस लोहमेव नीली च,
समकज्जल-बोलयुता, भवति मपी ताडपत्राणाम् ॥

व्याख्या—सहवरेति बाटासे हरी घो (घेमासो) भृगेति भागुरघो। त्रिफला प्रसिद्धेव। कासीसमिति करीसम्, येन काष्ठादि रज्यते। लोहमिति लोहचूर्णम्। नीलीति गलीनिष्पादको वृक्षः तैद्वरस। रस विना सर्वेषामुत्कल्प व्वाथ क्रियते, स च रसोऽपि समवतित कज्जल-बोलयोर्मध्ये निक्षिप्यते, ततस्ताडपत्रमपी भवतीति। यह स्याही साम्बे की कड़ाही में खूब घोंटी जानी चाहिए।²

दूसरा प्रकार :

काजल पा (पो) एण बोल (बीजा बोल), भूमिलया या जल मोगरा (?) थोडा पारा, इन्हें ऊष्ण जल में मिला कर ताँबे की कड़ाई में डाल कर सात दिन ऐसा घोंटें कि सब एक हो जाय। तब इसकी बड़ियाँ बना कर सुखा लें। स्याही की आवश्यकता पड़ने पर इन बड़ियों को आवश्यकतानुसार गर्म पानी में खूब मसल कर स्याही बना लें। इस स्याही से लिखे अक्षर रात में भी दिन की भाँति ही पढ़े जा सकते हैं।

शब्द 'मैला' नहीं 'मैसा' ही है जो मैल से बना है। स्याही में विविध वस्तुओं का मैल होता है। स्याही—स्याहकाला से व्युत्पन्न है, पर इसका अर्थ-विस्तार हो गया है।

—कूलर, पृ० 146 तथा डॉ० राजदली पाठेय, पृ० 84.

निजार्कथ और वपू० कदियस जैसे यूनानी लेखकों की साक्षियों से यह सिद्ध है कि भारतीय कागज और रूपड़े पर स्याही से ही लिखते थे। यह साक्षी 4वीं शती ई० पू० की है।

1. भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ० 155 (पाठ टिप्पणी)।
2. भारतीय जैन श्रमण संस्कृति अने लेखन कला, पृ० 38।

सोसरा प्रकार :

कोरडए वि सरावे, धंगुलिघा कोरडम्मि कज्जलए ।
मद्दह सरावलगं, जावें चिय चि (वक) गं मुग्गइ ।
पिच्चुमेद गुंदलेसं, खापर गुंदं व बीयजलमिस्सं ।
भिज्जवि तोएण दढ, मद्दह जातं जलं मुसइ ।

अर्थात् नये काजल को सरवे (सकोरे) में रसकर जैंगलियों से उसे इतना मलें या रगड़ें कि सरवे से लगकर उसका विकनापन छूट जाय । तब नीम के गोंद या खैर के गोंद और वियाजल के मिश्रण में उक्त काजल को मिलाकर इतना घोटें कि पानी सुख जाये फिर बड़ियां बनालें ।

घोषा प्रकार :

निर्यासात् पिच्चुमंद जात् द्विगुणितो बोलस्ततः कज्जलं,
संजातं तिलतैलतो हृतवहे तीव्रातपे मंदितम् ।
पात्रे शूत्वमये तथा शन (?) जलैर्लाक्ष रसेर्भावितः,
सद्भल्लातक-मृगराजरसयुतो सम्यग् रसोऽयं मयी ।¹

अर्थात् नीम का गोंद, उससे दुगुना बीजाबोल, उससे दुगुना तिलों के तेल का काजल ले । तबि की कढाही में तेज घाँच पर इन्हें सूव घोंट और उसमें जल तथा भ्रलता (लासारम) की थोड़ा-थोड़ा करके सौ भावनाएँ दें और अच्छी स्याही बनाने के लिए इसमें घोषा हुआ मिलावा तथा भाँगरे का रस डालें ।²

पाँचवां प्रकार :

पाँचवें प्रकार की स्याही का उपयोग ब्रह्म देश, कर्नाटक प्रादि देशों में ताड़-पत्र पर लिखने में होता था ।

ऊपर के सभी प्रकार ताड़-पत्र पर लिखने की स्याही के हैं ।³

1. भारतीय जैन धम्म सस्कृति बने लेखन कला, पृ० 38-40.
2. श्लोक में तो यह नहीं बताया गया है कि उक्त मिश्रण को कितनी देर पोखना चाहिए परन्तु अथुर में कुछ परिवार स्याही बाने ही कहनाते हैं । विपोनिया के बाहर ही उनकी प्रसिद्ध दुकान थी । वहाँ एक कारखाने के रूप में स्याही बनाने का कार्य चलता था । महापत्रा के पोषीखाने में भी 'सरबपाकार' स्याही तैयार किया करते थे । इन लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि स्याही की थुटाई कम से कम आठ पहर होनी चाहिए । मात्रा अधिक होने पर अधिक समय तक घोटना चाहिए ।
3. —गोपालनाथपण बहुरा
वहने कह चुके हैं कि ताड़पत्र पर स्याही से कलम द्वारा भी लिखते हैं और लोहे की नोकदार कुतरम्पी से अक्षर कुदेदे भी जा सकते हैं । लिखने के लिए तो ऊपर लिखी विधियों से बनाई हुई स्याहियाँ ही काम में आनी हैं परन्तु कुदेदे हुए अक्षरों पर काला धूँगं पोत कर बपड़े से साफ करते हैं । इससे वह धूँगं कुदेदे हुए अक्षरों में भरा रह आता है और पत्र के समतल भाग से कज्जल या काला धूँगं अगमारित हो जाता है । फिर अक्षर स्पष्ट पढ़ने में आ जाते हैं । समय बीतने पर यदि अक्षर पीके पड़ जावें तो यह विधि दोहरा दी जाने पर पुनः अक्षर स्पष्ट हो जाते हैं ।
मयी-धूँगं बनाने के लिए नारियल की जटा या कंचुन तथा बायाम आदि के छिनके बनाकर पीन लिए जाते हैं ।

इस प्रकार कागज-कपड़े पर लिखने की स्याही बनाने की भी कई विधियाँ हैं :

पहली विधि :

जितना काजल उतना बोल, ते धी दूणा मूद भकोल,
जे रस भागरानो पड़े, तो अक्षरे अक्षरे दीवा जले ।

दूसरी विधि :

मध्यधे क्षिप सद्गुन्द गुन्दाधे बोलमेव च,
लाक्षावीयारसेनोर्चं मर्दयेत् ताम्रभाजने ।

तीसरी विधि :

बीघा बोल अनइल करवा रस, कज्जल बज्जल (?) नइ अवारस ।
'भोजराज' मिसी नियाद, पान ओ फाटई मिसी नवि जाई ।

चौथी विधि

लाख टांकू बीस मेल, स्वाग टाक पाच मल
नोर टाक दो सो लेई, हाडी मे चडाइअे,
ज्यो लो भाग दीजे त्यो लो आर खार सब लीजे ।
लोदर खार बालबाल पीस के रखाइय
मीठा तेल दीय जल, काजल सो ले उतार
नोकी विधि पिछानी के ऐसे ही बनाइये
चाइक चतुर नर लिखके अनूप ग्रन्थ
बाच बाच बाच रोभ रोभ मौज पाइये । मसी विधि ।

पाँचवीं विधि :

स्याही पक्की करण विधि —लाख चोली अथवा चीपडी लीजे पईसा 6, सेर तीन पानी मे डालें, सुबागो (सुहागा) पैसा 2 डालें, लोध 3 पैसा भर डालें । पानी तीन पाव रह जाये तो उतार लें । बाद मे काजल 1 पैसा भर डालकर घोट-घोट कर मुखा लें । आवश्यकतानुसार इसमे से लेकर शीतल जल मे भिगो दें तो पक्की स्याही तैयार हो जाती है ।

छठी विधि :

काजल छह टक, बीजाबोल टक 12, बेर का मोद 36 टक, अफीम टक 1/2, धलता पोयी टक 3, फिटकरी कच्ची टक 1/2, नीम के घोट से ताम्बे के पात्र मे सात दिन तक घोट ।

स्याही के ये नुस्खे मुनि श्री पुण्यविजयजी ने यहाँ-वहाँ से लेकर दिये हैं । उनका अभिमत है कि पहली विधि से बननी स्याही थोष्ट है । अन्य स्याही पक्की तो हैं, पर कागज-

कपड़े को क्षति पहुँचाती है। लकड़ी की पाटी (पट्टी) पर लिखने के लिए ठीक है।¹

राजस्थान में उपयोग आने वाली स्याही के बनाने की विधि भोभाजी ने इस प्रकार बताया है :

‘पक्की स्याही बनाने के लिए पीपल की लाख को जो ग्रन्थ वृक्षों की लाख से उत्तम समझी जाती है, पीस कर मिट्टी को हँडिया में रखे हुए जल में डालकर उसे भाग पर चढाते हैं। फिर उसमें मुहागा और लोध पीस कर डालते हैं। उबलते-उबलते जब सारा का रस पानी में यहाँ तक मिल जाता है कि कागज पर उससे गहरी लाल लकीर बनने लगती है तब उसे उतार कर छान लेते हैं। उसको अलता (अलकतक) कहते हैं, फिर तिलो के तेल के दीपक के काजल को महीन कपड़े की पोटली में रखकर अलते में उसे फिराते जाते हैं जब तक कि उससे सुन्दर काले अक्षर बनने न लग जायें। फिर उसको दवात (मसीभाजन) में भर लेते हैं। राजपूताने के पुस्तक लेखक अब भी इसी तरह पक्की स्याही बनाते हैं।’²

भोभाजी ने कच्ची स्याही के सम्बन्ध में लिखा है कि यह कज्जल, कत्था, बीजाबोर और गोद को मिला कर बनाई जाती है। परन्तु पत्रों पर जल गिरने से यह स्याही फैल जाती है और चौमासे में पन्ने बिपक जाते हैं।³ अतः ग्रन्थ लेखन के लिए अनुपयोगी है।

आपने भोज-पत्र पर लिखने की स्याही के सम्बन्ध में लिखा है कि ‘बादाम के छिलकों के कोयलों को गोमूत्र में उवाल कर यह स्याही बनायी जाती थी।’⁴ यही बात डॉ० राजबली पाण्डेय ने लिखी है

In Kashmir, for writing on birch-bark, ink was manufactured out of charcoal made from almonds and boiled in cow's urine. Ink so prepared was absolutely free from damage when MSS were periodically washed in water-tubes.⁵

कुछ सावधानियाँ

मूलतः कज्जल, बीजाबोल समान मात्रा में और इनसे दो गुनी मात्रा में गोंद को पानी में घोल कर नीम के फोंटे से ताम्र-पात्र में छुटाई करना ही कागज और कपड़े पर

1 इसी बात को और स्पष्ट करत हुए मुनिजी ने बताया है कि ‘त्रिस स्याही में साव (साधारण), कत्था, लोध पत्रा ही, यह कपड़ा कागज पर लिखने के काम की नहीं है। इसके कपड़े एक कागज तम्बाकू के पत्ते जैसे हो जाते हैं। — भारतीय जैन भ्रमण संहिता अने मेखन कथा, पृ० ४२।

मुनि पुष्पविजयजी ने काली स्याही सम्बन्धी खास सूचनाओं में ये बातें बताई हैं कज्जलमत्र तिलनेलत सडात प्राहम। २. गुन्दोज्ज निम्बसक्तः खदिरसक्तो वद्वसक्तो वा घ्राहः। घवसक्तस्तु सर्वथा स्याज्य मर्गो विनाशको ह्ययम् (घो का गोद नहीं डालना चाहिए)।

2 भारतीय प्राचीन लिपिमाता, पृ० 155।

3 वही, पृ० 155।

4 मूलतः ये सूचना दो हैं (कामोद रिपोर्ट, 30) कि गरु वेपर्स आदि (18 F) के रात्रेष्टताय मित्र ने टिप्पणियों में स्याही बनाने के भारतीय मुक्तों दिये हैं। —पृ० 146, पाद टिप्पणी, पृ० 537

5 - Pandey, R. B — Indian Palaeography, p 85.

6 श्री गोदान नारायण बहुरा की टिप्पणी।

लिखने की स्याही बनाने की उपयोगी विधि है, ग्रन्थ रसायनो को मिलाने से वे उसको खा जाते हैं और मल्ल्यायु बना देते हैं जैसे — भांगरा डालने से अक्षरो में चमक तो आती है परन्तु आगे चल कर कागज काला पड़ जाता है। इसी तरह साक्षारस, स्वाग या धार आदि भी हानिकारक है। बीभारस बीभा नामक वनस्पति की छाल का चूर्ण बना कर पानी में भोटाने से तैयार होता है। इसको इसलिए मिलाया जाता है कि स्याही गहरी काली हो जाती है। परन्तु यदि आवश्यकता से अधिक बीभारस पड़ जाय तो वह गोद के प्रभाव को कम कर देता है और ऐसी स्याही के लिखे अक्षर सूखने के बाद उखड़ जाते हैं। साक्षारस इस कारण डाला जाता है कि इससे स्याही कागज में फूटती नहीं है। खीलते हुए साफ पानी में जरा-जरा सा लाख का घूण इस तरह से डाल कर हिलाया जाता है कि वह उसमें अच्छी तरह घुलता जाय, उसकी लुगदी न बनने पावे। बार-बार किसी सीक या फरडे को उसमें डुबो कर कागज पर लकीर खींचते हैं। शुरू में जब तक साख पानी में एकरस नहीं होती तब तक वह पानी कागज में फूटता है पर जब अच्छी तरह लाख के रेशे उसमें एकाकार हो जाते हैं तो वह रस कागज पर जम जाता है। इसकी मात्रा में भी यदि कमीवैशी हो जाय तो स्याही अच्छी नहीं बनती।

स्याही : विधि निषेध

स्याही बनाने के सम्बन्ध में कुछ विधि निषेध भी हैं—यथा—कज्जल बनाने के लिए तिल के तेल का दिया ही जलाना चाहिए। किसी ग्रन्थ प्रकार के तेल से बनाया हुआ काजल उपयोगी नहीं होता। गोद भी नीम, खैर या बबूल ही का लेना चाहिए। इसमें भी नीम सर्वश्रेष्ठ है। धोक (धब) का गाद स्याही को नष्ट करने वाला होता है। स्याही में रोगणी नामक पदार्थ, जिसे मराठी में 'डीली' कहते हैं, डालने से उसमें चमक आ जाती है और मखियाँ पास नहीं आती। जिस स्याही में लाख, कत्या और लोहकीट का प्रयोग किया जाता है उसे टाड़-पत्र आदि पर ही लिखने के काम में लेना चाहिए, कागज और कपड़े पर इसका प्रभाव विपरीत पड़ता है। वह कागज आगे चल कर क्षीण हो जाता है—प्रति लाल पड़ जाती है और पत्र तडकने लगते हैं। बीभारस की मात्रा अधिक हो जाने से गोद की चिकनाहट नष्ट हो जाती है और ऐसी स्याही से लिखे पत्रों की रगड़ से अक्षर घुलमिल जाते हैं और प्रति काली पड़ जाती है।

जब किसी सग्रह के ग्रन्थों को देखते हैं तो विभिन्न प्रतियाँ विभिन्न दशा में मिलती हैं। कोई कोई ग्रन्थ तो कई शताब्दी पुराना होने पर भी बहुत स्वस्थ और ताजी अवस्था में मिलता है। उसका कागज भी अच्छी हालत में होता है और स्याही भी जैसी की तैसी चमकती हुई मिलती है, परन्तु कई ग्रन्थ बाद की शताब्दियों में लिखे होने पर भी उनके पत्र तडकने वाले हो जाते हैं और अक्षर रगड़ से विकृत पाये जाते हैं। कितनी ही प्रतियाँ ऐसी मिलती हैं कि उनका कुछ भाग काला पड़ा हुआ हाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वर्षों के बाद कभी-कभी धूप में रखते समय जिन पत्रों को समान रूप से ऊष्मा नहीं पहुँचती अथवा आवश्यकता से अधिक समय तक धूप में रह जाते हैं उनके कुछ हिस्सों की सफेदी उड़ जाती है। कुछ लेखक तो स्याही में चिपटा डाल देते हैं (कभी कभी सर्पाकार) जिससे वह अधिक गाढ़ी या पतली न हो जाय। परन्तु कुछ लेखक लोहे के टुकड़े या कीलें दवात में रख देते हैं। अथवा दशा में ऐसा होता है कि उस लोहे का काट हिलाने पर स्याही में मिल जाता

है और तत्काल उससे लिखी हुई पंक्तियाँ काली पड़ जाती हैं या पत्र का वह भाग छिक जाता है, अतः एक ही पत्र में विभिन्न पंक्तियाँ विभिन्न प्रकार की देखने में आती हैं। प्रतियों की यह खराबियाँ सक्रामक भी होती हैं। कई बार हम देखते हैं कि किसी प्रति के अग्र अक्षर अक्षर पत्र के अतिरिक्त शेष पत्र स्वस्थ दशा में होने हैं। इसका कारण यह होता है कि वस्ते में जब कई प्रतियाँ बाँधी जाती हैं तो उस प्रति के ऊपर नीचे कोई छण प्रतियाँ रख दी जाती हैं जिनकी स्याही व कागज की विकृति बीच की प्रति के ऊपर-नीचे के पत्रों में पहुँच जाती है। इसीलिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक एक प्रति को दूसरी से पृथक् रखना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक प्रति को एक स्वच्छ और सूखे सफेद कागज में लपेटना चाहिए (अखबारी कागज में कभी नहीं) और फिर उसको कार्डबोर्ड के दो समाकृति के टुकड़ों के बीच में रखकर बाँधित करना चाहिए जिससे न तो कार्डबोर्ड का अक्षर प्रति पर पड़ सके और न अन्य प्रति का रोग ही उसमें पहुँच सके।

रंगीन स्याही

रंगीन स्याहियों का उपयोग भी ग्रन्थ लेखन में प्राचीन काल से ही होता रहा है। इसमें लाल स्याही का उपयोग बहुधा हुआ है। लाल स्याही के दो प्रकार थे—एक अक्षरों की, दूसरी हिंगली की। डॉ. पाण्डेय ने बताया है कि—“Red ink was mostly used in the MSS for marking the medial signs and margins on the right and the left sides of the text, sometimes the endings of the chapters, stops and the phrases like 'so and so said thus' were written with red ink”²

श्रीभाजी इनसे पूर्व यह बता चुके हैं कि 'हस्तलिखित वेद' के पुस्तकों में स्वरों के चिह्न, और सब पुस्तकों के पत्रों पर की दाहिनी और बायीं ओर की हाशिये की दो-दो खड़ी लकीरें अक्षरों या हिंगली से बनी हुई होती हैं। कभी-कभी अर्धवृत्त की समाप्ति का अक्षर 'भगवानुवाच', 'ऋषिवाच' आदि वाक्य तथा विरामसूचक खड़ी लकीरें लाल स्याही से बनाई जाती हैं। ज्योतिषी लोग जन्म-पत्र तथा वर्षफल के लम्बे-लम्बे खरडों में खड़े हाशिये, आड़ी लकीरें तथा भिन्न-भिन्न प्रकार की कुण्डलियाँ लाल स्याही से ही बनाते हैं।³ फलतः लाली के बाद लाल स्याही का ही स्थान आता है।⁴

पाश्चात्य जगत् में भी लाल स्याही का कुछ ऐसा ही उपयोग होता था। अक्षरों की लाल स्याही का उपयोग पाश्चात्य जगत् में पुराने ग्रन्थों में सौन्दर्यवर्द्धन के लिए होता था। हमें अक्षर-अक्षर तथा प्रथम पंक्तियाँ और शीर्षक लिखे जाते थे, इसी से वे 'रुबेरिक्स' कहलाते थे और लेखक कहलाता था 'द्रीकेटर'। इसी का हिन्दोस्तानी में अर्थ है 'मुखौं'। जिसका अर्थ लाल भी होता है और शीर्षक भी। उधर भारत में लाल के बाद

1. हिंगली का मुद्र करके लाल स्याही बनाने की अच्छी विधि का जे. ए. ए. अने मेसन कला में पृ. 45 पर दी हुई है।

2. Pandey, Rajbali—Indian Palaeography, p. 85.

3. भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ. 156।

4. "—of coloured varieties red was the most common ..."

नीली स्याही का भी प्रचलन हुआ, हरी और पीली भी उपयोग में लाई गई। हरी तथा पीली स्याही का भी उपयोग हुआ पर अधिकांशतः जैन ग्रन्थों में।

श्रीभ्राजी ने बताया है कि सूखे हरे रंग को गोद के पानी में धोल कर हरी जगली और हरिताल¹ से पीली स्याही भी लेखक लोग बनाते हैं।²

सुनहरो एवं रूपहरी स्याही

सोने और चाँदी की स्याही का उपयोग भी पाश्चात्य देशों में तथा भारत में भी हुआ है। साहित्य में भी प्राचीन काल में उल्लेख मिलते हैं। सोने-चाँदी में लिखे ग्रन्थ भी मिलते हैं। राजे महाराजे और धनी लोग ही ऐसी कौमती स्याही की पुस्तकें लिखवा सकते थे। ये स्याहियाँ सोने और चाँदी के बरक से बनती थी। बरक को खरल में डाल कर धव के गाद के पानी के साथ खरल में खूब घोटते थे। इससे बरक का चूर्ण तैयार हो जाता था। फिर साकर (शकर) का पानी डाल कर उस खूब हिलाते थे। चूर्ण के नीचे बैठ जाने पर पानी निकाल देते थे। इसी प्रकार तीन-चार बार धो देने से गोद निकल जाता था। अब जो शेष रह जाता था वह स्याही थी।³

सोने और चाँदी की स्याही से लिखित प्राचीन ग्रन्थ नहीं मिलते। श्रीभ्राजी ने अजमेर के कल्याणमल ढड्डा के कुछ ग्रन्थ देखे थे, ये अधिक प्राचीन नहीं थे। हा, चाँदी की स्याही में लिखा यन्त्रावचूरि ग्रन्थ 15 वीं शती का उन्हें विदित हुआ था।

भारतीय जैन धर्मण सस्कृति अने लेखन, कला में अनुष्ठानादि के लिए जन्म-मन्त्र लिखने के लिए अष्ट गन्ध एवं यक्ष कर्दम का और उल्लेख किया गया है। अष्ट गन्ध दो प्रकार से बनायी जाती है

एक 1 अमर, 2 तगर, 3 गोरोचन, 4 कस्तूरी, 5 रक्त चन्दन, 6 चन्दन, 7 सिन्दूर, और 8 केसर को मिला कर बनाते हैं।

दो 1 कपूर, 2 कस्तूरी, 3 गोरोचन, 4 सिंदरफ, 5 केसर, 6 चन्दन, 7 अमर, एवं 8 गेहूँला—इससे मिला कर बनाते हैं।

यक्ष कर्दम में 11 वस्तुएँ मिलाई जाती हैं चन्दन, केसर, अमर, बराल, कस्तूरी, मरचककोल, गोरोचन, हिंगली, रतजणी, सोने के बरक और अमर।

चित्र रचना और रंग

'ऐनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना'⁴ में बताया गया है कि सचित्र पाण्डुलिपि उस हस्तलिखित पुस्तक को कहते हैं जिसके पाठ को विविध चित्राकृतियों से सजाया गया हो और सुन्दर बनाया गया हो। यह सज्जा रंगों से या सुनहरी और कभी कभी रूपहली कारीगरी से प्रस्तुत भी की जाती है। इस सज्जा में प्रथमाक्षरों को विशदतापूर्वक चित्रित करने से लेकर विषयानुरूप चित्रों तक का आयोजन भी हो सकता था, या सोने और चाँदी से

1 यह हरिताल, हडताल मलत लिले शब्द या अक्षर पर फेर कर उस अक्षर को भुल किया जाता था। इसी से मुहावरा भी बना 'हडताल करना-भष्ट कर देना।'

2 भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ० 44।

3 भारतीय जैन धर्मण सस्कृति अने लेखन कला पृ० 44।

4 Encyclopaedia Americana (Vol 18) p 242



खम्भात के कल्पसूत्र का एक चित्र (अपभ्रंश, १४८१ ई०)

नीली स्याही का भी प्रचलन हुआ, हरी और पीली भी उपयोग में लाई गई। हरी तथा पीली स्याही का भी उपयोग हुआ पर अधिकांशतः जैन ग्रन्थों में।

श्रीभाजी ने बताया है कि सूखे हरे रंग को गोद के पानी में घोल कर हरी जगाली और हरिताल¹ से पीली स्याही भी लेखक लोग बनाते हैं।²

सुनहरी एवं रूपहरी स्याही

सोने और चाँदी की स्याही का उपयोग भी पाश्चात्य देशों में तथा भारत में भी हुआ है। साहित्य में भी प्राचीन काल के उल्लेख मिलते हैं। सोने चाँदी में लिखे ग्रन्थ भी मिलते हैं। राजे महाराजे और धनी लोग ही ऐसी कीमती स्याही की पुस्तकें लिखवा सकते थे। ये स्याहिया सोने और चाँदी के बरकोस बनती थी। बरकोस खरल में डाल कर धव के गाद के पानी के साथ खरल में खूब घोटते थे। इससे बरकोस का चूर्ण तैयार हो जाता था। फिर साकर (शक्कर) का पानी डाल कर उस खूब हिलाते थे। चूर्ण के नीचे बैठ जाने पर पानी निकाल देते थे। इसी प्रकार तीन चार बार धो देने से गोद निकल जाता था। अब जो शेष रह जाता था वह स्याही थी।³

सोने और चाँदी की स्याही से लिखित प्राचीन ग्रन्थ नहीं मिलते। श्रीभाजी ने अजमेर के कल्याणमल डड्डा के कुछ ग्रन्थ देखे थे, ये अधिक प्राचीन नहीं थे। हा, चाँदी की स्याही में लिखा यत्रावचूरि ग्रन्थ 15 वीं शती का उन्हे विदित हुआ था।

भारतीय जैन धर्मण सस्कृति अने लेखन कला में अनुष्ठानादि के लिए जन्म-मंत्र लिखन के लिए अष्ट गन्ध एवं यक्ष कदंम का और उल्लेख किया गया है। अष्ट गन्ध दो प्रकार से बनायी जाती है

एक 1 अमर, 2 तगर, 3 गोरोचन, 4 कस्तूरी, 5 रक्त चन्दन, 6 चन्दन, 7 सिन्दूर, और 8 केसर को मिला कर बनाते हैं।

दो 1 रूपूर, 2 कस्तूरी, 3 गोरोचन, 4 सिंदरफ, 5 केसर, 6 चन्दन, 7 अमर एवं 8 गेहूँला—इससे मिला कर बनाते हैं।

यक्ष कदंम में 11 वस्तुएँ मिलाई जाती हैं चन्दन, केसर, अमर, बरसा, कस्तूरी, मरचककोल, गोरोचन, हिगलो रतजणी, सोने के बरकोस और अमर।

चित्र रचना और रंग

ऐनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना⁴ में बताया गया है कि सचित्र पाण्डुलिपि उस हस्तलिखित पुस्तक को कहते हैं जिसके पाठ को विविध चित्राकृतियों से सजाया गया हो और सुंदर बनाया गया हो। यह सज्जा रंगों से या सुनहरी और कभी कभी रूपहली कारीगरी से प्रस्तुत भी की जाती है। इस सज्जा में प्रथमाक्षरों को विशदतापूर्वक चित्रित करने से लेकर विषयानुसृत चित्रों तक का आयोजन भी हो सकता था, या सोने और चाँदी से

1 यह हरिताल, हडताल गन्ध लिखे शब्द या अक्षर पर फेर कर उस अक्षर को भुक्त किया जाता था। इसी से मुहावरा भी बना 'हडताल करना-नष्ट कर देना।'

2 भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ० 44।

3 भारतीय जैन धर्मण सस्कृति अने लेखन कला पृ० 44।


4 Encyclopaedia Americana (Vol 18) p 242



खाम्भात के कल्पसूत्र का एक चित्र (अपभ्रंश, १४८१ ई०)



ताड़पत्र की पाण्डुलिपि 'निशीयचूर्णिका' पर चित्रित जिन भगवान्
जैन शैली, ११८२ वि०



ताड़पत्र की पाण्डुलिपि 'निशीयचूर्णिका' पर चित्रित सरस्वती
जैन शैली, ११८४ वि०



लोर चन्दा के चित्र (अपभ्रंश, १५४०)

चमकते अक्षरों से सजावट कराना। ऐसी सजावट का आरम्भ पश्चिम में 14 वीं शताब्दी से माना जाता है। दार्ति ने श्रीर चौंसर ने ऐसे चित्रित हस्तलेखों का उल्लेख किया है।

भारत में 'अपभ्रंश शैली' के चित्र जो 11 वीं से 16 वीं शताब्दी तक बने मुख्यतः हस्तलिखित ग्रन्थों में मिलते हैं। डॉ० रामनाथ ने बताया है कि "मुख्यतः ये चित्र जैन-धर्म सम्बन्धी पौधियों (पाण्डुलिपियां) में बीच-बीच में छाड़े हुए चौकोर स्थानों में बने हुए मिलते हैं।"

इन चित्रों में पीले और लाल रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। रंगों को गहरा गहरा लगाया गया है।

"गुजरात में पाटन नगर से भगवती सूत्र की एक प्रति 1062 ई० की प्राप्त हुई है। इसमें केवल अलंकरण किया गया है। चित्र नहीं है। सबसे पहली चित्रित प्रति ताडपत्र पर लिखित निशोयचूर्ण नामक पाण्डुलिपि है जो सिद्धराज जयसिंह के राज्य काल में 1100 ई० में लिखी गई थी और अब पाटन के जैन-भण्डार में सुरक्षित है। इसमें बलूटे और कुछ पशु-प्राकृतियाँ हैं। 13 वीं शताब्दी में देवी देवताओं के चित्रण का बाहुल्य ही बढ़ा। अब तक ये पौधियाँ ताडपत्र की होती थीं। 14 वीं शताब्दी से कागज का प्रयोग हुआ।" 1 हम विदित है कि 14 वीं शताब्दी में पश्चिम में पार्चमेंट पर पाण्डुलिपि लिखी जाती थी और उन्हें चित्रित भी किया जाता था। भारत में 3 शताब्दी पूर्व ताडपत्र पर ही यह चित्र-कर्म होने लगा था। भारत में 14 वीं शताब्दी तक प्रायः जैन धर्म ग्रन्थ सचित्र लिखे गये, उद्यर 'पाल शैली' की चित्रांकित पुस्तकें बौद्ध धर्म विषयक थीं। प्राचीनतम पाण्डुलिपि 980 ई० की मिलती है। डॉ० रामनाथ के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं —

"पाल शैली के अन्तर्गत चित्रित पौधियाँ तालपत्रों में हैं। लम्बे लम्बे तालपत्र का एक से टुकड़े काट कर उनके बीच में चित्र के लिए स्थान छाड़ कर दोना और ग्रन्थ लिख दिया जाता था। नागरीलिपि में बड़े सुन्दर अक्षरों में यह लिखाई की जाती थी। बीच में खाली स्थानों में सुशुद्धिपूर्ण रंगों में चित्र बनाये जाते थे। सुन्दर और सुषट् प्राकृतियों बनायी जाती थीं। जिनमें बड़े आकर्षक ढंग में सर्पों और अन्य अंग-प्रत्यंगों का आलेखन होता था।"

1451 में चित्रित वसन्त-विनाम के समय स कल्प जैन बौद्ध एवं बंजणव धर्म का पत्ता छोट कर लौकिक हो चली। यह एक नया मोड़ था। काम शास्त्र के ग्रन्थ ही नहीं, प्रेम गाथाएँ जैसे चन्द्रायन, मृगावती आदि भी सचित्र मिलती हैं।

ये चित्र बहुधा रंगीन होते थे। ये विविध रंगों से चित्रित किये जाते थे। विविध रंगों की स्याही या मफो बनाई जाती थी। काली, लाल, सुनहली स्पष्ट रंगों आदि रंगीन स्याहियों का विवरण ऊपर दिया जा चुका है। लाल रंग हिंगलू से, पीला हडताल से, पीला या सफेद सफेदे से तैयार किया जाता था। अन्य मिश्रित रंग भी बनाये जाते थे जैसे, हरताल एवं हिंगलू मिला कर नारंगी, हिंगलू और सफेद से गुलाबी, हरताल और काली स्याही मिला कर नीला रंग बनाया जाता था। इसी प्रकार अन्य कई विविध रंगों

1. रामनाथ (डॉ०)—मध्यकालीन भारतीय कलाएँ और उनका विकास, पृ० 6-7।
2. वही, पृ० 6-7।
3. वही, पृ० 6-7।

जिनसे पुस्तकों को चित्रित करने के लिए भाँति-भाँति के रंग बनाये जाते थे। ये रंग स्याही की तरह ही काम करते थे।¹

सचित्र ग्रन्थों का महत्त्व

ये सचित्र ग्रन्थ कई कारणों से महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। एक तो ग्रन्थ-रचना के इतिहास में सचित्र पाण्डुलिपियों का महत्त्व है क्योंकि इन सचित्र ग्रन्थों में विदित होता है कि मानव अपनी अनुभूतियों को किस-किस प्रकार की रंगीनियों और चित्रोपमताओं से व्यक्त करता रहा है। इन अभिव्यक्तियों में उस मानव और उसके वर्ग के सांस्कृतिक विभव भी समाविष्ट मिलते हैं।

दूसरे चित्रित पाण्डुलिपियों में विविध प्रकार के आकारांकन और अलंकरण मिलते हैं। इनमें इन अंकनों के अनन्त रूप चित्रित हुए हैं जो स्वयं चित्रों की अलंकरण कला के इतिहास के लिए भारी सार्थकता रखते हैं।

तीसरी बात यह है कि मध्य युग में भारत में दसवीं शताब्दी से पाण्डुलिपियों में अंकित चित्र² ही एकमात्र ऐसे साधन हैं, जिनसे मध्ययुगीन चित्रकला की प्रवृत्तियाँ एवं स्वरूप समझे जा सकते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्रित पाण्डुलिपियों में रंग कौशल के साथ कुछ ग्रन्थ बातें भी हैं जो देखनी होती हैं।

कविता और चित्रकला दोनों ही प्रमुख ललित कलाएँ मानी गई हैं। इसलिए कवि और चित्रकार का बोली-दामन वा सा साथ है। जैसे ग्रन्थ को चित्रों में सजाकर सचित्र बनाया जाता था वैसे ही चित्रों को भी कई बार सलेख बनाया जाता था, अर्थात् ग्रन्थ के विषय को समझाने के लिए जैसे चित्र-चित्रित कर दिये जाते थे उसी प्रकार किसी चित्र के विषय को स्पष्ट करने के लिए उस पर लेख या कविता की पत्ति अंकित कर दी जाती थी। ऐसे चित्र-कर्म के लिए विविध रंगों की स्याहियाँ तैयार की जानी थी।

भोजदेव कृत 'समरागण-सूत्रधार' (11 वी० श०) में चित्रकर्म के आठ अंगों का वर्णन है। इसी प्रकार विष्णुधर्मोत्तरपुराण में भी चित्रकर्म के गुणाष्टक वर्णित हैं। इन दोनों में अन्तर अवश्य है, परन्तु लेखन अथवा लेखकर्म प्रायः समान रूप में ही उल्लिखित है। ये हैं—1. बतिका, 2. भूमिबन्धन, 3. लेख्य अथवा लेप्य, 4. रेखाकर्मणि, 5. वर्णकर्म (कर्म कर्म), 6. वर्तनाक्रम, 7. लेखन अथवा लेखकर्म और 8. टिक कर्म—यह क्रम 'समरागणसूत्रधार' में बताया गया है।

1. 'बतिका' एक प्रकार का 'बरता' या पेंसिल होनी है। इसको बनाने का प्रकार यह है कि या तो एक विशेष प्रकार की मिट्टी (जैम पीली या वाली) लेते हैं और उसका सबीरें खींचने में प्रयोग करते हैं अथवा दीपक का काजल लेकर उसको चावल के चूर्ण या आटे में मिलाते हैं और थोड़ा सा गीला करके पेंसिलो जैमी यष्टिका बना कर सुखा देते हैं। चावल के आटे के स्थान पर उबला हुआ चावल भी काम में लिया जा सकता है।

2. 'भूमिबन्धन' से तात्पर्य है चित्र या लेख का आधा र स्थिर करना जैसे—दीवार,

1. विस्तृत विवरण के लिए देखिये—'भारतीय जैन धर्मण संस्कृति बने लेखन कला', पृ० 119।

2. अंग्रेजी में इसे 'मिनिच्युर' (Miniature) कहते हैं।

अरकहायो तुमतिनही क्षीः जितसरुपरत्यो ज



पु
न
न
न
न
न



सुन्दरकाण्ड की प्रथम सर्ग की संक्षेप रूप में

सुन्दरकाण्ड की प्रथम सर्ग की संक्षेप रूप में



काष्ठपट्टिका, कपडा, ताडपत्र, भूर्जपत्र या रेशमी कपडा आदि । लकड़ी के पट्टे या ताड-पत्र पर पहले सफेद रंग पोतते हैं । यही सफेद रंग चित्र में भी प्रयुक्त होता है ।

3 'लेख्य या लेप्य कर्म' द्वारा चित्र के लिए भूमि का लेपन या आलेखन किया जाता है । जैसे जिन भागों में अमुक रंग या भाई की पृष्ठभूमि तैयार करना है तो तदनु-कूल रंग को प्लास्टर की तरह लीपा या पोता जाता है । ग्रन्थ पर चित्र बनाने के लिए यह प्रक्रिया सदैव आवश्यक नहीं होती, चित्र बनाते समय ही पृष्ठभूमि का रंग भी भर दिया जाता है । वृहदाकार भूमि पर चित्रित होने वाले चित्रों के लिए ही इसकी आवश्यकता होती है ।

4 'रेखाकर्म'-फिर, कूची से रेखाएँ खींचकर चित्र का प्रारूप बनाया जाता है जिसको खाका कह सकते हैं ।

5. इसके बाद अर्थात् जब खाका पूर्णतया तैयार हो जाता है तो रंग भरने का काम प्रारम्भ होता है । इसको 'वर्णकर्म' कहते हैं । प्राचीन चित्रकार प्रायः सफेद, पीला, नीला, लाल, काला, और हरा रंग काम में लेते थे । सफेद रंग शल्ल की राख से बनाया जाता था । पीला रंग हरताल से बनता था और इसका प्रयोग शरीरावयव संरचना तथा देवताओं के मुखमण्डन के लिए किया जाता था । पूर्वी भारत और नेपाल की चित्रकारियों में ऐसे प्रयोग खूब मिलते हैं । नीला रंग बनाने में नील काम में ली जाती है । यह प्रयोग भारत में सर्वत्र और सभी कालों में होता रहा है । लाल रंग के लिए आलकतक, लाक्षारस और गैरिक (गैर) तथा दरद का प्रयोग होता था । काले रंग की तैयारी में कज्जल की प्रधानता थी ।

हरा रंग मिथ्य वर्ण कहलाता है । इसको बनाने के लिए नीले और पीले रंगों को बहुत सावधानी से मिलाना होता है, फिर, छाया की मध्यमता अथवा उज्ज्वलता को म्यूनाधिक करने के लिए सफेद रंग भी मिलाया जाता है । प्राचीन भारतीय चित्रों में हरे रंग का प्रयोग कम ही किया जाता था । मुस्लिम काल में इसका चलन अधिक हुआ है परन्तु देखा गया है कि नील और हरताल के मिश्रण के कारण यह रंग कागज को जल्दी ही क्षति पहुँचाता है । जितनी ही प्राचीन चित्रों में जहाँ हाशियों की जगह हरा रंग लगाया गया है वहाँ से कागज जीर्ण होकर गन गया है और बीच का चौखटा बच गया है ।

'शिल्परत्न' और 'मानमोल्लाम' में रंगों के विषय में विस्तार में लिखा गया है । बताया गया है कि कपित्थ और नील भी रंग बनाने में प्रयुक्त होते थे ।

6 विस्तार और मालाई प्रदर्शित करने के लिए रंगों में जो हल्कापन और गहरापन देकर स्पष्ट मीमांसेपन दिया जाता है उसका वर्तनाक्रम' कहते हैं । इसमें वर्तनी अर्थात् कूची के प्रयोग की सूक्ष्मता का चमत्कार प्रधान होता है । 'विष्णु धर्मोत्तरपुराण' में 'वर्तनाक्रम' का विवरण द्रष्टव्य है ।

7. चित्र में अन्तिम निरुपकारक रेखांकन को लेखन अथवा 'सिलकर्म' कहते हैं । मूल चित्र से भिन्न रंग में जो चौहरी बनाई जाती है वह भी इसी में सम्मिलित है ।

8 कभी-कभी मूल रेखा की अधिक स्पष्ट बनाने के लिए उसको दोहरा बना दिया जाता है—यह 'द्विकर्म' कहलाता है ।

ग्रन्थ-रचना के काम के अन्य उपकरण रेखापाटी या समासपाटी और काबी

'रेखापाटी' का विवरण श्रीभाजी ने भारतीय प्राचीन लिपिमाला में दिया है। लकड़ी की पट्टी पर या पट्टे पर डोरियाँ लपेट कर और उन्हें स्थिर कर समानान्तर रेखाएँ बनाली जाती हैं। इस पर लिप्यासन या कागज रख कर दबाने से समानान्तर रेखाओं के चिह्न उभर आते हैं। इस प्रकार पाण्डुलिपि लिखने में रेखाएँ समानान्तर रहती हैं।¹

यही काम काबी या कविका से लिया जाता है। यह लकड़ी की पट्टी जैसी होती है। इसकी सहायता से कागज पर रेखाएँ खींची जाती थी।² काबी का एक अन्य उपयोग होता था। पुस्तक पढ़ते समय हाथ फेरने से पुस्तक खराब न हो इस निमित्त काबी (सं. कविका) का उपयोग किया जाता था। इसे पढ़ते समय अक्षरों की रेखाओं के सहारे रखते थे, और उस पर उगली रख कर शब्दों को बताते जाते थे। यह सामान्यतः बाँस की चपटी चिप्ट होती थी। यों यह हाथी दात, अकीक, चन्दन, शीशम, शाल बगैरह की भी बनाली जाती थी।³

डोरा डोरी

ताडपत्र के ग्रन्थों के पन्ने अस्तव्यस्त न हो जाय इसलिए एक विधि का उपयोग किया जाता था। ताडपत्रों की लम्बाई के बीचोबीच ताडपत्रों को छेद कर एक डोरा नीचे से ऊपर तक पिरो दिया जाता था। इस डोरे से सभी पत्र नत्थी होकर यथास्थान रहते थे। लेखक प्रत्येक पन्ने के बीच में एक स्थान कोरा छोड़ देता था। यह स्थान डोरे के छेद के लिए ही छोड़ा जाता था। ताडपत्रों के इस कोरे स्थान पर की आवृत्ति हमें कागजों पर लिखे ग्रन्थों में भी मिलती है। अब यह लकीर पीटन के समान है, अनावश्यक है। हाँ, लेखक का कुछ कौशल अवश्य लक्षित होता है कि वह इस विधि में लिखता है वह स्थान छूटा हुआ भी सुन्दर लगता है।

ग्रन्थि

डोरी से ग्रन्थ या पुस्तक के पत्रों को सूत्र बद्ध करके इन डोरों को बाण्ड की उन पट्टिकाओं में छेद करके निकाला जाता था, जो पुस्तक की लम्बाई-चौड़ाई के अनुसार काट कर ग्रन्थ के दोनों ओर लगाई जाती थी। इनके ऊपर डोरियों को कम कर ग्रन्थि लगाई जाती थी।⁴ यह प्राचीन प्रणाली है। हर्ष चरित में सूत्रवेष्टनम् का उल्लेख मिलता है। इन डोरों को उक्त काण्डपाटी में से निकाल कर ग्रन्थि या गाँठ देने के लिए विशेष प्रणाली अपनाई गई - लकड़ी हाथीदाँत, नारियल के खोपड़े का टुकड़ा लेकर उसे गोल चिपटी चकरी

1 भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ० 157।

2 वही पृ० 158।

3 भारतीय जैन धर्मण संहति अने लेखन कला, पृ० 19।

4 (93) Wooden covers, cut according to the size of the sheets were placed on the Bhurja and Palm leaves, which had been drawn on strings, and this is still the custom even with the paper MSS. In Southern India the covers are mostly pierced by holes, through which the long strings are passed. The latter are wound round the covers and knotted.

के रूप की बना लेते हैं, उसमें छेद कर उस डोर या डोरी की इस चकरी में से निकाल कर बाँधते हैं, यथार्थ में ये चकरियाँ ही ग्रन्थ या गाँठ कही जाती हैं।¹

हड़ताल

पुस्तक लेखन में 'हड़ताल' फेरने का उल्लेख मिलता है। हड़ताल या हरताल का उपयोग हस्तलेखों में उन स्थलों या अक्षरों को मिटाने के लिए किया जाता था, जो गलत लिख लिये गये थे। 'हरताल' से पीली स्याही भी बनाई जाती है। हरताल फेर देने से वह गलत लिखावट पीले रंग के लेप से ढँक जाती है। कभी कभी हड़ताल के स्थान पर सफेद का उपयोग किया जाता है।

परकार

श्रीभाजी ने बताया है कि प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में कभी-कभी विषय की समाप्ति आदि पर स्याही से बने कमल मिलते हैं। वे परकारों से ही बनाये हुए मिलते हैं। वे इतने छोटे होते हैं कि उनके लिए जो परकार काय में आये होंगे वे बड़े सूक्ष्म मान के होने चाहिये।²

पाण्डुलिपि-प्राप्ति और तत्सम्बन्धित प्रयत्न : क्षेत्रीय अनुसन्धान

‘पाण्डुलिपि-विज्ञान’ सबसे पहले ‘पाण्डुलिपि’ को प्राप्त करने पर और इसी से सम्बन्धित अन्य आरम्भिक प्रयत्नों पर ध्यान देता है। इस विज्ञान की दृष्टि से यह समस्त प्रयत्न ‘क्षेत्रीय अनुसन्धान’ के अन्तर्गत आता है।

क्षेत्र एव प्रकार

पाण्डुलिपि-प्राप्ति के सामान्यतः दो क्षेत्र हैं—प्रथम पुस्तकालय, तथा द्वितीय निजी। पुस्तकालयों के तीन प्रकार मिलते हैं—एक धार्मिक, दूसरा राजकीय तथा तीसरा विद्यालयों के पुस्तकालयों का।

- 1 धार्मिक पुस्तकालय—ये धार्मिक मठों, मन्दिरों, विहारों में होते हैं।
- 2 राजकीय पुस्तकालय—राज्य के द्वारा स्थापित किये जाते हैं।
- 3 विद्यालय पुस्तकालय—इनका क्षेत्र विद्यालयों में होता है।

पूर्वकाल में यह विद्यालय पुस्तकालय धर्म या राज्य दोनों में से किसी भी क्षेत्र में या दोनों में हो सकता था। आजकल इसका स्वतन्त्र अस्तित्व है।

निजी क्षेत्र

भारत में घर-घर में ग्रन्थ-रत्नों को पुराने समय से धार्मिक प्रतिष्ठाएँ मिली हुई थी। किसी के घर में पाण्डुलिपियों का होना गर्व और गौरव की बात मानी जाती थी। इन पोषियों की पूजा भी की जाती थी। अतः बीसवीं शती में ग्रथानुसन्धान करने पर घर घर में हस्तलिखित ग्रन्थों के होने का पता चला। काशी नागरी प्रचारिणी मण्डल ने सन् 1900 ई० से जो खोज कराई उससे हमारे इस कथन की पुष्टि होती है। राजस्थान में भी यही स्थिति है। यहाँ तो निजी प्रयोगार काफी अच्छे हैं। डॉ० श्रीभाजी ने ‘भारतीय प्राचीन लिपिमामा’ में अजमेर के सेठ कल्याणमल बड़वा के पुस्तकालय का उल्लेख किया है जिसमें मूल्यवान् स्वर्ण और रजत में लिखे ग्रन्थ थे। यह पुस्तकालय निजी था।¹ बीकानेर में श्री अमरचन्द नाहटा का निजी भण्डार काफी बड़ा है। यहीं बिहार के ‘खुदाबख्श पुस्तकालय’ का उल्लेख भी करना होगा। यह खुदाबख्श का निजी पुस्तकालय था। खुदाबख्श को अपने पिता से उत्तराधिकार में 1900 पाण्डुलिपियाँ मिली थीं। खुदाबख्श ने इस समूह को और समृद्ध किया। 1891 में जब इसे सार्वजनिक पुस्तकालय का रूप दिया गया तब इसमें पाण्डुलिपियों की संख्या 6000 हो गई थी। सन् 1976 में इस पुस्तकालय में 12000

1 भारतीय प्राचीन लिपिमामा, पृ० 156।

पांडुलिपियाँ थी, 50,000 मुद्रित ग्रन्थ थे। इसी प्रकार बिहार के ही भरतपुरा गाँव के श्री गोपाल नारायण सिंह का सप्रहालय भी पहले निजी ही था। सन् 1912 में इसे सार्व-जनिक पुस्तकालय बनाया गया। इस समय इसमें 4000 पांडुलिपियाँ हैं, ऐसा बताया जाता है।

खाजकर्ता

हस्तलेखों की खोज करने वाले व्यक्ति पांडुलिपि विज्ञान के क्षेत्र के अग्रदूत माने जा सकते हैं। पर, उन्होंने जिस समय से कार्य आरम्भ किया, उस समय भी दो कोटियों के व्यक्ति पांडुलिपियों के क्षेत्र में कार्य में सलग्न थे। एक कोटि के अन्तर्गत उच्चस्तरीय विद्वान् थे जो हस्तलिखित ग्रन्थों और ऐतिहासिक सामग्रियों की शोध में प्रवृत्त थे, जैसे—कॉर्नल टॉड, हॉर्नले, स्टेन कोनो, बेडेल, टैसिटरी, आरैल स्टाइन, डॉ० प्रियर्सन, महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री, काशी प्रसाद जायसवाल, मुनि पुण्यविजय जी, मुनि जिनविजय जी, डॉ० राहुल सांकृत्यायन, डॉ० रघुवीर, डॉ० भण्डारकर, श्री अग्ररचन्द्र नाहटा, डॉ० भोगीलाल साडेसरा, डॉ० पीताम्बर दत्त बटवाल, भाष्कर रामचन्द्र भालेराव आदि। दूसरी कोटि उनकी है जिन्हें एजेण्ट अथवा खोजकर्ता कहा जा सकता है। ये किसी सस्था की ओर से इस कार्य के लिए नियुक्त थे।

इनमें से प्रथम कोटि का कार्य विशिष्ट प्रकृति का होता है, उसके अन्तर्गत उनको पांडुलिपि के मर्म और महत्त्व का तथा उसके योगदान का वैज्ञानिक प्रामाणिकता के आधार पर निर्णय करना होता है।

दूसरा वर्ग सामग्री एकत्र करता है। घर घर जाता है और जहाँ भी जो सामग्री उसे मिलती है वह उसे या तो उपलब्ध करता है या फिर उसका विवरण या टीप ले लेता है। स्वयं वस्तु को या ग्रन्थ को प्राप्त करना तो बड़ी उपलब्धि है। पर उसका विवरण, टीप या प्रतिवेदन (रिपोर्ट) भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। पुस्तक उपलब्ध हो जाने पर भी विवरण प्रस्तुत करना पहली आवश्यकता है। किन्तु इससे भी पहला चरण तो ग्रन्थ तक पहुँचना ही है।

अतः सबसे पहला प्रश्न यही है कि पांडुलिपियों का पता कैसे लगाया जाय? इसके लिए ग्रन्थ खोजकर्ता में साधारण तत्पर बुद्धि होनी ही चाहिये, उसमें समाज प्रिय या लोक-प्रिय होने के गुण होना चाहिये। उसमें विविध व्यक्तियों के मनोभावों को ताडने या समझने की बुद्धि भी होनी चाहिये जो साधारण बुद्धि का ही एक पक्ष है। फिर, उसके पास कोई ऐसा गुण (इनर) भी होना चाहिये जिससे वह दूसरों की कृतज्ञता पा सके। जहाँ ग्रन्थों की टाह लग वहाँ वे योगों का विश्राम पा सकने की क्षमता भी होना अपेक्षित है। विश्वास-पात्रता प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों में परिचय-पत्र ले लेने चाहिये। ऐसे क्षेत्रों में मुखिया, पटवारी, जमींदार तथा पाठशाला के अध्यापक भ्रमण-भ्रमण प्रभाव रखते हैं। इन व्यक्तियों से मिलकर हम अच्छी तरह ग्रन्थों का पता भी लगा सकते हैं तथा सामग्री भी जुटा सकते हैं। ज्योतिष या हस्तरेखा विद्या और चंदा की कुछ जानकारी ग्रन्थ-खोजकर्ता को सहायक सिद्ध हुई है। इसके कारण लोग उनकी ओर सहज रूप से आकृष्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार पशु चिकित्सा का कुछ गान भी तो क्षेत्रीय कार्य में उपयोगी होगा तथा दैनिक जीवा में काम आने वाली ऐसी ग्रन्थ बीजों को यदि वह जानता

है, जिनके न जानने से मनुष्य दुखी रहते हैं तो वे उनकी सहायता करने के लिए सदा प्रस्तुत रहेंगे। व्युत्पन्न मति और तत्परबुद्धि भी बड़ी सहायक सिद्ध हुई है।

काशी-नागरी प्रचारिणी सभा के एक ग्रन्थ खोजकर्ता मेरे मित्र थे। उनकी सफलता का एक बड़ा कारण यही था कि वे हस्तरेखा विज्ञान भी जानते थे और कुछ वैद्यक भी जानते थे। आकर्षक ढंग से लच्छेदार रोचक बातें करना भी उन्हें आता था। यह भी एक बहुत बड़ा गुण है।

हस्तलिखित पुस्तकों की खोज का ऊपर दिया गया विवरण यह बताता है कि पाण्डुलिपियों का संग्रह किसी सस्थान या किसी पाण्डुलिपि विभाग के लिए किया जा रहा है। ऊपर दी गई पद्धति से निजी संग्रहालय के लिए भी पाण्डुलिपियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।

व्यवसायी माध्यम कुछ व्यक्ति व्यवसाय के लिए, अपने लिए ग्रंथ लाभ की दृष्टि से स्वयं अनेक विधियों से जहाँ-तहाँ से ग्रन्थ प्राप्त करते हैं, मुफ्त में या बहुत कम दामा में खरीदकर वे सस्याओं को और व्यक्तियों को अधिक टांगो भूँ देते हैं। राजस्थान में राजाओं और सामन्तों की स्थिति विगड़ने से उनके संग्रहों में हस्तलेख इन व्यवसायियों से प्राप्त किये गये। कभी-कभी ये ग्रन्थ ऐसे विद्वानों, कवियों और पण्डितों के घरों में भी मिलते हैं जिनकी सतान उन ग्रन्थों का मूल्य नहीं समझती थी या आर्थिक संकट में पड़ गयी थी। व्यवसायी इनसे वे ग्रन्थ प्राप्त कर लेते हैं और सस्याओं को देते हैं। ऐसे व्यवसायियों में भी ग्रन्थ प्राप्त किये जा सकते हैं।

सामिप्राय खोज—खोज के सामान्य रूपों की चर्चा की जा चुकी है। इनके तीन प्रकार बताये जा चुके हैं—1. शौकियासंग्रह जो प्रायः निजी संग्रहालयों का रूप ले लेते हैं। खुदाबखश पुस्तकालय का उल्लेख हम कर चुके हैं। 2. सस्था के निमित्त वेतनभोगी एजेंट द्वारा, जैसे नागरी प्रचारिणी सभा ने कराया। दान की भावना से भी ग्रन्थ मिले हैं। कुछ व्यक्तियों ने अपने निजी संग्रहालय भावी सुरक्षा की भावना से किसी प्रतिष्ठित सस्थान को भेंट कर दिये हैं। 3. व्यवसायी के माध्यम से संग्रह।

सामान्य खोज तो होती है पर कभी-कभी सामिप्राय खोज भी होती है। यह खोज किसी या किन्हीं विशेष हस्तलेखों के लिए होती है। इन खोजों का इतिहास कभी-कभी बहुत रोचक होता है। सामिप्राय खोज की दृष्टि में पहले यह जानना अपेक्षित होता है कि जिस ग्रन्थ को आप चाहते हैं वह कहाँ है? इनके लिए आप विविध संग्रहालयों में जानकर सूचियाँ या आगारों का अवलोकन करते हैं कुछ जानकारों से पूछते हैं। मुस्ला दाऊद कृत 'चन्द्रायन' को प्राप्त करने का इतिहास लें। आगरा विश्वविद्यालय के क० गु० हिन्दी तथा भाषा-विज्ञान विद्यापीठ न आरम्भ में ही निर्णय लिया कि 'चन्द्रायन' का संग्रह किया जाय।

यह सुभाव डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने दिया था। उनके सुझान पर शिमला के राष्ट्रीय संग्रहालय को लिखा गया उसका कुछ अंश वही पर था। उसकी फोटोस्टेट प्रतियाँ मगवायी गयीं। थिदित हुआ कि इसी ग्रन्थ के कुछ अंश पाकिस्तान में उन्ने लाहौर के राष्ट्रीय आगार में हैं। उनसे भी फोटोस्टेट प्रतियाँ प्राप्त की गयीं। और भी जहाँ-तहाँ संपर्क किये गये। तब जितने पृष्ठ मिले उन्हें ही मम्पादित किया गया। पर, यह आवश्यकता रही कि इसकी पूरी व्यवस्थित प्रति कहीं से प्राप्त की जाय। हिन्दी विद्यापीठ को तो वह प्राप्त नहीं हो सकी परन्तु डॉ० परमेश्वरी लाल गुप्त उसे प्राप्त कर सके। कैसे प्राप्त की,

इसका रोचक वृत्तान्त यहाँ दिया जाता है। इससे खोज के एक और मार्ग का निर्देश होता है।

डॉ० परमेश्वरी लाल गुप्त न एक भेंटवार्ता में बताया कि 'चन्दायन' की उन्होंने जिस प्रकार खोज की उसे 'जामूसी' कहा जा सकता है।¹

डॉ० गुप्त को प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में चन्दायन के कुछ पृष्ठ मिले। उन पर भूमिका लिखने के लिए वे 'गार्सा द तासी' का 'हिंदुई साहित्य का इतिहास' के पन्ने पलट रहे थे कि उनका ध्यान उस उल्लेख की ओर आकर्षित हुआ जिसमें तासी ने बताया था कि ड्यूक ऑफ ससैक्स के पुस्तकालय में हूरक और हदा की कहानी का सचित्र ग्रन्थ था। डॉ० गुप्त समझ गये कि यह हूरक हदा 'लूरक या लोरिक' चन्दा ही हैं। यह उल्लेख तासी ने 1834 ई में किया था।

डॉ० गुप्त जानते थे कि किसी बड़े ड्यूक के मरने के बाद उसका पुस्तकालय बेचा गया होगा। उन्होंने यह भी अनुमान लगा लिया कि वह पुरानी पुस्तकों के विक्रेताओं में खरीदा होगा और फुटकर बिक्री की गयी होगी।

यह अनुमान कर उन्होंने इण्डिया आफिस (लंदन) ब्रिटिश म्यूजियम से प्राचीन पुस्तक विक्रेताओं द्वारा प्रकाशित सूची-पत्र प्राप्त किये। उनसे पता चला कि ससैक्स का पुस्तकालय लिली नाम के विक्रेता ने खरीदा था।

आगे पता लगाया तो विदित हुआ कि लिली से धरवी-फारसी के ग्रन्थ इन भाषाओं के फ्रैंच विद्वान ग्लाड ने खरीदे।

पता लगा कि ग्लाड मर चुके हैं, पुस्तकालय विक्रि चुका है।

खोज आगे की। उनका सग्रह इंग्लैंड के किसी अरल ने खरीदा था। अरल को पत्र लिखा। उत्तर देने वाले अरल ने बताया कि उनके पिताजी का सग्रह मेनचैस्टर विश्वविद्यालय के रिलैंड पुस्तकालय में है।

वहाँ वह पुस्तक डॉ० गुप्त को मिल गयी।

इस विवरण से यह सिद्ध हुआ कि एक सूत्र को पकड़ कर अनुमान के सहारे आगे बढ़कर अन्य सूत्र तक पहुँचा जा सकता है, उससे अन्य सूत्र मिल सकते हैं—तब अभीष्ट ग्रन्थ प्राप्त हो सकता है। किन्तु इसके लिए सूत्र मिलते जाने चाहिये। भारत में ऐसे सूत्र आसानी से नहीं मिलते हैं।

नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्टों में प्रत्येक हस्तलेख के मालिक का नाम दिया रहता है। पूरा पता भी रहता है। आज पत्र लिखने पर न तो कोई उत्तर आयेगा, और न आगे खोज करने पर ही कुछ पता चलेगा।

किन्तु इस प्रकार की खोज में सूत्र से सूत्र मिलाने में भी कितने ही अनुमान और उनके आधार पर कितने ही प्रकार के प्रयत्नों की अपेक्षा रहनी है। बड़े धैर्यपूर्वक एक के बाद दूसरे अनुमान करके उनसे सूत्र मिलाने के प्रयत्न किये जाते हैं।

निश्चय ही यह भी पुस्तक खोज का एक मार्ग है।

ग्रन्थ शोधक को एक डायरी रखनी चाहिये। इसमें उसे अपने किये गये दिनदिन

1 कादम्बिनी (मासिक प्रकाशन, जून 1975), निबन्ध 'तत्कालीन के ज्ञान में कला-कृतियाँ', प्रसंगीना . श्री रवीशंकर शास्त्री पृ० 44।

उद्योगो का पूरा विवरण देना चाहिये। उसमें ये बातें रहनी चाहिये गांव का परिचय, जिसके यहाँ ग्रन्थ मिलता है उस व्यक्ति का नाम, उसकी जाति, उसने माँ-बाप का परिचय, उसकी पीढ़ियों का संक्षिप्त इतिहास तथा यह सूचना भी कि वह ग्रन्थ उनके घर में कब से है। इस प्रकार उस ग्रन्थ का उस घर में आने और रहने का पूरा इतिहास उस डायरी में सुरक्षित हो जाएगा। कितने ग्रन्थ आपको मिले और वह किस दशा में थे, वेष्टनो में सपटे हुए रहे थे या यो ही ढेर में पड़े थे? यह उल्लेख करने की भी जरूरत है कि वे ग्रन्थपत्रों के रूप में हैं या सिली पुस्तक के रूप में। ग्रन्थकार या रचयिता का समस्त उपलब्ध परिचय दें। जिस व्यक्ति के पास वह ग्रन्थ है उस व्यक्ति से रचयिता के सम्बन्ध का पूरा परिचय भी दें। ग्रन्थ का लेखक कौन है? यह ग्रन्थकार किस समय हुआ? ग्रन्थ और उसके लेखक के संबंध में कुछ किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं तो उन्हें भी डायरी में लिख लेना चाहिये।

अब पहला प्रयत्न तो यह करना चाहिए कि जिन ग्रन्थों का पता लगा है, उन्हें प्राप्त कर लिया जाय। यदि आपको ग्रन्थ भेंट में या दान में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, किन्तु यदि मूल्य से भी प्राप्त हो जाते हैं तो भी सफलता में चार चाँद लग मान जाते हैं। किसी पाण्डुलिपि का मूल्य निर्धारण करना बठिन काय है। जिन क्षेत्रों में पाण्डुलिपियों के महत्त्व के विषय में चेतना नहीं है वहाँ से नाममात्र का मूल्य देकर पुस्तक/पाण्डुलिपियों प्राप्त की गयी है किन्तु जिस क्षेत्र में यह चेतना आ गयी है, वहाँ तो ग्रन्थ के महत्त्व का मूल्यांकन कर ही मूल्य निर्धारित करना पड़ेगा। ग्रन्थ का महत्त्व उसके रचना-काल, उसमें बर्णित विषय की उत्कृष्टता, उसकी लेखा-प्रणाली का वैशिष्ट्य, उसमें दिये विषय तथा सज्जा की कला आदि अनेक बातों पर निर्भर करता है।

मूल्य देकर प्राप्त या भेंट / दान में प्राप्त ग्रन्थों के सम्बन्ध में विज्ञेता या दाता से प्रमाण-पत्र लेना भी अत्यन्त आवश्यक है। इसमें विज्ञेता या दाता यही लिखेगा कि यह ग्रन्थ उसकी अपनी सम्पत्ति है और उसे उसका हस्तांतरण का अधिकार है। यदि ग्रन्थ का स्वामित्व न मिल पाये तो भी ग्रन्थ का विवरण अवश्य से लेना चाहिये।

विवरण लेना

यदि ग्रन्थ घर से जाने के लिए न मिले तो समय निवाल कर ग्रन्थ के मालिक के घर पर ही उसकी टीप ले लें। साधारण परिचय में सबसे पहले उस ग्रन्थ के आकार प्रकार का भी परिचय दें। इसके बाद आप देखें कि वह कितने पृष्ठ का है उसकी लम्बाई-चौड़ाई और हाशिया कितना और कौसा है? हाशिया दोनों ओर कितना छोटा हुआ है और मुख्य लिखावट कितने भाग में है। यह नाप कर हम लिख देने की आवश्यकता है। उसमें कुल कितने पृष्ठ हैं और उनमें से सभी पृष्ठ हैं या कुछ खो गये हैं, पूरी पुस्तक में पृष्ठ कहाँ कहाँ कटे फटे होने से हमें सहायता नहीं पहुँचाते, छन्दों की संख्या कितनी है, किसी छन्द का क्रम भंग तो नहीं है, अक्षरों के अनुसार तो छन्द नहीं बदले गये हैं? एक पूरे पृष्ठ में कितनी पंक्तियाँ हैं? इस तरह हरेक पृष्ठ की पंक्तियाँ गिनना जरूरी है। यह भी देखना होगा कि उसका कागज किस प्रकार का है।

यहाँ तक ग्रन्थ का बाहरी परिचय पाने का प्रयत्न हुआ।

अब हम ग्रन्थ के अन्तर्ग की ओर चलते हैं। इसमें तीन बातें देखनी चाहिये, पहली बात तो यह देखनी होगी कि आरम्भ में ग्रन्थकार ने क्या किसी देवता या राजा की

स्तुति की है, अपने गुण की स्तुति की है ? फिर क्या अपना तथा अपने कुटुम्ब का परिचय दिया है और क्या रचना का रचनाकाल दिया है ? कहीं-कहीं ये बातें ग्रन्थ के अन्त में होती हैं । यह 'पुष्पिका' कहलाती है । प्रायः ग्रन्थ के अन्त में अनुक्रमणिका भी होती है, और श्लोक सख्या दे दी जाती है । इनकी टीप लेना भी आवश्यक है ।

जो हस्तलिखित ग्रन्थ आपकी उपलब्ध हुए हैं यदि उनमें से कुछ ऐसे हैं जो छप चुके हैं तो भी उनकी भवहेलना नहीं करनी चाहिये । वे बहुत मूल्यवान् सिद्ध हो सकते हैं । कभी-कभी उनमें भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अनोखी चीजें मिलने की सम्भावना रहती है । वे पाठालोचन में उपयोगी हो सकते हैं । अब यह देखना चाहिये कि उस ग्रन्थ की भाषा किस प्रकार की है । उसमें कितने प्रकार के कितने छन्द हैं और कौन-कौन से विषय ग्रन्थ में आए हैं, उन विषयों का प्रथम में किस प्रकार उल्लेख किया गया है ? पांडुलिपियों में साधारणतः त्रिविध्यां खास ढंग से दी हुई होती हैं । बहुधा ये त्रिविध्यां और सबत् 'अकाना वामतो गति' के अनुसार उल्टे पढ़े जाते हैं । फिर यह देखना चाहिये कि उस ग्रन्थ की शैली क्या है ? उसमें स्फुटपद हैं अथवा वह प्रबन्धकाव्य है, आदि से अन्त तक समस्त प्रथम छंद में ही लिखा गया है या बीच-बीच में गद्य भी सम्मिलित है, गद्य किस अभिप्राय से किस रूप में धारा है, इन बातों का भी टीप में विवरण दिया जाना चाहिये ।

विवरण प्रस्तुत करने का स्वरूप

इस प्रकार ग्रन्थ तक पहुँच कर और उससे कुछ परिचित होकर पहली आवश्यकता होती है कि उसका व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया जाय । यहाँ हम कुछ विवरण उद्धृत कर रहे हैं, जिनसे उनके वैज्ञानिक या व्यवस्थित स्वरूप की स्थापना में सहायता मिल सकती है ।

उदाहरण : कुञ्जिकामतम् का

1898-99 में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तत्त्वावधान में नेपाल राज्य के दरबार पुस्तकालय के ग्रन्थों का भ्रमलोकन किया और उन ग्रन्थों का विवरण प्रस्तुत किया । उनमें से एक ग्रन्थ 'कुञ्जिकामतम्' का विवरण यहाँ दिया जाता है ।¹

(क) (291का) (ख) कुञ्जिकामतम् (कुलालिकाभ्यायान्तगतम्) (ग) 10×1½ inches, (घ) Folio, 152 (ङ) Lines 6 on a page (च) Extent 2,964 slokas, (छ) Character Newari, (ज) Date ; Newar Era 229. (झ) Appearance, Old (ञ) Verse.

BEGINNING ॐ नमो महाभैरवाय

सकर्ता मण्डलान्ते क्रमवदनिहितानन्दशक्ति. सुभीमा

श्रुतशादय चतुष्क अकुलकुलनत पचकं चान्यपट्टकम् ।

चत्वार. पचकोऽन्य पुनरपि चतुरस्तत्वतो मण्डलेर्द

सस्तष्ट येन तस्मै नमत गुह्यतर भैरवं श्रीकुजेणम् । १२॥

1 Sastri, H. P. — A Catalogue of Palm leaf and Selected Paper MSS belonging to the Durbar Library, Nepal

श्री मरिमवतः पृष्ठे त्रिकूटशिखराशुगम्
 सन्तानपुटमध्य स्थमनेका काररूपिणम् ॥
त्रिप्रकारन्तु त्रिशक्ति त्रिणुणोज्वलम्
 चन्द्र सूर्यकृता.....स्वाह्नि देदीप्यवर्चसम् ।

 कार्यकारणाभेदेन किञ्चित्कालमपेक्षया ।
 तिष्ठते भैरवीशान मौनमादाय निश्चलम् (?)
 तत्र देवगणाः सर्वे सकिन्नरमहोरगाः
 कुर्वन्ति कलकलाराव समागत्य समीपतः ॥
 श्रुत्वा कलकलाराव को भवान् किमिहागतः
 हिमवान् तु श्रसन्नात्मा गतोह्यन्वेपणं प्रति ॥ इत्यादि ॥
 नानेन रहिता सिद्धिर्मुक्तिर्निश्चिते - ।
 निराधारपद ह्ये सत् तद्वेद परमपदम् । २ । ॥

COLOPHON इति कुलालिका भाये श्रीमत् कुब्जिकामते समस्तस्थाभावबोधश्चर्या
 निर्देशो (२) नाम पञ्चविंशतिम पटल समाप्तः । स्वतः २२६ फाल्गुन कृष्णा ॥

विषयः इति श्री कुलालिवान्भाये श्री कुब्जिकामते चन्द्रद्वीपावतारो नामः । १ पटलः

आप्यायं	कौमार्याधिकारी	नाम	121
मन्वानभेद	प्रचाररतिसगमो	नाम	131
मन्त्रनिर्णयो	गह्वर मालिन्यो	द्वारे	141
बृहत्समयोद्धारः	शब्दराशि मालिनीतद्ग्रह	व्याप्ति निर्णय	151
जय	मुद्रानिर्णय.		161
मंत्रोद्दारे	पङ्गविधाधिकारोनाम		171
स्वच्छन्दशिखाधिकारो		नाम	181
शिरवाकल्येक	देशो	(?) नाम	191
देव्यासमयो	(?) नाम	मन्त्रोच्चारो	1101
पदप्रकार	निर्णयो	नाम	1111
पदप्रकारधिकारवर्णनो		नाम	1121
दक्षिणापद्	कपटिज्ञानो	नाम	1131
देवीदूती	निर्णयो	नाम	1141
पद् प्रकारे	योगिनी	निर्णयः	1151
पद् प्रकारे	महानन्द मन्त्रको	नाम	1161
पदद्वय	हैस निर्णयो	नाम	1171
चतुष्कस्य		पदमेदम्	1181
चतुष्क	निर्णयो	नाम	119

चन्द्र	द्वीपावतारो	नाम	120।	
द्वीपाग्रायो		नाम	121।	
समस्त	व्यस्तव्याधि	निर्णयो नाम	122।	
त्रिः	कालमुत्	कान्ति	सम्बन्ध	123।
तद्ग्रह	पूजा	विधि	पवित्रारोहणम्	124।
समस्त	स्यानावत्कषश्चर्या	निर्देशो (?) नाम	125।	

इसमें सबसे पहले (क) ग्रन्थ की पुस्तकालय-गत सत्या विदित होती है। यह ग्रन्थ-सन्दर्भ है। (ख) पुस्तक का नाम उसकी उप ब्याख्या के साथ है। उप ब्याख्या थोपठों में दी गई है।

(ग) में पुस्तक का आकार बताने के लिए पृष्ठ की लम्बाई 10 इंच, चौड़ाई 1½ इंच बताई गई है। इसे संक्षेप में यो 10" × 1/12" बताया गया है। (घ) में फोलियो या पृष्ठ संख्या बताई गई है। यह 152 है। (ङ) में प्रत्येक पृष्ठ में पक्ति संख्या बतायी गयी है। 6 पक्ति प्रति पृष्ठ। (च) में ग्रन्थ परिमाण—कुल श्लोक संख्या 2964 बतायी गयी है। (छ) में लिपि प्रकार है—लिपि प्रकार 'नेवारी लिपि' बताया गया है। (ज) में तिथि का उल्लेख है—यह है नेवारी संवत् 299 (झ) में 'रूप' का विवरण है—रूप में यह प्रति प्राचीन लगती है। पद्यबद्ध है, यह बात (ञ) में बतायी गयी है।

इतनी सूचनाएँ देकर ग्रन्थ में से पहले आरम्भ के कुछ पद्य उदाहरणार्थ दिये गये हैं। तब 'अन्त' के भी कुछ अंश उदाहरणस्वरूप दिये गये हैं।

यही पुष्पिका (Colophon) उद्धृत की गई है। यहाँ तक ग्रन्थ के रूप विन्यास का आवश्यक विवरण दिया गया है। तब विषय का कुछ विशेष परिचय देने के लिए क्रमात् 'विषय सूची' दे दी गई है। प्रत्येक विषय के आगे दी गई संख्या परिच्छेदसूचक है।

उदाहरण : डॉ० टेसीटरी के सर्वेक्षण से

अब एक उद्धरण डॉ० टेसीटरी के राजस्थानी ग्रन्थ सर्वेक्षण से दिया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इन्हें 1914 में सुपरिटेण्डेन्ट 'वारडिक एण्ड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपूताना' बनाया। उनके ये ग्रन्थ-सर्वेक्षण 1917-18 के बीच में सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किये गये। इन्हीं में से 'गद्यभाग' के अन्तर्गत 'ग्रन्थाक 6' का विवरण 'परम्परा' में डॉ० नारायणसिंह भाटी द्वारा किये गये अनुवाद के रूप में नीचे दिया जा रहा है -

ग्रन्थाक-6—नागीर के मामले की बात नै कविता¹

गुटके के रूप में एक छोटा-सा ग्रन्थ, पत्र 132, आकार 5" × 5½" पृ 21 व 26 व, 45व-96व, तथा 121 व - 132 व खाली हैं। लिखे हुए पन्नों में 13 से 27 अक्षरों वाली 7 से 16 तक पक्तियाँ हैं। पृ० 100—125 पर साधारण (नौसिखिए के बनाए हुए) चित्र पानी के रंगों में 'रसूल रा दूहा' को चित्रित करने के लिए बनाए गए हैं (देखें नीचे घ)। ग्रन्थ कोई 250 वर्ष पुराना लिपिबद्ध है। पृ० 7 व पर लिपिकाल स० 1696 जेठ सुद 13 शनिवार और लेखक का नाम रघुनाथ दिया गया है। लिपि मारवाड़ी

है और ड तथा ङ में भेद नहीं किया गया है। ग्रन्थ में निम्न कृतियाँ हैं

(क) परिहाँ दुहा वगेरे फुटकर वाता, पृ० 1 अ 11 व

(ख) नागौर रँ मामलँ री कविता, पृ० 12 अ 21 अ ।

इसमें तीन प्रशस्ति कविताएँ हैं—एक गीत एक भूमाव तथा एक नीसाणी जिसका विषय करणसिंह और नागौर के अमरसिंह की प्रतिस्पर्धा है, जिसका उद्धरण दूसरे अनुच्छेद में नीचे दिया गया है। इन कविताओं में मुख्यतया बीकानेर के सेनाध्यक्ष मुहता वीरचन्द की वीरता का बखान किया गया है। गीत का रचयिता जगा है और भूमाव का लेखक चारण देवराज बीकूपुरिया है। नीसाणी के लेखक का नाम नहीं दिया गया है।

तीन कविताओं की प्रारम्भिक पक्तियाँ क्रमशः निम्न प्रकार हैं

गीत—दलायम रुदर भ.....आदि

भूमाल—करव पाँडव कलहीयाआदि

नीसाणी—अबरल दवी अपट सपर.....आदि

(ग) नागौर रँ मामलँ री बात, पृ० 27 अ—45 व ।

जाखनिया ग्राम को लेकर बीकानेर और नागौर के बीच स० 1699-1700 के मध्य जो सघर्ष हुआ था उसका बड़ा बारीक और दिलचस्प वृत्तान्त इसमें है। जबसे नागौर, जोधपुर के राजा गजसिंह के पुत्र राव अमरसिंह को मनसब में प्रदान किया गया, जाखनिया गाँव बीकानेर के महाराजा के अधिकार में ही चला आता था परन्तु स० 1699 में नागौरी लोगो ने जाखनिया ग्राम के आस-पास खेत बो दिये इससे भगड़े का सूत्रपात हुआ जिसका अन्त स० 1700 के युद्ध के बाद हुआ, जिसमें अमरसिंह की फौज को खदेड़ दिया गया और उसका सेनापति सिधवी सींहमल भाग खड़ा हुआ। युद्ध सम्बन्धी वृत्तान्त ठेठ अमरसिंह की मृत्यु तक चला है। यह छोटी-सी कृति बड़े महत्त्व की है क्योंकि इसमें अनेक बातों पर बारीकी से प्रकाश डाला गया है जो उस समय की सामन्ती जीवन-व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश डालती हैं। इसका प्रारम्भ होता है—

बीकानेर महाराजा थी करनीसिंह जी रँ राज ने नागौर राज अमरसिंह गजसिंघौन रो राज सु नागौर बीकानेर रो कॉकड गाव (०) 1 जापपीयो सु गाव बीकानेर रो हुतो ने नागौर रा कहे नु गाव माहरोद्वीवहीज असरचो हुतो.....आदि ।

अन्त इस प्रकार है—

इसडो काम मुहते रामचन्द नु फवीयो बडो नाव हयो पातसाही माहे वदीतो हुवो इसडो बीकानेर काही कामदार हयो न को हुसी । (घ) रसालू रा दूहा पृ० 99 व 115 व । इसमें 33 दोहे हैं। प्रारम्भ—ऊँच (?) 3 महल्ल चवदडी ॥2॥ यह दूसरे दोहे का चौथा चरण है और अन्तिम—राजा भोजु जुहारवं ॥3॥ (ङ) किवलास रा दूहा पृ० 116 घ—117 व । इसमें 30 छन्द हैं। प्रारम्भ किणही सावण सयोग—आदि ।

इस विवरण में टेसीटरी महोदय ने सबसे पहले ग्रन्थ के आकार को हृदयगम कराने के लिए इसे गुटका बताया है। उसके आगे भी व्याख्या में 'छोटा-सा ग्रन्थ' कहा है। टेसीटरी महोदय ग्रन्थ की आकृति के साथ उसके वेष्टन आदि का भी उल्लेख कर देते हैं : यथा, प्रयाक एक में पहली ही पक्ति है "394 पत्रो का चमडे की जिल्द में बँधा वृहदाकार ग्रन्थ"। प्रयाक 2 में भी ऐसा ही उल्लेख है कि "चपडे की जिल्द में बँधा 82 पत्रो का

सामान्य प्रथ" । तब पत्रों की सख्या बताया है, '132' । पत्रों का आकार है 5" × 5 1/2" । इन 132 पत्रों में सामग्री का ठीक अनुमान बताने के लिए यह भी उल्लेख किया गया है कि कितने और कौन-कौन से पृष्ठ खाली हैं । फिर पत्तियों की गिनती प्रति पृष्ठ तथा प्रत्येक पक्ति में अक्षर का अनुमान भी बताया गया है कि इसमें 13 से 27 अक्षरों वाली 7 से 16 तक पत्तियाँ हैं ।

पुस्तक चित्रित है । चित्र कितने हैं ? कैसे हैं ? और किस विषय के हैं, इनका विवरण भी दिया गया है—

चित्र कितने हैं ? 16

किन पृष्ठों पर हैं ? 'पृ० 100—115 तक' पर ।

कैसे हैं ? नौसिखिये से बनाये, पानी के रंगों के ।

विषय क्या है ? 'रसूल रा दूहा' को चित्रित करने वाले ।

फिर लिपिकाल का अनुमान दिया गया है —

"कोई 250 वर्ष पुराना लिपिबद्ध ।"

यदि लेखक और लिपिकार का भी उल्लेख कहीं ग्रन्थ में हुआ है तो उसका विवरण भी है —

कहाँ उल्लेख है ? पृ० 7 व पर

लिपिकाल क्या है ? स० 1696, जेठ सुद 13, शनिवार

लिपिकार का नाम क्या है ? रघुनाथ

लिपि की प्रकृति भी बताया गयी है—लिपि मारवाडी । एक वैशिष्ट्य भी बताया है कि 'ड' तथा 'ड' में अन्तर नहीं किया गया । तब ग्रन्थ के विषय का परिचय दिया गया है ।

कुछ और उदाहरण से

ग्रन्थ उदाहरण पृथ्वीराज रासो

(क) प्रति स० 5 (ख) माइज 10 × 11 इंच (ग) 1—पुस्तकाकार, (घ) 2—अपूर्ण, और (ग) 3—बहुत बुरी दशा में है । (घ) इसके आदि के 25 और अन्त के कई पन्ने गायब हैं जिसमें आदि-पर्व के आरम्भ के 67 रूपक और अन्तिम प्रस्ताव (वाण वेद्य सम्प्रो) के 66वें स्वरु के बाद का समस्त भाग जाता रहा है । इस समय इस प्रति के 786 (26-812) पन्ने मौजूद हैं । बीच में स्थान-स्थान पर पन्ने कोरे रखे गये हैं जिनकी सख्या कुल मिलाकर 25 होती है । आरम्भ के 25 पन्नों के नष्ट हो जाने से इस बात का अनुमान तो लगाया जा सकता है कि अन्त के भी इतने ही पन्ने गायब हुए हैं । (ड) 1—पर अन्त के इन 25 पन्नों में कौन-कौनसे प्रस्ताव लिखे हुए थे, इनमें कितने पन्ने खाली थे, इस प्रति को लिखवाने का काम कब पूरा हुआ था और (ड) 2—यह किसके लिए लिखी गई थी ? इत्यादि बातों को जानने का इन पन्नों के गायब हो जाने से अब कोई साधन नहीं है । लेकिन प्रति एक-दो वर्षों के प्रत्येकाल में लिखी गई हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि (च) इसमें नौ-दस तरह की लिखावट है और (छ) प्रस्तावों का भी कोई निश्चित क्रम नहीं है । ज्ञात होना है, रासो के भिन्न भिन्न प्रस्ताव जिस क्रम से और जब-जब भी हस्तगत हुए थे उसी क्रम से इसमें लिख लिये गये हैं । (ज) 'सप्तव्रता सम्प्रो',

‘सलप युद्ध सम्प्य’ और ‘अनगपाल सम्प्यो’ के नीचे उनका लेखन-शाल भी दिया हुआ है। ये प्रस्ताव क्रमशः स० 1770, स. 1772 और स. 1773 के लिखे हुए हैं, लेकिन ‘चित्ररेखा’, ‘दुर्गकिदार’ आदि दो एक प्रस्ताव इसमें ऐसे भी हैं जो नागज आदि को देवते हुए इनसे 25-30 वर्ष पहले के लिखे हुए दिखाई पड़ते हैं। साथ ही ‘तोहाना भजान बाहु सम्प्यो’ स्पष्ट ही स० 1800 के आस पास का लिखा हुआ है। कहने का अभिप्राय यह है कि रातो की यह एक ऐसी प्रति है जिसको तैयार करने में अनुमानत 60 वर्ष (स 1740-1800) का समय लगा है।

भिन्न भिन्न व्यक्तियों के हाथ की लिखावट होने से प्रति के सभी पृष्ठों पर पत्तियों और अक्षरों का परिमाण भी एकसा नहीं है। किसी पृष्ठ पर 13 पत्तियाँ, किसी पर 15, किसी पर 25 और किसी किसी पर 27 तक पत्तियाँ हैं। लिखावट प्रायः सभी लिपिकारों की सुन्दर और सुपाठ्य है। पाठ भी अधिकतर शुद्ध ही है। दो एक लिपिकारों ने समुक्ताक्षरों में लिखने में प्रसावधानी की है और ख, ग, स इत्यादि के स्थान पर क्रमशः ख, ग, त आदि लिख दिया है, जिससे कही-कही छोटीभंग दिखाई देता है। पर ऐसे स्थान बहुत अधिक नहीं हैं। इसमें 67 प्रस्ताव हैं। उपरोक्त प्रति स० 2 के मुकाबले में इसमें तीन प्रस्ताव (विवाह सम्प्यो, ‘पद्मावती सम्प्यो’ और रेणसी सम्प्यो) कम और एक (समरसी दिल्ली सहाय सम्प्यो) अधिक हैं।

इस प्रति में से ‘ससिद्धता सम्प्यो’ का थोड़ा-सा भाग हम यहाँ देते हैं। यह सम्प्यो, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, स० 1770 का लिखा हुआ है —

ब्रूहा

आदि कथा शाशिवृत की बहूत अब समूल ।
दिल्ली के पतिसाह गृहि बहि लहि उनमूल ॥१॥

अरिल्ल

ग्रीपम ऋतु श्रीडत सुराजन । पित उवलत पेह नभ छाजन ॥
विपम वाय तप्पित तनु भाजन । लागी शीत गुमीर सुराजन ॥

कवित्त

लागी शीत कल मद नीर निकट सुरजत पट ।
अमित सुरग सुगध तनह उवटत रजत पट ।
मलय चन्द मल्लिका धाम धारा-गृह सुवर ।
रजि विपिन बाटिका शीत द्रुम छाह रजततर ॥
कुमकुमा अग उवटत अघि मधि केसरि धनसार धनि ।
कीलत राज ग्रीपम सुरिति आगम पावस तईय भनि ॥

इसकी प्रति मेवाड के प्रसिद्ध कवि राव बस्तावर जी के पौत्र श्री मोहनसिंह जी राव के पास है ।¹

1 राजस्वान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज (प्रथम भाग), पृ० 64-65 ।

इस विवरण में 'क' के द्वारा तो ग्रन्थ का क्रमांक दिया गया है।

- (ख) में आकार या साइज दो गई है—10 इंच चौड़ी X 11 इंच लम्बी
- (ग) में विशिष्ट आकार बताया गया है—इसमें पहले तो यह उल्लेख है कि यह पुस्तकाकार है। पुस्तकाकार से अभिप्राय है कि मिली हुई पुस्तक है, पत्राकार नहीं कि जिसमें पत्र अलग-अलग रहते हैं। फिर, कुछ अन्तरग परिचय दिया है कि पुस्तक अपूर्ण है। फिर उपरी दशा बताई गई है। 'बहुत बुरी दशा'। दशा का यह वर्णन लेखक ने अपनी रचि के रूप में किया है। बुरी दशा की व्याख्या नहीं दी है।
- (घ) में आन्तरिक विवरण है—पहले इसका स्थूल पक्ष है। इस स्थूल पक्ष में 'पन्नो' की दशा बताई गई है। इसमें जिता वाता का उल्लेख किया जाता है वे हैं पन्ने गायब हैं क्या? कितने और कहाँ कहाँ से गायब हैं? क्या कुछ पन्ने कोरे छोड़ दिये गये हैं? कितने और कहाँ पन्ने कोरे छोड़े गये हैं? अब कुल कितने पन्ने ग्रन्थ में हैं? क्या पन्ने की ऐसी दशा से ग्रन्थ की वस्तु को ग्रहण करने में कुछ बाधा पड़ी है?

यह अन्तिम प्रश्न स्थूल पक्ष में सम्बन्धित नहीं है। यह तो अन्तरग पक्ष अर्थात् ग्रन्थ की वस्तु से सम्बन्धित है। वस्तुतः यह स्थूल और अन्तरग को जोड़ने का प्रयत्न भी करता है। इसी दृष्टि से यह प्रश्न भी यहाँ दिया गया है।

- (ङ) अब अन्तरग पक्ष में निम्नलिखित बातों की जानकारी दी गई है पहली बात तो यही बतायी गयी है कि पन्नो के गायब हो जाने या नष्ट हो जाने का क्या प्रभाव पड़ा है? यह सूचना दी जाती है कि 'इन पृष्ठों में क्या था अब नहीं बताया जा सकता, अन्य आवश्यक सूचनाएँ भी नहीं मिल सकती।'
- (च) अन्तरग पक्ष में ही यह जानकारी अपेक्षित होती है कि पुस्तक में एक ही लिखावट है या कई लिखावटें हैं।
- (छ) क्या अध्याय क्रम ठीक है, या अस्तव्यस्त और अक्रम (रासी में अध्याय को प्रस्ताव' या 'सम्प्री' का नाम दिया गया है।)
- (ज) ग्रन्थ में लिपिकाल की सूचनाएँ या अन्य सूचनाएँ क्या क्या हैं?
- ये सभी बातें आन्तरिक विवरण के अन्तरग पक्ष में सम्बन्धित हैं। विवरण लेखक उपलब्ध सामग्री के आधार पर अनुमानाश्रित अपने निष्कर्ष भी दे सकता है।
- एक और विवरण लें

उदाहरण रुक्मिणी मंगल

327-रुक्मिणी मंगल, पदम भगत श्रुत।

- (क) प्रत्येक राग रागिनी के अन्तर्गत याए छंदों की संख्या पृथक्-पृथक् है।
- (ख) पत्र संख्या—83 है।
- (ग) अपेक्षाकृत मोटे देशी कागज पर है।
- (घ) आकार 11 X 5 5 इंच का है।
- (ङ) हाशिया—दाएँ—एक इंच, बाएँ—एक इंच है।

- (च) पक्ति—प्रति पृष्ठ 10 पक्तियाँ है ।
 (छ) अक्षर—प्रति पक्ति 26-30 तक अक्षर हैं ।
 (ज) लिपि-पाठ्य है, किन्तु बीच में कई पन्नों के अपास में चिपक जाने से कही-बही अपाठ्य है ।
 (झ) श्री साह्वरामजी द्वारा
 (ञ) यह प्रति स० 1935 में लिपिबद्ध की गयी ।
 (ट) प्राप्ति स्थान—लोहावट सायरी है ।
 (ठ) आदि का अक्षर—“श्री विष्णु जी श्री रामचन्द्र जी नमः”
 (ड) अथ श्री प्रदमईया कृत
 (ढ) रुकमणी मंगल लिपत
 (ण) दोहा — ससार सागर अयाग जल ॥ सुभक्त वार न पार ॥
 गुर गोविन्द कृपा करो ॥ गाँवाँ मंगल चार ॥१॥”
 (त) अन्त का अक्षर— जो मंगल कू सुन गाय गुन है बाजै अधिक बजायै
 पूरण ब्रिह्म पदम के स्वामी मुक्त भक्त फल पाय । 5॥192
 (थ) ईती श्री पदमईया कृत रुकमणी मंगल सम्पूर्ण
 (य) 1—समत् 1935 रा वृष मीती भाद्रवाद् 4 वार आदिनवारे लीपीकृत
 (य) 2—शाघ श्री 108 श्री महतजी श्री आतमारामजी का निष शायबरामेण
 (य) 3—गाँव फीटकासणी मेघे
 (य) 3-1 विष्णुजी के मीदर में
 (य) 4—जीमी प्रती देपी (प्रति) तसी लिपी मम दोस न दीजीये—
 (य) 4-1 हाथ पाव कर बुबडी मुप अरु नीचै नैन । ईन कट्टाँ पोधी लीपी तुम नीके
 रापीयो सेन ।
 (द) सुभमस्तु कल्याणमस्तु विष्णुजी । (भिन्न हस्तलिपि में)
 (घ) 1—प्रती व्यावलो श्रीकिसन रुकमणी रो मंगलाचा री पोधी साद गोविददास
 विष्णु बैरानी की कोई उजर करण पावैन्ही ॥ साद रूपराम विसनोइयाँ रा
 कना सु लीनो छै गाँव रामडावाम रा छै ।¹

इसमें—

- (क) म वृत्तिवार का नाम दिया गया है ।
 (ख) यह सूचना है कि राग रागिनी में छ द सख्या अनग अनग है । (यह अनगरग पद्य है)
 (ग) ‘कागज विषयक सूचना (आवार एव स्वरूप पक्ष से सम्बन्धित) मोटा देशी कागज । वस्तुतः कागज या लिप्यासन की प्रवृत्ति वताना बहुत आवश्यक है । कभी-कभी इससे काल निर्धारण में भी सहायना मिलती है, कागज के विविध प्रकारों का ज्ञान भी अपेक्षित है ।
 (घ) में आकार बताते हुए इचो में लम्बाई-चौड़ाई बनायी गई है ।
 (ङ) यह लेखन-सज्जा से सम्यन्धित है : हाशिये वैसे छोड़े गये हैं वैसे धीरे वैसे दोनो ओर हाशिये हैं ;

- (च) मे प्रत्येक पृष्ठ मे पक्ति सख्या का निर्देश है ।
 (छ) मे प्रति पक्ति मे अक्षर-सख्या बताया गयी है ।
 (ज) मे लिपि—इसमे सुपाठ्य या अपाठ्य की बात बताया गई है । (लिपि का नाम नहीं दिया गया है । लिपि नागरी है ।)
 (झ) मे लिपिकार का नाम,
 (न) मे लिपिवद्ध करने की तिथि,
 (ट) मे प्राप्ति स्थान की सूचना है ।

आन्तरिक परिचय .

- (ठ) मे ग्रन्थ के 'आदि' से अवतरण दिया गया है । ग्रन्थारम्भ 'नमोकार' से होता है इसमे सांप्रदायिक इष्ट की नमस्कार है ।
 (ड) ग्रन्थ के आदि मे पुष्पिका है । इसमे रचनाकार और
 (ढ) ग्रन्थ का नाम दिया गया है । तब
 (ण) ग्रन्थ का प्रथम दोहा उद्धृत है, यह दोहा 'मगलाचरण' है ।
 (त) में 'अन्त के अक्षर का उद्धरण है, जिसमे ग्रन्थ की 'फल श्रुति' है, यथा 'मुक्ति भक्ति फलपाया'
 (य) मे ग्रन्थ के अन्त की 'पुष्पिका' (Colophon) है । जिसमें 'इति' और सम्पूर्ण' से ग्रन्थ के अन्त और सम्पूर्ण होने की सूचना के साथ रचनाकार एवं ग्रन्थ-नाम दिया गया है । तब (घ) 1—लिपिवद्ध करने की तिथि, (घ) 2—लिपिकार का परिचय, (घ) 3—मे लिपिवद्ध किये जाने के स्थान-गाँव का नाम है एवं (घ) 3—1 उस गाँव मे वह विजिष्ट स्थान (विष्णु मन्दिर) जहाँ बैठ कर लिखी गई । (घ) 4— लिपिकार की प्रतिज्ञा और दोषारोपण की वज्रंता है । (घ) 4 1 मे पाठक एवं संरक्षक से निवेदन है, इसका स्वरूप परम्परागत है ।
 (द) आशीर्वाचन ।
 (घ) 1—भिन्न हस्तलिपि मे पुस्तक के मानिक की घोषणा ।

उदाहरण—एक पोथी

एक और ग्रन्थ के दिव ण को उदाहरणार्थ यहाँ दिया जा रहा है । इस ग्रन्थ का विवरण म लेखक ने 'पाथी'¹ बताया है —

81 पोथी, जिल्दबन्धी (ब, प्रति) । यत्र-नत्र खण्डित । एकाध पत्र-अप्राप्य । अपशाकृत मोटा देशी कागज । पत्र मसूदा 152 । आकार 10×7 इंच । हाशिया-दाएँ बाएँ . पीठ इंच । तीन लिपिकारों द्वारा म० 1832 म 1839 तक लिपिवद्ध । लिपि, सामान्यतः पाठ्य । पक्ति, प्रति पृष्ठ ।

- (क) हरजी लिखित रचनाओं मे 23-29 तक पक्तियाँ हैं ।
 (ख) तुनछीदास लिखित सबदवाणी में 31 पक्तियाँ हैं, तथा ।
 (ग) ध्यानदास लिखित रचनाओं में 24-25 पक्तियाँ हैं । अक्षर—प्रति-पक्ति—क्रमशः
 (क)मे 18 से 20 तक, (ख)मे 24 से 25 तक तथा (ग)में 23 से 25 तक ।

1. महेश्वरी, शोचाल (बं०)—आम्बोरी, विष्णोई संप्रदाय क्षेत्र साहित्य, पृ० 41-42 ।

गाँव 'मुकाम' के श्री बदरीराम थापन की प्रति होने से इसका नाम व० प्रति रखा गया है। इसमें ये रचनाएँ हैं—

- (क) शीतार पात का बपाँग, बील्होजी कृत। छन्द सख्या 140 ।
 (ख) गूगलीयं की कथा, बील्होजी कृत। छन्द सख्या 86 । (प्रथम रचना का अन्तिम और दूसरी के आरम्भ का एक पत्रा भून से शायद जिल्द बाँधने समय, 'बया जैसलमेर की' के बीच म लग गया है।)
 (ग) सच अचरी विगतावनी, बील्होजी कृत। छन्द सख्या -48 ।
 (घ) कथा दूणपुर की, बील्होजी कृत। छन्द सख्या-60 ।
 (ङ) कथा जैसलमेर की, बील्होजी कृत। छन्द सख्या-89 ।
 (च) कथा भोरडा की, बील्होजी कृत। छन्द सख्या-33 ।
 (छ) कथा ऊदा अनली की, कंसौजी कृत। छन्द सख्या-77 ।
 (ज) कथा सैसे जोपाणी की, कंसौदासजी कृत। छन्द सख्या-106 ।
 (झ) कथा चीनोड की, कंसौदासजी कृत। छन्द सख्या-130 ।
 (न) कथा पुल्लेजी की, बील्होजी कृत। छन्द सख्या-25 ।
 (ट) कथा असकदर पातिसाह की, कंसौदासजी कृत। छन्द सख्या-191 ।
 (ठ) कथा बाल लीला, कंसौदासजी कृत। छन्द सख्या-61 ।
 (ड) कथा धमचारी तथा कथा-चेतन, सूरजनदास जी कृत। छन्द सख्या-115 ।
 (ढ) ग्यान महातम, सूरजनदासजी कृत। छन्द सख्या-199 ।

मभत् 1832 मित्ती जेठ बंद 13 लिपते बणिबाल हरजी लिपावतं म्रतित रासाजी लालाजी का चेला पोथी गाँव जापाणीया मभे लिपी छं सुभ मसतु कल्याण ॥

कथा धतुरदस मे लिपी अरज करू कर धारिः ।

घट्य बधि अक्षर जो हवैं । सन्तो ल्योह सुधारि ॥1॥

- (ण) पह्लाद चिरत, कंसौदासजी कृत। छन्द सख्या-595 । (त) श्री बायक भाभेजी का (सबदवाणी) पद्य प्रसंग समेत। सबद सख्या-117 । आदि का अक्ष-थी परमात्मनेनम श्री गणेशायनम' । लिपते श्री बायक भाभेजी का ॥

वाचं करवैं जल रप्या । सबद जगाया दीप ।

वाभण कूं परचा दिया । अंमा असा अचरज कीप ॥1॥

जो बूमथा मोई कहा । अलप लपाया मेव ॥

घोपा सर्वं गमाईया । जदि सबद कहाया भभदेव ॥2॥

शबद ॥ गुर चीन्हो गुर चिन्ह पिरोहित । गुर मुप धरम वपाणी ॥

अन्त का अक्ष भतीयाँ होइ त मल बुधि आवे । बुरिया बुरी कमावे ॥117॥ सबत 1833॥ तिथ तीज भादवो सुदि । सहर गोर मध्ये लिपते । बपत सागर तटे । लिपावतूं रासा अतीत भाभापथी ॥ शबद भाभेजी का सपूरण ॥ लिपतेनू तुलीछीदास ॥ भाभापथी कंसोदास जी का चेला । कंसोदास जी कालीपोस । बाबाजी नूर जी का सिप । नूरजी पेरराजजी का सिप । पंराज जी जसाणी । आगे बाबा भाभाजी ताई पीढी छं नू हम जाणत भी नाही । जिसी मुसाहिव जी की लिपति थी तिसी लिपी छं यथायं प्रति

उतारी छे । सबदा ॥ दोहा ॥ बवित् । भरिल जो कुछ पा सोई ॥ वा बवत् सुरजनजो रा
बहा, सख्या 329। समत् 1839 रा बैसाप मासे तिथी 5 देवा गुरवारे लिपत वण्णव ॥
भ्यानदास दुगाली मध्ये जया प्रति तथा लिपत ॥ वाचै विचारै तिणनु राम राम । (द)
होम को पाठ (घ) प्रादि वसावलो । (न) विवरस (प) कलस थापन (फ) पाहल । (ब)
चौजूगी वीवाह की । (म) पाहलि (पुन) प्रादि—श्री गणेशायनम श्री सारदाय नम. श्री
विसनजी सत सही ॥ लिपतु भौतार पात का बर्षाण ॥

दुहा ॥ नवणि बरू गुर प्रापणं ॥ नउ निरमल भाय ।

कर जोडे बहू चरण ॥ सोस नवाय नवाय ॥ ॥ ॥

ग्रन्थ—मछ की पाहलि ॥ कछ की पाहली ॥ वारा की पाहली ॥ नारिसिध की
पाहलि ॥ वावन की पाहलि फरसराम की पाहलि राम लक्षमण की पाहलि । कन की
पाहलि बुध की पाहलि निकलकी पाहलि—॥

ऊपर कुछ ग्रन्थों के विवरण (Notices) उद्धृत किये गये हैं । साथ ही प्रत्येक
विवरण में प्राप्ति बातों का भी संकेत हमने अपनी टिप्पणियों में कर दिया है । उनके आधार
पर अब हम ग्रन्थ के विवरण में प्रपेक्षित बातों को व्यवस्थित रूप में यहाँ दे देना चाहते हैं
पांडुलिपि ह्राथ में आने पर विवरण लेने की दृष्टि से इतनी बातें सामने आती हैं •

(1) ग्रन्थ का 'अतिरिक्त पक्ष' । इसमें ये बातें आ सकती हैं •

ग्रन्थ का रत्न-रक्षाथ वेष्टन, पिटक, जिल्द, पट्टी (काँची), पुट्टा, डोरी,
ग्रन्थि । वेष्टन कैसा है ? सामान्य कागज का है, किसी कपड़े का है, चमड़े का है या किसी
ग्रन्थ का ? वह 'पिटव', जिसमें ग्रन्थ सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया है, काष्ठ का है या धातु
का है । जिल्द—यदि ग्रन्थ जिल्दयुक्त है तो वह कैसी है । जिल्द किस वस्तु की है, इसका भी
उल्लेख किया जा सकता है ।

ताड पत्र की पांडुलिपि पर और खुले पत्रों वाली पांडुलिपि पर ऊपर नीचे पटरियों या
काष्ठ-पट्टी¹ लगाये जाते हैं, या पट्टी (पुट्टी) लगाये जाते हैं । इन्हें विशेष पारिभाषिक अर्थ में
'कविका या काँची' भी कहा जाता है । भा जै थ स अने लेखन कला में बताया है कि 'ताड-
पत्रीय लिखित पुस्तकना रक्षण माटे तेनी ऊपर अने नीचे लाकडानी चीपो-याटीयो राखवामा
आवती तेनु नाम 'कविका' छे ।² तो यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि क्या ये
पट्टिकायें ग्रन्थ के दोनों ओर हैं । इनके ऊपर डोरे में ग्रन्थ लगाने की ग्रन्थियाँ (गोलाकार
टुकड़े जिनमें डोरे को पिरोकर पक्की गाँठ लगायी जाती है) भी हैं क्या ? ये किस वस्तु
की हैं ? और कैसे हैं ? क्या इन पर अलकरण या चित्र भी बने हैं ? अलकार और चित्र
का विवरण भी दिया जाना चाहिये ।

(2) पुस्तक का स्वरूप—'अतिरिक्त पक्ष' के बाद पांडुलिपि के 'स्वपक्ष' पर दृष्टि
जाती है । इसमें भी दो पहलू होते हैं ।

1 मा० जै० थ० स० अने लेखन कला में 'काष्ठ पट्टिका' उग लकड़ी की 'पट्टी' को बताया है जिस
पर व्यवसायी लोग कच्चा हिसाब लिखते थे, और लेखकगण पुस्तक का कच्चा पाठ लिखते थे ।
बच्चों को लिखना सिखाने के लिए भी पट्टी काम आती थी । यहाँ इन काष्ठ पट्टिका का उल्लेख
नहीं है । यहाँ 'काष्ठ पट्टिका' से 'पट्टी' अभिप्रेत है, जो पांडुलिपि की रक्षार्थ ऊपर नीचे लगायी
जाती है ।

2 भारतीय जैन धर्मन संस्कृति अने लेखन कला, पृ० 19 ।

पहला पहलू पुस्तक के सामान्य रूप-रंग-विषयक सूचना से सम्बन्धित होता है। पुस्तक देखने में सुन्दर है, अच्छी है, गन्दी है, बुरी है, मटमैली है, जर्जर है, जीर्ण-शीर्ण है, आदि। या भारी-भरकम है, मोटी है, पतली है। वस्तुतः इस रूप में पुस्तक का विवरण कोई अर्थ नहीं रखता, उपयोगी भी नहीं है। हाँ, यदि सुन्दर है या गन्दी है न लिख कर उसके बाह्य रूप-रंग का परिचय दे दिया जाय तो उसे ठीक माना जा सकता है, यथा, ग्रथ का कागज गल गया है, उस पर स्याही के धब्बे हैं, चिकनाई के धब्बे, हल्दी के दाग हैं, रेत-मिट्टी, धुँएँ आदि से घूमिल हैं, कीड़े-मकोड़ों ने, दीमक ने जहाँ-तहाँ खा लिया है, पानी में भीगने से पुस्तक लिङ्घ हो गयी है, आदि।

पुस्तक के रूप का दूसरा पहलू है, 'आकार-सम्बन्धी'। यह बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी विवरणों में इसका उल्लेख रहता है। इसमें ये बातें दी जाती हैं

(क) पुस्तक का प्रकार : प्रकार नामक अध्याय में इनकी विस्तृत चर्चा है। आजकल प्रकारों के जो नाम-विशेष प्रचलित हैं, वे डॉ० माहेश्वरी ने अपने ग्रन्थ में दिये हैं, वे निम्नलिखित हैं :

1. पोथी—प्रायः बीच से सिली, आकार में बड़ी।
2. गुटका—पोथी की भाँति, पर छोटा 6×4'5 इंच के लगभग।
3. बहीनुमा पुस्तिका—21×4 25" इंच। अधिक लम्बी भी होती है।
4. पुस्तिका : आकार 7.5"×5 25" के लगभग।
5. पोथा।
6. पत्रा (खुले पत्रों या पन्नों का)
7. पानावली (विशेष विवरण 'प्रकार' शीर्षक अध्याय में देखिये)।

(ख) पुस्तक का कागज या लिप्यासन - सामान्यतः लिप्यासन के दो स्थूल भेद किये गये हैं (1) कठोर लिप्यासन—मिट्टी की इट्टें गिलाएँ, घातुएँ, आदि इस वर्ग में आती हैं। चर्म, पत्र, छाल, वस्त्र, कागज आदि (2) कोमल माने जाते हैं। मिट्टी की इट्टें, गिला, घातु, चर्म, छाल, ताड़-पत्र आदि में से पत्र, पत्थर, घातु, चर्म, छाल, वस्त्र आदि के प्रकारों को तो 'जनक' कह सकते हैं। क्योंकि इनसे लिप्यासन जन्म लेते हैं। इनमें इनका प्रकृत रूप विद्यमान रहता है। उधर कागज पूरी तरह 'जनित' या मानव निर्मित है। यह विविध वस्तुओं से बनाया जाता है। कागज के भी कितने ही प्रकार होते हैं यथा—देशी कागज, सामान्य, मोटा, पतला, कुछ मोटा, मशीनी और ये विविध रंगों के—भूरा, बादामी, शीला, नीला आदि। इस सम्बन्ध में मुनि पुण्यविजय जी ने जो उल्लेख किया है वह ध्यातव्य है

"कागज ने माटे आपणा प्राचीन सस्कृत ग्रन्थामा वाग्द अने वद्गल शब्दो वपराग्रेला जोवा माँ आवि छे। जेम आजकाल जुदा जुदा देशो में नाना मोटा, भीणा जाडा, सारा नरसा आदि अनेक जातना कागलो बने छे तेम जून जपाना थो माडी आज पर्यन्त आपणा देशना हरेक विभाग माँ अर्थात् काश्मीर, दिल्ली, बिहारना पटना शाहाबाद आदि जिल्लाभो, कानपुर, घोसु डा (मेवाड), अमदावाद, खभात, कागजपुरी (दौलताबाद पासे) आदि अनेक स्थलों माँ पोत पोतानी खपत अने जरूरी जातना प्रमाणमा काश्मीरी, मुंगलीमा, अरवाल, साहेबखानी, अमदावादी, खभाती, शशीमा, दौलतावादी आदि जात जातना कागलो बनता हता अने छुप पण घणे ठेकाणे बने छे, ते माँथी जेजे जूसारा, टकाऊ

अने माफक साने ते नी ते ओ पुस्तक लखवा माटे उपयोग करता" ¹ इस पुस्तक में काश्मीरी कागज की बहुत प्रशंसा की है। यह कागज बहुत कोमल और मजबूत होता था। इस विवरण में मेवाड़ के घोंसुन्दा के कागज का उल्लेख है, पर जयपुर में सागानेर का सागानेरी कागज भी बहुत विख्यात रहा है।

कागज के सम्बन्ध में श्री गोपाल नारायण बहुरा की नीचे दी हुई टिप्पणी भी शानघर्षक हैं

‘स्यालकोट अक्बर के समय में ही एक प्रसिद्ध विद्या केन्द्र बन गया था। वहाँ पर लिखने-पढ़ने का काम खूब होता था और कागज व स्याही बनाने के उद्योग भी वहाँ पर बहुत अच्छे चलते थे। स्यालकोट का बना हुआ बड़िया कागज ‘मानसिही कागज’ के नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ पर देशी कागज भी बनता था। इस स्थान के बने हुए कागज मजबूत, साफ और टिकाऊ होते थे। मुख्य नगर के बाहर तीन ‘ठानियो’ में यह उद्योग चलता था और यहाँ से देश के अन्य भागों में भी कागज भेजा जाता था। दिल्ली के बादशाही दफतरो में प्रायः यहाँ का बना हुआ कागज ही काम में आता था।’²

इसी प्रकार कश्मीर में भी कागज तो बनते ही थे, साथ ही वहाँ पर स्याही भी बहुत अच्छी बनती थी। कश्मीरी कागजों पर लिखे हुए ग्रन्थ बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। जिस प्रकार स्यालकोट कागज के लिए प्रसिद्ध था उसी तरह कश्मीर की स्याही भी नामी मानी जाती थी।³

राजस्थान में भी मुगलकाल में जगह-जगह कागज और स्याही बनाने के कारखाने थे। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, गोगूदा, बूदी, बादीकुई, टोडाभीम और सवाई माधोपुर आदि स्थानों पर अनेक परिवार इसी व्यवसाय से कुटुम्ब पालन करते थे। जयपुर और घास पास के 55 कारखाने कागज बनाने के थे, इनमें सागानेर सबसे अधिक प्रसिद्ध था और यहाँ का बना हुआ कागज ही सरकारी दफतरो में प्रयोग में लाया जाता था। 200 से 300 वर्ष पुराना सागानेरी कागज और उस पर लिखित स्याही के अक्षर कई बार ऐसे देखने में आते हैं मानो आज ही लिखे गये हों।

शहरों और कस्बों से दूरी पर स्थित गाँवों में प्रायः बंनिये और पटवारी लोगों के घरों व दूकानों पर ‘पाठे और स्याही’ मिलते थे। सागानेरी मोटा कागज ‘पाठा’ कहलाता था, अब भी कहते हैं। ‘पाठा’ सम्भवतः पत्र का ही रूपान्तर हो। सेठ या पटवारी के यहाँ ही अधिकतर गाँव के लोग का लिखा पढ़ी का काम होता था। कदाचित् कभी उनके यहाँ लेखन सामग्री न होती तो वह काम उस समय तक के लिए स्थगित कर दिया जाता जब तक कि शहर या पास के बड़े कस्बे या गाँव से ‘स्याही’ पाठे न आ जायें। नुकता या विवाह आदि के लिए जब सामान खरीदा जाता तो स्याही-पाठा सबसे पहले खरीदा जाता था।”

तात्पर्य यह है कि जो हस्तलेख हाथ में आयेँ उनके लिप्यासन की प्रकृति और प्रकार का ठीक ठीक उल्लेख होना चाहिये।

1 भारतीय जैन धर्मण संस्कृति अने लेखन कला, पृ० 29-30।

2 Surcar, J — Topography of the Mughal Empire p 25

3 Ibid p 112

(ख) 1—कागज के प्रकार के साथ कागज के सम्बन्ध में ही कुछ ग्रन्थ बातें और दी जाती हैं

- 1 कागज का रंग स्वाभाविक है या काल-प्रभाव से अस्वाभाविक हो गया है ।
2. क्या कागज कुरकुरा (Brittle) हो गया है ?
- 3 कीड़ों मकोड़ों या दीमकों या चूहों से खा लिया गया है ? कहां-कहां, कितना ? इससे ग्रन्थ के महत्त्व को क्या और कितनी क्षति पहुँची है ।
- 4 समस्त पाण्डुलिपि में क्या एक ही प्रकार का कागज है, या उसमें कई प्रकार के कागज हैं ?

इन ग्रन्थ बातों का अभिप्राय यह होता है कि कागज विषयक जो भी वैशिष्ट्य है वह विदित हो जाय ।

(ख) 2—कागज से काल-निर्धारण में भी सहायता मिल सकती है । इस दृष्टि से भी टीप देनी चाहिये ।

(ग) पत्रों की लम्बाई चौड़ाई—यह लम्बाई-चौड़ाई इंचों में देने की परिपाटी 'लम्बाई इंच × चौड़ाई इंच' इस रूप में देने में सुविधा रहती है । अब तो सेंटीमीटर में देने का प्रचलन भी आरम्भ हो गया है ।

3 पाण्डुलिपि का रूप-विधान

(क) पक्ति एवं अक्षर परिमाण — सबसे पहले लिपि का उल्लेख होना चाहिये । देवनागरी है या अन्य ?¹ वह लिपि शुद्ध है या अशुद्ध ? पाण्डुलिपि के अन्तरंग रूप का यह एक पहलू है ।

प्रत्येक पृष्ठ में पक्तियों की गिनती दी जाती है तथा प्रत्येक पक्ति में अक्षर सख्या दी जाती है । इनकी औसत सख्या ही दी जाती है ।² इससे सम्पूर्ण ग्रन्थ की सामग्री का अक्षर परिमाण विदित हो जाता है ।

संस्कृत ग्रन्थों में 'अनुष्टुप' को एक श्लोक की इकाई मान कर श्लोक सख्या दे दी जाती थी । इस सम्बन्ध में 'भा०ज०अ०स० अने लेखन कला' से यह उद्धरण यहाँ देना समीचीन होगा

“... अने ग्रन्थनी श्लोक सख्या गणना माटे कोईण माधुने अने नवल भाषवामा भावती अन ते साधु 'बत्रीस अक्षरना अक शवाक' ने हिंसाये आखा ग्रन्थना अक्षरा गणीने श्लोक सख्या नक्की करतो ॥³ बत्तीस अक्षर का एक अनुष्टुप श्लोक होता है एक चरण में 8 अक्षर, पूरे चार चरणों में $8 \times 4 = 32$ अक्षर । इस प्रकार गणना का मूलाधार अक्षर ही ठहरता है ।

(ख) पत्रों की सख्या—पक्ति एवं अक्षरों का विवरण देकर यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि पत्रों की पूर्ण सख्या भी दे दी जाय । यथा टेसीटरी, '436 पत्रों का बृहदाकार

- 1 यथा-टेसीटरी "कुछ देवनागरी लिपि हैं और कुछ उम समय में प्रचलित भारवादी लिपि में लिपिबद्ध हैं ।" दरभरता (28-29), पृ० 146 ।
- 2 यह पद्धति भी है कि कम से कम अक्षरों की संख्या और अधिक से अधिक अक्षरों की संख्या दे दी जाती है, यथा 23 से 25 तक ।
- 3 भारतीय अक्षर गणना संस्कृति अने लेखन कला, पृ० 106 ।

ग्रन्थ' । पत्रों की सख्या के साथ यह भी देखना होगा कि (क) पत्र-सख्या का क्रम ठीक है, कोई इधर उधर तो नहीं हो गया है ।

(ख) कोई पत्र या पन्ने कोरे छोड़े गये हैं क्या ?

(ग) उन पर पृष्ठांक कैसे पड़े हुए हैं ?

(घ) पन्ने व्यवस्थित हैं और एक माप के हैं या अस्त-व्यस्त और भिन्न-भिन्न मापों के हैं ?

विशेष 1 इसी के साथ यह बताना भी आवश्यक होता है कि लिखावट कैसी है—सुपाठ्य है, सामान्य है या कुपाठ्य है कि पढ़ी ही नहीं जाती । सुपाठ्य है तो सुष्ठु भी है या नहीं । लिपि सौष्ठव के सम्बन्ध में ये श्लोक आदर्श प्रस्तुत करते हैं

“अक्षराणि समशीर्षाणि बर्तुलानि धनानि च ।

परस्परमलगनानि, यो लिखेत् स हि लेखक ।

समानि समशीर्षाणि, बर्तुलानि धनानि च ।

मात्रासु प्रतिबद्धानि, यो जानाति स लेखक ।

“शीर्षोपितान् सुसम्पूर्णान्, शुभ श्रेणिगतान् समान्
अक्षरान् वै लिखेद् यस्तु, लेखक स धर स्मृत ॥”

यथा टेसीटरी “अनेक स्थानों पर पढ़ा नहीं जाता क्योंकि खराब स्याही के प्रयोग के कारण पत्र आपस में चिपक गये हैं ।¹

2 यह भी बताना होता है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ में एक ही हाथ की लिखावट है या लिखावट-भेद है । लिखावट में भेद यह सिद्ध करता है कि ग्रन्थ विभिन्न हाथों से लिखा गया है, यथा टेसीटरी : समय-समय पर अलग-अलग लेखकों के हाथ से लिपिबद्ध किया हुआ है ।²

(ग) अलकरण—सज्जा एवं चित्र

(आ) सज्जा की दृष्टि से इन दोनों बातों की सूचना भी यही देनी होगी कि ग्रन्थ अलकरण-युक्त है या सचित्र है । अलकरण केवल सुन्दरता बढ़ाने के लिए होते हैं, विषयों से उनका सम्बन्ध नहीं रहता । पशु पक्षी, ज्यामितिक रेखांकन, लता-बेल एवं फल फूल की आकृतियों से ग्रन्थ सजाये जाते हैं । अतः यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि सजावट की शैली कैसी है । सजावट के विविध अभिप्रायों या मोटिफों का युग-प्रवृत्ति से भी सम्बन्ध रहता है, अतः इनसे काल निर्धारण में भी कुछ सहायता मिल सकती है । साथ ही, चित्रालकरण से देश और युग की संस्कृति पर भी प्रकाश पड़ सकता है । यह सिद्ध है कि मध्ययुग में चित्रकला का स्वरूप ग्रन्थ-चित्रों (Miniatures) के द्वारा ही जान सकते हैं । जो भी हो, पहले अलकरण से सजावट की स्थिति का ज्ञान कराया जाना चाहिये ।

तब, ग्रन्थ चित्रों का परिचय भी अपेक्षित है । क्या चित्र पुस्तक के विषय के अनुकूल है, क्या वे विषय के ठीक स्थल पर दिये गये हैं ? वे सख्या में कितने हैं ? कला का स्तर कैसा है ?

1 परम्परा (28-29), पृ० 112 ।

2 वही, पृ० 112 ।

यह बात ध्यान में रखने की है कि चित्र सज्जा के कारण पुस्तक का मूल्य बढ़ जाता है। ग्रन्थ के चित्रों का भी मूल्य अलग से लगता है।

(भा) चित्रों की सख्या की ओर उमके कना स्तर का उल्लेख करते हुए एक गम्भावना की ओर ध्यान देना अपेक्षित है। कितनी ही पुस्तकों में चित्रों में एक विशेषता यह देखने को मिलती है कि चारों कोना में से किसी एक में चतुर्भुज बना कर एक व्यक्ति का रूपानुकरण कर दिया गया है। इस व्यक्ति का चित्र के मूल कथ्य से कोई सम्बन्ध नहीं बँडता। यह सिद्ध हो चुका है। यह चतुर्भुज में अंकित चित्र कृतिकार का होना है। अतः विवरण में यह सूचना भी देनी होगी कि पुस्तक में जो चित्र दिया गया है उनमें एक भरोसा-सा बना कर पुस्तक-लेखक का चित्र भी अंकित मिलता है क्या?

(ग) चित्रों में विविध रंगों का विधान पर भी टीप रहनी चाहिये। हाशिये छाड़ने और हाशिये की रेखाओं की सजावट का भी उल्लेख करें।

(घ) स्याही या मयी

स्याही का भी विवरण दिया जाना चाहिये

1 कच्ची स्याही में लिखा गया है या पक्की में? एक ही स्याही में सम्पूर्ण ग्रन्थ पूरा हुआ है अथवा दो या दो से अधिक स्याहियों का उपयोग किया गया है? प्रायः काली और लाल स्याही का उपयोग होता है। लाल स्याही से दाँतें बाँटें हाशिये की दो दो रेखाएँ खींची जाती हैं। यह भी देखने में आया है कि ग्रन्थों में आरम्भ का नमोकार और अन्त में "ग्रन्थ लिख्यते" आदि शीर्षक लाल स्याही में लिखा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक अध्याय के अन्त में पुष्पिका भी और ग्रन्थ-समाप्ति की पुष्पिका भी लाल स्याही से लिखी जाती है। पूरा ग्रन्थ काली स्याही में, उसके शीर्षक और पुष्पिकाएँ लाल स्याही में ही तो उसका उल्लेख भी विवरण में किया जाना उचित प्रतीत होता है। किन्हीं ग्रन्थों में ऐसे स्थलों पर लाल रंग केर देते हैं, और उस पर काली स्याही से ही पुष्पिका आदि दी जाती है।

यह तो वे बातें हुईं जो पाण्डुलिपि के रूप का बाह्य और अन्तरंग रूप का ज्ञान कराती हैं।

4 अन्तरंग परिचय

इसके बाद विवरण या प्रतिवेदन (रिपोर्ट) में कुछ और अन्तरंग परिचय भी देना होता है। यह अन्तरंग परिचय भी स्थूल ही होता है। इस परिचय में निम्नांकित बातें बताई जाती हैं

(क) ग्रन्थकार या रचयिता का नाम यथा, टेसीटरी- दम्पति विनाद¹ (1) इसका कर्ता जोशीराया है।' धोकानेर के राठोडारी ख्यात (2) ग्रन्थ का निर्माण अरज सिद्धायच दयालदास द्वारा हुआ। डाला मारवणी से बात—रचयिता-अज्ञात²

रचयिता के सम्बन्ध में अर्थ विवरण जो ग्रन्थ में उपलब्ध हो वह भी यहाँ देना चाहिये। यथा, निवास स्थान, वंश परिचय आदि।

1. परम्परा (28-29), पृ० 48।

2. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, पृ० 38।

(ख) रचनाकाल¹ : इस विवरण में वही रचना-काल दिया जायगा जो ग्रन्थ में ग्रन्थ कर्ता ने दिया है। यदि उसने रचना-काल नहीं दिया तो यही सूचना दी जानी चाहिये।

हाँ, यदि आपके पास ऐसे कुछ साधन हैं कि आप इस कृति के सम्भावित काल का अनुमान लगा सकते हैं तो अपने अनुमान को अनुमान के रूप में दे सकते हैं।

(ग) ग्रन्थ रचना का उद्देश्य—यथा, “बीकानेर के राठोड़ी री क्यात² ग्रन्थ का निर्माण ... “बीकानेर के महाराजा सिरदार सिंह के आदेश पर किया गया है।”

“इसी प्रकार ये उद्देश्य भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, यथा-राजाज्ञा से’ और ‘सुफल प्राप्त्यर्थ’ विष्णुदास ने ‘पाडव चरित्र’ लिखा।

(घ) ग्रन्थ रचना का स्थान। यथा, ‘गड गोपाचल वैरिनि सालू’।³

(ङ) यदि किसी के आश्रय में लिखा गया है तो आश्रयदाता का नाम—यथा, ‘डौगर-सिंघ राउवर बीरा’ तथा आश्रयदाता का ग्रन्थ परिचय

(च) भाषा विषयक अभिमत—यहाँ स्थूलतः यह बताया होगा कि संस्कृत, डिंगल, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगाली, गुजराती, ब्रज, अवधी, हिन्दी (खड़ीबोली) तामिल या राजस्थानी (मारवाड़ी, हाडौती, डूँडारी, शेखावाटी), आदि विविध भाषाओं में से किस भाषा में ग्रन्थ लिखा गया है।

यहाँ भाषाओं की यह सूची संकेत मात्र देती है। भाषाएँ तो और भी हैं, उनमें से किसी में भी यह ग्रन्थ लिखा हुआ हो सकता है।

(छ)—I भाषा का कोई उल्लेखनीय वैशिष्ट्य।

(ज) लिपि एवं लिपिकार का नाम

(झ) लिपिकार का कुछ और परिचय (ग्रन्थ में दी गयी सामग्री के साधारण पर)

1 किस गुरु-परम्परा का शिष्य

2 माता-पिता तथा भाई आदि के नाम

3 लिपिकार के आश्रयदाता

4. प्रतिलिपि कराने का अभिप्राय .

क—किसी राजकुमार के पठनार्थ

ख—किसी ग्रन्थ के लिए पठनार्थ

ग—स्व-पठनार्थ

घ—आदेश-पालनार्थ

ङ—शुभ फल प्राप्त्यर्थ

च—दानार्थ आदि-आदि

(ञ) लिपिकार के आश्रयदाता का परिचय

(ट) प्रतिलिपि का स्वामित्व

1 विस्तृत विवरण के लिए देखिए ‘काल निर्णय की समस्या’ विषयक धारणी अध्याय।

2. परम्परा (28-29), पृ० १।

3. पाडव चरित्र, पृ० 5।

(ठ) प्रत्येक अध्याय के अन्त में भी यदि पुष्पिका हो तो उसे भी उद्धृत कर देना चाहिये ।

5. अन्तरंग परिचय का आन्तरिक पक्ष

- (क) प्रतिपाद्य विषय का विवरण । यथा, टेसीटरी-इसी अध्याय में पृ 74 पर (ग) 'नागौर रे मामले की बात' का विवरण देखें ।
- (ख) आरम्भ का अंश, कम से कम एक छन्द चार चरणों का तो देना ही चाहिये । यदि आरम्भ के अंश में कुछ और ज्ञातव्य सामग्री हो तो उसे भी उद्धृत कर दिया जाय, जैसे पुष्पिका । (यथावत् उद्धृत करनी होती है ।)
- (ग) आरम्भ में यदि पुष्पिका या कोलोफोन हो तो उसे भी यथावत् उद्धृत करना होगा ।
- (घ) मध्य भाग से भी कुछ अंश देना चाहिये । ये अंश ऐसे चुने जाने चाहिये कि उनसे कवि के कवित्व का आभास मिल सके ।
- (ङ) अन्त का अंश, इस अंश में अन्तिम पुष्पिका, तथा उससे पूर्व का भी कुछ अंश दिया जाता है ।
- (च) परम्परागत फलश्रुति, लेखक की निर्दोषिता (जैसा देखा वैसा लिखा) तथा श्लोक या अक्षर की सख्या ।
- (छ) अन्य उल्लेखनीय बात या उद्धरण । यथा,
प्राप्ति स्थान, एवं उस व्यक्ति का नाम एवं परिचय जिसके यहाँ से ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है ।

विवरण के लिए प्रस्तावित प्रारूप

काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा ने विवरण लेने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए प्रारूप मुद्रित करा दिया था । विवरण लेनेवाला उसमें दिये विविध शीर्षकों के अनुकूल सूचना भर देता है । इस योजना से यह भय नहीं रहता है कि खोजकर्ता किन्हीं बातों को छोड़ देगा । ऊपर जो विवेचन दिया गया है उसके आधार पर एक प्रारूप यहाँ प्रस्तुत किया जाता है :

हस्तलिखित-ग्रन्थ (पाण्डुलिपि) का सामान्य परिचयात्मक विवरण (रिपोर्ट)

क्रमांक.....

...पाण्डुलिपि का प्रकार.....
गुटका/पेची.....

1. पाण्डुलिपि (ग्रन्थ) का नाम.....
2. कर्ता या रचयिता.....
3. रचना काल.....
4. पुस्तक की कुल पत्र सख्या.....
(विशेष--

- (क) कितने पृष्ठ या पन्ने कोरे छोड़े गये हैं ? किस-किस स्थान पर छोड़े गये हैं.....
- (ख) क्या कुछ पृष्ठ/पन्ने अवाष्प हैं ? कहाँ-कहाँ ?.....

- (ग) क्या कहीं कटे-फटे हैं ? कहीं-कहीं ?.....
5. प्रत्येक पत्र की लम्बाई × चौड़ाई (इंचो या सेंटीमीटरों में).....
6. प्रत्येक पृष्ठ पर पंक्ति संख्या.....
प्रत्येक पंक्ति में अक्षर संख्या.....
7. पांडुलिपि का लिप्यासन प्रकार.....
ईट
शिला
चर्म
ताम्र या अन्य धातु का
ताड़-पत्र
भूर्जपत्र
छाद्य, पेपीरस आदि
कपडा
कागज.....प्रकार सहित.....
8. लिपि-प्रकार.....
देवनागरी, मारवाड़ी, कंथी आदि
9. लिखावट क्या एक ही हाथ की या कई हाथों की.....
लिखावट के सम्बन्ध में अन्य विशिष्ट बातें.....
10. प्रत्येक पन्ने पर लिपि की माप¹.....
(मौसत में)
11. लिपिकार/लिपिकारों के
नाम.....
स्थान.....
लिप्यंकन की तिथि.....
12. रचनाकार के आश्रयदाता.....
(परिचय)
13. लिपिकार के आश्रयदाता.....
(परिचय)
14. रचना का उद्देश्य
15. प्रतिलिपि करने का उद्देश्य
16. पुस्तक का रख-रखाव—
बुगचा, धंला, सामान्य वेष्टन, पुट्टे, तख्तियाँ, डोरी, ग्रन्थि, ग्रन्थ, छादन.....
17. विषय का संक्षिप्त परिचय-संघर्षों की संख्या के उल्लेख के साथ.....
17. (i) विषय का कुछ विस्तृत परिचय
18. आदि (उद्धरण)

1. लिपि के माप से यह पता चलेगा कि अक्षर छोटे हैं या बड़े हैं।

- 19 मध्य (उद्धरण)
 20. अन्त (उद्धरण)
 21. ग्रन्थ में आयी सभी पुष्पिकाएँ—

- (1)
 (2)
 (3)
 (4)
 (5)
 (6)
 (7)

शोध-विवरण का यह प्रारूप अपने-अपने दृष्टिकोण से घटा-बड़ा कर बनाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई भी महत्वपूर्ण बात छूट नहीं सकती है और सूचनाएँ क्रमांक युक्त हैं। यथार्थ में इन अंकों का उपयोग भी लाभप्रद हो सकता है।

विवरण लेखन में दृष्टि

डॉ० नारायणसिंह भाटी ने 'परम्परा'¹ में डॉ० टेसीटरी के 'राजस्थानी ग्रन्थ सर्वेक्षण अंक' में सम्पादकीय में डॉ० टेसीटरी के शोध सिद्धान्तों को संक्षेप में अपने शब्दों में दिया है। वे इस प्रकार हैं

1 "ग्रन्थ का परिचय देने से पहले उन्होंने बड़े गौर से उसे आद्योपान्त पढ़ा है तथा पूरे ग्रन्थ में कोई भी उपयोगी तथ्य मिला है उसका उल्लेख अवश्य किया है।

2 डिगल में पद्य और गद्य दोनों ही विधाओं के अधिकांश ग्रन्थ ऐतिहासिक-तथ्यों पर आधारित हैं। अतः उन्होंने इतिहास को कहीं भी अपनी दृष्टि से अग्रभूल नहीं होने दिया है। उस समय कर्नल टॉड के 'राजस्थान' के अतिरिक्त यहाँ का कोई प्रामाणिक इतिहास प्रकाशित नहीं था। अतः ऐसी स्थिति में भी ऐतिहासिक तथ्यों पर टिप्पणी करते समय लेखक ने सचेष्ट जागरूकता का परिचय दिया है और अनेक स्थलों पर अपना मत व्यक्त करते हुए शोधकर्ताओं के लिए कई गुलियों को सुलभाने का भी प्रयास किया है।

3 कृति में से उद्धरण चुनते समय प्रायः इतिहास, भाषा अथवा कृति के लेखक व सवत् आदि तथ्यों को पाठक के सम्मुख रखने का उद्देश्य रखा है। उद्धरण अक्षरशः उसी रूप में लिए गये हैं जैसे मूल में उपलब्ध हैं।

4. एक ही ग्रन्थ में प्रायः अनेक कृतियाँ संगृहीत हैं परन्तु प्रत्येक कृति का शीर्षक लिपिकर्ता द्वारा नहीं दिया गया है। ऐसी कृतियों पर सुविधा के लिए टेसीटरी ने अपनी ओर से राजस्थानी शीर्षक लगा दिये हैं।

5. जो कृतियाँ ऐतिहासिक व साहित्यिक दृष्टि से मूल्यवान नहीं हैं उनका या तो उल्लेख मात्र कर दिया है या निरर्थक समझ कर छोड़ दिया है, परन्तु ऐसे स्थलों पर उनके छोड़े जाने का उल्लेख अवश्य कर दिया है।

6 जहाँ ग्रन्थ में कुछ पत्र चूटित हैं अथवा किसी कारण से कुछ पृष्ठ पड़े जाने योग्य नहीं रहे हैं तो इसका उल्लेख भी यथास्थान कर दिया गया है।

7. जहाँ एक ग्रन्थ की कृतियाँ दूसरे ग्रन्थ की कृतियों के समरूप हैं, या उनकी प्रतिलिपि हैं या पाठान्तर के कारण तुलनात्मक दृष्टि से महत्त्व रखती हैं, ऐसी स्थिति में उनका स्पष्ट उल्लेख बराबर किया गया है।

8. जहाँ गीत, दोहे, छप्पय, नीसाणी आदि स्फुट छन्द आए हैं वहाँ उनका विषयानुसार वर्गीकरण करके उनके सम्बन्ध में यथोचित जानकारी प्रस्तुत की गई है। कृति के साथ कर्ता का नाम भी यथासम्भव दे दिया गया है। कर्ता का नाम देते समय प्रायः उसकी जाति व खाँप आदि का भी उल्लेख कर दिया है।

9. डॉ० टैसीटरी प्रमुखतया भाषा-विज्ञान के जिज्ञासु विद्वान् थे, अतः उन्होंने प्राचीन कृतियों का विवरण देते समय उनमें प्राप्त क्रियारूपों आदि पर भी अवसर निकाल कर टिप्पणी की है।

लेखा-जोखा .

पांडुलिपि की खोज में प्रवृत्त सस्या या व्यक्ति उक्त प्रकार से ग्रन्थों के विवरण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्हें अपनी इस खोज पर किसी एक कालावधि में बाँधकर विचार करना और लेखा-जोखा भी लेना होगा। यह कालावधि तीन माह, छ. माह, नौ माह, एक वर्ष या तीन वर्ष की हो सकती है।

यह लेखा जोखा उक्त शोध से प्राप्त सामग्री के विवरणों के लिए भूमिका का काम दे सकता है। इसमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जा सकता है :

लेखे-जोखे की कालावधि

सन्..... से सन्.... तक

1. खोज कार्य में घाने वाली कठिनाइयाँ, उन्हें किन उपायों से दूर किया गया।
2. खोज कार्य का भौगोलिक क्षेत्र। सचित्र हो तो उपयोगिता बढ़ जाती है।
3. भौगोलिक क्षेत्र के विविध स्थानों से प्राप्त सामग्री का सख्यात्मक निर्देश। किस स्थान से कितने ग्रन्थ मिले? सबसे अधिक किस क्षेत्र से?
4. कुल ग्रन्थ सख्या जिनका विवरण इस कालावधि में लिया गया।
5. इस विवरण को (विशेष कालावधि में) प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नीति,

यथा :

(क) सबसे पहले मेवाड़ और मेवाड़ में भी सबसे पहले यहाँ के तीन प्रसिद्ध-राजकीय पुस्तकालयों—सरस्वती भण्डार, सज्जनवाणी विलास और विकटोरिया हॉल लाइब्रेरी से ही इस काम (शोध) को शुरू करना तय किया।¹

(ख) "प्रारम्भ में मेरा इरादा जितने भी-हस्तलिखित ग्रन्थ हाथ में आये" उन सबके नोटिस लेने का था। लेकिन बाद में जब एक ही ग्रन्थ की कई पांडुलिपियाँ मिलीं तब इस विचार को बदलना पड़ा ".....अतएव मैंने एक ही ग्रन्थ की उपलब्ध सभी हस्तलिखित प्रतियों का एकसाथ, तुलनात्मक अध्ययन किया और-जिन-जिन ग्रन्थों

को विभिन्न प्रतियों में पाठान्तर पाया उन सब के नोटिस ले लिये और जिन-जिन ग्रन्थों की भिन्न-भिन्न प्रतियों में पाठान्तर दिखाई नहीं दिया उनमें से सिर्फ एक, सबसे प्राचीन, प्रति का विवरण लेकर शेष को छोड़ दिया। लेकिन इस नियम का निर्वाह भी पूरी तरह से न हो सका¹—

(ग) “कुल मिलाकर मैंने 1200 ग्रन्थों की 1400 के लगभग प्रतियाँ देखी और 300 के नोटिस लिये। मूल योजना के अनुसार इस प्रथम भाग में इन तीन सौ ही प्रतियों के विवरण दिये जाने को थे, लेकिन कागज की महंगाई के कारण ऐसा न हो सका और 175 ग्रन्थों (201 प्रतियों) के विवरण देकर ही संतोष करना पड़ा।”²

6 समस्त ग्रन्थों का विषयानुसार विभाजन या वर्गीकरण। पं० मोतीलाल मेनारिया ने इस प्रकार किया है :—

1. भक्ति
2. रीति और विगल
3. सामान्य काव्य
4. कथा-कहानी
5. धर्म, भ्रष्टात्म और दर्शन
6. टीका
7. ऐतिहासिक काव्य
8. जीवन-चरित
9. शृंगार काव्य
10. नाटक
11. सगीत
12. राजनीति
13. शालिहोत्र
14. वृष्टि-विज्ञान
15. गणित
16. स्तोत्र
17. वैद्यक
18. कोश
19. विविध
20. संग्रह³

प्रत्येक खोज संस्थान या खोज-प्रवृत्त व्यक्ति को यह विभाजन अपनी सामग्री के आधार पर वर्गीकरण के वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार करना चाहिये। पुस्तकालय-विज्ञान का वर्गीकरण उपयोग में लाया जा सकता है। प्रत्येक विषय की प्राप्त पाण्डुलिपियों को पूरी संख्या भी देनी चाहिए।

1. उत्तराखण्ड में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की टीका (प्रथम भाग), प्रकाशकन पृ० ४।
2. वही पृ० ५
3. वही पृ० ५

7 यह सूचना भी देनी होती है कि—

- (1) ऐसे लेखक कितने हैं जो अब तक अज्ञात थे। उनकी अज्ञात कृतियों की सख्या।
- (2) ज्ञात लेखकों की अज्ञात कृतियों की सख्या तथा नयी उपलब्धियों का कुल योग।

डॉ० हीरालाल, डी० लिट०, एम० आर० ए० एस० ने त्रयोदश त्रैवार्षिक विवरण (सन् 1926-1928 ई०) की विवरणिका में प्राप्त ग्रन्थों का विषयानुसार वर्गीकरण यों दिया था

“हस्तलेखों के विषय हस्तलेखों के विषय का विवरण निम्नलिखित है

धर्म	358	हस्तलेख
दर्शन	114	”
पिंगल	31	”
असकार	50	”
शृंगार	151	”
राग रागिनी	51	”
नाटक	2	”
जीवन चारित्र	25	”
उपदेश	43	”
राजनीतिक	12	”
कोश	16	”
ज्योतिष	124	”
सामुद्रिक	9	”
गणित व विज्ञान	6	,
वैद्यक	74	,
शालिहोत्र	11	,
कोक	11	,
इतिहास	67	,
कथा कहानी	44	,
विविध	80	”

जोड़ 1279 हस्तलेख’

8 मेनारिया जी और डॉ० हीरालाल जी दोनों के वर्गीकरण सदीय हैं, पर इनसे प्राप्त ग्रन्थ सम्पत्ति के वर्गों का कुछ ज्ञान तो हो ही जाता है। किन्तु पाडुलिपिविद को अपनी सामग्री का अधिक से अधिक वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा पुस्तकालय-विज्ञान में दिये वर्गीकरण का सिद्धान्त ही अपना लेना चाहिये।

9. नयी उपलब्धियों का कुछ विशेष विवरण, उनके महत्त्व के मूल्यांकन की दृष्टि से

की विभिन्न प्रतियों में पाठान्तर पाया उन सब के नोटिस ले लिये और जिन जिन ग्रन्थों की भिन्न भिन्न प्रतियों में पाठान्तर दिखाई नहीं दिया उनमें से सिर्फ एक, सबसे प्राचीन, प्रति का विवरण लेकर शेष को छोड़ दिया। लेकिन इस नियम का निर्वाह भी पूरी तरह से न हो सका¹—

(ग) 'कुल मिलाकर मैंने 1200 ग्रन्थों की 1400 के लगभग प्रतियाँ देखी और 300 के नोटिस लिये। मूल योजना के अनुसार इस प्रथम भाग में इन तीन सौ ही प्रतियों के विवरण दिये जाने को थे, लेकिन कागज की महंगाई के कारण ऐसा न हो सका और 175 ग्रन्थों (201 प्रतियों) के विवरण देकर ही सतोष करना पड़ा।'²

6 समस्त ग्रन्थों का विषयानुसार विभाजन या वर्गीकरण। प० मोतीलाल मेनारिया ने इस प्रकार किया है —

- 1 भक्ति
- 2 रीति और पिगल
- 3 सामान्य काव्य
- 4 कथा-कहानी
- 5 धर्म, अध्यात्म और दर्शन
- 6 टीका
- 7 ऐतिहासिक काव्य
- 8 जीवन चरित
- 9 शृंगार काव्य
- 10 नाटक
- 11 सगीत
- 12 राजनीति
- 13 शालिहोत्र
- 14 दृष्टि विज्ञान
- 15 गणित
- 16 स्तोत्र
17. वैद्यक
- 18 कोश
- 19 विविध
- 20 सग्रह³

प्रत्येक श्रेणी सत्यान या श्रेणी प्रवृत्त व्यक्ति को यह विभाजन अपनी सामग्री के आधार पर वर्गीकरण के बंशानिक सिद्धान्तों के अनुसार करना चाहिये। पुस्तकालय विज्ञान का वर्गीकरण उपयोग में लाया जा सकता है। प्रत्येक विषय की प्राप्त पाण्डुलिपियों की पूरी सख्या भी देनी चाहिए।

1 पाठस्यान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की श्रेणी (प्रथम भाग), प्राक्कथन पृ० ४। *

2 वही पृ० ४

3 वही पृ० ४

7. यह सूचना भी देनी होती है कि—

- (1) ऐसे लेखक कितने हैं जो अब तक म्रजात थे । उनकी म्रजात कृतियों की संख्या ।
- (2) ज्ञात लेखकों की म्रजात कृतियों की संख्या तथा नयी उपलब्धियों का कुल योग ।

डॉ० हीरालाल, डी० लिट्०, एम० आर० ए० एस० ने अयोदश त्रैवार्षिक विवरण (सन् 1926-1928 ई०) की विवरणिका में प्राप्त ग्रन्थों का विषयानुसार वर्गीकरण यों दिया था :

“हस्तलेखों के विषय : हस्तलेखों के विषय का विवरण निम्नलिखित है :

धर्म	358	हस्तलेख
दर्शन	114	”
पिपल	31	”
मलंकार	50	”
शृंगार	151	”
राग रागिनी	51	”
नाटक	2	”
जीवन चारित्र	25	”
उपदेश	43	”
राजनीतिक	12	”
कोश	16	”
उद्योतिप	124	”
सामुद्रिक	9	”
गणित व विज्ञान	6	”
यैद्यक	74	”
शालिहोत्र	11	”
कोक	11	”
इतिहास	67	”
कथा-कहानी	44	”
विविध	80	”

जोड़ 1279 हस्तलेख”

8. मेनारिया जी और डॉ० हीरालाल जी दोनों के वर्गीकरण सदोप हैं, पर इनसे प्राप्त ग्रन्थ सम्पत्ति के वर्गों का कुछ ज्ञान तो ही जाता है । किन्तु पांडुलिपिविद को अपनी सामग्री का अधिक से अधिक वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा पुस्तकालय-विज्ञान में दिये वर्गीकरण का सिद्धान्त ही अपना लेना चाहिये ।

9. नयी उपलब्धियों का कुछ विशेष विवरण, उनके महत्त्व के मूल्यांकन की दृष्टि से :

इस विशेष कालावधि के विवरण में पुस्तकों के विवरणों को अक्षरादि क्रम से प्रस्तुत करने में सुविधा रहती है।

कुछ अनुक्रमणिकाएँ दी जानी चाहिए।

- 1 ग्रन्थ नामानुक्रमणिका
- 2 लेखक नामानुक्रमणिका

लेखे-जोमे में रचना काल और लिपिकाल दोनों की कालक्रमानुसार उपलब्ध रचनाओं और विषयवार ग्रन्थों की सूचना भी दी जानी चाहिए। इसके लिए निम्न प्रकार की तालिका बनायी जा सकती है

विषय वग काल	भक्ति		रीति		ग्रार्द
	र० काल ग्रन्थ संख्या	लिपिकाल ग्रन्थ सं०	र० काल ग्रन्थ संख्या	लिपिकाल ग्रन्थ सं०	

1001¹

1010

1020

1030

इस तालिका द्वारा शताब्दी क्रम से उपलब्ध ग्रन्थ-संख्या का ज्ञान हो जाता है।

एक तालिका यहाँ 'हिन्दी हस्तलेखों की खोज की तरहवी 'विवरणिका' से उदाहरणार्थ उद्धृत की जाती है

शतियाँ	12वीं	13वीं	14वीं	15वीं	16वीं	17वीं	18वीं	19वीं	अज्ञात	योग
	2	—	—	7	36	201	209	427	394	1278

इस तालिका द्वारा शताब्दी क्रम से उपलब्ध ग्रन्थ संख्या का ज्ञान हो जाता है। इसमें यह स्पष्ट है कि 13वीं विवरणिका के वर्षों में 12 वीं शती में पूर्व की कोई वृत्ति नहीं मिली थी। 12 वीं शती की 2 वृत्तियाँ मिली। फिर दो शताब्दियाँ शून्य रही।

इस तालिका से यह विदित हो जाता है कि किस काल में किस विषय की कितनी पुस्तकें उपलब्ध हुई हैं। इस काल क्रम से प्राचीनतम पुस्तक की ओर ध्यान जाता है। काल-क्रम में जो पुस्तक जितनी ही पुरानी होगी उतनी ही कई हफ्ठियों में महत्त्वपूर्ण मानी जायेंगी। इससे यह भी विदित होता है कि काल क्रम में विविध शताब्दियों में उपलब्धियों का अनुपात क्या रहा ?

अब तक के अज्ञात लेखकों और अज्ञान वृत्तियों का विशेष परिचय प्राप्त हो सके तो उसे प्राप्त करके उन पर कुछ विशेष टिप्पणियाँ देना भी लाभप्रद होता है।

काशीनागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टों में जो क्रम अपनाया गया है, वह इस प्रकार है - (1) में विवरणिका, जिसमें खोज के निष्कर्ष दिये जाते हैं। फिर परिशिष्ट एवं रचयिताओं का परिचय। (2) में ग्रन्थों के विवरण, (3) में अज्ञात रचनाकारों के

1 इस 'काल क्रम' का आरम्भ उन प्राचीनतम सन्/संवत् से करना चाहिये जिसकी वृत्ति हमें खोज में मिल चुकी हो।

ग्रन्थों की सूची, (4) में महत्त्वपूर्ण हस्तलेखों की समय-सूचक तालिका। यह परिपाटी दीर्घ अनुभव का परिणाम है। इसे कोई भी पांडुलिपि-विज्ञान-विद् अपने लाभ के लिये अपना सकता है।

तात्पर्य यह है कि लेखे-जोखे के द्वारा ग्रन्थ शोध से प्राप्त सामग्री का संक्षेप में मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शोध उपलब्धियों का महत्त्व उभर सके।

तुलनात्मक अध्ययन

पांडुलिपि-विद् के लिए यही एक और प्रकार का अध्ययन-क्षेत्र उभरता है। इसे उपलब्ध सामग्री का तुलनात्मक मूल्यांकन या अध्ययन कह सकते हैं। हमें क्षेत्रीय कार्य करते हुए और विवरण तैयार करते हुए कुछ कवि प्राप्त हुए। अब हमें यह भी जानना आवश्यक है कि क्या एक ही नाम के कई कवि हैं? उनकी पारस्परिक भिन्नता, अभिन्नता और उनके कृतिरस की स्थूल तुलना करके अपनी उपलब्धि का महत्त्व समझा और समझाया जा सकता है। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करना होगा। 'चन्द कवि' नाम के कवि के आपको कुछ ग्रन्थ मिले। आपने अब तक प्रकाशित या उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनका विवरण एकत्र किया। तब तुलनापूर्वक कुछ निष्कर्ष निकाला। इसका रूप यह हो सकता है।

कवि चन्द

हिन्दी साहित्य में आदिकालीन चदवरदायी से लेकर आधुनिक युग तक चद नाम के अनेक कवि हुए हैं। 'मिश्रबन्धु विनोद' ने 'चद' नाम के जिन कवियों का उल्लेख किया है उनका विवरण निम्न प्रकार है। इस विवरण के साथ 'सरोज सर्वेक्षणकार' की टिप्पणियाँ भी यथास्थान दे दी गई हैं।

मिश्रबन्धु विनोद

भाग 2 पृष्ठ—548

नाम—(1316) चन्द्रघन

ग्रन्थ—भागवत-नार भाषा।

कविताकाल—1863 के पहले (संज्ञा 1900)। यहाँ वैपम्य केवल इतना है कि हमारे निजी संग्रह के कवि का नाम 'कवि चन्द' है और मिश्रबन्धु में चन्द्रघन।

अब 'चन्द' नाम के अन्य कवि 'मिश्रबन्धु विनोद' में नाम साम्य के आधार पर ये हैं :

प्रथम भाग

(135) चन्द पृष्ठ 134

ग्रन्थ—हितोपदेश

कविताकाल—सं० 1563

पृ०—71

(39) नाम महाकवि चण्ड बरबाई

ग्रन्थ—पृथ्वीराज रासो

सरोजकार¹ ने पृथ्वीराज रासो के रचयिता चन्द को 'चन्द कवि प्राचीन बन्दीजन, सम्मल निवासी' स्वीकार किया है। स० 1196 में उपस्थित माना है।

सरोज-सर्वेक्षणकार² ने चन्द का रचना काल स० 1225 से 1249 तक माना है। इनकी मान्यता के अनुसार चन्द की मृत्यु स० 1249 में हुई।

द्वितीय भाग

पृ०—278

(538) नाम—(403) चन्द

ग्रन्थ—नागनौर की लीला (कालीनाथना)। सरोज सर्वेक्षणकार का मत है कि इस पुस्तक का नाम 'नाग लीला' भी है।

रचना काल—1715

पृ०—325

(382) चन्द व पठान सुल्तान

सरोजकार ने इस चन्द कवि को सवत् 1749 में उपस्थित माना है। कवि सुल्तान पठान नवाब राजागठ भाई बन्धु बाबू भूपाल के यहाँ थे। इन्होंने कुण्डलियाँ छंद में सुल्तान पठान के नाम से बिहारी सतसई का तिलक बनाया है।

सरोज सर्वेक्षणकार का मत है कि चन्द द्वारा प्रस्तुत यह टीका मिलती नहीं है। भूपाल का नवाब स० 1761 में सुल्तान मुहम्मद खाँ था। इन्हीं के आश्रित चन्द कवि का उल्लेख मिलता है।

तृतीय भाग

पृष्ठ—44

(2138) नाम—(1784) चन्द कवि

विवरण—स० 1890 के लगभग थे।

पृष्ठ—85

(2341) नाम—(2003) चन्द कवि

ग्रन्थ—भेद प्रकाश - (प्र० भ्रं० रि०), महाभारत भाषा (1919) (स्रोत 1904)।

कविताकाल—स० 1904

कुछ कुछ नाम साम्य के आधार पर निम्न कवि मिश्रबन्धु विनोद से मिलते हैं। ये चन्द नाम के नहीं वरन् चन्द से मिलने-जुलने नाम वाले हैं। इन्हें यहाँ केवल इसलिए दिया जा रहा है कि इनके नाम में जो साम्य है, उससे कहीं आगे भ्रम न रहे और 'चन्द' या 'चन्द्र' जिसका नामांश है वह भी ज्ञात हो जाय।

प्रथम भाग

पृष्ठ—194

(265) नाम—चन्द सली (ब्रजवासी)

1 सरोजकार से हमारा अभिप्राय 'शिवसिंह सरोज' के लेखक से है।

2 'सरोज सर्वेक्षणकार' से हमारा अभिप्राय डॉ० किशोरी लाल शुक्ल से है।

कविता काल—1638

द्वितीय भाग

पृष्ठ—301

(584) नाम—चन्द्रसेन

ग्रन्थ—माधव-निदान

पृष्ठ—467

(1066/2) नाम—चन्द्रलाल गोस्वामी (राधावल्लभी) ।

कविता काल—1824 (द्वि० नै० रि०)

पृष्ठ—344

(763) नाम—चन्द्रलाल गोस्वामी (राधावल्लभी)

कविता काल—1767

पृष्ठ—437

(998) नाम—चन्द्र (राधा वल्लभी)

रचना काल—1820

पृष्ठ—466

(1064) नाम—चन्द्रदास

कविता काल—1823 के पूर्व

पृष्ठ—470

(1077) नाम—चन्द्र कवि सनादय चौबे

कविता काल—1828

पृष्ठ—475

(1094) नाम—चन्दन

समय—सं० 1830 के लगभग वर्तमान थे ।

पृष्ठ—815

नाम—(1011) चन्द्रहित, राधावल्लभी

पृष्ठ—508

नाम—(1190/1) चन्द्रजू गुसाई

रचनाकाल—1846

पृष्ठ—571

नाम—(1433) चन्द्रशेखर वाजपेयी

तृतीय भाग

पृष्ठ—13

नाम—(1716) चन्द्रदास

नाम—(1717) चन्द्ररस कुँद

नाम—(1718) चन्द्रावल

पृष्ठ—77

नाम—(2248) चन्दसखी

कविताकाल—1900 के पूर्व

पृष्ठ—154

नाम—(2634) चन्द्रिका प्रसाद तैवारी

पृष्ठ—196

नाम—(2923) चन्द्र भा

चतुर्थ भाग

पृष्ठ—260

नाम—(3255) चन्द्रभान

रचनाकाल—स० 1875

पृष्ठ—322

नाम—(3449) चन्द्रकला बाई

समय—स० 1950

पृष्ठ—406

नाम—(3853) चन्द्र मनोहर मिश्र

रचनाकाल—स० 1963

पृष्ठ—410

नाम—(3858) चन्द्रमौलि सुकुल

रचनाकाल—स० 1964

पृष्ठ—413

नाम—(3867) चन्द्र शेषर शास्त्री

रचनाकाल—स० 1965

पृष्ठ—417

नाम—(3878) चन्द्रभानु सिंह दीवान बहादुर

रचनाकाल—स० 1967

पृष्ठ—447

नाम—(3970) चन्द्रशेखर मिश्र

पृष्ठ—454

नाम—(4028) चन्द्रशेखर (द्विज चन्द्र)

जन्मकाल—स० 1939

पृष्ठ—456

नाम—(4055) चन्द्रलाल गोस्वामी

जन्मकाल—लगभग 1940

नाम—(4056) चन्द्रिका प्रसाद मिश्र

रचनाकाल—स० 1965

पृष्ठ—464

नाम—(4117) चन्द्रराज भण्डारी

पृष्ठ—465

नाम—(4124) चन्द्रभानु राय

पृष्ठ—480

नाम—(4216) चन्द्रमती देवी

जन्मकाल—स० 1950

पृष्ठ—520

नाम—(4312) चन्द्रमाराय शर्मा

रचनाकाल—स० 1982

पृष्ठ—557

नाम—(4437) चन्द्रशेखर शास्त्री

जन्मकाल—स० 1957

पृष्ठ—574

नाम—(4521) चन्द्रकला

रचनाकाल—स० 1987

सरोजकार ने उपर्युक्त 'चन्द' कवियों के प्रतिरिक्त निम्नलिखित दो ग्रन्थ कवियों का उल्लेख किया है—

प्रथम—चन्द कवि । यह सामान्य कवि थे । इन चन्द कवि के सम्बन्ध में सरोज सर्वेक्षणकार ने लिखा है कि बायझयो की निन्दा का एक कवित्त सरोज में प्रस्तुत किया है ।

द्वितीय—चन्द कवि के सम्बन्ध में सरोजकार ने लिखा है कि इन्होंने श्रृंगार रस में बहुत सुन्दर कविता की है । हजारों में इनके कवित्त हैं । सरोज सर्वेक्षणकार ने इन चन्द कवि का अस्तित्व स० 1875 के पूर्व स्वीकार किया है ।

मिश्रबन्धु विनोद और 'सरोज सर्वेक्षण' से 'चन्द कवि' नामधारी कवियों के इस सर्वेक्षण के उपरान्त कुछ ग्रन्थ स्रोतों से भी 'चन्द' नाम के कवियों का पता चलता है, उन्हें यहाँ देना ठीक होगा ।

एक कवि चन्द का उल्लेख 'जयपुर का इतिहास'¹ में है । इस 'चन्द कवि' के ग्रन्थ 'नाथ वंश प्रकाश' का उल्लेख इसमें हुआ है । ये चौधू नरेश रणजीत सिंह तथा कृष्ण सिंह और जयपुर नरेश जगतसिंह के समकालीन थे । 'नाथ वंश प्रकाश' में से 'जयपुर का इतिहास' में जो उद्धरण लिये गये हैं—वे निम्नलिखित प्रकार हैं—

(अ) जहाज (भाज) की लड़ाई में रणजीत सिंह की विजय—

“शहर फतेहपुर में फते—बरी नद रतनेश ।

भाज गयो आपाणतजि, लजि रणजीत नरेश ।”²

(भा) महाराजा जगत सिंह (जयपुर) की सेनाओं द्वारा जोधपुर को घेरने का उल्लेख—

गही कोट की भोट की, मान प्रभा बलमन्द ।

सूटि जोधपुर को लियो कृष्ण सुभाग बलन्द ।³

1 शर्मा, हनुमान प्रसाद-जयपुर का इतिहास, पृ० 226

2 वही पृ० 226

3 वही, पृ० 231

‘नाथ वंश प्रकाश’ (पृष्ठ 275) में लिखा है कि ‘भीरू खाँ’ के युद्ध के समय कृष्ण सिंह जी का चेहरा चमकता था और शत्रुगण उससे क्षोभित होते थे ।

‘नाथ वंश प्रकाश’ (पृष्ठ 270) में लिखा है कि समरू वेगम ने चौमू पर चढाई की । उस समय उसका कनक आगे धाया था । उसको कृष्ण सिंह जी ने ससैन्य परास्त किया और उसके साथ वालो के रुण्ड मुण्ड उठाकर पीछे हटा दिया ।

‘आचार्य श्री विनय चन्द ज्ञान भण्डार ग्रन्थ सूची (भाग-1)’ से विदित होता है कि इस भण्डार में चन्द कवि के तीन ग्रन्थ हैं—

1. चन्द-नेम राजमती पद (हिन्दी-राजस्थानी) 5 छन्द¹

2. चन्द-राधा कृष्ण के पद -5 पद²

3. चन्द-सीमन्धर स्वामी की स्तुति-6 छन्द³

इनमें से दो जैन कवि हैं और एक कवि को उसकी रचना के विवरण के आधार पर वैष्णव माना जा सकता है ।

इससे पूर्व कि कवि चन्द के सम्बन्ध में ऊपर की सूची को लेकर और प० कृपा शंकर तिवारी के हस्तलेखागार में प्राप्त सामग्री के आधार पर कुछ कहा जाय हम तिवारी जी की सामग्री पर भी संक्षिप्त टिप्पणियाँ नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं ।

(1) कवि चन्द

रचना -नाग दवन (‘नाग लीला’ लिपिकार द्वारा) पूर्ण ।

रचना काल-संवत् 1756 या सु 5, बुधवार ।

लिपिकाल संवत् 1869 अथ० बदी 3, फोलियो 1 से 9 तक

विवरण

यह ग्रन्थ कवि चन्द द्वारा संवत् 1756 में रचा गया है । इसमें कृष्ण द्वारा काली दमन की घटना का वर्णन है । ग्रन्थ ब्रज एवं राजस्थानी भाषा से युक्त है । कवि ने द्वित शब्दों का ध्रुवसरानुकूल प्रयोग किया है । भाव, भाषा, शैली आकर्षक है । कही कही पृथ्वीराज रासो की सी झलक दृष्टिगत होती है । प्रारम्भ में गणेश, शारदा की वदना है । कवि ने चौपाई का अधिक प्रयोग किया है । इसके अतिरिक्त अरिल्ल, छप्पय, दोहा, भुजगी, कुण्डलियाँ, पाघरी, सवैया आदि का अच्छा प्रयोग किया है । भावनाओं का वर्णन करने में कवि सफल हुआ है । यह ग्रन्थ पूर्ण है । उदाहरणार्थ

प्रारम्भ

दोहा—

हौ गनपति गुन विस्तरो सिधिवुधि दातार ।

अष्ट सिधि नव निधि धरी कृपा करतार ॥

सुख तन बरदाइनी करं मूढ कविराइ ।

बुधि विचित्र कवि चन्द को दें अज सारद भाइ ॥

सत्रह सँ दस पंचच्छर मैं सही

1. आचार्य श्री विनय चन्द ज्ञान भण्डार, ग्रन्थ सूची पृ० 38 ।

2. वही पृ० 66 ।

3. वही, पृ० 88 ।

सङ्घि सांवन तिथि पच चन्द कवियो कही ॥

मङ्गयो ग्रन्थ गुन मूल महा बुधवार है

परिहा हाजू नागदवनि कौ छद कियो विस्तार है ॥

इसी कवि की इसी 'नागदवन' या 'नागलीला' की एक हस्तलिखित प्रति की सूचना श्री कृष्ण गोपाल मायुर ने दी है।¹ उन्होंने इसका रचनाकाल सवत् 1715 माना है। ऊपर हमने ग्रन्थ में आये तिथि विषयक उल्लेख को उद्धृत कर दिया है। इसमें 'सत्रह से दस पचछर' लिखा हुआ है। इसका अर्थ करते समय यदि हम 'पच' शब्द पर ही रक जायेंगे तब तो स० 1715 मानना होगा जैसा कि श्री मायुर ने माना है किन्तु पूरा शब्द 'दस पचछ' है जो कि सङ्घि के कारण 'पचछर' हो गया है। अतएव हमारी दृष्टि में इसका ठीक अर्थ होगा-सत्रह तो और दस पच = 50 + 6 अर्थात् 1756 ।

नागदवन के कुछ पद उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं।

नागदवन (नागलीला)

रिस रोस रहा मुरली धुनिकी सुनि नाद प्रगाध तिहु पुर छाही ।

ध्याल जग्गे जम ज्वाला उठी बिल भाल इति ब्रह्मण्डल माहीं ।

हरलि जसुघा प्रज की वसुघा जब फुलि फिरयी घर ही घर माही ।

कस गिरयो मुरभाइ तबै घरकी छतिया मुरली धुनि पाही ॥

मुरली धुनि कौ सुनि सबद चौकि उठयो तत्काल

भटकि पु छि फन फुकरत उठयो शोध कौ काल ॥

जागो भाग काली घरा भूमि हाली, बिल ज्वालाभाली हरे वृद्ध जाली

कछे बदल सग्राम कौ वनवारी, फनफुकर फफुन भाक प्ररी ।

सरी निरख भाला मुरछे मुरायरी, हरल्ली दुचि भइ नाग नारी ।

हट की व नानं कछो वृधवारी, हसते उठे बेति बाला विहारो ।

कछे काकली प्रीति बाधं कटंठी, मुजा ठाकि ठाठे अखारे धमही ।

सु सू धे अचानक कूदे कन्हार्द, धिरे कुण्डली मधि बंठे नन्हार्द ।

वन तालज्जे सिर सेस मदि, द्विपावं तन ती करे पूछि सदी ।

रिस रोस सेस बिल भाल अगी, जले भार भारे द्रुमदाह लग्यो ।

बुभावै जदुनाथ एह्थयवप्प, वजं मुठि पसी जुतीर तत्त थे ।

भट वकं फन पुछि फुकार भारे, जदुनाथ थ्यो गारह उद मारे ॥

नफीरी बजै बैस मजीर मेर बजे ताल तू वर घटा घनेर ।

बजे दुदुमि ओ मुर नाइ चगी वजं मोह चय दुनारा उपगी ।

सरगी बजी खजरी सव-नाद उपजयी मही ती महा रूप स्वाद ।

बजै सख सुध असख अमगी नरसिध वज्जे उछाह सुधगी ।

वर्जं धु घर धू घरी घोर-नीकी कटवाल कसावरी नाद हीकी ।

हर्यं नाल बजै अलगोज भारी, नचे ग्वाल बाल सु प्रानंद कारो ॥

भई बघार्द प्रज मे जदुकुल हरलि अपार ।

सकल सभा रछा करे काली नाथ न हार ॥

(2) कवि चन्द

रचित ग्रन्थ—भागवत् दोहासूची ग्रन्थ ।

रचना काल—स० 1896 (नरसिंह चौदस को पूर्ण हुई) ।

पुस्तक विवरण—

जिल्द की सिली हुई, बायें-बायें हाशिया, 10 6 इंच, कुछ जीर्ण, देशी कागज । फोलियो स० 32 । कुछ दो-तीन पृष्ठ खाली हैं । दसम स्कंध रमोन हाशिये में लिखा है ।

लिपिकाल—

इसमें लिपिकार का नाम तथा काल नहीं दिया है । ऐसा विदित होता है कि यह स्वयं कवि की ही लिखी पहली प्रति है । एक ओर का पुट्टा नहीं है । लेख सामान्य रूप में सुपाठ्य है ।

विवरण—

यह पुस्तक कवि चन्द रचित है । यह कवि चन्द बाघ नृपति के पुत्र हैं । यह पूर्ण श्रीमद्भागवत् श्रीधरी टीका की दोहो में सूची है । कवि ने एक एक दोहे में एक एक अध्याय का अर्थ लिखा है, इस प्रकार से सभी स्कंधों के अध्यायों की दोहो में सूची है । इतने बड़े अध्याय की दोहो में सूची बनाना कठिन कार्य है । चन्द कवि ने इसमें सफलता पाई है । भाषा ब्रजभाषा है । धर्म की दृष्टि से कवि का यह प्रयास विशेष महत्त्व रखता है । पुस्तक विभिन्न स्कंधों में विभाजित है । दसम स्कंध कवि ने स० 1805 असाड बु० पडवा गुरु को समाप्त किया । द्वादस स्कंध स० 1896 नरसिंह चौदस को समाप्त हुआ ।

कवि ने अपन परिचय में केवल निम्न पंक्तियाँ लिखी हैं—

इतिश्री भागवते महापुराण श्री धरी टीकानुसारण 12 स्कंधे सूची सम्पूर्णं महाराज श्री बाघ सिंह जी फतेहगढ नृपत सुतचन्द कथकत दोहा समाप्त ।

कवि ने प्रारम्भ में बल्गभाचार्य, विठ्ठलनाथ जी और उनके पुत्र की गुरु के रूप में वदना की है । पुष्टि मार्ग की महानता भी बताई है ।

उदाहरण—

दसवीं अध्याय दिलीप वस रामचन्द्र भवतार ।

रावण हत आए भवधि ताकै कँज सहै भार ।

भ्रातन जुत श्री रामचन्द्र जिग कीपि भवध विराज ।

ग्यारीध्या मण्डल कथा विरची सुक सुभ साज ।

धस्त—

इक-इक दोहा में लिख्यो इक ईकध्या कीर्थ ।

सूची द्वादसकध की स्मजन बुध भसमर्थ ।

बाघ नपत सुत चन्द कृत दुहा सूची मान ।

को विद वाज विचार कर सुध कीज्यो सुधवान ।

टिप्पणी—अन्तिम पृष्ठ में जगदीश पण्डे के सम्बन्ध में लिखा है ।

(3) कवि चन्द

(अ) रचना—अभिलाष पञ्चोत्ती

लिपिकाल—स० 1833 (एक लिखावट के कारण) फोलियो 1 से 8 तक, रचना पूर्ण है ।

विवरण

कवि चद के हित हरिवंश हरिव्यासी सम्प्रदाय के हैं । इसमें इन्होंने नागरीदास का भी नाम लिया है । सुन्दर ब्रजभाषा में कवित्त सर्वथा में रचना है । अभिभावनायुक्त सुन्दर 26 पद हैं । रचनाकार ने इसका नाम मनो-अभिलाषा रखा है ।

उदाहरणार्थ 'अभिलाष पञ्चीसी' में से कुछ पद प्रस्तुत हैं :—

प्रारम्भ

जाति पाति नाना भाति कुल अभिमान तजि
निस्ति दिन सीस को नवाळ रसिकन में ।
सेवा कुज मण्डल पुलिन बशीवट निधिवन
श्री समीर धीर विचरौ भगन मे ।
लता द्रुम हेरो राधाकृष्ण कहि टेरौ,
रज लपटाऊं तन में श्री मुख पाऊं मन में ।
अहो राधा बल्लभ जू तुम ही सी विनती है
जैसे बन तैसी मोहि राखौ वृन्दवन मे ॥

सध्य—

वह बन भूमि द्रुम लता रही भूमि लेती
त्रिविधी समीर सौ रस्ति लहकि लहकि ।
फुली नव कुज तहा भवर करत गुज सदा
मुख पुज रहषी सौरभ महकि महकि ।
कौकिल मयूर सुक सारो आदि पक्षी सब
दम्पति रिभावत है गावत गहकि गहकि ।
हित सौ जे देखें नित तिनकी दौ कहा कहीं
वात ही में चन्द चित जात है बहकि बहकि ॥

अन्त—

ढोलक मृदंग मुह चग श्री उमग चग
गदापरो तबूरा बीन आदि सब साज है ।
इनको मिलाइवो परन उपजाईवो
'सरस रग छाईवो प्रवीनत को काज है ।
कर सी तो कर श्री सुधर होत
जैसे सब सौज तैसे रसिक रयाज है ।
जब मिलै सगी चन्द रस रगी
तव रग जामे टुटै भव पाज है ॥

(ब) रचना—समय पञ्चीसी

रचनाकार—कवि चद हित

रचना का समय नहीं दिया है। ग्रन्थ पूर्ण है। लिपिकाल धीरे लिपिकार सबत् 1833 वि। फोलियो 9 से 15 तक।

विवरण—

भक्तिमुक्त अत्यन्त सुन्दर ब्रजभाषा के कवित्त, सर्वथा इस ग्रन्थ में हैं। पद संख्या कुल 26 हैं। रचना पूर्ण है। उदाहरणार्थ —

अन्त—

ईतनी विचारि चन्द सबन सौ नय चले जामें
भली हीई सोई करी निशि भोर ही ।

उदाहरणार्थ—'समय पचचीसी' के कुछ पद प्रस्तुत हैं—

प्रारम्भ—

समय बिपरोति कहू देखिय न प्रीति
मिटि गई परतीति रीति जगत की न्यारी जू ।
स्वारथ में लगे परमारथ सौ भगे
भूटे तन ही मे पगे साची वस्तु न निहारी जू ।
मोह में भुलाने सदा दुख लपटान
ज्ञान ऊर म न माने भक्ति हिय म न धारी जू ।
चद हितकारी तीपे होत बलिहारी
लाज तुमको हमारी कृपा करिये बिहारी जू ॥

मध्य—

जग दुख सागर म गोता खात जीव यह
माया की पवन के झकोर माझ परचों है ।
धारि शिर भार क्योंहु हो नहि पार अंसे
करत विचार मन मेरो भरवरयो है ।
टेरत तहा तँ दीन-बन्धु कृष्ण के सिन्धु
तुम बिन दुख की कापे जात हरयो है ।
वह प्राण धरयो, कृपा ही वो अनुसरयो प्यारे
जोई तुम करयो सोई आनन्द सौ भरयो है ।

अन्त—

दैनिक के समय में न होत है प्रभात कहू
भोर के समय में न होत कभू रात है ।
ठीक दुपहर माझ होत नहि सभ चन्द
साम ही के माझ कही कैसे होत प्रात है ।
प्रात मध्य साम रात होत है समय ही में
अंसे हानि लाभ सुख दुख निजु गात है ।
समै की जो बात तेतौ समै ही में होत जात
जानत बिबेकी अविबेकी पछितात है ॥

(स) रचना—श्री राम जी चौपर को प्याल

रचनाकार—कवि चन्द (हित)

लिपिकाल—1823, अपूर्ण । फोलियो 15 से 20 तक ।

इस रचना में 12 पद पूर्ण हैं । 13वाँ पद पूर्ण नहीं है और भाग के पृष्ठ नहीं हैं । अतः यह विदित नहीं होता कि रचना कितनी बड़ी है । पद बड़े सुन्दर हैं । भाषा ब्रजभाषा है । कवित्त सर्वथा का प्रयोग है । उदाहरणार्थ —

प्रारम्भ—

चौपर को पयाल सब पेलत जगत भाभ

यह सब ही को जान प्रगट दिपावै है ।

नोट —यह चन्द हित है, इनका रचनाकाल जानना है । तीनों ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण हैं ।

उदाहरणार्थ— श्री राम जी चौपर को प्याल' के पद उद्धृत किये जाते हैं ।

चौपर—

कविता बनावै आछे अछरनि लावै
जानि जमक मिलावै अनुप्रास हु सब कहौ ।
भाट ह्व सुनावै हरखावै ललचावै, दाम
एक नहि पावै वृथा नर की कृपा चहै ।
सब में प्रवीन हरिपद में न लीन
प्रेम रस के नही लहै
भक्ति सो विमुख ताको मुख न दिखाओ
हम चाहत हैं यह वासों दूर नित ही रहै ।
उत्तम पदारथ बनाय कै जो आगें धरै
तहि नहि देखें यह मुस को धरेल है ।
मेसै परमारथ की बात न सुहात याहि
वृथा बकवाद विख सेवे बिगरेल है ।
भाग और पीछे को विचार नाहि करे कम्
महानीच सबही सो भरत भरेल है
हरि गुरु को सतन को रूप नहि जान्यो
यातै भक्तिहीन नर सींग पू छ बिन बल है ॥

अथ भाव लिखते

रूप के सरोवर में भली कुमुदावली है
लाल है चकोर तथा राधा मुख चन्द है
छवि की मरोचिन सी सीधत है निश दिन
कोटि कोटि रवि ससि लागै प्रति मन्द है
दृकटक कर रहै मुख नाम मुख लहै
फिरि कृपा दृष्टि चहै मुख रूप मदनद है

जाकी वेद गावें मुनि ध्यान हु न पावें
 तेतो बलि बलि जावें चन्द फसे प्रेम फन्द है ।
 पीत रग बोरे खरे खेलत है हीरी दाऊ
 वृन्दावन वीथिन में घूम मची भारी हैं ।
 सुधर समाज सब सखी सौज लिये सौहें
 फंटनि गुलाल कर कज पिचकारी हैं ।
 चोटनि चलाव तब तब चावत अदायनि सौं
 नैननि नचावत हसत मुकुचारी हैं ।
 हो हो कहि बोले चन्द हित सग डोले
 कहे सुख को निकेत ये बिहारिन बिहारी हैं ॥

(द) रचना—चंद्र नाय जी की सबदी

प्रति गूढ भाषा में 19 पद हैं । यह ग्रन्थ योग से सम्बन्धित है ।

जवाहरण—

काया सोनी सिध सुतार
 प्रारम्भ अग्नि जगावण हार ।
 ताहि अग्नि को लागी पास
 अग्नि जगाई चकमक स्वास ।

(3) ग्रन्थ—श्री नीतिसार भाषायाम

रचनाकार—कवि चन्द

रचनाकाल—जयपुर नरेश सवाई जयसिंह जी का समय

लिपिकाल—कवि के समय का अथवा अनुमान से 200 वर्ष प्राचीन

विवरण—

यह पुस्तक 5 8 इंच चौड़ी लगती है । दोनों ओर 1 इंच की जगह छूटी हुई है । एक हाथ की सुन्दर सधी हुई लिखावट है । यह पुस्तक अलग-अलग जुज में है, इस समय बिना सिलाई के है । सारी रचना जो विद्यमान है उसका अन्तिम फोलियो न० 59 है परन्तु गणना करने से 64 होती है । प्रारम्भ का फोलियो अप्राप्य है, मध्य के 16 फोलियो नहीं हैं । अन्त के अनुमान से 1 या 2 फोलियो नहीं हैं ।

यह रचना कवि चन्द रचित है, कवि ने जयपुर राज्य के मुसाहिब श्री मनोलाल दरोगा के लिए यह रचना की । मनोलाल दरोगा धर्मात्मा, बीर, उदार, नीतिज्ञ था । रचना में नीतिसार ग्रन्थ को अपूर्व कौशल के साथ ब्रजभाषा में दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवे, अड्डिल, चोटक, छप्पय, कवित्त, कुण्डलियाँ, आदि छंदा में प्रकट किया है । राजनीति सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यक बातों का, यथा-युद्ध की सामग्री, युद्ध-प्रति-युद्ध आदि अनेक बातों का उल्लेख किया गया है । अनेक दृष्टियों से यह रचना महत्त्वपूर्ण है । राजा-मन्त्री के गुणों का विस्तार से प्रकटीकरण है । कवि ने रचना को सर्गों में विभाजित किया है ।

- 1-इन्द्री जयो विद्यावृद्धि सजोगोनाम प्रथमो सर्ग-65 छद
 - 2-विद्या उपदेश वर्णाश्रमधर्म दण्ड महात्मना द्वितीयो सर्ग-35 छद
 - 3-आचार व्यवस्थानां तृतीयो सर्ग-29 छद
 - 4-राजा मुसाहिब देश कोप पजानो फौज, मित्र परीक्षण गुण वर्णना चतुर्थ सर्ग-49 छद
 - 5-भृत्य मित्र वधन उपदेश सामान्य जीत वृत्त्य नाम पच सर्ग-5 छद
 - 6-कटव साधनोनाम षष्ठ सर्ग-12 छद
 - 7-राजपुत्र घातमारनदास सरस्ता वर्णनाम् सप्तम्-41 छद
 - 8-षष्ठसोसर्ग के केवल 32 छद इसमें हैं ।
 - 9-अप्राप्य
 - 10-अप्राप्य
 - 11-अप्राप्य
 - 12-अप्राप्य
 - 13-अकीलचर प्रकरण वर्णनोनाम त्रयोदश सर्ग-42 छद
 - 14-प्रकृति कर्म प्रकृति विशन वर्णनो नाम चतुर्दश-43 छद
 - 15-राजोपदेश सप्त विसन दूषण वनेनोनाम पचदसमो-39 छद
 - 16-राजोपदेश जाघा जुवति दरसनो नाम षोडसोसर्ग-44 छद
 - 17-दरसनो नाम सप्तदशो सर्ग-21
 - 18-अष्टादशमो सर्ग-38
 - 19-उनीसवो सर्ग-39
 - 20-बीसवें सर्ग में श्लोक आदि वा तथा अत म वाक्य-ग्रन्थ प्रयोजन दिया है जो 51 वें छद तक है । आगे के पृष्ठ नहीं हैं ।
- इस प्रकार से इस पुस्तक में लगभग 630 छद प्राप्य हैं ।

उदाहरण—

दोहा

गुरु सेवहु नृप पद बिते, पावहु कमला पूर
सिधा से नीतिहि बड़े शत्रु हनिपतें मूर ।
जाबर भूप नहि नीति रस ताजीतें परिहीन
छोटो हू जग जय सटें राजा सिधा सोन ॥

अत—

धी जय साहि नरेस धरम भवतार प्रगटि धर
जिनके अष्ट प्रधान नीति धरम जान बुधिवर
सिधी भूयाराम स्वाम के नाम सुधारत
फौज मुसाहिब हुकुमचद दल उबन विदारत
ओका जु मिप बिचम अतुन मनी विमल प्रभाविय
मनाजुलात बगति बिलद टाल दिगु करे जानिये ।

भ्रमा जु चद दीवान स्वामिधर्मि हरिभक्त है
 मानासिध सिध जिमि बल दडन भनुरक्त है
 सिरमोर सीतलाल पालना प्रजा समाम्ह
 पवरि विदिमि दिस गहत परच भ्रावदनी हत्य है
 सब विधि सुजान बुधिवान वरम नी लाल उदारचित ।

सर्वयो के अंत में लिखा है "इति श्री नीतिसारे भाषाया कवि चद विरचित दरागाजी श्री मनालालजी हेत" ।

यह प्रति प्रारम्भिक प्रति हो सकती है । इसमें अनेक स्थानों पर शुद्ध किया हुआ है । ऊपर हमने मिश्रबन्धु विनोद से चन्द अथवा चन्द्र और उनके नाम साम्य वाले कवियों की सूची दी है । उसका एक कारण सीधा-सा यह है कि हमें हिन्दी में चन्द नाम तथा साम्य रखने वाले नाम के कवियों का एकसाथ ज्ञान हो जायेगा किन्तु हमारा दूसरा उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य यह जानना भी है कि जो ग्रन्थ हमें उपलब्ध हुए हैं और जिनके लेखक जो चद नाम के कवि हैं उनका पता मिश्रबन्धुओं तक मिल सका था अथवा नहीं । इसमें जिन चन्द नाम के कवियों का साहित्य मिला है उनमें से एक तो 18वीं शताब्दी का कवि है । शेष सभी 19वीं शताब्दी के विदित होते हैं । मिश्रबन्धु विनोद के चन्दवरदामी तो प्रसिद्ध हैं और प्रसिद्धि से भी अधिक विवादास्पद हैं । दूसरे चन्द हितोपदेश के लेखक हैं । जिनका रचना काल 1563 माना गया है अर्थात् वे 16वीं शताब्दी के हैं । एक चन्दसखी ब्रजभाषी 1638 यानी 17वीं शती के हैं । 18वीं शती के कवि हैं एक चन्द 'नागनौर की लीला' के लेखक जिनका रचनाकाल 1715 या 1756 है । दूसरे चन्द पठान और सुलतान हैं जिनका समय 1761 है । एक चन्द्रसेन को 1726 के पूर्व का बताया गया है । एक चन्दलाल गोस्वामी 1768 के हैं । ये राधावल्लभी हैं । ये 18वीं शताब्दी के कवि हैं । 19वीं शताब्दी के कवियों में एक चन्द्रघन हैं 'भागवत सार भाषा' के लेखक जिनका समय 1863 बताया गया है । दूसरे चन्द्र राधावल्लभी हैं जिनका समय 1820 बताया गया है । एक चन्द्रदास को 1823 के पूर्व का, फिर एक चन्द्रलाल गोस्वामी राधावल्लभी जिनका कविता काल 1824 माना गया है । सम्भवतः ये वही चन्द्रलाल हैं जिनका कविता काल 1768 बताया गया है । फिर एक चन्द्रकवि सनाढ्य चौबे हैं, कविता काल 1828 । फिर एक चन्द्रहित राधावल्लभी जिनका रचनाकाल नहीं दिया है । एक चन्द जो गोसाईं हैं जिनका रचनाकाल 1846 है । इतने 19वीं शताब्दी के कवि हैं ।

इनमें से हमारे सग्रह के पहले कवि और मिश्रबन्धु विनोद के 'नागनौर' की लीला के लेखक कवि चन्द एक ही हैं जिनकी रचना 'नागदमन' है । मिश्रबन्धुओं ने इसे 'नागनौर' लिखा है जो मूलतः 'नागदीन' होगा और इसका रचनाकाल स० 1715 मिश्रबन्धु विनोद में बताया गया है । हम ऊपर देख चुके हैं कि 'बीणा' में भी इसी कवि की इसी कृति का उल्लेख है और उन्होंने भी सवत् 1715 रचना काल माना है । क्योंकि सवत् की जो पक्ति है उसे 'सत्रह सै दस पंच' तक ग्रहण करें तो उससे 1715 ही रचना का सवत् निकलेगा । अतः 'नागदीन' की लीला के लेखक चन्द और हमारे चन्द 'नागदमन' के लेखक एक ही प्रतीत होते हैं । कृति के नाम में विभिन्नता है पर विषय से स्पष्ट है कि उसमें नागदमन या कृष्ण की नागलीला का वर्णन किया गया है । मिश्रबन्धु विनोद में

अत्यन्त सूक्ष्म रचना मिलती है। हमारी दृष्टि में यह कवि महत्त्वपूर्ण है। यह प्रावश्यक है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाये। हमने ऊपर स्पष्ट किया है कि हमारी दृष्टि में इसका रचनाकाल 1856 होना चाहिए। हमें 'सत्रह से दस पत्र' पर ही नहीं रचना चाहिए प्रागे छर' को भी ग्रहण करना होगा।

हमारे दूसरे कवि चन्द 'भागवत दोहा' सूची में लेखक हैं। जैसा कि हमने ऊपर टिप्पणी में बताया है कि यह 'भागवत दोहा सूची' ग्रन्थ श्रीमद्भागवत् श्रीधरी टीका की दोहो में सूची है। कवि ने एक एक अध्याय को एक एक दोहे में अत्यन्त सक्षेप में प्रस्तुत कर दिया है। ग्रन्थ में जो उल्लेख है उससे विदित होता है कि लेखक ने 10 स्कंध ग्रन्थ 1895 में पूरा किया, द्वादश स्कंध 1896 में नृसिंह चौदस को। इन चन्द के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ में जो परिचय दिया हुआ है उससे प्रतीत होता है कि यह पतेहगढ़ के नृपति महाराजा बापसिंह के पुत्र थे। अतः, एक दोहे में यह भी उल्लेख है जो ऊपर की टिप्पणी में विद्यमान है। आरम्भ में जिस प्रकार बल्लभाचार्य और विठ्ठलनाथजी की वदना की गयी है उससे स्पष्ट है कि यह पुष्टि मार्गी थे। इन कवि चन्द का पता मिश्रबन्धुओं को नहीं था, ऐसा प्रतीत होता है। हमारे कवि चन्द के 'भागवत दोहा सूची' ग्रन्थ के समकक्ष ग्रन्थ 'भागवत सार भाषा' के लेखक चन्द्रधन को मिश्रबन्धुओं ने 1863 के पूर्व का बताया है। ग्रन्थ के नाम से भी यह सम्भावना प्रतीत होती है कि मिश्रबन्धुओं के चन्द्रधन पुष्टि-मार्गी कवि चन्द से भिन्न हैं। अतः ये एक नये कवि हैं जिनका पता नहीं था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह 'बाधनृपति सुत चन्द' विद्वान भी थे और उच्च कोटि के कवि भी थे, तभी एक अध्याय का सार एक दोहे में दे सके।

फिर एक कवि चन्द 'अभिलाष पञ्चीसी' के लेखक हैं। प्रतीत होता है कि 'समय पञ्चीसी' और 'श्री राम जी चौपड़ के रूपाल' के लेखक भी यही कवि चन्द हैं। बहुधा इन्होंने अपने नाम के साथ हित लगाया है यथा 'कवि चन्द हित' जिससे भी सिद्ध होता है कि ये हित हरिवंश सम्प्रदाय अर्थात् राधावल्लभी सम्प्रदाय के कवि हैं।

कवि चन्द हित की इन रचनाओं का लिपि समय 1823 दिया हुआ है। हित शब्द के आधार पर देखें तो मिश्रबन्धुओं के 1001 की सख्या के कवि चन्द हित भी राधावल्लभी हैं अतएव दोनों एक ही प्रतीत होते हैं। पर इनमें से किसी के साथ रचनाकाल नहीं दिया हुआ है। इससे अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता।

इनके बाद चन्द्रलाल गोस्वामी के दो रचनाकाल हैं, एक 1767 और एक 1824 और एक अन्य चन्द राधावल्लभी का समय 1880 है। इन तीनों का विशेष विवरण मिश्रबन्धु विनोद में नहीं दिया गया है। इसलिये यह निर्णय करना सम्भव नहीं कि यह हमारे कवि चन्द हित से भिन्न हैं या अभिन्न। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि कवि चन्द हित की रचनायें समय पञ्चीसी, 'अभिलाष पञ्चीसी' तथा 'राम की चौपड़ का रूपाल' नयी उपलब्धियाँ हैं और इसी प्रकार 'नीतिसार भाषायाम' के लेखक कवि चन्द भी एक नयी खोज हैं। जयपुर नरेश सर्वाड जयसिंह का 1699 से 1743 तक शासनकाल है। इनके राज्य के मुसाहिब श्री मनोलाल दरोगा के लिए यह रचना कवि चन्द ने रची।²

1. इति श्री नीति छारे भाषायां, कवि चन्द विरचितं रूपेण श्री श्री मनोसासनी द्वेव ।

स्पष्ट है कि नीतिसार का सम्बन्ध विशेषतः राजनीति से है।

एक अन्य कवि 'चन्द नाथ' हैं जिन पर संक्षिप्त टिप्पणी दी है। इनका ग्रन्थ 'चन्द्रनाथ की शब्दी' हमें प्राप्त हुआ है। यह भी नयी उपलब्धि विदित होती है। ये नाथ सम्प्रदाय के कवि हैं और इस शब्दी में योग की चर्चा है।

एक अन्य चन्द कवि की एक कृति 'सग्राम' हमें अन्यत्र देखने को मिली। यह भी जयपुर नरेशों के कवि हैं और इसने 'सग्राम सागर' नामक ग्रन्थ में महाभारत के द्रोणपर्व के अनुवाद के रूप में युद्ध-शास्त्र का वर्णन किया है। इस कवि ने आरम्भ में शिव की वंदना की है फिर कृष्ण की वंदना की है किन्तु इसने विस्तारपूर्वक नृपवश वर्णन तथा कवि वश वर्णन दिये हैं जिसमें जयपुर राजघराने के राजाओं तथा उनके आश्रित कवियों पर कुछ प्रकाश पड़ता है। हम इनके ये अंश यहाँ ज्यों के त्यों उद्धृत कर रहे हैं—

अथ नृप वंश वर्णनम् छपये

देश ढुंढाहर भय्य सर्वं सुख सम्पति साजत ।
 भ्रमरावति सम भवनि माभ्र आमेरि विराजत ।
 तास भूप पृथिराज सदा हरि भक्ति परायन ।
 भारमल्ल तिन तनय खग खडन अरि धायन ।
 भगवत दास नृप तास सुव दत्तल जैम दक्षिण करिये ।
 सुत मान जिति शत शक्ति रण जश जहा न धन वियपरिय ।
 तास कवर जगतेस खान ईशव जिन खडिय ।
 महा सिध तिन तनय कीति महि मडल मडिय ।
 ? (जा) यउताम जयसिध जीति भेवा महि आनिय ।
 तास पुत्र नृप राम अमल आसाम जु ठानिय ।
 ? य कृष्ण सिध तिन के तनय विष्णु सिध तिन सुत लियउ ।
 जयसिह सवाई जास जिन अश्वमेध मध्वर कियउ । 8।
 माधवेश नरनाह तने तिनके परगट्टिय ।
 जिन जवाहिर हि जेर ठानि जट्टन दह बट्टिय ।
 तिन तनूज परताप ताप दुज्जन दल मडिय ।
 करि पटेल मदमग जग दक्षिण दल खडिय ।
 राजाधिराज जगतेश भय जिन जहान जय विष्परिय ।
 करि समर (?क) उज कमधज्ज कारण भजाय कमधज्ज किय ।
 तिन तनूज जयसाह तरनि समतेज उभलल्ले ।
 जन्म लेत जिन तिमिर तत भय नष्ट मुसल्ले ।
 कूरम राम नरेन्द्र तने तिनके परगट्टिय ।
 पुडुमि माभ्र पुरहत जेमि प्रभुता जिन पहिय ।
 रसबीर माभ्र बटिट सुखचि द्रोण जुद्ध चित अनुसरिय ।
 भाया प्रबन्ध कवि चन्द कौ करन हेतु आयस करिय ॥10॥

दोहा

लशत भरि कूरम सदन कवि कोविद वर ब्रंद
 देव मनुज भाया निपुण निरूप्यो तह कवि चन्द । 11 ।

कवि वंश वर्णन

बोहा—

- उत्तम वासवन पुर विशद अंतरवेद मभार ।
भयो चद्र मणि विप्र बुल कान्य कुब्ज श्रवतार । 14 ।
- तिहि तनूजा गिरधर भये गिरधर को हियवाश ।
वशे जाय रुजगार लहि दिल्ली पति के पाश । 15 ।
- भये शिरोमणि ताम सुत पडित परम मुजान ।
सहि निदेश भाने इते दिल्ली पति ते मान । 16 ।
- तिहि तनूज माधव भये चरनरु माधव चाह ।
जित्त [हमेश वर्णन किये मुजश बडे जयसाह] 17 ।
- भये प्रकट तिनके तनय जाहिर लछीराम ।
जिन्हें रीफि जयसाह नृप दिये दिव्य दश ग्राम । 18 ।
- रामचन्द्र तिनके भये पंरि सबंगुन पथ ।
महाराजा जयसाह हित अलंकार किय ग्रथ । 19 ।
- प्रगट पुत्र तिनके भये सोमानन्द मुजान ।
माधवशे नरनाह -तें लख्यो सरस सनमान । 20 ।
- तिनके सुवन सपूत भे लालचंद एक आय ।
महाराज परताप को रहै सदा गुन गाय । 21 ।
- सुकविचंद तिनको तनय भो गुन उत्तम गात्र ।
कूरम राम नरेन्द्र के भयो कृपा को पात्र । 22 ।
- देश विदेशन मे भयो कवि पडित विख्यात ।
कूरम राम नरेन्द्र हित किये ग्रथ जिन्हें सात । 23 ।
- हुकम पाय जिहि राम को द्रोण पर्व अनुसार ।
सु सग्राम गागर रच्यो शूरन को शृगार । 24 ।
- श्रवण सुनत ही क्षेत्र कुल वायरता गटि जाय ।
अंग अंग अति जग की मन उमग अधिकाय । 25 ।
- रुद्र गगन योगीश शशि भाद्र शुक्ल रविवार ।
द्वंजि द्रोण मग्राम निधि लियो वृंथ श्रवतार । 1911 । 27 ।

इति श्री मन्महाराजाधिराज राजराजेन्द्र श्री सवाई राम सिध देवाज्ञया सुकवि चंद विरचित सग्राम सागरे पाथुपता—शुभमस्तु ।

--v पत्र संख्या 378, जिल्द बंधी ।

--- इसके आधार पर राजवश वर्णन और सुकवि चंद के वंश का पारस्परिक सम्बन्ध कुछ इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे कि प्रस्तुत तालिका में दिया हुआ है ।

काल	राजवंश	कविवंश
1503-1527 ई०	1-पृथ्वी राज	चन्द्रमणि (उतनवास, कान्य
1548-1574	2-भारमल्ल	कृञ्ज, बनपुर ग्रन्तर्वेद
1574-1590	3-भगवत दास	गिरधर (दिल्ली पति की
1590-1614	4-मानसिंह	मेवा में ग्रामे) शिरोमणि
	5-जयतेश	
1615-1622	6-महार्सिंह	
	7-भार्सिंह	
1622-1667	8-जयसिंह प्र०	1-माधव 2-सच्छी राम 3-रामचन्द्र
1667-1690	9-रामसिंह प्र०	
	10-कृष्ण सिंह	
	11-विष्णु सिंह	
1700-1743	12-जयसिंह सवाई द्वि०	
1743-1751	13-सवाई ईश्वरी सिंह	
1751-1768	14-सवाई माधव सिंह	शोभा चद, जवाहर
1778-1803	15-सवाई प्रताप सिंह	सालचंद
1803-1818	16-सवाई जगत सिंह	
	17-सवाई जयशाह	
1835-1880	18-सवाई रामसिंह द्वि०	सुकवि च०
1880-1922	19-सवाई माधोसिंह जी बहादुर द्वि०	
1922-1970	20-सवाई मानसिंह	
1970-1971	21-सवाई भवानी सिंह	

ऐसा प्रतीत होता है कि नाथ वंश प्रकाश' का लेखक तथा सप्राम सागर' का लेखक तथा 'नीतिसार' का लेखक एक ही व्यक्ति है। इस कवि ने सप्राम सागर में यह उल्लेख तो किया है कि उसने सवाई रामसिंह के लिए सात ग्रन्थ लिखे। एक ग्रन्थ 'भेद प्रकाश नाटक' भी एक ग्रन्थ हस्तलेखागार में हमें देखने को मिला। उसका लेखक भी सुकवि चद है। उसका रचना काल सन् 1890-1912 दिया हुआ है। यह भी इसी कवि का प्रतीत होता है। मिश्रबन्धु विनोद ने कवि चन्द के जिस 'भेद प्रकाश ग्रन्थ' का उल्लेख किया है वह भी इसी कवि से अभिन्न विदित होता है। इस कवि की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस कवि का काव्य स्तर भी ऊँचा है। यहाँ खोज में प्राप्त इन 'चन्द' नाम के कुछ कवियों का सामान्य परिचय तुलनापूर्वक दिया गया है।

इस एक विस्तृत उदाहरण से उन सभी बातों पर प्रकाश पड़ जाता है, जो कि इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन में उपयोग में आती हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जितनी भी उपलब्ध सामग्री है उसके आधार पर पहले तो एक सूची समान नाम के कवियों की बनायी जानी चाहिए। इसमें संक्षेप में वे आवश्यक सूचनाएँ दी जानी चाहिए जो गामाग्यन अपेक्षित है, यथा—उनके ग्रन्थ, उनका रचना-काल एवं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के सम्बन्ध में ग्रन्थ सूचनाएँ।

इनके आधार पर यह देयता होगी कि कौन-कौन से कवि ऐसे हैं जो एक ही व्यक्ति हैं, भले ही उनके नोटिस या विवरण प्रलग-प्रलग लिए गए हों। इस प्रकार समस्त उपलब्ध सामग्री का एक सरसरा निरीक्षण प्रस्तुत हो जाता है, जो विषय के ध्येयता के लिए उपयोगी हो सकता है।

इसके साथ ही अपने संग्रह में उपलब्ध इसी नाम के कवियों के ग्रन्थों की कुछ विस्तार से चर्चा कर देने से यह भी पता चल सकता है कि क्या हमारी सामग्री बिल्कुल नयी उपलब्धि है और क्या किन्हीं दृष्टियों से महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है ?

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपर्युक्त एक नाम के कवियों और उनकी कृतियों की यह चर्चा इन कवियों का अध्ययन नहीं है, इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना है।¹

प्रत्येक पांडुलिपि विज्ञानार्थी को इसी प्रकार की ग्रन्थ अपेक्षित सूचियाँ या तालिकाएँ भी अपने तथा ग्रन्थों के लिए अपेक्षित उपयोगी जानकारी या सूचना देने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए।

यहाँ तक उन प्रयत्नों का उल्लेख किया गया है जो पांडुलिपि के सम्पर्क में माने पर पांडुलिपि विज्ञानार्थी को करने होते हैं।

विवरण प्रकार : इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विवरण लेने और प्रस्तुत करने का। इन प्रयत्नों को संक्षेप में यों दुहराया जा सकता है। विवरण कई प्रकार के हो सकते हैं :

एक प्रकार को 'लघु सूचना' कह सकते हैं,

इसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख संक्षेप में पर्याप्त माना जा सकता है :

1 क्रमांक

2 रचयिता का नाम " " (प्रकारादि क्रम में)

3 ग्रन्थ नाम " " " " " " " " " " " "

1. डॉ० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रधान मन्त्री, निरीक्षक, खोज विभाग काशी नागरी-प्रचारिणी मण्डल ने 'हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों का व्यवस्थित क्षेत्राधिक विवरण (सन् 1926-28 ई०) की 'पूर्व पीठिका' में इसी प्रकार का एक सुझाव दिया था। उन्होंने लिखा है, "मरा विचार है कि कुछ प्रमुख प्रकाशकों पर खोज की सामग्री के आधार पर कुछ पुस्तकें पुष्प रूप में क्रमशः प्रकाशित की जाय। इनसे अनुसन्धान करने वालों को विशेष लाभ तो होगा ही, ज्ञान चना करने वालों और प्रत्येक सम्पादक करने वालों को भी सरसता होगी। अनायास उन्हें बहुवन्ती सामग्री पर बैठे मिल जायगी। इधर-उधर घटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।" (पृ० ४)

4 विषय.....

5. रचना काल रचना स्थान

6. लिपि काल लिपि स्थान

7. लिपिकार

‘मिश्रबन्धु विनोद’ में ऐसी सूचनाएँ बहुत हैं, यथा :

नाम (1025) टेक चन्द

ग्रन्थ (1) तद्वार्थं श्रुत मागरी टीका की वचनिका (1837),

(2) सृष्टि तरंगिणी वचनिका (1838),

(3) पट्ट पाहुड वचनिका,

(4) कथा कोश

(5) बुध प्रकाश

(6) धनेक पूजा पाठ

रचना काल - 1837¹

ऐसी सूचनाएँ प्रकाशन करके पांडुलिपि-विज्ञानार्थी भविष्य के अनुसन्धान का बीज बपन करता है, तथा साहित्य सम्पत्ति की समृद्धि के लेखे-जोखे में भी सहायक होता है। साहित्य के इतिहास और संस्कृति के इतिहास की यथार्थ रूप-रचना में निर्मापक तन्तु या ईंट का भी काम करता है।

कभी-कभी तो रचयिता (कवि) के नाम की सूची या ग्रन्थनाम की सूची दे देना भी उपयोगी होता है। इन सूचियों से उन कवियों और ग्रन्थों की ओर ध्यान आकर्षित होता है जो भले ही गौण हों, पर साहित्य तथा संस्कृति की महत्त्वपूर्ण बडियाँ हैं। श्री नलिन वितोचन शर्मा जी ने ‘साहित्य का इतिहास-दर्शन’ में इन गौण कवियों का महत्त्व स्थापित करने का प्रयत्न किया है और पांडुलिपि में सिद्ध विज्ञान की भाँति कुछ सूचियाँ भी परिश्रम-पूर्वक किये गये अनुसन्धान को चरितार्थ करने वाली दी हैं। एक सूची उन्होंने मस्कृत के गौण कवियों की विविध मुभापित ग्रन्थों² से प्रस्तुत की है।

इस तालिका में उन्होंने ‘सदुक्ति कर्णामृत’ से ही छोट वर गौण कवि दिये हैं। इन कवियों को सूची में अकारादि क्रम से सजोया है, दूसरे उन्होंने इस तालिका में यद् भी मकेन

1. मिश्रबन्धु विनोद, द्वितीय भाग, पृ० 818।

2. उन्होंने यह सूची निम्न सुभाषित ग्रन्थों से तैयार की है

(क) सदुक्ति कर्णामृत (श्रीधरदाम द्वारा 13वीं शती के प्रारम्भ में संकलित)। यही इस तालिका का मुख्य आधार है।

(ख) कवीन्द्र वचन समुच्चय (जिसमें सभी कवि 1000 ई० से पूर्व के ही हैं)।

(ग) सुभाषित मुक्तावली एवं सूक्ति मुक्तावली

(घ) शोर्ला (प्रह्लाद द्वारा संकलित) 13वीं शती के मध्य की है।

(ङ) शाङ्कर पद्धति (14वीं का मध्य)।

(च) सुभाषितावली (15वीं)।

कर दिया है कि समान छंद या कवि का नामोल्लेख किसी अन्य सुभाषित संग्रह में भी है। तीसरा महत्वपूर्ण संकेत इस तालिका में यह दिया गया है कि इन गीण कवियों के सम्बन्ध में 'साहित्य' तथा 'जीवनी' सम्बन्धी कुछ सामग्री आज किन किन स्रोतों से उपलब्ध है।

इस पद्धति को समझने के लिए इस तालिका में से कुछ उदाहरण दिए जाते हैं—

1 अचल कवीन्द्र समुच्चय (भाग 'क' से संकेतित), कोई सूचना नहीं (भाग 'न' से संकेतित)।

व्याख्या 1 प्रकारादि क्रम में 'अचल' पहले आता है। यह शब्द शर्माजी ने 'सदुक्ति वर्णामृत' से लिया है।

2 'कवीन्द्र समुच्चय' में भी यह कवि मिलता है।

3 'न' संकेत से अभिप्राय है कि भागे जहाँ कवीन्द्र समुच्चय का उल्लेख होगा वहाँ केवल 'क' लिखा जायेगा।

4 'अचल' के सम्बन्ध में कोई और सूचना नहीं मिलती। इसके लिए कि कोई सूचना नहीं मिलनी, संकेताक्षर 'न' रखा है। सूची में भागे जहाँ 'न' आयेगा वहाँ यही अभिप्राय होगा कि उस कवि के सम्बन्ध में कोई और जानकारी नहीं मिलती।

— 74 गणपति—मु ने पीटरसन ने (पृ 33) लिखा है कि जल्हण की सू. में राजशखर का एक श्लोक है जिसमें गणपति नामक एक कवि और उसकी कृति 'महा मोह' का उल्लेख है।¹

व्याख्या 1 संख्या 74 प्रकारादि क्रम में सूची में गणपति का स्थान बताती है।

2 'मु' सुभाषितावली का संकेताक्षर है। संख्या 14 के ग्रन्थ में इसका संकेत है। वहाँ यह पूरे नाम से दी गई है।

3 'सू' यह 'सूक्ति मुक्तावली' का संकेताक्षर है। यह सूचना 36वीं संख्या के कवि के सन्दर्भ में दे दी गई है।

131 सुतातित, ऑफोरेन (वंटेनॉगस कैंटेलीोरम) के अनुसार सातवीं शताब्दी के प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल स्वामी का नाम।²

इन उदाहरणों से यह विदित होगा कि मिश्रबन्धुओं ने जो संक्षिप्त विवरण दिये हैं उनसे यह भागे का चरण है क्योंकि एक शब्द या एक पंक्ति लिखने के पीछे लेखक का विशद अध्ययन विद्यमान है उसका उपयोग भी इस तालिका में भरपूर हुआ है। यह तालिका सूची मात्र नहीं बरन् अध्ययन प्रमाणित विवरण है।

प्राचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने 482 गीण कवियों की तालिका दी है। उसने साथ यह टिप्पणी है "ऊपर प्रस्तुत तालिका से संस्कृत के ज्ञात गीण कवियों की संख्या का अनुमान मात्र किया जा सकता है। अन्य समस्त सुलभ स्रोतों में ऐसे नाम मकलित किये जायें तो संख्या सहस्राधिक होगी।" निश्चय ही ऐसी तालिका प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण कार्य किसी सीमा तक पांडुलिपि विज्ञानार्थी के क्षेत्र में आना है। उसके आधार पर संस्कृत साहित्य का पूर्ण इतिहास लिखना साहित्य के इतिहासकार का काम होगा।

1 शर्मा नलिन विलोचन, साहित्य का इतिहास पृ० 14।

2 वही, पृ० 16।

इस प्रकार प्राचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने 'हिन्दी' के गीण कवियों का इतिहास शीर्षक ग्रन्थ में '971' कवियों की तालिका दी है। यह तालिका भी उन्होने प्रकाशित ग्रन्थों के आधार पर प्रकाशित की है। इस सम्बन्ध में उनकी भूमिकावत् यह टिप्पणी उल्लेख्य है

“परमानन्द सुहाने’ तथा इनसे भिन्न बहुसंख्यक कवियों की स्फुट रचनाएँ शिवसिंह सरोज में भी सगृहीत हैं। यह दुर्भाग्य का विषय है कि सरोजकार द्वारा उल्लिखित ग्रन्थ-ग्रन्थों में से प्रायः सभी आज अप्राप्य हैं। परमानन्द सुहाने के हजारों में जिन कवियों के छंद सगृहीत हैं, उनके नामों और समय आदि को, सरोज पर अवलम्बित ग्रन्थों दी गई तालिका से मिला कर हिन्दी के गीण कवियों के अध्ययन के निमित्त आधार भूमि तैयार की जा सकती है। इस तालिका में सरोजकार द्वारा किये गये नामों तथा समय के विषय में प्रियसंत तथा किशोरीलाल गोस्वामी¹ की टिप्पणियों का भी उल्लेख है।”²

प्रश्न यह उठता है कि क्या मुद्रित और उपलब्ध ग्रन्थों के आधार पर ऐसी सूची प्रस्तुत करना पाण्डुलिपि विज्ञानार्थी के क्षेत्र में आता है? आपत्ति सार्थक हो सकती है। पर पाण्डुलिपि विज्ञानार्थी को अपने भावी कार्यक्रम की दृष्टि से या किसी परिपाटी को या प्रणाली को हृदयगत करने के लिए इनका ज्ञान आवश्यक है। हस्तलेखों में शतश ऐसे सग्रह ग्रन्थ मिलेंगे जो हजारों की भाँति वे होंगे। उनके कवि और काव्य को तालिकाबद्ध करने के लिए यही प्रणाली काम में लायी जा सकती है जो प्राचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने यहाँ दी है।

तालिका का रूप .

अब इस तालिका के रूप को समझने के लिए कुछ उदाहरण दिये जाते हैं

(1) अकबर बादशाह

स०, दिल्ली, 1584 वि०, प्रि० कि०, 1556-1605।

(2) अजबेस (प्राचीन)

स०, 1570, वि०, प्रि०, वि०, इस नाम का कवि कोरी कल्पना।

(5) अवधेश ब्राह्मण

स०, बदरवारी, मुन्देलखण्डी, 1901 वि०; प्रि०, 1840 इ० में उप०।

(6) अवधेश ब्राह्मण

स०, भूग के बुंदेलखण्डी, 1835 वि०, प्रि०, जन्म 1832 ई०। कि० के अनुसार दोनों अवधेश ब्राह्मण एक ही हैं, रचनाकाल 1886-1917 ई० है; 1878 ई० ज मरान नहीं है।

(787) लक्ष्मणशरण दास

कि०, “इस कवि का अस्तित्व ही नहीं है” सरोज में उद्धृत पद में ‘दास सरन लक्ष्मण मुन भूप’ का अर्थ है—“यह दास लक्ष्मण मुन अर्थात् वल्लभाचार्य की शरण में है।”

(806) शम्भु कवि

स०, राजा शम्भुनाथ सिंह मुलकी, सितारागढवाले 1, 1738 वि०, नायिका भेद;

1. प्राचार्य शर्मा यहाँ गोस्वामी भूष से निरा गए हैं। यह ‘गुप्त’ है।

2. शर्मा, नलिन विलोचन, साहित्य का इतिहास-दशम पृ० 161।

प्रि०, सितारा के राजा शम्भुनारायणसह सुलकी, उर्फ शम्भुबुवि, उर्फ नाथ कवि, उर्फ नृपशम्भु, 1650 ई० के भास-ग्राम उपस्थित, सुन्दरी तिलक, सत्कविगिराविलास, कविघो के आश्रय-दाता ही नहीं, स्वयं एक प्रसिद्ध ग्रन्थ के रचयिता, यह शृ गार रस में है और इसका नाम 'काव्य निराली' (?), कि०, शम्भुनाथ सोलकी दात्रिय नहीं, मराठे, सरोज में इस कवि के सङ्घ में लिखा है—“शृ गार की इनकी काव्य निराली है। नायिका-भेद का इनका ग्रन्थ सर्वोपरि है। इसी का अष्ट धरेजी अनुवाद प्रियसंन ने किया है और इनके काव्य ग्रन्थ का नाम 'काव्य निराली' ढंड निकाला है। इनका नलमिख रत्नाकर जी द्वारा सम्पादित होकर भारत जीवन प्रेस, बागों से प्रकाशित हो चुका है।”¹

इन उद्धरणों से इस प्रणाली का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। कालक्रम में मनुष्य पहले काव्य 'सरोज' अर्थात् शिवसिंह सरोज, उसने कवि का उल्लेख सबसे पहले किया। आघार ही उसे बनाया है। सरोज का द्योतक सकेताक्षर 'स०'। उसके बाद प्रियसंन ने सूचना दी है। प्रियसंन का द्योतक सकेताक्षर 'प्रि०' तब 'कि०' सकेताक्षर से किशोरीलाल गुप्त को अभिहित करते हुए उनके सरोज सर्वेक्षण से आवश्यक जानकारी संक्षेप में दे दी है। इस प्रकार एक ऐसी सूची या तालिका की आघारमिला आचार्य शर्मा ने रस दी है जिसमें पांडुलिपि विज्ञानार्थी अपनी दृष्टि से यथास्थान नये कवियों का नाम और आवश्यक सूचना जोड़ता जा सकता है तथा टिप्पणी देकर प्रयत्न प्रयत्नों से प्राप्त ज्ञान को हस्तामलकवत् कर सकता है।

पांडुलिपि विज्ञानार्थी इसी सूची का उपयोगी सम्बद्धन दो प्रकार से कर सकता है : प्रथम तो अब तक की खोजों के विवरणों से सामग्री लेकर ।

यथा, खोज में उपलब्ध हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों का अठारहवीं त्रैवार्षिक विवरण (सन् 1941-43 ई०) द्वितीय भाग में जिसके संपादक प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं : चतुर्थ परिशिष्ट (क) में प्रस्तुत खोज में मिले नवीन रचयिताओं की नामावली दी है और उनका शताब्दी क्रम भी बताया है। इस नामावली में 206 कवि हैं। पांडुलिपि विज्ञानार्थी इन नामों की परोक्षा कर अपनी तालिका में प्रामाणिक कवियों को स्थान दे सकता है।

इसमें भी महत्वपूर्ण चतुर्थ परिशिष्ट (ग) है। इसमें काव्य संप्रहों में आये नवीन कवियों की सूची दी गई है। इस सूची में गौण कवियों की तालिका और अधिक उपयोगी हो जायेगी और शोधार्थी को शोध की दिशाओं का निर्देश भी कर सकेगी।

पांडुलिपि विज्ञानार्थी को एक तालिका और बना कर अपने पास रखनी होगी। यह तालिका उसके स्वयं के उपयोग के लिए तो होगी ही, अन्य अनुसंधान भी उसका उपयोग कर सकते हैं। इस तालिका को रा०ब० डॉ० हीरालाल जो डी०लिट०, एम०आर०ए० एस. ने त्रयोदश त्रैवार्षिक विवरण में इस रूप में दिया है। यह इन्होंने चतुर्थ परिशिष्ट में दिया है। इसकी व्याख्या यों की गई है “महत्वपूर्ण हस्तलेखों के समय एव सन् 1928 ई० तक प्रकाशित खोज विवरणिकाओं में उनमें उल्लेख का विवरण”। तालिका का रूप यह है

संख्या	रचयिताओं का नाम	हस्तलेखों का नाम	प्राप्त हस्तलेखों के उल्लेख तथा समय	विशेष
1	2	3	4	5

यह तालिका उपयोगी है, यह स्वयंसिद्ध है, क्योंकि सन्दर्भ की दृष्टि से भी खोज-विवरणों का उल्लेख कर दिया गया है, जहाँ विस्तृत विवरण देखे जा सकते हैं। सद्यः 4 को दो भागों में भी विभाजित किया जा सकता है : प्रथम—यह भाग केवल समय-द्योतक होगा, और दूसरा, यह भाग विवरणिकाओं का उल्लेख करेगा। डॉ० हीरालाल ने केवल ना० प्र० स० के खोज के विवरणों के ही उल्लेख दिये हैं, पर पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी को जितने भी ऐसे विवरण मिलें उन सभी से सूचनाएँ देनी होंगी। स्पष्ट है कि यह तालिका जितनी परिपूर्ण होगी उतनी ही अधिक उपादेय होगी।

इस विवेचन से हमारा ध्यान डॉ० किशोरीलाल गुप्त के प्रयत्न की ओर जाता है जो उन्होंने 'सरोज सर्वेक्षण' के रूप में प्रस्तुत किया है। 'सरोज' में दिये विवरणों की ग्रन्थ स्रोतों से प्राप्त सामग्री का उपयोग कर उन्होंने परीक्षा की है और उनके सम्बन्ध में सप्रमाण अपना निर्णय भी दिया है। पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी के लिए यह प्रणाली उपयोगी है, इसमें सन्देह नहीं। वह किसी भी प्राप्त 'पाण्डुलिपि' के विषय में उपलब्ध ग्रन्थ सामग्री से इसी प्रकार परीक्षा करके टिप्पणी देगा, इससे अद्यतन ज्ञातव्य की सूचना उपलब्ध रह सकेगी।

इसी परिपाटी का पल्लवित रूप वह है जो 'चन्द्रकवि' के विवरण में ऊपर दिया गया है। ऐसे विवरण एक-एक कवि पर पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी को प्रस्तुत कर लेने चाहिए।

ऊपर हम देख चुके हैं कि विवरण के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक को 'परिचय' कह सकते हैं। इसका विस्तृत विवरण विवेचनापूर्वक दिया जा चुका है। दूसरा अंग है विषय का अन्तर्ग परिचय आदि, मध्य और अन्त के उद्धरणों सहित।

काशी नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टों में आरम्भ में आदि, मध्य (कभी मध्य उद्धृत नहीं भी किया जाता था) और अन्त के छद्म-मात्र दे दिए जाते थे। आरम्भ मान लीजिए दोहे से है तो मात्र वह दोहा दे दिया जाता था। अन्त एक कवित्त से हो रहा है तो बस केवल उसी को दे देते थे। इससे विषय का अपेक्षित परिचय नहीं मिल पाता था। अतः जार्ज ग्रियर्सन के परामर्श से इस विषय के अन्तर्ग परिचय को अधिक विस्तार दिया जाने लगा। विषय की भी कुछ अधिक विस्तृत रूपरेखा दी जाने लगी। इस बात की ओर उक्त 'विवरणिका' में डॉ० हीरालाल जी ने संकेत किया है :

"इसमें विगत विवरणिकाओं की अपेक्षा ग्रन्थों के विषय का विवरण विस्तार से दिया भी गया है। केवल उन्हीं का विवरण नहीं दिया गया है जिनका विवरण विगत विवरणिकाओं में विस्तृत रूप में विद्यमान है। ऐसा सर जार्ज ग्रियर्सन के सुझाव से ही किया गया है जो उपादेय तो अवश्य है किन्तु इससे विवरणिका का विस्तार बहुत हो गया है।"¹

विस्तार के रूप

विवरण के विस्तार के भी तीन रूप सम्भवतः माने जा सकते हैं : —

1. विषय का झ्योरैबार बहुत संक्षेप में सार-रूप। इससे ग्रन्थ के प्रतिपाद्य का कुछ ज्ञान हो सकता है। यह परिचय ग्रन्थ का ज्ञान कराने के लिए नहीं होता, वरन् ग्रन्थ

की विषय-वस्तु और विज्ञानार्थी की दृष्टि से उसकी प्रकृति और प्रतिपाद्य की पद्धति का उल्लेख करता है। डॉ. टेंसीटरी ने अपने दृष्टिकोण से उन हस्तलेखों की विस्तृत टिप्पणियाँ ली, जो ऐतिहासिक महत्त्व के थे।

दूसरा रूप है मूल उद्धरणों का, पांडुलिपि के आदि, मध्य और अन्त से ऐसे उद्धरण देने का और इतने उद्धरण देने का कि उनसे उन मूल उद्धरणों के द्वारा कवि या लेखक की भाषा, शैली तथा अन्य अभिव्यक्तिगत वैशिष्ट्यों की ओर दृष्टि जा सके।

इसका तीसरा रूप है ग्रंथ में आयी समस्त पुष्पिकाओं को उद्धृत करना। पुष्पिकाओं में कितनी ही महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ मिलती हैं।

इस प्रकार विवरण प्रस्तुत करके पांडुलिपि-विज्ञानार्थी उपलब्ध सामग्री के उपयोग के लिए मार्ग प्रशस्त कर देता है।

कालक्रमानुसार सूची

इनमें से एक कालक्रमानुसार उपलब्ध-ग्रंथ सूची भी हो सकती है जो इतिहास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध 'The Chronology of Indian History' (भारतीय इतिहास के काल-क्रम) के ढंग की हो सकती है। मेरे सामने ऐसी ही एक पुस्तक C Mabel Duff की लिखी है। उसके आरम्भ में दी गई कुछ बातें यहाँ देना समीचीन प्रतीत होता है।

पहले तो उन्होंने लिखा है कि "इस कृति में नागरिक तथा साहित्यिक इतिहास की उन तिथियों को एकत्र कर व्यवस्थित रूप से तालिकाबद्ध कर देना अभिप्रेत है, जो वैज्ञानिक अनुसन्धान से आज के दिन तक निर्धारित की जा चुकी हैं।

इससे यह सिद्ध है कि ये तिथियाँ ही दी गई हैं जो वैज्ञानिक प्रविधि से पुष्ट होकर निर्विवाद हो गई हैं।

दूसरी बात उन्होंने यह बताई है कि भारतीय इतिहास की सामग्री मात्रा में प्रचुर है और अनेक ग्रंथों और निबन्धों में फैली हुई है, अतः इस काल तालिका में उग समस्त सामग्री को व्यवस्थित करके तो रखा ही गया है, स्रोतों का निर्देश भी है जिससे यह तालिका समस्त सामग्री के स्रोतों की अनुक्रमणिका भी बन गई है।

ये दोनों बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी। डॉ. ने इस तालिका में कुछ तिथियाँ (सन्/संवत्) इटैलिक में दी हैं। इटैलिक में वे तिथियाँ दी गई हैं जो पूरी तरह सही नहीं हैं, पर निष्कर्ष से निकाली गई हैं और लगभग सही (Approximately Correct) मानी जा सकती हैं। यह प्रणाली भी उपयोगी है क्योंकि इसमें सुनिश्चित और प्रायः निश्चित तिथियों में अन्तर स्पष्ट हो जाता है जो वैज्ञानिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

इस पुस्तक में से साहित्य सम्बन्धी कुछ उल्लेख उदाहरणार्थ प्रस्तुत करना समीचीन होगा। पुस्तक अंग्रेजी में है, यहाँ अंग्रेज़ी में अशो का हिन्दी रूपान्तर दिया जा रहा है

ई०पू० 3102 शुक्रवार, फरवरी 18, जलियुग या हिन्दू ज्योतिष मवत का आरम्भ • यह बहुधा तिथियों में दिया जाता है, यह विक्रम संवत् से 3044 वर्ष पूर्व का है और शक संवत् से 3179 वर्ष पूर्व का

140 पतञ्जलि, वेदाकरण, 'महाभाष्य' का रचयिता ई०पू० 140-120 में विद्यमान। 'महाभाष्य' के अवनरणों से गोल्डस्टुकर एवं मण्डारकर ने पतञ्जलि की तिथि निर्धारित की है। जिनसे विदित होता है कि यह

मेनाडर और पुष्यमित्र के समकालीन थे। पूर्वी भारत के मोनादं के निवासी थे और कुछ समय के लिए काश्मीर में भी रहे थे। उनकी माँ का नाम गोनिका था—

गोल्डस्टुकर पाणिनि 234। LitRem 1, 131 ff LiAn, 485 BD8 1 A, 1, 299 ff JBR8, XVI, 181, 199.

सन् ई० 476

भार्यभट्ट, ज्योतिषी का जन्म कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) में, भार्याष्टक तथा दशगोतिका का रचयिता—WL 257 Indische Streifen, III, 300-2 गणकतरिणी, ed मुधाकर, The Pandit, N S XIV (1892), P. 2

600

कविशाण, श्री हर्षचरित, बादम्बरी और चडिकाशतक के रचयिता, मयूर, सूर्य-शतक के रचयिता, दडी, दशकुमार चरित एवं वाध्यादर्श के रचयिता और दिवाकर इस काल में थे क्योंकि ये बभ्रोज के हर्षवर्द्धन के समसामयिक थे। जैन परम्परा के अनुसार मयूर वाण के श्वसुर थे। भक्तामर स्त्रोत के रचयिता मानतु ग भी इसी काल के हैं। वृहलर, Di indischer Inschriften Petersens सुभाषितावली Int 88 VOJ, IV, 67

1490

हिन्दी कवि कबीर दूगो काल के लगभग थे क्योंकि वे दिल्ली के मिकदर शाह लोदी के समसामयिक थे—BOD 204। उड़ीसा के कवि दीन कृष्णदास, रस-श्लोक के कर्ता भी सम्भवत इसी काल में थे। वे उड़ीसा के पुरुषोत्तम देव (जिनका राज्यकाल 1478-1503 के बीच माना जाता है) के समसामयिक थे, आदि।

इस पद्धति में यह दृष्टव्य है कि प्रथम स्तम्भ में केवल सन् (ईस्वी) दिया गया है।

और सभी बातें दूसरे स्तम्भ में रहनी हैं। जिन घटनाओं की ठीक तिथियाँ विदित हैं वे यदि एक ही वर्ष के अन्दर घटित हुई हैं, तो उन्हें तिथि-क्रम से दिया जाता है।

हमें हिन्दी के हस्तलेखों या पाण्डुलिपियों की ऐसी कालक्रम तालिका बनाने के लिए निम्न बातों का उल्लेख करना होगा। स्तम्भ तो दो ही रखने होंगे। पहले में प्रचलित 'सन्' उक्त इतिहास की तालिका की भाँति ही देना ठीक होगा। दूसरे खाने में पहले खाने के सन् के सामने म० लिखकर 'मवद्' की मट्टा देनी होगी। उनमें नीचे 'चैत्र' से आरम्भ करके तिथि का उल्लेख करना ठीक माना जा सकता है। तिथि का पूरा विवरण 'पुष्यिका' सहित लिखना चाहिए। 'कृतिकार' का नाम, आश्रयदाता का नाम, वृत्ति के लिये जाने के स्थान का नाम, ग्रन्थ का विषय। साथ ही लिपिकार या लिपिकारों के नाम। तिथि करने का स्थान-नाम, लिपिकाल, लिपिकाल की कालक्रम से भी प्रविष्टि की जायगी। वहाँ भी लिपिकार के साथ ग्रन्थ और रचयिता का उल्लेख काल-सहित किया जायेगा, यथा—

पाण्डुलिपि कालक्रम तालिका

क्रमसंख्या ईसवी सन्

1.

760

वि०स० 817

सरहपा-ब्राह्मण, भिक्षु मिश्र (6) देश मगध (नालदा) कृतियाँ-
कायकोप-धमृत्त-वष्यगीति, चित्तकोप-अज्ञ वष्यगीति, डाकिनी गुह्य,-

वज्रगीति, दोहा कोप-उपदेशगीति, दोहा कोप, तत्त्वोपदेश-शिखर-दोहा कोप, भावना फल-दृष्टि चर्या, दोहा-कोप, बसन्ततिलक-दोहा कोप, चर्यागीति दोहा कोप, महामुद्रोपदेश दोहा कोप, सरहपाद गीतिका (गोपाल-धर्मपाल के राज्य-काल (750-70-806 ई०) में विद्यमान ।

रा० सा०-“पुरातत्त्व निबन्धावलि (पृ० 169) रा० सा०-हिन्दी काव्य धारा)।

2. 1459

वि०स० 1516

9, ज्येष्ठ वदि, बुधवार (रचना काल) । ‘सखमसेन पद्मावति’ रचयिता दामो । लिपिकाल स० 1669 वर्ष, माह 7 । लिपि-स्थान - फूलसेडा । सप्त पनरद सोलोत्तरा मभारि, ज्येष्ठ वदि नवमी बुधवार । सप्त तारिका नक्षत्र दृढ़ जाणि, वीर बंधारस करू बँलाण” दामो रचित सखमसेन पद्मावती स० नर्मदेश्वर चतुर्वेदी + प्रकाशित (परिमल प्रकाशन प्रयाग-2) प्रथम स० 1959 ई० ।

ध्रुव 1459 में 10 वीं बृहस्पतिवार ज्येष्ठ वदी की कोई रचना है तो ‘सखमसेन पद्मावती’ के उल्लेख के बाद इसी स्तम्भ में लिखी जायगी । पहले विक्रम संवत्, तब रचना-तिथि, ग्रन्थ का नाम, रचयिता का नाम तथा ग्रन्थ भावश्यक सूचनाएँ देकर नये प्रघट्टक से पुष्प या तारक (*) लगा कर सन्दर्भ सूचना दे दी जानी चाहिये ।

प्रत्येक पाण्डुलिपि विज्ञानार्थी अपने-अपने लिए ये कालक्रम तालिकाएँ बना सकते हैं, पर भावश्यकता इस बात की है कि The Chronology of Indian History की तरह समस्त पाण्डुलिपियों की ‘कालक्रम तालिका’ प्रस्तुत कर दी जाय । साथ ही दायीं और इतना स्थान छोड़ा रहे कि पाण्डुलिपियों के प्रकाशन की सूचना यथा समय भर दी जाय, यथा : ऊपर (+) चिह्न के साथ प्रकाशन सूचना दी गयी है ।

अध्ययन की, विशेष दृष्टि से उपयोगी बनाने के लिए, ऐसी सूचियाँ भी प्रस्तुत करनी होंगी जैसी डब्ल्यू० एम० कल्लेवार्ट (W.M. Callewaert) ने बेल्जियम के ‘ओरियंटलिया सोवनीनसिया पीरियोडिका’ के 1973 के अंक में प्रकाशित करायी है और शीर्षक दिया है “सर्च फॉर मैन्सुक्रिप्टस् अॉव द दादूपन्थी लिटरेचर इन राजस्थान”¹ अर्थात् राजस्थान में दादूपन्थी साहित्य के हस्तलेखों की खोज

इस 12 पृष्ठ के निबन्ध में छोटी-सी भूमिका में उन्होंने यह बताया है कि ‘सबसे पहले स्वामी मंगलदास जी ने 77 दादूपन्थी लेखकों की व्यवस्थित सूची प्रस्तुत की जिसमें लेखकों के नाम, उनकी कृतियाँ और सम्भावित रचना-काल दिया ।’ फिर भी बहुत-से दादूपन्थी लेखकों के बहुत-से हस्तलिखित ग्रन्थ अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुए हैं । तब लेखक ने यह बताया है कि—

“इन पृष्ठों में राजस्थान, दिल्ली और वाराणसी में पाँच महीने की अवधि में उन्होंने जो शोध की उसने परिणाम दिये गये हैं । लेखक ने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी है कि

1. Callewaert W. M.—Search for Manuscripts of the Dadu Panthi Literature in Rajasthan, *Orientalia Lovaniensia Periodica* (1973-74)

इस सूची का यह दावा नहीं कि इसमें जितने भी सम्भव सग्रह हो सकते हैं, सभी का उपयोग कर लिया गया है। इस कथन से उस भ्रम को दूर किया गया है, जो सम्भवतः इस सूची को देखकर पैदा होता कि इस लेखक ने सूची अद्यतन पूर्ण कर दी है, भ्रम और कुछ शेष नहीं रहा। वस्तुतः मानवीय प्रयत्नों की सामर्थ्य और सीमाओं के कारण ऐसा दावा कोई भी नहीं कर सकता कि ऐसी सूची उस विषय की अन्तिम सूची है।

फिर लेखक ने यह भी इंगित कर दिया है कि इस सूची में दादू के शिष्यों के द्वारा प्रस्तुत किये गये साहित्य का ही समावेश है, किसी अन्य की कृति का समावेश किया गया है तो यथास्थान उसका उल्लेख कर दिया गया है।

लेखक ने सूची में उन ग्रन्थों की पाण्डुलिपियों का उल्लेख करना भी समीचीन समझा है जिनका मुद्रित रूप मिल जाता है। ऐसा उसने पाठालोचन के लिए उनकी उपयोगिता को दृष्टि में रख कर किया है।

यह सूचना भी उसने दी है कि सन्-संवत् की सख्या से ईस्वी सन् (A.D.) ही अभिहित है। प्रतिलिपि के कालक्रम से ही ग्रन्थ सूची तैयार की गई है।

इस सम्बन्ध में लेखक के पक्ष में हमें यह कहना है कि प्रतिलिपि-काल अधिकांश पाण्डुलिपियों में मिल जाता है, जब कि रचना-काल बहुत कम रचनाओं में प्राप्त होता है। यह बात संत-साहित्य के सम्बन्ध में सर्वाधिक सत्य है। अतः सूची बनाने में क्रम की दृष्टि से वैज्ञानिक आधार प्रतिलिपि का काल ही हो सकता है। यों भी प्रतिलिपि-काल महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह काल यह तो सिद्ध करता ही है कि रचना इस काल से पूर्व हुई। यह काल ग्रन्थ की लोकप्रियता का भी प्रमाण होता है, और लिपि के तत्कालीन रूप की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।

इसके बाद संग्रहों या सग्रहालयों की संकेत सूची दी गई है, क्योंकि सूची में आने सकेताक्षरों से ही काम चलाया गया है। ऐसे 16 संग्रहों या संग्रहालयों के संकेताक्षर दिये गये हैं, यथा: 'D.M'. दादू महाविद्यालय, मोती झूंमरी, जयपुर।

जिन संग्रहों से यह सूची प्रस्तुत की गई है वे निम्न प्रकार के हैं।

1. सस्थाओं के संग्रह, जैसे-दादू महाविद्यालय का, दादूद्वारा नरना का, काशी नागरी-प्रचारिणी सभा का, अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर का, आदि।
2. ऐसी बड़ी सस्थाओं के अन्तर्गत विशिष्ट वर्ग या कक्ष के संग्रह, यथा : NPM . यह संकेत काशी नागरी-प्रचारिणी सभा वाराणसी (Varanasi) के पुस्तकालय के 'मायाशंकर याज्ञिक संग्रह' के लिए है।
3. ऐसे महाग्रंथ जिनमें ग्रंथ संकलित हो, यथा : NAR, MG यह संकेताक्षर 'दादू द्वारा नरना' के महाग्रंथ का छोटक है।
4. ऐसी सूचियाँ जिनमें पाण्डुलिपियों का उल्लेख है : यथा : NPV. यह काशी नागरी-प्रचारिणी सभा, वाराणसी द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण (1900-55) I-II 1964 के संस्करण का छोटक है। इस विवरण से भी दादूपत्रों ग्रंथों को इस सूची में सम्मिलित किया गया है।
5. व्यक्तियों के संग्रह, यथा : KT. यह संकेताक्षर है प० कृपाशंकर तिवारी, 1, म्यूजियम रोड, जयपुर के संग्रह के लिए है।

तब उन्होंने सूची से पूर्व ही उन स्रोतों का विवरण और दे दिया है, जिनसे दादूपथी साहित्य का पता चल सकता है।

अब सूची में उन्होंने पहले बायीं ओर लेखक या कवि का नाम दिया है, उसके साथ कोष्ठक में उसका अस्तित्व काल दिया है और उसके सामने दाहिने ओर पर भक्तमाल (राधवदास कृत) का उल्लेख उसकी उन पृष्ठों की संख्या सहित किया है, जिन पर इस कवि का विवरण है। जिन कवियों का उल्लेख उक्त भक्तमाल में नहीं है उनके आगे यह संकेत नहीं किया गया।

इस नामसूची के नीचे भिन्न टाइप में 'पुस्तक' या पाण्डुलिपि का नाम, उसके आगे संक्षेप में छन्दों की गणना और यदि रचनाकाल ज्ञानमें है तो उसका उल्लेख। उसने नीचे सकेताक्षरों में उन सग्रहों का उल्लेख है, जिनमें यह ग्रन्थ मिलता है। कोई अन्य ज्ञातग्रन्थ उसी के साथ कोष्ठक में दिया गया है।

इस सूची की रूपरेखा की कुछ विशिष्ट बातें केवल निर्देशनार्थ ही दी गयी हैं। पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी ऐसी सूत्रियाँ बनाते समय यह ध्यान में रखेगा ही कि सूची अधिकधिक वैज्ञानिक और उपयोगी बने। इसी दिशा-निर्देशन की दृष्टि से यहाँ इस सूची का एक उद्धरण देना भी समीचीन प्रतीत होता है।

Jagannatha¹ - - - - - Bh M. p 732-733

Gunaganja nama (anthology of selections from 162-poets) DM 2, p 521-536 (1676), 14 b, p 1-216, 17, p 329-450, 10 c, 14 b, NP 2521/1476, p 1-48, p 2520/1475, p 1-20, NAR 3/11, 4 p 316 ff, 7/2; 13/83, 23/10 (1761), VB 154/6, KT 500/SD

Mohamad raja ki Katha

VB 34 p 575-79 (1653), DM 2, p. 329-332 (1676), 24, p 376-382, 18, p 465 ff, 20. p 401-406, 14, p 78 84, c p 2987/4, 3028/12, 3657/6, 3714/3, KT 148 (1675-1705), 399, p 5-82; 495, 303, VB 4, p 483-496; 74 p 521-526, 8, p 271-281, NAR 2/3, 19/14, 23/34, 29/21, PV 163, 588, 751 664, NP 2346/1400, p 56-68 has this work under the name of Jan Gopal See the note in NPVI, p 254 on the different names of Jangopal

Dattatreya ke 25 guruo ki lila

VB 14, p 154-162, KT 205, p 65-74 (1653), see also Jangopal's work.

Dohe—VB 4, passim, KT 477; AB 78, p 148-160.

—Pada—VB 12, p. 20 (1684), KT, 331, 352, 122, 469; 566. 154, 240, 311

The (complete ?) works of Jagannath are found in DM 3, p. 1-659, 1, p. 429-557; NAR MG p 201-283 NP VI, p. 322.

¹ Callewaert, W. M.—Search for Manuscripts of the Dadu-Panthi Literature in Rajasthan, *Orientalia Levantensia Periodica* (1973-74), p 160

Dayaldas (disciple of Jagannath)

Nasiket vyakhyan (completed in 1677)

VB 4, p 390-451, NAR 2/2, 3/7, 5/5, DM 9, p 447-469, 21, p 329-357, 20, p 453-481, 14, p 131-165; 23, p 362-388, VB 8, p 331-400, KT 486, SD: NPV I, p 407

नकली पाण्डुलिपियाँ

पाण्डुलिपि विज्ञानार्थी को क्षेत्रीय अनुसंधान में जिस सबसे विकट समस्या का सामना करना पड़ता है वह नकली ग्रंथों की है। पाण्डुलिपियों के साथ यह नकली पाण्डुलिपियों की समस्या भी खड़ी होनी है। तुलसीदास जी पर लिखे गये दो ऐसे ग्रंथ मिले थे, जिनके लेखकों ने दावा किया था कि वे गोस्वामी जी के प्रिय शिष्य थे। एक ने सबकुछ एव तिथि देकर उनके जीवन की विविध घटनाओं का उल्लेख किया था। इनसे कोई कौना ग्रंथकारमय नहीं रह जायगा। किन्तु अन्तरंग परीक्षा से विदित हुआ कि उसमें सबकुछ कपोल-कल्पित हैं। पूरा का पूरा ग्रंथ किसी कवि ने दूसरे के नाम से रच डाला था, प्रत नकली था, जाली था। ऐंमे ही अनेक उदाहरण मिलते हैं।

स्व० डॉ० दीनदयाल गुप्त भू० पू० अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, सखनऊ विश्वविद्यालय ने डी० लिट्० की एक मौखिक परीक्षा के समय दाराणसी के एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताया था जो जाली हस्तलिखित पुस्तकें तैयार करने में दक्ष था। मुझे आज उसका नाम स्मरण नहीं, किन्तु ऐसे व्यक्तियों का होना असम्भव नहीं। जहाँ पुरानी ऐतिहासिक वस्तुओं के क्रय विक्रय के केन्द्र होते हैं वहाँ ऐसी जालसाजी के लिए बहुत क्षेत्र रहता है। अनेक प्रकार के प्रयत्न किये जाते हैं और नकल को असल बता कर व्यवसायी पूरी ठगाई करते हैं।

19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में मध्य एशिया के 'खुत्तन' शहर में तो किमी ने हस्तलिपियों के निर्माण के लिए कारखाना ही बना डाला था। डॉ० भगवतीशरण उपाध्याय ने घमंगुग, 8 मार्च, 1970 (पृष्ठ 23 एव 27) के अंक में 'पुरातत्व में जालसाजी' शीर्षक निबन्ध में आरेल स्टाइन के आधार पर रोचक सूचना दी है। उन्होंने बताया है कि 'खुत्तन और काशगर से एक बार जाली हस्तलिपियों की खरीदफरोख्त का ताता बंधा और अंग्रेजी, रूसी तथा अनेक यूरोपीय सग्रहकर्त्ताओं को जाली हस्तलिपियाँ पर्याप्त मात्रा में बेची गयी। यह इतनी दक्षतापूर्वक की गई जालसाजी थी कि "विद्वान् और अनभिज्ञ दोनों ही समान रूप से इस धोखे के शिकार हुए।" 'आदि आरेल स्टाइन' ने इस जालसाजी का पूरी तरह भडाफोड किया। इसलाम अखुन नाम के एक जालसाज ने तो प्राचीन पुस्तकों की खपत अधिक देख कर एक कारखाना ही खोल दिया था। आरेल स्टाइन-महोदय के विवरण के आधार पर डॉ० भगवतीशरण उपाध्याय ने इस जालसाज इस्लाम अखुन द्वारा जालसाजी करने की कथा यों दी है

'अब इसलाम अखुन द्वारा निर्मित 'प्राचीन पुस्तकों' की कथा सुनिये, अपनी पहली 'प्राचीन पुस्तक' इस प्रकार बनाई हुई उसने 1895 में मुंशी अहमद दीन को बेची। मुंशी अहमद दीन मैकाल्टों की अनुपस्थिति में काशगर के प्रिन्टिंग रेजिडेंट के दफ्तर की सम्भाल करने लगा था। वह पुस्तक हाथ से लिखी गई थी और कोशिश इस बात की की गयी थी कि

इस कारखाने में बनी पहली पुस्तकों की तरह घसीट ब्राह्मी में लिखी अरबी हस्तलिपियों के कुछ टुकड़े ददा उदलिक में इब्राहीम को पहले कमी मिल गये थे और यह काम इन जालसाजों ने कुछ इस तरह किया था कि यूरोप के अच्छे से अच्छे विशेषज्ञ तक को आसानी से सफलतापूर्वक धोखा दिया जा सकता था। यह डॉ० हेग्ले की 'मध्य एशियाई पुरावस्तुओं की रिपोर्ट' से प्रमाणित है, जो पहले की सामग्री पर आधारित थी। यह 'पहले की सामग्री' इस्लाम अखुन के कारखाने में बनी अन्य वस्तुओं के साथ अब ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के हस्तलिपि-विभाग के जाली कागजात के अनुभाग में सुरक्षित है। इसी प्रकार की एक 'प्राचीन खतन की हस्तलिपि' की अनुलिपि (फैंक्सिमिली) डॉ० स्वेन हेडिन की कृति 'ग्रू एशिया' के जर्मन संस्करण में सुरक्षित है जो इस्लाम इब्राहीम आदि की आधुनिक फंक्टी में प्राचीन रूप में सम्पादित हुई।

काशगर में जालसाजी का यह बाजार गर्म होने तथा हस्तलिपियों की कीमत बर्गर मीनमेख के कल्पनातीत मिलने से अन्यत्र के जालसाज भी वहाँ जा पहुँचे। इनमें सरगना लद्दाख और कश्मीर का एक फरेबी बनरुद्दीन था। उसका काम तो बहुत साफ न था, पर 'प्राचीन पुस्तकों' की संख्या का परिमाण सहसा काफी बढ़ गया। चूँकि उन्हें खरीदने वाले यूरोपियन उन अक्षरों को पढ़ या उनका वास्तविक प्राचीन लिपि से मिलान नहीं कर सकते थे, अतः जालसाजों ने भी जाली अक्षरों का भूल से मिलान कर अपने करतब में सफाई लाने की कोशिश नहीं की।

हाथ से लिख कर फरेब से हस्तलिपियाँ बनाने का काम बड़ी मेहनत से सम्पन्न होता था। इसी से जालसाजी के उन माहिरो ने काम हल्का और आसान करने के लिए कारखाना ईजाद किया। अब वे लकड़ी के ब्लाको से बार-बार छापे मार कर पुस्तकों का निर्माण करने लगे। इससे उनके काम में बड़ी सुविधा हो गयी। इन ब्लाको को बनाने में भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती थी, क्योंकि चीनी, तुर्किस्तान में लकड़ी के ब्लाकों से छपाई आम बात थी। 'प्राचीन पुस्तकों' की इस प्रकार से छपाई 1896 में शुरू हुई। नयी सिरजी लिपि की भिन्नता ने विद्वानों की कल्पना को जगाया और उसकी व्याख्या करने के लिए बड़े परिश्रम से उन्होंने नये फार्मूले रचे।

हस्तलिपि 'प्राचीन' बनाने में जिन उपायों का अबलम्बन किया जाता था, इस्लाम अखुन ने उसका भी सुराग दिया। 'ब्लाक प्रिंट' अथवा हस्तलिपि तैयार करने के लिए कागज भी विशेष रूप से तैयार किया जाता था और विशेष विधि से उसे पुराना भी कर लिया जाता था। तुर्किस्तान कागज के उद्योग का प्रधान केन्द्र होने के कारण खतन जालसाजों के लिए आदर्श स्थान बन गया था। कारण कि वहाँ उन्हें मनोवाञ्छित प्रकार और परिमाण का कागज बड़ी सुविधा में प्राप्त हो सकता था। 'तोगरुगा' के जरिये कागज पहले पीले या हल्के ब्राउन रंग में रंग लिया जाता था। तोगरुगा तोगरक नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता था, जो पानी में डालते ही घुल जाता था और घुलने पर दाग छोड़ने वाला द्रव बन जाता था।

रंगे कागज के साथ पर जब लिख या छाप लिया जाता तब उसे धुँए के पास टाँग दिया जाता था। धुँए के स्पर्श से उसका रूप पुराना हो जाता करता था। अनेक बार इसमें कागज कुछ भुलस भी जाता था। जैसा कि कलवत्ते में सुरक्षित कुछ 'प्राचीन पुस्तकों' से प्रमाणित है। इसके बाद उन्हें पत्रवत् बाँध लिया जाता था। इस जिद्दसाजी

से जानगाजी का भण्डाफोड हो सकता था। क्योंकि उसमें कुछ ऐसे बन्धन आदि का प्रयोग होता था जिनमें उनके आधुनिक यूरोपीय सम्पर्क का जाहिर हो जाना भी अनिवार्य था। यद्यपि इसका राज भी नहीं खुला जब इस्लाम अखुन ने अपना कसूर कबूल कर लिया और हकीकत बता दी। हस्तलिपि अथवा पुस्तक तैयार हो जाने पर उसके पन्नों में रेत भाड़ देते थे जिससे उनके रेगिस्तानी रेत में दीर्घकाल तक दबे रहने का आभास पैदा हो जाय। 1898 के बसंत में आरल स्ट्राइन लिखते हैं, "जागी ब्लाक-प्रिंट जांचने के पहले मुझे कपड़े के ब्रुश का इस्तेमाल करना पड़ा था। यह हस्तलिपि कश्मीर के एक मप्रहकर्ता के जरिये मुझे कश्मीर में ही मिली थी।"¹

यही हम श्री पूर्णेन्दु बसु की पुस्तक 'Archives and Records - What are they ?' नामक पुस्तक से भी कुछ उद्धृत करना चाहते हैं। बसु महोदय ने तीसरे (III) अध्याय में लेखों के शत्रु (Enemies of Records) में रिवाजों के प्रमुख शत्रु की गणना दी है कि "The are generally speaking time, fire, water, light, heat, dust, humidity, atmospheric gases, fungi, vermin," 'acts of God' and, last but not least, human beings" लेखों अभिलेखों के शत्रुओं में उन्होंने काल, अग्नि, जल, प्रकाश, गर्मी, धूप, आर्द्रता, वातावरणिक गैसों, फूँद (fungi) तथा कीड़े-मकोड़ों के साथ-साथ मनुष्यों को भी प्रमुख शत्रु बताया है। अन्य शत्रुओं पर चर्चा करने के उपरान्त 'मनुष्य' के सम्बन्ध में लिखा है—

' Human beings can be as much responsible for the destruction of records as the elements or insects I am not only referring to mishandling or careless handling the effects of which are obvious There are cases of bad appraisal It is evident that every scrap of paper produced or received in an office cannot be kept for ever—they are not sufficiently valuable to merit expenditure of money or energy for their preservation by being retained they only occupy valuable space and obscure the more valuable materials So at some stage a selection has to be made of the records that can be destroyed without doing any harm to either administration or scholarship Bad appraisal has often led to the valuable record being thrown away and the valueless kept Then there are people who may use the information contained in records to the detriment of government or of individuals Again there are others who may wish to temper with the records in order to destroy or distort evidence There are some who are either collectors of autographs and seals or are mere kleptomaniacs, and it is a problem to guard the record against them '²

इसमें हस्तलेखों के मानवीय शत्रुता के कारनामों का उल्लेख है। यह बताया गया है कि 1. वे हस्तलेखों का ठीक ढंग से उपयोग नहीं करते, 2 वे अर्थों-लेखों के उपयोग में

1 सर्वमूल (8 मार्च, 1970), पृ० 23 एचमू 27।

2. Basu, Purendu — Archives and Records What are they ?, p. 33

प्रमाद करते हैं, 3. वे महत्त्व को ठीक नहीं घाँक (appraise) पाते, फलतः अभिलेखागारों में वे कभी-कभी महत्त्वपूर्ण कागज पत्रनष्ट करवा दिये गए, रद्दी हस्तलेखों को सुरक्षित रखा गया। इसमें सरकार को और व्यक्ति को भी हानि उठानी पड़ी है, 4. स्वार्थियों ने साक्षी को नष्ट करने या बिगाड़ देने के लिए हस्तलेखों में जालसाजी की, 5. कुछ हस्ताक्षरों (autograph) और मुद्राओं (scal)/मुहरों के मद्धनकर्त्ता अभिलेखों में से उन्हें काट लेते हैं, कुछ को यो ही कतरनों का शीक होना है। ये सभी काम अभिलेखों के प्रति अनुराग के काम हैं।

लेखों अभिलेखों में हेरफेर करना भी जालसाजी है। यह जालसाजी बहुत घातक है। ऐसी ही एक जालसाजी की बात राजतरंगिणी के लेखक द्वितीय (तृतीय) जोन राज ने बताई है, जिसका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। इसमें स्वयं जोन राज के साथ उस व्यक्ति ने भोज-पत्र पर लिये भूमि के वित्रीनामा में जालसाजी करके गारी भूमि हड़प लेनी चाही थी। पर पहले वित्रीनामा पक्की स्याही में लिखा गया था बाद में जालसाज ने बच्ची स्याही में जाल किया था। फलतः पानी में भोजपत्र के टाल देने पर बच्ची स्याही धुल गयी और जाल सिद्ध हो गया। महारवि भाग के बहूत-से ग्रन्थ कुछ वर्ष पूर्व मिले थे। एक विद्वान् ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि वे जाली हैं। ब्रिटिश म्यूजियम में ऐसी जाली वस्तुओं का भ्रमण ही एक बड़ा बना दिया गया है।

अतः पांडुलिपि-विज्ञानविद् को पुस्तक की घान्तरिक और बाह्य परीक्षा द्वारा यह भाव्यस्त हो लेना आवश्यक है कि कोई पांडुलिपि जाली तो नहीं है।


पाण्डुलिपियों के प्रकार

प्रकार-भेद अनिवार्य

'पाण्डुलिपि' का अर्थ बहुत विस्तृत हो गया है, यह हम पहले के अध्यायों में देख चुके हैं। वस्तुतः विस्तृत अर्थ होने का अभिप्राय ही यह है कि उसके अन्तर्गत कितने ही प्रकारों का समावेश हो गया है। पाण्डुलिपि में विविध प्रकार के लिप्यासनो पर लिखी कृतियाँ भी आयेंगी, साथ ही वे ग्रन्थ रूप में भी हो सकती हैं और राज्यादेशों के रूप में भी, चिट्ठी-पत्रों के रूप में भी, और भी कितने ही प्रकार के कृतित्व 'पाण्डुलिपि' में समावेशित हैं। अतः 'पाण्डुलिपि विज्ञान' के क्षेत्र के सम्यक् ज्ञान के लिए उसके सभी प्रकारों और प्रकार-भेदों के आधारों में कुछ परिचिन होना अनिवार्य हो जाता है। यह प्रकार-भेद 'पाण्डुलिपि' के अभिप्राय-क्षेत्र के आधार पर किया गया है।

इन प्रकारों को एक दृष्टि में निम्नस्थ वृक्ष से समझा जा सकता है :

पाण्डुलिपि




उक्त वृक्ष में हमने राजकीय क्षेत्र में भी ग्रन्थ को एक प्रकार माना है, और लौकिक में भी। राजकीय क्षेत्र में भी ग्रन्थ-रचना होनी थी, इसमें सन्देह नहीं। स्वयं राजाओं ने ग्रन्थ रचना की है। किन्तु इस वर्ग में ऐसे ही ग्रन्थ रखने होंगे जिनका अभिप्राय राजकीय हो। राजा की विजय या उसकी प्रशस्ति विषयक ग्रन्थ राजकीय योजनाओं पर ग्रन्थ आदि।


लिप्यासन की दृष्टि से भी पाण्डुलिपियों के भेद होते हैं। लेखों को आसन की प्रकृति के अनुसार लेखनी/कलम से, टाकी से, कोरक से, साचे से, छेनी से, यत्र से लिखा जाता है।

* मू. नि. चन्द्रिका में उद्धृत बनिष्ठोक्ति कि 'लौकिक' राजकीय अथवा लिप्यासन द्विवचन (अध्याय 1 14) ।
इसी बनिष्ठोक्ति के आधार पर हमने भी यहाँ 'राजकीय' और 'लौकिक' दो भेद स्वीकार किये हैं।

इस आधार से लिप्यासन के दो प्रकार हो जाते हैं इन्हें 'कोमल' तथा 'कठोर' कहा जाता है। कोमल पर लिखा जाता है, कठोर पर उल्कीर्ण किया जाता है।



चट्टानीय शिलापट्टीय स्तम्भीय मूर्तीय अग्न्य



चट्टानीय शिलालेख का चित्र तथा शिलापट्टीय (निपुरातकम् का)

चट्टानीय

'उग्रत शिखर पुराण' दिगम्बर-जैन-सम्प्रदाय की कृति है। 1170 ई. की यह कृति उदयपुर क्षेत्र के भीलवाडा जिले में बिजौलियाँ गाँव की चट्टान पर खुदी हुई है।

शिलापट्टीय

सामान्य शिलालेख एक शिला-पट्टी पर लिखे जाते थे और उचित स्थान पर जड़ दिए जाते थे। पर बड़ी-बड़ी प्रशस्तियाँ और ग्रन्थ भी शिलापट्टों पर लिखे और जड़े मिलते हैं। राणा कुम्भा का लेख पाँच शिला-पट्टों पर लिखा (खोदा) हुआ कुम्भलगढ़ के कुम्भस्वामिन् या मामादेव के मन्दिर में जड़ा मिला है। मेवाड़ में राजसमुद्र जलाशय के पुरतो पर 24




पुष्पगिरि शिलालेख

शिलापट्टी पर जड़ी हुई है 'राजप्रशस्ति', इसके 24 खंड हैं। इसके रचयिता हैं 4 वि रणछोड। यह प्रशस्ति राणा राजसिंह के सम्बन्ध में है। राजा भाज परमार का प्राकृत भाषा का काव्य 'कूर्मशतक', मदन की संस्कृत कृति 'पारिजातमञ्जरी' (या विजयश्री नाटक), चाह्याण राजा विग्रहराज चतुर्थ (1153-64 ई.) का 'हर केलि नाटक' तथा उनके राजकवि सोमेश्वर कृत 'ललित-विग्रहराज नाटक' शिला-पट्टों पर खुदवाकर दीवारों में जड़वाये गए थे। इनके भ्रम भ्रमरेर सप्रहालय में सुरक्षित हैं।

स्तम्भीय

स्तम्भों पर लेख उरकौर्ण करने की पुरानी परम्परा है। सम्भवतः प्राचीनतम स्तम्भ लेख भ्रशोक (272-232 ई. पू.) कालीन हैं। इन पर खुदे लेखों में इन्हें शिला-स्तम्भ कहा गया है। ये स्तम्भ निम्न प्रकार के मिलते हैं :



कालकुड का धीरस्तम्भ (पालिया)

स्तम्भ

स्तम्भ			
1. शिलास्तम्भ	2. छवजस्तम्भ (जैसे-होलियो-डोरस का गहडध्वज) मन्दिर के सामने खड़े किये जाते हैं और इन पर लेख भी रहता है।	3. जयस्तम्भ किसी विजय पर किसी विजेता राजा की प्रशस्ति के लिए (जैसे समुद्रगुप्त का एरण का धीर यशोधर्मन का मन्दसौर का)	4. कीर्तिस्तम्भ किसी यशस्वी के पुण्य कार्य के लिए सड़ा किया जाता है। (कमणः)

5 वीर स्तम्भ


(गुजराती में जि हे
पालियाँ बहते हैं)
गाँव या नगर के किसी
वीर की युद्ध में मृत्यु
होने पर। इन पर
लेख भी रहते हैं।

6 सती स्तम्भ


ये सती होने वाली नारी
का स्मारक होता है।
इन पर भी लेख
मिलते हैं।

7 धर्मस्तम्भ

(बोटिक पिलस)
ये धर्म स्थलों पर
विशेषतः बौद्ध धर्म
के स्थलों पर
स-लेख मिलते हैं।



देवगिरि का सतीस्तम्भ (पाठिया)



महाकुट का धर्मस्तम्भ

स्तम्भ

8. स्मृति स्तम्भ

ये गोत्र या गोत्र शालिका भी कहे जाते हैं। अपने कुटुम्ब के किसी व्यक्ति की स्मृति में खड़े किए जाते हैं।

9. छाया-स्तम्भ

इन स्मृति स्तम्भों पर स्मृत व्यक्ति की मूर्ति उकेरी रहती है।

10. यूप स्तम्भ

(यज्ञोपरास्त बलि को बाँधने के लिए बनाये गए स्तम्भ) इन पर भी लेख मिले हैं।

9. मृण्मय—मृण्मय लेख कई रूपों में मिलते हैं, यथा—

1. ईंट पकायी हुई एवं कच्ची

ईंट की सामग्री, दोनों प्रकार की प्रभूत मात्रा में मिली है—पकायी हुई ईंटों पर भी और बिना पकायी (कच्ची) ईंटों पर भी

2. घोघे

कभी-कभी मिट्टी की ईंटें न बनाकर उसके घोघे (मिट्टी को सानकर एक ढेर का आकार देकर ढीम के रूप में) उस पर लेख अंकित कर उसे

3. मुहर-मुद्रा

ये मृत्मुद्राएँ भी बहुत संख्या में मिली हैं। मोहन-जोदड़ो एवं नार्लदा से मिली मुद्राएँ प्रसिद्ध हैं।

4. घट

घटों या उनके ढक्कनों पर भी लेख उत्कीर्ण हुए मिले हैं।

ग्रन्थ

ईंटों पर ग्रन्थ भी लिखे गए। गिलगोमश की गाथा ईंटों पर लिखी मिली, इसका उल्लेख हम ग्रन्थ में कर चुके हैं। भारत में कुछ बौद्ध-ग्रन्थ ईंटों पर उभारे गए मिले हैं। कुछ राजाओं ने शश्वमेघ युद्ध किए, जैतें-दाममित्र एवं शीलवर्मन् ने। इनके शश्वमेघ सम्बन्धी अभिलेख ईंटों पर लिखे मिले हैं।

अभिलेख

ईंटों पर अभिलेख तो अलग-अलग मिले हैं। पका लिया जाता था। धार्मिक मनोतियों के लिए विशेषतः ऐसे घोघों पर लेख लिखे गए।



मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर



10. सीप, शल, बाँत, काष्ठ आदि—शलो पर, हाथीदाँत की बनी मुद्राओं पर, लकड़ी की चाटों या स्तम्भों पर भी अंकित लेख मिले हैं।

धातु-वस्तु—धातुओं में ताँबा सबसे अधिक प्रिय रहा है। इसके बने पत्रों पर उत्कीर्ण लेख पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और प्राचीन समय से मिलते हैं। कोई शासन ताम्र-पत्र के एक ओर, कोई दोनो ओर लिखा होता था। कोई शासन कई ताम्रपत्रों पर लिखा जाता था। इन पत्रों को तबिके के कड़े में पिरोकर एक घट या किसी पात्र में बन्द करके सुरक्षित रखा जाता था। ताम्रपत्रों पर कई प्रकार के लेख मिलते हैं :



ताम्र वस्तु

पत्र रूप	श्रुति	धर्म्य
ग्रन्थ	शासन	प्रशास्ति
यन्त्र		

ह्वेनसांग ने बताया है कि कनिष्क ने बौद्ध-धर्म-ग्रन्थ ताम्रपत्रों पर अंकित कराये। एक अनुश्रुति है कि सायण की वेदों की टीका ताम्रपत्रों पर अंकित करायी गयी थी।

ताम्र वस्तुएँ, यथा-चमचे पर (तक्ष-शिला), दीपक पर (दीपक : जमालगढ़ में) कढ़ाही पर, आदि।

तेलुगु में रचित 'ताल्लपा कमवरी' कई ताम्रपत्रों पर अंकित विरूपित में सुरक्षित हैं।



इसी तरह कांस्य पीठिका (मूर्तिका), कांस्य पिटक, कांस्य फलक, कांस्य मुद्राएँ भी मिली हैं, जिन पर लेख अंकित हैं ।

लोह गुफक, लोह स्तम्भ (दिल्ली), लोह त्रिशूल (अचलेश्वर मन्दिर, झाड़ू) पर भी लेख मिले हैं ।

पीठस के बहुत-से पण्डा पर, जो मन्दिरों में टंगे हैं, लेख हैं ।

सदोष में, लिम्बासन के आधार से उपर्युक्त भेदों का सर्वेक्षण किया गया है । इनके विस्तृत विवरण यहाँ दिये जाते हैं ।

एकादशस्वतीतेषु सवत्सर. शतेषु च । --

एकोनपचाशति च गतेष्वेतेषु विक्रमात् ॥ 107 ॥¹

धातु-पत्रो पर ग्रन्थ

'वासुदेव हिडि' मे प्रथम खण्ड मे ताम्रपत्रो पर पुस्तक लिखवाये जाने का उल्लेख मिलता है

"इयरेण तत्रपत्तेषु तणुभेसु रायल वलवण रएऊण निहालारसेण तिम्मेऊण त्रवभायणे पोत्याओ पाकिरातो, निक्खितो, नयरबाहि दुग्वावेढमज्जे ।"²

पत्र 189

ग्रन्थ धातुओ, जैसे रोप्य, सुवर्ण कास्य आदि के पत्रो पर लिखी गयी पुस्तकों का उल्लेख नहीं मिलता । हाँ विविध मन्त्र मन्त्र, विविध उद्देश्यों की पूर्ति निमित्त ऐसे धातु-पत्रो पर अवश्य लिखे जाते थे । पत्र धातु के मिश्रण से बने पत्रो पर भी ये लिखे जाते थे, इसी प्रकार 'ग्रह' धातु' के मिश्रण से बने पत्रो पर भी मन्त्र-मन्त्र लिखे जाते थे, पर इन्हें 'पुस्तक' या ग्रन्थ नहीं माना जा सकता ।³

मृण्मय

ई ट और मिट्टी (Clay) के पात्रो पर लेख

ई टो और मिट्टी के बरतनों पर भी लेख लिखवाये जाते थे । इसके प्रमाण ईसा से पूर्व के मिलते हैं । मोहनजोदडो और हड़प्पा के उत्खननो मे भी ऐसी ईंटें और मृण्मय-पात्र पाये गए हैं जिन पर लेख खुदे हुए हैं । मिट्टी के डेलो (या घोघो) पर मुहरें लगी हुई हैं । मिट्टी पर मुहर अंकित करने का रिवाज तो अभी 20-25 वर्ष पहले तक (सन् 1950 तक) राजस्थान के गाँवो मे चालू था । जिन गाँवो मे राजस्व, उत्पन्न हुए अन्न को बाँटा या हिस्सा लेकर बसूल किया जाता था वहाँ पर किसान के खेत मे पैदा हुए अनाज की राशि के किनारो पर और बीच मे भी मिट्टी को गीली करके उसके डेले या घोघे बनाकर रत दिए जाते थे और उन पर लकड़ी मे खुदी हुई मुद्रा का ठप्पा लगा दिया जाता था । इसे 'चाँक' कहते थे । लकड़ी के ठप्पे मे प्राय 'श्रीरामजी', ये चार अक्षर चार खानो मे उलटे खुदे होते थे जो मिट्टी के घोघे की परत पर सुलटे रूप मे उभर कर आते थे । इस चाँक को लगाने वालो के अतिरिक्त कोई ग्रन्थ नहीं तोड़ता था । इसे 'कच्ची चाँक' कहते थे । यह प्राय आज लगाकर कल तोड़ ली जाती थी क्योंकि अनाज षडों मे भर-भर कर बाँटा जाता था और पूरे गाँव का बाँटा;



1 अन्य सूचना

कि चित्र यमहीपासो मुनक्तिस्माखिला महीम् ।

यस्य योर्वाणमन्त्रीव मती ७-यौरोऽपवत् सुधी ॥ 110 ॥

प्रगासि त्रियमुक्तीर्णा पद्वणपिदमद्विस्विना ।

देवस्वानियुतेन श्रीपपनाथ मुरातये ॥ 111 ॥

तयैव निहृवाजेन माहुतेन षण्डिस्विना ।

प्राप्नुवन्तु समुक्तीर्णान्यस राणियपर्यताम् ॥ 112 ॥

2. भारतीय जैन अमण संस्कृति अने लेखन कला, पृ० 27 ।

3. वही, पृ० 27 ।

एकत्रित होने पर तौल लिया जाता था। यदि एक-दो दिन बाद में तौलने का कार्यक्रम होता तो पक्की चाँक लगाई जाती थी। पक्की चाँक लगाने के लिए गीली मिट्टी में गोबर मिला दिया जाता था और उस गीले मिश्रण को अन्न की राशि के घेरे पर छिड़क कर उस पर चाँक का ठप्पा लगाया जाता था।

सम्भवतः मिट्टी पर लेख अंकित करने का यह प्रारम्भिक तरीका था। बाद में कच्ची ईंटों पर लेख कोर कर उन्हें पकाया जाने लगा। लम्बा लेख कई ईंटों पर अंकित करके पकाया जाता और फिर उनको क्रमात् दीवार पर लगा दिया जाता था। यह प्रथा बौद्ध-बौद्ध-बौद्ध बहुत प्रचलित रही है। उनके धार्मिक सूत्र आदि ईंटों पर खुदे हुए मिले हैं। मथुरा के सप्रहालय में ऐसे नमूने देखे जा सकते हैं।¹

कुछ राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किए। इनके विवरण ईंटों पर अंकित² कराये गए। देवी मित्र, दाममित्र एवं शीलवर्मन् के अश्वमेध यज्ञों के उल्लेख के ईंटों के अभिलेख मिले हैं। ये अभिलेख ईंटों पर अंकित कराने के बाद अश्वमेध के चक्वरो में लगा दिए जाते थे। मृगमय मुद्राएँ (Seal) बहुत मिली हैं। नालदा में मृगमय घट (घड़े) विशेषतः मिले हैं। इन पर लेख अंकित हैं। इनका सम्बन्ध भी किसी धार्मिक कृत्य से रहा है।

लिपि विकास का अध्ययन करते हुए यह विदित होता है कि मेसोपोटामिया में उर्क या वर्का में उर्क युग ईंटों पर पुस्तकें लिखी मिली हैं। एक हजार ईंटें, बुनूनीफार्म या सूच्याकार लिपि में लिखी मिली हैं।³

पेपियरस

इससे कोई पाँच शताब्दी पूर्व ग्रीक (यूनानी) लोगो ने मिस्र से पेपियरस⁴ नामक

- 1 (ज) भारतीय प्राचीन लिपिमात्रा, पृ० 151।
- 2 बौद्ध धर्म के ईंटों पर लिखे गए ग्रन्थों के विवरण के लिए देखें—वनियम, ASR, Vol I, p 47, Vol II, पृ० 124 आदि।
- 3 दिरिंगर महोदय के ये शब्द हम सम्बन्ध में ध्यातव्य हैं—
"The earliest extant written cuneiform documents consisting of over one thousand tablets and fragments discovered mainly at Uruk or Warka the Biblical Erech, and belonging to the 'Uruk period' of the Mesopotamian predynastic period are executed in a crude pictographic script and probably Sumerian language."
—(Drieger D —The Alphabet p 41)
- 4 पेपियरस एक बर या सरकन्दे की जाति का पौधा होता है जो दक्खिनी प्रदेश में बहुतायत में पैदा होता है। मिस्र में नील नदी के किनारे व मुडाने पर इनकी लैनी बहुत प्राचीन काल से होनी थी। यह पौधा प्रायः 5-6 फीट ऊँचा होता है और इसके इच्छल साड़े चार से नौ साड़े नौ इंच लम्बे होते हैं। इसकी छाल से पतली बिलियाँ निकाल कर मैई आदि से पिपका लेते से उमी से लिखने के लिए पत्र बनाते थे। पहले इन पत्रों को दवाकर रखा जाता था फिर कच्छी तरह सुखाया जाता था। मृग जाने पर ट्रापी नंग या शब्द में पोंकर उन्हें चिकना बनाया जाता था, फिर विविध आकारों में काट कर लिखने के काम में लिया जाता था। इस तरह तैयार किये हुए सेछाधार लिप्यासन को मोरोप वाले 'पेपियरस' कहते थे और इसी से पेपर शब्द बना है। पेपियरस के लम्बे-लम्बे लिखे हुए छरडे मिस्र की कब्रों में बड़े-बड़े सन्दूकों में रखी तागों के हाथों में या उनके बगीरों से लिपटे हुए मिलते हैं। जो लगभग ईसा से 2000 वर्ष तक चले हैं। इनके नष्ट न होने का कारण मिस्र की गरम और सूखी पलवायु है।

सरकडे की छाल अपने यहाँ मँगाना शुरू किया या और उसी को लिखने के आसन के काम में लेते थे। फिर धीरे धीरे योरोप में इसका व्यवसाय फैलने लगा और अरबों के शासनकाल में तो इटली आदि देशों में पेपायरस की खेती भी होने लगी और उनसे छाल निकाल कर लिखने की सामग्री बनायी जाने लगी। 704 ई. में अरबों ने समरकन्द को जीत लिया और वहाँ पर ही सर्वप्रथम उन्होंने रुई और चिपडों से कागज तैयार करने की कला सीखी। इसके बाद दमिश्क (Damascus) में भी कागज बनने लगा। ईसा की नववीं शताब्दी में सबसे पहले कागज पर अरबी में प्रथम लिखे गए और अरबों द्वारा बारहवीं शताब्दी के आसपास योरोप में कागज का प्रवेश हुआ और पेपायरस का प्रचलन बन्द हो गया।

चमड़े पर लेख

देवी पुराण में पुस्तक दान का उल्लेख है। उसमें ताडपत्र पर पुस्तक लिखवाकर उसे चर्म से सम्पुटित करने का विधान है—

श्री ताडपत्रके सञ्चे समे पत्रमुसञ्चिते ।

विचित्र काञ्चिकापाश्वे चर्मणा सम्पुटीकृते ॥

इससे ज्ञात होता है कि भारत में पुस्तक-लेखन के क्रम में चर्म का भी उपयोग होता था परन्तु बहुत कम क्योंकि यहाँ ताडपत्र और भूर्जपत्र पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते थे। वंशे ब्राह्मणों और जैनो में चर्म का स्पर्श वर्जित भी माना गया है। बौद्ध ग्रन्थों में अथर्व्य ही चमड़े को भी लेखन-सामग्री में गिनाया गया है। जिस प्रकार कवि सम्राट कालीदास ने हिमालय के वर्णन में (ऋ ५) किन्नर सुन्दरियों द्वारा भूर्जत्वच पर घातुरस (मेरु) में लिखे गए प्रेमपत्रों की उपमा बिन्दु-मण्डित हाथी की सूँड से दी है उसी प्रकार सुब-शुक्रत 'वासवदत्ता' नाम की आख्यायिका में भी रात्रि में काले आकाश में छिटके हुए चाँद-तारों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि आकाश में घेरे रूपी काले रग (मपी) से रंगे हुए चर्मपत्र के समान है जिस पर विधाता विश्व का हिंसा लगा रहा है और मसार की शून्यता के कारण चाँदरूपी खडिया के टुकड़े से उन पर तारारूपी शून्य बिन्दुएँ अंकित कर रहा है।¹

“विश्व गणयतो विधातु शशिकाठिनीखण्डेन तमोमपीश्यामेऽजिन इव विपति मसारस्यातिशून्यत्वाच्छून्य बिन्दव इव ।”

डॉक्टर ब्रूहर् को भी जैसलमेर के वृहद् ज्ञान-भण्डार में हस्तलिखित ग्रन्थों के साथ कुछ चर्मपत्र मिले थे जो पुस्तकें लिखने अथवा उनको आश्लेषित करने के लिए ही एकत्रित किये गए थे।²

परन्तु यह सब होते हुए भी भारत में लेखन के लिए चर्मपत्र का प्रयोग स्वल्प मात्रा में ही होता था। यूनान, अरब, योरोप और मध्य एशिया आदि स्थानों में लिखने के लिए चर्मपत्र का प्रयोग बहुधा पाया जाता है।³ सोक्रेटीज (सुकरात) से जब पूछा गया—“आप

1 भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ० 147 ।

2 ब्रूहर्स इन्सक्रिप्शन रिपोर्ट, पृ० 95 ।

3 पाचमेण्ट चमड़ से ही बना होता है ।

पुस्तकें क्यों नहीं लिखते ?” तो उस प्रसिद्ध दार्शनिक ने उत्तर दिया—“मैं ज्ञान को मनुष्य के सजीव हृदय से भेड़ों की निर्जीव खाल पर नहीं ले जाना चाहता हूँ।” इससे विदित होता है कि वहाँ भेड़ों का चमड़ा लिखने के काम में लाया जाता था।

आरम्भिक इस्लामी काल में चमड़े पर लिखने की प्रथा थी। कुरान की प्रतियाँ शुरू में अरबी में भृगुचर्म पर ही लिखी जाती थीं। ग्यारहवीं शताब्दी तक इसका खूब चलन रहा। पैगम्बर और खैबर के यहूदिया का सन्धिपत्र और किसरा के नाम पैगम्बर का पत्र भी चमड़े पर ही लिखे गए थे।

मिस्र में कितास (छत्त) में बाँस के डण्डों से कागज बनाया जाता था और इमी पर लिख कर खलीफा की आज्ञाएँ ससार भर में भेजी जाती थीं। कुरान में भी करातीस कागज बनाने का उल्लेख मिलता है (सूर 6, 96)। मिस्र में बने इस बाँस के कागज में बछड़े की चमड़ी की भिल्ली लगाई जाती थी, इस विधि से बने कागज पर लिखे हुए अक्षर सहज में मिटाये नहीं जा सकते थे।

ईरान में भी चमड़े पर ग्रन्थ लिखे जाते थे। इस चमड़े को अग्नेजी में ‘पार्चमैण्ट’ कहते थे। पल्लवी भाषा में खाल का वाचक पुस्त’ शब्द है। ईरानियों के सम्पर्क से ही यह शब्द धीरे धीरे भारत में आ गया और यहाँ की भाषा में व्याप्त हो गया। परन्तु ईसा की पाँचवीं शताब्दी से पहले इसका प्रयोग भारतीय भाषा में नहीं पाया जाता। पाणिनि, पतञ्जलि, कालीदास और अश्वघोष की कृतियों में ‘पुस्तक’ शब्द नहीं पाया जाता। वैदिक साहित्य में भी ‘पुस्तक’ का नहीं पता ही नहीं चलता। अमरकोष में भी यह शब्द नहीं आता। हाँ, बाद के कोषों में ‘पुस्त’ शब्द लेप्यादि शिल्प कर्म का वाचक बताया गया है। ‘पुस्त शोभाकर कर्म—हलायुध कोष।

मृच्छङ्किक में पुस्तक शब्द का प्राकृत रूप ‘पोत्थम या पोथा’ मिलता है। इसी से पोथी शब्द भी बना है। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी, दोनों ही रचनाओं में पुस्तक शब्द का प्रयोग किया है। कादम्बरी में चण्डिका देवी के मन्दिर के तमिल देशवासी पुजारी के वर्णन में लिखा है—“धूमरस्तावत्काशरतालपत्रकुहकतन्त्रमन्त्रपुस्तिकासपाहिणा” अर्थात् उस पुजारी के पास वज्रजल और लाल अलक्तन से बनी स्याही से तालपत्र पर लिखी तन्त्र-मन्त्र की पुस्तकों का संग्रह था। इसमें विदित होता है कि उस समय तक तालपत्रों पर रंग-विरंगी स्याहियाँ से लिखन की प्रथा भी चली चुकी थी। इसी पुजारी के वर्णन में बपड़े पर लिखित दुगा स्त्रोत का भी उल्लेख है। हर पत्ता के रम और कोयले से बनी स्याही का सीपी में रखने का भी रिवाज उस समय था (हरित-पत्र रसागारमपीमलिनशम्बूकवाहिना)। ताडपत्रीय ग्रन्थ

भारत में प्राचीन काल की अधिकतर हस्तलिपियाँ ताडपत्रों पर ही मिलती हैं। ताड या ताल वृक्ष दो प्रकार का है—एक खरताड और दूसरा श्रीताड। गुजरात, सिंध और राजस्थान में वही वही खरताड के वृक्ष हैं। इनके पत्ते मोटे और कम लम्बे-चौड़े होते हैं। ये झुककर तडकने भी लग जाते हैं और बच्चे ताड लेने पर जल्दी ही सड़ या गल जाते हैं। इसलिए उनका उपयोग पोथी लिखने में नहीं किया जाता। श्रीताड के पत्र दक्षिण में मद्रास और पूर्व में ब्रह्मा आदि देशों में उगते हैं। इन पत्रों के पत्ते अधिक लम्बे, सजीले और कोमल हैं। ये पत्ते 37 इंच तक लम्बे होते हैं। कभी-कभी इससे भी अधिक परन्तु इनकी चौड़ाई 3 इंच या इसके लगभग ही होती है।

ताडपत्रों को उबालकर उन्हें शख या कौड़ी से रगड़ा या घोंटा जाता था जिससे वे चिकने हो जाते थे। फिर लोहे की कलम से उन पर कुरेदते हुए अक्षर लिखे जाते थे। तदन्तर उन पर स्याही लेप दी जाती थी जो कुरेदे हुए अक्षरों में भर जाती थी। यह तरीका दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित था। उत्तर भारत में प्रायः ताडपत्रों पर स्याही से लेखनी द्वारा लिखा जाता था। संस्कृत में 'लिख्' धातु का अर्थ कुरेदना होता है। स्पष्ट है कि ताडपत्रों पर पहले कुरेदकर लिखा जाता था। अतः लिखने का अर्थ हुआ—कुरेदना। अतः इस क्रिया का नाम लेखन या लिखना हुआ है। 'लिप्' धातु का अर्थ है—लीपना। ताडपत्र पर अक्षर कुरेद कर उन पर 'स्याही लेपन' के कारण लिपि शब्द का प्रयोग भी चालू हुआ।

जैसा कि ऊपर लिखा गया है, ताडपत्रों की चौड़ाई प्रायः 3 इंच की होती है। ऐसा लगता है कि बाद में जैसे बांस से कागज बनाए जाते थे, वैसे ही तालपत्रों को भी भिगोकर या गलाकर उनकी लुगदी बना कर और बाद में कूट पीटकर अधिक चौड़ाई के पत्रों का निर्माण किया जाने लगा। ऐसा पूर्वोक्त देगो में होता था। महाराजा जयपुर म्यूजियम में महाभारत के कुछ पर्व ऐसे ही पत्रों पर बग लिपि में लिखे हुए हैं जिनका लिपि सवत् लक्ष्मण सेन वर्ष में है। इसी प्रकार मोटाई अधिक करने के लिए तीन या चार पत्रों को एक साथ सीकर उन पर लिखा जाता था। ऐसा करने में पुस्तक में अधिक स्थिरता आ जाती थी। ऐसे ग्रन्थ बर्मा या ब्रह्मा देश में अधिक पाए जाते हैं।

ताडपत्रों के लिए गर्म जलवायु हानिवारक है, इसीलिए अधिक मात्रा में लिखे जाने पर भी ताडपत्रीय ग्रंथ दक्षिण भारत में कम मिलने हैं। काश्मीर, नेपाल, गुजरात व राजस्थान आदि ठण्डे और सूखे प्रदेशों में अधिक सहज में मिलते हैं। नेपाल की जलवायु को इन ग्रन्थों के लिए आदर्श बताया गया है।

कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि किसी ताडपत्रीय प्रति के बीच में से कोई पत्र जीण हो गया या चूटित हो गया है तो उसी आकार-प्रकार के कागज पर उम पत्र पर लिखित अक्षरों की प्रतिलिपि करके बीच में रख दी गई है। परन्तु तालान्तर में आन पाम के ताडपत्र तो बचे रह गये और वह कागज जीर्णशीर्ण हो गया। कभी कभी सुरक्षा की दृष्टि से ताडपत्रों के बीच बीच में हल्के पतले कपड़े की परतें रखी गईं—परन्तु उमको भी ताडपत्र खा गया, यही नहीं ताडपत्रीय प्रति पर बांधा हुआ कपड़ा भी विवर्ण और जीण हो जाता है। इसमें ज्ञात होता है कि कपड़े, कागज और ताडपत्र का मेल नहीं बैठता। ताडपत्र कागज और कपड़े पर विनाशकारी प्रभाव ही पड़ता है। इसीलिए प्रायः ताडपत्रीय प्रतियाँ वाली में न बांध कर मुक्त रूप में ही रखी जाती हैं।

ताडपत्र पर लिखित जो प्राचीनतम प्रतियाँ मिली हैं वे पाशुपत मत के आचार्य रामेश्वरध्वज कृत 'कुसुमाञ्जलिटीका' और 'प्रबोधसिद्धि' हैं, इनका लिपिकाल ईसा की प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी बताया जाता है। इसी प्रकार डॉ० लुइस ने अपने (Kiemene Sanskrit Texte Pant) में एक नाटक के चूटित अक्षरों को छपवाया है जिसकी ताडपत्र पर दूसरी शताब्दी में लिखी प्रति का उल्लेख है। यह ताडपत्र पर स्याही से लिखी प्रति है। जर्नेल ऑफ़ दी एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल की संख्या 66 के पृ 218

पर प्लेट 7, सम्ख्या 1 में a से 1 तक एक संस्कृत ग्रन्थ के टुकड़े छपे हैं जो श्री मकारंट ने काशगर से भेजे थे। ये ईसा की चौथी शताब्दी में लिखे हुए माने गये हैं। जापान के होरियूजि मठ में दो बौद्ध ग्रन्थ रखे हुए हैं जो मध्य भारत से ले जाये गये हैं। यह 'प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्र' और 'उष्णीषविजयधारिणी' की पुस्तकें हैं, ये ईसा की छठी शताब्दी में लिखी गयी हैं। नेपाल के ताडपत्रीय ग्रन्थ संग्रह में 'स्कन्दपुराण' (7 वीं शताब्दी में लिखित) और 'लकावतार' (906-7 ई में लिखित) की प्रतियाँ सुरक्षित हैं। कम्ब्रिज के ग्रन्थ-संग्रह में प्राप्त 'परमेश्वर तन्त्र' भी ताडपत्र पर ही लिखित है और यह प्रति वर्ष 252 (859 ई) की है। राजस्थान में जैसलमेर के ग्रन्थ-भण्डार अपने प्राचीन ग्रन्थ-संग्रह के लिए सर्वविदित हैं। इनमें से जिनराजमूर्तिश्वर के शिष्य जिनभद्रसूरि द्वारा स्थापित बृहद्भण्डार का 1874 ई. में डॉ० ब्रूलर ने खनोकर करके 1160 वि. की लिखी हुई ताडपत्रीय प्रति को उस संग्रह की प्राचीनतम प्रति बतलाया है। इसके पश्चात् 1904-5 ई में हीरालाल हसराम नामक जैन पण्डित ने दो हजार दो सौ ग्रन्थों का सूची-पत्र तैयार किया। उसी वर्ष अंग्रेज सरकार की ओर से प्रोफेसर श्रीधर भाण्डारकर भी जैसलमेर गये। उन्होंने अपनी विवरणी में जैन पण्डित की सूची के ही आधार पर सवत् 924 की लिखी तालपत्र प्रति को प्राचीनतम बताया। परन्तु बाद में सी. डी. दलाल द्वारा अनुसंधान करने पर सवत् 1130 में लिखित 'तिलकमञ्जरी' और 1139 में लिपिकृत 'कुवलयमाला' की ही प्रतियाँ प्राचीनतम प्रमाणित हुईं। इस संग्रह में अर्वाचीनतम ताडपत्रीय प्रति 'सर्वसिद्धान्त विषमपदपर्याय' नामक प्रति सवत् 1439 वर्ष में लिखित है। परन्तु जैसलमेर के ही दूसरे तपागच्छ ग्रन्थ भण्डार में 'पञ्चमीकहा' ग्रन्थ की प्रति 1109 वि की लिखी हुई है जो बृहद् भण्डार की प्रति से भी प्राचीन है। इसी प्रकार हरिभद्रसूरि कृत 'पंचराको' की सवत् 1115 में लिखित प्रति भी इस भण्डार में विद्यमान है। जैसलमेर में दू. गरजी-यति संग्रह और थाहृष्णाह भाण्डागार नामक दो संग्रह और हैं किन्तु इनमें उक्त भण्डारों की अपेक्षा अर्वाचीन ग्रन्थ हैं।¹

गुजरात के खम्भात के शातिनाथ ज्ञान भण्डार में भी सवत् 1164 में लिखित 'जीवसमासवृत्ति' और 1181 सवत् में लिखित मुनिचन्द्रसूरि रचित 'धर्माबिन्दुटीका' की प्राचीनतम ताडपत्रीय प्रतियाँ उपलब्ध हैं।²

भाण्डारकर औरियण्टल रिमचं इस्टीट्यूट, पूना में 'उर्ध्वमति भवप्रपञ्च कथा' नामक जैन ग्रन्थ की 178 पत्रों की ताडपत्रीय प्रति उपलब्ध है जो विक्रम सवत् 962 (905-6 ई) में लिखी गई है। इस ग्रन्थ की भाषा संस्कृत है।

भूर्जपत्रीय (भोजपत्र पर लिखे ग्रन्थ)

भूर्जपत्र से तात्पर्य है भूर्ज नामक वृक्ष की छाल। यह वृक्ष हिमालय प्रदेश में बहुतायत से होता है। इसकी भीतरी छाल कागज की तरह होती है, उसी को निकालकर बहुत प्राचीन समय से लिखने के काम में लिया जाता था। भले ही लेखन का प्रथम अभ्यास पत्थरों पर हुआ हो पर अवश्य ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लिखने की प्रथा

1. जैसलमेर-भाण्डागारीय-ग्रन्थानां सूचीपत्रस्य प्रस्तावना—सालचन्द्र भगवानलाल गांधी, 1923 ई०।
2. श्री खपाठ, शातिनाथ प्राचीन ताडपत्रीय, जैन ज्ञान भण्डार नु सूचीपत्र, सूचीवर्ता—श्री विजय-कुमुद सुरि।

का यह प्रचलन पहले पत्र या पत्तो पर ही लिखने से हुआ होगा, क्योंकि पत्ते से ही लिखित 'पत्र' शब्द की उत्पत्ति हुई और बाद में जिस किसी आधार पर लिखा गया वह भी पत्र ही कहलाया। लिखी हुई भूर्ज की छाल, छाल होते हुए भी पत्र ही कहलाती है और फिर इसका नाम ही भूर्जपत्र पड़ गया। इसमें भी सन्देह नहीं कि भूर्जपत्र पर लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। यह छाल कभी कभी 60 फुट तक लम्बी निकल जाती है। इसको लेकर आवश्यकतानुसार टुकड़ों में काटकर विविध आकार प्रकार का कर लेते थे और फिर उस पर तरह-तरह की स्याही से लिखते थे। चिकना तो यह अपने आप ही होता है। मूल रूप में यह छाल एक ओर से अधिक चौड़ी और फिर क्रमशः सँकड़ी होती जाती है और हाथी की सूँड की तरह होती है। कवि कालिदास ने अपने 'कुमार सम्भव' काव्य के प्रथम सर्ग (श्लोक 7) में हिमालय का वर्णन करते हुए लिखा है

न्यस्ताक्षरा घातुरसेन यत्र

भूर्जत्वक्ः कुञ्जरबिन्दुशोणा ।

व्रजन्ति विद्याघरसुन्दरीणा

मनगलेखत्रिययोपयोगम् ॥ (17)

इस श्लोक में 'भूर्जत्वक्', 'घातुरस' और 'कुञ्जरबिन्दुशोणा' शब्द ध्यान देने योग्य हैं। हिमालय में उगने वाले वृक्ष की प्रधानता, उसकी त्वक् अर्थात् छाल का लेखक्रियोपयोग, घातुरस से शोण अर्थात् साल स्याही का प्रयोग और उस मूल रूप में भूर्ज की छाल का लिखे जाने के बाद अक्षरों से युक्त होकर बिन्दुयुक्त हाथी की सूँड के समान दिखाई देना— इसके मुख्य सूचक भाव हैं।¹

कालिदास का समय यद्यपि पण्डितों में विवादास्पद है परन्तु ईसा की दूसरी शताब्दी से इधर वह नहीं आता, अतः यह तो मान ही लेना चाहिए कि लिखने की प्रिया का उस समय तक बहुत विकास हो चुका था और 'भूर्जत्वक्', जो पत्र लेखन के काम आने के कारण भूर्जपत्र कहलाने लगा था, काफी प्रचलित हो चुका था। अलवेरुनी ने भी अपनी भारत यात्रा विवरण में 'तृज की छाल' पर लिखने की सूचना दी है।

भूर्जपत्र पर लिखी हुई पुस्तकें या ग्रन्थ अधिकतर उत्तरी भारत में ही पाये गए हैं विशेषतः कश्मीर में। भारत के विभिन्न ग्रन्थ संग्रहालयों में तथा योरोप के पुस्तकालयों में जो प्राचीन भूर्जपत्र पर लिखित ग्रन्थ सुरक्षित हैं वे प्रायः काश्मीर में ही प्राप्त किये गए हैं। खोतान में 'धम्मपद' (प्राकृत) का कुछ अंश भूर्जपत्र पर लिखा हुआ मिला है, यही भूर्जपत्र का प्राचीनतम ग्रन्थ माना जाता है। इसका लिपिकाल ईसा की दूसरी शती आँका गया है। दूसरा ग्रन्थ 'मयन्तागमसूत्र' बौद्ध ग्रन्थ भी डॉ. स्टार्डन को खोतान में खडलिक स्थान में मिला। यह ग्रन्थ 7^{वीं} शताब्दी का लिखा हुआ है। मिस्टर बावर को मिली पुस्तकों का उल्लेख बावर पाण्डुलिपियाँ (Bower Manuscripts) नामक पुस्तक में है। वे पुस्तकें भी ईसा की छठी शताब्दी के लगभग की हैं और बखशाली का अकगणित 8^{वीं} शताब्दी का है।² ये पुस्तकें स्तूपों और पत्थरों के बीच में रखी होने से इतने दिन

1 शाकुन्तल नाटक में भी शाकुन्तला दुष्यन्त को भ्रमपत्र लिखते समय कहती है—“लिखने के साधन नहीं हैं तो सबियाँ सुझाव देती हैं कमलिनी के पत्ते पर अच्छे से गढ़ाकर शब्द बना दो।” यह लेखन का नियमित साधन नहीं अपितु तात्कालिक साधन है।

2 भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ० 144।

टिक सकी हैं अन्यथा खुले में रहने वाली पुस्तक तो 15वीं या 16वीं शताब्दी से पहले की मिलती ही नहीं है। ताडपत्र पर तो अब भी कोई-कोई ग्रंथ लिखा जाता है परन्तु भोजपत्र तो अब केवल यन्त्र-मन्त्र या ताबीज आदि लिखने की सामग्री होकर रह गया है। इस पर लिखे हुए जो कई ग्रंथ मिलते भी हैं वे भी प्रायः धार्मिक स्तोत्रादि ही हैं। राजस्थान-प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के संग्रह में 'दुर्गासप्तशती' की एक प्रति सुरक्षित है। वह 16वीं शताब्दी की (राजा मानसिंह, आमेर के समय की) है। इसी प्रकार महाराजा जयपुर के संग्रहालय में भी एक-दो पुस्तकें हैं जो 16वीं शती से पुरानी नहीं हैं। ताडपत्र और कागज की अपेक्षा भूजपत्र कम टिकाऊ होता है।

सन् 1964 ई. में विश्व प्राच्य-सम्मेलन के अवसर पर 'राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली' द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में तक्षशिला से प्राप्त भूजपत्र पर ब्राह्मी-लिपि में लिखे कुछ पांडुलिपीय पत्र प्रदर्शित किये गए थे, जो 5वीं-6ठी शताब्दी के थे। इसी प्रदर्शनी में 'राष्ट्रीय अभिलेखागार' (National Archives of India) से प्राप्त "भैषज्यगुरुर्वद्वय-प्रभासूत्र" नामक बौद्ध-धर्म ग्रंथ की प्रति भी भूजपत्र पर गुप्तकालीन लिपि में लिखित देखी गई जो 5वीं-6ठी शताब्दी की है।

साचीपातीय

भूजपत्र की तरह आसाम में भ्रगरवृक्ष की छाल भी ग्रंथ लिखने और चित्र बनाने के काम में आती थी। महत्त्वपूर्ण ग्रंथों, विशेषतः राजाओं और सरदारों के लिए लिखे जाने वाले ग्रंथों के लिए इसका उपयोग मुख्यतः किया जाता था। इस छाल को तैयार करने का प्रकार धम-साध्य और जटिल-सा होता है। पहले, कोई 15-16 वर्ष पुराने भ्रगरवृक्ष को चुन लेते हैं। इसके तने की परिधि 30 से 35 इंच तक होती है। जमीन से कोई 4 फीट की ऊँचाई पर से छाल की पट्टियाँ उतार लेते हैं जो कभी-कभी 6 से 18 फीट लम्बी और 3 से 27 इंच तक चौड़ी होती हैं। इन पट्टियों का भीतरी अर्धांश सफेद भाग ऊपर रख कर तथा बाहरी अर्धांश हरे भाग को अन्दर की तरफ रखकर गुलिया लेते हैं। फिर इनको सात-आठ दिन तक घूप में सुखाते हैं। इसके पश्चात् इनको किसी लकड़ी के पट्टे अथवा अन्य हृद आघार पर फैलाकर हाथ से रगड़ते हैं जिससे इनका खुरदरापन दूर हो जाता है। तदुपरान्त इनको रात भर ओस में रखते हैं और प्रातः छाल की ऊपरी सतह (निचारी) को बहुत सावधानी से उतार लेते हैं। इस शुद्ध छाल के 9 से 27 इंच लंबे और 3 से 18 इंच चौड़े टुकड़े सुविधानुसार काट लिए जाते हैं। कोई एक घण्टे तक ठण्डे पानी में रमकर इन पर क्षार (Alkali) छिड़कते हैं, फिर चाकू से इनकी सतह को खुरचते हैं। इसके बाद इस नरम सतह पर पकी हुई ईंट घिसते हैं जिससे रूहा-सहा खुरदरापन भी दूर हो जाता है। अब इन टुकड़ों पर माटीमह (माटीमाता) से तैयार किया हुआ लेप लगाते हैं और फिर हरताल (पीले रंग) से रंग लेते हैं। घूप में सुखाने के बाद ये अंगर की छाल के पत्र सगमरमर की तरह चिकने हो जाते हैं और लेखन तथा चित्रण के योग्य बन जाते हैं।

इन पत्रों की लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई विभिन्न प्रकार की होती हैं। दो फीट लम्बे और लगभग 6 इंच चौड़े टुकड़े पवित्र धार्मिक ग्रंथों की प्रतिमाँ तैयार करने के लिए सुरक्षित रखे जाते थे। ऐसी प्रतिमाँ प्रायः राजाओं और सरदारों के नाम निम्नित होती थीं। लिखित पत्रों पर सहस्रामूचक अक्षर दूसरी ओर 'श्री' अक्षर लिखकर अंकित किया

जाता था। प्रत्येक पत्र के मध्य में बाँधने की डोरी पिराने के लिए एक छिद्र बनाया जाता था। लिखित पत्रों से अपेक्षाकृत मोटे पत्र सुरक्षा के लिए प्रति के ऊपर-नीचे लगाए जाते थे। कभी-कभी लकड़ी के पट्टे भी इस कार्य के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। इन मोटे पत्रों पर ग्रन्थ के स्वामी और उसके उत्तराधिकारियों के नाम लिखे जाते थे अथवा उनके जीवन में अथवा परिवार में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी लेख कभी-कभी अंकित किया जाता था। इन अतिरिक्त पत्रों को 'बैटी पत्र' कहते हैं (आसाम में 'बैटी' शब्द दासी-पुत्री के रूप में प्रयुक्त होता है)। बाँधने का छिद्र प्रायः दाएँ हाथ की ओर मध्य में बनाया जाता था और इसमें बहून बढिया मुगा अथवा एण्डो का धागा पिरोया जाता था जिसको 'नाडी' कहते थे। 18वीं शताब्दी में लिखे गए शाही ग्रन्थों में ऐसे छिद्रों के चारों ओर बेल-बूटे और फारसी ढंग की सजावट तथा कभी-कभी सोने का काम भी दिखाई देता है।

लिखने तथा चित्रित करने से पूर्व इन पत्रों को चिकना और मुलायम बनाने के लिए प्रायः 'माटीमाह' का ही लेप किया जाता है परन्तु कभी-कभी बतख के छण्डे भी काम में लाये जाते हैं। हरताल का प्रयोग पत्रों को पीला रगने के लिए तो करते ही हैं, साथ ही यह कृमि नाशक भी है। जब प्रति तैयार हो जाती है तो वह गन्धक के धुएँ में रखी जाती है, इससे यह विनाशक कृमियों से मुक्त हो जाती है। आहोम के दरबार में हस्तप्रतियों दस्तावेजों, मानचित्रों और निर्माण सम्बन्धी आलेखों की सुरक्षा के लिए एक विशेष अधिकारी रहता था जो 'गन्धइया बरझा' कहलाता था।

इस प्रकार तैयार किये हुए पत्रों को आसाम में 'साचीपात' कहते हैं। कोमलता और चिक्कणता के कारण ये पत्र दीर्घायुयी होते हैं और कितने ही स्थानों पर बहुत सुन्दर रूप में इनके नमूने अब तक सुरक्षित पाये जाते हैं। परन्तु, ये सब 15वीं-16वीं शताब्दी से पुराने नहीं हैं, हाँ अग्ररूप-पत्रों का सन्दर्भ बाणकृष्ण 'हर्षचरित' के सप्तम उच्छ्वास में मिलता है। बाण महाकवि हर्षवर्द्धन का समकालीन था और इसलिए उसका समय 7 वीं शताब्दी का था। कामरूप का राजा भास्कर वर्मा भी हर्ष का समकालीन, मित्र और सहायक था। उसने सम्राट के दरबार में भेंटस्वरूप कुछ पुस्तकें भेजी थी जो अग्ररूप की छाल पर लिखे हुए सुभाषित ग्रन्थ थे।

"अग्ररुवल्कल-कल्पित-सञ्चयानि च सुभाषितभाञ्जि पुस्तकानि, परिणतपाटल-पटोलद्विपि...."¹

बाँटो के तान्त्रिक ग्रन्थ 'आर्यमञ्जुश्रीकल्प'² में भी अग्ररुवल्कल पर यन्त्र-मन्त्र लिखने का उल्लेख मिलता है और इस प्रकार इसके लेखाधार बनने का इतिहास और भी पीछे खला जाता है।

महाराजा जयपुर के सप्रहालय में प्रदर्शित महाभारत के कुछ पर्व भी साचीपान पर लिखे हुए हैं।

कागजीय

यों तो लेख और लेखाधार दोनों के लिए संस्कृत में 'पत्र' शब्द का ही प्रयोग अधिकतर पाया जाता है परन्तु बाद के साहित्य में और प्रायः तन्त्र साहित्य में 'कागद'

1 हर्षचरित (सप्तम उच्छ्वास)।

2 त्रिवेन्द्रम सीरीज भाग 1, पृ० 131।

शब्द भी खूब प्रयुक्त किया गया है। भूर्जपत्र, रेशम, लाल कपड़ा और तालपत्र के समान 'कागद' भी यन्त्र-मन्त्र और पताकाएँ आदि लिखने के काम में आता था। ग्रन्थ तो इस पर लिखे ही जाने थे। इसे 'शण पत्र' भी कहा गया है।¹

प्रायः कहा जाता है कि सर्वप्रथम ईस्वी सन् 105 में चीन के लोगो ने कागज बनाया। परन्तु, ईसा से 327 वर्ष पूर्व जब यूनान के बादशाह सिकन्दर ने भारत पर हमला किया तब उसके साथ निग्रार्कस नामक सेनापति आया था। उसने अपने व्यक्तिगत अनुभव से लिखा है कि उस समय भारत के लोग रूई से कागज बनाते थे। निग्रार्कस सिकन्दर की इस चढाई के समय कुछ समय तक पंजाब में रहा था और उसने यहाँ के हालचाल का अध्ययन करके भारत के लोगो का विस्तृत वर्णन लिखा था, इसका सक्षिप्त रूप एरिअन ने अपनी 'इंडिका' नामक पुस्तक में उद्धृत किया है। मैक्समूलर ने भी 'हिस्ट्री ऑफ एशियेट सस्कृत लिटरेचर' नामक पुस्तक में इसी आधार पर भारतीयों के रूई को कूटकर कागज बनाने की कला से अवगत होने का उल्लेख किया है। इससे ज्ञात होता है कि रूई व चिड़ो आदि को भिगो कर लुगदी बनाने तथा उसको कूटकर कागज बनाने की विधि से भारतवासी ईसा से चार शताब्दी पूर्व भी अच्छी तरह परिचित थे। परन्तु किसी भी प्रकार ऐसा कागज ताडपत्र और भूर्जपत्र की अपेक्षा अधिक टिकाऊ और सुलभ नहीं था इसीलिए इस पर लिखे ग्रन्थ कम मिलते हैं और उतने पुराने भी नहीं हैं।

फिर भी, यह अवश्य कहा जा सकता है कि एशिया और योरोप के अन्य देशों के मुकाबले में भारत ने कागज बनाने की कला पहले ही जान ली थी।

भारत में बहुत प्राचीनकाल से कागज बनता रहा है। यहाँ विविध स्थानों पर कागज बनाने के उद्योग स्थापित थे जिनके यत्किंचित् परिवर्तित रूप अब भी पाये जाते हैं। कागज बनाना एक गृह उद्योग भी रहा है। काश्मीर, दिल्ली, पटना, शाहाबाद, कानपुर, प्रहमदाबाद, खम्ह, कागजपुरा (अर्थात् दौलताबाद), घोसुण्डा और सागानेर² आदि स्थान कागज बनाने के केन्द्र रहे हैं और इनमें से कई स्थान तो इसी उद्योग के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। दौलताबाद का एक बड़ा भाग तो कागजपुरा ही कहलाता था। प्रहमदाबाद, घोसुण्डा और सागानेर में तो कई परिवार कागज का ही उद्योग करते थे और अब भी करते हैं। इन लोगो की बस्तियों में जाकर देखने पर कई मकानों की दीवारा पर रूई,

1. वाचस्पत्यम् पृ० 1855-56, Sanskrit English Dictionary-by M M Williams, P. 268, सुधानन्द कृत शब्दार्थ विन्तामणि।
2. सागानेर कस्बा जयपुर से 8 मील दक्षिण में है। यहाँ का कागज उद्योग प्रसिद्ध है। सवाई जयसिंह के पुत्र सवाई ईश्वरसिंह के समय में इन उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला था। उनके समय में कागज की किस्म और माप कायम की गई और वह कागज 'ईश्वरसाही' कागज कहलाता था। कागज की चिकनाई के अनुसार उस पर राज्य की मोहर लगा दी जाती थी। तदनुसार वह कागज 'दो मोहरिया' या 'डेढ़ मोहरिया' या 'मोहरिया' कहलाता था। इस व्यवसाय को करने वाले परिवार 'कागदी' या 'कागजी' नाम से प्रसिद्ध हैं। सागानेरी कागज बहुत टिकाऊ होता है। मूलपूर्व जयपुर राज्य के बहीखाते स्टाम्प पेपर और अन्य अभिलेख इसी कागज पर पाये जाते हैं। सामान्य रूप से सुरक्षित रखने योग्य सभी सहरीयों लिखने के लिए इसी का प्रयोग होता था। सत्रहवीं शताब्दी या इसके बाद में लिखे हुए बहुत से ग्रन्थ भी सागानेरी कागज पर लिखे पाये जाते हैं।

॥ १४९ ॥

रही कागज और चियडो को भिगोकर गलाने के बाद लुगदी बनाकर कूट कर बनाए हुए कागज चिपके हुए मिलेंगे, जो सूखने के लिए लगाये जाते हैं। सूखने पर इनको शख या कौड़ी अथवा हाथोर्दात के गोल टुकड़ों से घोटकर चिकना बनाया जाता है जिससे स्याही इधर-उधर नहीं फैलती।

इसी प्रकार देश में काश्मीरी, मुगलिया, अरवाल, साहबखानी, खम्भाती, शणिया, अहमदावादी, दोलतावादी आदि बहुत प्रकार के कागज प्रसिद्ध हैं और इन पर लिखी हुई पुस्तकें विविध ग्रन्थ-भण्डारों में प्राप्त होती हैं। विलायती कागज का प्रचार होने के बाद भी ग्रन्थों और दस्तावेजों को देशी हाथ के बने कागजों पर लिखने की परम्परा चालू रही है। वास्तव में, अब तो हाथ का बना कागज हाथ के बने कपड़े के साथ सलमन ही गया है और यत्र-तत्र खादी भण्डारों में हाथ के बने देशी कागज बेचने के कक्ष भी दिखाई देते हैं। देशी कागजों का टिकाऊपन इसी बात से जाना जा सकता है कि सरकारी या गैर-सरकारी अभिलेखागारों में जो कागज-पत्र रखे हुए हैं उनमें से विलायती कागज (चाहे पांचमैण्ट ही क्यों न हो) पर लिखे हुए लेख देशी कागज पर लिखी सामग्री के आगे फीके और जीर्ण लगते हैं। ग्रन्थागारों में भी देशी कागज पर लिखी प्राचीन पाण्डुलिपियाँ ऐसी निकलती हैं मानों अभी-अभी की लिखी हुई हों। इन कागजों के नामकरण के विषय में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कोई कागज अपने निर्माण-स्थान के नाम से जाना जाता है, तो कोई अपने निर्माता के नाम से। किसी-किसी का नाम उसमें प्रयुक्त सामग्री से भी प्रसिद्ध हुआ है, जैसे-शणिया, मोमिया, बाँसी, भोगलिया इत्यादि।

मध्य एशिया में यारकंद नामक नगर से 60 मील दक्षिण में 'कुगिन्नर' नामक स्थान है। वहाँ मिस्टर वेबर को जमीन में गड़े हुए चार ग्रन्थ मिले जो कागज पर संस्कृत भाषा में गुप्त लिपि के लिखे हुए बताये जाते हैं। डॉ० हार्नली का अनुमान है कि ये ग्रन्थ ईसा की पाँचवीं शताब्दी के होने चाहिए। इसी प्रकार मध्य एशिया के ही काशगर आदि स्थानों पर जो पुराने संस्कृत ग्रन्थ मिले हैं वे भी उतने ही पुराने लगते हैं।¹

भारत में प्राप्त कागज पर लिखित प्रतियों में वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय में सरस्वती भवन पुस्तकालय स्थित भागवत पुराण की एक मिश्रित प्रति का उल्लेख मिलता है। इसकी मूल पुष्पिका का सवत् 1181 (1134 ई०) बताया गया है।²

राजस्थान-प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान, जोधपुर के सग्रह में आनन्दवर्धन कृत ध्वन्यालोक पर अभिनवगुप्त विरचित ध्वन्यालोकलोचन टीका की प्राचीनतम प्रति सवत् 1204 (1146 ई०) की है। इसके पत्र बहुत जीर्ण हो गए हैं, पुष्पिका की अन्तिम पक्तियाँ भी भङ्ग गई हैं परन्तु उसकी फोटो प्रति सग्रह में सुरक्षित है।

महाराजा जयपुर के निजी सग्रह 'पोथीखाना' में पद्मप्रभ सूरि रचित 'मुवनदीपक' पर उन्हीं के शिष्य सिंह तिलक कृत वृत्ति की सवत् 1326 वि. की प्रति विद्यमान है। इस वृत्ति का रचना काल भी सवत् 1326 ही है और यह बीजापुर नामक स्थान पर

1. भारतीय प्राचीन लिपि शास्त्र, पृ० 145। कूलर द्वारा संप्रहीत गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, सिन्ध और धानदेश के आनगी पुस्तक सभालयों की सूची, भाग I, पृ० 238 पर इन ग्रन्थों का उल्लेख देखा चाहिए।
2. ऐन्थ्रोपिकल्स फ्रॉम इण्डियन कलैक्शन, नेशनल म्यूजियम, 1964, पृ० 8।

लिखी हुई है। इस प्रति के पत्र जीर्णता के कारण अब शीर्ष होने लगे हैं परन्तु प्रत्येक सम्भव उपाय से इसकी सुरक्षा के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

तूलीपातीय

आसाम में चित्रण व लेखन के लिए 'तूलीपात' का प्रयोग भी बहुत प्राचीन काल से होता आया है। इसके निर्माण की कला इन लोगों ने सम्भवतः 'ताइ' और 'शान' लोगों से सीखी थी जो 13वीं शताब्दी में ब्रह्मोम के साथ यहाँ आये थे।

वास्तव में 'तूलीपात' एक प्रकार का कागज ही होता है जो लकड़ी के गूदे या बल्क से बनाया जाता है। यह तीन रंग का होता है—सफेद, भूरा और लाल। सफेद 'तूलीपात' बनाने के लिए महाइ (Mahai) नामक वृक्ष को चुना जाता है, गहरे भूरे रंग के तूलीपात के लिए यामोन (जामुन) वृक्ष का प्रयोग होता है और लाल 'तूलीपात' जिस वृक्ष के गूदे से बनता है उसका नाम अज्ञात है।

उपयुक्त वृक्षों की छाल उपयुक्त परिमाण में निकाल ली जाती है और फिर उसे खूब कूटते हैं। इससे उनके रेशे ढीले होकर अलग-अलग हो जाते हैं। फिर इनको पानी में इतना उबालते हैं कि एक-एक कण अलग होकर उनका सब कूड़ा-करकट साफ हो जाता है। इन कणों का फिर कल्क बना लेते हैं। इसके बाद अलग-अलग माप वाली आयताकार तश्तरियों में पानी भरकर उस पर उस कल्क को समान रूप से फँला देते हैं और ठण्डा होने को रख देते हैं। ठण्डा होने पर पानी की सतह के ऊपर कल्क एक सख्त और मजबूत कागज के रूप में जम जाता है। साधारणतया तूलीपात पत्र दो पाठों को सीकर तैयार किया जाता है अथवा एक ही लम्बे पाठों को दोहरा करके सी लेते हैं। इससे वह पत्र और भी मजबूत हो जाता है। कागज बनाने का यह प्रकार विशुद्ध भारतीय प्रतिरिक्त प्रकार है। इस उद्योग के केन्द्र नम्फकिअल, मगलोग और नारायणपुर में स्थित थे जो आसाम के लखीमपुर जिले के अन्तर्गत हैं। नेफा में कामेग धीमा क्षेत्र के मोपा बौद्ध भी इसी प्रकार के कागज का निर्माण करते हैं जो स्थानीय 'मुक्सो' नामक वृक्ष की छाल से बनाया जाता है।

पटोय अथवा (सूती कपडों पर लिखे) ग्रन्थ

ग्रन्थ लिखने, चित्र आलेखित करने तथा मन्त्र-मन्त्रादि लिखने के लिए रूई से बना सूती कपड़ा भी प्रयोग में लाया जाता है। लेखन क्रिया से पहले इसके छिद्रों को बन्द करने हेतु घाटा, चावल का माँड या लेई अथवा पिघला हुआ मोम लगाकर परत सुखा लेते हैं और फिर अकीक, पत्थर, शख, कौडी या कसौटी के पत्थर आदि से घोटकर उसको चिकना बनाते हैं। इसके पश्चात् उस पर लेखन कार्य होता है। ऐसे आघार पर लिखे हुए चित्र पट-चित्र कहलाते हैं और ग्रन्थ को पट ग्रन्थ कहते हैं।

सामान्यतः पटों पर पूजा-पाठ के मन्त्र-मन्त्र ही अधिक लिखे जाते थे—जैसे, सर्वतोभद्र मन्त्र, लिंगतो-भद्र-मन्त्र, मातृका-स्थापन-मण्डल, ग्रह स्थापन-मण्डल, हनुमत्पताका, सूर्यपताका, सरस्वती-पताकादि चित्र, स्वर्ग-नरक-चित्र, सापनसेनी ज्ञान चित्र और जैनों के भद्राई द्वीप, तीन द्वीप, तेरह द्वीप और जम्बू द्वीप एवं सोलह स्वप्न आदि के नक्शे व चित्र भी ऐसे ही पटों पर बनाए जाते हैं। बाद में मन्दिरों में प्रयुक्त होने वाले पदों अर्थात्

प्रतिमा के पीछे वाली दीवार पर सटकाने के सचित्र पट भी इसी प्रकार से बनाने का रिवाज है। इनको पिछवाई कहते हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथजी की पिछवाईयाँ बहुमूल्य होती हैं। राजस्थान में बहुत से कथानको को भी पटों पर चित्रित कर लेते हैं जो 'पड' कहलाते हैं। ऐसे चित्रों को फँलाकर लोकगायक उनके संगीतबद्ध कथानको का गान करते हैं। पावूजी की पड, रामदेवजी की पड, आदि का प्रयोग इस प्रदेश में सर्वत्र देखा जा सकता है।

महाराजा जयपुर के सग्रह में अनेक तान्त्रिक नक्शे, देवचित्र एवं इमारती खाके विद्यमान हैं जो 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के हैं। कोई कोई और भी प्राचीन हैं परन्तु वे जीर्ण हो चले हैं। इनमें महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा सम्पन्न यज्ञों के समय स्थापित मण्डलों के चित्र तथा जयपुर नगर स्थापन के समय तैयार किए गये प्रारूप चित्र दर्शनीय हैं। इसी प्रकार सग्रहालय में प्रदर्शित राधाकृष्ण की होली के चित्र भी पट पर ही अंकित हैं और उत्तर 17 वीं शती के है। दक्षिण से प्राप्त किए हुए छ ऋतुओं के विशाल पट चित्रों पर विविध भवस्थानों में नायिकायें निरूपित हैं। ये चित्र भी कपडे पर ही बने हैं और बहुत सुन्दर हैं।

जिस कपडे पर मोम लगाकर उसे चिकना बनाया जाता था उसे मोमिया कपडा या पट कहते थे। ऐसे कपडों पर प्रायः जन्म पत्रियाँ लिखी जाती थी। ये जन्म-पत्रियाँ पट्टियों को चिपका कर बहुत लम्बे-लम्बे आकार में बनाई जाती थी। इन पर लिखी हुई सामग्री इतनी विशद और विशाल होती थी कि उन्हें एक ग्रन्थ ही मान लिया जा सकता है। जिसकी जन्म पत्री-होती है उसके वंश का इतिहास, वंश वृक्ष, स्थान, प्रदेश और उत्सवादि वर्णन, नागरिक वर्णन, ग्रह स्थिति, ग्रह भावफल, दशा निरूपण आदि का सचित्र सोदाहरण निरूपण किया जाता है। इनमें अनेक ऐसे ग्रन्थों के सन्दर्भ भी उद्धृत मिल जाते हैं जो भ्रम नाम शेष ही रह गये हैं। जयपुर नरेश के सग्रह में महाराजा रामसिंह प्रथम के कुमार कृष्णसिंह की जन्म पत्री 456 फीट लम्बी और 13 इंच चौड़ाई की है जो अनेक भव्य चित्रों से सुसज्जित और विविध ज्योतिष ग्रन्थों से सन्दर्भित है। यह जन्म-पत्री सन् 1711 से 1736 तक लिखी गई थी। इसी प्रकार महाराजा भाधवसिंह प्रथम की जन्म-पत्री भी है। इसमें यद्यपि चित्र नहीं है परन्तु कछवाहा वंश का इतिहास, जयपुर नगर वर्णन और सवाई जयसिंह की प्रशस्तियाँ आदि अनेक उपयोगी सूचनाएँ लिखित हैं।

भाद्रपद मास में (बदि 12 से सुदि 4 तक) जैन लोग आठ दिन का पयूषण पर्व मनाते हैं। आठवें दिन निराहार व्रत रखते हैं। इसकी समाप्ति पर ये लोग एक-दूसरे से वर्ष भर में किए हुए किसी भी प्रकार के बुरे व्यवहार के लिए क्षमा माँगते हैं। ऐसे क्षमावाणी के भवसर पर एक गाँव भयवा स्थान के समस्त सभ की ओर से दूसरे परिचित गाँव के प्रति 'क्षमापन पत्र' लिखे जाते थे। सभ का मुखिया आचार्य कहलाता है व्रत वह पत्र आचार्य के नाम से ही सम्बोधित होता है। इन पत्रों में सावत्सरिक-क्षमापना के प्रतिरिक्त पयूषण-पर्व के दिनों में अपने गाँव में जो धार्मिक कृत्य होते हैं उनकी सूचना आचार्य को दी जाती थी तथा यह भी प्रार्थना की जाती थी कि वे उस ग्राम में आकर सभ को दर्शन दें। ऐसे पत्र 'विज्ञप्ति-पत्र' कहलाते हैं। इनके लिखने में गाँव की ओर से पर्याप्त धन एवं समय व्यय किया जाता था। इनका आकार-प्रकार भी प्रायः जन्म-पत्रों के सरबों जैसा ही होता है तथा ये कागज के प्रतिरिक्त ताड़पत्रादि पर भी लिखे मिलते

हैं। कभी-कभी कोई जैन विद्वान मुनि इनमें अपने काव्य भी लिखकर प्राचार्य की सेवा में प्रेषित करते थे। महामहोपाध्याय विनयविजय रचित 'इन्दुदूत', मेघविजय विरचित 'मेघदूत', समस्या लेख और एक अन्य विद्वान द्वारा प्रणीत चेतोदूत काव्य ऐसे ही विज्ञप्ति पत्रों में पाये गये हैं। सबसे पुराने एक विज्ञप्ति-पत्र का एक ही नुदित ताडपत्रीय-पत्र पाटन के प्राचीन ग्रन्थ भण्डार में मिला है जो विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का बताया जाता है।¹

यद्यपि कागज पर लिखे विज्ञप्ति पत्र 100 हाथ (50 गज = 150 फीट) तक लम्बे और 12-13 इंच चौड़े 15वीं शती के जितने पुराने मिले हैं परन्तु कपड़े पर लिखित ऐसा कोई पत्र नहीं मिला। किन्तु जब इन विज्ञप्ति पत्रों को ज-म पत्री जैसे खरड़ों में लिखने का रिवाज था तो अवश्य ही इनके लिए रेजी, तूलिपात या अन्य प्रकार के कपड़े अथवा पट का भी प्रयोग किया ही गया होगा। ऐसे पत्रों का प्राचीन जैन-ग्रन्थ-भण्डारों में अन्वेषण होना आवश्यक है।

प्राचीन समय में पञ्चांग (ज्योतिष) भी कपड़े पर लिखे जाते थे। इनमें देवी-देवता और ग्रह-नक्षत्रादि के चित्र भी होते थे। महाराजा जयपुर के सग्रह में 17वीं शताब्दी के कुछ बहुत जीर्ण पचांग मिलते हैं। 'राजस्थान प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान' जोधपुर में भी कतिपय इसी तरह के प्राचीन पचांग विद्यमान हैं।

दक्षिण भ्राम्हर प्रदेश प्रादि स्थानों में इमली खाने का बहुत रिवाज है। इमली के बीज या 'चीर्या' को घाग में सेंक कर सुपारी की तरह तो खाते ही हैं परन्तु इसका एक और भी महत्त्वपूर्ण उपयोग किया जाता था। वहाँ पर इन 'चीर्या' से सेई बनाई जाती थी। उस सेई को कपड़े पर लगाकर कालापट तैयार किया जाता था। उसकी बही बनाकर व्यापारी लोग उस पर सफेद खडिया से अपना हिसाब किताब लिखते थे। ऐसी बहियाँ 'कडितम्' कहलाती थी। शृंगेरी मठ में ऐसी सैंकडों बहियाँ मौजूद हैं जो 300 वर्ष तक पुरानी हैं। पाटन के प्राचीन ग्रन्थ-भण्डार में श्री प्रभसूरि रचित 'धर्म विधि' नामक कृति उदर्यासिंह कृत टीका सहित पाई गयी है जो 13 इंच लम्बे और 5 इंच चौड़े कपड़े के 93 पत्रों पर लिखित है। कपड़े के पत्रों पर लिखित अभी तक यही एक पुस्तक उपलब्ध हुई है।²

कपड़े पर सेई लगाकर कालापट तैयार करके सफेद खडिया से लिखने के अनुकरण में कई ऐसी पुस्तकें भी मिलती हैं जो कागज पर काला रंग पोत कर सफेद स्याही से लिखी गयी हैं।

इमली के बीज से चित्रकार भी कई प्रकार के रंग बनाते थे।

रेशमी कपड़े की

सप्तशती ने अपने भारत यात्रा विवरण में लिखा है कि उसको नगरकोट के किले में एक राजवंशावली का पता था जो रेशम के कपड़े पर लिखी हुई बताई जाती है। यह वंशावली कानुल के शाहियावली हिन्दू राजाओं की थी। इसी प्रकार डॉ० ब्रूहलर ने

1 मुनि विनयविजय स० 'विज्ञप्ति लिपि' पृ० 32।

2. भारतीय प्राचीन लिपि भाषा, पृ० 146।

अपने ग्रन्थ निरीक्षण विवरण (पृ० 30) में लिखा है कि उन्होंने जैसलमेर के वृहद्-ग्रन्थ-भण्डार में जैन सूत्री की सूची देखी जो रेशम की पट्टी पर लिखी थी।

काष्ठपट्टीय


लिखने के लिए लकड़ी के फलको के उपयोग का रिवाज भी बहुत पुराना है। कोई 40-45 वर्ष पूर्व सर्वत्र और कहीं कहीं पर अब भी बालको को सुलेख लिखाने के लिए लकड़ी की पाटी काम में लाई जाती हैं। यह पाटी लगभग डेढ़ फुट लम्बी और एक फुट चौड़ी होती है। इसके सिरे पर एक मुकुटाकार भाग काट दिया जाता है जिसमें छिद्र होता है। बालक इस छिद्र में डोरा पिरोकर लटका लेते हैं। इसकी सहायता से घर पर भी इसे खूँटी पर टाँग देते हैं क्योंकि विद्या को पैरो में नहीं रखना चाहिये। इसी पाटी पर मुलतानी या खडिया पोतते हैं। यह लेख इतना साफ और स्वच्छ करके लगाया जाता है कि पाटी के दोनों ओर की सतह समान रूप से स्वच्छ हो जाती है। पाटी पोतने और उसको सुखाने की कला में बालको की चतुराई आँकी जाती थी। बटशाला में बच्चे सामूहिक रूप से पाटी पोतने बैठते और फिर 'सूख-सूख पाटी, विद्या धावें'¹ की रट लगाते हुए पट्टी हवा में हिलाते थे। पाटी सूख जाने पर वे इसे अपने दोनों घुटनों पर रखकर नेजे या सरकड़े की कलम और काली स्याही से सुन्दर अक्षर लिखने का अभ्यास करते थे। आरम्भ में गुरुजी कलम के उल्टे सिरे से बिना स्याही के उस पाटी पर अक्षरों के आकार (किटकिया) बना देते थे और फिर बालक उस आकार पर स्याही फेरकर सुलेखन का अभ्यास करते थे।

पाटी पर जो खडिया या मुलतानी पोती जाती थी वह पाण्डु कहलाती थी और इसीलिए आरम्भिक मूल लेख को पाण्डुलिपि कहते हैं जो अब प्रारूप, मूल हस्तलेख और हस्तलिखित ग्रन्थ का वाचक शब्द बन गया है। पाटी लिखने से पहले बच्चों को 'खोर-पाटा' देते थे। एक लकड़ी का आयताकार पाटा, जिसके छोटे-छोटे चार पाये होते थे या दोनों ओर नीचे की तरफ डाट होती थी, यह बालक के सामने बिछा दिया जाता था। इस पर ताल चूने या स्वच्छ भूरी मिट्टी बिछाकर इस तरह हाथ फेरा जाता कि उसकी सतह समतल हो जाती थी। फिर लकड़ी की तीखी नोकदार कलम से उस सतह पर लिखना सिखाते थे। इन कलम को 'बरता' या 'बरतना' कहते थे। जब पाटा भर जाता तो लेख गुरुजी को जँचवा कर फिर उस मिट्टी पर हाथ फेरा जाता और पुनः लेखन चालू हो जाता।

आजकल जैसे स्कूलों में कक्षाएँ होती हैं उसी प्रकार पहले पढ़ने वाले छात्रों की श्रेणी-विभाजन इस प्रकार होता था कि आरम्भ में 'खोर-पाटा' की कक्षा फिर 'पाटी' कक्षा। दिन में विद्यार्थी कितनी पट्टियाँ लिख लेता था, इसके आधार पर भी उसकी शरिष्टता कायम की जाती थी। इस प्रकार पाटी या फलक पर लिखने की परम्परा बहुत पुरानी है। बौद्धों की जातक-कथाओं में भी विद्याधियों द्वारा काष्ठ-फलकों पर लिखने का उल्लेख मिलता है।

1 इसका एक रूप ब्रज में यों मिलता है—

गुण गुण पट्टी बन्दन पट्टी, राजा बाये महल चिनाये, महल गये टुट पट्टी गई सुख।



मुलेख सिखाने के लिए आगे का क्रम यह होता था कि पाटियों के एक ओर साल साल का रोगन लगा दिया जाता और दूसरी ओर काला या हरा रोगन लेपा जाता था।¹ फिर इन पर हरताल की पीली-सी स्याही या खडिया या पाण्डु की सफेद सी स्याही से लिखा जाता था।

दैनिक प्रयोग में बहुत से दूकानदार पहले लकड़ी की पाटी पर कच्चा हिसाब टोप लेते थे (आजकल स्लेट पर लिख लेते हैं) और फिर यथावकाश उसे स्याही से पक्की भी में उतारते थे। इसी तरह ज्योतिषी लोग भी पहले खोर पाटे पर कुण्डलियाँ आदि खींच कर गणित करते थे, पुती हुई पाटियों पर भी जन्म, लग्न, विवाह लग्न आदि टोप लेते थे और फिर उनके आधार पर हस्तलेख तैयार कर देते थे। खोर-पाटे पर लिखने की ज्योतिष-शास्त्र में 'धूलिकर्म' कहते हैं।

विद्वान भी ग्रन्थ रचना करते समय जैसे आजकल पहले हल पेंसिल से कच्चा मसविदा कागज पर लिख लेते हैं अथवा किसी पद्य का स्फुरण होने पर स्लेट पर जमा लेते हैं और बाद में उसको निर्णीत करके स्थायी रूप से लिखते या लिखवा लेते हैं। उसी तरह पुराने समय में ऐसे प्रारूप काष्ठपट्टिकाओं पर लिखने का र्विवाज था। जनों के 'उत्तराध्ययन सूत्र' की टीका की रचना नैमिचन्द्र नामक विद्वान ने सवत् 1129 में की थी। उसमें इस प्रकार पाटी से नकल करके सर्वदेव नामक गणि द्वारा ग्रंथ लिखने का उल्लेख है—

पट्टिका तो ऽलिखन्वैमां सर्वदेवाभिधो गणि ।
आत्मकर्मक्षयायाय परोपकृति हेतवे ॥ 14 ॥

खोतान से भी कुछ प्राचीन काष्ठपट्टिकाओं के मिलने का उल्लेख है। इन पर खरोष्ठी लिपि में लेख लिखे हैं।

बर्मा में रोगनदार फलको पर पाण्डुलिपि लिखी जाती है। ग्रॉक्सफोर्ड की थोडले-यन पुस्तकालय में एक ब्राह्मण से प्राप्त काष्ठ-फलको पर लिखी एक पाण्डुलिपि बतायी जाती है।

कात्यायन और दण्डी ने बताया है कि बाद-पत्र फलको पर पाण्डु (खडिया) से लिखे जाते थे और रोगन वाले फलको पर शाही शासन लिखे जाते थे।

ग्रन्थों के दोनों ओर जो बाष्ठफलक (या पट्टी) लगाकर ग्रंथ बाँधे जाते हैं, उन पर भी स्याही से लिखी सूक्तियाँ अथवा मूल ग्रंथ का कोई अथ उद्धृत मिल जाता है जो स्वयं रचनाकार अथवा लेखक (प्रतिलिपिकर्ता) द्वारा लिखा हुआ होता है।

कभी-कभी काष्ठ स्तम्भों पर लेख खोदे गये, जैसे किरारी से प्राप्त स्तम्भ पर मिले हैं। भज की गुफा की छनी की काष्ठ महराबों पर भी लेख उत्कीर्ण मिले हैं।

1. भज में 'हिरण्य' पोठी जाटो थी जितने पट्टी साल हो जाती थी। फिर उस पर बोटा किया जाता था। 'बोटा' हीरे के बड़े गोल छत्ते के अकार का लगभग तीन अंगुल चौड़ाई का होता था। उससे बोटने पर पट्टी चिबनी हो जाती थी। उस पर खडिया के पोल से लिखा जाता था।

ग्रन्थों के अन्य प्रकार

आकार के आधार पर .

यहाँ तक हमने ग्रंथ लिखने के साधन या आधार की दृष्टि से ग्रंथों के प्रकार बताये। प्राचीनतम हस्तलिखित प्रतियाँ प्रायः लम्बी और पतली पट्टियों के रूप में ही प्राप्त होती हैं। जिनको एक के ऊपर एक रखकर गड़ी बनाकर रखा जाता है। एक-एक पट्टी को पत्र कहते हैं। 'पत्र' नाम इसलिए दिया कि ये पौथियाँ ताड़पत्रों या भूजंपत्रों पर लिखी जाती थी। बाद में तत्समान आकार के माडपत्र या कागज बनाए जाने लगे। अब वह 'पत्र' शब्द चिट्ठी के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। 'पत्रा' भी पत्र से ही निकला है। अतः प्राचीन पुस्तकें छोटे या खुले पत्राकार रूप में ही होती थी। इनके छोटे बड़े प्रकार का भेद बताने के लिए जो शब्द प्रयुक्त हैं उनसे पता चलता है कि पौथियाँ पाँच प्रकार की होती थी। दशवैकालिक सूत्र की हरिभद्रकृत टीका में एव निम्नीयपूर्णा आदि में पुस्तकों के 5 प्रकार इस तरह गिनाये गये हैं¹ (1) गण्डी (2) कच्छपी, (3) मुट्टी (4) सम्पुटफलक और (5) छेदपाटी, छिवाडी या सृपाटिका।²

गण्डी

जो पुस्तक मोटाई और चौड़ाई में समान होकर लम्बी (Rectangular) होती है वह 'गण्डी' कहलाती है। जैसे पर्यर की 'कतली' होती है उसी आकार की यह पुस्तक होती है। ताड़पत्र पर या ताड़पत्रीय आकार के कागजों पर लिखी हुई पुस्तकें 'गण्डी' प्रकार की होती हैं।

कच्छपी

कच्छप या कछुए के आकार की अर्थात् किनारों पर सँकरी और बीच में चौड़ी पुस्तकें कच्छपी कहलाती हैं। इनके किनारे या छोर या तो त्रिकोण होते हैं अथवा गोलाकार।

- 1
- 'गण्डी कच्छपि मुट्टी संपुटफलक छिवाडीय'
 एय पुथ्ययपणय, वक्षान यिर्ण भवेतस्य ॥
 बाहल्ल पुहतेहि, गण्डी पुथी उ गुल्लगो दीहो ।
 कच्छपि अते तणुओ, मग्गे पिह्लो मुण्यव्वो
 चउर गुणदी हो वा, वटटागिह मुट्टि पुत्पगो अहवा ।
 चउर गुणदीहोच्चिय, चउरओ होइ विल्लेओ ॥
 सपुटगो दुपनाई पलगाओच्छ मेत्ता है ।
 तणुपत्तुसिपस्वो, होइ छिवाडी मुहा वेत्ति ॥
 दी होवा हस्तो वा, जो पिठुओ होइ अप्पवाहल्लो ।
 स मुणिमसमयसारो, छिवाडियोत्थ भणतीह ॥

—दश वैकालिक हरिभद्र टीका, पत्र 25

- 'मुनि पुण्य विजय जो भारतीय जैन धर्मण सस्कृति अने लेखन कला में पु० 22 पर 25 की पाद टिप्पणी में उद्धृत ।
- 2 मुनि पुण्य विजयजी ने भारतीय जैन धर्मण सस्कृति अने लेखन कला में पु० 22 की टिप्पणी में बताया है कि कुछ विद्वान छिवाडी को सृपाटिका मानते हैं। किन्तु शक्ति तथा रमानाथ सूत्र टीका आदि मान्य ग्रन्थों के आधार पर ... मानते हैं ।



मुष्टी

छोटे आकार की मुष्टिग्राह्य पुस्तक को मुष्टी कहते हैं। इसकी लम्बाई चार अंगुल कही गई है। इस रूप में बाद के लिखे हुए छोटे छोटे गुटके भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। हैदराबाद सालारजंग-संग्रहालय में एक इंच परिमाण वाली पुस्तकें हैं। वे मुष्टी ही मानी जायेगी।

सम्पुट-फलक

सचित्र काष्ठपट्टिकाओं अथवा लकड़ी की पट्टियों पर लिखित पुस्तकों को सम्पुट फलक कहा जाता है। वास्तव में, जिन पुस्तकों पर सुरक्षा के लिए ऊपर और नीचे काष्ठ फलक सगे होते हैं, उनको ही 'सम्पुट फलक' पुस्तक कहते हैं।

छेद पाटी

जिस पुस्तक के पत्र लम्बे और चौड़े तो कितने ही हो परन्तु सख्या कम होने के कारण उसकी मोटाई (या ऊँचाई) कम होती है उसको छेदपाटी छिवाड़ी या सृपाटिका कहते हैं।

पुस्तकों की लेखन शैली से पुस्तक-प्रकार

लेखन शैली के आधार पर पुस्तकों के निम्न प्रकार 'भारतीय जैन श्रमण संहिता घने लेखन कला' में बताये गये हैं

- 1 त्रिपाठ या त्रिपाठ) ये तीन भेद पुस्तक के पृष्ठ के रूप विधान पर
- 2 पचपाठ या पचपाठ) निर्भर हैं
- 3 श्रुंङ या श्रुंङ)
- 4 चित्र पुस्तक यह उपयोगी सजावट पर निर्भर है।
5. स्वर्णाक्षरी) यह लेखाक्षर लिखने के माध्यम (स्याही) के विकल्प के
- 6 रोप्याक्षरी) प्रकार पर निर्भर है।
- 7 सूक्ष्माक्षरी) ये अक्षरों के आकार के परिमाण पर निर्भर है।
- 8 स्थूलाक्षरी आदि)


उक्त प्रकारों के स्थापित करने के चार आधार अलग अलग हैं। ये आधार हैं

- 1 पृष्ठ का रूप विधान।
- 2 पुस्तक को सचित्र करने से भी पुस्तक का एक अलग प्रकार प्रस्तुत होता है।
3. सामान्य स्याही से भिन्न स्वर्ण या रजत से लिखी पुस्तकें एक अलग वर्ग की हो जाती हैं
- 4 फिर अक्षरों के सूक्ष्म अथवा स्थूल परिमाण से पुस्तक का अलग प्रकार हो जाता है।

कुंडलित, बलयित या खरडा

ऊपर जो प्रकार बताये गये हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण प्रकार छूट गया है। वह कुण्डली प्रकार है जिसे अंग्रेजी में स्क्राल (Scroll) कहा जाता है। प्राचीन काल में फराजनों के

युग में 'मिस्र' में पेपीरस पर कुण्डली ग्रंथ ही लिखे गये। भारत में कम ही सही कुण्डली ग्रंथ लिखे जाते थे। 'भागवत पुराण' कुण्डली ग्रंथ ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है।¹ जैनियों के 'विज्ञप्ति पत्र' भी कुण्डली-ग्रंथ का रूप ग्रहण कर लेते थे। बड़ोदा के प्राच्य-विद्यामंदिर में हस्तलिखित सचित्र सम्पूर्ण महाभारत कुण्डली ग्रंथ के रूप में सुरक्षित है—यह 228 फीट लम्बी और 5½' चौड़ी कुण्डली है जिसमें एक लाख श्लोक हैं। तेनह्नांग से डॉ० रघुवीर 8000 वलयिताओं की प्रतिलिपियाँ लाये थे।



'कुण्डली ग्रंथ' रखने के पिठक के माथ

1. यह पुराण 5 इंच चौड़ी और 65 फुट लम्बी कुण्डली में है, सचित्र है।

पृष्ठ के रूप-विधान से प्रकार-भेद

सामान्य प्रथों में पाठ या पाठ का भेद नहीं होता है। आदि से अन्त तक पृष्ठ एक ही रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

किन्तु जब पृष्ठ का रूप विधान विशेष अभिप्राय से बदला जाय तो वे तीन प्रकार के रूप ग्रहण करते मिलते हैं

त्रिपाठ या त्रिपाठ

इस पाठ या पाठ में यह दिखाई पड़ता है कि पृष्ठ तीन हिस्सों में बाँट दिया गया है। बीच में मोटे अक्षरों में मूल ग्रन्थ के श्लोक, उसके ऊपर और नीचे छोटे अक्षरों में टीका, टीका या व्याख्या दी जाती है। इस प्रकार एक पृष्ठ तीन भागों में या पाठों में बाँट जाता है। इसलिए इसे त्रिपाठ या त्रिपाठ कहते हैं।

पचपाठ या पाठ

जब किसी पृष्ठ को पाँच भागों में बाँटकर लिखा जाय तो पचपाठ या पाठ कहलाएगा। त्रिपाठ की तरह इसमें भी बीच में कुछ मोटे अक्षरों में मूल ग्रन्थ रहता है, यह एक पाठ हुआ। ऊपर और नीचे टीका या व्याख्या लिखी गई यह तीन पाठ हुए फिर दाईं और बाईं ओर हाशिये में भी जब लिखा जाय तो पृष्ठ का इस प्रकार का रूप विधान पचपाठ कहा जाता है।

शूंड या शूंड

जिस पुस्तक का पृष्ठ लिखे जाने पर हाथी की सूंड की भाँति दिखाई पड़े वह 'शूंड पाठ' कहलाएगा। इसमें ऊपर की पक्ति सबसे बड़ी, उसके बाद की पक्तियाँ प्रायः छोटी होती जाती हैं, दोनों ओर से छोटी होती जाती हैं। अन्तिम पक्ति सबसे छोटी होती है और पृष्ठ का स्वरूप हाथी की सूंड का आधार ग्रहण कर लेता है। यह केवल लेखक की या लिपिकार की अपनी रचि को प्रगट करता है। किन्तु इस प्रकार के ग्रन्थ दिखाई नहीं पड़ते। हाँ, किसी लेखक ने अपने निजी लेखों में इस प्रकार की पृष्ठ रचना मिल सकती है। किन्तु कुमार सम्भव' में कानिदास ने श्लोक 17 में 'कुजर विदुषोण' से ऐसी ही पुस्तक की ओर संकेत किया है। इसी अध्याय में भूर्जपत्र शीर्षक देखा।

अन्य

इस दृष्टि से देखा जाय तो लेखक की निजी पृष्ठ रचना में त्रिकोण पाठ भी मिल सकता है। ऊपर की पक्ति पूरी एक ओर हाशिये की रेखा के साथ प्रत्येक पक्ति लगी हुई किन्तु दूसरी ओर थोड़ा थोड़ा नम होनी हुई अन्त में सबसे छोटी पक्ति। इन प्रकार पृष्ठ में त्रिकोण पाठ प्रस्तुत हो जाता है। अतः ऐसे ही अन्य पृष्ठ सम्बन्धी रचना प्रयोग भी लेखक की अपनी रचि के दायरे में हैं। इनका कोई विशेष अर्थ नहीं। त्रिपाठ और पचपाठ इन दो का महत्त्व अवश्य है क्योंकि ये विशेष अभिप्राय से ही पाठों में विभक्त होती हैं।

सजावट के आधार पर पुस्तक-प्रकार

जिस प्रकार से कि ऊपर पृष्ठ-रचना की दृष्टि से प्रकार भेद किये गये हैं उसी प्रकार से सजावट के आधार पर भी पुस्तक का प्रकार भिन्न किया जा सकता है। यह

सजावट चित्रों के माध्यम से होती है। एक हस्तलेख में चित्रों का उपयोग दो दृष्टियों से हो सकता है। एक-केवल सजावट के लिए और दूसरे सदभंगत उपयोग के लिए। ये दोनों ही सादा एक स्याही में भी हो सकते हैं और विविध रंगों में भी।

ग्रंथ में चित्र

ग्रंथों में चित्राकन की परम्परा भी बहुत प्राचीन है। 11 वीं शती से 16 वीं शती के बीच एक चित्रशैली प्रचलित हुई जिसे 'अपभ्रंश-शैली' नाम दिया गया है।

इनके सम्बन्ध में 'मध्यकालीन-भारतीय कलाओं एवं उनका विकास' नामक ग्रंथ का यह अवतरण द्रष्टव्य है—

'भुरूपत ये चित्र जैन सबधो पोषियो (पाण्डुलिपियो) में बीच-बीच में छोड़े हुए चौकोर स्थानों में बने हुए मिलते हैं।¹'

इसका अर्थ है कि यह 'अपभ्रंश-कला' ग्रंथ-चित्रों के रूप में पनपी और विकसित हुई। यह भी स्पष्ट है कि इसमें जैन धर्म ग्रंथों का ही विशुद्ध योगदान रहा। हाँ, भक्तिकाल के समय में साम्राज्य का प्रश्रय चित्रकारों को मिला। इस प्रश्रय के कारण कलाकारों ने ग्रन्थ ग्रंथों को भी चित्रित किया। राजस्थान-शैली में भी चित्रण हुआ। इस प्रकार हस्त-लिखित ग्रंथों में चित्रों की तीन शैलियाँ पनपती मिलती हैं। एक अपभ्रंश-शैली जैन-धर्म ग्रंथों में पनपी। इसके दो रूप मिलते हैं। एकमात्र अलकरण सम्बन्धी। 1062 ई. के 'भगवती-मूत्र' में अलकरण शैली में विकास की दूसरी स्थिति का पता हमें 1100 ई० की 'निशीथ चूर्ण' से होता है। इस पाण्डुलिपि में अलकरण के लिए बेलबूटों के साथ पशुओं की आकृतियाँ भी चित्रित हैं। 13 वीं शती में देवी-देवताओं का चित्रण बाहुल्य से होने लगा।

ये सभी प्रतियाँ ताडपत्र पर हैं। चित्र भी ताडपत्र पर ही बनाये गये हैं।

"1100 से 1400 ई के मध्य जो चित्रित ताडपत्र तथा पाण्डुलिपियाँ मिलती हैं उनमें 'अपभ्रंश', 'कथा सरित्सागर', 'त्रिपिण्डि शालाका-गुह्य-चरित', 'श्री नेमिनाथ चरित', 'श्रावक-प्रतिक्रमण चूर्ण' आदि मुख्य हैं।²

1400 से ताडपत्र के स्थान पर कागज का उपयोग होने लगा।

1400 से 1500 के बीच की चित्रित पाण्डुलिपियों में कल्पसूत्र, कालकाचार्य-कथा, सिद्धसेन आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।³

पंद्रहवीं सोलहवीं शती में कागज की पाण्डुलिपि में कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा की अनेकों प्रतियाँ चित्रित की गयीं। हिन्दी में कामशास्त्र के कई ग्रंथ इसी काल में सचित्र लिखे गये। 1451 की कृति वसंत विलास में 79 चित्र हैं।⁴

1 नाथ आर० (डॉ०)—मध्यकालीन भारतीय कलाएँ एवं उनका विकास, पृ० 43।

2 वही, पृ० 4

3 वही पृ० 4

4 लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं 1547 ई० में चित्रित 23 चित्रों से युक्त किरंदोली का 'सहतामा', अक्षर के समय में चित्रित छ चित्रों वाली पोषी हरिवंश पुराण के अंकों के फारसी अनुबाद वाली, 17 वीं शताब्दी की काशी की शैली के 12 चित्रों वाली कुण्डली (Scroll) के रूप में 'भागवत'।

अथ यह कला प्राणवान हो चली थी और धर्म के क्षेत्र से भी बँधी हुई नहीं रही ।

सजावटी पुस्तकें

सजावटी चित्र पुस्तकों को कई प्रकार से सजाया जा सकता है । एक तो ग्रन्थ के प्रत्येक पृष्ठ पर चारों ओर के हाशियों को फूल पत्तियों से या ज्यामितिक आकृतियों से या पशु पक्षियों की आकृतियों से सजाया जा सकता है । दूसरा प्रकार यह हो सकता है कि आरम्भ में जहाँ पुष्पिका दी गयी हो या अष्टयाय का अन्त हुआ हो, वहाँ इस प्रकार का कोई सजावटी चित्र बना दिया जाय (जैसे राउलबेल में) । फूल पत्तियों वाला, अशोक चक्र जैसा तथा अनेक प्रकार के ज्यामितिक आकृतियों वाला अथवा पशु पक्षियों वाला कोई चित्र बनाकर पृष्ठ को तथा पुस्तक को सजाया जा सकता है । पृष्ठों के मध्य में भी विशिष्ट प्रकार की आकृतियाँ लिपिकार इस रूप में प्रस्तुत कर सकता है कि लेख की पत्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि पृष्ठ में स्वस्तिक या स्तम्भ या डमरू या इसी प्रकार का अन्य चित्र उभर आये । पृष्ठ के बीच में स्थान छोड़कर अन्य कोई चित्र, मनुष्य की या पशु की आकृति के चित्र बनाये जा सकते हैं ; ये सभी चित्र सजावट या लिपिकार के लेखन कौशल के प्रदर्शन के लिए होते हैं । पाण्डुलिपियों में ताडपत्रों के ग्रन्थों के पन्नों के बीच में छोरी या सूत्र डालने के लिए गोल छिद्र किए जाते थे और लिखने में बीच में इसी निम्नलिखित लेखक गोलाकार स्थान छोड़ देता था । यह अनुकरण कागज की पाण्डुलिपियों में भी किया जाने लगा । इस गोलाकार स्थान को विविध प्रकार से सजाया भी जाने लगा ।

उपयोगी चित्रों वाली पुस्तकें

सजावट वाले चित्रों से भिन्न जब ग्रन्थ के विषय के प्रतिपादन के लिए या उसे दृश्य बनाने के लिए भी चित्र पुस्तक में दिये जाते हैं, तब ये चित्र पूरे पृष्ठ के हो सकते हैं और ग्रन्थ में आने वाली किसी घटना का एव दृश्य का चित्रण भी इनमें हो सकता है । कभी-कभी इन चित्रों में स्वयं लेखक को भी हम चित्रित देख सकते हैं । पूरे पृष्ठों के चित्रों के अनिश्चित ऐसी चित्रित पुस्तकों में पृष्ठ के ऊपरी आधे भाग में, नीचे आधे भाग में, पृष्ठ के बाईं ओर के ऊपरी चौथाई भाग में या बाईं ओर के नीचे के चौथाई भाग में, या नीचे के चौथाई भाग में चित्र बन सकते हैं या बीच में भी बनाए जा सकते हैं । ऊपर नीचे लेख और बीच में चित्र हो सकते हैं । जब कभी किसी वाक्य के भाव को प्रगट करने के लिए

1. बीटा-सम्राज्य में श्रीमद्भागवत की एक ऐसी पाण्डुलिपि है जिसका प्रत्येक पृष्ठ रंगीन चित्रों से चित्रित है ।

कन्नडा : वाणुगोप-जला-सम्राज्य में एव कागज पर लिखी 1105 ई० की बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय की पाण्डुलिपि है इसमें बौद्ध देवताओं के आठ चित्र हैं । इन प्रति का महत्त्व इसलिए भी है कि यह कागज पर लिखे प्राचीनतम ग्रन्थों में से है ।

अलवर सम्राज्य में महत्त्वपूर्ण चित्रित पाण्डुलिपियाँ इस प्रकार हैं—(1) भागवत—कुडली रूप में लिखित, चित्रयुक्त 18 फुट लम्बा है । (2) गीत गोविन्द, अलवर गीती के चित्रों में युक्त है, (3) वाक्यातेवादी द्रुमायु के समय में तुको से फारसी में अनूदित हुई । इसमें चित्र भारतीय ईरानी शैली के हैं । शाहनामा—इसमें चित्र उत्तर मुगल काल की शैली के हैं । 'मुनिस्ता'—इसकी बह प्रति यहाँ छुपाने हैं जिसे महाराज विनयसिंह ने पीने दो लाख रुपये खर्च करके तैयार कथमा था और इसको तैयार करने में 15 वर्ष लगे थे ।

चित्र दिए जाते हैं तो काव्य का कोई अक्षर चित्र के ऊपर या नीचे प्रकृत बर दिशा जाता है। इस प्रकार अक्षर अनेक प्रकार से चित्रित किए जा सकते हैं। ये चित्र सजावट वाली चित्रशैली से भी युक्त बनाए जा सकते हैं। ऐसे चित्रों में हाथिए वगैरे विविध प्रकार की सुन्दर आकृतियों से सजाया जाता है तब चित्र बनाया जाता है।

इन चित्रों में अपने काल की चित्र-कला का रूप उभर कर आता है। इनके कारण ऐसी पुस्तकों का मूल्य बहुत बढ़ जाता है।

सामान्य स्याही से भिन्न माध्यम में लिखी पुस्तक

सामान्यतः पुस्तक लेखन में ताडपत्रों को छोड़कर काली पत्ती स्याही से अक्षर लिखे जाते रहे हैं। लाल स्याही को भी हम सामान्य ही कहेंगे किन्तु इस प्रकार की सामान्य स्याही से भिन्न कीमती स्वर्ण या रजत अक्षरों में लिखे हुए अक्षर भी मिलते हैं। अतः इनका एक अलग वर्ग हो जाता है। ये स्वर्णाक्षर अथवा रजताक्षर हस्तलेखों के महत्त्व और मूल्य को बढ़ा देते हैं। साथ ही ये लिखवाने वाले की शक्ति और समृद्धि के भी द्योतक होते हैं। स्वर्णाक्षर और रजताक्षरों में लिखे हुए अक्षरों को विशेष सावधानी से रखा जायेगा और, उनके रखने के लिए भी विशेष प्रकार का प्रयत्न किया जायेगा। स्पष्ट है कि स्वर्णाक्षर और रजताक्षरों की पुस्तकें सामान्य परिपाटी की पुस्तकें नहीं मानी जा सकतीं। ऐसी पुस्तकें बहुत कम मिलती हैं।

अक्षरों के आकार पर आधारित प्रकार

अक्षर सूक्ष्म या अत्यन्त छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी। इसी आधार पर सूक्ष्माक्षरी पुस्तकें और स्थूलाक्षरी पुस्तकें के भेद हो जाते हैं। सूक्ष्माक्षरी पुस्तक के कई उपयोग हैं। पचपाट में बीच के पाट को छोड़कर सभी पाट सूक्ष्माक्षर में लिखने होते हैं, तभी पचपाट एक पन्ने में आ सकते हैं। इसी प्रकार से एक ही पन्ने में 'मूल' के अक्षरों के साथ विविध टीका टिप्पणियाँ भी आ सकती हैं।

सूक्ष्माक्षरी सूक्ष्माक्षरों में लिखी पुस्तक छोटी होगी, और सरलता से यात्रा में साथ ले जाई जा सकती है। बन्तुन जैन मुनि यात्राओं में सूक्ष्माक्षरी पुस्तकें ही रखते थे।

अक्षरों का आकार छोटे-से छोटा इतना छोटा हो सकता है कि उसे देखने के लिए आतिथी-शीशा आवश्यक हो जाता है। सूक्ष्माक्षर में लिखने की कला तब चमत्कारक रूप ले लेती है जब एक चावल पर 'गीता' के सभी अध्याय अक्षरित कर दिये जायें।

स्थूलाक्षरी

पुस्तक बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखी जाती हैं। ये मद दृष्टि पाठकों का सुविधा प्रदान करने के लिए मोटे अक्षरों में लिखी जाती हैं अथवा हमलिये कि इन्हें पोथी की भाँति पढ़ने में सुविधा होती है।

कुछ और प्रकार

अब जो प्रकार यहाँ दिए जा रहे हैं, वे आजकल प्रचलित प्रकार हैं। इन्हीं के आधार पर आज खोज रिपोर्टों में अन्य प्रकार दिए जाते हैं।

पांडुलिपियाँ इतने प्रकार की मिलती हैं :—

- (1) खुले पत्रों के रूप में । पत्राकार ।
- (2) पोथी । कागज को बीच से मोड़कर बीच से सिली हुई ।
- (3) गुटका । बीच से या ऊपर से (पुस्तक की भाँति) सिला हुआ । इसके पत्र अपेक्षाकृत छोटे होते हैं । पत्रों का आकार प्रायः 6 × 4 इंच तक होता है ।
- (4) पोथो । बीच से सिली हुई ।

पोथी और पोथो में अन्तर है । पोथी के पन्ने अपेक्षाकृत आकार में छोटे और संख्या में कम होते हैं । पोथो में इससे विपरीत बात है ।

- (5) पानावली । यह बहीनुमा होती है । लम्बाई अधिक और चौड़ाई कम । चौड़ाई वाले सिरे से सिलाई की गई होती है । इसे बहीनुमा पोथी भी कभी-कभी कह दिया जाता है ।
- (6) पोथियाँ । पुस्तक की भाँति लम्बाई या चौड़ाई की ओर से सिला हुआ ।

इसमें और पोथी में सिलाई का अन्तर है । पोथियाँ प्रायः सकलन ग्रन्थ होते हैं, अथवा अनेक रचनाओं को एकत्र कर लिया जाता है, बाद में उन सबको एकसाथ बड़े ग्रन्थ के रूप में सिलवा लिया जाता है । इन सिले ग्रन्थों का लिपिकाल प्रायः भिन्न-भिन्न ही होता है ।

कौनसा प्रकार कितना उपयोगी है, इसको समझने के लिए उसका उद्देश्य जानना जरूरी है ।

ऊपर जो प्रकार बताये गये हैं, उन्हें वस्तुतः दो बड़े वर्गों में रखा जा सकता है ।

(क) ग्रन्थ प्रकार

(1)

पत्रों के रूप में

(2)

जिल्ब के रूप में

1-खुले पत्रों के रूप में

पोथो

पोथी

गुटका

2-बीच में छेद वाले डोरी-बंधित युक्त

|

|

1-इनका प्रचलन सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से विशेष हुआ लगता है । जँनों के प्रतिरिक्त इसके पश्चात् अन्त-साधारण में और अन्यत्र यही रूप विशेष प्रचलित रहा । संख्या में सर्वाधिक यही मिलते हैं ।

लम्बाई-

लम्बाई-चौड़ाई

चौड़ाई

में लम्बाई

धराधर

अपेक्षाकृत

अधिक

इसका विशेष उद्देश्य—

विशेषताएँ :

पोथी : 1-घरू

(1) इनमें पृष्ठ-संख्या लगाने की पद्धति :

- (क) बायें हाथ की ओर हाशिये में सबसे ऊपर किन्तु 'थी गणेश' भाग से हटकर कुछ नीचे, तथा
- (ख) उती पन्ने के द्वितीय भाग (पृष्ठ 2) में दायें हाथ की ओर नीचे ।

2-सम्प्रदाय-पीठ, मन्दिर (एक शब्द में धार्मिक सत्सा विशेष)के लिए

3-पीठी के लिए-सांस्कृतिक रूप से भविष्य की पीठियों के लिए

पोथी : ऊपर दी गयी बातों के प्रतिरिक्त

(i) भेंटस्वरूप देने के लिए

(2) नाम लिखने की पद्धति

(क) जहाँ पृष्ठ सख्या लिखते थे उसके ठीक नीचे या ऊपर (सामान्यतः) रचना के नाम का प्रथम अक्षर (अपवादस्वरूप दो अक्षर भी) लिखते थे। ऐसा साधारणतः प्रथम पृष्ठ के बायें हाथ वाले अक्षर के साथ ही किया जाता था। दूसरे पृष्ठ के बायें हाथिये या दायें हाथिये में लिखी पृष्ठ सख्या के पास भी। या रचना नाम हाथियो (केवल बायें ही) के बीच में भी लिखे मिलते हैं।

(3) विशेष

(क) एक पन्ने की सख्या एक ही मानी जाती थी, आधुनिक पुस्तकों में लिखी पृष्ठ सख्या की भाँति दो नहीं।

(ख) पोथी, पोथी और गुटके में काम आने वाली पद्धति नीचे दी जा रही है।

(ii) बेचने के लिए

(iii) किसी के कहने पर दान में देने के लिए। किसी के कहने पर लिखी गयी या बनायी गयी पोथी भी इसी वर्ग में आयेगी

(iv) अपने लिए

गुटका उपयुक्त बातों के अतिरिक्त निम्न लिखित और

(i) पाठ के लिए

(ii) स्वाध्याय हेतु

कुछ ऐसी प्रथा थी कि गुटके को सामान्यतः किसी को दियाया या दिया नहीं जाता था। किन्तु ऐसी वर्जना उमी गुटके के लिए होती थी जिसमें धार्मिक भावना निहित होती थी जैसे उसका प्रब उपयोग होता था।

विशेष धन मदमें गुटके के दोनो रूप विशेष प्रचलित रहे।

कारण (1) मुविधा, (2) मजबूती एवं (3) संक्षेप लघु आकार। फलतः संकड़ी गुटके मिलते हैं। शेष दो रूप (पोथी एवं पोथी) भी मिलते हैं, पर अनेकाकृत कम।

विशेष उपयोगिता

इन सब कारणों के अतिरिक्त इनकी कुछ और उपयोगिताएँ भी थी, यथा—

1—राजस्थान के राजघराने में पठन-पाठन के लिए सग्रह के लिए।

2—राजपुत्र राजघराने से विशेष रूप से सम्बन्धित चारण आदि जातियों में परम्परा सुरक्षित रखना और व्यवसाय की प्रतिष्ठा के लिए।

3—भाटा में बहज में, गोद लेने पर, विशेष अवसर पर भेंट या प्रसन्नता के प्रतीक के रूप में दिये जाने के लिए।

4 नाथों में

5—जनों में—तथा,

6-घनिष्ठ मित्रों आदि में आपस में दिये जाते थे—उदाहरणार्थ—
(घर्म—भाई बनाते समय, घर्म—बहिन बनाते समय, पवित्र स्थानों में)
पोथी, पोथी, गुटका

इनमें भी पृष्ठ सख्या लगाने की पद्धति भी उपरिवत् है, प्रकार में यत्किञ्चित् भेद है। इन तीनों में ही 'लेजर' की भाँति 'फोलियो' सख्या रहती है। हमें फालिया शब्द ग्रहण कर लेना चाहिए।

पृष्ठ सख्या की पद्धति।

1. दायें पन्ने के ऊपर आरम्भिक पक्ति के बराबर या उससे कुछ नीचे सख्या दी जाती है। यही सख्या दायें पन्ने के दायें हाशिये के ऊपर इसी प्रकार लगाई जाती है। इनमें सख्या सामान्यतः ऊपर की ओर ही देने की परिपाटी रही है।
2. दूसरा रूप इस प्रकार है दायें पन्ने के ऊपर (उपरिवत्) तथा दायें पन्ने के दायें हाशिये में नीचे की ओर। यह पद्धति विशेष सुविधाजनक रहती है। एक ओर के किनारे नष्ट होने पर भी शेषांश बचा रहने पर इस सख्या का पता लगाया जा सकता है।
3. पृष्ठ सख्या (फोलियो सख्या से तात्पर्य है) पोथी, पोथी, गुटका आदि में कहाँ तक दी जाय, इसके लिए दो परिपाटियाँ रही हैं—
(क) आदि से लेकर बीच की सिलाई के दायें पन्ने तक।
(ख) आदि से लेकर अन्तिम पन्ने तक।
विशेष (ख) में दी गयी स्थिति में यदि अन्त में एक ही पन्ना हाँ और वह बायाँ हाँ सकता है, तो भी उसी ढंग से सख्या दी जाती थी। इसकी गणना ठीक उसी रूप में की जाती थी जिसमें शेष 'फालियो' की।
4. इनमें भी रचना का प्रथम अक्षर सख्या के नीचे लिखा रहना है किन्तु केवल दायें पन्ने की सरया के नीचे ही।
इन तीनों के विषय में ये बातें विशेष रूप से जागू होती हैं —
(क) यदि सकलन ग्रन्थ है, तो भिन्न रचना का नाम (उसका प्रथम अक्षर लिखा जायगा)।
(ख) यदि हरजस, पद आदि विषयक ग्रन्थ है (जो सकलन ही है) तो उसमें 'ह०' या 'भ०' (भजन), गी० (गीत) आदि लिखा मिलता है।
(ग) यदि एक ही रचना है, तो स्वभावतः उसी के नाम का प्रथम अक्षर लिखा जायगा।

सिलाई

1. पत्राकार पुस्तकों में
(क) सुलेपों के रूप में
(ख) बीच में छेद वाले रूप में

(क) खुले पन्नों वाली पुस्तक की तो सिलाई का प्रश्न नहीं उठता। पन्ने क्रमानुसार सजाकर किसी बस्ते में बाँधे जाते थे। पुस्तक के ऊपर-नीचे विशेषतः लकड़ी की और गौणत पत्तों के उसके पन्नों से कुछ बड़ी आकार की पटरियाँ लगा दी जाती थी। इससे पन्नों की सुरक्षा होती थी। इसकी भगवे, पीले या लाल रंग के वस्त्र से लपेट कर रखते थे। यह वस्त्र दो प्रकार का होता था—

(1) बुगचा—यह तीन ओर से सिला हुआ होता था, चौथे कोने में एक मजबूत डोरी भी लगी रहती थी। पटरियों सहित पुस्तक को इसमें रखकर डोरी से लपेट कर बाँध दिया जाता था।

(2) चौकोर वस्त्र—इस कपड़े से बाँध दिया जाता था।

(ख) बीच में छेद वाली खुले पन्नों की पुस्तकें अपेक्षाकृत कम मिलती हैं। प्रतीत होता है ताड़पत्र ग्रन्थों की यह नकलें हैं। इस प्रकार की हस्तप्रति में प्रत्येक पन्ने के दोनों ओर ठीक बीच में एक ही आकार प्रकार का फूल बना दिया जाता था। प्रत्येक में केवल एक पंसे (पुराने तबिये के पंसे) के बराबर रंगीन गोला बना रहता था। इन ग्रन्थों में पन्नों की लम्बाई चौड़ाई सावधानीपूर्वक एकसरी रखी जाती थी। सब ग्रन्थ लिखे जाने के बाद उसके पन्नों में छेद करके रेशमी या ऊन की डोरी उनमें पिरो दी जाती थी। इस प्रकार इन्हें बाँध कर रखा जाता था। ऐसे ग्रन्थ सामान्यतः दूसरों को देने के लिए न होकर धर्म के स्थान विशेष अथवा परिवार या व्यक्ति-विशेष के निजी संग्रह के लिए होते थे। इनके लिखने और रखने तथा प्रयुक्त करने में सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ती थी। व्यय भी अधिक होता था। यही कारण है कि ऐसे ग्रन्थ कम मिलते हैं।

2. पोथी, पोथी, गुटका

पुराने समय के जितने भी ऐसे ग्रन्थ देखने में आये हैं (डॉ० हीरालाल माहेश्वरी ने बीस हजार के लगभग ग्रन्थ देखकर यह निष्कर्ष निकाला है कि) वे सभी बीच से सिले हुए मिलते हैं। इनके दो रूप हैं—

1— एक-जैसे आकार के पन्नों को लेकर, उन्हें बीच से मोड़कर बीच से सिलाई की जाती थी,

2— क्रमशः (चौड़ाई की ओर से) घटते हुए आकार के पन्ने लगाना।

(1) ग्रन्थ के बड़ा होने के कारण या/तथा (2) लम्बाई अधिक होने के कारण ऐसा किया जाता था। उदाहरणार्थ—

पहले 100 पन्ने	1	फुट के
दूसरे 100 पन्ने	10	इंच (या 10" या 11") के
तीसरे 100 पन्ने	8	इंच के

ऐसे ग्रन्थ अपेक्षाकृत कम मिलते हैं, किन्तु यह पद्धति वैज्ञानिक है। ऐसे एक ग्रन्थ का उपयोग डॉ० हीरालाल माहेश्वरी ने डॉ० लिट्ठ की सौसिस में किया है।

(3) सिलाई मजबूत रेशमी या बहुधा सूत की बटी हुई डोरी से होती थी। गाँठ वाला अंश प्रायः इनके बीच में रिया जाता था। यदि ग्रन्थ घडा हुआ तो मजबूती

के लिए सिलाई के प्रत्येक छेद पर बागा पिरोने से पूर्व कागजो, गत्तो या चमडो का एक गोल आकार का भ्रश काटकर लगाते थे। ऐसा दोनो भ्रोर भी किया जाता था और एक भ्रोर भी किया जाता था। इसी को 'ग्रथि' कहते हैं। ज्ञातव्य है कि जिन ग्रन्थो मे लिपिकार की (या जिनके लिए वह तैयार किया गया है—उनकी) किसी प्रकार की धर्मभाधना निहित होती थी तो चमडे का उपयोग कभी नहीं किया जाता था।

ऐसे ग्रन्थो की सिलाई के सम्बन्ध मे दो बातें हैं :

(क) पहले सिलाई करके फिर ग्रन्थ लेखन करना,

(ख) पहले लिखकर फिर सिलाई करना। दूसरे के सम्बन्ध मे एक बात और है। मान लीजिए कभी-कभी प्रारम्भ के 10 बडे पन्नों पर रचना लिख ली गई। तत्पश्चात् और अधिक रचनाओं के लिखने का विचार हुआ और उनको भी लिखा गया। अब सिलाई मे प्रारम्भ के 10 बडे पन्ने दो भागो मे विभक्त होंगे। प्रथम 5 का भ्रश आदि मे रहेगा और शेषांश सिलाई के मध्यभाग के पश्चात्। अतः यदि किसी ग्रन्थ के आदि भाग मे कोई रचना अपूर्ण हो, और बाद मे उसी ग्रन्थ मे उसकी पूर्ति इस रूप मे मिल जाय तो प्रक्षिप्त नहीं मानना चाहिए।

3- आदि और अन्त के भाग मे (प्रायः विपम सख्या के - 5, 7, 9, 11) पन्ने अतिरिक्त लगा दिये जाते थे। इसके ये कारण थे :-

(क) मजबूती के लिए आदि और अन्त मे कुछ कोरे पन्ने रहने से लिखित पन्ने सुरक्षित रहते हैं।

(ख) यदि रचना पूरी न लिखी जा सकी हो तो सम्भावित छूटे हुए भ्रश को लिखने के लिए।

(ग) लिपिकार, स्वामी, उद्देश्य आदि से सम्बन्धित बातें लिखने के लिए, उदाहरणार्थ :-

(अ) कभी-कभी कोई ग्रन्थ बेचा भी जाता था। अन्त के पन्नों मे या कभी आदि के पन्नों मे भी उसका सन्दर्भ रहता था। गवाहो के भी नाम दिये जाते थे। बेचने की कीमत, मिति और सबद का उल्लेख होता था।

(ब) यदि भेंटस्वरूप दिया गया, तो भवसर का, स्थान का, कारण का उल्लेख रहता था।

इन व्यवहारो को सूचित करने के लिए भी कुछ पन्ने कोरे छोडे जाते थे।

इन छूटे हुए या अतिरिक्त कोरे पन्नों के सम्बन्ध मे ये बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं —

(क) यदि कोई रचना अधूरी रह गई, तो प्रायः उसकी पूर्ति प्रारम्भ के पन्नों से की जाती थी। ऐसा करने मे कभी-कभी आदि के भी तीन-चार या कम-बेशी पन्ने खाली रह जाते थे। हस्त-ग्रन्थो के विद्यार्थी और पाठक को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

- (ख) किसी रचना का वाद में मिला हुआ कोई अक्षर भी इनमें लिखा जाता था, भले ही ऐसा कम ही किया जाता था ।
- (ग) ग्रन्थ में जिस कवि/लेखक की रचना लिपिवद्ध होती थी, प्रायः उसकी कोई अन्य रचना वाद में मिलती थी तो वह भी इन पत्रों में लिखी जाती थी ।

शिलालेख प्रकार

ग्रन्थों के बाद हस्तलेखों की दृष्टि से शिलालेखों का स्थान प्राता है । शिलालेख भी कितने ही प्रकार के माने जा सकते हैं —

- 1 पर्वतांश पर लेख (पर्वत में लेखन-योग्य स्थान देखकर उसे ही लेखन-योग्य बनाकर शिला-लेख प्रस्तुत किया जाता है ।) ये शिला-लेख एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाये जा सकते ।
- 2 गुफाओं में पर्वतांश पर खुदे शिला लेख । ये भी ग्रन्थों में नहीं ले जाये जा सकते ।
- 3 पर्वत से शिलाएँ काटकर उन पर अंकित लेख । ये शिलाएँ एक स्थान से दूसरे पर ले जायी जा सकती हैं ।
- 4 स्तम्भों या लाटों पर लेख ।

वर्णित विषय के आधार पर इन लेखों के कई भेद किए जा सकते हैं

- 1 राजकीय आदेश विषयक शिला-लेख ।
2. दान विषयक शिला-लेख ।
3. किसी स्थान निर्माण के अभिप्राय तथा काल के द्योतक शिला-लेख, तथा
- 4 किसी विशेष घटना के स्मरण-लेख ।

शिला-लेख सभी खुदे हुए होते हैं, किन्तु कुछ में खुदे अक्षरों में कोई काला पत्थर या सीसा (lead) या अन्य कोई पदार्थ-मसाला भरकर लेख प्रस्तुत किये जाते हैं । ऐसा विशेषतः सगरमर पर खुदे अक्षरों में किया जाता है ।

ये सभी इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं । पर्वतीय शिला-लेख अचल होते हैं, अतः इन शिला-लेखों की छाँपें पाण्डुलिपि-शाला में रखी जाती हैं । जो शिला-लेख उठाये जा सकते हैं वे मूल में ही ले जाकर हस्तलेखागार या पाण्डुलिपि-शाला में रखे जाते हैं ।

छाप लेना : इनकी छाप लेने की प्रक्रिया यहाँ दी जाती है । यह प० उदयशंकर शास्त्री के लेख से उद्धृत की जा रही है ।

प्रारम्भ में इन शिलालेखों को पढ़ने के लिये अक्षरों को देखकर उनकी नकल तैयार की जाती थी और फिर उन्हें पढ़ने का कार्य किया जाता था । इस पद्धति से अक्षर का पूरा स्वरूप पाठक के सामने नहीं आ पाता था, और इसीलिये कभी-कभी भ्रम भी हो जाया करता था । कभी-कभी पेरिस प्लास्टर की सहायता से भी छाँपें (Estampage) तैयार की गईं, पर उनमें अक्षरों की पूरी आकृति उभर नहीं पाती थी । अक्षरों की पूरी मोलाई, मोटाई, उसके घुमाव, फिराव के लिये यह आवश्यक है कि जिस स्थान (शिला अथवा स्तम्भ) पर वह उदकीर्ण हो उस पर छाप ली जाने वाली चीज पूरी तरह से

चिपक सके। इसके लिये अब सबसे सुविधाजनक कागज उपलब्ध है, जिसे भारत सरकार जूनागढ से मँगवाती है। लेख वाले स्थान को पहिले साफ पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लेना चाहिये ताकि अक्षरों में धूल, मिट्टी या धूर किसी तरह की कोई चीज भरी न रह जाय। फिर कागज को पानी में अच्छी तरह भिगोकर चिपका देना चाहिये, फिर उसे मुलायम ब्रूश से पीटना चाहिये, जिससे अक्षरों में कागज अच्छी तरह चिपक जाये। उसके बाद एक कपडा भिगोकर कागज के ऊपर लगा दें और उसे बड़े ब्रूश से पीट-पीट कर कागज को धूर चिपका दें। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि लेख पर कागज चिपकाते समय लेख और कागज के बीच में बुलबुले (Bubbles) न उठने पायें, और यदि उठ जायें तो उन्हें ब्रूश से पीट-पीटकर किनारे पर कर देना चाहिए अन्यथा अक्षर पर कागज ठीक चिपक न सकेगा। पीटते समय यदि कहीं से कागज फट जाये तो उससे ऊपर तुरन्त ही कागज का दूसरा टुकडा भिगोकर लगा देना चाहिये। थोडा पीट देने से कागज पहले वाले कागज में अच्छी तरह चिपक जायेगा। जब कागज अच्छी तरह से अक्षरों में धुम जाये तब ऊपर का कपडा उतार कर मुलायम ब्रूश से फिर इधर-उधर उठ गई फुटकियों को सुधार लेना चाहिये। अब थोडी देर तब कागज को हवा लगने छोड देना चाहिये जिससे कि कागज सूख जाये। फिर एक तश्तरी में कालिख (Black Japan) घोल कर डेबर की सहायता से लेख की पक्तियों पर क्रमशः लगा देना चाहिये। यह ध्यान रखना चाहिये कि किसी पक्ति पर घन्वा न आने पाये अन्यथा अक्षर धुँधला पड जायेगा और उसकी आवृत्ति स्पष्ट न हो सकेगी, कागज पर जब रोशनाई ठीक से लग जाये तब उसे सावधानी से उतार कर सुखा लेना चाहिये। प्राजकल कालिख को घोल कर लगाने के बजाय कोई-कोई सूखा ही लगाते है। पर उससे छाप (Estampage) में वह चमक नहीं आ पाती जो गीले काजल में आती है।

यह पद्धति उन लेखों के लिए है जो गहरे खोदे हुए होते हैं, पर उर्दू आदि के उभरे हुए लेखों के लिए अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है अन्यथा कागज फट जाने की बहुत सम्भावना रहती है।

साधारणतया छाप तैयार करने के लिए यह सामग्री अपेक्षित होती है—

1. तिरछे लम्बे ब्रूश (Bent bar Brush) 2।
2. एक गज सफेद हल्का कपडा।
3. स्याही घोलने के लिये तश्तरी।
4. एक डेबर (Dabbar) स्याही मिलाने के लिये।
5. एक डेबर ब्रडा (लेख पर स्याही लगाने के लिये)।
6. जूनागढी कागज (इसके अभाव में भी छाप लेने का काम मामूली कागज से लिया जा सकता है, पर कागज चिकना कम होना चाहिये)।
7. चाकू।
8. नापने के लिये कपडे का फीता या लोहे का फुटा (यदि यह सब सामान एक छोटे सन्दूक में रखा जा सके तो यात्रा में सुविधा रहेगी)।

भारतीय लिपियों व शिला-लेखों का अनुसन्धात करने वालों को अग्रलिखित साहित्य देखना चाहिये—

उपसंहार

P. 1172-1173

पाण्डुलिपि के कितने ही प्रकारों की विस्तृत चर्चा ऊपर की गयी है। इनमें नवियों एवं चिट्ठी पत्रियों का विस्तृत विवेचन नहीं किया गया। इनका विवेचन आधुनिक पाण्डुलिपि पुस्तकालयों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किन्तु यह विषय इतना विशद भी है कि प्रस्तुत पुस्तक के दूसरे खण्ड को जन्म दे सकता है।

यहाँ तक जितना विषय चर्चित हुआ है उतना स्वयमेव, एक पूरे विज्ञान का एक पूरा पक्ष प्रस्तुत कर देता है। अतः इतनी चर्चा ही इस अध्याय के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है।

□ □ □

लिपि - समस्या

महत्त्व :

पाडुलिपि-विज्ञान मे लिपि का बहुत महत्त्व है। लिपि के कारण ही कोई चिह्नित वस्तु हस्तलेख या पाडुलिपि कहलाती है। 'लिपि' किसी भाषा को चिह्नी मे बाँधकर दृश्य और पाठ्य बना देती है। इससे भाषा का वह रूप सुरक्षित होकर सहस्राब्दियो बाद तक पहुँचता है जो उस दिन या जिस दिन वह लिपिबद्ध किया गया। विश्व मे कितनी ही भाषाएँ हैं, और कितनी ही लिपियाँ हैं। पाडुलिपि विज्ञान के अध्येता के लिए और पाडुलिपि-विज्ञान-विद् बनने वालो के समक्ष कितनी ही लिपियो मे लिखी गयी पाडुलिपियाँ प्रस्तुत हो सकती हैं। पुस्तक की अन्तरंग जानकारी के लिए उन पुस्तको की लिपियो का कुछ ज्ञान अपेक्षित है। वस्तुतः विशिष्ट लिपि का ज्ञान उतना आवश्यक नहीं जितना उस वैज्ञानिक विधि का ज्ञान अपेक्षित है जिसे किसी भी लिपि की प्रकृति और प्रवृत्ति का पता चलता है। इस ज्ञान से हम विशिष्ट लिपि की प्रकृति और प्रवृत्ति जानकर अध्येता के लिए अपेक्षित पाडुलिपि का अन्तरंग परिचय दे सकते हैं। अतः लिपि का महत्त्व है, क्रिमी विशेष युग या काल के विशेष दिन की भाषा के रूप को पाठ्य बनाने के लिए सुरक्षित करने की दृष्टि से एव इसलिए भी कि इसी के माध्यम से पाडुलिपि-विज्ञानार्थी वैज्ञानिक विधि से पुस्तक के अन्तरंग का अपेक्षित परिचय निकाल सकता है, अतः आज भी लिपि का महत्त्व निर्विवाद है, वह चाहे पुरानी से पुरानी हो या अर्वाचीन।

लिपियाँ :

विश्व मे कितनी ही भाषाएँ हैं और कितनी ही लिपियाँ हैं। भाषा का जन्म लिपि से पहले होता है, लिपि का जन्म बहुत बाद में होता है। क्योंकि लिपि का सम्बन्ध चिह्नों से है, चिह्न 'अक्षर' या 'अल्फाबेट' कहे जाते हैं। ये भाषा की किसी ध्वनि के चिह्न होते हैं। अतः लिपि के जन्म से पूर्व भाषा भाषियो को भाषा के विश्लेषण मे यह योग्यता प्राप्त हो जानी चाहिये कि वे जान सकें कि भाषा मे ऐसी कुल ध्वनियाँ कितनी हैं जिनसे भाषा के सभी शब्दों का निर्माण हो सकता है। भाषा का जन्म वाक्य रूप में होता है। विश्लेषक बुद्धि का विकास होने पर भाषा को अलग-अलग अवयवों मे बाँटा जाता है। उन अवयवों मे फिर शब्दों को पहचाना जाता है। शब्दों को पहचान सकने की क्षमता विश्लेषक-बुद्धि के और अधिक विकसित होने का परिणाम होती है। 'शब्द' अर्थ से जुड़े रहकर ही भाषा का अवयव बनते हैं। संस्कृति और सभ्यता के विकास से 'भाषा' नये अर्थ, नयी शक्ति और क्षमता तथा नया रूपांतरण भी प्राप्न करती हैं। सशोधन, परिवर्द्धन, आगम, लोप और विपर्यय की सद्ग प्रक्रियाओं से भाषा दिन ब-दिन कुछ से कुछ होती चलती है। इस प्रक्रिया मे उसके शब्दों मे भी परिवर्द्धन आते हैं तदनुकूल अर्थ-विकार भी प्रस्तुत होते हैं। अथ 'शब्द' का महत्त्व हो उठता है। शब्द की इकाइयो से उनके 'ध्वनि-तत्त्व' तक सहज ही पहुँचा जा सकता है। यह आगे का विकास है। ध्वनियो के विश्लेषण से किसी भाषा की आधारभूत ध्वनियों का ज्ञान मिल सकता है। इस चरण पर आकर ही 'ध्वनि' (अव्य) को दृष्य बनाने के लिए चिह्न की परिकल्पना की जा सकती है।

भाषा बोलना घाने पर अपने समस्त अभिप्राय को व्यक्ति एक ऐसे वाक्य में बोलता

है जिसके भ्रवयवो में वह अन्तर नहीं करता होता है— यथा, वह कहता है—

(i) "मैं खाना खाता हूँ"

यह पूरा वाक्य उसने लिए एक इकाई है। फिर उसे जान होता है भ्रवयवो का। यहाँ पहले विकास के इस स्तर पर दो भ्रवयव ही हो सकते हैं, (i) 'मैं' तथा (ii) 'खाना खाता हूँ'। इस प्रकार उसे भाषा में दो भ्रवयव मिलते हैं—एक वह अन्य भ्रवयवो को भी पहचान सकता है। इन भ्रवयवों के बाद वह शब्दों पर पहुँचना है, क्योंकि जैसे वह अपने लिए 'मैं' को अलग कर सका वैसे ही वह साथ पदार्थ के लिए 'खाना' शब्द को भी अलग कर सका—एक वह जान गया कि मैंने चार शब्दों से यह वाक्य बनाया था—

1 2 3 4
(iii) मैं खाना खाता हूँ

सांस्कृतिक विकास से उसमें यह चेतना आती है कि ये शब्द ध्वनि-समुच्चय से बने हैं। इनमें ध्वनि-इकाइयों को अलग किया जा सकता है—यहीं ध्वनि में स्वर और व्यंजन का भेद भी समझ में आता है। अब वह विकास के उस चरण पर पहुँच गया है जहाँ अपनी एक एक ध्वनि के लिए एक-एक चिह्न निर्धारित कर वर्णमाला खड़ी कर सकता है। यही लिपि का जन्म होता है। हमारी लिपि में उक्त वाक्य के लिपि चिह्न ये होंगे :—मैं = म + ' + / खाना = ख + ' + ' + न + ' + / खाता = ख + ' + ' + त + ' + / हूँ = ह + ' + ' + ।

ये लिपि चिह्न भी हमें लिपि विकास के कारण इस रूप में मिले हैं।

चित्र-लिपि

विन्तु वर्णमाला से भी पहले लेखन या लिपि का आधार चित्र थे। चित्रों के माध्यम से मनुष्य अपनी बात ध्वनि निर्भर वर्णमाला से पहले से कहने लगा था। चित्रों का संबंध ध्वनि या शब्दों से नहीं बरन् वस्तु से होता है। चित्र वस्तु की प्रतिकृति होते हैं। भाषा—वह भाषा जिसका मूल भाषण या वाणी है, इस भाषा से पूर्व मनुष्य 'सकेतो' से काम लेता था। सकेत का अर्थ है कि मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है उसका सकेत कर उसके उपयोग को भी सकेत से बताता है—यदि वह लड्डू खाना चाहता है तो एक हाथ की पाँचों उंगलियों के पोरों को ऊपर ऐसे मिलायेगा कि हथेली और अंगुलियों के बीच ऐसा गोल स्थान हो जाय कि उसमें एक लड्डू समा सके, फिर उसे वह मुँह से लगायेगा—इसका अर्थ होगा—'मैं लड्डू खाऊँगा'। इसमें एक प्रकार से चित्र प्रक्रिया ही कार्य कर रही है। हाथ की आकृति लड्डू का चित्र है, उसे मुख से लगाना लड्डू को मुँह में रखने का चित्र है। भूँगों की भाषा चित्र सकेत-भाषा है।

मनुष्य ने चित्र बनाना तो आदिम से आदिम स्थिति में ही सीख लिया था। प्रतीत यह होता है कि उन चित्रों का वह आनुष्ठानिक टोने के रूप में प्रयोग करता था।

फिर वह चित्र बनाकर अन्य बातें भी दर्शित करने लगा। इस प्रयत्न से चित्र-लिपि का आरम्भ हुआ। इस प्रकार से देखा जाय तो चित्रलिपि का आधार वाणी, बोली या भाषा नहीं, वस्तुबिम्ब ही है। वस्तुबिम्ब को रेखाओं में अनुकृत करने से चित्र बनता है। आदिम अवस्था में ये रेखाचित्र स्थूल प्रतीक के रूप में थे। उसने देखा कि मनुष्य के सबसे ऊपर गोल सिर है, अतएव उसकी अनुकृति के लिए उसकी दृष्टि से चिह्न एक-वृत्त ○ होगा। यह सिर गरदन से जुड़ा हुआ है, गरदन कंधे से जुड़ी है। यह उसे एक '⊥' छोटी सीधी खड़ी रेखा-सी लगी। कंधा भी उसे पड़ी सीधी रेखा के समान दिखायी दिया

'—'। इसके दोनो छोरों पर दो हाथ जो कुहनी से मुड़ सकते हैं और छोर पर पाँच अँगुलियाँ अर्थात् प्रस्तुत चित्र।




घड़ को उसने दो रेखाओं से बने डमरू के रूप में समझा क्योंकि कमर पतली, वक्ष और उर चौड़े \times = घड़। कभी कभी घड़ को वर्गाकार या आयताकार भी बनाया। नीचे पंर \times और टागे। इन्हें बनाने के लिए दो घाड़ी खड़ी रेखाएँ '//' और एक दिशा में मुड़े पंर की छोटक दो पड़ी रेखाएँ '—' '—'। मानव के बिम्ब की रेखातुकृति ने यह रूप लिया



(चित्र-1)


वह रेखा-चित्र तो प्रक्रिया को समझाने के लिए है

यह रेखाकन की प्रक्रिया है जिसमें चित्र बनाये वाले की कुशलता से रूप में भिन्नता आ सकती है पर जो भी रूप होगा, वह स्पष्टत से उस वस्तु का बिम्ब प्रस्तुत करेगा, यथा-



(चित्र-2)

आदिम मानव ने बनाये चित्र हैं। वर्गाकार छड़ दृष्टव्य है।



(चित्र-3)

चित्रलिपि में मनुष्य के विविध रेखाकन सिन्धुपाटी की मुहरों की छापो से नीचे दिये गए हैं। ये वास्तविक लिपि-चिह्न हैं।

भागते कुत्ते की बताने के लिए वह कुत्ते को भागने की मुद्रा में रेखांकित करने का प्रयत्न करेगा। भले ही उसके पास अभी कुत्ते के लिए बाणी या भाषा में कोई शब्द न हो, न भागने के लिए ही कोई शब्द ही। चित्रलिपि इस प्रकार भाषा के जन्म से पूर्व की संकेत लिपि की स्थानापन्न हो सकती थी। चित्रलिपि के लिए केवल वस्तुविम्ब अपेक्षित था।

इतिहास से भी हमें यही विदित होता है कि चित्रलिपि ही सबसे प्राचीन लिपि है। आनुष्ठानिक टोने के चित्रों से आगे बढ़कर उसने चित्रलिपि के माध्यम से वस्तुविम्बों की रेखांकनियाँ पैदा की तथा आनुष्ठानिक उत्तराधिकार में देवी-देवताओं के कल्पित मूर्तरूपों या विम्बों की अनुकृतियों का उपयोग भी किया। मिस्र की चित्रलिपि इसका एक अच्छा उदाहरण है। हमारे सम्बन्ध में 'एनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ रिलीजियस एण्ड ऐथिक्स' में उल्लेख है कि चित्रमय प्रत्याभिव्यक्ति अपने आप में अभिव्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने में प्रगमथं थी। अभिव्यक्ति की यह प्रतिबन्धना विचार और भाषा के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इन प्रतिबन्धनाओं के कारण बहुत पहले ही चित्रमय प्रत्याभिव्यक्ति दो भिन्न शाखाओं में बँट गयी। एक मजाबटी कला और दूसरी चित्राक्षरिक लेखन (जर्नल ऑफ़ ईजिप्ट, आर्क्योलॉजी, II [1915], 71-75)। इन दोनों शाखाओं का विकास साथ-साथ होना गया और एन-दूमरे में मिलकर भी निरन्तर विकास में सहायक होनी गई। कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि एक ने दूसरे के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप किया।¹

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दो प्रक्रियाओं के योग से मिस्र की प्राचीन लिपि अपना रूप ग्रहण कर रही थी। चित्रों से विकसित होकर ध्वनि के प्रतीक के रूप में लिपि का विकास एक जटिल प्रक्रिया का ही परिणाम हो सकता है। कारण स्पष्ट है कि 'चित्र' दृश्य वस्तुविम्ब से जुड़े होते हैं। इन वस्तुविम्बों का ध्वनि से सीधा सम्बन्ध नहीं होता है। वस्तु को नाम देने पर चित्र ध्वनि से जुड़ता है। पर नाम कई ध्वनियों से युक्त होता है, इधर ध्वनि-समुच्चय में से एक ध्वनि-विशेष को उस वस्तुविम्ब के चित्र में जोड़ना और चित्र का विकास वर्ण (letter) के रूप में होना, - इतना हो चुकने पर ही ध्वनि और लिपि वर्ण परस्पर सम्बद्ध हो सकेंगे और 'लिपि-वर्ण' घागे चलकर मात्र एव ध्वनि का प्रतीक हो सकेगा। यह तो हम विकास का बहुत स्थूल विवरण है। वस्तुतः इन प्रक्रियाओं के अन्तर्ग में जितनी ही जटिलताएँ गुँधी रहती हैं।

पर आज तो सभी भाषाएँ 'ध्वनि मूत्रक' हैं किन्तु पाण्डुलिपि वैज्ञानिक को तो कभी प्राचीनतम लिपि का या कभी लिपि के पूर्व रूप का सामना करना पड़ सकता है। उसके सामने मिस्र के पेपीयस का सामने है। माप ही भाग्य में 'सिन्धु लिपि' के लेख माना तो बड़ी बात नहीं। सिन्धु की एक विशेष सम्पत्ता और सस्कृति स्वीकार की गयी है। नये अनुसन्धानों से 'सिन्धु सभ्यता' के स्थल राजस्थान एव मध्य भारत तथा अन्यत्र भी मिल रहे हैं और उनकी लिपि के लेख भी मिल रहे हैं। तो ये लेख कभी भी पाण्डुलिपि-वैज्ञानिक

1. The inability of pictorial representation, as such, to meet all the exigencies of expression imposed by thought and language early led to its bifurcation into the two separate branches of illustrative art and the clyptic writing (*Journal of Egypt Archaeology*, II [1915] 71-75) These two branches pursued their development *pari passu* and in constant combination with one another, and it not seldom happened that one of them encroached upon the domain of its fellow

के सामने आ सकते हैं। अतः यह अपेक्षित है कि यह विश्व में लिपियों के उद्भव व विकास के सिद्धान्तों से परिचित हो।


चित्र

आदिम मानव ने पहले चित्र बनाए। चित्र उसने गुफाओं में बनाए। गुफाओं में ये चित्र भोंवरे स्थान में गुफा की भित्ति पर बनाये हुए मिलते हैं। इन चित्रों में वस्तु-बिम्ब को रेखाओं के द्वारा अंकित किया गया है। आदिम मानव के ये चित्र 20,000 ई. पू से 4000 ई पू के बीच के मिलते हैं।

इन चित्रों को बनाते-बनाते उसमें यह भाव विकसित हुआ होगा कि इन चित्रों से वह अपनी किसी बात को सुरक्षित रख सकता है और ये चित्र परस्पर किसी बात के सम्प्रेषण के उपयोग में लिए जा सकते हैं। इस धोष के साथ चित्रों का उपयोग करने से ही वे चित्र 'लिपि' का काम देने लगे। यह लिपि 'बिम्ब-लिपि' थी। कई वस्तु-बिम्बों को एक क्रम में प्रस्तुत कर, उनसे उनमें निहित गति या कार्य से भाव को व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया। यह बिम्ब लिपि चित्रलिपि की आधारभूमि मानी जा सकती है।


जब मानव बहुत-सी बातें कहना चाहता था, वह उन्हें उस माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता था, जो चित्रों के आभास से उसे मिल गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि वस्तु-बिम्ब छोटे बनाए जाने लगे, जिससे बहुत-से बिम्ब-चित्र सीमित स्थान में आ सकें और उसकी विस्तृत बात को प्रस्तुत कर सकें।

अतः लेखन और लिपि के लिए प्रथम चरण है 1. बिम्ब अंकन
देखिए—ये चित्र¹



द ला ग्रेज जगली बेल (प्रस्तर युग)

1 यह चित्र 30,000 से 10,000 ई० पू० के हैं। Much research in this field has been done in recent years, and we now have a fairly definite knowledge of the art of some of the most primitive of men known to the anthropologist (from 30 000 to 10,000 B C)
—The Meaning of Art, p. 53



बुशमैन-चित्र, दो शालीबद्ध हिरण,
स्रण्डवर्ग, दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका



‘बनियावेरी गुफा’ (पचमढी-क्षेत्र) में शो-मॉर्फिक के ऊपर प्राकृत स्वस्तिकक दृष्या

और दूसरा चरण है उससे संप्रेषण का काम लेना। इसे हम—

2 बिंब लिपि का नाम दे सकते हैं।

इस चित्र से स्पष्ट है कि स्वस्तिव पूजा और छत्र अर्पण के पूरे शान्तिमय भाव को प्रेषित करने के लिए पूजा भाव में पशुओं के आदर के समावेश की कथा को और पूजा-विधान को हृदयगम कराने के लिए चित्र लेखक इस चित्र के द्वारा बिम्बों से संप्रेषित करना चाहता है। अतः यह लिपि का काम कर उठा है। यह लिपि ध्वनियों की 'नहीं, बिम्बों की है। छत्रधारी मनुष्य कितने ही हैं, अतः वे लघु आकृतियों में हैं।

'बिम्ब' धीरे-धीरे रेखाकारों के रूप में परिवर्तित हो उठता है। तब हम इसे


3 रेखाकार चित्र लिपि कह सकते हैं।



महनर्तक, जम्बूद्वीप (पश्चिमि)

धारोही नर्तक, कुप्पगल्लु
(बेलारी, रायचूर, द०भा०)

4—तब, धारो बिम्ब-लिपि और रेखाचित्र-लिपि के संयोग से 'चित्रलिपि' प्रस्तुत हुई।



[ऐरिजोना(अमेरिका) में प्राप्त चित्र लिपि, जो प्राचीनतम लिपियों में से एक है]

'चित्रलिपि' में प्रायः रेखाकारों में छोटे-छोटे चित्रों द्वारा संप्रपण सिद्ध होता था। इसी लिपि का नाम 'हिम्नरोग्लाफिक' लिपि है। यह मिस्र की पुरातन लिपि है। कॅसीफोनिया और एरिजोना में भी चित्र लिपि मिली है। ये भी प्राचीनतम लिपियाँ मानी जाती हैं। ऐस्कियो जाति और अमेरिकन इण्डियनों की चित्र लिपि को ही सबसे प्राचीन माना जाता है।

मिस्र के अलावा हिट्टाइट, माया (मय ?) और प्राचीन फ्रीट में भी चित्रलिपि या हिम्नरोग्लाफ मिले हैं।

हिम्नरोग्लाफ का अर्थ मिस्री-भाषा में होता है, 'पवित्र अक्षर', इसे यूनानियों ने 'देवी शब्द' (Gods Words) भी कहा है। स्पष्ट है कि इस लिपि का उपयोग मिस्र में धार्मिक अनुष्ठानों में होता रहा होगा।

इस चित्रलिपि का मिस्र में उदय 3100 ई० पू० से पहले हुआ होगा।

पहले विविध वस्तु बिम्बों के रेखाकारों को एकसाथ ऐसे सजोया गया कि उसका 'कथ्य-दृश्य' पाठक की समझ में आ जाय। इसमें जन जन द्वारा मान्य बिम्ब लिए गये। ये चित्रलिपि कभी-कभी बहुत निजी उद्भावना भी हो सकती है, इस स्थिति में ऐसे चित्र प्रस्तुत किये जाते हैं जिनकी आकृतियाँ सर्वमान्य नहीं होती।

फिर भी, इस भाषा में अधिकांश बहुमान्य बिम्ब आकृतियों का उपयोग ही होता है। इन्हीं के कारण यह लिपि इस रूप में आगे विकास कर सकी।

पहली स्थिति में एक बिम्ब चित्र उस वस्तु का ही ज्ञान कराता था, जैसे '⊙' यह बिम्बाकार सूर्य के लिए गृहीत हुआ। मनुष्य एक घुटने पर बैठा, एक घुटना ऊपर उठा हुआ और मुँह पर लगा हुआ हाथ—इस आकृति का अर्थ था 'भोजन करना'।

इसका विकास इस रूप में हुआ कि वही पहला चित्र एक वस्तु बिम्ब का अर्थ न देकर उसी से सम्बद्ध अन्य अर्थ भी देने लगा—जैसे ⊙ इसका अर्थ केवल सूर्य नहीं रहा, वरन् सूर्य का 'देवता' रे (Re) या रा (Ra) भी हो गया और 'दिन' भी। इसी प्रकार 'मुख पर हाथ' वाली मानवाकृति का एक अर्थ 'चुप' भी हुआ। स्पष्ट है कि इस विकास में सुवर्णाकृति वस्तुबिम्ब के अर्थों से हटकर प्रतीक का रूप ग्रहण कर रहे विदित होते हैं।

वे बाद में इस चित्रलिपि के चित्राकार ध्वनि प्रतीकों का काम देने लगे।

इस अवस्था में चित्रों के माध्यम से मनुष्य जो भी अभिव्यक्त कर रहा था, वह भाषा का ही प्रतिरूप था। प्रत्येक चित्रकार के लिए एक बिम्ब चित्र एक शब्द था। कुछ चित्राकार जब व्यंजन-ध्वनियों के प्रतीक बने तो वे उस शब्द के प्रथमाक्षर की ध्वनि से जुड़े रहे। जैसे 'शृङ्गीसर्प'¹ के लिए शब्द था 'पत' (ft)। इसी प्रथम ध्वनि 'फ' से यह 'शृङ्गीसर्प' जुड़ा रहा। अर्थात् 'शृङ्गीसर्प' अब 'फ' व्यंजन की ध्वनि के लिए 'वर्ण' का काम कर उठा था।

इस प्रकार हमने देखा कि हम विकास में 'लिपि', जिसका अर्थ है 'ध्वनि-प्रतीक' वाली वर्णमाला, ऐसी लिपि को और हम दो कदम आगे बढ़ें।

5 प्रतीक चित्राकृति—चित्रलिपि में आये स्थूल चित्र जब प्रतीक होकर उस मूल बिम्बाकृति द्वारा उससे सम्बन्धित दूसरे अर्थ भी देने लगे तब वह प्रतीक अवस्था में पहुँची।

1. शृङ्गीसर्प=सींग वाला साँप।



अब चित्रलिपि के चित्र केवल चित्र ही नहीं रहे, वे प्रतीक हो गए । इसे भावमूलक या (diographic) भी कहा जाता है । ये ही भागे विकसित होकर — 6. ध्वनि प्रतीक हो गए । अब 'शृङ्गीसर्प', शृङ्गीसर्प नहीं रहा वह वर्णमाला की व्यंजन ध्वनि 'क' का चिह्न हो गया । इस प्रकार चित्रलिपि ध्वनि की वर्णमाला को और अग्रसर हुई । किन्तु, चित्र ध्वनि-प्रतीक बने, अपने चित्र रूप को उसने फिर भी कुछ काल तक सुरक्षित रखा, पर अब तो वे लिपि का रूप ग्रहण कर रहे थे । अतएव अधिकाधिक उपयोग में आने के कारण उनकी आकृति में भी विकास हुआ । अब एक मध्यावस्था आयी । इसमें चित्र भी रहे, और चित्रों से विकसित वे ध्वनि-प्रतीक भी सम्मिलित हुए जो चित्रों से वर्ण-चिह्नों के रूप में परिणत हो रहे थे ।

इसी वर्ग में वह भाषा भी आती है जिसमें वर्णमाला न होकर शब्द-माला होती है, और उन्हीं से अपने विविध भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द-रूप बनाये जाते हैं ।

7 अब वह विकसित स्थिति आयी जहाँ 'चित्र' पीछे छूट गये, ध्वनि-चिह्न मात्र काम में आने लगे । अब लिपि पूर्णतः ध्वनि-मूलक हो गयी ।

ध्वनिमूलक वर्णमाला के दो भेद होते हैं :

एक—अक्षरात्मक (Syllable)

दूसरी—वर्णात्मक (alphabetic)

देवनागरी वर्णमाला अक्षरात्मक है क्योंकि 'क' = 'क + अ', अतः यह अक्षर या Syllabic है । रोमन वर्णमाला वर्णात्मक है क्योंकि K = क् जो वर्ण या (alphabet) है । हिन्दी की 'क' ध्वनि के लिए रोमन वर्ण K में a मिलाना होता है : क = Ka । इसमें 'a' = अ ।

आज विश्व में हमें तीन प्रकार की लिपियाँ मिलती हैं —


एक—वे जिनमें एक लिपि-चिह्न एक शब्द का द्योतक होता है ।

यह चित्र लिपि का अवशेष है या प्रतिस्थानापन्न है ।

दूसरी—वे, जो अक्षरात्मक हैं, तथा

तीसरी—वे जो वर्णात्मक हैं ।

पर, ऐसा नहीं मान लेना चाहिये कि चित्रलिपि का उपयोग अब नहीं होता । अमरीका की एक आदिम जाति की चित्रलिपि का एक उदाहरण डॉ० भोलानाथ तिवारी ने अपने ग्रन्थ में दिया है—



चित्र लिपि (रेड इन्डियन सरदार का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पत्र)

हमने यहाँ चित्र से चलकर ध्वनि-मूलक लिपियों तक के विकास की चर्चा अत्यंत सक्षेप में और अत्यन्त स्थूल रूप में की है, ऐसा हमने यह जानने के लिए किया है कि लिपि-विकास की कौन-कौनसी स्थितियाँ रही हैं और उनसे लिपि विकास के कौन-कौनसे स्थूल सिद्धान्तों का ज्ञान होता है। वस्तुतः पाण्डुलिपि-वैज्ञानिक के लिए लिपि-विवास को जानना केवल इसीलिए अपेक्षित है कि इससे विविध लिपियों से परिचित होने में और किसी भी लिपि के उद्घाटन में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहायता मिल सकती है।

इस दृष्टि से कुछ और बातें भी जानने योग्य हैं। यथा, एक यह कि लिपियाँ सामान्यतः तीन रूपों में लिखी जाती हैं—(1) दायें से बायीं और—जैसे फारसी लिपि (2) बायें से दायीं और जैसे, देवनागरी या रोमन, और (3) ऊपर से नीचे की ओर—यथा, 'चीनी' लिपि। किसी भी अज्ञात लिपि के उद्घाटन (decipher) या पठन के लिए यह जानना प्रथम आवश्यकता है कि वह लिपि दायें से बायें, बायें से दायें या ऊपर से नीचे की ओर लिखी गयी है। वस्तुतः यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन काल में मिस्र की चित्रलिपि में, और भारत की प्राचीन देवनागरी में हम दायें से बायें और बायें से दायें दोनों रूपों में लिखने के उदाहरण मिल जाते हैं, और एकाध ऐसे भी कि एक पंक्ति बायें से दायें और दूसरी दायें से बायें हो, पर आज यह ढूँढ किसी भी लिपि में शेष नहीं रह गया। हाँ, प्राचीनकाल की लिपि को पढ़ने के लिए लिपि के इस रूप को भी ध्यान में रखना होगा।

अज्ञात लिपियों को पढ़ने (उद्घाटन) के प्रयास

हम यह जानते हैं कि हिन्दी की वर्णमाला या लिपि का विकास अशोक कालीन लिपि से हुआ। आज भारत के पुरातत्त्व-वेत्ताओं में ऐसे लिपि-ज्ञाता हैं जो भारत में प्राप्त सभी लिपियों को पढ़ सकते हैं। हाँ, 'सिन्धु-लिपि' अब भी अपवाद है। इसे पढ़ने के कितने ही प्रयत्न हुए हैं पर सभी सुभाव के या प्रस्ताव के रूप में ही हैं। किन्तु एक समय ऐसा भी था कि प्राचीन लिपियों को पढ़ने वाला कोई था ही नहीं। फिरोजशाह तुगलक ने एक विशाल अशोक-स्तम्भ मेरठ से दिल्ली मगवाया कि उस पर खुदा लेख पढ़वाया जा सके। पर कोई उसे नहीं पढ़ सका। वह उसने एक भवन पर खड़ा कर दिया। इन स्तम्भों को कहीं-कहीं सालबुझकड़ लोग भीम का गिल्ली डण्डा प्रादि भी बताने देते थे। लिपियों के सम्बन्ध में यह अन्धकार-युग था। फिर आधुनिक युग में भारत की लिपियों को कैसे पढ़ा जा सका। इसका रोचक विवरण मुनि जिनविजय जी के शब्दों में पढ़िये—

“इस प्रकार विभिन्न विद्वानों द्वारा भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों विषयक ज्ञान प्राप्त हुआ और बहुत-सी वस्तुएँ जानकारी में आईं परन्तु प्राचीन लिपियों को स्पष्ट ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया था। अतः भारत के प्राचीन इतिहासिक ज्ञान पर अभी भी अन्धकार का आवरण ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। बहुत से विद्वानों ने अनेक पुरातन सिक्कों और शिलालेखों का सग्रह तो प्रवश्य कर लिया था परन्तु प्राचीन लिपि-ज्ञान के अभाव में वे उस समय तक उसका कोई उपयोग न कर सके थे।

भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के प्रथम अध्याय का वास्तविक रूप में आरम्भ 1837 ई० में होता है। इस वर्ष में एक नवीन नक्षत्र का उदय हुआ जिससे भारतीय पुरातत्त्व विद्या पर पड़ा हुआ पर्दा दूर हुआ। ऐशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के दिन से

1834 ई० तक पुरातत्व सम्बन्धी वास्तविक काम बहुत थोड़ा हो पाया था, उस समय तक केवल कुछ प्राचीन ग्रन्थों का अनुवाद ही होता रहा था। भारतीय इतिहास के एक मात्र सच्चे साधन रूप शिलालेखों सम्बन्धी कार्य तो उस समय तक नहीं के बराबर ही हुआ था। इसका कारण यह था कि प्राचीन लिपि का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना अभी बाकी था।

ऊपर बतलाया जा चुका है कि संस्कृत भाषा सीखने वाला पहला अंग्रेज चार्ल्स विल्किन्स था और सबसे पहले शिलालेख की ओर ध्यान देने वाला भी वही था। उसी ने 1785 ई० में दीनाजपुर जिले में बदाल नामक स्थान के पास प्राप्त होने वाले स्तम्भ पर उत्कीर्ण लेख को पढ़ा था। यह लेख बंगाल के राजा नारायणलाल के समय में लिखा गया था। उसी वर्ष में, राधाकांत शर्मा नामक एक भारतीय पण्डित ने टोमरा वाले दिल्ली के प्रशोक स्तम्भ पर खुदे हुए अजमेर के चौहान राजा अनलदेव के पुत्र बीसलदेव के तीन लेखों को पढ़ा। इनमें से एक लेख की भित्ति 'संवत् 1220 बंशाल सुदी 5' है। इन लेखों की लिपि बहुत पुरानी न होने के कारण सरलता से पढ़ी जा सकी थी। परन्तु उसी वर्ष जे० एच० हेरिग्टन ने बुद्धगया के पास वाली नागार्जुनी और बराबर की गुफाओं में से मौखरी वंश के राजा अनन्त वर्मा के तीन लेख निकलवाये जो ऊपर वर्णित लेखों की अपेक्षा बहुत प्राचीन थे। इनकी लिपि बहुत अशो म गुप्तकालीन लिपि से मिलती हुई होने के कारण उनका पढ़ा जाना अति कठिन था। परन्तु, चार्ल्स विल्किन्स ने चार वर्ष तक कठिन परिश्रम करके उन तीनों लेखों को पढ़ लिया और साथ ही उसने गुप्त लिपि की लगभग आधी वर्णमाला का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया।

गुप्तलिपि क्या है, इसका थोड़ा सा परिचय यहाँ करा देता हूँ। आजकल जिस लिपि को हम देवनागरी (अथवा बालबोध) लिपि कहते हैं उसका साधारणतया तीन अवस्थाओं में से प्रसार हुआ है। वर्तमान काल में प्रचलित आकृति से पहले की आकृति फुटिल लिपि के नाम से कही जाती थी। इस आकृति का समय साधारणतया ईस्वीय सन् की छठी शताब्दी से 10 वीं शताब्दी तक माना जाता है। इससे पूर्व की आकृति गुप्त-लिपि के नाम से कही जाती है। सामान्यतः इसका समय गुप्त-वंश का राजत्त्वकाल गिना जाता है। प्रशोक के लेख इसी लिपि में लिखे गये हैं। इसका समय ईसा पूर्व 500 से 350 ई० तक माना जाता है।

सन् 1818 ई० से 1823 ई० तक कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताना के इतिहास की शोध-सोज करते हुए राजपूताना और काठियावाड़ में बहुत-से प्राचीन लेखों का पता लगाया। इनमें से सातवीं शताब्दी से पन्द्रहवीं शताब्दी तक के अनेक लेखों को तो उन कर्नल साहब के गुरु यति ज्ञानचन्द्र ने पढ़ा था। इन लेखों का सारांश अथवा अनुवाद टॉड साहब ने अपने 'राजस्थान'¹ नामक प्रसिद्ध इतिहास में दिया है।

सन् 1828 ई० में वी० जी० बेविंग्टन ने मागलपुर के बिनने ही संस्कृत और तामिल लेखों को पढ़कर उनकी वर्णमाला तैयार की। इसी प्रकार बाल्टर इलियट ने प्राचीन कनाड़ी प्रक्षरों का ज्ञान प्राप्त करके उसकी विस्तृत वर्णमाला प्रकाशित की।

ईस्वी सन् 1834 में केप्टेन ट्रॉयर ने प्रयाग के प्रशोक स्तम्भ पर उत्कीर्ण गुप्त-वंशी राजा समुद्रगुप्त के लेख का बहुत-सा अंश पढ़ा और फिर उमी वंश में डॉ० मिले ने

1. इसका वास्तविक नाम है—एनल्स एण्ड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान।

उस सम्पूर्ण लेख को पढ़कर 1837 ई० में मिटारी के स्तम्भ वाला स्कन्दगुप्त का लेख भी पढ़ लिया ।

1835 ई० में डब्ल्यू एम. वॉथ ने बलभी के कितने ही दानपत्रों को पढ़ा ।

1837-38 ई० में जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली, कुमाऊँ और ऐरन के स्तम्भों एवं अमरावती के स्तूपों तथा गिरनार के दरवाजों पर खुदे हुए गुप्तलिपि के बहुत-से लेखों को पढ़ा ।

साँची-स्तूप के चन्द्रगुप्त वाले जिस महत्त्वपूर्ण लेख के सम्बन्ध में प्रिंसेप ने 1834 ई० में लिखा था कि, 'पुरातत्त्व के अभ्यासियों को अभी तक भी इस बात का पता नहीं चला है कि साँची के शिलालेखों में क्या लिखा है ।' उसी विशिष्ट लेख को यथार्थ अनुवाद सहित 1837 ई० में प्रयुक्त करने में वही प्रिंसेप साहब सम्पूर्णतः सफल हुए ।

अब, बहुत-सी लिपियों की आदि जननी ब्राह्मी लिपि की बारी आती । गुप्तलिपि से भी अधिक प्राचीन होने के कारण इस लिपि को एकदम समझ लेना कठिन था । इस लिपि के दर्शन तो शोधकर्त्ताओं को 1795 ई० में ही हो गये थे । उसी वर्ष सर चार्ल्स मैलेट ने एलोरा की गुफाओं के कितने ही ब्राह्मी लेखों की नकलें सर विलियम जम्स के पास भेजी । उन्होंने इन नकलों को मेजर विल्फोर्ड के पास, जो उस समय काजी में थे, इसलिए भेजा कि वह इनको अपनी तरफ से किसी पण्डित द्वारा पढ़वावें । पहले तो उनको पढ़ने वाला कोई पण्डित नहीं मिला, परन्तु फिर एक चालाक ब्राह्मण ने कितनी ही प्राचीन लिपियों की एक कृत्रिम पुस्तक बेचारे ज्ञानाम्बर साहब को दिखलाई और उन्हीं के आधार पर उन लेखों को गलत-सलत पढ़कर खूब दक्षिणा प्राप्त की । विल्फोर्ड साहब ने उस ब्राह्मण द्वारा कल्पित रीति से पढ़े हुए उन लेखों पर पूर्ण विश्वास किया और उसके समझाने के अनुसार ही उनका अंग्रेजी में भाषान्तर करके सर जेम्स के पास भेज दिया । इस सम्बन्ध में मेजर विल्फोर्ड ने सर जेम्स को जो पत्र भेजा उसमें बहुत उत्सुकतापूर्वक लिखा है कि "इस पत्र के साथ कुछ लेखों की नकलें उनके सारास्य सहित भेज रहा हूँ । पहले तो मैंने इन लेखों के पढ़े जाने की आशा बिल्कुल ही छोड़ दी थी, क्योंकि हिन्दुस्तान के इस भाग में (बनारस की तरफ) पुराने लेख नहीं मिलते हैं, इसलिए उनके पढ़ने की कला में बुद्धि का प्रयोग करने अथवा उनकी शोध-खोज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । यह सबकुछ होते हुए भी और मेरे बहुत-से प्रयत्न निष्फल चले जाने पर भी अन्त में सौभाग्य से मुझे एक वृद्ध गुरु मिल गया जिसने इन लेखों को पढ़ने की कुञ्जी बताई और प्राचीनकाल में भारत के विभिन्न भागों में जो लिपियाँ प्रचलित थी उनके विषय में एक संस्कृत पुस्तक मेरे पास लाया । निस्सन्देह, यह एक सौभाग्य सूचक शोध हुई है जो हमारे लिए भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी ।" मेजर विल्फोर्ड की इस 'शोध' के विषय में बहुत वर्षों तक किसी को कोई सन्देह नहीं हुआ क्योंकि सन् 1820 ई० में खड्गारि के द्वार पर इसी लिपि में लिखे हुए लेख के सम्बन्ध में स्टालिंग ने लिखा है कि "मेजर विल्फोर्ड ने प्राचीन लेखों को पढ़ने की कुञ्जी एक विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त की और उनकी विद्वत्ता एवं बुद्धि से इलोरा व शालेसेट के इसी लिपि में लिखे हुए लेखों के कुछ भाग पढ़े गये । इसके पश्चात् दिल्ली तथा अन्य स्थानों के ऐसे ही लेखों को पढ़ने में उस कुञ्जी का कोई उपयोग नहीं हुआ, यह शोचनीय है ।"

सन् 1833 ई० में मि० प्रिंसेप ने सही कुञ्जी निकाली । इससे लगभग एक वर्ष

पूर्व उन्होंने भी मेजर विल्फोर्ड की कुञ्जी का उपयोग न करने की बाबत दुःख प्रकट किया था। एक शोधकर्ता जिज्ञासु विद्वान को ऐसी बात पर दुःख होना स्वाभाविक भी है। परन्तु उस विद्वान ब्राह्मण की बताई हुई कुञ्जी का अधिक उपयोग नहीं हुआ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार शोध-खोज के दूसरे कामों में मेजर विल्फोर्ड की श्रद्धा का श्राद्ध करने वाले चालाक ब्राह्मण के धोखे में वे भ्रा गये इसी प्रकार इस विषय में भी वही बात हुई। कुछ भी हुआ हो, यह तो निश्चित है कि मेजर विल्फोर्ड के नाम से बहलाने वाली सम्पूर्ण खोज भ्रमपूर्ण थी। क्योंकि उनका पढ़ा हुआ लेख-पाठ कल्पित था और तदनुसार उसका अनुवाद भी वैसे ही निर्मूलत था—युधिष्ठिर और पाण्डवों के वनवास एवं निर्जन जंगलों में परिभ्रमण की गथाओं को लेकर ऐसा गडबड-घोटाला किया गया है कि कुछ समझ में नहीं आता। उस धूर्त ब्राह्मण के बताए हुए ऊटपटांग ग्रंथ का अनुसंधान करने के लिए विल्फोर्ड ने ऐसी कल्पना बर ली थी कि पाण्डव अपने वनवासकाल में किसी भी मनुष्य के ससर्ग में न आने के लिए वचनबद्ध थे। इसलिए विदुर, व्यास आदि उनके स्नेही सम्बन्धियों ने उनको सावधान करने की सूचना देते रहने के लिए ऐसी योजना की थी कि वे जंगलों में, पत्थरों और शिलामों (चट्टानों) पर थोड़े-थोड़े और साधारणतया समझ में न आने योग्य वाक्य पहले ही से निश्चित की हुई लिपि में संकेत रूप से लिख-लिख कर अपनी उद्देश्य पूरा करते रहते थे। अंग्रेज लोग अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं और हसते-हसते दुनियाँ के दूसरे लोगों को ठगने की कला उनको याद है परन्तु वे भी एक बार तो भारतवर्ष की स्वर्गपुरी मानी जाने वाली काशी के 'वृद्ध गुरु' के जाल में फँस ही गये, अस्तु।¹

एशियाटिक सोसाइटी के पास दिल्ली और इलाहाबाद के स्तम्भों तथा खण्डगिरी के दरवाजों पर के लेखों की नकलें एकत्रित थीं, परन्तु विल्फोर्ड साहब की 'शोध' निष्फल चली जाने के कारण कितने ही वर्षों तक उनके पढ़ने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ। इन लेखों के मर्म को जानने की उत्कट जिज्ञासा की लिए हुए मिस्टर जेम्स प्रिंसेप ने 1834-45 ई० में इलाहाबाद, रघिया और मथिघा के स्तम्भों पर उत्कीर्ण लेखों की छापें भगवायी और उनको दिल्ली के लेख के साथ रखकर यह जानने का प्रयत्न किया कि उनमें कोई शब्द एक सरीखा है या नहीं। इस प्रकार उन चारों लेखों को पास-पास रखने से उनको तुरन्त ज्ञात हो गया कि ये चारों लेख एक ही प्रकार के हैं। इससे प्रिंसेप का उत्साह बढ़ा और उनकी जिज्ञासा पूर्ण होने की प्राणा बंध गई। इसके पश्चात् उन्होंने इलाहाबाद स्तम्भ के लेख के भिन्न-भिन्न आकृति वाले अक्षरों को अलग-अलग छांट लिया। इससे उनको यह बात मालूम हो गयी कि गुप्त लिपि के अक्षरों की भाँति इसमें भी कितने ही अक्षरों के साथ स्वरो की मात्राओं के भिन्न-भिन्न पाँच चिह्न लगे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने पाँचों चिह्नों को

1 ऐसी ही एक घटना इतिहास में नैपोलियन के समय में हुई थी। उस समय मिस्री फराऊनों की लिपि पढ़ने के प्रयास हो रहे थे। फ्रांस में शापोलियो नाम का विद्वान इस लिपि के 'उद्घाटन' में संलग्न था। इसी समय शापोलियो की एक पुस्तक 'मिनी' जिसके लेखक ने यह दावा किया था कि उसने लिपि पढ़ने की कुञ्जी ढूँढ ली है। पर वह कुञ्जी भी ठीक ऐसी ही काल्पनिक और निराधार थी जैसी काशी में 'वृद्ध गुरु' ने भारतीय लिपियों के लिए निवाली थी। शापोलियो ने उसकी पील तत्काल खोज दी थी अतः वहाँ वह छान इतने समय तक नहीं चल सका जितने समय तक भारत में चला।

एकत्रित करके प्रकट किया। इससे कितने ही विद्वानों का इन अक्षरों के यूनानी अक्षर होने सम्बन्धी भ्रम दूर हो गया।

अशोक के लेखों की लिपि को देखकर साधारणतया अंग्रेजी अथवा ग्रीक लिपि की भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है। टॉम कोरिएट नामक यात्री ने अशोक के दिल्ली वाले स्तम्भ-लेख को देखकर एत. व्हीटर को एक पत्र में लिखा था कि "मैं इस देश के दिल्ली नामक नगर में आया हूँ कि जहाँ पहले प्रसेक्वेण्डर ने हिन्दुस्तान के पोरस नामक राजा को हराया था और अपनी विजय की स्मृति में एक विशाल स्तम्भ खड़ा किया था जो आज भी यहाँ पर मौजूद है।" पादरी एडवर्ड टेरी ने लिखा है कि "टॉम कोरिएट ने मुझे कहा था कि उसने दिल्ली में ग्रीक लेख वाला एक स्तम्भ देखा था जो अलेक्जेंडर महान् की स्मृति में वहाँ पर खड़ा किया गया था।" इस प्रकार दूसरे भी कितने ही लेखकों ने इस लेख को ग्रीक लेख ही माना था।

उपर्युक्त प्रकार से स्वर-चिह्नों को पहचान लेने के बाद मि० जेम्स प्रिसेप ने अक्षरों के पहचानने का उद्योग आरम्भ किया। उन्होंने पहले प्रत्येक अक्षर को गुप्त लिपि के अक्षरों के साथ मिलाने और मिलते हुए अक्षरों की वर्णमाला में शामिल करने का क्रम अपनाया। इस रीति से बहुत-से अक्षर उनकी जानकारी में आ गये।

पादरी जेम्स स्टीवेन्सन ने भी प्रिसेप साहब की तरह इसी शोधन में अनुरक्त होकर 'क' 'ज' 'य' 'व' और 'व' अक्षरों को पहचाना और इन्हीं अक्षरों की सहायता से पूरे लेखों को पढ़कर उनका अनुवाद करने का मनोरथ किया, परन्तु कुछ तो अक्षरों की पहचान में भूल होने के कारण, कुछ वर्णमाला की अपूर्णता के कारण और कुछ इन लोगों की भाषा को संस्कृत समझ लेने के कारण यह उद्योग पूरा-पूरा सफल नहीं हुआ। फिर भी प्रिसेप को इससे कोई निराशा नहीं हुई। सन् 1835 ई० में प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ प्रो० लसेन ने एक प्रॉस्ट्रियन ग्रीक सिक्के पर इन्हीं अक्षरों में लिखा हुआ अँ गँ थाँ किलस का नाम पढ़ा। परन्तु 1837 ई० के आरम्भ में मि० प्रिसेप ने अपनी अलौकिक स्फुरणा द्वारा एक छोटा-सा 'दान' शब्द शोध निकाला जिससे इस विषय की बहुत-सी ग्रन्थियाँ एकदम सुलभ गईं। इसका विवरण इस प्रकार है। ई० स० 1837 में प्रिसेप ने साँची स्तूप आदि पर खुदे हुए कितने ही छोटे-छोटे लेखों की छापी को एकत्रित करके देखा तो बहुत-से लेखों के अन्त में दो अक्षर एक ही सरीखे जान पड़े और उनके पहले 'स' अक्षर दिखाई पड़ा जिसको प्राकृत भाषा की छठी विभक्ति का प्रत्यय (संस्कृत 'स्य' के बदले) मानकर यह अनुमान किया कि भिन्न-भिन्न लेख भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा किये हुए दानों के सूचक जान पड़ते हैं। फिर उन एक सरीखे दिखाने वाले और पहचान में न आने वाले दो अक्षरों में से पहले के साथ 'ग' (घा की मात्रा) और दूसरे के साथ 'ः' (अनुस्वार चिह्न) लगा हुआ होने से उन्होंने निश्चय किया कि यह शब्द 'दान' होना चाहिये। इस अनुमान के अनुसार 'द' और 'न' की पहचान होने से आधी वर्णमाला पूरी हो गयी और उसके आधार पर दिल्ली, इलाहाबाद, साँची, मेथिया, रथिया, गिरनार, धोरमी आदि स्थानों से प्राप्त अशोक के विशिष्ट लेख सरलतापूर्वक पढ़ लिये गये। इससे यह भी निश्चित हो गया कि इन लेखों की भाषा, जैसा कि अब तक बहुत-से लोग मान रहे थे, संस्कृत नहीं है वरन् तत्स्थानों में प्रचलित देश-भाषा थी (जो साधारणतया उस समय प्राकृत नाम से विख्यात थी)।

इस प्रकार ब्राह्मी लिपि का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके योग से भारत के

प्राचीन से प्राचीनतम लेखों को पढ़ने में पूरी सफलता मिली ।

अब, उतनी ही पुरानी दूसरी लिपि की शोध का विवरण दिया जाता है । इस लिपि का ज्ञान भी प्रायः उसी समय में प्राप्त हुआ था । इसका नाम खरोष्ठी लिपि है । खरोष्ठी लिपि अर्थात् लिपि नहीं है अर्थात् अनार्य लिपि है यह । सेमेटिक लिपि के कुटुम्ब की प्रमेइक् लिपि से निकली हुई मानी जाती है । इस लिपि को लिखने की पद्धति फारसी लिपि के समान है अर्थात् यह दायें हाथ से बायीं ओर को लिखी जाती है । यह लिपि ईसा से पूर्व तीसरी अथवा चौथी शताब्दी में केवल पंजाब के कुछ भागों में ही प्रचलित थी । गहाबाजगढी और मन्सोरा के दरवाजों पर अशोक के लेख इसी लिपि में उत्कीर्ण हुए हैं । इसके अतिरिक्त शक, क्षत्रप, पायिग्रन् और कुषाणवशी राजाओं के समय के कितने बौद्ध लेखों तथा बान्द्रिभन, ग्रीक, शक, क्षत्रप आदि राजवंशों के कितने ही सिक्कों में यही लिपि उत्कीर्ण हुई मिलती है । इसलिए भारतीय पुरातत्त्वज्ञों को इस लिपि के ज्ञान की विशेष आवश्यकता थी ।

कनैल जेम्स टॉड ने बान्द्रिभन, ग्रीक, शक, पायिग्रन् और कुषाणवशी राजाओं के सिक्कों का एक बड़ा संग्रह किया था । इन सिक्कों पर एक ओर ग्रीक और दूसरी ओर खरोष्ठी अक्षर लिखे हुए थे । सन् 1830 ई० में जनरल बेंटुरा ने मानिकगाल स्तूप को खुदवाया तो उसमें से खरोष्ठी लिपि के कितने ही सिक्के और दो लेख प्राप्त हुए । इसके अतिरिक्त अलेक्जेंडर, बन्स आदि प्राचीन शोधकों ने भी ऐसे अनेक सिक्के इकट्ठे किये थे जिनमें एक ओर के ग्रीक अक्षर तो पढ़े जा सकते थे परन्तु दूसरी ओर के खरोष्ठी अक्षरों के पढ़े जाने का कोई साधन नहीं था । इन अक्षरों के विषय में भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ होने लगी । सन् 1824 ई० में कनैल टॉड ने कड्फिसेस् के सिक्के पर खुदे इन अक्षरों को समेनिग्रन् अक्षर बतलाया । 1833 ई० में अपोलोडोटस के सिक्के पर इन्हीं अक्षरों को प्रिसेप ने 'पहलवी' अक्षर माना । इसी प्रकार एक दूसरे सिक्के की इसी लिपि तथा मानिकगाल के लेख की लिपि को उन्होंने ग्राह्यो लिपि मान लिया और इसकी प्राकृति कुछ टेढ़ी हाने के कारण अनुमान लगाया कि जिस प्रकार छपी हुई और बही में लिखी हुई गुजराती लिपि में अन्तर है उसी प्रकार अशोक के दिल्ली आदि के स्तम्भों वाली और इस लिपि में अन्तर है । परन्तु बाद में स्वयं प्रिसेप ही इस अनुमान को अनुचित मानने लगे । सन् 1834 ई० में केप्टन कोर्ट को एक स्तूप में से इसी लिपि का एक लेख मिला जिसको देखकर प्रिसेप ने फिर इन अक्षरों के विषय में 'पहलवी' होने की कल्पना की । परन्तु उसी वर्ष में मिस्टर मेसन नामक शोधकर्ता विद्वान ने अनेक ऐसे सिक्के प्राप्त किये जिन पर खरोष्ठी और ग्रीक दोनों लिपियों में राजाओं के नाम अंकित थे । मेसन साहब ने ही सबसे पहले मिर्नैकूँ, ओपोलडोटो, अरमाइओ, वासिलिओ और सोट्रो आदि नामों को पढ़ा था, परन्तु यह उनकी कल्पना मात्र थी । उन्होंने इन नामों को प्रिसेप साहब के पास भेजा । इस कल्पना को सत्य का रूप देने का यश प्रिसेप के ही भाग्य में लिखा था । उन्होंने मेसन साहब के सकेतों के अनुसार सिक्कों को बाँचना आरम्भ किया तो उनमें से बारह राजाओं और सात पदवियों के नाम पढ़ निकाले ।

इस प्रकार खरोष्ठी लिपि के बहुत से अक्षरों का बोध हुआ और साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि यह लिपि दाहिनी ओर से बायीं ओर पढ़ी जाती है । इससे यह भी निश्चय हुआ कि यह लिपि सेमेटिक वर्ग की है, परन्तु इसके साथ ही इसकी भाषा को, जो वास्तव

मे ब्राह्मी लेखों की भाषा के समान प्राकृत है, पहलवी मान लेने की भूल हुई। इस प्रकार ग्रीक लेखों की सहायता से खरोष्ठी लिपि के बहुत-से अक्षरों की तो जानकारी हुई परन्तु भाषा के विषय में भ्रान्ति होने के कारण पहलवी के नियमों को ध्यान में रखकर पढ़ने से अक्षरों को पहचानने में अशुद्धता भ्रान्त लगी जिससे थोड़े समय तक इस कार्य में अड़चन पड़ती रही। परन्तु 1838 ई० में दो वाकिट्प्रन्त् ग्रीक सिक्कों पर पालि लेखों को देखकर दूसरे सिक्कों की भाषा भी यही होगी, यह मानते हुए उसी के नियमानुसार उन लेखों को पढ़ने से प्रिंसेप का काम आगे चला और उन्होंने एकसाथ 17 अक्षरों को खोज निकाला। प्रिंसेप की तरह मिस्टर नॉरिस ने भी इस विषय में कितना ही काम किया और इस लिपि के 7 नये अक्षरों की शोध की। बाकी 6 थोड़े से अक्षरों की जनरल कनिंघम ने पहचान लिया और इन प्रकार खरोष्ठी की सम्पूर्ण वर्णमाला तैयार हो गई।

यह भारतवर्ष की पुरानी से पुरानी लिपियों के ज्ञान प्राप्त करने का संक्षिप्त इतिहास है। उपर्युक्त वर्णन से विदित होगा कि लिपि विषयक शोध में मिस्टर प्रिंसेप ने बहुत काम किया है। एशियाटिक सोसाइटी की ओर से प्रकाशित 'सैन्टनरी रिव्यू' नामक पुस्तक में 'एन्क्वैस्ट इण्डियन अलफाबेट' शीर्षक लेख के आरम्भ में इस विषय पर डॉ० हॉर्नली लिखते हैं कि—

“सोसाइटी का प्राचीन शिलालेखों को पढ़ने और उनका भाषान्तर करने का अत्युपयोगी कार्य 1834 ई० से 1839 ई० तक चला। इस कार्य के साथ सोसाइटी के तत्कालीन सेक्रेटरी, मि० प्रिंसेप का नाम, सदा के लिए सलग्न रहेगा, क्योंकि भारत-विषयक प्राचीन-लेखनकला, भाषा और इतिहास सम्बन्धी हमारे अर्वाचीन ज्ञान की आधारभूत इतनी बड़ी शोष-रोज इसी एक व्यक्ति के पुरुषार्थ से इतने थोड़े समय में हो सकी।”

प्रिंसेप के बाद लगभग तीस वर्ष तक पुरातत्व सशोधन का सूत्र जेम्स फर्ग्युसन, मॉर्लेम किट्टो, एडवर्ड टॉमस, अलेक्जेंडर कनिंघम, वाल्टर इलियट, मेडोज टेलर, स्टीवेन्सन, डॉ० भाउदाजी आदि के हाथों में रहा। इनमें से पहले चार विद्वानों ने उत्तर हिन्दुस्तान में, इलियट साहब ने दक्षिण भारत में और पिछले तीन विद्वानों ने पश्चिमी भारत में काम किया। फर्ग्युसन साहब ने पुरातन वास्तु-विद्या (Architecture) का ज्ञान प्राप्त करने में बड़ा परिश्रम किया और उन्होंने इस विषय पर अनेक ग्रन्थ लिखे। इस विषय का उनका अभ्यास इतना बढ़ा-चढ़ा था कि किसी भी इमारत को केवल देखकर वे सहज ही में उसका समय निश्चित कर देते थे। मगर किट्टो बहुत विद्वान तो नहीं थे परन्तु उनकी शोधक बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। जहाँ अन्य अनेक विद्वानों को कुछ ज्ञान न पड़ता था वहाँ वे अपनी गिद्ध जैसी पंनों दृष्टि से कितनी ही बातें खोज निकालते थे। चित्रकला में वे बहुत निपुण थे। कितने ही स्थानों के चित्र उन्होंने अपने हाथ से बनाए थे और प्रकाशित किए थे। उनकी शिल्पकला विषयक इस गम्भीर कुशलता को देखकर सरकार ने उनको बनारस के सञ्चत कॉलेज का भवन बनवाने का काम मीपा। इस कार्य में उन्होंने बहुत परिश्रम किया जिससे उनका स्वास्थ्य गिर गया और अन्त में इंग्लैंड जाकर वे स्वर्गस्थ हुए। टॉमस साहब ने अपना विशेष ध्यान सिक्कों और शिलालेखों पर दिया। उन्होंने अत्यन्त परिश्रम करके ई० स० पूर्व 246 से 1554 ई० तक के लगभग 1800 वर्षों के प्राचीन इतिहास की शोध की। जनरल कनिंघम ने प्रिंसेप का अवशिष्ट

कार्य हाथ में लिया। उन्होंने ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। इलियट साहब ने बनल भेवेन्जी के संग्रह का संशोधन और संवर्द्धन किया। दक्षिण के चालुक्य वंश का विस्तृत ज्ञान सर्वप्रथम उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। टेलर साहब ने भारत की मूर्ति निर्माण विद्या का अध्ययन किया और स्टीवेन्सन ने सिक्को की शोध-योज की। पुरातत्त्व-संशोधन के कार्य में प्रवीणता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय विद्वान् डॉक्टर भाउदाजी थे। उन्होंने अनेक शिलालेखों को पढ़ा और भारत के प्राचीन इतिहास के ज्ञान में खूब वृद्धि की। इस विषय में दूसरे नामांकित भारतीय विद्वान् काठियावाड़ निवासी पण्डित भगवानलाल इन्द्रजी का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने पश्चिम भारत के इतिहास में अमूल्य वृद्धि की है। उन्होंने अनेक शिलालेखों और ताम्रपत्रों को पढ़ा है परन्तु उनके कार्य का सच्चा स्मारक तो उनके द्वारा उड़ीसा के खण्डगिरि-उदपगिरि वाली हाथी-गुफा में सम्राट क्षारवेल के लेखों को शुद्ध रूप से पढ़ा जाना ही है। बंगाल के विद्वान् डॉ० राजेन्द्रलाल मित्र का नाम भी इस विषय में विशेष रूप से उल्लेख करने योग्य है। उन्होंने नेपाल के साहित्य का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया है।¹

इस विवरण से एक चित्र तो वाशी के पण्डित का उभरता है, जिगने अपने कौशल से मिथ्या कुञ्जी प्राचीन लिपि को पढ़ने के लिए प्रस्तुत की और वह भी ऐसी कि पहले उस पर सभी को विश्वास हो गया।

दूसरा चित्र उभरता है उस मुद्रा का जो अफगानिस्तान में मिली और उसके सम्बन्ध में यह धारणा बना ली गई कि इसकी भाषा पहलवी है और लिपि ऐसी होगी जो दायें से बायें लिखी जाती होगी। फलतः यह बहुत आवश्यक है कि पहले भाषा का निर्धारण किया जाय, फिर लिपि लेखन की प्रवृत्ति का भी। क्योंकि उसकी लिपि वस्तुतः खरोष्ठी थी और उसकी भाषा पालि पहलवी का पीछा विद्वानों ने तब छोड़ा जब 1838 ई० में दो वाक्द्रीअन ग्रीक सिक्को पर पाली लेख को देखा।

एक तीसरा चित्र यह उभरता है कि मात्र बर्णों की आकृति से लिपि किस भाषा की है यह नहीं कहा जा सकता। इसके लिए टॉम कोरिएट नामक यात्री की भ्रान्ति का उल्लेख ऊपर हो चुका है। अशोक लिपि की ग्रीक लिपि से समानता देखकर उसने उसे ग्रीक लेख समझ लिया था।

वस्तुतः लिपि के अनुसन्धान में वही वैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है जिगने ज्ञात से अज्ञात को और बढ़ा जाता है। इसी आचार पर बराल स्तम्भ का लेख एवं टोपरा घाले दिल्ली के अशोक स्तम्भ पर बीसलदेव के तीन लेख पढ़े गये। इससे जो प्राचीन लेख थे उनको पढ़ने में बहुत कठिनाई और परिश्रम हुआ क्योंकि उनके निकट की ज्ञात लिपियाँ थी ही नहीं। अब यहाँ पर प्रिसेप महोदय ने अनुसन्धान की विशेष सूक्ष्म-वृक्ष का परिचय दिया। उन्होंने सौची स्तूप आदि पर खुदे हुए कितनी ही छापों को तुलनापूर्वक देखा। इन सबमें उन्हें दो अक्षर समान मिले और अनुमान लगाया कि दो अक्षरों वाला शब्द दान हो सकता है और इस अनुमान के आधार पर 'द' और 'न' अक्षरों का निर्धारण हुआ और इस प्रकार ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन हो सका। स्पष्ट है कि इस प्रकार लिपि की गाँठ खोलने के लिए तुलना भी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन है।

यह तो ब्राह्मी लिपि को पढ़े जाने के प्रयत्नों की खर्चा हुई। अब अनुसन्धानकर्ताओं में और विद्वानों में अनुसन्धान-विषयक वैज्ञानिक प्रवृत्ति खूब मिलती है, फिर भी, लिपि विषयक कुछ कठिन समस्याएँ आज भी बनी हुई हैं। भारतवर्ष में सिन्धुघाटी की लिपि का रहस्य अभी भी नहीं खुला है। अनेक प्रकार के प्रयत्न हुए हैं, किन्तु, जितने प्रयत्न हुए हैं उतनी ही समस्या उत्पन्नी हैं। इसी प्रकार और भी विश्व की कई लिपियाँ हैं जिनका पूरा रहस्य नहीं खुला। तो प्रश्न यह है कि यदि कोई एकदम ऐसी लिपि सामने आ जाय जिसके सम्बन्ध में आगे पीछे कोई सहायक परम्परा न मिलती हो तो क्या किया जाय ? हम सम्बन्ध में डॉ० पी वी पण्डित का 'हिन्दुस्तान टाइम्स वीक्ली' (रविवार, मार्च, 1969) में प्रकाशित 'क्रैकिंग द कोड' (Cracking the Code) उन सिद्धान्तों को प्रस्तुत करता है जिनसे ऐसी लिपि को समझा जा सके जिसकी न तो लेखन प्रणाली का और न उसमें लिखे गये का ज्ञान हो। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसी लिपि की कुंजी पाने में अनेक कठिनाइयाँ हो सकती हैं। वे कठिनाइयाँ भी ऐसी हो सकती हैं जिन पर पार पाना असम्भव हो। फिर भी, उनके सुभाव हैं कि पहले तो ये निर्धारित किया जाना चाहिए कि जो विविध चिह्न और रेखाकन मिले हैं क्या वे भाषा को व्यक्त करते हैं। यदि यह माना जाय कि वे चिह्न भाषा की लिपि के ही हैं तो प्रश्न यह सड़ा होता है कि यह किस प्रकार की लेखन प्रणाली है। अर्थात् क्या यह लेखन प्रणाली चित्रात्मक है अथवा शब्दात्मक (logographic) है या वर्णात्मक (alphabetic)। यद्यपि आज कुछ लिपियाँ अक्षरात्मक (Syllabic) भी हैं पर यह अक्षरता (Syllable) वर्ण से ही जुड़ी मिलती है क्योंकि दोनों ही ध्वनिमूलक हैं।

चित्रलिपि शब्दलिपि में तभी परिणत होती है जब एक चित्र कई भावों या वस्तुओं का अर्थ देने लगता है। तब एक चित्राकार या चित्रलिपि का एक-एक चित्र एक उच्चरित शब्द (logo) का स्थान ले लेता है। डॉ० पण्डित ने अंग्रेजी का स्टार शब्द लिया है। 'स्टार' का चित्र जब तक केवल स्टार का ही ज्ञान कराता है तब तक वह चित्रलिपि का अर्थ है। इसके बाद 'स्टार' का उपयोग केवल तारे के लिए ही नहीं, आकाश के द्युतिमान सभी तारों और तारिकाओं के लिए होने लगता है या उसका अर्थ चमकदार या शिरोमणि वस्तुओं के लिए होने लगे तो वह भावचित्रलिपि (ideograph) का रूप ग्रहण कर लेता है। अब यदि 'स्टार' की चित्रावृत्ति और उसकी चित्रलिपि और भाव चित्रलिपि को कोई शब्द मिल गया है—जैसे स्टार, तब यह शब्द हो गया। भावलिपि का एक अर्थ होकर अब उसने चित्र रूप के साथ शब्द रूप में भी सम्बद्धता प्राप्त कर ली, यही इस शब्द ध्वनि की लिपि या शब्दमूलक चित्रलिपि (logograph) कहलाती है।¹

अब शब्द का अर्थ अपने ध्वनि-चित्र से किसी सीमा तक स्वतन्त्र हो चला क्योंकि 'शुद्ध स्टार ध्वनि' के लिए तो उसका ध्वनि-चित्र आयेगा ही, सम्भवतः 'स्टार' की समवर्ती

1 'Histories of writing system indicate that the Pictorial scripts develop into logographic scripts where a picture gets a phonetic value corresponding to its pronunciation' then it can be used for all other items which have similar pronunciation'

(Pandit P B (Dr.)—Cracking the Code—Hindustan Times Weekly, Sunday, March 30, 1969)

ध्वनि 'स्टार' के लिए भी प्रयोग में आ सकेगा और परसर्ग रूप में गैंग्स्टर (gangster) में गैंग के साथ भी जुड़ जायेगा ।

अब स्थिति यह हो गयी कि—

वस्तु → वस्तु-चित्र → चित्रलिपि → भावचित्रलिपि → चित्र शब्दित → शब्दात्मक चित्र → शब्द-प्रतीक → ध्वनिवर्ती शब्द-प्रतीक ।

ध्वनिवर्ती शब्द प्रतीक वाली लिपि में शब्दों की ध्वनि से उनमें 'मोरफीम' का ज्ञान होने लगता है तथा इन मारफीमों के अनुसार लिपि-प्रतीकों में विकार हो जाता है । यहाँ आकर वह प्रक्रिया जग उठती है जो शब्द प्रतीकों की ध्वनिमूलक वर्णमाला की ओर जाने में प्रवृत्त करती है । 'स्टार' में एक मोरफीम है अतः शब्द-प्रतीक ज्यों का त्यों रहेगा । पर बहुवचन 'स्टार्स' में 'स' मोरफीम बढ़ा, अतः कोई विकार 'स्टार' मारफीम में 'स' का घातन करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा । 'स' यहाँ मोरफीम भी है और एक वर्णात्मक अकेली ध्वनि भी । ऐ-ली-फेंट में तीन मोरफीम हैं अतः शब्दलिपि भी तीन योग दिखाने लगेगी । इसीलिए इस अवस्था पर पहुँच कर ध्वनिवर्ती शब्द-प्रतीक, प्रतीक में ध्वनि-घातक चिह्नों को नियोजित करने का प्रयत्न करेगा—ध्वनिवर्ती शब्द-प्रतीक → ध्वनिवर्ती शब्द प्रतीक-घात ध्वनि प्रतीक → ध्वनि-प्रतीक अक्षर → ध्वनि प्रतीक वर्ण । चित्रलिपि से शब्दात्मक लिपि तक के विकास का यह क्रम सम्भावित है और स्थूल है ।

विद्वानों ने Pictorial Art से Pictograph, Pictograph से Ideograph, Ideograph से logograph तक का विकास तो स्थूलतः ठीक अथवा सहज मना है । उससे आगे ध्वनि की ओर लिपि का सक्रमण उतना स्वाभाविक नहीं । कुछ विद्वानों की राय में यह सम्भव भी नहीं ।

पाहुलिपि विज्ञान की दृष्टि से तो वे प्रक्रियाएँ ही महत्वपूर्ण हैं, जिनसे ये विकार होते हैं और लिपि का विकास होता है । यह भी ध्यान में रखने की बात है कि हमने विकास-प्रक्रिया में जहाँ → (तोर) दिया है, वहाँ बीच में और भी कई विकास-चरण हो सकते हैं । मोहनजोदड़ो की सी स्थिति भी हो सकती है जिसमें चित्रलिपि और ध्वनिलिपि दोनों ही प्रयुक्त हो । यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब 'स्टार' में 'स्टार्स' तक भाषा पहुँचती है, तब 'एक और बहुत' का भेद करने की शक्ति उसमें आ जाती है । साथ ही शब्दों में चिह्नों द्वारा सम्बन्धों को बताने की क्षमता भी आ जानी चाहिये । व्यंजन और स्वरों के भेद अक्षरात्मक लिपि में प्रस्तुत होने लगने हैं ।

शब्द चिह्नों से व्याकरण-सम्बन्धों को जानने के लिए डॉ० पण्डित का निम्न उद्धरण एक सिद्धान्त प्रस्तुत करता है :

सम्भवतः एक या अधिक मोरफीमों (morphemes) से बने शब्द सकेत-चिह्नों की सख्याओं के आधार पर सबसे अधिक प्रयुक्त समुच्चय हैं । कोई पाहे तो प्रत्यय उपसर्ग-परसर्ग आदि को भी उनके स्थान और वितरण के भावतर्तन से ढूँढ़ सकता है । मान लीजिए नीचे दिये सोलह वाक्यों में से वर्णमाला का प्रत्येक वर्ण एक मोरफीम है तो इस भाषा के व्याकरण के सम्बन्ध में कोई क्या बताना सकता है (तब भी जबकि वाक्यों के अर्थ विदित

नहीं हैं)।¹

1 AXZ	2 AXYZ	3 BX	4 CZ
5 CYZ	6 DX	7 EX	8 FZ
9 GZ	10 A	11 B	12 C
13 D	14 E	15 F	16 G

यह कहा जा सकता है कि A B C D E F G तो नाम घातुर्ये है XYZ परसंग हैं। XYZ का स्थानगत मूल्य ऐसा है कि वे अपने-अपने निजी क्रम को सुरक्षित रखते हैं। अन्त में Z आता है और Y X के बाद आती है। X घातु नाम के तुरन्त बाद आता है।²

तात्पर्य यह है कि उपलब्ध सामग्री का इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन किया जाता चाहिये जिससे कि यह विदित हो सके कि कितने चिह्न स्वतन्त्र रूप से भी प्रयोग में आये और कितने चिह्न ऐसे हैं जो किसी न किसी अन्य चिह्न से जुड़कर आये हैं—और वे ऐसे चिह्नों से जुड़े मिलते हैं, जो बिना किसी चिह्न के भी प्रयुक्त हुए हैं। इससे यह अनुमान होता है कि जो चिह्न स्वतन्त्र रूप से आये हैं वे 'Stems', संज्ञानाम या क्रियानाम हैं और जो इनसे जुड़कर आते हैं वे उपसर्ग-प्रत्यय हैं। उसी लिपि के चिह्नों की पारस्परिक तुलना से वाक्य के रूप का अनुमान लगाया जा सकता है।

किन्तु इससे भाषा का उद्भव नहीं हो सकता, न लिपि के चिह्नों के सम्बन्ध में ही कहा जा सकता है कि वे क्या शब्द हैं, या किस ध्वनि के प्रतीक हैं। प्रिसेप ने ब्राह्मी के 'द' और 'न' अक्षरों को समझ लिया था, क्योंकि वह उनकी भाषा से परिचित था, और उन लेखों के अभिप्राय को भी समझता था।

किन्तु मोहनजोदड़ो की लिपि की भाषा का कुछ भी ज्ञान नहीं, अतः लिपि को ठीक-ठीक नहीं उद्घाटित किया जा सका है। लिपि जहाँ मिली हैं (1) उसकी पृष्ठभूमि, इतिहास, परम्परा, अग, सस्कृति आदि की सम्भावनाओं के आधार पर, तथा (2) अन्य ज्ञात लिपियों से तुलना करके विवल्पात्मक अनुमान खड़े किये जाते हैं।

सिन्धुघाटी की लिपि के विषय में उक्त दोनों बातों के सम्बन्ध में न तो प्रामाणिक आधार है, न मत है क्योंकि

पहला, पृष्ठभूमि, इतिहास, परम्परा आदि की दृष्टि से एव और यह माना गया कि यह भाषाओं के भारत में आने से पूर्व की सस्कृति की लिपि है। भाषा पूर्व भारत में द्रविड थे अतः यह द्रविड सम लिपि है और द्रविड-सम भाषा की प्रतीक है।

1 'The most frequent groups are possibly words consisting of one or more morphemes according to the number of signs. One can also deduct the affixes-suffixes, prefixes etc by their positions and frequency distribution. Suppose, in the following data of sixteen sentences, each letter of the alphabet is a morpheme, what could one say about the grammar of the language (even if the meanings of the sentences are not known)'

[बही, मार्च 30, 1969]

2. One could say that the letters A, B, C, D, E, F, G are stems and the XY & Z are suffixes. The positional values of X, Y and Z are such that they maintain their respective order, Z occurs finally, Y occurs after X, X occurs immediately after the stem

[बही, मार्च 30, 1969]

दूसरा विकल्प यह रहा कि ग्रायों से पूर्व या 4000 ई० पू० यहाँ सुमेर लोग निवास करते थे और यह उन्ही की लिपि है ।

तीसरा विकल्प यह है कि इस क्षेत्र के निवासी ग्राय या उन्ही की एक शाखा के 'ग्रमुर' थे । यह उन्ही की भाषा और लिपि है ।

इन तीनों परिकल्पनाओं के आधार पर विविध भाषाओं की लिपियों की तुलना करते हुए उनके प्रमाणों से भी अपने-अपने मत की पुष्टि की गयी है ।

अब जी ग्रार हटर¹ महोदय ने 'द स्क्रिप्ट ऑव हडप्पा एण्ड मोहनजोदडो एण्ड इट्स कनेक्शन विद अदर स्क्रिप्ट्स' में बताया है कि—

"बहुत-से चिह्न प्राचीन मिस्र की महान लिपि से उल्लेखनीय समता रखते हैं । सभी एंग्रोपो मारफिक चिह्न मिस्री समता वाले हैं, और वे यथार्थतः ठीक उसी रूप के हैं और यह रोचक बात है कि इन एंग्रोपो मारफिक चिह्नों से दूर की भी समता रखने वाले चिह्न सुमेरियन या प्रोटो-एलामाइट लिपि में नहीं मिलते । दूसरी ओर हमारे बहुत-से चिह्न ऐसे हैं जो प्रोटो-एलामाइट और जेमदेत नस्ल की पाटियों के चिह्नों से हू-ब-हू मिलते हैं, और जिनकी मिस्री मोरफोफाफिक समकक्षता की कल्पना ही नहीं की जा सकती । इससे कोई भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचिगा कि यह मान्यता बलवती ठहरती है कि हमारी लिपि कुछ तो मिस्र से ली गयी है और कुछ मेसोपोटामिया से । किबहुना, एक अच्छे अनुपात में ऐसे चिह्न भी हैं जो तीनों में समान हैं, जैसे-वृष, मछली, बिडिया आदि के चिह्न । किन्तु ऐसा हीना सम-आकस्मिक (Coincidental) है और अनिवार्य भी है, क्योंकि लिपि की प्रवृत्ति चित्रात्मक है ।

फिर वे आगे कहते हैं कि प्रोटो-एलामाइट से और भी साम्य है अतः हमने मिस्री चिह्न ही उधार लिए हैं ।

और आगे वे यह सुझाव भी प्रस्तुत करते हैं कि हो सकता है कि मिस्री, प्रोटो-एलामाइट और सिन्धुघाटी की लिपियों की जनक या मूल एक चीथी ही भाषा-लिपि हों, जो इनसे पूर्ववर्ती हो ।

अब ये सभी परिकल्पनाएँ (हाइपोथीसिस) ही हैं । अभी तक भी हम सिन्धुघाटी की लिपि पढ़ सके हो, ऐसा नहीं लगता ।

अभी हाल में फिर प्रयत्न हुए हैं और फिनिश दल तथा रूसी दल ने सिन्धु लिपि और सिन्धु भाषा को समझने का प्रयत्न किया है । कम्प्यूटर का भी उपयोग किया गया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह द्रविडो-मुल्ल भाषा और तदनुकूल लिपि है । साथ ही दो भारतीय विद्वानों ने भी नये प्रयत्न किये हैं । एक है श्री कृष्णराव, दूसरे हैं डॉ० फतेहसिंह । इन दोनों का ही मन्तव्य है कि सिन्धुघाटी की लिपि ब्राह्मी का पूर्वरूप एव भाषा वेदपूर्वी संस्कृत ही है । यूनीवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की फॅकल्टी ऑव ओरियण्टल स्टडीज के एक आर अल्लचिन ने 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के एक अंक में एक पत्र में, जहाँ पाश्चात्य प्रयत्नों को रचनात्मक (constructive) प्रयत्न बताया है और भारतीय प्रयत्नों को अतः प्रज्ञाजन्य (intuitive), अतः में उसने लिखा है कि—

1 Hunter, G R —The Script of Hadappa and Mohan jodaro and its connection with other Scripts P 45-47

'In the mean while let us recognise that while so many new decipherments are appearing they cannot all be right, and are more likely all to be wrong'

इतना विवेचन 'सिंधुघाटी लिपि' के सम्बन्ध में करने की इसलिए आवश्यकता हुई कि यह जाना जा सके कि किसी अज्ञात लिपि को पढ़ने में कितनी समस्याएँ निहित रहती हैं और उन सबके रहत भी किसी और महत्वपूर्ण बात का अभाव रहने से अज्ञात लिपि को ठीक ठीक जानने की प्रक्रिया अमफल हो जाती है। सिंधुघाटी सभ्यता के सम्बन्ध में जितने भी विकल्प रखे गये हैं वे सभी इतिहास से न तो पुष्ट ही हैं न सिद्ध ही हैं।

यथा—पहला विकल्प यह है कि यह सभ्यता आर्यों के आगमन से पूर्व की द्रविड सभ्यता है। आर्यों के आगमन से पूर्व द्रविड सभ्यता के भारतवर्ष में बसे हुए थे। अब आर्यों के आगमन का सिद्धान्त तथा द्रविडों का आर्यों में भिन्न रक्त या नस्ल का होने का नूतात्विक सिद्धान्त, ये दोनों ही पूर्णतः सिद्धप्रमेय नहीं माने जा सकते, न अकाट्य प्रमाणों से पुष्ट हैं।¹ इस सम्बन्ध में एक अन्तर बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है, मूलतः यह सिद्धान्त विदेशियों के द्वारा ही प्रतिपादित हुए थे, और मूलतः सिंधुघाटी को द्रविड सभ्यता के अवशेष बताने वाले भी अधिकांशतः विदेशी ही हैं, और भारतीयों का भुकाव अन्धे की स्वीकृति पर निर्भर करता है। इसी अप्रामाणिक अन्तर के कारण द्रविड भाषा, द्रविड-लिपि और आर्य भाषा तथा असुर भाषा का विकल्प उठा है।

सिंधु लिपि में मिस्र की चित्रलिपि तथा सुमेर की लिपि के साथ ब्राह्मी लिपि के साम्य भी हैं। इससे कल्पना की गयी कि मिस्र और सुमेर में उधार लिये गये शब्द और वर्ण हैं। डॉ० राजदली पाण्डेय ने यह सुझाव दिया है कि जहाँ तक एक से दूसरे के द्वारा उधार लेने का प्रश्न है निम्नलिखित ऐतिहासिक परम्पराएँ इसमें हमारी सहायता कर सकती हैं—

- (अ) प्राचीन मिस्र की सभ्यता के निर्माता लोग पश्चिमी एशिया से मिस्र को गये थे।
- (आ) यूनानी लेखकों के अनुसार फोनेशियन्स, जो कि प्राचीन काल के महान् सामुद्रिक यात्रा-दक्ष और संस्कृति प्रसारक लोग थे, ट्यर (TYR) में उपनिवेश बनाकर रहत थे जो कि पश्चिमी एशिया का बड़ा बन्दरगाह था।
- (इ) सुमेरियन लोग स्वयं भी समुद्र के मार्ग से बाइर से आकर सुमेरिया में बसे थे।
- (ई) पुरानी ऐतिहासिक परम्पराओं के अनुसार, जो कि पुराणों और महाकाव्यों में दी हुई है आर्य जातियाँ उत्तर-पश्चिमी भारत से उत्तर की ओर और

1 The use of Aryan and Dravidian as racial terms is unknown to scientific students of Anthropology (N. Kantha Shastri, cultural contacts between Aryas & Dravidians P 2) There is no Dravidian race and no Aryan race (A. L. Bashem • Bulletin of the Institute of Historical research II (1963) Madras.

पश्चिम की ओर प्रार्य जातियाँ गयी थी ।¹

इन परिस्थितियों में इस तथ्य के सम्बन्ध में असम्भावना नहीं मानी जा सकती है कि या तो प्रार्य लोग या उनके असुर नाम के बन्धुओं ने सिन्धुघाटी की लिपि का निर्माण किया । वे ही उसे पश्चिमी एशिया और मिस्र में ले गये । इस प्रकार सत्तार के उन भागों में लिपि के विकास की प्रोत्साहित किया ।²

डॉ० राजबली पांडेय का सुभाव ऐतिहासिक तर्कमत्ता के अनुकूल है । निश्चय ही इस लिपि की उद्भावना भारत में हुई और यहीं से सुमेर और मिस्र को गयी, वहाँ इस लिपि का और विकास हुआ । पर इस सिद्धान्त से भी भाषा और लिपि के उद्घाटन में यथार्थ सहायता नहीं मिल पाती ।

सिन्धु-लिपि दायें से बायें खरोष्ठी या फारसी लिपि की भाँति लिखी गयी है, या बायें से दायें, रोमन और नागरी लिपि की भाँति । इस सम्बन्ध में भी द्वैध है—एक कहता है दायें से बायें, दूसरा कहता है बायें से दायें । यह समस्या एक समय ब्राह्मी के सम्बन्ध में भी उठी थी । ब्राह्मी की एक शैली दायें से बायें लिखने की भी थी, अवश्य कुछ अवशेष अब भी मिलते हैं ।

भूह्वार ने ब्राह्मी को दाहिने से बाएँ लिखने का जो प्रमाण दिया है वह अशोक के येरगुडी (करतूल, मद्रास) लेख तथा एरण के एक मुद्रा-लेख पर प्राधारित है । कनिष्क ने मध्य प्रदेश के अबलपुर से उस सिक्के का पता लगाया था जिस पर ब्राह्मी में मुद्रा-लेख दाहिने से बाएँ लिखा है । इसे एक आकस्मिक घटना मान सकते हैं और टकसाल के साचानिर्माता की भूल से ऐसा हो गया होगा । इसी तरह अशोक के लेख में लिखने का क्रम उलटा मिलता है । येरगुडी के लेख में पहली पक्ति ठीक ढग से बाएँ से दाहिने लिखी है और दूसरी पक्ति दाहिने से बाएँ । तीसरी बाएँ से दाहिने तथा चौथी दाहिने से बाएँ । इससे स्पष्ट है कि लेख अंकित करने वाला वास्तविक रूप में ब्राह्मी लिखना जानता था ।

1 As regards the question of borrowing by one from the others, the following historical tradition will help us —

(i) The authors of ancient Egyptian civilisation migrated from Western Asia to Egypt

(Maspeor—The Dawn of civilisation : Egypt & chaldaea, p. 45, Passing of the Empire, VIII., Smith, Ancient Egyptians, P. 24)

(ii) The Phoenicians, the great sea-faring and culture spreading people of ancient times, were colonists in TYR, the great sea-port of Western Asia, according to the Great writers

(Herodots, II, 44)

(iii) The Summerians themselves came to Sumeria from outside through seas. (Wolley, C. L.—The Summerians, 189)

(iv) The Aryans Tribes, according to the ancient historical, tradition recorded in the Puranas and Epics migrated from N. W. India towards the north and the west.

(F. E. Pargiter—Ancient Indo-Historical Traditions, XXV)

2. Under the circumstances, there is no impossibility about the fact that either the Aryans or their cousins the Asuras invented the Indus Valley script and carried it to Western Asia and Egypt and thus inspired the evolution of scripts in these parts of the World

(Pandey, R. B.—Indian Paleography, P. 34)

पर एक नयी प्रणाली (दाहिने से बाँए) का उसी लेख में समावेश करना चाहता था। इसलिए ज़ल्टे फ़्रज़ (दाहिने से बाँए) का भी उसने उपयोग किया। किन्तु इस कृत्रिम रूप के आधार पर कोई गम्भीर सिद्धान्त स्थिर करना युक्तिसंगत न होगा।¹

ब्राह्मी को, दिल्ली के अशोक स्तम्भ पर अंकित ब्राह्मी को, एक व्यक्ति ने यूनानी लिपि माना था, और उस ब्राह्मी लेख को अलैकजेंडर की विजय का लेख माना था। काशी के ब्राह्मण ने एक मनगढ़न्त भ्राष्ट्र और जसकी लिपि बतायी, किसी ने उनको तत्राक्षर बताया; एक जगह किसी ने पहलवी माना, और भी पक्ष प्रस्तुत हुए, पर प्रत्येक लेख की स्थिति और उनका परिवेश, उनका स्थानीय इतिहास तथा अन्य विवरणों की ठीक जानकारी हुई और तब तुलना से वे अक्षर ठीक-ठीक पड़े जा सके हैं।

पर सिन्धुघाटी की सम्यता विषयक विविध समस्याएँ अभी समस्याएँ ही बनी हुई हैं। यह सम्यता भी केवल सिन्धुघाटी तक सीमित नहीं थी, अब तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसके गूढ भूमि-गर्भ में गर्भित मिले हैं। लगता यह है कि महान् जल-प्लावन से पूर्व की यह सस्कृति-सम्यता थी। पानी के साथ मिट्टी बह गयी और उसमें ये नगर दब गये। पर ये सभी कल्पनाएँ हैं और अधिक उरलनन से कहीं कोई ऐसी कुंजी मिलेगी जो इसका रहस्य खोल देगी। तो पाण्डुलिपि-विज्ञान के जिज्ञासु के लिए उन अडचनो, कठिनाइयो और अवरोधों को समझने की आवश्यकता है जिनके कारण किसी अज्ञात लिपि का उद्घाटन सम्भव नहीं हो पाता।

वे अडचने हैं

- (1) किसी सांस्कृतिक परम्परा का न होना। ऐसी परम्परा प्राप्त होनी चाहिये जिसमें विशेष लिपि को बिठाया जा सके।
- (2) ठीक इतिहास का अभाव तथा इतिहास की विस्तृत जानकारी का अभाव या विद्यमान ऐतिहासिक ज्ञान में अनास्था।
- (3) अर्थार्थ और अप्रामाणिक पूर्वाग्रहों का होना।
- (4) तुलना से समस्या का और जटिल होना।
- (5) लिपि-विषयक प्रत्येक समस्या के सम्बन्ध में भ्रम होना।
- (6) लिपि में लिखी भाषा का ठीक ज्ञान न होना, यथा—प्राकृत के स्थान पर पहलवी और प्राकृत के स्थान पर सस्कृत भाषा समझकर किये गये प्रयत्न विफल हो गये थे।

ऊपर हम 'स्वाहा' से लिये गये उद्धरण में ब्राह्मी लिपि पढ़ने के प्रयत्नों की सामान्य रूप-रेखा पढ़ चुके हैं। यहाँ महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द श्रीभा से भी इस सम्बन्ध में एक उद्धरण दिया जाता है, इससे ब्राह्मी लिपि के पढ़ने के प्रयत्नों का अच्छा ज्ञान हो सकेगा।

बगाल एशियाटिक सोसाइटी के सत्रह में देहली और इलाहाबाद के स्तम्भों तथा खडगिरि के चट्टान पर खुदे हुए लेखों की छापें छा गई थी परन्तु विल्फर्ड का यत्न निष्फल होने से अनेक वर्षों तक उन लेखों के पढ़ने का उद्योग न हुआ। उन लेखों का भाष्य जानने की जिज्ञासा रहने के कारण जेम्स प्रिन्सेप ने ई० स० 1834-35 में इलाहाबाद,

रघिया और मयिया के स्तम्भों पर के लेखों की छापें मगवाई और उनको देहली के लेख से मिलाकर यह जानना चाहा कि उनमें कोई शब्द एक-सा है या नहीं। इस प्रकार उन चारो लेखों को पास-पास रखकर मिलाने में तुरन्त ही यह पाया गया कि ये चारो लेख एक ही हैं। इस बात से प्रिन्सेप का उत्साह बढ़ा और उसे अपनी जिज्ञासा पूर्ण होने की हठ भाषा बघी। फिर इलाहाबाद के स्तम्भ के लेख से भिन्न-भिन्न याकृति के अक्षरों को अलग-अलग छाटने पर यह विदित हो गया कि गुप्ताक्षरों के समान उनमें भी कितने अक्षरों के साथ स्वरों की मात्राओं के पृथक्-पृथक् पाँच चिह्न लगे हुए हैं, जो एकत्रित कर प्रकट किये गये।¹ इससे अनेक विद्वानों को उक्त अक्षरों के यूनानी होने का जो भ्रम था² वह दूर हो गया। स्वरों के चिह्नों को पहिचानने के बाद मि प्रिन्सेप ने अक्षरों के पहिचानने का उद्योग करना शुरू किया और उक्त लेख के प्रत्येक अक्षर को गुप्तलिपि से मिलाना और जो मिलता गया उसको वर्णमाला के क्रमवार रखना प्रारम्भ किया। इस प्रकार बहुत-से अक्षर पहिचान में आ गये।

पादरी जेम्स स्टिवेन्सन ने भी प्रिन्सेप की भाँति इसी शोध में लग कर 'क', 'ज', 'प' और 'ब' अक्षरों³ को पहिचाना और इन अक्षरों की सहायता से लेखों को पढ़कर उनका अनुवाद करने का उद्योग किया गया परन्तु कुछ तो अक्षरों के पहिचानने में भूल हो जाने, कुछ वर्णमाला पूरी ज्ञात न होने⁴ और कुछ उन लेखों की भाषा को संस्कृत मानकर उसी भाषा के नियमानुसार पढ़ने से वह उद्योग निष्फल हुआ। इससे भी प्रिन्सेप को निराशा न हुई। ई० स० 1836 में प्रसिद्ध विद्वान लैसन ने एक बैक्ट्रिअन् ग्रीक सिक्के पर इन्हीं अक्षरों में ग्रैंगोर्याक्स का नाम पढ़ा। ई० स० 1837 में मि प्रिन्सेप ने साची के स्तूपों से सम्बन्ध रखने वाले स्तम्भों आदि पर खुदे हुए कई एक छोटे-छोटे लेखों की छापें एकत्र कर उन्हें देखा तो उनके अन्त के दो अक्षर एक-से दिखाई दिये और उनके पहिले प्रायः 'स' अक्षर पाया गया जिसको प्राकृत भाषा के सम्बन्ध कारक के एक वचन का प्रत्यय (संस्कृत 'स्य' से) मानकर यह अनुमान किया कि ये सब लेख अलग-अलग पुरुषों के धान प्रकट करते होंगे और अन्त के दोनों अक्षर, जो पढ़े नहीं और जिनमें से

1 जर्नल ऑफ दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिल्द 3, पृ० 7, प्लेट 5।

2 अशोक के लेखों की लिपि मामूली देखने वाले को अरबी या ग्रीक लिपि का भ्रम उत्पन्न करा दे, ऐसी ही है। टॉम कोरिअट नामक मुसाफिर ने अशोक के देहली के स्तम्भ के लेख को देखकर एल क्लिटकर को एक पत्र में लिखा कि "मैं इस देश (हिन्दुस्तान) के देली (देहली) नामक शहर में आया जहाँ पर 'अलेक्जेंडर दी ग्रेट' (सिकन्दर) ने हिन्दुस्तान के राजा पोरस को हराया और अपनी विजय की यादगार में उसने एक बृहत् स्तम्भ खड़ा करवाया जो अब तक वहाँ विद्यमान है" (केरल बनिजिज एंड ट्रेवल्स, जि 9 पृष्ठ 423 क आ स. रि जि 1 पृ० 163) इस तरह जब टॉम कोरिअट ने अशोक के लेख वाले स्तम्भ को बादशाह निकदर का खड़ा करवाया हुआ मान लिया तो उस पर के लेख के पढ़ने जति तक दूसरे यूरोपिअन् वालों आदिका उसकी लिपि को प्रीर मान लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पादरी एडवर्ड टैरी ने लिखा है कि टॉम कोरिअट ने मुझसे कहा कि मैंने देली (देहली) में ग्रीक लेख वाला एक बहुत बड़ा पाषाण का स्तम्भ देखा जो "अलेक्जेंडर दी ग्रेट" ने उस प्रसिद्ध विजय की यादगार के निमित्त उस समय वहाँ पर खड़ा करवाया था" (क आ स रि. जि 1, पृ० 163-64) इसी तरह दूसरे लेखकों ने उस लेख को ग्रीक लेख मान लिया था।

3 जर्नल ऑफ दी एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, जि० 3, पृ० 485।

4 'न' को 'र' पढ़ लिया था और 'द' को पहिचाना न था।

पहिले के साथ 'भा' की मात्रा और दूसरे के साथ अनुस्वार लगा है उनमें से पहिला अक्षर 'दा' और दूसरा 'न' (दान) ही होगा। इस अनुमान के अनुसार 'द' और 'न' के पहिचाने जाने पर वर्णमाला सम्पूर्ण हो गई और देहली, इलाहाबाद, साँची, मधिया, रघिया, गिरनार, मौली आदि के लेख सुगमतापूर्वक पढ लिए गये। इससे यह भी निश्चय हो गया कि उनकी भाषा, जो पहिले संस्कृत मान ली गई थी वह अनुमान ठीक न था, वरन उनकी भाषा उक्त स्थानों की प्रचलित देशी (प्राकृत) भाषा थी। इस प्रकार प्रिन्सेप आदि विद्वानों के उद्योग से ब्राह्मी अक्षरों के पढे जाने से पिछले समय के सब लेखों को पढ़ना सुगम हो गया क्योंकि भारतवर्ष की समस्त प्राचीन लिपियों का मूल यही ब्राह्मी लिपि है।¹

जिस 'ब्राह्मी वर्णमाला' के उद्घाटन का रोचक इतिहास ऊपर दिया गया है, उसे पढ़ने में आज विशेष कठिनाई नहीं होती। प्रिन्सेप आदि के प्रयत्नों ने वह वर्णमाला हमारे लिए हस्तामूलकबत कर दी है। वह वर्णमाला केंसी है, इसे बताने के लिए नीचे उसका पूरा रूप दे रहे हैं :—

अशोककालीन सामान्य ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला यह है :

अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ अं

५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २०

मात्रा १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २०

क	ख	ग	घ	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
+	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
च	छ	ज	झ	ञ	श	ष	स	ह	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०

त	थ	द	ध	न
१	२	३	४	५
६	७	८	९	१०
११	१२	१३	१४	१५
१६	१७	१८	१९	२०

1 भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ० 39-40।

(भारतीय साहित्य-जनवरी, 1959)

इस ग्रन्थोक्त लिपि से विकसित होकर भारत की विविध लिपियाँ बनी हैं। इन लिपियों की आधुनिक वर्णमाला से तुलनात्मक रूप बताने के लिए प० उदयशंकर शास्त्री ने एक चाट बनाया है, वह यहाँ उद्धृत किया जाता है—

भारत में लिपि-विचार

श्री गोपाल नारायण बहुरा जी ने लिपि के सम्बन्ध में जो टिप्पणियाँ भेजी हैं, उनमें पहले लिपि विषयक प्राचीन उल्लेखों की चर्चा की गयी है। वे लिखते हैं :

“बौद्धग्रन्थ ‘ललितविस्तर’¹ के दसवें अध्याय में 64 लिपियों के नाम आये हैं। 1-ब्राह्मी, 2-खरोष्ठी, 3-पुष्करसारी, 4-अगलिपि, 5-बगलिपि, 6-मगधलिपि, 7-मागधलिपि, 8-मनुष्यलिपि, 9-अगुलीय लिपि, 10-शकारिलिपि, 11-ब्रह्मवल्ली, 12-द्राविड, 13-कनारि, 14-दक्षिण, 15-उग्र, 16-सख्या लिपि, 17-प्रनुलोम, 18-ऊर्ध्वध्वनु, 19-दरदलिपि, 20-खास्यलिपि, 21-चीनी, 22-हूण, 23-मध्याक्षर-विस्तर लिपि, 24-पुष्पलिपि, 25-देवलिपि, 26-नाग लिपि, 27-यक्षलिपि, 28-गन्धर्व-लिपि, 29-किन्नरलिपि, 30-महोरगलिपि, 31-अमुरलिपि, 32-गरुडलिपि, 33-मृगचक्र लिपि, 34-चक्रलिपि, 35-वायुमर्हलिपि, 36-मीमदेवलिपि, 37-अन्तरिक्षदेवलिपि, 38-उत्तरबुद्धीपलिपि, 39-अपरगौडादिलिपि, 40-पूर्वविदेहलिपि, 41-उरक्षेप लिपि, 42-निक्षेप लिपि, 43-विक्षेप लिपि, 44-प्रक्षेप लिपि, 45-सागर लिपि 46-ब्रजलिपि, 47-लेख प्रतिलेख लिपि, 48-प्रनुदूतलिपि, 49-शास्त्रवर्तलिपि, 50-गणावर्तलिपि, 51-उरक्षेपावर्त, 52-विक्षेपावर्त, 53-पादलिखितलिपि, 54-द्विरुत्तरपदसन्धि लिखित लिपि, 55-दशोत्तरपदसन्धिलिखित लिपि, 56-अध्याहारिणी लिपि, 57-सर्वरुतसग्रहणी लिपि, 58-विद्यानुलोमलिपि, 59-विमिश्रितलिपि, 60-ऋषितपस्त्वलिपि, 61-घरणी-प्रेक्षजालिपि, 62-सर्वोपधनिष्यन्दलिपि, 63-सर्वसारसग्रहणी लिपि, 64-सर्वभूतस्वग्रहणी लिपि।

उक्त लिपियों के नाम पढ़ने से ही ज्ञात हो जायेगा कि इनमें से बहुत-से नाम तो लिपि-द्योतक न होकर लेखन प्रकार के हैं, कितने ही कल्पित लगते हैं और कितने ही नाम पुनरावृत्त भी हैं।

किन्तु डॉ० राजबली पांडेय इस मत को मान्यता नहीं देते। उन्होंने इन चौसठ लिपियों को वर्गीकृत करके अपनी ब्याख्या दी है। इन लिपियों पर डॉ० पांडेय की पूरी टिप्पणी यहाँ उद्धृत की जाती है। वे लिखते हैं कि :

“ऊपर की सूची में भारतीय तथा विदेशी उन लिपियों के नाम हैं जिनमें उस काल में, जबकि ये पत्तियाँ लिखी गयी थीं, भारतीय परिचित थे या जिनकी कल्पना उन्होंने की थी। पूरी सूची में वे केवल दो ही लिपियाँ ऐसी हैं जिन्हें साक्षात् प्रमाण के आधारे

1 मुझ ‘ललितविस्तर’ ग्रन्थ संस्कृत में है इसमें बुद्ध का चरित्र बर्णित है। इसके रचना-काल का ठीक ठीक पता नहीं चलता—परन्तु इसका चीनी भाषा में अनुवाद 308 ई० में हुआ था। डॉ० राजबली पांडेय ने इतना और बताया है कि यह कृति अपने चीनी अनुवाद से कम से कम एक या दो शताब्दी पूर्व की हो होनी ही चाहिये।

पर पहचाना जा सकता है। ये दो लिपियाँ ब्राह्मी और खरोष्ठी हैं। चीनी विश्वकोष का वन-मु-निव (रचना काल 668 ई०) इस प्रसंग में हमारी सहायता करता है। इसके अनुसार लेखन का आविष्कार तीन देवी शक्तियों ने किया था, इनमें पहला देवता था फन (ब्रह्मा) जिसने ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया, जो बाये से दाये लिखी जाती है, दूसरी देवी शक्ति थी किया-सू (खरोष्ठी) जिसने खरोष्ठी का आविष्कार किया, जो दाये से बाये लिखी जाती है, तीसरी और सबसे कम महत्वपूर्ण देवी शक्ति थी त्सांम की (Tsam-ki) जिसके द्वारा आविष्कृत लिपि ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। यही विश्व कोष हमें आगे बताता है कि पहले दो देवता भारत में उत्पन्न हुए थे और तीसरा चीन में '.....'।

सूक्ष्मता में विचार करने पर अधिकांश लिपियाँ (ललितविस्तर में बतायी गयी) निम्नलिखित वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं, कुछ तो फिर भी ऐसी रह जाती हैं जिन्हें पहचानना और परिभाषित करना कठिन ही है

- 1 भारत में सबसे अधिक प्रचलित लिपि ब्राह्मी। यह लिपि की अकारादिक (alphabetic) प्रणाली थी।
2. वह लेखन प्रणाली जो भारत के उत्तर-पश्चिम तक ही सीमित रही खरोष्ठी। इसमें अकारादिक वर्णमाला तो ब्राह्मी के समान थी पर लिपि भिन्न रही।
- 3 भारत में ज्ञात विदेशी लिपियाँ

(क) यवनाली (यवनानी)—यूनानी (ग्रीक) वाणिज्य व्यवसाय के माध्यम से भारत इससे परिचित था। यह भारत-बाल्ची और कुपाण सिक्कों पर भी अंकित मिलती है।

(ख) दरदलिपि . (दरद लोगो की लिपि)

(ग) खस्यालिपि (खसों-शकों की लिपि)

(घ) चीना लिपि (चीनी लिपि)

(च) हूण लिपि (हूणों की लिपि)

(छ) असुर लिपि (असुरों की लिपि, जो कि पश्चिम एशिया में आर्यों की शाखा के ही थे।)

(ज) उत्तर कुहदीप लिपि (उत्तर कुह, हिमालय, उत्तर के क्षेत्र की लिपि)

(झ) सागर-लिपि (समुद्री क्षेत्रों की लिपि)

- 4 भारत की प्रादेशिक लिपियाँ आधुनिक प्रादेशिक लिपियों की भाँति पूर्वकाल में ब्राह्मी के माथ माथ ऐसी प्रादेशिक लिपियाँ भी रही होंगी जो या तो ब्राह्मी का ही रूपान्तर हो, या उससे ही विकसित या व्युत्पन्न हो या पुरा-ब्राह्मी या तत्कालीन किसी अन्य स्वतन्त्र लिपि से व्युत्पन्न न हो। ब्राह्मी के रूपान्तरों को छोड़ कर उक्त सभी कालकवलित हो गयीं। फिर भी नीचे लिखे नामों में कुछ की स्मृति अवशिष्ट है

(क) पुत्ररसारीय (पुष्करसारीय) अधिक सम्भावना यह है कि यह पश्चिमी गांधार में प्रचलित रही हो। जिसकी राजधानी पुष्करावती थी।

(ख) पहारइय (उत्तर पहाड़ी क्षेत्र की लिपि)

- (ग) भ्रग लिपि (भ्रग उ०पू० बिहार की लिपि)
- (घ) बग लिपि (बगाल में प्रचलित लिपि)
- (च) मगध लिपि (मगध में प्रचलित लिपि)
- (छ) द्रविड लिपि (दमिलि) (द्रविड प्रदेश की लिपि)
- (ज) कनारी लिपि (कनारी क्षेत्र की लिपि)
- (झ) दक्षिण लिपि (दखन (दक्षिण) की लिपि)
- (ट) अपर-गोघ्राद्रिड-लिपि (पश्चिमी गौड की लिपि)
- (ठ) पूर्व विदेह लिपि (पूर्व विदेह की लिपि)

5. जनजातियों की (Tribal) लिपियाँ :

- (क) गंधर्व लिपि (गंधर्वों की लिपि, ये हिमालय की जन-जाति हैं) ।
- (ख) पौलिदी (पुलिदी की विध्यक्षेत्र के लोगो की)
- (ग) उग्रलिपि (उग्र लोगो की लिपि)
- (घ) नागलिपि (नागो की लिपि)
- (च) यक्षलिपि [यक्षो (हिमालय की एक जाति) की]
- (छ) किन्नरलिपि (किन्नरो, हिमालय की एक जाति की लिपि)
- (ज) गरुडलिपि (गरुडो की लिपि)

6. साम्प्रदायिक लिपियाँ .

- (क) महेसरी (महेस्सरी माहेस्वरी, शंभो में प्रचलित एक लिपि)
- (ख) भौमदेव लिपि (भूमि के देवता (ब्राह्मण) द्वारा प्रयुक्त लिपि)

7. चित्ररेखान्वित लिपियाँ

- (क) मंगल्य लिपि (एक मंगलकारी लिपि)
- (ख) मनुष्य लिपि (एक ऐसी लिपि जिसमें मानव-आकृतियों का उपयोग हो)
- (ग) आंगुलीय लिपि (अंगुलियों के से आकार वाली लिपि)
- (घ) ऊर्ध्व धनु लिपि (चढ़े हुए धनुष के से आकार वाली लिपि)
- (च) पुष्पलिपि (पुष्पांकित लिपि)
- (छ) मृगचक्र लिपि (वह लिपि जिसमें पशुओं के चक्रों का उपयोग किया गया हो ।)
- (ज) चक्र लिपि (चक्राकार रूप वाली लिपि)
- (झ) वज्र लिपि (वज्र के समरूप वाली लिपि)

8. स्मरणोपकारी (Mnemonic) लिपि

- (क) अक्षलिपि (या संख्या लिपि)
- (ख) गणित लिपि (गणित के माध्यम वाली लिपि)

9. उभारी या सोबी लिपि :

- (क) आदश या आयस लिपि (वाच्यार्थ कुतरी हुई (bitten) अर्थात् छेनी, से सोबी हुई)

10 शैली-परक लिपियाँ

- (क) उदक्षेप लिपि (ऊपर की ओर उभार कर (उद्धालकर) लिखी गयी लिपि)
 (ख) निक्षेप लिपि (नीचे की ओर बढ़ा कर लिखी गयी लिपि)
 (ग) विक्षेप लिपि (सब ओर से लवित लिपि)
 (घ) प्रक्षेप लिपि (एक ओर विशेष सम्वद्धित लिपि)
 (च) मध्यक्षर विस्तार लिपि (बहु लिपि जिसमे मध्य-अक्षर को विशेष सम्वद्धित किया गया हो।)

11 सङ्क्रमण-स्थिति चोत्क लिपि :

विमिश्रित लिपि (चित्ररेखान्वित, अक्षर (Syllabics) तथा वर्ण से विमिश्रित लिपि)।

12. त्वरा लेखन

(क) अनुद्रुत लिपि (शीघ्रगति से लिखने की लिपि या त्वरा लेखन की लिपि)

13. पुस्तको के लिए विशिष्ट शैली •

शास्त्रावर्त (परिनिष्ठित वृत्तियों की लिपि)

14. हिसाब-किताब की विशिष्ट शैली •

(क) गणावर्त (गणित मिश्रित कोई लिपि)

15. देवी या काल्पनिक •

- (क) देवलिपि (देवताओं की लिपि)
 (ख) महोरग लिपि (सर्पों (उरगों) की लिपि)
 (ग) वायुमरु लिपि (हवाओं की लिपि)
 (घ) अन्तरिक्ष-देव लिपि (आकाश के देवताओं की लिपि)

देवी या काल्पनिक लिपियों को छोड़ कर शेष भेद या रूप भारत के विविध भागों की लिपियों में, पड़ोसी देशों की लिपियों में, प्रादेशिक लिपियों में और अन्य चित्र-रेखा नन्वयी या आलंकारिक लेखन में कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं।¹

इस लेखक ने मोहनजोदडो और हड़प्पा की लिपि को विमिश्रित लिपि माना है जिसमें संक्रमण सूचक चित्ररेखक (pictographs), भावचित्ररेखक (ideographs) तथा ध्वनि-त्रिह्वक (अक्षर) रूप मिलेजुले मिलते हैं।²

किन्तु अठारह लिपियों का उल्लेख कई प्रमाणों में मिलता है। इस सम्बन्ध में हम पुनः श्री बहुरा जी की टिप्पणी उद्धृत करते हैं •

वर्णक समुच्चय में मध्यमालीन अठारह लिपियों के नाम इस प्रकार हैं —

1. उड्डी (उडिया), 2. कीरी, 3. चणक्की, 4. जक्खा (यक्ष लिपि), 5. जवणी (यावनी ग्रीक लिपि), 6. तुरक्की (तुर्की), 7. द्राविडी, 8. नडि, नागरी (ई०सं० की

1. Pandey, Rajbali—Indian Palaeography, P. 25-28.

2. Ibid, P 29

8वीं शताब्दी के बाद में विकसित) 9 निमित्री (ज्योतिष सम्बन्धी), 10. पारसी, 11. मूललिपि, मालविणी (मालव प्रदेशीय लिपि), 12 मूलदेवी (चौरशास्त्र के प्रणेता मूलदेव प्रणीत सकेत लिपि), 13. रक्खशी (राक्षसी), 14 लाडलि (लाट प्रदेशीय), 15. सिधविया (सिंधी), 16 हंसलिपि (Arrow headed alphabets) के नाम तो लावण्य-समयकृत 'विमलप्रबन्ध' में मिलते हैं और इनसे जूनी (प्राचीन) लिपियों के नाम, 17. जवणालिया अथवा जवणनिया और 18. दामिलि और है।

'पद्मवणा सूत्र' की प्राचीन प्रति में 18 लिपियों के नाम इस प्रकार हैं :—1. बंगी, 2 जवणालि, 3 दोसापुरिया, 4. खरोट्टी, 5. पुक्खरसारिया, 6. भोगवइया, 7. पहा-राइया, 8 उपग्रतरिखिया, 9. अक्खरपिट्ठिया, 10. तेवणइया (वेवणइया) 11. गिलि-गहइया, 12 अकलिपि, 13 गणितलिपि, 14. गधव्व लिपि, 15 आदस (आयस) लिपि, 16. माहेसरी, 17 दमिली, 18. पोलिदी।

'जैन समवायाग सूत्र' की रचना अशोक से पूर्व हुई मानी जाती है। इसमें दी हुई अट्ठारह लिपियों की सूची में ब्राह्मी और खरोट्टी के अतिरिक्त जिन लिपियों के नाम दिए गए हैं उनमें लिखा हुआ कोई शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है। सम्भवतः वे सभी लुप्तप्राय हो गई होंगी और उनका स्थान ब्राह्मी ने ही ले लिया होगा।

इसी प्रकार 'विशेषावश्यक सूत्र' की गाथा 464 की टीका में भी 18 लिपियों के नाम गिनाये गए हैं—1 हसलिपि, 2. मुग्रलिपि, 3. जक्खीटट लिपि, 4. रक्खी अथवा बोधघा, 5 उड्डी, 6 जवणी, 7. तुहक्की, 8 कीरी, 9. दविडी, 10. सिधविया, 11. माल-विणी, 12. नडि, 13 नागरि, 14 लाडलिपि, 15 पारीसी वा बोधघा, 16. तहग्रनिमि-त्तीय लिपि, 17 चाणक्की, 18. मूलदेवी।

'समवायागसूत्र' और 'विशेषावश्यक' टीका में आधी हुई 18 लिपियों के नामों में बड़ा अन्तर है। 'समवायाग' में ब्राह्मी और खरोट्टी के नाम आते हैं परन्तु विशेषावश्यक टीका में एशिया और भारत के प्रदेशों के नामों पर आधारित तथा कतिपय प्रसिद्ध पुरुषों की नामाश्रित लिपियों के नाम देखने को मिलते हैं, यथा—तुहक्की, सिधविया, दविडी, मालविणी, पारसी ये देशों के नाम पर हैं और बाणक्की, मूलदेवी आदि व्यक्ति विशेष द्वारा निर्मित हैं। रक्खसी और पारसी दोनों के पर्याय बोधघा दिए हैं। ये दोनों एक ही थी क्या? समवायागसूत्र वाली सूची स्पष्ट है।

इनमें कुछ तो शुद्ध साकेतिक लिपियाँ हैं जो अमुक-अमुक वर्णों का सूचन करती हैं और कुछ एक ही लिपि के वर्णों में क्रम-परिवर्तन करके स्वरूप-ग्रहण करती हैं, यथा—चाणक्की और मूलदेवी लिपियाँ नागरी के वर्णों में परिवर्तन करके ही उत्पन्न की गयी हैं। वात्स्यायन कृत 'कामसूत्र' में परिगणित 64 कलाओं में ऐसी लिपियों का भी उल्लेख आता है और इनको 'म्लेच्छित विकल्प' की सजा दी गयी है। जब शुद्ध शब्द के अक्षरों में विकल्प या फेरफार करके उसे अस्पष्ट अर्थ वाला बना दिया जाता है तो वह 'म्लेच्छित विकल्प' कहलाता है, यथा—'क', 'स', 'ध' और 'द' से 'क्ष' तक के अक्षरों को ह्रस्व और दीर्घ तथा अनुस्वार और विसर्ग, इन सबको उल्टा क्रम करके अन्त में ध लगाकर लिखने से दुर्बोध्य 'चाणक्की' लिपि बन जाती है।

अ क, ख ग, घ ङ, च ट, त प, य श, इनको लस्य अर्थात् अ की जगह क, ख के स्थान पर ग रखने तथा शेष को यथावत् रखने में मूलदेवीय रूप हो जाता है।

गूढ़ लेख-ग्रह 9-अइउऋलृएऐओघो, नयन-2 दीर्घ, वसु 8-कसगपड चछज, पडानन 6-
 ऋयटठडढ, सागर 7-णतयदधनप, मुनि 7-फवभमयरला, ज्वलानाग 5-वशपसह, तु कशृग—
 विसर्ग-प्रनुस्वार । इस कुञ्जी से लिखा गूढ़ लेख कहलाता है — “ग्रहनयनवसुसमेत
 पडाननरुपानि सागरा मुनय । ज्वलानाग तु कशृग दुर्लिखित गूढ लेख्यामिदम् ॥ यथा—

वसु	1=क+ग्रह 1 नयन=आ=क+अ+आ=का	
मुनि	4=म्+ग्रह 1 अ=म+अ	=म
सागर	4=द+ग्रह 6 = द+ए	=दे
ज्वलानाग	1=व+ग्रह 1 = व+अ	=व
		= कामदेव

एव “प्रकारा अन्येऽपि द्रष्टव्याः”

इसी प्रकार अक पल्लवी, शून्यपल्लवी और रेखापल्लवी लिपियाँ भी होती थीं ।
 अकपल्लवी में पहला अक्षर वर्ण का चोतक, दूसरा उस वर्ण के अक्षर का और तीसरा मात्रा
 का चोतक होता है । अ पहला वर्ण है, सभी स्वर इसका अक्षर हैं । क, च, ट, त, प, य
 और श ये अन्य वर्ण हैं । इन वर्णों के अक्षर ये होंगे 1=अ वर्ण-स्वर वर्ण, 2=व वर्ण,
 3=च वर्ण, 4=ट वर्ण, 5=त वर्ण, 6=प वर्ण तथा 7=यरलव एव 8=शपसह ।
 अक पल्लवी में लेख यों लिखा जायेगा—

212	651	537	741
का	म	दे	व

शून्याको में हल्की और गहरी शून्य से लघु और गुरु का संकेत किया जाता है, इसी प्रकार
 रेखाको में हल्की गहरी और बड़ी छोटी रेखाओं से संकेत बनाए जाते हैं ।

कितनी ही प्राचीन ताडपत्रीय और कागज पर लिखी प्रतियों में अक्षरात्मक अक्षर
 भी पाए जाते हैं, जैसे-रोमन लिपि में १० (10)के लिए X, ५० (50) के लिए L, १००
 (100)के लिए C अक्षरों का प्रयोग किया जाता है । जैसे दस, बीस तीस आदि दशक
 संख्याओं के सूचक अक्षर लिखे जाते हैं, परन्तु शून्य के स्थान पर शून्य ही चलता है जैसे—
 लं=10, य=20, ला=30, प्त=40, 0=50, घं=6०, घूं=70 0=80, 0=90,
 0 0 0 0 0

सु=100, सू=200, स्ता=300, स्ति=400, स्तो=500, स्त=600, स्त=700
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0

इत्यादि ।

हम देखते हैं कि इन संख्याओं को पडी पक्ति में न लिख कर ऊपर-नीचे खड़ी पक्ति
 में लिखा जाता है । कुछ अक्षरों के स्थान पर दहाई में वे अक्षर ही अपने रूप में लिखे जाते
 हैं और कुछ के लिए अन्य अक्षर नियत हैं, यथा—लं=11, लं=12, लं=13, परतु,
 1 2 3

14 के लिए लं लिखा जायेगा । इसी प्रकार लं=15, लं=16, लं=17, लं=18,
 एक लं फु यां आ

लं=19 इत्यादि ।

हमारे बचपन में चटशालाएँ चलती थीं। चटशालाएँ सम्भवतः चेट्टिशाला का रूपान्तर हैं। चेट्टि शब्द शिष्य का वाचक है। चटशाला के बड़े छात्र या अध्यापक को जोशीजी कहते थे। मानीटर को 'वरचट्टी' कहा जाता था। उन दिनों पहले एक पट्टे पर गेरू या लाल मिट्टी बिछा कर लकड़ी के 'बरते' से अक्षर लिखना सिखाया जाता था। फिर लकड़ी की पाटी पर मुस्तानी पोत कर नेजे (सरकण्डे) की कलम और गोदवाली कासी स्याही से मुलेख लिखाया जाता था। इसको 'अक्षर जमाना' कहते थे। पहले वर्ण-माला फिर गणित पाटी आदि तो लिखाते ही थे परन्तु बड़े छात्रों को सिद्धा' अर्थात् कातन्त्र सूत्र 'सिद्धो वर्णा' लिखाते थे—पर साथ ही, हमें याद है कि एक 'दातासी' लिपि भी लिखाई जाती थी। इसको जानने वाला सबसे चतुर छात्र समझा जाता था—स्वर तो वही रहते हैं परन्तु 32 व्यंजनों के लिए ये अक्षर होते थे

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																	
श्री	दा	-	ता	-	घ	-	न	-	को	-	स	-	मा	-	वो	-	वा	-	ल							
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24													
म	-	हि	-	प	-	गो	-	घ	-	टी	-	आ	-	ई	-	पू	-	छ	-	ज	-	डा	-	य	-	डा
25	26	27	28	29	30	31	32	इति दातासी।																		
उ	-	च	-	रो	-	य	-	ठ	-	ण	-	ऊ	-	फू												

इसका दूसरा सूत्र इस प्रकार है--

दाता धष कोस भाव, वाला मह खग घटा।

आशा पीठ जडे पण्डे, चय रिच्छ घन भफा ॥

इति दातासी।

वर्ण विपर्यय द्वारा लिखी जाने वाली एक सहदेवी विधि भी है, जिसका क्रम इस प्रकार है --

अप । फब । मम । कच । खछ । गज । घभ । डज्ज ।

टत । ठय । डद । ढघ । णन । हय । शय । रस । लप ॥

इति सहदेवी

लिपि

व्यावहारिक समस्याएँ

यहाँ तक हमने ऐतिहासिक दृष्टि से लिपि के स्वरूप पर विचार किया है। साथ ही विविध लिपियों की वर्णमालाओं पर भी प्रकाश डाला है। पांडुलिपि-विज्ञान के अध्येता और प्रम्यासी को तो आज विविध ग्रन्थागारों में उपलब्ध ग्रन्थों का उपयोग करना पड़ता है। इन ग्रन्थों में देवनागरी के ही कुछ अक्षरों के ऐसे रूप मिलते हैं कि उन्हें पढ़ना कठिन होता है। इस दृष्टि से ऐसे कुछ अक्षरों का ज्ञान यहाँ करा देना उपयुक्त प्रतीत होता है।

एक अनुमन्थानकर्ता गुजरात के ग्रन्थागारों के ग्रन्थों का उपयोग करने गये तो उन्हें एक प्रतिष्ठित आचार्य ने ऐसे ही विशिष्ट अक्षरों की एक अक्षरावली दी थी और उस अक्षरावली के कारण उन्हें वहाँ के ग्रन्थों को पढ़ने में कठिनाई नहीं हुई। वह अक्षरावली¹

1. सत्येन्द्र (शं०)—अनुमन्थान, पृ० 111।

नीचे दी जाती है

उ ऊ ओ औ छ ज झ
 उ, ऊ, ँ, ऌ, ऍ, ऎ, ए, ऐ, ऒ
 ड ढ म ल श स ह ख
 ङ ण म य ल थ ज ठ ष
 (क=के, (के=कै, (का=को, (को=कौ, क्क=कु, क्कू=कू

सयुक्त वण

डू = उज, ढ = डू, क्क = क्क, ऊऊ = ऊऊ,
 म = मू, ण = म, ङ = ल्य = ए = ए, छ = छ = छ,
 ज = झ, ल = ल = ज ज = त
 उ उ उ रा रा ए म
 थ = थु ज म उ उ ए रा त ए म
 क = कथ, ख = खथ, थ = गथ, छ = छथ,
 झ = झथ, ज, थ, म = मथ

इस अक्षरावली पर दृष्टि डालने से एक बात तो यह विदित होती है कि 'उ ऊ ओ औ' चारो स्वरो मे 'मूल स्वर' का रूप एक है, उ ऊ मे भी और 'ओ औ' मे भी वह है। इसमे शिरोरेखा देकर 'उ' बनाया गया है। इसी मे 'ऊ' की मात्रा लगाकर 'ऊ' बनाया गया है। यह 'ऊ' की मात्रा है—' ' और यह अशोककालीन ब्राह्मी की 'ऊ' की मात्रा का ही अवशेष है जो आज तक चला आ रहा है। ओ औ मे 2 की रेखा को 3 की भाँति वृत्तावित या घुण्डीयुक्त कर दिया गया है। फिर 3 पर शिरोरेखा मे भी अशोक लिपि की परम्परा मिलती है। दोनो ओर '—' यह रेखा लगाने से 'ओ' बनता है, ये 'ओ' की मात्राएँ है। 'औ' की मात्रा मे भी एक रेखा (ऊ) की मात्रा के सिर पर चढाई गयी है। ये ब्राह्मी के अवशेष हैं। यही प्रवृत्ति कु-कू मे भी मिलती है। के कं, को को मे बगला लिपि की मात्राओ से सहायता ली गई है।

अब यहाँ कुछ विस्तार से राजस्थान के ग्रन्थो मे मिलने वाली अक्षरावली या वर्ण-माला पर विस्तार से वैज्ञानिक विश्लेषणपूर्वक विचार डॉ हीरालाल माहेश्वरी के शब्दों मे दिये जाते हैं राजस्थानी की ओर राजस्थान मे उपलब्ध प्रतियो के विशेष सन्दर्भ मे उनकी वर्णमाला विषयक ज्ञातव्य बातें निम्नलिखित है—

1. (क) राजस्थान मे उपलब्ध ग्रन्थो मे प्रयोग मे आयी देवनागरी की वर्णमाला की कुछ विशेषताएँ कहीं-कहीं मिलती है। उन्हें हम इन वर्णों में विभाजित कर सकते हैं :

- (अ) विवादास्पद वर्ण
 (आ) भ्रान्त वर्ण
 (इ) प्रमाद से लिखे गए वर्ण
 (ई) विशिष्ट वर्ण चिह्न, उनका प्रयोग करना अथवा न करना तथा
 (उ) उदात्त-अनुदात्त-ध्वनि वर्ण

पहले प्रत्येक के एकाध उदाहरण देकर इनको स्पष्ट करना है—

(अ) विवादास्पद (Controversial) वर्णों के उदाहरण

1— थ > ढ / ढु > थ

च / अ श्च / क
 थ > ढ

(सं. 1887 पोह सुदि 1 को लिखे गए बीकानेर परवाने से) अन्य परवानों में भी ऐसे ही रूप दोनों के मिलते हैं, सं. 1907 तक ।

प्रयोग के उदाहरण

शाप > छाप / छैक > थैक
 था > धा / धड़ी > थड़ी
 थो > धो / धुणधुणो > थुणथुणो

2— र > द । द > र ।

द।र।र। र द र (ये रूप सभी प्रतियो और परवानों में)
 र द - - -

चवरा > चवदा । चवदा > चवरा
 (4) (14)

3— य > ब । ब > थ । श्री (ब)

थोबडो > वोबडो ।

(आ)

1— छ > ब । ब > छ

छुरी > बुरी । (परमारी दाबी छुरी) बंद > छंद ।
 (परमारी बुरी) पदघडिया पदघडिया छंद ।
 छाप > बाप > भं तो म्हारे छाप का ।
 भं तो म्हारे बाप का ॥

2—ट > द ।

बट बट गया दवांणी (प्रज्ञानी वृषन्-वृषन् हो गए) (मिल-मिलाप में खपकर)
 बद बद गया दवांणी (प्रज्ञानी वह बद गए)

3—म > म ।

मरेडी > मरेडी

4—त > म ।

सिसियर > मिसियर

(चन्द्रमा) (काला, काले वर्ण का, काले वर्ण के समूह का)

5—छ > घ ।

छमछम करती घाई ।

घमघम करती घाई ।

6—ष > व ।

षादणो > वादणो

7—ज > त ।

जाण्यो तेरो जत ।

जाण्यो तेरो तत ।

ज ज
ज

त त
त

8—ण्य > ण ।

ण्य ण्य
ण्य

जाण्यो पण आण्यो नहीं → (जाना किन्तु सामा नहीं)

जाणो पण आणो नहीं → (जानते ही किन्तु साते नहीं)

9—त > ट ।

तूटेगो > टूटेगो

त त ट ट
त ट

10—घ > ष ।

घण जो या बाई मिलो । (दित्रियों को देयने से क्या मिलता है)

घण जो या बाई मिलो । (प्रधिक (भातुरना) दिखाने से क्या मिलता है)

11—न > त ।

न न त
न

नातो तेरे नाम रो । (तेरे नाम का नाता है)

तातो तेरे नाम रो । (तेरे नाम का प्रेमी हूँ)

12—प > म ।

प प म
प

पड़ पड़ ताल समदा पारी । (समुद्रों के पार तक खबर होती है)

मड़ मड़ ताल समदा पारी (सरोवरों, समुद्रों के पार तक छायाँ ही छायाँ हैं ।)

13-फ > क । फ फ फ
फ

फर फरडाटो घायो
कर फरडाटो घायो

14-म > म
जय कुंण जाणं ।
जम कुण जाणं ।

15-म > स ।
भान निहोरा कित रखा ।
सान निहोरा कित रखा ।

16-ह > ड । ह . ह . ह
ह

17-ड > द ।
हडूकियो > डडूकियो
डेलह > देल्ह (मुप्रसिद्ध कवि का नाम)
(ब) भ्रामक धर्ण

1—त्र > न्र । त्र > त्र
त्रपत > न्रपतं । न्रपत > त्रपत

2—हलन्त् 'र' के लिए दो अक्षरों के बीच "—" चिह्न भी लिखा मिलता है (अनेक प्रतियों में) । सत्रहवीं शताब्दी की प्रतियों में अपेक्षाकृत अधिक ।

उदाहरणार्थ

धास्या > धा-या
मास्या > मा-या

इससे ये भ्रम हो सकते हैं -

(अ) सम्भवतः धा और या को मिलाया गया है (धास्या > धा-या) ।

(ब) सम्भवतः इन दोनों के बीच कोई अक्षर, मात्रादि छूट गया है ।

(स) सम्भवतः इसके पश्चात् शब्द समूह या श्रोल (पक्ति) छूट गई है ।

इसको कोई चिह्न-विशेष न सम्भ कर र का हलन्त रूप (-) सम्भर्ना चाहिए । यह (-) अन्तिम अक्षर के साथ जुड़े हुए रूप में मिलती है, पृथक् नहीं ।

(स) प्रमाद से लिखे गए धर्ण

इस शीर्षक के अन्तर्गत उल्लिखित (अ) विवादास्पद (Controversial) और

(मा) भ्रामक (Confusing) दोनो वर्ण भी सम्मिलित हैं। अब यहाँ प्रमादी लेखन से क्या परिणाम होते हैं और क्या कठिनाइयाँ खड़ी होती हैं, उन्हें देखना है। पहले मात्रामो पर ध्यान जाता है :

(1) मात्रा :

1— ा > ी । का की
का > की । का > की
(ा > ी)

2—(क) उ > अः
(ख) ओ > आ आ
(क) ए > ध
मात्रा (ा > उ)
(ख) कामोदरी > कामादरी
↓
कामादरी कामादरी

कामादरी

दृष्टव्य है कि भ्रमक हस्तलिखित प्रतियों में दो मात्राएँ बंगाली लिपि की भाँति लगी मिलती हैं। यह प्रवृत्ति 19वीं शताब्दी तक की प्रतियों में पाई जाती है। दोनो मात्राएँ न० (1) में दृष्टव्य हैं। यह प्रवृत्ति बीकानेर के 'दरबार पुस्तकालय' में सुरक्षित ग्रन्थों में विशेष मिली हैं।

3— उ ७ अ
ए > ऐ । ऐ > ए

4— ओ > औ । औ > ओ ँ > ँ

प्रतीत होता है कि यह गुरुमुखी के प्रभाव का परिणाम है और यह प्रवृत्ति 18वीं शताब्दी और उससे आगे लिखे ग्रन्थों में अधिक मिलती है।

अब हम इन वर्णों में मिलन वाले वैशिष्ट्य को ले सकते हैं •

(2) वर्ण :

क > फ ।

प > प । दृष्टव्य है कि राजस्थानी में 'ख' वर्ण 19वीं शताब्दी तक की प्रतियों में नहीं पाया जाता। बदले में 'प' ही पाया जाता है। इसके अपवाद ये हैं • 1. संस्कृत शब्द में 'ख' भी मिलता है, 2. ब्राह्मण प्रतिलिपि-कारों ने दोनो का प्रयोग किया है।

ग > म । स्याही की अधिकता, पन्ने का फटना, स्याही का फैलना तथा लिखे हुए पर लिखने के कारण कुछ का कुछ पढ़ना मिलता है । इससे अर्थ का अन्वय बहुत हुआ है ।

व > द । $\frac{\text{व्य}}{\text{न}} \quad \frac{\text{थ}}{\text{न}}$

ऋ > मु या नु > ऋ । फ > पु । पु > फ ।

बगला लिपि के अनुसार लिखित 'उ मे यया

ऋम > मुम । यहाँ 'म मे' (उ) की मात्रा मिलायी गयी है, इससे 'म' 'ऋ' लगने लगा है ।

ट > ठ । ठ > ट ।

ड > ड़ । ड़ > ड ।

द > व । व > द $\frac{\text{द}}{\text{द}} \quad \frac{\text{द}}{\text{व}}$

ष > ल (द्वित्व युक्त व)

लव > लत

ब > न । $\frac{\text{न}}{\text{व}} \quad \frac{\text{न}}{\text{न}}$

स > ध

त्र > प्त । त्त (त्र)

दृष्टव्य है कि इस वर्ण के अन्तर्गत जो उदाहरण मिलते हैं, वे अनेक हैं और प्रत्येक लिपिकार के अनुसार बदलते, घटते बढ़ते रहते हैं । 'मक्षिका स्थाने मक्षिका पात' के सिद्धान्त-पालन करने वाले माधुली पढ़े लिखे लिपिकार ऐसी भूलें किया करते हैं ।

(द) विशिष्ट वर्ण-चिह्न

य और व के नीचे बिन्दी लगाने की प्रथा राजस्थान में बहुत पुराने काल से है । इनको क्रमशः य और व लिखा जाता है । पुराने ढंग की पाठशालाओं में वर्णमाला सिखाते समय ववा तक स बीदली तथा 'ययियो पेटक' और 'ययियो बीदक' बताया जाता था । ववा तले स बीदली अर्थात् 'व' के तले बिन्दी (व) । ययियो पेटक अर्थात् य शुद्ध । ययिया बीदक अर्थात् य के नीचे बिन्दी (य) । 17 वीं शताब्दी तक य य दो पृथक ध्वनियाँ थीं, इसके सकेत रूप में प्रमाण मिलते हैं । उसके पश्चात् शब्द के आदि के य को तो प और बीच के व को य करके लिखा जाता रहा । अठारहवीं शताब्दी और उसके बाद की प्रतियों में प्रत्येक 'य' को य करके ही लिखा जाने लगा चाहे आदि में हो या मध्य में या अन्त में । य (य) और (य) के बीच ध्वनि (yeh, yes को yeh जैसे बोलते हैं) रही थी । इसी प्रकार व और व में अन्तर है । व को W और व को V की ध्वनियाँ मान सकते

हैं। तात्पर्य यह है कि प्राचीन लिपि में बिन्दी लगाई जाती थी जो अर्थ भेद स्पष्ट करने का प्रयास था। अठारहवीं शताब्दी से (य, य्) की भाँति व व को भी व करके लिखा जाने लगा।

इससे फायदा यह है कि एक तो व और य का निश्चित पता चल जाता है, अन्यथा व को प, य को म या प आदि-आदि समझने की भ्रंति हो सकती है। दूसरे यह पता लग जाता है कि या तो रचना, अथवा लिपिकार, राजस्थानी है, और सामान्यतया जो भूले राजस्थानी लिपिकार करता है, वे सम्बन्धित प्रति में भी होगी।

ड और ड पृथक् ध्वनियाँ हैं। कही-कही दोनों के लिए केवल 'ड' ही लिखा मिलता है। पहचान यह है कि 'ड' आदि में नहीं आता। इसके अतिरिक्त जो भ्रंति हो सकती है, उसका निराकरण अन्य उपायों से होगा।

चन्द्र-बिन्दु का प्रयोग कहीं भी नहीं होता। जहाँ चन्द्र बिन्दु जैसा प्रयोग होता है, निश्चित समझना चाहिए कि या तो यह छूटे हुए अक्षर को धोतित करने का () चिह्न है, अथवा बड़ी 'ई' की मात्रा (हजार) प्रतियाँ में मुझे तो एक भी चन्द्र बिन्दु का उदाहरण नहीं मिला। ध्यातव्य है कि गुजराती लिपि में चन्द्र-बिन्दु नहीं है। भाषा-शास्त्रीय और सांस्कृतिक दृष्टियों से राजस्थान का उससे विशेष सम्बन्ध होने के कारण भी ऐसा हुआ लगता है।

झ को ध्य लिखा जाता है। उन्नीसवीं शताब्दी से 'झ' भी लिखा मिलने लगता है किन्तु यह ध्वनि संस्कृत शब्दों के अतिरिक्त राजस्थानी में नहीं है। ड नहीं है। ध्यातव्य है कि ड को 'ड' करके लिखा जाता है इसको 'ड' समझना चाहिए 'ड' नहीं।

'ञ' को पाठशालाओं में ता 'नदियो खोडो चाँद' करके पढ़ाया जाता था। खडित चन्द्राकार होने से इसको ऐसा कहा गया। केवल बारहखडी काव्य में ही 'ञ' आया है। इसी प्रकार 'ड' भी बारहखडी काव्य में प्रयुक्त हुआ है। अन्य स्थानों पर ये दो (ड और ञ) नहीं आते। ज को सदा ग्य करके लिखा जाता है।

विराम चिह्नों के लिए चार बातें देखने में आई हैं—(1) कोमा का प्रयोग नहीं होता, केवल पूर्ण विराम का होता है। (2) पूर्ण विराम या तो (1) की भाँति लिखा जाता है अथवा (3) विसर्ग की भाँति () या (4) कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। विराम चिह्न रूप में विसर्ग अक्षर से ठीक जुड़ती हुई न लगाकर कुछ जगह छोड़कर लगाई जाती है, यथा 'जाणो चाहिजें काम करणो चाहिजें' आदि। इसी प्रकार कुछ न लगाकर रिक्त स्थान छोड़ने का तात्पर्य भी पूर्ण विराम है, यथा 'जाणो चाहिजें=काम करणो चाहिजें'। रेखांकित स्थान पर पूर्ण विराम मानना चाहिए।

छूटे हुए अक्षर और मात्रादि, तथा जुड़वे सकेत (—) के लिए ये बातें दृष्टव्य हैं—
छूटा हुआ अक्षर दाएँ, बाएँ हाशिये में, मात्रादि भी हाशिये में लिखी जाती है। किस हाशिये में कौन सा अक्षर और मात्रादि लिखा जाये इसका सामान्य नियम यह है कि यदि आगे से पूर्व तक कोई अक्षरादि छूट गया है, तो बाएँ में और बाद में कोई अक्षरादि छूट गया है तो दाएँ में लिखा जाता है। इसका चिह्न अथवा / अथवा L है।

अन्तिम को आधा प या = न समझना चाहिए। यदि अर्ध या पूर्ण पक्ति छूट गई है, तो वह प्रायः ऊपर के स्थान पर या नीचे के स्थान पर लिखी जाती है। मूल लिखावट में दो स्थानों पर चिह्न देकर ऊपर या नीचे (ओ) या (वो) लिखकर छूटी हुई पक्ति

लिखते हैं। यह पक्ति प्रधान बाएँ हाशिये से कुछ हटकर दाहिनी ओर होती है, ताकि पाठक को आसानी से पता चल जाए (भो भ्रवात् भोली-Live, भोर वो भ्रवात् बोली > भोली।)

लिखते समय यदि शब्द तो पूरा लिखा गया किन्तु मात्रा छूट गई या स्थान नहीं रहा तो वह बाएँ या दाएँ हाशिये में लिखी जाएगी। आधे वाला नियम यहाँ भी लागू होगा। इससे कभी-कभी बड़ा भ्रम उत्पन्न हो जाता है।

इस सम्बन्ध में तीसरी स्थिति यह है कि यदि आधा शब्द लिखा गया और एक या अधिक उसके अक्षर लिखे जाने से रह गए तो लिपिकार हाशिये में एक चिह्न (f) देता है, इसको आ (।) या पूर्ण विराम (।) समझना चाहिए। यह सर्वदाएँ हाशिए में ही होगा। उदाहरणार्थ एक शब्द 'प्रकरण' को लें। लिखते समय पूर्व पक्ति में अक्षर तक लिखा गया क्योंकि बाद में हाशिया आ गया था। इसको यो लिखा जाएगा—अक्षर।
रण। भूल में इसको अकारण न समझना चाहिए। (हाशिया)

विद्वानों ने उपर्युक्त चारों बगों वाली अनेक भूले की है। पाठ को हड़बड़ी में पढ़ने, प्रतिप्रकृति को ठीक से न समझने आदि-आदि के कारण ऐसी भूलें हुई हैं। एक अत्यन्त मनोरंजक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। डॉ. सियाराम तिवारी ने अपने शोध प्रबन्ध 'मध्यकालीन हिन्दी खण्ड काव्य' में रामलता कृत रुक्मणी-मंगल का परिचय दिया है। उस मूल प्रति में पत्रों का व्यतिक्रम था जो डॉ० तिवारी के ध्यान में नहीं आया। ध्यान में न आने का कारण यह था कि 'मंगल' में छन्द सख्या क्रम से न होकर रागों के अन्तर्गत पृथक-पृथक है। अम से यदि सख्या होती तो वे सगति बँठा लेने। इस प्रति को क्रमानुसार (अरेन्ज) न करके उभी रूप में उन्होंने लिखा है। इस कारण उनका यह समूचा अर्थ सर्वथा गलत और भ्रांतिपूर्ण हो गया है।

(ई) उदात्त-प्रनुदात्त ध्वनियों से सम्बन्धित कोई चिह्न नहीं है, केवल प्रसंग, अर्थ और अनुभव ज्ञान से ही सहायता मिल सकती है। कहीं-कहीं तो यह भी सम्भव नहीं है। एक उदाहरण यह है, शब्द है 'साड' यह माड भी हो सकता है और सा'ड भी। सा'-ड का तात्पर्य ऊँटनी है। जहाँ अक्षर पशुओं की नामावली आदि हो, वहाँ बड़ी भ्रांति की संभावना है, क्योंकि उदात्त और प्रनुदात्त शब्द के अर्थ भिन्न-भिन्न होते हैं। इसी प्रकार धन और ध'न है। धन अर्थात् सम्पत्ति और ध'न (ध'ण) अर्थात् पत्नी।

उपसंहार

इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक प्रतीत होता है। गुजरात के पुस्तकालयो/ग्रंथालयों के ग्रंथों को पढ़ने के लिए एक अक्षरावली एक विद्वान ने शोध छात्र को दी थी। प्रश्न यह है कि वह उन्हें कहाँ से उपलब्ध हुई थी? फिर डॉ० माहेश्वरी ने जो विविध अक्षर-रूपों को उद्धृत कर उदाहरणपूर्वक हस्तलेखों को पढ़ने की आडचनों की ओर संकेत किया है, उसके लिए उन्हें सामग्री किसने दी? दोनों का उत्तर है कि 'स्वानुभव' से। इन दो उदाहरणों से मिले इस निष्कर्ष के अनुसार पाठुलिपि विज्ञानविद् को चाहिये कि वह अन्य क्षेत्रों में पाठुलिपियों को देखकर उनके आधार पर ऐसी ही क्षेत्रीय लिपि-मालाएँ तैयार कराये। ये स्वयं उसके उपयोग में आ सकेंगी तथा अन्य अनुसंधानियों को भी पाठुलिपियों की शोध में सहायक ही सकेंगी।

विविध क्षेत्रीय वर्णमालाया के 'समस्या शोधक रूप प्रस्तुत ही जाने' पर तुलनात्मक आधार पर आगे के चरण का प्रस्तुत कर सकना संभव होगा। इस प्रकार किसी भी एक लिपि के व्यवहार क्षेत्र की समस्त समस्याएँ एक स्थान पर मिल सकगी और उनके समाधान का मार्ग भी तुलनात्मक पद्धति से प्रशस्त हो सकेगा।

□ □ □

पाठालोचन

‘लिपि’ की समस्या के पश्चात् ‘पाठ’ आता है। प्रत्येक ग्रन्थ का मूल लेखक जो लिखता है वह मूल पाठ होता है। मूल पाठ—स्वयं लेखक के हाथ का लिखा हुआ पाठ बहुत महत्त्वपूर्ण और मूल्यवान् वस्तु होती है। यदि किसी भी हस्तलेखागार में किसी भी ग्रन्थ का मूल पाठ सुरक्षित है तो उस ग्रन्थागार की प्रतिष्ठा और गौरव बहुत बढ़ जाता है। ऐसी प्रति का मूल्य वस्तुतः रुपये-पैसे में नहीं आँका जा सकता। अतः ऐसे ग्रन्थ पर प्रागाराध्यक्ष को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मूल-पाठ के उपयोग

मूल-पाठ के कितने ही उपयोग हैं। कुछ उपयोग निम्नलिखित प्रकार के हैं :

- 1—लेखक की लिपि लेखन शैली का पता चलता है जिससे उसको लिखते समय की स्थिति और अभ्यास का भी ज्ञान हो जाता है।
- 2—उसकी अपनी वर्तनी-विषयक नीति का पता चलता है।
- 3—ग्रन्थ-संघटन सम्पादन में मूल-पाठ आदर्श का काम दे सकता है। वस्तुतः पाठालोचन-विज्ञान इस मूलपाठ की खोज करने वाला विज्ञान ही है।
- 4—मूल पाठ से लेखक की शब्दार्थ-विषयक-प्रतिभा का शुद्ध ज्ञान होता है।
- 5—मूलपाठ से ग्रन्थ उपलब्ध पाठा को मिलाने से पाठांतरा और पाठभेदों में लिपि, वर्तनी और शब्दार्थ के रूपान्तर में होने वाली प्रक्रिया का पता चल जाता है, इस प्रक्रिया का ज्ञान अन्य पाठालोचकों में बहुत सहायक हो सकता है।
- 6—मूलपाठ के कागज, स्थाही, पृष्ठांकन, त्रिविलेखन, चित्र, हाशिया, हड़ताल उपयोग, आकार ग्रन्थ आदि से बहुल-सी ऐतिहासिक बातें विदित हो सकती हैं या उनकी पुष्टि अपुष्टि हो सकती है। कागज-स्थाही आदि के अलग-अलग इतिहास में भी ये बातें उपयोगी हैं।

लिपिक का सर्जन

अतः हस्तलेखाधिकारी को अपेक्षित है कि वह इनके सबध में सामान्य वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सूचनाएँ अपने पास रखे। ये सूचनाएँ उसके स्वयं के लिए भी उपयोगी और मार्ग दर्शक हो सकती हैं। किन्तु सभी हस्तलेख मूलपाठ में नहीं होते हैं। वे तो मूलपाठ के वंश की आगे की कई पीढ़ियों से आगे के हो सकते हैं। मूलपाठ से आरम्भ में जितनी प्रतिलिपियाँ तैय्यार हुईं वे सभी मूलपाठ के वंश की प्रथम स्थानीय सतानें मानी जा सकती हैं। मूल पाठ से ही मात्र लीजिये तीन लिपिक प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हैं—

- वह इस प्रकार
- पहला लिपिक — 3 प्रतियाँ
 - दूसरा लिपिक — 2 प्रतियाँ
 - तीसरा लिपिक — 4 प्रतियाँ

प्रब यह स्पष्ट है कि प्रत्येक लिपिक अपनी ही पद्धति से प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा। हम इस सम्बन्ध में 'प्रनुसंधान' में जो लिख चुके हैं उसे भी उद्धृत करना समीचीन समझते हैं :

पाठ की अशुद्धि और लिपिक

“प्राचीनकाल में प्रेस के अभाव में ग्रंथों की लिपिक द्वारा लिखवा-लिखवा कर पढ़ने वालों के लिए प्रस्तुत किया जाता था। फल यह होता था कि लिपिक की कितनी ही प्रकार की प्रयोग्यताओं के कारण पाठ अशुद्ध हो जाता था, यथा लिपिक में रचयिता की लिपि को ठीक-ठीक पढ़ने की योग्यता न हो तो पाठ अशुद्ध हो जायगा। सभी लेखकों के हस्तलेख सुन्दर नहीं होते, यदि लिपिक बुद्धिमान न हुआ और ग्रंथ के विषय से अपरिचित हुआ अथवा उसका शब्दकोष बहुत सीमित हुआ तो वह किसी शब्द को कुछ का कुछ लिख सकता है।

शब्द विकार काल्पनिक

'राम' को राय पढ़ लेना या 'राय' को राम पढ़ लेना असंभव नहीं। र और व (र व) को 'ख' समझा जा सकता है। ऐसे एक नहीं अनेक स्थल किसी भी हस्तलिखित ग्रंथ को पढ़ने में आते हैं, जहाँ किंचित् असावधानी के कारण कुछ का कुछ पढ़ा जा सकता है और फलतः लिपिक भ्रम से कुछ का कुछ लिख सकता है। इस भ्रम की परंपरा लिपिक से लिपिक तक चलते चलते किसी मूल शब्द में भयंकर विचार पैदा कर देती है, परिणामतः काव्य के अर्थ ही कुछ के कुछ हो जाते हैं, उदाहरणार्थ—

लेखक ने लिखा	— राम
पहले लिपिक ने पढ़ा	— राय
दूसरे ने इसे पढ़ा	— राच (लिखने में य की शीर्ष रेखा कुछ हटा ली तो य को 'च' पढ़ लिया गया।)
तीसरे ने इसे पढ़ा	— सच (उसे लगा कि र और 'मा' के डहे के बीच 'स' बनान वाली रेखा भूल से छूट गई है।)
चौथे ने इसे पढ़ा	— सत्र ('च' लिपिक की शैली के कारण च=त्र पढ़ा जा सकता है।)
पाँचवें ने इसे पढ़ा	— रुच ('स' को जल्दी में र के रूप में लिखा या पढ़ा जा सकता है।)

इस शब्द के विकार का यह एक काल्पनिक इतिहास दिया गया है पर होता ऐसा ही है, इनमें सदेह नहीं। इसके कुछ यथार्थ उदाहरण भी यहाँ दिये जाते हैं

शब्द-विकार—यथार्थ उदाहरण

'पद्मावत'—में "होइ लगा जेवनार सुमारा—पाठ' सा. प गुप्त

— 'होइ लगा जेवनार पसाहा—पाठ भा. शुक्ल

एक ने 'ससारा' पढ़ा, दूसरे ने 'पसारा'।

'मानस' के एक पाठ में एक स्थान पर 'सुसारा' है, बाबू श्यामसुन्दर दास के पाठ में 'सुसारा' है।

‘काव्य निर्णय’ (भिलारीदास) में एक चरण है :

“ग्रहट करं ताही करन” चरबन फेशबदार

इसे एक ने लिखा	च रबन के खदार
दूसरे ने	चिरियन फं र बदार
तीसरे ने	चरबदन फे खदार
चौथे ने	चखन फंरबदार

प्रमाद का परिणाम

लिपिक पुस्तिकाओं में यही कहता है कि “मक्षिका स्थाने मक्षिका पात” किया गया है, “जंभा देखा है बंभा ही लिखा है” पर ऊपर के उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि लिपिक ऐसा करता नहीं था-कर नहीं पाता। जो रचयिता ने लिखा होता है उसे पढ़कर ही तो लिपिक लिखेगा और पढ़ने एवं लिखने दोनों में अज्ञान और प्रमाद से कुछ का कुछ परिणाम हो जाता है। ऊपर दिये गये उदाहरण लिपिक के प्रभाव के उदाहरण हैं। यह प्रमाद ‘दृष्टि-कोण’ कहा जा सकता है। पर एक अन्य प्रकार का प्रमाद हो सकता है, इस प्रमाद को ‘लोपक प्रमाद’ कह सकते हैं। इसमें लिपिक किसी शब्द को या वाक्य के किसी अंश को ही छोड़ जाता है।

छूट और भूल और आगम और अन्य विकार

उदाहरणार्थ, लिपिक सरवर का ‘सवर’ भी लिख सकता है। वह ‘र’ लिखना ही भूल गया। विन्दु, चन्द्र विन्दु तथा नीचे ऊपर की मात्राओं को भूलने के कितने ही उदाहरण मिल सकते हैं। कभी-कभी लिपिक प्रमाद में किसी अक्षर का आगम भी कर सकता है। एक ही अक्षर को दो बार लिख सकता है।

कभी लिपिक रचनाकार से अपने को अधिक योग्य समझ कर या किसी शब्द के अर्थ को ठीक न समझ कर अज्ञान में अपनी बुद्धि में कोई अन्यायपूर्ण शब्द अथवा वाक्य-समूह रख देता है। ‘छरहटा’ लिपिक को ज्ञान नहीं तो उसने ‘बिरहटा’ कर दिया, अथवा ‘बिर हटा’ को ‘छर हटा’। अभी कुछ वर्ष पूर्व जायसी के पाठ को लेकर इन दो शब्दों पर विवाद हुआ था। इसी प्रकार कहीं उमने मूर के पद में ‘हटरी’ शब्द देखा, वह इससे परिचिन नहीं था उसे ‘हरी’ (अर्थात् मरी हट) कर दिया। ऐसी ही भूल ‘आखत ले’ को ‘आख तले’ करने और बाद में उसे ‘आंग तले’ करने में भी है।

ऐसे लिपिकार के प्रमादों के कारण पाठ में बड़े गंभीर विकार हो जाते हैं।

- 1 ऐमे ही लिपिकों के लिए डॉ० टैसीटरी ने यह लिखा था कि मैं ‘वचनिका’ की इन तरह प्रतियों का गहनवक्ष नहीं बना सका क्योंकि एक तो प्रतिया बहुत अधिक मिलनी हैं, दूसरे ‘In the peculiar Conditions under which bardic works are handed down, subject to every sort of alternations by the Copyists who generally are bards themselves and often think themselves authorized to modify or improve any text they Copy to suit their tastes or ignorance as the case may be’ (वचनिका, भूमिका, पृ० 9 ‘लिपि समस्या’ शीर्षक अध्याय में डा० हीरानान म देशरी ने भी कुछ ऐसी ही बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

मुनि पुण्यविजय¹ जी ने (क) हस्तलिखित ग्रंथों में ध्याने वाले ऐसे अक्षरों की सूची दी है जिसमें परस्पर समानता के कारण लिपिकार एक के स्थान पर दूसरा अक्षर लिख जाता है, वह सूची यहाँ उद्धृत करना उपयोगी रहेगा—

क का कू लिखा जा सकता है ।

ख का र घ स्व	॥	स्त सू	॥
ग	॥ रा ॥	छ	॥ द्र, द्र, द्र
घ	॥ घ, व, घ, प्य	प्र	॥ र्ग, र्ज
ष	॥ बु ठ, घ	द्र	॥ उ
छ	॥ ब ॥ ॥	बु	॥ तु
ज	॥ ज ॥	घ	॥ य, य, घ
झ	॥ ज ॥ ॥	ज्ज	॥ ब्व, द
ट	॥ ठ द	सू, स्त, स्व, मू	
उ	॥ र, म	त्य	॥ च्छ
त	॥ ब	कृ	॥ क्ष
थ	॥ व	त्व	॥ ध, न
न	॥ त, व	प्रा	॥ या ॥
नु	॥ तु	टा	॥ य
प	॥ ए, य	त्र	॥ ध
फ	॥ पु	एय	॥ णा, एम
भ	॥ स, म	धा	॥ ध्य
म	॥ फ	पा	॥ प्य
म	॥ स, रा, ग,	सा	॥ स्य
व	॥ ब, त	पा	॥ ध्य
इ	॥ इ	इड, इ इ	
		स्त	॥ ध्र
		ञ्व	॥ ध
		ई	॥ इ इ
		ई	॥ ई
		ए	॥ ए, ए

ऐ ,, वे ये
 क्ष ,, क, कु, क्ष
 प्त ,, प, पृ
 सु ,, सु
 ष्ट ,, ष्व, ष्ट, ष्ट, ष्ट
 र्म ,, र्म, ता, र्म
 क क्त ऋ


(ख) मुनिजी¹ ने लिपिकार की भ्रान्तियों से शब्दरूपों के परस्पर भ्रान्त लेखन की एक सूची दी है। यह सूचियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं—

1. प्रभाव प्रमाद से प्रसव लिखा जा सकता है
2. स्तवन ,, सूचन ,, ,,
3. यच्च ,, यथा ,, ,,
4. प्रत्यक्षतोवगम्या प्रत्यक्ष बोधगम्या
5. नर्षा ,, तया
6. नष ,, तव
7. तदा ,, तया ,, ,,
8. पर्वतस्त ,, पवसस्त ,, ,,
9. जीवसालिम्मी कृत ,, जीवमात्मीकृत
10. परिवुडिड ,, परितुडिड
11. नर्षव तदैव
12. भरिदारिणा ,, भरिदारिणी या भरिदारिणी
13. दोहल बखेविया ,, दो हल कवे दिया

कभी-कभी लिपिक अक्षर ही नहीं 'शब्द' भी छोड़ जाता है, दूसरा लिपिक इस कमी का अनुभव करता है, क्योंकि छद में कुछ गड़बड़ दिखायी पड़ती है, अर्थ में भी बाधा पड़ती है, तो वह अपने अनुमान से कोई शब्द वहाँ रख देता है।

लिपिक के कारण वंश-वृक्ष

लिपिक की लिखने की दक्षता की वोटि, उसको लिखावट का रूप कि वह 'अ' या 'म' लिखता है 'प' या 'ख' लिखता है, शिरोरेखाएँ लगाता है या नहीं, भ और म में, 'प' और 'य' में अन्तर करता है या नहीं—ये सभी बातें लिपिकार की प्राकृति-प्रवृत्ति से सबद्ध हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक अक्षर के लेखन के साथ उसकी अपनी प्रकृति जुड़ी हुई है जिससे प्रत्येक लिपिकार की प्रति अपनी अपनी विशेषताओं से युक्त होने के कारण दूसरे लिपिक से भिन्न होगी। अतः वशवृक्ष में प्रथम-स्थानीय सतानें ही तीन लिपिकों के माध्यम से तीन वर्गों में विभाजित हो जायेंगी। इन प्रथम स्थानीय प्रतियों से फिर अन्य लिपिकार प्रतिलिपियाँ तैयार करेंगे और एक के बाद दूसरी से प्रतिलिपियाँ तैयार होती चली जायेंगी। इस प्रकार एक प्रथम का वशवृक्ष बढ़ता जाता है। इसके लिए उदाहरणार्थ एक वशवृक्ष का रूप यहाँ दिया जाता है।




इस प्रकार वंश-वृक्ष बढ़ता जायगा। प्रत्येक पाठ में कुछ वैशिष्ट्य मिलेगा ही। यह वैशिष्ट्य ही प्रत्येक प्रति का निजो व्यक्तित्व है। यह तो प्रतिलिपि की सामान्य सृजन का निर्माण-प्रक्रिया है।

पाठालोचन की आवश्यकता

पाठालोचन की हमें आवश्यकता तब पड़ती है, जब हस्तलेखागार में एक प्रति उपलब्ध होती है, पर वह 'मूलपाठ' वाली नहीं—वह प्रतिलिपि है निम्नलिखित वर्गों की—
(4) 2-3-1-5-2

पर्याप्त चौथी पीढ़ी की दूसरी शाखा की 3 प्रतियों में से पहली प्रति की पांचवी प्रति की दूसरी प्रति। इसे यहाँ दिए वंशवृक्ष से समझा जा सकता है :



यह हस्तलेखागाराध्यक्ष या पाडुलिपि-विभ्रानवेत्ता इस प्राप्त प्रति का क्या करेगा ? यह स्पष्ट है कि इस ग्रंथ के पूरे वशवृक्ष में प्रत्येक प्रति का महत्त्व है, क्योंकि प्रत्येक प्रति एक कड़ी का काम करती है।

प्रक्षेप या क्षेपक

ऊपर हमने प्रतिलिपिकार के प्रमाद से हुए पाठान्तरों का उल्लेख किया है और उनमें वर्तनी और शब्द-भेदों की ही चर्चा की है। पर प्राचीन ग्रंथों में प्रक्षेपो और छूटो के कारण भी विकार आता है।

प्राचीन ग्रंथों में 'प्रक्षेपो' का या 'क्षेपकों' का समावेश प्रचुर मात्रा में हो जाता है। कुछ काव्यों को एक नये नाम से पुकारा जाने लगा है। उन्हें प्राज 'विकसन-शील' काव्य कहा जाने लगा है, यह बताने के लिए कि मूल रूप में छोटे काव्य को बाद के कवियों ने या पाठकों ने या कथावाचकों ने अपनी ओर से कुछ जोड़-जोड़ कर उस वाक्य को विशाल बना दिया है।

'महाभारत' के विद्वान् अध्येता यह मानते हैं कि मूल रूप में यह काफी छोटा था।

'पृथ्वीराज रासो' के सम्बन्ध में भी यह भगडा है। उसके तीन संस्करण विद्वानों ने ढूँढ निकाले हैं, कुछ की धारणा है कि 'लघु' संस्करण मूल रहा होगा, बाद में उसमें ग्रन्थ बहुत-सी सामग्री जुड़ती गयी। इस प्रणाली से उसका प्राधुनिक वृद्ध रूप खड़ा हुआ।

हमारे यहाँ कुछ ग्रंथों का उपयोग 'कथा' बहने के लिए होता रहा है। तुलसी का 'रामचरित मानस' इसका एक उदाहरण है। कथाकार को कथा कहते समय कोई प्रसंग ऐसा विदित हुआ, जो और विस्तार चाहता है, तो उसने 'स्वयं' की रचना कर डाली और अपनी प्रति में उसे जोड़ दिया। मानस में 'गगावतरण' का प्रसंग ऐसा ही प्रक्षेप या क्षेपक माना जाता है।

प्रक्षिप्त या क्षेपक के कारण

इन प्रक्षेपों का पाँच कारणों से किसी काव्य में समावेश हो जाता है।—

- (1) किसी कवि (ग्रन्थवा कथाकार) द्वारा अपने उपयोग के लिए, ऐसे स्थलों को जोड़ देना, जो उसे उपयोगी प्रतीत होते हैं, यह उपयोगिता दो रूपों में हो सकती है—
 - (क) किसी विशेष प्रकरण को और अधिक पल्लवित करने के लिए, तथा—
 - (ख) कवि का अपना कोई स्वतन्त्र कृतित्व जो उसके पाठ्य ग्रन्थ के किसी प्रसंग से सम्बन्धित हो और जो उसे लगे कि मूल कवि की कृति में जुड़कर उसे प्रसन्नता प्रदान करेगा।
- (2) एक ही विषय के भिन्न भिन्न स्वतन्त्र कृतित्वों को किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा एक में यथा सन्दर्भ सम्पादित कर देना। कुछ कवि इस बात को स्वयं लिख देते हैं, कुछ चुप बने रहते हैं। जैसे—'गोयम' ने चतुर्मुंजदास की 'मधुमालती' में अपने द्वारा किये परिवर्द्धन का उल्लेख कर दिया है।* गोयम या गोतम 'स्वयं' ऐसा उल्लेख

* नन्ददास की अनेकार्थ मञ्जरी और 'दान' मञ्जरी में 'रामहरि' ने जो अर्थ जोड़े हैं, उसका उल्लेख कवि ने किया है। यथा, बीच ऊपर एक ही नन्ददास के बीच और दोहरा 'रामहरि कीने है जू बचीन च ३५ अनेकार्थ ध्वनि मञ्जरी।

नहीं करता तो प्रक्षिप्ताश किसके रचे हैं, यह समस्या बनी रहती, जैसी कि 'रामचरितमानम' के गगावतरणादि के सम्बन्ध में बनी हुई है ।

(3) कभी कभी कवि के अधूरे काव्य को उसी कवि के पुत्र या शिष्य पूरा करते हैं या उसमें आगे कुछ परिवर्द्धन करते हैं, और कभी-कभी पूर्व कृतित्व को भी संशोधित कर देते हैं ।

(4) किसी बिलरी सामग्री को एक व्यवस्था में रखते समय बीच की लुप्त कड़ियों को जोड़ने के प्रयत्न भी कविगण करते हैं, और ये कड़ियाँ या तो व्यवस्था करने वाला कवि अपने कौशल से जोड़ देता है, जैसे कुशललाम ने लोक प्रचलित 'ढोला मारू रा दूहा' के दोहे को लेकर उन्हें एक व्यवस्था में बाधा और कथा-पूर्ति के लिए बीच-बीच में चौपाई द्वारा अपना कृतित्व दिया । इस प्रकार पूरक कृतित्व के रूप में वह एक अन्य कृति में अपने कृतित्व का समावेश करता है या फिर वह किसी अन्य कवि से उपयोग सामग्री ले लेता है और अपनी पाठ्य-कृति में जोड़ देता है ।

(5) मुक्तको के सग्रह ग्रन्थों में समान-भाव के मुक्तक ग्रन्थ कवियों के भी स्थान पा लें तो आश्चर्य नहीं । ऐसे सग्रहों में नाम छाप भी बदल दी जाती है । 'सूरसागर' में ऐसे पद मिलते हैं जो किसी अन्य कवि के हो सकते हैं । यह नाम छाप की बदला-बदली कभी-कभी लोक-क्षेत्र में अत्यन्त लोकप्रिय कवियों के साथ हो जाती है । कबीर, मीरा, सूर, तुलसी की छाप गायक चाहे जिस पद में लगा देता है ।

फलतः पाठानुसंधान का धर्म है कि ऐसे प्रक्षेपो या क्षेपको को वैज्ञानिक प्रणाली से पहचाने और उन्हें निकाल कर प्रामाणिक मूल प्रस्तुत करें । यह वैज्ञानिक प्रणाली से होना चाहिये, स्वेच्छा या अर्धवैज्ञानिक ढंग से नहीं । अर्धवैज्ञानिक ढंग से स्वेच्छा या जैनोंडोटस जैसे विद्वान ने होमर की कृति का सम्पादन करते समय बहुत-सा अश निकाल दिया था । उसकी दृष्टि में वह अश प्रक्षिप्त था, जबकि आगे के विद्वानों ने वैज्ञानिक पद्धति से पाया कि वे अश प्रक्षिप्त नहीं थे ।¹

छूट :

प्रक्षेपो की भाँति ही काव्य में 'छूट' भी हो सकती है । प्रतिलिपिकार कभी तो प्रमाद में कोई पक्ति, शब्द या अक्षर छोड़ जाता है पर कभी वह प्रतिलिपि किसी विशेष दृष्टि से करता है और कुछ अग्रों को अपने लिए अनावश्यक समझ कर छोड़ देता है ।

पाठालोचन का यह कार्य भी होता है कि ऐसी छूटों की भी प्रामाणिक मूल पाठ की प्रतिष्ठा करके वह पूर्ति करे ।

अप्रामाणिक कृतियाँ :

यही यह बताना भी आवश्यक है कि कभी-कभी ऐसी कृतियाँ भी मिल जाती हैं जो पूरी की पूरी अप्रामाणिक होती हैं । उस ग्रन्थ का रचयिता, जो कवि उस ग्रन्थ में बताया गया है, यथार्थतः वह उमका कर्ता नहीं होता । इस छन का उद्घाटन पाठालोचन ही कर सकता है ।

1. Smith, William, (Ed)—Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, p 510-512.

अतः स्पष्ट है कि पाठालोचन अथवा पाठानुसंधान एक महत्त्वपूर्ण अनुसंधान है। किसी भी ग्रन्थ अनुसंधान से इसका महत्त्व कम नहीं माना जा सकता। इस अनुसंधान में उन सभी मन शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है जो किसी भी ग्रन्थ अनुसंधान में उपयोग में लायी जाती है।

पाठालोचन में शब्द और अर्थ का महत्त्व

पाठालोचन का सम्बन्ध शब्द तथा अर्थ दोनों से होता है अतः इसे केवल भाषा-वैज्ञानिक विषय ही नहीं माना जा सकता, साहित्यिक भी माना जा सकता है। डॉ० किशोरीलाल ने अपने एक निबन्ध में इसी सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये हैं

“इस दृष्टि से सम्पादन की दो सरणियों का उपयोग हो रहा है— (1) वैज्ञानिक-सम्पादन, और (2) साहित्यिक सम्पादन।

वैज्ञानिक एवं साहित्यिक प्रक्रिया में मूलतः अन्तर न होते हुए भी आज का वैज्ञानिक सम्पादक शब्द को अधिक महत्त्व देता है और साहित्यिक सम्पादक अर्थ को। इसमें सन्देह नहीं कि शब्द और अर्थ की सत्ता परस्पर असंयुक्त नहीं है फिर भी अर्थ को मूलतः ग्रहण किये बिना प्राचीन हिन्दी काव्यों का सम्पादन सर्वथा निभ्रान्त नहीं। इन्हीं सब कारणों से शब्द की तुलना में अर्थ की महत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। आज अधिकतर पाठ-सम्पादन में जो भ्रान्तियाँ उत्पन्न होती हैं, वे अर्थ न समझने के कारण।”¹

डॉ० किशोरीलाल जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, वे समीचीन हैं, पर किसी सीमा तक ही। ठीक पाठ न होने से ठीक अर्थ पर भी नहीं पहुँचा जा सकता। डॉ० किशोरीलाल जी ने अपने निबन्ध में जो उदाहरण दिये हैं, वे गलत अर्थ से गलत शब्द तक पहुँचाने के हैं। उदाहरणार्थ, ‘आँख तले’ जिसने पाठ दिया, उसकी समझ में ‘आखतले’ नहीं जमा, उसे लगा कि ‘आँख’ को ही गलती से ‘आख’ लिख दिया गया है। ‘आख’ का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसा उसने माना। क्योंकि पाठ सम्पादक या लिपिक ने अर्थ को महत्त्व दिया उसने ‘आख’ को ‘आख’ कर दिया। अब आप अर्थ को महत्त्व देकर ‘आखत ले’ कर रहे हैं, तो भ्रान्त पाठ वाले की परिपाटी में ही खड़े हैं। यथार्थ यह है कि ‘आँख’ और ‘आख’ शब्द रूप से अर्थ ठीक नहीं बैठता। आपने उसके रूप की नयी सम्भावना देखी। ‘तले’ का ‘त’ आँख से मिलाया और ‘ले’ को स्वतन्त्र शब्द के रूप में स्वीकार किया। ‘आँख तले’ शब्द रूप के स्थान पर ‘आखत ले’ रूप जैसे ही खड़ा हुआ, अर्थ ठीक लगने लगा। शब्द रूप ‘आख + तले’ नहीं ‘आखत + ले’ है। जब हम शब्द का रूप ‘आखत ले’ ग्रहण करेंगे तभी ठीक अर्थ पर पहुँच सकेंगे। शब्द ही ठीक नहीं होगा तो अर्थ कैसे ठीक हो सकता है। शब्द से ही अर्थ की ओर बढ़ा जाता है। अतः आवश्यक यह है कि वैज्ञानिक प्रणाली से ठीक या यथार्थ शब्द पर पहुँचा जाय, क्योंकि शुद्ध शब्द ही शुद्ध या समीचीन अर्थ दे सकता है। वस्तुतः ग्रन्थ से अर्थ प्राप्त करने का एक अलग ही विज्ञान है। उक्त उदाहरण को ही ले तो ‘आँख (आँख) + तले (आखत + ले) और ‘आ + ख + तले’ ये तीन रूप एक शब्द के बनते हैं, तो इसमें से किस रूप को पाठ के लिए मान्य किया जाय ? यहाँ अर्थ ही सहायक हो सकता है।

1. ज्ञान, किशोरी — प्राचीन हिन्दी काव्य पाठ एवं अर्थ विवेचन, सम्मेलन पत्रिका (चंद्र-मासपत्र, अंक 1892), पृ० 177।

अतः यह मानना ही होगा कि वैज्ञानिक विधि से पाठ-निर्धारण में भी ग्रन्थ का महत्त्व है। हाँ, पाठालोचन की वैज्ञानिक प्रणाली में शब्दों का महत्त्व स्वयं सिद्ध है।

पाण्डुलिपि-विज्ञान और पाठालोचन

इस दृष्टि से यह भी आवश्यक प्रतीत होता है कि हस्तलेखवेत्ता को 'पाठालोचन' का ऐसा ज्ञान हो कि वह किसी प्रति का महत्त्व आँकने या आँकवाने में कुछ दखल रख सके।

पाठालोचन की प्रक्रिया से अवगत होने पर और कामज, लिपि, वर्तनी तथा स्याही के मूल्यांकन की पृष्ठभूमि पर तथा विषय की परम्परा के परिप्रेक्ष्य में वह उस ग्रन्थ पर सरसरा मन निधारित कर सकता है। यह मत उस प्रति के उपयोगकर्ताओं और अनुसंधित्मुक्तों को 'अनुमधेय धारणा' (Hypothesis) के रूप में सहायक हो सकता है।

स्पष्ट है कि पाठालोचन का ज्ञान पाण्डुलिपि-विज्ञानवेत्ता को पाठालोचन की दृष्टि से नहीं करना, बरन् इसलिए करना है कि उस ज्ञान से ग्रन्थ को उस प्रति का मूल्य आँकने में कुछ सहायता मिल सकती है, और वह उसके आधार पर उस ग्रन्थ-विषयक बहुत-सी भ्रान्तियाँ से भी बच सकता है। पाठालोचन वास्तविक पाठ तक पहुँचने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है और पाठ 'ग्रन्थ' का ही एक अंग है, और वह ग्रन्थ उसके पास है, अतः अपने ग्रन्थ के अन्य अवयवों के ज्ञान की भाँति ही इसका ज्ञान भी अपेक्षित है।

पाठालोचन-प्रणालियाँ

पाठालोचन की एक सामान्य प्रणाली होनी है। सम्पादक पुस्तक का सम्पादन करते समय जो प्रति उस उपलब्ध हुई है, उसी पर निर्भर रह कर, अपने सम्पादित ग्रन्थ में वह उन दोषों को दूर कर देता है, जिन्हें वह दोष समझता है। इसे 'स्वच्छया पाठ-निर्धारण-प्रणाली' का नाम दे सकते हैं।

दूसरी प्रणाली को 'तुलनात्मक-स्वेच्छया-सम्पादनार्थ पाठ निर्धारण' की प्रणाली कह सकते हैं। सम्पादक को दो प्रतियाँ मिल गयीं। उसने दोनों की तुलना की, दोनों में पाठ-भेद मिला, तो जो उसे किसी भी कारण से कुछ अच्छा पाठ लगा, वह उसने मान लिया। ऐसे सम्पादन में वह पाठान्तर देने की आवश्यकता नहीं समझता। हाँ जहाँ वह देखता है कि उसे दोनों पाठ अच्छे लग रहे हैं वहाँ वह नीचे या मूलपाठ में ही कोष्ठकों में दूसरा पाठ भी दे देता है।

इसी प्रणाली का एक रूप यह भी मिलता है कि ऐसे विद्वान् को कई ग्रन्थ मिल गये तब भी पाठ-निर्धारण का उसका सिद्धान्त तो वही रहता है कि स्वेच्छया जिस पाठ को ठीक समझता है, उसे मूल में दे देता है। इस स्वेच्छया पाठ-निर्धारण में उसकी ज्ञानपरिमा का योगदान तो अवश्य रहता है, एक पार स्वेच्छया स्वीकार कर वह उसे ही प्रामाणिक घोषित करता है—इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए वह कवि-विषयक अपने वाण्डित्य का सहारा लेता है, और कवि की भाषा सम्बन्धी विशेषताओं की भी दुताई देता है। किन्तु यथार्थतः इन सम्पादन में पाठ के निर्धारण में वस्तुतः अपनी रुचि को ही महत्त्व देता है, फिर उसे ही कवि का कर्तृत्व मान कर वह उसे सिद्ध करने के लिए कवि के सम्बन्धी वैशिष्ट्य का सिद्ध करता है। अपनी इस प्रणाली की चर्चा वह भूमिका में कर देता है। हाँ, जब उसे दो प्रतियों के पाठों में यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि किसमें

ऐसा श्रेष्ठतम भाव है, जो कवि को अपेक्षित रहा होगा, अथवा जब वह समझता है कि दोनों ही या दोनों में से कोई भी पाठ कविसम्मत हो सकता है, क्योंकि उल्लेख्यता में उसे दोनों एक-दूसरे से कम नहीं लगते सब वह एक पाठ के साथ दूसरा पाठ विकल्प में दे देता है। इसे वह पाठान्तर की तरह पाद टिप्पणी के रूप में भी दे सकता है।

इसी प्रणाली का आगे का चरण वह होता है जिसमें पाठालोचनकार की दों से अधिक हस्तलिखित प्रतियाँ मिल जाती हैं। इन समस्त प्रतियों के पाठों में से वह उस पाठ को ग्रहण कर लेता है जो उसे अपनी दृष्टि से सर्वोत्तम लगता है। अब वह अन्य प्रतियों के सभी पाठों को पाठान्तर-के रूप में पद के नीचे दे देता है।¹

वैज्ञानिक चरण

और अब वह चरण आता है जिसे वैज्ञानिक चरण कह सकते हैं। इस चरण की प्रणाली में कई हस्तलेखों की तुलना की जाती है। अब तुलनात्मक आधार पर प्रायः प्रत्येक प्रति में मिलने वाली त्रुटियों में साम्य वैषम्य देखा जाता है। इसके परिणाम के आधार पर इन समस्त हस्तलेखों का एक वशवृक्ष तैयार किया जाता है और कृति का आदर्श-पाठ

1 “स्वेच्छया पाठ निर्धारण का ऐसा ही रोचक वृत्तांत होमर काव्य के पाठ-निर्धारण के सम्बन्ध में मिलता है। यह माना जाता है कि जैनीडोटस ने व्यवस्थित आलोचना (पाठालोचन) की नींव रखी थी। उसने कुछ सिद्धान्त निर्धारित किए थे (1) समस्त ग्रन्थ के परिप्रेक्ष्य में जो सामग्री बिच्छ है अथवा अनावश्यक है, उसे निकाल दिया जाय। (2) कवि की प्रतिभा की दृष्टि से भी सामग्री अयोग्य लगे उसे भी अस्वीकार कर देना चाहिए। इन सिद्धान्तों के आधार पर अपने ढंग से उसने लम्बे प्रघटकों को काट फेंका, अर्थों को स्वेच्छया परिवर्तित कर दिया तथा इधर-उधर रख दिया। सुशोभ में, यह सब उसने उसी प्रकार किया जिन प्रकार वह अपनी कृति में करता। उसके बाद के सम्पीर आलोचकों को इस प्रणाली से बहुत घबरा लगता।”

—विलियम स्मिथ—डिक्शनरी ऑफ ग्रीक एण्ड रोमन बायोग्राफी एण्ड भाइयालोजी, पृ० 510

स्वेच्छया पाठ-निर्धारण का यही परिणाम होता है। जैनीडोटस का समय सिकन्दर महान् के बाद पड़ता है।

होमर के साथ एक और बात भी थी। होमर का सम्पूर्ण काव्य पहले कठस्थ हो था। पीजिडोटस के समय से होमर काव्य लिपिबद्ध किया गया। पाठालोचन की समस्या वस्तुतः जैनीडोटस के समय से ही खड़ी हुई। इन समय तक होमर का काव्य अध्ययन और चर्चा का विषय बन गया था। एन डी साइटीजक समय में ही होमर का काव्य पाठशाळाओं में अनिवार्यतः पढ़ाया जाने लगा था। इसी समय के लगभग समाज में दो वर्ग हो गए थे—एक वर्ग उसके काव्य में नैतिकता के रूप में अमृतुष्ट था, दूसरा उसे रूपक मान कर उसका पोषण था। इस स्थिति में भी होमर-काव्य के निश्चित वर्णों की माँग बड़ी। सिकन्दर महान् तो इन काव्य ग्रन्थ को एक राजसी सुन्दर पेटिका में सदा अपने साथ रखता था। अतः क्रिनेने ही हस्तलेख इन काव्य के प्रस्तुत किये गए। सब अनेकत्रैण्डिया में आलोचकों का दल खड़ा हुआ और पाठालोचनात्मक संस्करण होमर-काव्य के प्रस्तुत किए जाने लगे। यही से वैज्ञानिक पाठालोचन प्रणाली का भी जन्म माना जा सकता है। पर सभी देशों की आरम्भिक कृतियाँ कठस्थ रहती हैं। भारत में भी वेद कठस्थ रते जाते थे और इनका इतना महत्त्व था कि कठस्थ स्थिति में ही यहाँ के ऋषियों ने कई प्रकार के पाठों का अन्वेषण किया और इन पाठों की प्रणालियों ने वेदों की वर्ण शब्द संरचना सबकी विह्वल में रखा था तथा प्रणाली से भी रखा की। वेद मंत्र थे और यह धारणा इन पाठों में प्रबल थी कि किंविन् भी बिकृत उच्चारण से कुछ का कुछ परिणाम हो सकता है। अतः वेदों की पठ-गुण पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया।

या मूल पाठ निर्धारित किया जाता है।¹

यहाँ से वैज्ञानिक पाठालोचन का आरम्भ माना जा सकता है। आज पाठालोचन एक अलग विज्ञान का रूप ग्रहण कर रहा है। यह भी हुआ है कि पाठालोचन को भाषा-विज्ञान या भाषिकी का एक अंग माना जाना लगा है, साहित्य का नहीं, जैसा कि इससे पहले माना जाता था।

पाठालोचन अथवा पाठानुसंधान की प्रक्रिया

(क) ग्रन्थ संग्रह .

किसी एक ग्रन्थ का पाठालोचन करने के लिए यह अपेक्षित है कि पहले उस ग्रन्थ की प्रकाशित तथा हस्तलेख में प्राप्त प्रतियाँ एकत्र करली जायें। इसके लिए पहले तो उनके प्राप्ति-स्थलों का ज्ञान करना होगा। कहीं-कहीं इस ग्रन्थ की प्रतियाँ उपलब्ध हैं। यह कोई साधारण कार्य नहीं है। सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए लिखा-पढी से, मित्रों के द्वारा, यात्रा करके, सरकारी माध्यम से एक जाल-सा विद्यमान होना होगा। प० जवाहरलाल चतुर्वेदी ने 'सूरसागर' विषयक सामग्री का जो लेखा-जोखा दिया है, उसे पढ़कर इसकी गरिमा को समझा जा सकता है।²

ऐसी सूचना के साथ-साथ ही उन ग्रन्थों को प्राप्त करने के भी यत्न करने होंगे। कहीं से ये ग्रन्थ आपकी उधार मिल जायेंगे, जिनमें काम लेकर आप लौटा सकेंगे। कहीं से इन ग्रन्थों की किसी मुखलक से प्रतिलिपि करानी पड़ेगी, कहीं से इनके फोटो चित्र तथा माइक्रोफिल्म मँगानी होंगी। इस प्रकार ग्रन्थों का संग्रह किया जायगा।

(ख) तुलना

अब इन ग्रन्थों के पाठ की पारस्परिक तुलना करनी होगी। इसके लिए—

(1) पहले इन्हें बालक्रमानुसार सजा लेना होगा, तथा (2) प्रत्येक ग्रन्थ को एक सकेत नाम देना होगा।

1. The chief task in dealing with several MSS of the same work is to investigate their mutual relations, especially in the matter of mistakes in which they agree and to construct a geneological table, to establish the text of the archetype, or original, from which they are derived

—The New Universal Encyclopaedia (Vol 10), p 5499

किंतु यह बलवृक्ष (geneological table) प्रस्तुत करना बहुत कठिन कार्य है और कभी-कभी तो असम्भव हो जाता है। इसके लिए टेमीटरी महोदय का यह बचन पठनीय है। वे 'वचनिका' का पाठ-निर्धारण करते समय लिखते हैं—

"I have tried hard to trace the pedigree of each of these thirteen MSS and ascertain the degree of their depending on the archetype and one another and have been unsuccessful. The reason of the failure is to be sought partly in the great number of MSS in existence and partly in the peculiar conditions under which bardic works are handed down, subject to every sort of alterations by the copyists who generally are bards themselves and often think themselves authorized to modify or, as they would say, improve any text they copy, to suit their tastes or ignorance as the case may be".

—टेसीटरी—वचनिका (भूमिका), पृ० 9

यह एक दृष्टि से अत्यन्त विशिष्ट स्थिति है, जिनमें इतनी अधिक प्रतियों के उपलब्ध होने का कारण भी बलवृक्ष बनाने में सफलता नहीं मिल सकती।

2. चतुर्वेदी, जवाहर लाल— पादार अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० 119-132।

सकेत नाम देने से ग्रन्थ के पाठ-सकेत देने में सुविधा होती है, स्थान कम घिरता है और समय की बचन भी होती है ।

‘सकेत प्रणाली’—सकेत देने की कई प्रणालियाँ हो सकती हैं, जैसे- (क) क्रमाक-सभी आघार-ग्रन्थों को सूची-बद्ध करके उन्हें जो क्रमाक दिये गये हो उन्हें ही ‘ग्रन्थ’ सकेत मान लिया जाय-यथा (1) महावनवाली प्रति, (2) आगरावाली प्रति, आदि । अब इनका विवरण देने की आवश्यकता नहीं रही कबल ‘सकेत’ सख्या लिख देने से काम चल जायगा । प्रति सख्या (2) सदा आगरा वाली प्रति समझी जायगी । यह आवश्यक है कि सूची-बद्ध करते समय प्रत्येक ‘सकेत’ के साथ ग्रन्थ का विवरण भी दिया जाय । जिससे उस सख्या के ग्रन्थ के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो सके । उदाहरणार्थ—हम ‘पृथ्वीराज रासो’ की एक प्रति का परिचय उद्धृत करते हैं —

क्रमाक-1—यह प्रति प्रसिद्ध जैन विद्वान् मुनि जिनविजय के संग्रह की है । यह ‘रासो’ के सबसे छोटे पाठ की एकमात्र ग्रन्थ प्राप्त प्रति है, और उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी ‘घा०’ है । इस प्रति के लिए मुनि जी को जब मैंने लिखा, वह श्री अग्ररचन्दजी नाहटा के पास थी । कदाचित् प्रति की जीर्णता के ध्यान से नाहटा जी ने मूल प्रति न भेजकर उसकी एक फोटोस्टेट कापी मुझे भेज दी । इस बहुमूल्य प्रति के उपयोग के लिए मैं मुनिजी का अत्यन्त आभारी हूँ । प्रस्तुत कार्य के लिए इसी फोटोस्टेट कापी का उपयोग किया गया है । मूल प्रति मैंने 1956 के जून में डॉ० दशरथ शर्मा के पास दिल्ली में देखी थी । फोटोस्टेट होने के कारण यह कापी प्रति की एक वास्तविक प्रतिकृति है ।

इस प्रति के प्रारम्भ के दो पन्ने नहीं हैं, शेष सभी हैं । इसमें भी खण्ड-विभाजन और छन्दों की क्रम सख्या नहीं है । इसमें वार्ताओं के रूप में इस प्रकार के सकेत भी प्रायः नहीं दिये हुए हैं जैसे ‘घा०’ में हैं । प्रारम्भ के दो पन्ने न होने के कारण इसकी निश्चित छन्द सख्या कितनी थी, यह नहीं कहा जा सकता है, किन्तु इन त्रुटित दो पत्रों में से प्रथम पृष्ठ-रचना के नाम का रहा होगा, जैसा अनिवार्य रूप से मिलता है, और शेष तीन पृष्ठ ही रचना के पाठ के रहे होंगे । तीसरे पत्र के प्रारम्भ में जो छन्द आता है वह ‘घा०’ में 17 है, जिसका कुछ अंश पूर्ववर्तीव द्वितीय पत्र पर रहा होगा और ‘घा०’ की तुलना में इसमें 30-31 प्रतिशत रूपक अधिक है । इसलिए ‘घा०’ के 16 रूपकों के स्थान पर इसके प्रथम दो पत्रों में 20-21 रूपक रहे हों चाहिये । फलतः इन निकले हुए दो पत्रों में 20 छन्द मान लेने पर प्रति की कुल छन्द संख्या 552 ठहरती है । यह प्रति अत्यन्त सुलिखित है और उपयुक्त दो पत्रों के अतिरिक्त पूर्णतः सुरक्षित भी है । इसका आकार 6 25" × 3" और इसकी पुष्पिका इस प्रकार है ।

‘इति श्री कविवचद बिरचिते प्रवीराज रासु सम्पूर्ण । पण्डित श्री दान कुशल गणि । गणि श्री राजकुशल । गणि श्री देव कुशल । गणि धर्म कुशल । मुनि भाव कुशल लपित । मुनि उदय कुशल । मुनि मान कुशल । स० 1697 वर्षे पोप सुदि अष्टम्यां त्रिथी गुरु वासरे मोहनपुरे ।’

यह एक काफ़ी सुरक्षित पाठ-परम्परा की प्रति लगती है, क्योंकि इसमें पाठ-त्रुटियाँ बहुत कम हैं, और अनेक स्थानों पर एकमात्र इंगी में ऐसा पाठ मिलता है जो बहिरंग और अन्तरंग सभी सम्भावनाओं की दृष्टि से मान्य हो सकता है । फिर भी श्री नरोत्तमदास स्वामी ने कहा है कि इसका ‘पाठ उद्धृत ही प्रगुद और अष्ट है ।’ उन्होंने यह धारणा इन

प्रति के सम्बन्ध में कैसे बनाई है, यह उन्होंने नहीं लिखा है। किन्तु इस प्रकार की धारणा के दो कारण सम्भव प्रतीत होते हैं, एक तो यह कि इसमें वर्तनी-विषयक कुछ ऐसी विशिष्ट प्रवृत्तियाँ मिलती हैं जिनके कारण शब्दावली और भाषा का रूप विकृत हुआ लगता है, दूसरे यह कि इसका पाठ अनेक स्थलों पर अपनी सुरक्षित प्राचीनता के कारण दुर्बोध हो गया है, और उन स्थलों पर अन्य प्रतियों में बाद का प्रक्षिप्त किन्तु सुबोध पाठ मिलता है। कहीं-कहीं पर ये दोनों कारण एकसाथ इकट्ठा होकर पाठक को और भी अधिक उलझा देते हैं।

वर्तनी सम्बन्धी इसकी सबसे अधिक उलझन में डालने वाली प्रवृत्तियाँ आवश्यक उदाहरणों के साथ निम्नलिखित हैं —

(1) इसमें 'इ' की मात्रा का अपना सामान्य प्रयोग तो है ही, 'अइ' के लिए भी उसका प्रयोग प्रायः हुआ है, यथा

गुन तेज प्रताप ति वर्णि 'कहि' । दिन पच प्रजत न अन्त सहइ ।

(मो० 95 51-52)

ब्रह्म वेद नहि चपि अल्प युधिष्ठिर 'बोलि' ।

जु शायर (सायर) जल 'तजि' मेर मरजादह डोलइ । (मो० 224 3-4)

रहि गय उर भूपेव उरह मि (मइ) अवर न बुझइ ।

मुउ न जीवइ कोइ मोहि परमपर 'सूभि' । (मो० 545 3-4)

किरणाटी राणी कि' (कइ) आवासि राजा विदा मागन गयु । (मो० 122 अ)

'पछि' (पछइ) राजा परमारि आवासि विदा मागन गयु । (मो० 123 अ)

'पछि' (पछइ) राजा परमारि सुपुली विदा मागन गयु । (मो० 124अ)

'पछि' (पछइ) राजा वाघेली के आवासि विदा मांगन गयु । (मो० 125अ)

तुलना कीजिये—

'पछइ' राजा कछवाही 'कइ' आवासि विदा मागन गयु । (मो० 125अ)

मनु अकाल टडीअ शघन 'पवि' (पवइ) छूटि प्रवाह । (मो० 234 2)

तिन 'मि' (मइ) दसि 'सि' (सइ) अरि दलन 'उप्परि' (उप्पारइ) गज दत ।

(मो० 438 2)

तिन 'मि' (मइ) कवि गन पज सिहि (सइहि) भाप भाय दिठउ काज ।

विन 'मि' (मइ) दिवगति देवन समह तिन महि पुहु प्रथीराज । (मो० 439)

जे कछू साध मन 'मि' (मइ) भइ सब ईछा रस दीन्ह । (मो० 513 2)

'असमि' (असमइ) सोइ मग्यु सुकवि नृपति 'विचार' (विचारइ) सब ।

(मो० 530 2)

इस प्रवृत्ति की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि कहीं-कहीं 'इ' की मात्रा को 'अइ' के रूप में पढ़ा गया है—

तम 'सरवगइ' (सरवगि) सू केवि राज गुरु राज सम । (मो० 402-3)

(2) 'इ' की मात्रा का प्रयोग पुन 'ऐ' के लिए भी हुआ मिलता है, यथा ऊपर मो० 122अ, 123अ, 124अ तथा 125अ के उद्धरणों में आए हुए 'कि' की तुलना कीजिए—

पछइ राजा भटिप्रानी कँ आवासि विदा मागन गयु ।

(मो० 127अ)

भरी भोज 'भाजि' (भाजइ) नही सारि भागि ।

भरि मल मानै नही लौह लागै ।

(मो० 327 19-20)

सुनि त पग चहुआन कु भुप जपि इह 'बिन' (बैन) ।

बोल सूर सामत सब कहु एवठु शेन (सैन) ।

(मो० 229)

जल बिन भट सुभट भो करि अपहि भुज 'बिन' (बैन) ।

परमतत्त्व सूझि (सूझइ) नृपति मगि मगि फरमानन (फरमानेन) । (मो० 547)

'ति' (तै) रापुं हीदुआन गज गौरी गाहतु ।

'तै' रापु जालोर चपि चालूक बाहतु ।

'तै' रापु पगुरु भीम भटी दि' (दे) मयु ।

'तै' रापु रणयम राय जादव 'सि' (सइ) हियु ।

(मो० 308·1-4)

भये तोमर मतिहीन कराय किली 'ति' (तै) ढिसी ।

(मो० 33 4)

'ति' (तै) जीतु गजनु गजि अपार हमोरह ।

'ति' (तै) जीतु चालुक बिहरि सनाह सरीरह ।

'ति' (तै) पहपग सू गहूँ इदु जिम गहि सू रहह ।

'ति' (तै) गोरीय दल दहु बारि कट जिन वन दहह ।

तुव तु ग तेग तब उचमत ति (तै) तो पाशन मिलयु ।

(मो० 424 1-5)

भरे देव दानव जिम 'विर' (वैर) चीतु ।

(मो० 454, 45)

इस प्रवृत्ति की पुष्टि भी इस प्रकार होती है कि कहीं-कहीं पर 'इ' की मात्रा को

'ऐ' के रूप में पढ़ा गया है, यथा—

विद्वजन 'बोलै' (बोलि) दिन घरहु आज ।

(मो० 40 54)

(3) कहीं कहीं 'इ' की मात्रा का प्रयोग 'अय' के लिए भी हुआ मिलता है,

यथा—

'किमास' (मो० 73 4)

वही (मो० 77 1)

वही (मो० 82·2)

वही (मो० 99 2)

वही (मो० 101 2)

वही (मो० 105·1)

वही (मो० 108·3)

वही (मो० 116 1)

वही (मो० 121·1)

वही (मो० 548·3)

सुसना कीजिए—

मा मन्त्री 'अयमास' काम अया देवी विददा गति ।

(मो० 74 4)

हि (हइ) 'अयमास' वहुँ बोइ जानहुँ ।

(मो० 98·4)

(4) 'इ' की मात्रा का प्रयोग 'ए' की मात्रा के लिए भी हुआ है, यथा—

दुहु राय रयत ति रत 'उठि' ।

बिहुरे जन पावस अम उठे ।

(मो० 314 5-6)

नीय देह दिपि बिरपि ससान ।

जिते मोह मज्जा लगये 'घासमानि' ।

(मो० 498 35-36)

शकु ने मरने जनगे बिहाने ।

वजे दहु दुभिदे बिभू 'मनि' ।

(मो० 498 39-40)

इस प्रवृत्ति की पुष्टि भी कही कही इ की मात्रा के 'ए' की मात्रा के रूप में पड़े गए होने से होती है, यथा—

पिनि गडु नृप अघनिसा सम दासी 'सूरिप्रात' (सुरिप्राति) ।

देव घरह जल घन अनिल कहिग चद कवि प्रात ॥ (मो० 87)

पहिचानु जयचद इहत द्विलीसुर वेपे ।

नहिन चदु उनुहारि दुसह दारुण तब दिपे ।

(मो० 223 1-2)

गहीय चदु रह गजने जाही सजन जु 'नरेंद' ।

कबहू नयन निरपहू मनहु रधि अरविद ।

(मो० 474)

(5) 'इयइ' या 'इयै' के स्थान पर प्राय 'ईइ' लिखा गया है, यथा—

सोइ एको बान सभरि घनी बीउ बान नह 'सधीइ' ।

धारिअर गक लग भोगरीअ एक बार नृप हुकीये । (मो० 544 5-6)

हम बोल रिहि कलि अतिर देहि स्वामि 'पारथीइ' (पारथियइ) ।

अरि असीइ लप को अगमि परणि राय 'सारथीइ' (सारथियइ) ।

(मो० 305 5-6)

भगल बार हि मरन की ते पति सधि तन 'पडीइ' (पडियइ) ।

जेत चडि युध कमधज सू मरन सब मुप 'मडीह' (मडियइ) ।

(मो० 309 5-6)

झिनु इक दरह 'बिलाविइ' (विलावियइ) ववि न करि मनु महु ।

(मो० 488-2)

सह सहाव दर 'दिपीइ' (दिपियइ) सु कछू भूमि पर मिछ । (मो० 479-2)

सौरताज साहि 'सोभीइ' (सोभियइ) सुदेसि । (मो० 492 17)

'सुनीइ' (सुनियइ) पुन्य सम भक्त राज ।

(मो० 52-5)

(6) 'इयउ' के स्थान पर प्राय 'ईऊ' लिखा मिलता है—

इम जपिचद 'विरदीउ' (विरदियउ) सु प्रथोराज उनिहारि एहि ।

(मो० 189-6, 190 6)

इम जपि चद 'विरदीउ' (विरदियउ) पट न कोस चहुवान गयु ।

(मो० 335 6)

इम जपि चंद 'विरदीउ' (विरदियउ) दस कोस चहुपान गउ ।

(मो० 343-7)

जिम सेत वज 'साजोउ' (साजियउ) पय ।

(मो० 492-24)

(7) 'उ' की मात्रा का प्रयोग प्राय 'अउ' के लिए हुआ है, यथा—

तब ही दास कर हय सुवय मुनायपूउ ।

वानायसि बि दहू वान रोस रिस 'दाहयु' ।

मनहू नागपति पतिन भप 'जगाइयु' । (मो० 80 2-4)

पायक धनू धर कोटि गनि असी सहस ह्यमत जहू ।

पगुर किहि सामत सुद्ध जु जीबत पहि प्रथोराज 'कु' । (मो० 230 5-6)

निवट सुनि मुरतान वाम दिसि उच हप 'मु' (सउ)

जस भवसर सतु सचि अछि लुटीय न करीय 'भू' (भउ) । (मो० 533 3-4)

'मु' (सउ) बरस राज तप अत किन ।

(मो० 21 की अन्तिम अर्धश्लोक)

'मु' (सउ) उपरि 'मु' (सउ) सहस दोह अगनित लप दहू ।

(मो० 283 2)

वन (उ) ज राडि पहिलि दिबसि 'शु' (शउ) मि सात निवटिया । (मो० 298 6)

(8) कभी-कभी 'उ' की मात्रा से 'ओ' की मात्रा का भी काम लिया गया है—

निशपल पच घटीए दोई 'घायु' ।

आछेटकग्नसे नूप घायो । (मो० 92 3-4)

(9) और कभी-कभी 'उ' की मात्रा से 'ओ' की मात्रा का काम लिया गया है—

कवि देवन कवि कु मन 'रत्तु'

न्याय नयन वन (उ) जि पहुत्तो । (मो० 176-1-2)

इसकी पुष्टि एकाध स्थान पर 'उ' के स्थान पर 'ओ' की मात्रा मिलने से भी हाती है—

पान राउ सप्रापतिग जाहा दर दव 'अनाप' ।

गयन करि दरबार जिहि सात सहस अत भूप ॥ (मो० 214)

(10) इसी प्रकार कहीं-कहीं 'उ' वर्ण का प्रयोग 'ओ' के लिए हुआ मिलता है—

तुलत जू तुज तराजूह गोप ।

मनु धन मभि तडितह 'उप' । (मो० 161-27-28)

गग जल जिमन धर हसि 'उजे' ।

पगरे राय राठुर फाजे । (मो० 284-15-16)

प्रति की वर्तनी-सम्बन्धी ऐसी ही प्रवृत्तियों का यहाँ उल्लेख किया गया है जो हिन्दी की प्रतियों में प्राय नहीं मिलती हैं, और इसीलिए हिन्दी पाठक का ऐसा लग सकता है कि ये प्रतिलिपिकार की अयोग्यता के कारण हैं, किन्तु ऐसा नहीं है। नारायणदास तथा उत्तरग रचित 'छिनाई वार्ता' की भी एक प्रति में, जो इस प्रति के कुछ पूर्व की है, वर्तनी-सम्बन्धी ये सारी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, यद्यपि ये परिमाण में कम हैं, पश्चिमी

राजस्थानी तथा गुजराती की इस समय की प्रतियों में तो ये प्रवृत्तियाँ प्रचुरता से पाई जाती हैं। फलतः वर्तनी-सम्बन्धी इन प्रवृत्तियों का परिहार करके ही प्रति के पाठ पर विचार करना उचित होगा और इस प्रकार के परिहार के अनन्तर मो० का पाठ किसी भी प्रति से बुरा नहीं रहता है, वरन् वह प्रायः प्राचीनतर और इसलिए कभी-कभी दुर्बोध भी प्रमाणित होता है, यह सम्पादित पाठ और पाठांतरा पर दृष्टि डालने पर स्वतः स्पष्ट हो जायगा।¹

अतः इस प्रति को हम '1' मानेंगे और जहाँ-जहाँ इस प्रति का उल्लेख करेंगे— '1' का ही उल्लेख करेंगे।

यदि इस समस्त कथन का विश्लेषण किया जाय तो विदित होगा कि इसके परिचय में निम्न बातें दी गई हैं—

(क) प्रति के प्राप्ति स्थान एवं उसके स्वामी का परिचय—

(ख) प्रति की दशा (1) पूरी है या अधूरी है या कुछ पृष्ठ नहीं हैं, या फटे हैं या कोट-भक्षित हैं? (2) पृष्ठ में पक्तियों की और शब्दों की संख्या, (3) म्याही कैसी, एक रग की या दो की, (4) कागज कैसा, (5) सचित्र या सादा? कितने चित्र?

(ग) छन्द संख्या-पृष्ठगत तथा कुल ग्रन्थ में कुछ त्रुटित पत्र हो तो उनके सम्बन्ध में भी अनुमान।

(घ) लेख की प्रवृत्ति-मुलेख, कुलेख, स्पष्ट आदि।

(ङ) आकार-फुट तथा इंच में।

(च) प्राप्ति के उपाय।

(छ) पुष्पिका।

(ज) ग्रन्थ आदि का इतिहास।

(झ) पाठ-परम्परा तथा पाठ-विषयक उल्लेखनीय बातें। वर्तनी भेद के उदाहरणों के साथ।

(ण) इस शोध की दृष्टि से इस ग्रन्थ का महत्त्व।

ग्रन्थों का यह क्रम 'कालक्रमानुसार' भी रखा जा सकता है, पर नाम उसका क्रमांक ही बनायेगा। हाँ, यदि एक ही सन् या सवत् में एक ही प्रति मिलती है, और पूरी सूची-भर में ऐसी ही स्थिति हो तो सन् या सवत् को भी 'सकेत' माना जा सकता है : यथा, सन् 1762 वाली प्रति आदि।

प्रतिलिपिकार-प्रणाली

ग्रन्थों के नाम संकेत 'अका' में न रखकर ग्रन्थ के प्रतिलिपिकार के नाम के पहले प्रक्षर के आधार पर रखे जा सकते हैं जैसे 'धोसलदेव रास' की एक प्रति का संकेत 'प' उसके प्रतिलिपिकार 'पण्डित सीहा' के प्रथम प्रक्षर के आधार पर रखा गया है।

स्थान संकेत प्रणाली

ग्रन्थ की प्रतिलिपि अथवा रचना के स्थान का उल्लेख ग्रन्थ की पुष्पिका में ही तो

उसके नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर भी 'सकेत' बनाया जा सकता है। पृथ्वीराज रासो की एक प्रति को मो०' सकेत इसलिए दिया गया है कि उसकी पुष्पिका में स्थान का उल्लेख है कि स० 1697 वष पोष सुदि अष्टमी तिथि गुरुवासरे मोहनपुरे।

पाठ-साम्य के समूह की प्रणाली

समस्त प्रतियों का वर्गीकरण पाठ-साम्य के आधार पर किया जा सकता है। इस वर्गीकरण का नाम भी उक्त प्रणालियों से दिया जा सकता है, फिर ग्रन्थाक भी। जैसे 'पद्मावत' के सभी आधार ग्रन्थों को पाँच पाठ-साम्य समूहों में बाँट दिया गया और नाम रखा—प्र०' प्रथम समूह का, 'द्वि' द्वितीय समूह का, 'पचम' पाँचवें समूह का। अब प्रथम समूह में दो ग्रन्थ हैं तो उनके सकेत होंगे 'प्र० 1' तथा 'प्र० 2'।

पत्र सख्या प्रणाली

जब ग्रन्थ से और कोई सूचना नहीं मिलती जिसके आधार पर सकेत निर्धारित किया जा सके तो पत्रों की सख्या को ही आधार बनाया जा सकता है।

एक प्रति आठ पत्रों में ही पूरी हुई है, केवल इसी आधार पर इसे 'आ०' कहा गया है।

अन्य प्रणाली

(क) डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने एक अन्य प्रणाली का उपयोग किया है जिसे उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट किया है—

'इस प्रति की पुष्पिका भी स्पष्टतः अपर्याप्त थी। किन्तु इसको देखने पर ज्ञात हुआ कि इसके कुछ पत्रों एक प्रति के थे और शेष पत्रों दूसरी प्रति के थे दोनों प्रतियाँ खडित थी और उन्हें मिलाकर एक पुस्तक पूरी कर दी गई थी—यही कारण है कि 19वीं सख्या के इसमें दो पत्र हैं। इसी पुनरुद्धार के आधार पर इस प्रति का सकेत 'पु०' रख लिया गया है।¹

(ख) मूल पुष्पिका नष्ट हो गयी, पर ग्रन्थ स्वामी ने किसी अन्य ग्रन्थ से वह पुष्पिका लिखकर जोड़ दी, तो स्वामी के नाम से ही ग्रन्थ का सकेत दे दिया है।

(ग) ऊपर की प्रणालियों का बिना अनुगमन किये अनुसंधानकर्ता स्वयं अपनी कल्पना से या याजना से कोई भी सकेत ग्रन्थ को दे सकता है।

पाठ-प्रतियाँ

ग्रन्थों के 'सवेत-नाम' निर्धारित हो जाने पर उनमें से प्रत्येक के एक एक छन्द को क्रमशः एक-एक कागज पर लिख लिया जाना चाहिये। प्रत्येक छन्द की प्रत्येक पक्ति को भी क्रमाक दे देना चाहिये, तथा छन्द का भी क्रमाक (वह अक्षर जो उसके लिए ग्रन्थ में दिया हो) देना चाहिये। यथा—

101

पडियउ पडुतउ सातमई मास (1)

देव कह धान करी अरदास (2)

तपीय सग्यामीय तप करह (3)

प्रत्येक पत्र इतना बड़ा होना चाहिये कि पूरा छद लिखने के बाद उसमें आवश्यक टिप्पणियाँ देने के लिए स्थान रहे ।

इन प्रतिलिखों को सावधानी से उस ग्रन्थ-मूल से फिर मिला लेना चाहिए ।

पाठ-तुलना

इसके उपरांत प्रत्येक छद की समस्त प्रतियों के रूपों से तुलना की जानी चाहिए । इसमें ये बातें देखनी होंगी ।

(क) इस छद के चरण सभी प्रतियों में एकसे हैं अर्थात् यदि एक में पूरा छद चार चरणों में है तो शेष सभी में भी वह चार चरण वाला ही है ।

अथवा

एक में चरण सख्या कुछ, दूसरे में कुछ आदि ।

(ख) यदि किसी-किसी प्रति में कम चरण हैं तो किस प्रति में कौनसा चरण नहीं है ।

(ग) यदि किसी में अधिक चरण है तो कौनसा चरण अधिक है ।

(घ) फिर क्रमशः प्रत्येक चरण की तुलना—

क्या चरण के सभी शब्द प्रत्येक प्रति में समान हैं अथवा शब्दों में क्रम-भेद है ?

किस प्रति में किस चरण में वहाँ-कहाँ वर्तनी-भेद है ?

किस-किस प्रति में इस चरण में वहाँ कहाँ अलग-अलग शब्द हैं ?

जैसे बीसलदेव की एक प्रति में 102 छद का 6ठा चरण है—“ऊँचा तो धरि-धरि वार” । यह चरण एक अन्य प्रति में है—

‘धरि धरि तोरण मगल ध्यारि’ ।

इसी प्रकार चरण प्रति चरण, शब्द प्रति शब्द तुलना करके प्रत्येक शब्द के पाठों के अन्तरो की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए । प्रत्येक परिवर्तित चरण की सूची, प्रत्येक लोप की सूची, प्रत्येक अधिक चरण (आगम) की सूची बनायी जानी चाहिए ।

साथ ही प्रत्येक प्रति में चरण की छन्द-शास्त्रीय सगति भी देखी जानी चाहिए ।

इसके अनन्तर उक्त आधारों पर तीन ‘सम्बन्धों’ की दृष्टि से तुलना करनी होगी—प्रतिलिपि सम्बन्ध से, प्रक्षेप सम्बन्ध से, पाठान्तर सम्बन्ध से ।

प्रामाणिक पाठ के निर्धारण में प्रतियों के प्रतिलिपि सम्बन्ध की महत्ता स्वयंसिद्ध है, क्योंकि इसीसे हमें उन सीढियों का पता लग सकता है जिनके आधार पर मूल प्रामाणिक पाठ का अनुसन्धान किया जा सकता है । प्रतिलिपि सम्बन्धों की तुलना से ही हमें विदित होता है कि किस प्रति की पूर्वज कौनसी प्रति है । इस प्रकार समस्त प्रतिलिपित ग्रन्थों का एक वश-वृक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है । वश-वृक्ष बनाने के लिए समस्त प्रतियों के पाठों का गहन अध्ययन अपेक्षित होता है तभी हम उन प्रतियों के पूर्वजों की कल्पना भी कर सकते हैं जो हमें शोध में प्राप्त हुई हैं । ऐसे कल्पित पूर्वज को वश-वृक्ष में (X) गुणन के चिह्न से बताया जा सकता है । इससे प्रतियों के परस्पर सम्बन्ध ही नहीं विदित होते धरन् प्रामाणिकता की दृष्टि से महत्त्व भी स्पष्ट हो जाता है । इसी प्रकार प्रक्षेपों की तुलना की जा सकती है । इनके भी परस्पर सम्बन्धों का वश-वृक्ष दिया जा सकता है ।

पाठान्तर सम्बन्ध की तुलना सभी ग्रन्थों में नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ग्रन्थ तो ऐसे मिलते हैं जिनमें लिपिकार हाशिये में किसी शब्द का पाठान्तर लिख देता है। पद्मावत की प्रतियों में ऐसे पाठान्तर मिले थे। पर ग्रन्थ बहुत-से ग्रन्थों में पाठान्तर नहीं लिखे होते। यदि प्रतिलिपियों में पाठान्तर मिलते हैं तो उनकी तुलना से भी मूल पाठ के अनुसंधान में सहायता ली जा सकती है।

इन तीन सम्बन्धों के द्वारा तुलनापूर्वक जब सबसे अधिक प्रामाणिक पाठ वाली प्रति निर्धारित कर ली जाय तो उसके पाठ को आधार मान सकते हैं, या मूल पाठ मान सकते हैं, किन्तु उसे अभी प्रामाणिक पाठ नहीं कह सकते।

प्रामाणिक पाठ पाने के लिये यह आवश्यक है कि उक्त पाठ-सम्बन्धों को विवेचना करके पाठसम्पादन के सिद्धान्त निर्धारित कर लिये जायें। इसमें हमें यह देखना होगा कि जिन प्रतियों के पाठ मिश्रण से बने हैं वे प्रामाणिक पाठ नहीं दे सकते, जिन प्रतियों की परम्परा पर दूसरी का प्रभाव कम से कम पडा है, वे ही प्रामाणिक मानी जाती चाहिये।

प्रामाणिकता के लिए विविध पाठान्तरों की तुलना अपेक्षित है। तुलनापूर्वक विवेचना करके 'शब्द' और 'चरण' के रूप को निर्धारित करना होगा।

इसमें यह देखना होगा कि यदि कम विकृत पाठ किसी प्राचीन पीढ़ी का है तो वह प्रतिविकृत बाद की पीढ़ी में अधिक प्रामाणिक होगा।


इसके साथ ही यह स्पष्ट है कि यदि कोई एक पाठ कुछ स्वतन्त्र पाठ-परम्पराओं में समान मिलता है तो वह निस्संदेह प्रामाणिक होगा। इसी प्रकार ग्रन्थ स्वतन्त्र परम्पराओं या कम प्रमाणित परम्पराओं के पाठों का सापेक्षिक महत्त्व स्थापित किया जा सकता है।

क्योंकि कुछ ग्रन्थ तो ऐसा हो सकता है जो सभी स्वतन्त्र और कम प्रभावित परम्पराओं में समान मिले, कुछ ऐसा ग्रन्थ होगा जो सबमें समान रूप से प्राप्त नहीं, तब तुलना से जिनको दूसरी कोटि का प्रमाण माना है उन पर निर्भर करना होगा। हमें दूसरी कोटि के पाठ को पूर्णतः प्रामाणिक बनाने के लिए 'शेष समस्त बाह्य और अन्तरंग सम्भावनाओं के साक्ष्य से ही पाठ-निर्णय करना चाहिए।"

इसे डॉ० माताप्रसाद गुप्त¹ के 'बीसलदेव रास' की भूमिका में दी गयी प्रक्रिया के एक ग्रन्थ के उद्धरण से समझाया जा सकता है। डॉ० गुप्त ने विविध प्रतिलिपि-सम्बन्धों का भली प्रकार विवेचन करके उन प्रतियों के पाठ-सम्बन्धों को एक 'वश-वृक्ष' से प्रस्तुत किया है जो ग्रन्थ के पृष्ठ पर दिखाया गया है।

इस वृक्ष से स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक मूल ग्रन्थ से प्रतियों की तीन स्वतन्त्र परम्पराएँ चलीं। इसमें ५० समूह की प्रतियाँ बहुत पहली पीढ़ी की हैं, तीसरी-चौथी पीढ़ी की ही हैं और इस पर 'म' के किसी पूर्वज का सम्भवतः पाँचवी पीढ़ी पूर्व की प्रति का प्रभाव 'पं' समूह के पूर्व की दूसरी पीढ़ी के पूर्व की प्रति पर पडा है, और कोई नहीं पडा है। 'म' समूह पर 'स' समूह की दूसरी-तीसरी पीढ़ी पूर्व के प्रभाव पडे हैं, अर्थात् वह दूसरी स्वतन्त्र धारा है। 'स' तीसरी स्वतन्त्र धारा है। अतः निष्कर्ष निकाले गये कि—

¹ 1. गुप्त, माताप्रसाद (सं०) तथा नाहटा, अगर बंद—बीसलदेव रास, (भूमिका), पृ० 47।



उक्त चित्र में X गुणा का चिह्न यह बताता है कि यह प्रति प्राप्त नहीं हुई है किन्तु उपलब्ध प्रतियों के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऐसी प्रति होनी चाहिए।

← तीर का यह चिह्न यह बताता है कि तीर शीर्ष जिस प्रति की ओर है उस पर उस प्रति का प्रभाव है, जिससे तीर आरम्भ होता है।

(1) प समूह का पाठ 'स' समूह का अथवा उसके किसी पूर्वज का ऋणी नहीं है। इसलिए इन दोनों समूहों का जिनम प० आ० चा० की० पु० तथा 'या' प्रतियाँ आती हैं, पाठ-साम्य मात्र पाठ की प्रामाणिकता के लिए साधारणतः प्रामाणिक माना जाना चाहिये।

(2) जिन विषयों में म० प० तथा स० तीनों समूहों में पाठ-साम्य है, उनकी प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध मानी जानी चाहिये।

(3) जिन विषयों में म० तथा प० समूह एकमत हो और स० भिन्न हो, अथवा म० तथा स० समूह एकमत हो, और प० समूह भिन्न हो, उन विषयों में शेष ममस्त बाह्य और अन्तरंग सम्भावनाओं के साम्य से ही पाठ-निर्णय करना चाहिये।

बाह्य और अन्तरंग सम्भावनाएँ

पाठ की प्रामाणिकता की कसौटी बाह्य और अन्तरंग सम्भावनाएँ हैं। सदिग्ध स्थलों के शब्दों या चरणों की प्रामाणिकता के लिए अन्तरंग साध्य तो मिलता है वैसे ही शब्द अथवा चरणों की ग्रन्थ के अन्दर आवृत्ति के द्वारा "अन्यत्र वहाँ," किस-किस स्थान

और रूप में प्रयोग मिलता है। इस प्रयोग की आवृत्ति की सांख्यिकी (Statistics) प्रामाणिकता को पुष्ट करती है।

‘अर्थ’ की समीचीनता की उद्भावना भी प्रामाणिकता को पुष्ट करती है। इसे हम डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के कुछ उद्धरणों से स्पष्ट करेंगे। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल जी ने पद्मावत की टीका की भूमिका में प्रचुर सुलनात्मक विवेचना से यह सिद्ध किया है कि डॉ० माताप्रसाद गुप्त का वैज्ञानिक विधि से सशोधित पाठ शुक्ल जी के पाठ से समीचीन है। उसमें एक स्थान पर एक उदाहरण यों दिया हुआ है—

(34) शुक्लजी—जीवा खोलि राग सौं मढ़े । जेजिम धालि एराकन्हि चढे ।

शिरफ ने कुछ सदेह के साथ पहली अर्द्धाली का अर्थ किया है—तोपो ने कुछ सगति के साथ अपना मुँह खोला। वस्तुतः यह जायसी की अतिक्लिष्ट पक्ति थी जिसका मूल पाठ इस प्रकार था—

गुप्तजी—जेवा खोलि राग सौं मढ़े । । । ।

इसमें जेवा, खोल, राग तीनों पारिभाषिक शब्द हैं। शाह की सेना के सरदारों के लिए कहा गया है कि वे जिरहबख्तर (जेवा), झिलमिल टोप (खोल) और टांगों के कवच (राग) से ढके थे। 512/4 में भी ‘राग’ मूलपाठ को बदलकर ‘सजे’ कर दिया गया।¹

इसमें ‘जेवा,’ खोलि ‘राग’ ये पारिभाषिक शब्द हैं। अतः इस विषय के बाह्य प्रमाण से इसकी पुष्टि होती है, और ‘शुक्ल’ जी के पाठ की अपेक्षा इस वैज्ञानिक विधि से प्राप्त पाठ की समीचीनता सिद्ध होती है।

पाठानुसंधान में अत्र से अथवा सशोधन शास्त्र के नियमों के पालन में असावधानी से अशीष्ट पाठ और अर्थ नहीं मिल सकता। इसे समझाने के लिए डॉ० अग्रवाल ने अपनी ही एक भ्रांति का उल्लेख यों किया है

“इस प्रकार की एक भ्रान्ति का मैं सविशेष उल्लेख करना चाहता हूँ क्योंकि वह इस बात का अच्छा नमूना है कि कवि के मूल पाठ के निश्चय करने में सशोधन शास्त्र के नियमों के पालन की कितनी आवश्यकता है और उसकी थोड़ी अवहेलना से भी कवि के अशीष्ट अर्थ को हम किस तरह खो बैठते हैं। 152/4 वा शुक्ल जी का पाठ इस प्रकार है—

मास डाडि मन मयनी गाढ़ी । हिये चोट विनु फूट न साढ़ी ॥

माताप्रसाद जी को डाडि के स्थान पर वेध, बोट, बोइठा, दूध, दहि, दधि, दवाल, डीक इतने पाठान्तर मिले। सम्भव है और प्रतियों में अभी और भी भिन्न पाठ मिलें। मनर शरीक की प्रति में भोट पाठ है। गुप्त जी को इनमें से किसी पाठ से सन्तोष नहीं हुआ। अतएव उन्हीं अर्थों की आवश्यकता के अनुसार अपने मन से ‘दहेडि’ इस पाठ का सुझाव दिया, पर उसके प्राये प्रश्न चिह्न लगा दिया—स्वास दहेडि (?) मन मयनी गाढ़ी। हिये चोट विनु फूट न साढ़ी। मैंने इस प्रश्न चिह्न पर उचित ध्यान न ठहरा कर सांस दही की हाडी है, मन हड मयानी है’ ऐसा अर्थ कर डाला। प्रसंगवश श्री अम्बाप्रसाद मुमन के गाय इस पक्ति पर पुन विचार करते हुए इतने प्रत्यक्ष पाठान्तर को जब मैं देखने लगा तो ‘दवाल’ शब्द पर ध्यान गया। ‘श्री मुमन’ जी ने सुनते ही कहा कि

धलीगढ़ की बोली में द्वाली चमड़े की डोरी या तस्मे को कहते हैं। काश देखने से ज्ञात हुआ कि फारसी में दवाल या दुवाल रकाब के तस्मे को कहते हैं (स्टाइनगास फारसी कोश पृ 539)। ऋक ने दुभालि, दुभाल का अर्थ चमड़े की बगधी, हल प्रादि बांधने का तस्मा किया है (ए हरल एण्ड एग्नीकल्चरल ग्रासरी, पृ. 91)। जियाउद्दीन बरनी ने तारीखे फिरोजशाही में अलाउद्दीनकालीन वस्त्रों के विवरण में बुरदा नामक वस्त्र को 'दवाले लाल' अर्थात् लाल डोरियों का घारीघार बगडा लिखा है (संयद प्रतहर अम्बास रिजवी, खिलजी कालीन भारत, पृ 82, तारीखे फिरोजशाही का हिन्दी अनुवाद)। इन अर्थों पर विचार करने से मुझे निश्चय हो गया कि प्रस्तुत प्रसंग में डोरी का वाचक दुभाल शब्द नितात क्लिष्ट पाठ था, और वही कविकृत मूल पाठ था। पद्मावत की एक ही हस्तलिखित प्रति में अभी तक यह शुद्ध पाठ प्राप्त हुआ है (गोपालचन्द जी को फारसी लिपि की प्रति जो बहुत सुलिखित है—यही गुप्त जी की 'च 1' प्रति है)। सम्भव है भविष्य में किसी और अच्छी प्रति में भी यह पाठ मिला जावे। रामपुर की प्रति का पाठ इस समय विदित नहीं है। इस प्रकार इस पक्ति का कविकृत पाठ यह हुआ—

सास दुभालि मन मयनी गाढी । हिए चोट बिनु फूट न साढी ॥

सास दुभाली या डोरी है। शुक्लजी ने 'डाडि' पाठान्तर को प्रसंगवश डोरी अर्थ में ही लिया है पर डाडि पाठ किसी प्रति में नहीं मिला। मूल पाठ दुभालि होने में सन्देह नहीं। सास का ठीक उपमान डोरी ही हो सकती है दहेडि नहीं।¹

इसमें डॉ० अग्रवाल ने एक 'बाह्य' सम्भावना से 'दुभालि' पाठ को प्रामाणिक सिद्ध किया है। डॉ० गुप्त ने अग्यो में प्राप्त किसी पाठान्तर को ठीक नहीं माना, और 'दहेडि' की कल्पना 'अर्थ-न्यास' के आधार पर की। यह प्रयत्न पाठालोचन के सिद्धान्त के अधिक अनुकूल नहीं।

पाठ की प्रामाणिकता की दृष्टि से 'शब्दों को तत्कालीन 'रूप' और 'अर्थों से भी पुष्ट करने की आवश्यकता है। जैसे 'पद्मावत' के अनेक शब्दों के अर्थ 'भाईने अकबरी' के द्वारा पुष्ट होत हैं। इसी प्रकार से अग्य समकालीन कवियों की शब्दावली अथवा तत्कालीन नाममालाओं से 'शब्दों' की पुष्टि की जा सकती है।

पाठ सिद्धान्त निर्धारित हो जाने के बाद, जिसका पूर्ण विवेचन ऊपर लिखे ढग से आरम्भ में किया जाना चाहिये, एक पृष्ठ पर एक छन्द रहना चाहिये और उसके नीचे जितने भी पाठान्तर मिलते हैं वे सभी दे दिये जाने चाहिये। पाठान्तर किस किस प्रति के क्या-क्या हैं, इसका भी संकेत रहना चाहिये। डॉ० माताप्रसाद गुप्त द्वारा सम्पादित 'पृथ्वीराज रासड' से एक उदाहरण लेकर इस बात को भी स्पष्ट किया जा सकता है।

साटिका—¹छन्त या²मद गध घ्राण * लुब्धा³ भालि भूरि⁴ आच्छादिता⁵ । (1)

गु जाहार अघार¹ सार गुन या² रुंजा पया³ भामिता । (2)

अपे या¹ सृति कुंडला² करि नव³ तु डीर⁴ × उदारया⁵ × । (3)

मोय पातु गणेश सेस सफल¹ प्रियिराज काव्ये हित² । (4)

पाठान्तर— × चिह्नित शब्द धा में नहीं है।

* चिह्नित शब्द ना में नहीं है।

(1) 1. मो मे यहाँ 'पुन' है, जो अन्य किसी प्रति मे नहीं है । 2 घा या, मो जा शेष मे 'जा' । 3. मो रागुरु वाण, घा गघरसिका, स राग रुचय म अ घ्राण (घ्राण-म) लुब्धा, ना-लुब्धा । 4 मो भार, ना अ. भोर स भूर म. भीर । 5 म आच्छादित ।

(2) 1 मो आघार, स आघार, ना म अ विहार (तुल० अगले छन्द का चरण ।) । 2 मो गुनीजा, घा गुनीजा, म. गुनया, ना अ. गुणजा । 3 मो भूच पया घा रुजा पिया, अ रुजा पया, ना रजा पया भूभा पया ।

(3) 1 घा म या, शेष मे 'जा' । 2 मो सुत कु डल । 3, मा नवु घा नव ना. णव, अ फ वरा, म करि, स कर । 4 मो. थु डीर, अ तुडीर म जुडीर, ना थु डीर 15 मा उदारव ।

(4) 1 मो. स. सेस सफल (शेष सफल-मो.) घा सतत फल, अ ना सेवित फल । 2. मो काव्यहित, म स, काव्य कृत ।¹

इसमे ऊपर प्रामाणिक पाठ दिया हुआ है । नीचे 'पाठान्तर' शीर्षक से मूल प्रामाणिक पाठ के शब्दा से भिन्न शब्द रूपों का उल्लेख किया गया है, और साथ मे प्रति संकेत दिया गया है 'घा' ना' 'घो' 'स' 'व.' 'अ' 'क'- ये अक्षर प्रतियों के संकेताक्षर है ।

प्रामाणिक पाठ निर्धारित करने में बहुत सी सामग्री 'प्रक्षेप' के रूप में अलग निकल जायगी । उस सामग्री का ग्रन्थ में 'परिशिष्ट' रूप में, उसके पाठ का भी यथासम्भव प्रामाणिक बनाकर दे देना चाहिये । इस प्रकार इस समस्त सामग्री को सजा देने में सिद्धान्त यह है कि 'पाठालोचन' की वैज्ञानिक कसौटी में यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो विद्वान पाठक अपनी कसौटी में समस्त सामग्री की स्वयं जाँच कर सकें । अनुसंधानकर्ता का और कोई आग्रह नहीं होता, अतएव भूलचूक के लिए वह स्वयं समस्त सामग्री और समस्त प्रक्रिया को विज्ञ पाठक के समक्ष रख देता है ।

पाठानुसंधान की वैज्ञानिक प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह होता है कि 'अर्थ-न्यास' का पाठालोचन में क्या महत्त्व है ?

यों तो यह सत्य है कि किसी भी कृति का पाठ उसका अर्थ प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है विकृत पाठ से अपक्षित अर्थ नहीं पाया जा सकता, उस अर्थ को प्रामाणिक भी नहीं माना जा सकता । पाठालोचन का महत्त्व ही इसी अर्थ के लिए है पर यथायथ यह है कि पाठालोचन प्रक्रिया में 'अर्थ' का विशेष महत्त्व नहीं हो सकता । वह सहायक अवश्य है । 'शब्द' के अर्थ का ज्ञान अग्र्ययन परिमाण-सापेक्ष है । यदि 'क' का ज्ञान बहुत सीमित है तो कभी कभी वह एक क्षेत्र में वृद्ध प्रचलित शब्द का अर्थ भी नहीं जानना और अर्थ को दृष्टि में रखेगा तो अपने सीमित ज्ञान से त्रुटिपूर्ण संशोधन कर देगा । जैसे यदि कोई ब्रज में प्रचलित 'हटरी' से परिचित नहीं है तो वह मूरसागर में इस शब्द को 'हटरी (हटरी) कर सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में 'हटरी' कोई शब्द ही नहीं । पाठालोचनकार भी शब्दों के समस्त अर्थों से परिचित होगा, विशेषतः श्रुतिनालीन अर्थ से यह सम्भव नहीं । प्रत्येक पाठ विज्ञान में जो रूप निर्धारित हो उस ही रखना चाहिये, क्योंकि कोई ऐसा शब्द हो सकता

है, जिसका अर्थ आगे ज्ञान-वर्द्धन के साथ प्राप्त हो। जैसे सास दुप्राति के उदाहरण से मित्र है।

एक प्रश्न यह उठता है कि यदि किसी ग्रन्थ की अन्य प्रतियाँ न मिलती हों, केवल एक ही प्रति उपलब्ध हो, और वह लेखक के हाथ की प्रति न हो तो क्या उनका भी सम्पादन हो सकता है? सामान्य पाठालाचक नहेगा कि नहीं हा सकता।

किन्तु मैं समझना हूँ कि उनका भी सम्पादन या पाठालोचन हा सकता है। ऐसे ग्रन्थ के सम्पादन क लिए यह आवश्यक है कि आन्तरिक बाह्य साध्य से यह जाना जाय कि ग्रन्थ का रचना काल क्या था, ग्रन्थ कहीं लिखा गया? क्या एव ही स्थान पर लिखा गया? या, कवि घूमना फिरता रहा, ग्रन्थ का कुछ अंश कहीं लिखा गया, कुछ कहीं फलतः कागज बदला, स्याही बदली। जिस स्थान पर कवि रहता था, वहाँ का वातावरण कंसा था? किस प्रकार की भाषा उस क्षेत्र में बाली जाती थी। ऐसे कवि कौनसे हैं जिनसे उसके रचयिता का परिचय था। उसके क्षेत्र में और काल में कौनसे ग्रन्थ लिखे गये और उनकी भाषा तथा शब्दावली कंसी थी? आदि बातों का सम्यक पता लगाये। ये बाह्य साध्य इस पाठालोचन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

किन्तु ऐसे पाठालोचन के लिए बाह्य साध्य से अधिक महत्त्वपूर्ण है अन्तरंग का ज्ञान कुछ ऐसी ही प्रक्रियाओं से पाठ के उद्घाटन में काम लेना होता है जिनका उपयोग इतिहास-पुरातत्वानुवेपी शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों के पाठ के उद्घाटन के लिए करते हैं।

इसमें 'अर्थ-न्यास' को अवश्य मद्दत देना होगा क्योंकि उसी का अनुमान सम्पूर्ण ग्रन्थ के अध्ययन के उपरान्त लगाया जा सकता है। सम्पूर्ण ग्रन्थ का सम्यक् अध्ययन करने में शब्दावली और वाक्य-पद्धति का भी सशोषक को इतना परिचय हो जाता है कि वह सदृश अथवा त्रुटि स्थलों की पूर्ति प्रायः उपयुक्त शब्द या वाक्य से कर सकता है। ऐसे अनुमान को सदा कोष्ठको () में बन्द करके रखना चाहिये। इन कोष्ठको से यह पता चल सकेगा कि ये स्थल संपादक के सुभाव हैं।

ऐसे पाठ निर्धारण में सांख्यिकी (Statistics) का भी उपयोग हो सकता है। शब्दों के कई रूप मिलते हों उनमें कौनसा रूप लेखक का अपना प्रामाणिक हो सकता है इसकी कसौटी सांख्यिकी द्वारा आवृत्ति निर्धारित करके की जा सकती है। सांख्यिकी से ऐसे शब्दों के विविध रूपों की आवृत्तियाँ (Frequencies) देखी जा सकती हैं।

जिस ग्रन्थ का सम्पादन किया जा रहा है, उसकी भाषा का व्याकरण भी बना लेना चाहिये। इसके द्वारा वाक्य रचना का प्रामाणिक आदर्श स्वरूप की परिकल्पना हो सकती है। यदि इसके रचयिता की कोई अन्य कृति मिलती हो तो उससे तुलनापूर्वक इस ग्रन्थ के पाठ के कितने ही सदृश स्थलों को प्रामाणिक बनाया जा सकता है।

ऐसे ग्रन्थों में शब्दानुक्रमणिका देना उपयोगी रहता है।

पाठानुसंधान (Textual Criticism) भाषा-विज्ञान (Linguistics) का महत्त्वपूर्ण अंग है। अन्तः इसके निदान्त वैज्ञानिक हो गये हैं। ऊपर उसी वैज्ञानिक पद्धति पर कुछ प्रकाश डाला गया है।

इन वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रचलन से पूर्व हमें पाठ सम्पादन के कई प्रकार मिलते हैं।

एक पद्धति तो सामान्य पद्धति थी—किसी ग्रन्थ को एक प्रति मिली, उसके ही आधार पर 'प्रेस-कापी' तैयार कर दी गई। हस्तलिखित ग्रन्थों में शब्द शब्द में अन्तर नहीं

किया जाता था। एक शीर्ष रेखा से शब्द शब्द को जोड़कर लिखा जाता था, यथा—

भागेच्लेबहुरिरधुराई
ऋष्यभूकपर्वतनियराई

इस पद्धति का सम्पादन जो अधिक से अधिक कर सकता है वह यह है कि अपनी बुद्धि का उपयोग करके चरण बन्ध को तोड़कर शब्द-बन्ध से पाडुलिपि प्रस्तुत कर दे। यह शब्द 'ब' ध' वह अपने शब्दार्थ ज्ञान के आधार पर ही करता था। स्पष्ट है कि ऐसे सम्पादन का कोई वैज्ञानिक महत्त्व नहीं। पर किसी अच्छी प्रति का ऐसा पाठ भी प्रकाशित हो जाय तो यह महत्त्व ता उसका है ही कि एक अच्छा ग्रन्थ प्रकाश में आया।

दूसरी पद्धति को पाठान्तर पद्धति कह सकते हैं। पाठ सशोधक एकाधिक ग्रन्थ एकत्र कर लेता है। उन ग्रन्थों में से सरसरे अध्ययन के उपरान्त जो अर्थ आदि की कसौटी पर ठीक प्रतीत हुआ, उसे मूल पाठ मान लिया और नीचे पाद टिप्पणियों में ग्रन्थ ग्रन्थों से पाठान्तर दे दिये। वैज्ञानिक पाठालोचन पाठान्तर देने का भी क्रम रहता, इस पद्धति में वैसा नहीं होता।

तीसरी पद्धति को भाषा आदर्श पद्धति कह सकते हैं। इस पद्धति में जिस ग्रन्थ का संपादन करना है उसकी बर्तनी के रूपों का निधारण और व्याकरण विषयक नियमों का निर्धारण उस ग्रन्थ का अध्ययन करके और उस कृति की और उस काल की ग्रन्थ रचनाओं से तुलनापूर्वक कर लिया जाता है। इस प्रकार उस ग्रन्थ की भाषा का आदर्श रूप खड़ा कर लिया जाता है और उसी के आधार पर पाठ का सशोधन प्रस्तुत कर दिया जाता है।

इन पद्धतियों का वैज्ञानिक पद्धति के समझ क्या मूल्य हो सकता है, सहज ही समझा जा सकता है।

पाठ-निर्माण


पाठ का पुनर्निर्माण, वह भी प्रामाणिक निर्माण, भी पाठालोचन का ही एक पक्ष है। एजरटन महोदय ने पञ्चतन्त्र के पाठ का पुनर्निर्माण किया था। पाठ निर्माण में उनका कार्य आदर्श कार्य माना गया है।

एजरटन महोदय ने पञ्चतन्त्र पुनर्निर्मिति नामक ग्रन्थ में विविध क्षेत्रों से प्राप्त पञ्चतन्त्र के विविध रूपों को लेकर उनमें पाये जाने वाले अन्तरो और भेदों की दृष्टि में रख कर उसमें 'मूलरूप का निर्माण करने का प्रयत्न किया। पञ्चतन्त्र के विविध रूपान्तरों में कहानियों में भागम, लोप और विषयक मिलते हैं। प्रथम प्रश्न यही उपस्थित होता है कि तब पञ्चतन्त्र का मूलरूप क्या रहा होगा और उसमें कौन कौनसी कहानियाँ थीं और वे किस क्रम में रही होंगी। यह माना जाता है कि विश्व में लोकप्रियता की दृष्टि से बाइबिल के बाद पञ्चतन्त्र का स्थान है। इसी कारण पञ्चतन्त्र के कितने ही संस्करण मिलते हैं। उनमें अन्तर है—अतः पञ्चतन्त्र के मूलरूप का निर्माण करने की समस्या भी 'पाठालोचन' के अन्दर ही आती है।

इसके लिए एजरटन¹ महोदय ने वशवृक्ष बनाया। वह इस प्रकार है

वशवृक्ष

प्राचीनतर पञ्चतन्त्र के संस्करणों के आन्तरिक सन्ध दिखाने के लिए।



Indicates hypothetical versions. Italics indicate translations into other languages than Sanskrit.

एजरटन महोदय ने 'पंचतंत्र' के पुनर्निर्माण में जिस प्रक्रिया का पालन किया है, उसकी चर्चा उन्होंने खण्ड 2 के तृतीय अध्याय में की है।

उनकी एक स्थापना यह है कि मूल (पंचतंत्र) के सम्बन्ध में उस समय एक कुछ

भी नहीं कहा जा सकता जब तक कि यह निर्धारित न हो जाय कि कौनसे संस्करण द्वितीय स्थानीय रूप में परस्पर अन्तरतः सम्बन्धित हैं ।

दो संस्करणों में द्वितीय स्थानीय आन्तरिक सम्बन्ध (Secondary interrelationship) से यह अभिप्राय है कि मूल पद्यतंत्र से बाद के और उससे तुलना में द्वितीय स्थानीय (Secondary) प्रति की सर्वमान्य (Common) मूलाधार (Archetype) ग्रन्थ की प्रति से पूर्णतः या अशत उनकी उद्भावना (Descent) या अवतीर्णता की स्थिति इस उद्भावना या अवतीर्णता को सिद्ध करने के तीन ही मार्ग हैं :

एक—यह प्रमाण (सबूत) कि उन संस्करणों में ऐसी सामग्री और बातें प्रचुर मात्रा में हैं * जो मूल ग्रन्थ में हो सकती हैं । दो या अधिक संस्करणों में वह महत्वपूर्ण सामग्री और वे विशिष्ट बातें ऐसे रूप में और इतनी मात्रा में मिलती हैं कि यह सम्भावना की जा सकती है कि यह सामग्री मूल से ही अवतीर्ण की गयी है, और उन सभी संस्करणों में वे ऐसे स्थानों पर नियोजित हैं जिन पर स्वतन्त्र रूप से उनके नियोजन की कल्पना नहीं की जा सकती । यदि प्रत्येक संस्करण स्वतन्त्र रूप से तैयार किया गया है, और वह किसी ग्रन्थ से अवतीर्ण नहीं हुआ है तो यह कैसे माना जा सकता है कि उनमें दी गई कहानियाँ एक ही क्रम में और एक जैसे स्थलों पर ही नियोजित होगी * ऐसा हो नहीं सकता । अतः यदि कुछ प्रतियों या संस्करणों में कहानियों का समावेश एक जैसे क्रम और स्थलों पर मिले तो यह मानना ही पड़ेगा कि उनका सम्बन्ध किसी मूल स्रोत से है ।

दूसरे—यह प्रमाण कि कितने ही संस्करणों या प्रतियों या रूपों में परस्पर बहुत छोटी-छोटी महत्वपूर्ण बातों में साम्य नियमितता भाषामय रूप-विधान में मिलता है । साथ ही यह साक्ष्य भी कि साम्य प्रचुर मात्रा में है और ऐसा है जिसे संयोग मात्र नहीं माना जा सकता । ऐसे अवतरणों का तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित होता है ।

तीसरा—प्रमाण (सबूत) कुछ दुर्बल बैठता है । वह प्रमाण यह है कि जो रूप या संस्करण हमारे समक्ष है वे एक वृहद् पूर्ण संस्करण के अंश हैं, और वह संस्करण सर्व-सामान्य मूल का ही है ।

एजरटन महोदय इन तीन कसौटियों में से पहली दो को अधिक प्रामाणिक मानते हैं, यदि इन तीनों से विविध प्रतियों का अन्तर सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता तो यह मानना होगा कि वे मूल पद्यतंत्र की स्वतन्त्र शाखाएँ हैं, जो एक-दूसरे से सम्बन्धित नहीं ।

तब उन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि यह कैसे माना जाय कि मूल में कोई 'पद्यतंत्र' था भी, क्योंकि कहानियाँ लोक प्रचलित हो सकती हैं *, जिन्हें संकलित करके संप्रहकर्त्ताओं ने यह रूप दे दिया । उन्होंने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि पद्यतंत्र के जितने भी हस्तलिखित ग्रन्थ मिलते हैं उनमें (1) वे सभी कहानियाँ समान रूप से विन्यस्त हैं, जिन्हें मूल माना जा सकता है । (2) और यह महत्वपूर्ण है कि वे सभी संस्करणों में एक ही क्रम में हैं तथा (3) अधिकांशतः कथा (Frame Story) समान है । (4) गभित कथाएँ अधिकांश संस्करणों में समान-स्थलों पर ही युधि हुई मिलती हैं । इन चारों बातों से सिद्ध होता है कि पद्यतंत्रों में कहानियों के संप्रह का यह विशिष्ट विन्यास एक दैवयोग मात्र या संयोग-मात्र नहीं हो सकता । इस कसौटी से वे कहानियाँ अलग छँट जाती हैं जो इन विविध संस्करणों के संप्रह कर्त्ताओं ने अपनी दृष्टि से वहीं ग्रन्थ से लेकर सम्मिलित करदी हैं ।

इन समस्त कसौटियों से अधिक प्रामाणिक कसौटी है सभी मूल कहानियों की भाषा और मुहावरे का साम्य । स्पष्ट है कि तब तब इतने सस्करणों में भाषा-साम्य नहीं हो सकता, जब तक कि वे किसी एक मूल से प्रतिलिपि मूल सस्करण में प्रतिलिपि रूप में प्रस्तुत न किये गये हों ।

इन कसौटियों से यह तो सिद्ध हो जाता है कि एक मूल ग्रन्थ अवश्य था ।

यह भी है कि—(1) जो बातें सभी सस्करणों या ग्रन्थों में समान हैं, वे मूल में होनी चाहिये ।

(2) यदि कुछ बातें किन्हीं एक दो पुस्तकों में छूट भी हो तो, उनका कोई महत्त्व नहीं ।

(3) कुछ अत्यन्त सूक्ष्म बातें यदि स्वतन्त्र सस्करणों की अपेक्षाकृत कम सत्या में समान रूप से मिलती हों, तब भी उन्हें अनिवार्यतः मूल का नहीं माना जा सकता ।

(4) कुछ स्वतन्त्र सस्करणों में यदि अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण बातें समान रूप से मिलती हैं तो यह अधिक सम्भावना है कि वे मूल से ही आयी हैं । इनके सम्बन्ध में यह धारणा समीचीन नहीं मानी जा सकती कि इनका समावेश यों ही स्वतन्त्र रूप से हो गया है, क्योंकि ये अन्य स्वतन्त्र सस्करणों में नहीं मिलती । वरन् यह मानना अधिक सगत होगा कि ऐसी विशिष्ट महत्त्वपूर्ण बातें ग्रन्थों में छोड़ दी गई हैं ।

(5) यदि पूरे की पूरे कहानियाँ कितनी ही स्वतन्त्र प्रतियों में समानरूपण समाविष्ट मिलती हैं, और वे भी प्रायः सभी में एक ही जैसे स्थला पर, तो वे भी मूल से आयी माननी होगी । यदि एनी बड़ी कहानियाँ स्वतन्त्र रूप से वही किसी कहानी में जोड़ी गयी होंगी तो उसकी स्थिति विल्कुल भिन्न होगी । प्रथम स्थिति में कहानी जहाँ स्वाभाविक रूप से अपने स्थान पर जुड़ी समीचीन प्रतीत होगी, वहाँ दूसरी स्थिति में वह घेरी (Patch) जैसी लगेगी । एजरटन से ये कुछ प्रमुख बातें हमने यहाँ दी हैं । जो बातें पत्रतन्त्र के पाठ के पुनर्निर्माण के लिए दी गयी हैं, वे किसी भी ग्रन्थ के पुनर्निर्माण में, उम ग्रन्थ के रूप और विषय के अनुसार उचित शोधन-पूर्वक उपयोग में लायी जा सकती हैं । पूर्व में दी गई पाठालोचन-प्रक्रिया भी ऐसे पाठालोचन में उपयोग में लानी ही पड़ेगी, क्योंकि एजरटन ने भी भाषा (Verbal) पक्ष को पूरा महत्त्व दिया है ।

पाठालोचन या पाठ की पुनर्रचना या पुनर्निर्माण में कुछ और पक्ष भी हैं, उन पक्षों के लिए ठोस वैज्ञानिक पद्धति स्थापित हो चुकी है । इनमें से कुछ का उल्लेख संक्षेप में डॉ० छोटे लाल शर्मा ने अपने निबन्ध 'हिन्दी पाठ शोधन विज्ञान' में संक्षेप में यों किया है

'कवि विशेष की व्यक्तिगत भाषा (Ideobet) को समझने-परखने के और भी तरीके हैं—

(1) हडन की सांख्यिकीय पद्धति—हडन प्रयोगावृत्ति को शैली का प्रधान लक्षण स्वीकार करता है । उसका कहना है कि जब दो लेखकों में एक ही प्रकार की प्रयोगावृत्ति दीख पड़ती है तो उसकी शक्ति और क्षमता की पुष्टि की सम्भावना बढ़ जाती है । उसकी यह सहज स्वीकृति है कि भाषा में नियम और आकस्मिकता दोनों ही तत्त्व काम करते हैं यहाँ तक कि शब्दा के चुनाव में भी आकस्मिकता का आग्रह रहता है । यह आकस्मिकता समसामयिक लेखकों की तुलना के अनन्तर ग्रन्थ-विशेष की आकस्मिक प्रयोगावृत्ति से स्पष्ट होती है जो पाठ-शोध में ही नहीं रचनाओं के कालक्रमिक निर्णय, पुनः

पाठ प्रामाणिकता आदि में विशेष सफल एवं उपादेय सिद्ध होती है।

(2) तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक पद्धति—उक्त पद्धति में छंद पर विशेष विचार किया जाता है। परिणामतः भाषाओं के पारिवारिक संबंध का निर्धारण होता है और सुप्तप्राय भाषाओं के उच्चारण का आनुमानिक पुनरुद्धार प्रयोगवादी स्वन वैज्ञानिकों ने छंद निर्माण की व्याख्या अनुदान की अभिरचना के आधार पर की है जो उस भाषा के बोलने वाले प्रयोग में लाते हैं। छंदों का अध्ययन तीन रूपों में किया जाता है (1) लेख वैज्ञानिक (2) संगीतात्मक, और (3) ध्वनिक। लेख विज्ञान में ठीक ठीक ध्वनियों एवं अनुदानों का प्रयोग संगीतात्मक रूप में होता है। संगीतात्मक अध्ययन में छंद संगीत की तबके सदृश होता है जिसका ज्ञापन संगीत चिह्नक के द्वारा हो सकता है। यह पद्य के आत्म परकतालोचन के भुक्तव को समृद्ध करता है। ध्वनिक अध्ययन स्वराघात, प्रबलता तथा संधि को विभक्त करता है और धर्म पर कोई ध्यान नहीं देता है। यह पद्य की ध्वनि का अनुक्रम स्वीकार करता है और धर्म तथा शब्द एवं वाक्यांश सीमा (Boundary) के लिए परेशान नहीं होता है। इस प्रकार भाषा के खण्डित पुनर्निर्माण के अन्तर्गत लक्ष्मीय पुनर्निर्माण सरल हो जाते हैं क्योंकि खण्डित ध्वनि विस्तार लक्ष्मीय ध्वनियों के समूह के नियामक हान हैं। श्रुतियाँ प्रायः विपरीत दिशा से पुनर्निर्माण के कारण होती हैं।

(3) सकल्पनात्मक पद्धति—उक्त पद्धति में अभिव्यंजना की इकाइयों को पायतिक रूप में संक्षिप्त किया जाता है और तब तक-सगन प्रमेयों का सरलीकरण प्रारम्भ होता है जो कहानी के अभिप्राय-परिगणन में सहायक होते हैं जिसके सहारे कथ्य की तुलना की जाती है। वाक्य में ये परिवेशक ग्रहण के तरीके को बताते हैं जिससे कविता का निर्माण होता है। इस प्रकार पाठक संक्षिप्तीकरण से अलकरण कोटि, निर्माण कला एवं रचनाकार की वैयक्तिक शैली स्पष्ट हो जाती है। यह पद्धति सूक्ष्म सरचनात्मक सन्न्यास्य पद्धति से अनेक रूपों में भिन्न है। सूक्ष्म सरचना एक धारणा मात्र है जो भाषा विशय के वाक्यों की प्रजनक होती है। व्याकरण का सरलता से इसकी प्रकृति एवं भव्यवों का निर्धारण होता है। सकल्पनात्मक प्रतिमान भावानयन है जो एक ही विषय से सम्बद्ध एक या अनेक वाक्यों के संक्षिप्तीकरण में उत्पन्न होता है। सूक्ष्म सरचना में हर शब्द की कैफियत तलाश करनी होती है लेकिन सकल्पनात्मक प्रतिमान परिवर्त्य संबंध के संक्षिप्तीकरण का उद्धारण मात्र है। फिर सूक्ष्म सरचना में भावानयन क्रमशः नहीं होता है, जबकि सकल्पनात्मक में क्रमशः होता है।

इन तीनों पद्धतियों के योग से कथ्य एवं भाषा दोनों का पुनर्निर्माण प्रामाणिक रूप से संभव है और विवृत्तियाँ का निराकरण अत्यन्त सरल एवं सफल।¹



1. कर्ना, छोटेनाल (का०)—द्वितीय पाठ शोधन विज्ञान—विश्वभारती पत्रिका (खण्ड 13, अंक A), पृ० 330।

काल निर्धारण

पाण्डुलिपि प्राप्त होने पर पहली समस्या तो उसे पढ़ने की होती है। इसका अर्थ है लिपि का उद्घाटन। इस पर पहले 'लिपि समस्या' वाले अध्याय में चर्चा हो चुकी है।

दूसरी समस्या उम पाण्डुलिपि के काल निर्धारण की होती है। प्रश्न यह है कि काल-निर्धारण की समस्या खड़ी क्या और कैसे हाती है ?

हम जा पाण्डुलिपियाँ प्राप्त होती हैं उन्हें 'काल' की दृष्टि से दो वर्गों में रखा जा सकता है

एक वर्ग उन पाण्डुलिपियों का है जिनमें 'काल-संकेत' दिया हुआ है।

दूसरा वर्ग उनका है जिनमें काल-संकेत का पूर्णतः अभाव है।

'काल-संकेत' से समस्या

सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि जिस पाण्डुलिपि में काल-संकेत है, उसके सम्बन्ध में तो कोई समस्या उठती ही नहीं चाहिये। किन्तु वास्तव में काल-संकेत के कारण अनेक कठिनाइयाँ और समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं और कोई-कोई समस्या तो ऐसी होती है कि सुलझने का नाम ही नहीं लेती। उदाहरणार्थ—पृथ्वीराज रासो में सवतो का उल्लेख है। उनको लेकर विवाद आज तक चला है।

'काल-संकेत' के प्रकार

वस्तुतः समस्या स्वयं 'काल संकेत' में ही अन्तर्मुक्त होती है, क्योंकि 'काल-संकेत' के प्रकार भिन्न भिन्न पाण्डुलिपियों में भिन्न भिन्न होते हैं। इसीलिए काल संकेत के प्रकारों से परिचित होना आवश्यक हो जाता है।

'काल संकेत' का पहला प्रकार हमें अशोक के शिलालेखों में मिलता है। वह इस रूप में है

द्वादसवसामि सितेन मया इदं राजापित

इसमें अशोक ने बताया है कि मैंने यह लेख अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में प्रकाशित कराया।

अन्य लेखों में 'मया', 'मेरे द्वारा' या 'मैंने' के स्थान पर 'देवना प्रिय' या 'प्रियदर्शी' आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, पर प्रायः सभी 'काल-संकेतों' का प्रकार यही है कि काल गणना अपने अभिषेक वर्ष से बतायी गयी है, यथा—राज्याभिषेक के आठवें/दक्कीसवें वर्ष में लिखाया, आदि।

अतः 'काल संकेत' का पहला प्रकार यह हुआ कि अभिलेख लिखने वाला राजा

काल-गणना के लिए अपने राज्याभिषेक के वर्ष का उल्लेख कर देता है।¹ इस प्रकार को 'राज्यवर्ष' नाम दे सकते हैं।

अशोक के लेखों में केवल राज्याभिषेक के 'वर्ष' का आठवाँ, बारहवाँ, बीसवाँ वर्ष आदि दिया हुआ है। शुंगों के शिलालेखों में भी राज्यवर्ष ही दिया गया है।

ग्रान्थों के शिलालेखों में 'काल-सकेत' में कुछ विस्तार आया है। उदाहरणार्थ : गौतमी पुत्र सातकर्णिक के एक लेख में काल-सकेत यों है —

“सबछरे, १० + ८ कस परवे २ दिवसे”

इसका अर्थ हुआ कि 18वें वर्ष में वर्षा ऋतु के दूसरे पाख का पहला दिन।

यहाँ 18वाँ वर्ष गौतमी पुत्र सातकर्णिक के राजत्व-काल का है।

इसमें केवल राज्याभिषेक से वर्ष-गणना का ही उल्लेख नहीं वरन् ऋतु पक्ष तथा दिन या तिथि का भी उल्लेख है।

'सबच्छर' / सबत्सर शब्द वर्ष के लिए आया है। इस समय भी राज्य वर्ष का ही उल्लेख मिलता है, यों तिथि-विषयक अन्य व्योरे इसमें हैं। ऋतुओं का उल्लेख है, मास का नहीं।

पाख (पक्ष) का उल्लेख है, प्रथम या द्वितीय पाख का। दिवस का भी उल्लेख है।

तब महाराष्ट्र के क्षह्रात और उज्जयिनी के महाक्षत्रों के शिलालेख आते हैं। इन्होंने ही पहले ऋतु के स्थान पर मास का उल्लेख किया “बसे 40 + 2 बंशाख मासे”

इन्होंने ही पहले मास के बहुल (कृष्ण) या शुद्ध (शुक्ल) पक्ष का सन्दर्भ देते हुए तिथि दी “वर्ष द्विपचाशे 50 + 2 फगुण बहुलस द्वितीय वारे।” इस उद्धरण में 'वार' शब्द का भी पहले-पहल प्रयोग हुआ है, दिवस आदि के लिए, 'मार्ग शीर्ष बहुल प्रतिपदा' में 'प्रतिपदा' या 'पढवा' तिथि है, कृष्ण अथवा बहुल पक्ष की। इनके किसी-किसी शिलालेख में तो नक्षत्र का मुहूर्त तक दे दिया गया है, यथा —

बंशाख शुद्धे पचम-धन्य तिथौ रोहिणी नक्षत्र मुहूर्ते”

पहले इन्हीं के शिलालेखों में नियमित सबत् वर्ष का उल्लेख हुआ, और उसके साथ राज्यवर्ष का उल्लेख भी कभी-कभी किया गया, यथा :

श्री धरवर्मणा . . . स्वराज्याभि वृद्धि करे वैजयिके सबत्सरे त्रयोदशमे।

श्रावण बहुलस्य दशमी दिवस पूर्वक मेत....20 + 1 अर्थात् श्रीधरवर्मा के विजयी एव समृद्धिशाली तेरहवें राज्य वर्ष में और 201 वें (सबत्) में श्रावण मास के कृष्णपक्ष की दशमी के दिन....' विद्वानों का मत है कि राज्यवर्ष के अतिरिक्त जो वर्ष 201 दिया गया है वह शक सबत् ही है। यह द्रष्टव्य है कि 'शक' या 'शाके' शब्द का उपयोग नहीं किया गया, केवल 'वर्ष' या 'सबत्सरे' से काम चलाया गया है।

1. अशोक के अभिलेख प्राचीनतम अभिलेख हैं। उस एक शिलालेख ही ऐसा प्राप्त हुआ है जो अशोक से पूर्व का माना जाता है। यह लेख अजमेर के खडायवपर में रखा हुआ है और बदसी से प्राप्त हुआ था। इसमें भी दो पक्तियों में काल सकेत है। एक पक्ति में 'वीराय भगवत' और दूसरी में 'बतुरासीति बत'। निष्कर्षत यह वीर या महावीर के निर्वाण के शौरासीवें वर्ष में लिखा गया। अशोक पूर्ण का लेख औसाजी द्वारा विशिष्ट बताया गया है क्योंकि यह वीर-निर्वाण से काल-गणना देता है।

सवत् के लेख के साथ 'शक' शब्द सवत् 500 के शिलालेखों से जुड़ा हुआ मिलता है। शक सवत् जिस घटना से आरम्भ हुआ वह 78 ई० में घटी। वह थी चव्ठण द्वारा अश्वत्थाम की विजय। इसी विजय के उपलक्ष्य में अश्वत्थाम ने 78 ई० में यह सवत् आरम्भ हुआ जिसे आरम्भ में बिना नाम के काम में लिया गया। इसके बाद 500 वर्षों से शक या शाके शब्द का प्रयोग नियमित रूप से होना लगा। शक स० 500 से 1263 तक के शिलालेखों में वर्षों के साथ नीचे लिखी षड्शतावली का प्रयोग किया गया :

- (1) शकनृपति राज्याभिषेक सवत्सर
- (2) शकनृपति सवत्सर
- (3) शकनृप सवत्सर
- (4) शकनृपकाल
- (5) शक-सवत्
- (6) शक
- (7) शाक¹

स्पष्ट है कि आरम्भ में 'राज्य वर्ष' के रूप में इसे शकनृपति के राज्याभिषेक का सवत् माना गया। उस राज्याभिषेक का अभिप्राय शकों की विजय के उपरान्त हुए अभिषेक से था। इसी शक सवत् के साथ शालिवाहन शब्द भी जुड़ गया और यह 'शाके शालिवाहन' कहलाने लगा। इस प्रकार यह दक्षिण तथा उत्तर में लोक-प्रिय हो गया। शिलालेखों में सबसे पहले हमें नियमित सवत् के रूप में शक सवत् या ही उल्लेख मिलता है। अतः 'काल-सकेत' की एक प्रणाली तो राजा के शिलालेख यानी राजा द्वारा लिखाये गये शिलालेख के लिखे जाने के समय का उल्लेख उसी के राज्य के वर्षों के उल्लेख की प्रणाली में मिलता है। तब, नियमित सवत् देने की परिपाटी से दूसरे प्रकार का 'काल-सकेत' हमें मिलता है।

इन काल-सकेतों से भी कुछ समस्याएँ प्रस्तुत होती हैं जिनमें से पहली समस्या राजा के अपने राज्य वर्षों के निर्धारण की है। अशोक के 8वें वर्ष में कोई शिलालेख लिखा गया तो अशोक के सन्दर्भ में तो उसके राज्यकाल के 8वें वर्ष का ज्ञान इस शिलालेख से हमें उपलब्ध हो जाता है किन्तु इतिहास के कालक्रम में किसी राजा या राज्य वर्षों किस प्रकार से अपने स्थान पर बिठाया जायेगा, यह समस्या खड़ी होती है। यह समस्या तब कुछ कठिन हो सकती है जब वह राजा कोई ऐसा राजा हो जिसके राज्यारोहण का वर्ष कहीं से भी उपलब्ध न होता हो। यथार्थ में ऐसे काल-सकेत से ठीक-ठीक काल निर्धारण ऐसी स्थिति में तभी हो सकता है कि जब राजा के राज्यारोहण-काल का ज्ञान हमें सन् सवत् की उस प्रणाली में उपलब्ध हो सके जिसे हम अपने सामान्य इतिहास में काम में लाते हैं। जैसे, आधुनिक इतिहास में हम ई० सन् का उपयोग करते हैं और उसी के आधार पर ई० सन् के पूर्व की घटनाओं को भी (ई० पू० द्वारा) द्योतित करते हैं।

अब 'काल-सकेत' दूसरी प्रणाली से दिया गया हो जिसमें किसी नियमित सवत् का निर्देश हो तो समस्या यह उपस्थित होती है कि उसे उस कालक्रम में किस प्रकार यथा-स्थान बिठाया जाय जिसका उपयोग हम वर्तमान समय में इतिहास में करते हैं। जैसे—

काल निर्धारण

अशोक के काल से पूर्व का लिखा जो एक शिलालेख अजमेर के बड़ली ग्राम में मिला उसमें 'वीराय भगवत' पहली पक्ति है और दूसरी पक्ति 'चतुराशि बसे' है, जिसका अर्थ हुआ कि महावीर स्वामी के निर्वाण के 84वें वर्ष में। अब 84वें वर्ष का उल्लेख तो ऐसी घटना की ओर संकेत करता है जो एक प्रसिद्ध महापुरुष से जुड़ी हुई है, जिसके सम्बन्ध में उनके धर्म के अनुयायी जैन धर्मावलम्बियों ने निर्भ्रान्त रूप से 'महावीर सवत्' या 'वीर निर्वाण सवत्' की गणना सुरक्षित रखी है। जैन लेखक अपने ग्रन्थों में निर्वाण सवत् का उल्लेख करते रहे हैं। श्वेताम्बर जैन मेरुतुङ्ग सूरि ने 'विचार श्रेणी' में बताया है कि 'महावीर सवत्' और विक्रम सं० में 470 वर्षों का अन्तर आता है। इस गणना से महावीर सवत् का आरम्भ 527 ई० पू० में हुआ, क्योंकि विक्रम सवत् का आरम्भ 57 ई० पू० में होता है और 470 वर्षों का अन्तर होने से $57 + 470 = 527$ ई० पू० महावीर का निर्वाण सवत् हुआ। इस विधि से 3 सवतों का पारस्परिक समन्वय हमें प्राप्त हो जाता है। विक्रम सवत् का 'वीर निर्वाण सवत्' से और दोनों का परस्पर 'ई० सन्' से। यदि 'वीर निर्वाण' के वर्ष का ज्ञान सदिग्ध हो तो इस प्रकार का 'काल-संकेत' किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकेगा। यह स्थिति किसी छोटे और अज्ञात राजा के राज्यारोहण काल की हो सकती है क्योंकि उसे जानने के कोई पक्के प्रमाण हमारे पास नहीं हैं, वही स्थिति कुछ ऐसे कम प्रचलित अन्य सवतों के सम्बन्ध में भी हो सकती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी एक राजा के राज्यारोहण के सन्दर्भ से काल के संकेत से अधिक उपयोगी काल-निर्धारण की दृष्टि से नियमित सवत् का उल्लेख होता है। यो मूलतः यह नियमित सवत् भी किसी घटना से सम्बद्ध रहता है हम देख चुके हैं कि 'शक सवत्' शक नृपति के राज्यारोहण के काल का संकेत करता है, 'वीर सवत्' का सम्बन्ध महावीर निर्वाण से है किन्तु 'शक सवत्' नियमित हो गया क्योंकि यह सर्वजन मान्य हो गया है।

ऊपर काल निर्धारण विषयक दो पद्धतियों का उल्लेख किया गया है—(1) राज्यारोहण के काल के आधार पर, तथा (2) नियमित सवत् के उल्लेख से।¹ किन्तु ऐसे लेख भी हो सकते हैं जिनमें न राज्यारोहण से वर्षों की गणना दी गई हो, न नियमित सवत् का ही उल्लेख हो। ऐसी दशा में लेखों में सर्वाधिकतम समकालीन राजाओं का व्यक्तियों के आधार पर काल निर्धारण किया जाता है, यथा—अशोक के तेरहवें शिलालेख में अनेक समकालीन विदेशी शासकों के नाम आये हैं। यदि उनकी तिथियाँ प्राप्त हो तो अशोक की तिथि पाई जा सकती है। यूनानी राजा अतियोकास द्वितीय का उल्लेख है। इनकी तिथि ज्ञात है। ये ई० पू० 261-46 तक पश्चिमी एशिया के शासक थे। द्वितीय टॉलेमी का भी उल्लेख है जो उत्तरी अफ्रीका में ई० पू० 282-40 तक शासक था। इन समकालीन शासकों की तिथियों के आधार पर अशोक के राज्यारोहण का वर्ष ई० पू० 270 निकाला गया है।

1. नियमित सवत् का उल्लेख कुषाण नरेशों के समय में मिलता है। आरम्भ के संवत् वर्षों में संवत् का नाम नहीं दिया गया, पर यह निर्धारित हो चुका है कि वह शक-संवत् है जो 78 ई० में आरम्भ हुआ। इससे आगे द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय से गुप्तों के लेखों में जो वर्षों का निर्देश है वह भी राज्य-वर्ष का न होकर गुप्त-संवत् के वर्ष का है। यथा—चान्द्रगुप्त का एरण सम्म का वर्ष, इसमें 191वाँ वर्ष का उल्लेख किया गया है, यह 191वाँ गुप्त संवत् है।

हर्षवर्धन की तिथियाँ पूर्व-संवत् की भूलक हैं। अशोक के शिलालेखों में भी हर्ष-संवत् है।

इस प्रकार से तिथि निर्धारण करने में भी कठिनाइयाँ आती हैं। एक तो यह कठिनाई ठीक पाठ न पढ़े जाने से खड़ी होती है। गलत पाठ से गलत निष्कर्ष निकलेगा। 'हाथी गुफा' के लेख में एक वाक्य यों पढ़ा गया—“पानतरिय सन वस सते राज मुरिय काले।” स्तेन कोनो ने इसका अर्थ दिया 'मौर्य काल के 165वें वर्ष में।' इसी के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष भी निकाला कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने एक सवत् चलाया था जो मौर्य-सवत् (मुरिय काले) कहा गया। अब कुछ विद्वान् इस पाठ को ही स्वीकार नहीं करते। उनकी दृष्टि में ठीक पाठ है—“पानतरीय सत सहसेहि, मुखिय कल वोच्छिन।” इसमें वर्ष या सवत् या काल का कोई संकेत नहीं। अब यह सिद्ध-सा है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने कोई मौर्य-सवत् नहीं चलाया था।

किन्तु किसी न किसी 'काल-सकेत' से कुछ न कुछ सहायता तो मिलती ही है, और समकालिता एव ज्ञात सवत् की पद्धति में सन्तोषजनक रूप में नियमित सवत् में काल-निर्धारित किया जा सकता है।

पर काल निर्धारित करने में यथार्थ कठिनाई तब आती है, जब कोई काल सकेत रचना में न दिया गया हो। अधिकांश प्राचीन साहित्य में काल सकेत नहीं रहते। वैदिक साहित्य का काल-निर्धारण कैसे किया जाय। इतिहास के लिए यह करना तो होगा ही। इस प्रकार की समस्या के लिए वर्षों विषय में मिलने वाले उन संकेतो या उल्लेखों का सहारा लिया जाता है, जिनमें काल की ओर किसी भी प्रकार से इंगित करने की दामना होती है। अब इस प्रकार से काल निर्धारण करने की प्रक्रिया को हम पाणिनि के उदाहरण से समझ सकते हैं।

पाणिनि की अष्टाध्यायी एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ से उसकी रचना का 'काल-सकेत' नहीं मिलता। अतः अष्टाध्यायी में जो सामग्री उपलब्ध है उसी के आधार पर समय का अनुमान विद्वानों ने किया है। ये अनुमान कितने भिन्न हैं, यह इसी से जाना जा सकता है कि एक विद्वान ने उसे 400 ई० पू० माना। गोलडस्टुकर ने अष्टाध्यायी के अध्ययन के उपरान्त यह निर्धारित किया कि पाणिनि यास्क के बाद हुआ और बुद्ध से पूर्व था, क्योंकि अष्टाध्यायी से विदित होता है कि वह बुद्ध से परिचित नहीं था। आर० जी० भाडारकर यह मानते हैं कि पाणिनि दक्षिण भारत से अपरिचित थे, अतः इनकी दृष्टि में पाणिनि 7-8वीं शताब्दी ई० पू० में ही थे। 'पाठक' महोदय पाणिनि को महावीर स्वामी से कुछ पूर्व 'सानवी' शताब्दी ई० पू० के अन्तिम चरण में मानते हैं। डी० आर० भाडारकर ने पहले सातवीं शताब्दी में माना, बाद में छठी शताब्दी ई० पू० के मध्य विद्वत् किया। चार पेंडियर पाणिनि को 550 ई० पू० में विद्यमान मानते हैं, बाद में इन्होंने 500 ई० पू० को अधिक समीचीन माना। ह्योर्थलिक ने 350 ई० पू० का ही माना है। वेबर ने अष्टाध्यायी के एक सूत्र के भ्रमात्मक अर्थ के आधार पर पाणिनि को सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त का बताया।

ये सभी अनुमान अष्टाध्यायी की सामग्री पर ही खड़े किये गए हैं। ऐसे अध्ययन का एक पक्ष तो यह होता है कि पाणिनि किन बातों से अपरिचित था, जैसे—गोलडस्टुकर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पाणिनि आरभ्यक, उपनिषद्, प्रातिशास्त्र, वाजसनेयी संहिता, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद तथा षड्दर्शनो से परिचित नहीं थे। अतः निष्कर्ष निकला कि

जिन बातों से वह परिचित नहीं वह उन बातों से पूर्व हुआ। तो वह उपनिषद् युग से पूर्व रहे होंगे।

इसका दूसरा पक्ष है कि वह किनसे परिचित था, यथा—ऋग्वेद, सामवेद और कृष्णयजुर्वेद से परिचित थे। फलतः जिनसे परिचित थे उनकी समयावधि के बाद और जिनसे अपरिचित उनके लोक प्रचलित होने के काल से पूर्व पाणिनि विद्यमान रहे अर्थात् 400 ई० पू०।

श्रव गोल्डस्टुकर के इस निष्कर्ष को अमान्य करने के लिए डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने अष्टाध्यायी से ही यह बताया है कि (1) पाणिनि, 'उपनिषद्' शब्द से परिचित थे, पाणिनि महाभारत से भी परिचित थे, वे श्लोक और श्लोककारों का उल्लेख करते हैं, 'नटसूत्र, शिशु ऋन्दीय, यमसभीय, इन्द्रनर्तनीय' जैसे संस्कृत के महानकाव्यों का भी ज्ञान रखते थे।

डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने अष्टाध्यायी के भौगोलिक उल्लेखों से इस तर्क को भी अमान्य कर दिया है कि पाणिनि 'दक्षिण' से अपरिचित थे। अन्तरयन देश, अरमक, एवं कलिग अष्टाध्यायी में आये हैं।

मस्करी परिव्राजकों के उल्लेख में मखली गोसाल से परिचित थे। (पाणिनि) मखली गोसाल बुद्ध के समकालीन थे। अतः इस सन्दर्भ से और कुमारभ्रमण और निर्वाण जैसे शब्दों के अष्टाध्यायी में आने से बौद्ध-धर्म से उन्हें अपरिचित नहीं माना जा सकता।

अधिष्ठा (या धनिष्ठा) को नक्षत्र-ब्यूह में प्रथम स्थान देकर पाणिनि ने यह सिद्ध कर दिया है कि उनकी कालावधि की निम्नस्थ तिथि 400 ई० पू० हो सकती है।

पाणिनि ने लिपि, लिपिकार, यवनानी लिपि तथा 'ग्रन्थ' शब्द का उपयोग किया है। यवनानी लिपि से कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि भारत में यवनो से परिचय सिकन्दर के आक्रमण से हुआ, अतः अष्टाध्यायी में 'यवनानी लिपि' का आना यह सिद्ध करता है कि पाणिनि सिकन्दर के बाद हुए। पर यह 'यवनानी' शब्द आयोनियन (Ionian) ग्रीस निवासियों के लिए आया है, जिनसे भारत का सम्बन्ध सिकन्दर से बहुत पहले था।

यहाँ काल-निर्धारण में अन्तरग साक्ष्य का मूल्य बताने के लिए पाणिनि के सम्बन्ध में यह स्थूल चर्चा डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के ग्रंथ India as Known to Panini (पाणिनि कालीन भारत) के आधार पर की गई है। विस्तार के लिए यही ग्रंथ देखें।¹

यहाँ हमने यह बताने का प्रयत्न किया है कि किस ग्रंथ या ग्रंथवार के समय निर्धारण में उसके ग्रंथ में आयी सामग्री के आधार पर भी निर्भर किया जा सकता है। उसके ग्रन्थ के अध्ययन से एक और तो यह ज्ञात होता है कि वह किन बातों से परिचित नहीं था।² तथा दूसरी ओर यह भी ज्ञात होता है कि वह किन बातों से परिचित था।³

1. जैसे उद्यत का समय निर्धारित करते हुए वाने महोदय ने बताया कि "वह ध्वनि-विज्ञान से पूर्णतः अपरिचित है।" वन ध्वनिकार का समसामयिक था या उसके कुछ पूर्व
2. वाने महोदय ने बताया है कि उद्यत की आम्ह और उद्यत में बहुत निकटता है। उद्यत ने आम्ह, रंटी एवं उद्यत से अधिक अक्षरों की चर्चा की है और प्रश्नों प्रणाली भी शैलान्तिक है। किसी बात के विकास के चरणों के अनुमान को भी एक प्रमाण माना जा सकता है।

फिर यह आवश्यक होता है कि इन दोनों की सप्रमाण¹ व्याख्या करके और-उनके ऐतिहासिक काल के सन्दर्भ से उन कवि की समयावधि की ऊपरी काल सीमा और निचली काल सीमा सावधानीपूर्वक निर्धारित की जाय। इस सम्बन्ध में प्रचलित अनुश्रुतियों की भी परीक्षा की जानी चाहिये। प्राचीन साहित्य, ग्रन्थ, हस्तलेख आदि के सम्बन्ध में इस 'अन्तरंग साक्ष्य' की काल गत परिणति की प्रक्रिया का बहुत सहारा लेना पडा है।

यह बात ध्यान में रखने की है कि अन्तरंग साक्ष्य या अन्तरंग सगत कयनों की कालगत परिणति प्रामाणिक और निश्चित रूप से स्थापित की जाय, जैसे—'श्राविष्ठा' का आदि नक्षत्र के रूप में उल्लेख सिद्ध करता है। अतः तर्क और प्रमाण प्रबल होने चाहिए, उदाहरणार्थ—यवनानी लिपि विषयक तर्कों की आयोनिधियों से भारत का सम्बन्ध सिकन्दर से पूर्व से था, प्रबल और पुष्ट तर्क माना जा सकता है।

दुर्बल और असंगत तर्क प्राये के विद्वानों द्वारा काट दिये जाते हैं। दूसरे प्रबल तर्क देकर काल निर्धारण करने का प्रयत्न निरन्तर होना रहता है। जैसे—साहित्यदर्पण की भूमिका में काणे² महादय ने लिखा है कि—Attempts are made to fix the age of both भामह and दण्डी by reference to parallel passages from early writers and it is argued that they are later than these poets. Unless the very words are quoted I am not at all disposed to attach the slightest weight to parallelism of thought. There is no monopoly in the realm of thought as was observed by the ध्वनिकार (iv. II सवादास्तु भवत्येव बाहुल्येन सुमेघसामा)। काणे महादय न यहाँ यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि केवल विचार-साम्य काल निर्धारण में सहायक नहीं, समान वाक्यावली अवश्य प्रमाण बन सकती है पर केवल शब्दावली साम्य ही पर्याप्त नहीं, सन्दर्भगत अभिप्राय-साम्य भी हो तो प्रमाण अच्छा माना जा सकता है।

काल-संकेतो के रूप

काल निर्धारण में ऐसे लेखकों और ग्रन्थों के सम्बन्ध में तो कठिनाई आती ही है, जिनके काल के सम्बन्ध में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता, किन्तु जहाँ काल-संकेत दिया गया है वहाँ भी यथार्थ काल निर्धारण में जटिल कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। ऊपर 'शिसालेखों' के काल सन्दर्भ में हमने यह देखा था कि एक लेख में 'मुरिय' पढ़ा गया और उसका अर्थ लगाया गया 'मौर्य सवत्' जबकि कुछ विद्वान यह मानते थे कि यह पाठ गलत है, गलत पढ़ कर गलत अर्थ किया गया, अतः मौर्य सवत् की धारणा निराधार है। किन्तु शिसालेखों में 'मर' भी कभी-कभी टोक नहीं पड़े जाते, इससे काल निर्धारण संदीप हो

1 प्रमाण के लिए बाह्य साक्ष्य का उपयोग किया जाता है। काणे ने उद्धृत क सम्बन्ध में बताया है कि दण्डी काण्वी के आगे के काल में ही सेवरा न उद्धृत का उल्लेख किया है : 'राजशेखर न 'साध्य-मीमांसा' में बाहु बभौकितनाम शब्दावकाश मिति उद्धृत'। 'उद्धृत' क एक छन्द को भी उद्धृत किया है। श्री हरिदुराज ने बिना नामोल्लेख किए उक्त छन्द उद्धृत किए हैं। धनिक की उद्धृत व्याख्यानान टोका में उद्धृत है। मोहन में भी उल्लेख है। मम्मट ने उद्धृत का नाम सेनर आयोचना की है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि उद्धृत 800-850 ई. के बीच हुए।

2. Kaue, P. V -Sahityadarpan (Introduction), p. 37

जाता है ।¹

हम यहाँ यह देखेंगे कि ग्रन्थादि में 'काल-संकेत' किस-किस प्रकार से दिये गए हैं ? और उनके सम्बन्ध में क्या-क्या समस्याएँ खड़ी हुई हैं ?

इतिहास से हमें विदित होता है कि सबसे पहले शिलालेख में जो अजमेर के पास बडली ग्राम में मिला था,

- 1 अशोक से पूर्व में बोर सवत् (महावीर निर्वाण सवत्) का उल्लेख दिया ।
- 2 अशोक के अभिलेखों में राज्य-वर्ष का उल्लेख है ।
- 3 अग्रे शको के समय में राज्य-वर्ष के साथ 'शक सवत्' का वर्ष दिया गया, हाँ, वर्ष संख्या के साथ 'शक' का नाम सवत् के साथ नहीं लगाया गया । बाद में 'शक' नाम दिया गया ।
- 4 वर्ष या सवत्सर के साथ पहले ऋतुओं का उल्लेख, एव उनके पाखों का उल्लेख होने लगा । इसके साथ ही तिथि, मूर्त को भी स्थान मिलने लगा ।
- 5 बाद में ऋतुओं के स्थान पर महीनों का उल्लेख होने लगा । महीनों का उल्लेख करते हुए दोनों पाखों को भी बताया गया है । शुक्ल या शुद्ध और बहुल या कृष्णपक्ष भी दिया गया ।
- 6 इसी समय नक्षत्र (यथा—रोहिणी) का समावेश भी कहीं-कहीं किया गया ।
- 7 वर्ष संख्या अको में ही दी जाती थी पर किसी-किसी शिलालेख में शब्दों के अक बताये गए हैं ।
- 8 हिन्दी के एक कवि 'सवलक्ष्मण' ने अपने ग्रन्थ का रचना-काल यो दिया है :

सवत् सत्रह सँ सोरह दस, कवि दिन तिथि रजनीस वेद रस ।

साध पुनीत मकर गत भानू

असित पक्ष ऋतु शिशिर समानू ।

कवि ने इसमें सवत् दिया है : सत्रह सौ सोरह दस

$$1716 + 10 = 1726$$

यह विक्रम सवत् है, क्योंकि हिन्दी में सामान्यतः इसी सवत् का उल्लेख हुआ है । सवत् का नामोल्लेख न होने पर भी हम इसे विक्रम सवत् कह सकते हैं ।

कवि ने तब दिन का उल्लेख किया है : 'कवि दिन' का उल्लेख भी अद्भुत है । कवि दिन = शुक्रवार ।

तिथि अको में न लेकर शब्दों में बतायी गयी है :


रजनीस : चन्द्रमा 1 +

वेद : 4 +

रस : 6 + = 11

अर्थात् एकादशी ।

1., देखिए—गुरु गुण के पूर्वज का शिलालेख, गोघ पत्रिका (वर्ष 22, अंक 1), मन्. 1971 से श्री गोविन्द अग्रवाल का निबन्ध—'बीछा (बीकानेर) इतिहास के कुछ संदिग्ध स्थल ।'



ददरेवा ग्राम मे प्राप्त विद्यमान 'जंतसी' का शिलालेख

(जान कवि ने क्यामला रासो [सम्बत् 1273] में क्यामलानी चौहाना की बशावली प्रस्तुत की है उसमें गोगाजी व जंतसी का भी उल्लेख है। अतः इसके आधार पर जंतसी गोगाजी के बंशज हैं।)

—माघ सुदि १४ चंद्रवार, (सम्बत् ११७३)

माघ महीने के अक्षय पक्ष अर्थात् वृष्णपक्ष में ऋतु शिशिर, तथा—

मानु मकर के - यह पवित्र संयोग

इसमें कवि ने ऋतु का भी उल्लेख किया है और महीने का भी ।

स्पष्ट है कि यह कवि सामान्य परिपाटी से अपने को भिन्न सिद्ध करने के प्रयत्न में है ।

काल सकेत की सामान्य पद्धति यह है कि यदि कवि शब्दों में काल-सकेत देता है तो वह सवत् को शब्दाको में रखता है, तिथि को नहीं । इस कवि ने तिथि को शब्दाको में रखा है जो क्रमश 1,4,6 होता है । अतः तीनों को जोड़कर (11) तिथि निकाली गयी । पर सवत् को अक्षों में दिया है, उसे भी वैशिष्ट्य के साथ - सत्रह सँ सोरह + दस । यहाँ भी सवत् जोड़ के प्राप्त होता है—सवत् सत्रह सँ छब्बीस = 1726 ।

इस बात में भी यह मनोखा है कि इसमें महीना भी दिया गया है और ऋतु भी साथ है । यह पद्धति किसी-किसी अभिलेख में भी मिलती है ।

काल-सकेत की यह एक जटिल पद्धति मानी जा सकती है ।

सामान्य पद्धति

अब हम देखेंगे कि सामान्य पद्धति क्या होती है सामान्य पद्धति में सवत् अक्षों में किन्तु अक्षरों में दिया जायगा । 1726 को अक्षरों में 'सत्रह सँ छब्बीस' लिखा जायगा । कहीं-कहीं पांडुलिपियों में सवत् को अक्षरों में देकर उसी के साथ अक्षों में भी लिख दिया गया है, यथा 'सत्रह सँ छब्बीस १७२६' तिथि भी अक्षों में अक्षरों के द्वारा अर्थात् ग्यारस (११) ।

सामान्य रूप से सवत् और तिथि के साथ दिन का, महीने का और पक्ष का उल्लेख भी किया जाता है ।

इस रूप के अतिरिक्त जो कुछ भी वैशिष्ट्य लाया जाता है, वह कवि-कौशल माना जायेगा ।

यह सन् सवत् रचना के काल के लिये ही नहीं दिया जाता, इससे लिपि-काल भी चोत्तित किया जाता है, लिपिकर्त्ता भी अपना वैशिष्ट्य दिखा सकता है ।

कठिनाइयाँ

अब कुछ मयायँ कठिनाइयों के उदाहरणों से यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि कठिनाई का मूल कारण क्या है ?

पुष्टिका

1. बीसल देव रासो की एक प्रति में रचना-तिथि यों दी गई है -
बारह सँ बहोत्तराहा मँझारि,
जेठ बदी नवमी बुधिवारि ।
नालूह रमाइल आरम्भइ ।
शारदा तुठी ब्रह्म कुमारि ।
कासमीरौ मुख मडनी ।

सवत् पर टिप्पणियाँ

1. प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'बारह सँ बहोत्तराहा' का अर्थ 1212 किया है । बहोत्तर द्वादशोत्तर वा रूपान्तर है ।
2. बहोत्तर को बहत्तर (72) वा रूपान्तर कथों में माना जाय । साला सीताराम ऐसा ही मानते हैं ।

- रास प्रगासो बीसल दे राइ ।
 2 एक अन्य प्रति मे धी है—
 सबत सहस सतिहत्तरई जाणि । 3 इस पाठ से सबत् सत्तहत्तर अर्थात्
 नल्ह कबीसरि वही अमृतवाणि । 1077 निकलता है ।
 गुण गुध्यउ चउहाण का ।
 सुकुलपक्ष पचमी श्रावणमास ।
 रोहिणी नक्षत्र सीहामणउ ।
 सौ दिन गिणि जोइमी जोउइ रास ।
 3 एक अन्य प्रति मे—
 सबत तेर सतीत्तरइ जाणि 4 इसमे 1377 सबत् प्राता है ।
 सुक पचमी नइ श्रावण मास, 5 इसका एक अर्थ हो सकता है
 हस्त नक्षत्र रविवार सु सतोत्तरह=शत उत्तर एकसौ तेर=
 13 अर्थात् 1013
 4 एक अन्य मे—
 सबत सहस तिहुत्तर जाणि 6 इससे सबत् 1073 निकलता है ।
 नाल्ह कबीसरि सरमिय वाणि
 5 डॉ० गुप्त ने एक अन्य प्रति के आधार
 पर एक सबत् 1309 और बताया
 है । उन्होने इस प्रति को 'अ० स०'
 नाम दिया है ।

बीसलदेव रास के रचना काल के सम्बन्ध में कठिनाइयों का एक कारण तो यह है कि विविध उपलब्ध पाडुलिपियों में सबत् विषयक पक्तियों में पाठ-भेद है। पाँच प्रकार के पाठ-भेद ऊपर बताये गये हैं। इतने सबता में से वास्तविक सबत कौन सा है, इसे पाठालोचन के सिद्धान्त से भी निर्धारित नहीं किया जा सका। बहुत बड़े विद्वान पाठालोचक डॉ० गुप्त ने टिप्पणी में दिये पूर्व सबत् को नहीं लिया शेष छ को लेकर किसी निर्णय पर न पहुँच सकने के कारण व्यंग्यात्मक टिप्पणी दी है जो पठनीय है "चैत्रादि और कार्तिकादि, दो प्रकार के वर्षों के अनुसार इन छ की बारह तिथियाँ बन जाती हैं और यदि 'गत' और 'वर्तमान' सबत् लिये जायें तो उपर्युक्त से कुल चौबीस तिथियाँ होती हैं"। डॉ० गुप्त ने पाठ भेद की कठिनाई का समाधान निकालने की बजाय तद्विषयक कठिनाइयों और बड़ा के प्रस्तुत कर दी हैं। स्पष्ट है कि पाठालोचन के सिद्धान्त से किसी एक पाठ को वे प्रामाणिक नहीं मान सके। किन्तु यह भी सच है कि काल-निर्धारण में भ्राने वाली कठिनाइयों की ओर भी ठीक सबेत् किया है सबत् का आरम्भ कही चैत्रादि से माना जाता है तो कही कार्तिकादि से—अतः ठीक ठीक तिथि निर्धारण के समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरे सबत् का उल्लेख 'गत' के लिये भी होता है, और 'वर्तमान' के लिये भी होता है यथार्थ तिथि निर्धारण में इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होता है। अतः काल निर्धारण में ये भी यथार्थ कठिनाइयाँ मानी जा सकती हैं।

पाठ-भेदों से उत्पन्न कठिनाई के बाद एक कठिनाई उचित अर्थ विषयक भी दिखाई पड़ती है। मान लीजिये कि एक ही पाठ 'बारह सँ बहोत्तरहा मन्हारि' ही मिलता तो

भी कठिनाई थी कि 'बहोत्तराहा' का अर्थ आचार्य शुक्ल की भाँति 1212 किया जाय या 12 से 72 (1272) किया जाय। आचार्य शुक्ल ने 1212 के साथ तिथि को पञ्चांग से पुष्ट कर लिया है, क्योंकि कवि ने केवल सवत् ही नहीं दिया बरन् महीना जेठ, पक्ष वदी (कृष्ण पक्ष), तिथि नवमी और दिन बुधवार भी दिया है। 1212 को प्रामाणिक मानने के लिये यह विस्तृत विवरण पचाग सिद्ध हो तो सवत् भी सिद्ध माना जा सकता था। पर पाठ भेदों के कारण यह सिद्ध सवत् भी अप्रामाणिक कोटि में पहुँच गया।

अतः अर्धान्तर की कठिनाई पचाग के प्रमाण से दूर होते होते, पाठान्तर के भ्रमेले से निरर्थक हो गई।

पाठ दोष की कठिनाई हस्तलेखों में बहुत मिलती है, यथा—

"सवत् श्रुति शुभ नागशशि, वृष्णा कार्तिक मास

रामरसा तिथि भूमि सुत वासर कीन्ह प्रकास¹

यहाँ टिप्पणी यह दो गई है कि "शुभ के स्थान पर जुग किये बिना कोई अर्थ नहीं बैठता।" अतः 'शुभ' पाठ-दोष का परिणाम है। 'पाठ-दोष' को दूर करने का वैज्ञानिक साधन, पाठालोचन ही है, पर जहाँ मात्र अर्थ विवरण लिये गये हो वहाँ दोष की ओर इंगित कर देना भी महत्त्वपूर्ण माना जायगा, 'शुभ' के स्थान पर 'जुग' रखने का परामर्श पाठालोचन क अभाव में अच्छा परामर्श माना जा सकता है। इस कवि की प्रकृति भी 'अको की शब्दों में देने की हैं इसीलिये तिथि तक भी राम=3 एव रसा=1 (=13=त्रयोदशी) अकाना वामतो गति से बतायी है।

पाठ दोष का यह रूप उस स्थिति का द्योतक है जिसमें मूल पाठ से प्रति प्रस्तुत करने में दोष आ जाता है।

'पाठ-दोष' के लिये 'भ्रान्त पठन' मूल कारण होता है। एक और उदाहरण तेरहवें खोज विवरण² से दिया जाता है—

किन्तु लिपिकारों ने प्रतिलिपि में ऐसी भयकर भूलों की हैं कि ग्रन्थारम्भ का समय एकादश सवत् समय और पाठ निराधार हो गया है, जिसका अर्थ होगा $11 + 60 = 71$ जा निरर्थक है। पहला शब्द 'एकादश' नहीं है, यह 'सत्रहसँ होना चाहिये अर्थात् $1700 + 60 = 1760$, जो समाप्त काल के पद्य से सिद्ध हो जाता है

'गय जो विक्रम धीर विताम। सत्रह सँ अरु साठि गिनाय"

ऐसे ही एक लिपिकार ने 'साठि' का 'धाठि' करके ५२ वर्ष का अन्तर कर दिया है। फिर भी यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि दो भिन्न भिन्न लिपिकारों ने 'सत्रह सँ' को 'एकादश' कैसे पढ़ लिया? अवश्य ही यह दोष उस प्रति में रहा होगा, जिससे इन दोनों ने प्रतिलिपि की है।

अथवा यह विदित होता है कि इस प्रकार 'सत्रह सँ' को 'एक दश' लिखने वाले दो व्यक्तियों में से एक ने दूसरे से प्रतिलिपि की तभी एक के भ्रान्त पाठ को दूसरे ने भी

1 अयोदश वैशाखिक विवरण, पृ० 28।

2 वही, पृ० 86।

दे दिया। एक कारण यह भी हो सकता है कि मूल की सेलन-पद्धति कुछ ऐसी हो कि 'सत्रह सैं', 'एकादश' पढा गया। 'साठ का आठ' भी भ्रान्त वाचना पर निर्भर करता है।

इसी प्रकार एक पाठ में है .

सौलह सैं बालीस में सवत् अक्वधारू

चैतमास शुभ पछ पुण्य नवमी भृगुवारू ।

इसमें चालीस का ही 'बालीस' हो गया है। एक अन्य पाठ से 'चालीस' की पुष्टि होती है। स्पष्ट है कि यह 'बालीस' बयालीस (42) नहीं है।¹

यह 'पाठ-दोष' या भ्रान्त वाचना कभी-कभी इतनी विकृत हो सकती है कि उसका मूल कल्पित कर सकना इतना सरल नहीं हो सकता जितना कि बालीस को चालीस रूप में शुद्ध बना लेना।

ऐसा एक उदाहरण यह है—

री भव वक्र सोनाणइ नदु जुत

करी सम्य (समय) जानी,

असाड सी सीत मुम पचमी

सनी को वासर मानी ।

इस काल द्योतक पद्य का प्रथम चरण इतना भ्रष्ट है कि इसका मूल रूप निर्धारित करना कठिन ही प्रतीत होता है। पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो कल्पना से रूप प्रस्तुत किया है वह उनकी विद्वता और पाठिरय से ही सिद्ध हो सका है। उन्होंने सुझाव दिया है कि इसका मूल पाठ यह हो सकता है—

“विधि भव वक्र सुनाग इन्दुजुत करी समय जानी” और इसका अर्थ किया है .

विधि वक्र : 4

भव वक्र : 5

नाग : 8

इडु : 1

अतः सवत् दृष्या 1854

हमने यह देखा कि पुष्पिकाओं में सवत् का उल्लेख होता था और यह सवत् विक्रम सवत् था। ऊपर के सभी उदाहरण विक्रम सवत् के द्योतक हैं, किन्तु ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं, जैसे ये हैं :

संमत सत्रह से ऐकानवे होई

एगारह सैं सन पैतालिस सोई

अगहन मास पछ अजीमारा

तीरय तीरोदसी सुकर सँवारा ।

इसमें 'अजीमारा' का रूप तो 'अजियारा' अर्थात् शुक्ल : उज्वल पक्ष है 'तीरय'

1. हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों का अठारहवीं वैचारिक विवरण, पृ० 18 ।

गलत छपा है यह 'तिथि' है। 'तीरोदसी' त्रयोदशी का विकृत रूप है। किन्तु जो विशेष रूप से दृष्टव्य है वह यह है कि इसमें सवत् 1791 दिया गया है और सन् 1145 दिया गया है। एक पुष्पिका इस प्रकार है

“सन बारह सँ भसी है, सवत् देहु बताय
बोनइस सँ बोनतीस मे सो लिखि कहे उ बुभाय ।”¹

यहाँ कवि ने सन् बताया 1280 और उसका सवत् भी बताया है 1929। सवत् तो विक्रमी है सन् है फसली। ऊपर भी सन् से फसली सन् ही अभिप्रेत है।

अब जायसी के उल्लेखों को लीजिये। वे 'भाखिरी कलाम' में लिखते हैं—

‘मा अवतार मोर नव सदी
तीस बरिख कवि ऊपर बदी ।’

× × ×

सन् नव सँ सैतालिस ग्रहे।
कथा आरम्भ बँन कवि कहे

जायसी² ने सन् का उल्लेख किया है। यह सन् है हिजरी तो स्पष्ट है कि हिन्दी रचनाओं में हिजरी सन् का भी उल्लेख है और 'फसली' सन् का भी।

भारत के अभिलेखों और ग्रन्थों में या तो तीन सवत् या सन् ही नहीं आया, कितने ही सवत् तो सना का उल्लेख हुआ है। इसलिए उन्हें अपन प्रचलित ईस्वी सन् और विक्रमी नियमित सवत्ता में उन्हें बिठान में बठिनाई होती है।

विविध सन्-सवत्

हम यहाँ पहले उन सवत्ता का विवरण दे रहे हैं जो हमें भारत में शिलालेखों और अभिलेखा में मिले हैं। यह हम देख चुके हैं कि पहले बड़ती के शिलालेख में 'वीर सवत्' का उपयोग हुआ। यह शिलालेख महावीर क निर्वाण से 84 वें वर्ष में लिखा गया था। इस एक अणुवाद को छोड़ कर बाद में शिलालेखों और ग्रन्थ लेखों में 'वीर सवत्' का उपयोग नहीं हुआ, हाँ, जैन ग्रन्थों में इसका उपयोग आगे चलकर हुआ है।

फिर अशोक के शिलालेखों में और आगे राज्य-वर्षों का उल्लेख हुआ है।

नियमित सवत्

सबसे पहले जो नियमित सवत् अभिलेखों के उपयोग में आया वह बस्तुतः 'शक सवत्' था।

शक-सवत्

शक सवत् अपने 500 वें वर्ष तक प्रायः बिना 'शक' शब्द के मात्र 'वर्षों' या कभी-कभी मात्र 'सवत्सरे' शब्द से अभिहित किया जाता रहा।

1 अठारहवीं वैचारिक विवरण, पृ० 124।

2 जायसी लिखित 'पद्मावत' के रचनाकाल के सम्बन्ध में भी मतभेद हैं, पाठ भेद से कोई एने 'सन् नव सँ सतालिस ग्रहे' मानत हैं, बिठानों में इसका अणुवाद विवाद रहा है।

शक 500 वें वर्ष से 1262 वें वर्ष के बीच इसके साथ 'शक' शब्द लगने लगा, जिसका अभिप्राय यह था कि 'शकनूपति के राज्यारोहण के समय में'।

शाके शालिवाहने

फिर चौदहवीं शताब्दी में शक के साथ शालिवाहन और जोड़ा जाने लगा। 'शाके-शालिवहन-संवत्' वही शक-संवत् था, पर नाम उसे शालिवाहन का और दे दिया गया।

शक-संवत् विक्रम संवत् से 135 वर्ष उपरान्त अर्थात् 78 ई० में स्थापित हुआ। इस प्रकार विक्रम सं० से 135 वर्ष का अंतर शक-संवत् में है और ईस्वी सं० से 78 वर्ष का।

पूर्वकालीन शक-संवत्

यह विदित होता है कि शका ने अपने प्रथम भारत-विजय के उपलक्ष्य में 71 या 61 ई० पू० में एक संवत् चलाया था। इसे पूर्वकालीन शक-संवत् कह सकते हैं। विम कडफिम का राज्य-काल इसी संवत् के 191 वें वर्ष में समाप्त हुआ था। यह संवत् उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्र में उपयोग में आया था। बाद का शक-संवत् पहले दक्षिण में प्रारम्भ हुआ फिर समस्त भारत में प्रचलित हुआ। जैसा ऊपर बताया जा चुका है यह 78 व ईस्वी संवत् में प्रारम्भ हुआ था।

कुपाण-संवत्

(यही कनिष्क संवत् भी कहलाता है)

इसकी स्थापना सम्राट् कनिष्क ने ही की थी। यह संवत् कुछ इस तरह लिखा जाता था + महाराजस्य देवपुत्रस्य कणिष्कस्य संवत्सरे 10 प्रि 2दि9।" इसका अर्थ था कि महाराजा देव पुत्र कनिष्क के संवत्सर 10 की शीघ्र ऋतु के दूसरे पात्र के नवमे दिन या नवमी तिथि को।

कनिष्क ने यह संवत् ई० 120 में चलाया था। इसका प्रचलन प्रायः कनिष्क के वंशजों में ही रहा। 100 वर्ष के लगभग ही यह प्रचलित रहा होगा। इसके बाद उसी क्षेत्र में पूर्वकालीन शक-संवत् का प्रचार हो गया।

कृत, मालव तथा विक्रम संवत्

कृत, मालव तथा विक्रम संवत् नाम से जो संवत् चलना है वह राजस्थान और मध्य-प्रदेश में संवत् 282 से उपयोग में आता मिलता है।

ये नाम तो तीन हैं पहले 'कृत-संवत्' का उपयोग मिलता है, बाद में इसे मालव कहा जाने लगा और उसके भी बाद इसी को 'विक्रम-संवत्' भी कहा गया। आज विद्वान इस तथ्य को कि कृत, मालव तथा विक्रम-संवत् एक संवत् के ही नाम हैं निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं। इन नामों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं

1 'कृतयोद्धं योर्वर्षे शतयोद्धंय शीतयो 200+80+2 चंद्र पूर्णमास्याम्'।¹

2 श्री मालवगणाम्नाते प्रशस्ते कृतसंज्ञिते । कष्टयधिके प्राप्ते समाशत वतुष्टये । दिने

ग्राम्बोज शुक्लस्य पचमयामय सत्कृते ।¹ इसमें कृत को मालवगण का सवत् बताया गया है ।

3 मालवकालाच्छरदा पटत्रिंशत्-सयुते प्वतीतेषु । नवमु शतेषु मघाविह ।²
इसमें केवल मालव-काल का उल्लेख हुआ है ।

4 विक्रम सवत्सर 1103 फाल्गुन शुक्ल पक्ष तृतीया ।

इसमें केवल 'विक्रम-सवत्' का उल्लेख है । 1103 के बाद विक्रम नाम का ही विशेष प्रचार रहा और प्रायः समस्त उत्तरी भारत में यह सवत् प्रचलित हो गया (बगाल को छोड़ कर) ।

यह सवत् 57 ई० पू० में आरम्भ हुआ था इसमें 135 जोड़ देने से शक-सवत् मिल जाता है ।

विक्रम-सवत् के सम्बन्ध में ये बातें ध्यान में रखने योग्य हैं

1. उत्तर में इस सवत् का आरम्भ चैत्रादि है । चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यह चलता है ।

2. यह उत्तर में पूर्णिमान्त है—पूर्णिमा को समाप्त माना जाता है ।

3. दक्षिण में यह कार्तिकादि है । कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ होता है और 'अमान्त' हैं, अभावस्था को समाप्त हुआ माना जाता है ।

गुप्त सवत् तथा बलभी सवत्

विद्वानो का निष्कर्ष है कि गुप्त-सवत् चन्द्रगुप्त-प्रथम द्वारा चलाया गया होगा । इसका आरम्भ 319 ई० में हुआ । यह चैत्रादि सवत् है और चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ होता है । इसका उल्लेख 'गतवर्ष' के रूप में होता है, जहाँ 'वर्तमान' वर्ष का उल्लेख है, वहाँ एक वर्ष अधिक गिनना होगा ।

बलभी (सौराष्ट्र) के राजाओं ने गुप्त-सवत् को ही अपना लिया था पर उन्होंने अपनी राजधानी 'बलभी' के नाम पर इस सवत् का नाम 'गुप्त' से बदल कर 'बलभी' सवत् कर दिया था, क्योंकि बलभी सवत् भी 319 ई० में आरम्भ हुआ, अतः गुप्त और बलभी में कोई अन्तर नहीं ।

हर्ष-सवत्

यह सवत् श्री हर्ष ने चलाया था । श्री हर्ष भारत का अन्तिम सम्राट माना जाता है । प्रलवेरुनी ने बताया कि एक पाशमीरी पचाग के आघार पर हर्ष विक्रमादित्य से 664 वर्ष बाद हुआ । इस दृष्टि से हर्ष-सवत् 599 ई० में आरम्भ हुआ । हर्ष-सवत् उत्तरी भारत में ही नहीं नेपाल में भी चला और लगभग 300 वर्ष तक चलता रहा ।

ये कुछ सवत् अभिलेखों और शिलालेखों, ताम्रपत्रों आदि के आघार पर प्राग्निक् हैं । इन्हें प्रमुख सवत् कहा जा सकता है । इनका ऐतिहासिक हस्तलेखों के काल निर्धारण में सहायक माना जा सकता है ।

पर, भारत में और कितने ही संवत् प्रचलित हैं जिनका ज्ञान होना इसलिये भी

1 वही, पृ० 200 ।

2 वही, पृ० 201 ।

प्रावश्यक है कि पाडुलिपि विज्ञानार्थी को न जाने कब किस सन् सवत् से साक्षात्कार हो जाय ।

सप्तपि संवत्

लौकिक-काल, लौकिक-सवत्, शास्त्र-सवत् पहाडी-सवत् या कच्चा-सवत् । ये सप्तपि-सवत् के ही विविध नाम है

सप्तपि-सवत् काश्मीर में प्रचलित रहा है । पहले पंजाब में भी था । इसे सप्तपि-सवत् सप्तपि (सातों तारों के विरघात मडल) की चाल के आघार पर कहा गया है । ये सप्तपि 27 नक्षत्रों में से प्रत्येक पर 100 वर्षे स्वते हैं । इस प्रकार 2700 वर्षों में ये एक चक्र पूरा करते हैं । यह चक्र काल्पनिक ही बताया गया है । फिर नया चक्र आरम्भ करते हैं । इस सवत् को लिखते समय 100 वर्षे पूरे होने पर शताब्दी का अंक छोड़ देते हैं, फिर 1 से आरम्भ कर देते हैं । इस सवत् का आरम्भ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है और इसके महीने पूर्णिमात होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि उत्तरी भारत में विक्रम सवत् के होते हैं ।

इसका अन्य सवतों में सम्बन्ध इस प्रकार है

शक से—शताब्दी के अन्त रहित सप्तपि सवत् में 46 जोड़ने से शताब्दी के अन्त रहित शक (गत) सवत् मिलता है । 81 जोड़ने से चैत्रादि विक्रम (गत), 25 जोड़ने से कलियुग (गत), और 24 या 25 जोड़ने से ई०म० आता है ।

कलियुग-सवत्¹

भारत युद्ध-सवत् एव युधिष्ठिर-सवत् भी यही है :

यह सामान्यतः ज्योतिष ग्रन्थों में लिखा जाता है, पर कभी-कभी शिलालेखों पर भी मिलता है ।

इसका आरम्भ ई०पू० 3102 से माना जाता है ।

चैत्रादि गत विक्रम-सवत् में 3044 जोड़ने से,

गत शक-सवत् में 3179 जोड़ने से,

और ईसवी सन् में 3101 जोड़ने से

गत कलियुग सवत् आता है ।

बुद्ध-निर्वाण-सवत्

बुद्ध-निर्वाण के वर्ष पर बहुत मत-भेद हैं । १० गौरीशंकर हीराचन्द्र प्रोभाजी 487 ई०पू० में अधिक सम्भव मानते हैं । अन्त बुद्ध-निर्वाण-सवत् का आरम्भ 487 ई०पू० से माना जा सकता है । बुद्ध-निर्वाण-सवत् का उल्लेख करने वाले शिलालेखादि सख्या में बहुत कम मिले हैं ।

वाहस्पत्य-सवत्सर

ये दो प्रकार के मिलते हैं एक 12 वर्ष का दूसरा 60 वर्ष का ।

1 कलियुग सवत् भारत युद्ध की समाप्ति का चोक्क है और युधिष्ठिर के राज्यारोहण का भी । अतः इसे भारत-युद्ध-सवत् एव युधिष्ठिर-सवत् कहते हैं । कलियुग नाम से अङ्क न समझना चाहिये कि इसी सवत् से कलि आरम्भ हुआ । कलियुग कुछ वर्ष पूर्व आरम्भ हो चुका था ।

वारह वर्ष का

ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी से पूर्व इस सवत् का उल्लेख मिलता है। बृहस्पति की गति के आधार पर इसका 12 वर्ष का चक्र चलता है। इसके वर्ष महीनों के नाम चंद्र, वैशाखादि पर ही होते हैं पर बहुधा उनके पहले 'महा' शब्द लगा दिया जाता है, जैसे—महाचंद्र, महाफाल्गुन आदि। अस्त होने के उपरान्त जिस राशि पर बृहस्पति का उदय होता है, उस राशि या नक्षत्र पर ही उस वर्ष का नाम 'महा' लगा कर बताया जाता है।

साठ (60) वर्ष का

दूसरा सवत्सर 60 वर्ष के चक्र का है। बृहस्पति एक राशि पर एक वर्ष के 361 दिन, 2 घड़ी और 5 पल ठहरता है। इसके 60 वर्षों में से प्रत्येक को एक विशेष नाम दिया जाता है। इन साठ वर्षों के ये नाम हैं

1 पूषव, 2 विभव, 3. शुक्ल, 4 प्रमोद, 5 प्रजापति, 6 अगिरा, 7 श्रीमुख, 8 भाव, 9 युवा, 10 घाता, 11 ईश्वर, 12. बहुधाय, 13 प्रभायी, 14 विक्रम, 15. वृष, 16 चित्रभानु 17 सुभानु 18 तारण, 19. पाथिव, 20 व्यय, 21. सर्व-जित 22 सर्वधारी, 23 विरोधी, 24 विकृति, 25 खर, 26 नन्दन, 27 विजय, 28 जय, 29 मन्मथ 30, दुर्मुख, 31 हेमलव, 32 विलवी, 33 विकारी, 34 शार्ङ्गरी, 35 प्लव, 36. शुभकृत, 37 शोभन, 38 क्रोधी, 39. विश्वावसु, 40. परामव, 41. प्लवन, 42 कीलक, 43 सौम्य, 44 साधारण, 45 विरोधकृत, 46 परिधावी, 47 प्रभादी, 48 आनन्द, 49 राक्षस 50. अनल, 51 पिगल, 52 कालयुक्त, 53 मिद्वार्थी, 54 रौद्र, 55 दुर्मति, 56 दुदुभी, 57 रुधिरोग्गरी, 58 रक्ताक्ष, 59 क्रोधन और 60 क्षय।

इस सवत्सर का उपयोग दक्षिण में ही अधिक हुआ है उत्तरी भारत में बहुत कम।

बाह्स्पत्य-सवत् का नाम निकालने की विधि वाराहमिहिर ने यों बताया है—

जिस शक सवत् का बाह्स्पत्य वर्षों नाम मालूम करना इष्ट हो उसका गत शक सवत् लेकर उसको 11 से गुणित करो, गुणनफल को चौगुना करो, उसमें 8589 जोड़ दो जो जोड़ जाये उसमें 3750 से भाग दो, भजनफल को इष्ट गत शक सवत् में जोड़ दो जो जोड़ मिले उसमें 60 का भाग दो, भाग देने के बाद जो शेष रहे उस सख्या को यह उक्त प्रभवादि सूची में जो नाम क्रमात् जाये वही उस इष्ट गत शक सवत् का बाह्स्पत्य-वर्ष का नाम होगा।

दक्षिण बाह्स्पत्य सवत्सर का नाम यों निकाला जा सकता है कि 38 गत शक सवत् में 12 जोड़ो और योगफल में 60 का भाग दो—जो शेष बचे उस सख्या का वर्षों नाम अभीष्ट वर्ष नाम है या इष्ट गत कलियुग-सवत् में उक्त नियमानुसार पहले 12 जोड़ो, फिर 60 का भाग दो—जो शेष बचे उसी सख्या का प्रभवादि क्रम से नाम बाह्स्पत्य-वर्ष का अभीष्ट नाम होगा।

ग्रह परिवृत्ति-संवत्सर

यह भी 'चक्र माथित' संवत् है। इसमें 90 वर्षों का चक्र रहता है। 90 वर्षों पूरे होने पर पुनः 1 से आरम्भ होता है। इसमें भी शताब्दियों की सख्या नहीं दी जाती, केवल वर्षों सख्या ही रहती है, इसका आरम्भ ई० पूर्वं 24 से हुआ माना जाता है।

इस सवत् को निबालने की विधि—

1 वर्तमान कलियुग सवत् मे 72 जोड़ कर 90 का भाग देने पर जो शेष रहे वह सख्या ही इस सवत्सर का वर्तमान वर्ष होगा ।

2 वर्तमान शक सवत् मे 11 जोड़ कर 90 का भाग दीजिये । जो शेष बचे उसी सख्या वाला इस सवत्सर का वर्तमान वर्ष होगा ।

हिजरी सन्

यह सन् मुसलमानों मे चलने वाला सन् है । मुसलमानों के भारत मे आने पर यह भारत मे भी चलने लगा ।

इसका आरम्भ 15 जुलाई 622 ई० तथा सवत् 679 आषाढ शुक्ला 2, विक्रमी की शाम से माना जाता है, क्योंकि इसी दिन पैगम्बर मुहम्मद साहब ने मक्का छोड़ा था, इस छोड़ने को ही अरबी मे 'हिजरह' कहा जाता है । इसकी स्मृति का सन् हुआ हिजरी सन् । इस सन् की प्रत्येक सारील सायकाल से आरम्भ होकर दूसरे दिन सायकाल तक चलती है । प्रत्येक महीने के 'चन्द्र दर्शन' से महीने का आरम्भ माना जाता है, अतः यह चन्द्र वर्ष है ।

इसके 12 महिनो के नाम ये हैं 1-मुहर्रम, 2-सफर, 3-रबी उल् अक्वल, 4-रबी उल आखिर या रबी उस्सानी, 5 जमादि उल् अक्वल, 6-जमादिउल आखिर या जमादि उस्सानी, 7-रजब, 8-शाबान, 9-रमजान, 10-शबवाल, 11-जिल्काद और 12-जिलहिज्ज । म० भ० श्रीभा जी ने बताया है कि 100 सौर वर्षों मे 3 चन्द्र वर्ष 24 दिन और 9 घडी बढ जाती हैं । ऐसी दशा मे ईसवी सन् (या विक्रम सवत्) और हिजरी सन् का परस्पर कोई निश्चित अंतर नही रहता, वह बदलता रहता है । उसका निश्चय गणित से ही होता है¹ ।

'शाहूर' सन् या 'सूर' सन् या 'अरबी' सन्

इसका आरम्भ 15 मई, 1344 ई० तदनुसार ज्येष्ठ शुक्ल 2, 1401 विक्रमी से जबकि सूर्य मृगशिर नक्षत्र पर आया था, 1 मुहर्रम हिजरी सन् 745 से हुआ था । इसके महिनो के नाम हिजरी सन् के महिनो के नाम पर ही हैं । पर, इसका वर्ष सौर वर्ष होता है, हिजरी की तरह चन्द्र नहीं । जिस दिन सूर्य मृगशिर नक्षत्र पर आता है, 'मृगेरबि'; उसी दिन से इसका नया वर्ष आरम्भ होता है, अतः इसे 'मृग-साल' भी कहा जाता है ।

इस सन् मे 599-600 मिलाने से ईसवी सन् मिलता है, और 656-657 जोड़ने से विक्रम सवत् मिलता है । इस सन् के वर्ष अको की बजाय अक छोटक अरबी शब्दों मे लिखे जाते हैं । यह सन् मराठी मे काम मे लाया जाता था । मराठी मे अकों के छोटक अरबी शब्दो मे कुछ विकार अवश्य आ गया है, जो भाषा-वैज्ञानिक-प्रक्रिया मे स्वाभाविक है । नीचे अको मे लिये अरबी शब्द दिये जा रहे हैं और कोष्ठक मे मराठी रूप । यह मराठी रूप श्रीभाजी ने मोलेसेवर्ष के मराठी अग्रजो कोश से दिये हैं ।

1-अहद् (अहदे, इहदे)

2-अम्ना (इसग्ने)

3-सलालह (सल्लीस)

4-अला

- 5-खम्मा (खम्मस)
 6-सित्त (सिन 5=सित्त)
 7-सवा (सब्बा)
 8-समानिघा (सम्मान)
 9-तसमा (तिस्सा)
 10-अशर
 11-अहद् अशर
 12-अस्ता (इसने) अशर
 13 सलासह्, (सल्लास) अशर
 14-अरवा अशर
 20-अशरीन्
 30-सलासीन (सल्लासीन)
 40-अरवईन्
 50-खम्सीन्
 60-सित्तीन (सित्तैन)
 70-सवीन् (सब्बैन)
 80-समानीन (सम्मानीन)
 90-तिसईन (तिस्सैन)
 100-माया (मया)
 200-अशतीन (अशतैन)
 300-सलास माया (सल्लास माया)
 400-अरवा माया
 1000-अलफ् (अलफ)
 10000-अशर अलफ्

इन अक्षर-सूचक शब्दों में सन् लिखने से पहिले शब्द से इकाई, दूसरे से दहाई, तीसरे से सैंकडा और चौथ से हजार बतलाये जाते हैं जैसे कि 1313 के लिए 'सलासो अशरो सानाम माया व अलफ'¹ लिखा जायेगा।

फसली सन्

यह सन् अक्षर ने चलाया। फसली शब्द से ही विदित होता है कि इसका 'फसल' में सम्बन्ध है। 'रवी' और 'खरीफ' फसला का हासिल निर्धारित महीनों में मिल सके इनके लिये इस हिजरी सन् 971 में अक्षर ने न आरम्भ किया। हिजरी 971 वि० सं० 1620 में और ईस्वी 1563 में पडा। इस फसली सन् में वर्ष ता हिजरी के रखे गये पर वर्ष सौर (चाद्रसौर) वर्ष के बराबर कर दिया गया। महीने भी सौर (या चन्द्रसौर) में न के माने गये।

यह सन् अब तक भी कुछ न कुछ प्रचलित है, पर अलग-अलग क्षेत्र में इसका आरम्भ अलग अलग माना जाता है, मया

1. भारतीय प्राचीन ति'नमाना, पृ० 191।

पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बंगाल में इसका आरम्भ आश्विन, कृष्णा 1 (पूर्णिमान्त) से, अतः इस सन् में 592-93 जोड़ने से ईसवी सन् 649-50 जोड़ने से विक्रम सं० मिल जाता है।

दक्षिण में यह सब कुछ बाद में प्रचलित हुआ। इससे उत्तरी और दक्षिणी फसली 'सनों' में सबा दो वर्ष का अन्तर हो गया—दक्षिण के फसली सन् से विक्रम-सवत् जानने के लिये उसमें 647-48 जोड़ने होंगे और ईसवी सन् के लिये 590-91 जोड़ने होंगे

सवती का सम्बन्ध

सन्	प्रचलित	आरम्भ	माल और वर्ष सौर	विक्रम सं०	ईसवी सन्
1	2	3	4	5	6
विनायती सन्	उड़ीसा तथा बंगाल के कुछ भागों में	सौर आश्विन अर्थात् कन्या संक्राति। मासक्रम चैत्रादि		649-50	592-93
ममली सन्	उड़ीसा के व्यापारियों में एवं कच-हरियों में	जिस दिन संक्रान्ति का प्रवेश उसी दिन पहला दिन		जाड़ने से	जोड़ने से
बगाली सन् या बगालाब्द बगीन्द्र	बगाल में	भाद्रपद शुक्ला 12 से	महीने सौर (अतः पाँच, एध तिथि नहीं)	650-51	593-94
	चिटगांव में	सौर बंगाल, मेघ संक्रान्तिसे संक्रान्ति प्रवेश के दूसरे दिन से		जोड़ने से	जोड़ने से
		बगाली सन् से 45 वर्ष पीछे		695-96	638-39
				जोड़ने से	जोड़ने से
इलाही सन्	अकबर ने हिजरी सन् के स्थान पर प्रचलित किया	अकबर के राज्यारोहण की तिथि 2 रबी उस्मानी हिजरी 963 से 25 दिन पीछे ईरानी वर्ष के पहिले महीने	ईरानी महीनों के अनुसार इस सन् के महीनों के नाम 1-फरवर-दीन 2-उदिवहिशत, 3-खुर्दाय, 4-तीर,	1912	1555-56
				जोड़ने से	जोड़ने से

1 2 3 4 5 6

फरवरी के पहले दिन से, तदनुसार
 11 मार्च 1556 ई० / चैत्र कृष्ण
 समाप्त सं० 1612 से ।

5-भारदाद, 6-शहरेवर, 7-मेहर,
 8-भावा (भावा), 9-भाजर (भादर),
 10-दे, 11-बहमन, 12-अफ़्दिलारमद
 इतरी सन् के अनुसार दिनों के अंक नहीं
 होते शब्दों में उनके नाम दिये जाते हैं ।
 सख्या क्रम से नाम ये हैं 1-अहुमंड, 2-
 बहमन, 3-उदिवहस्त, 4-शहरेवर,
 5-स्यदारमद, 6-छुर्दाद, 7-मुस्ताद
 (अमस्ताद), 8-देपाहर, 9-भाजर
 (भादर), 10-भावा (भावा), 11-
 छुरादे, 12-माह (म्योर), 13-तीर,
 14-गोश, 15-देपमेहर, 16-मेहर,
 17-सरोश, 18-रशनह, 19-फरवरीन,
 20-बेहराम, 21-राम, 22-गोवाद,
 23-देपदीन, 24-दीन, 25-अदं
 (आशीश्वग): भास्ताद, 27-आस्मान, 28-
 जमिभाद, 29-मेहरेस्पद, 30-अनेरा,
 31-रोज, 32-शब । इत्से से 30 तो
 ईरानियों के दिनों (तारीखों) के ही हैं और
 अन्तिम दो नये रहे गये हैं ।¹

1	2	3	4	5	6
कसचुरी सब्द या वैरिसब्द त्रैकूटक	1 किसने चलाया घनात । 2 दक्षिण गुजरात कोवण, मध्य- प्रदेश के जिला- सेलों में ।	26 अगस्त 249 ई० तदनुसार आश्विन शुक्ल 1, स० 306 से शारम्भ		305-6 : जोड़ने से गत चैत्रादि विक्रम स०	248-49 जोड़ने से
3	चालुक्य, गुर्जर, सद्रक, कलचुरी, त्रैकूटक वग के राजाओं के हैं । ई सन् 1207 के बाद इसका प्रचलन बन्द ।				
भाटिक (भट्टीक) सब्द कोल्लम (कोलम्ब) या परशुराम सब्द	जैसलमेर । मलाबार से कन्या- पुरमारी एव पिम्पे- वैल्लि	भाटी राजाओं के पूर्वज भट्टिक द्वारा । उत्तरी मलाबार में कन्या सत्राति सौर आश्विन से प्रारम्भ । दक्षिणी मलाबार में सिंह-सत्रान्ति सौर भाद्रपद से ।		680-81 : जोड़ने से	623-24 जोड़ने से 824-25 जोड़ने से
नेवार (नेपाल) सब्द	नेपाल में प्रचलित	20 अक्टूबर 879 ई तदनुसार कार्तिक शु. 1, 936 वि. सं		गत नेपाल स मे 935-36	गत मे 878-79 जोड़ने से 2 जोड़ने से

(चैत्रादि) से

सबतो और सनों का यह विवरण संक्षेप में दिया गया है। हस्तलेखों में विविध सबतो और सनों का उपयोग मिलता है। उन सबतो के परिज्ञान से ऐतिहासिक कालक्रम में उन्हें बिठाने में सहायता मिलती है, इससे काल-निर्णय की समस्या का समाधान भी एक सीमा तक होता है। इस परिज्ञान की इतिहासकार को तो आवश्यकता है ही, पांडुलिपि-विज्ञानार्थी के लिये भी है, और कुछ उससे अधिक ही है, क्योंकि यह परिज्ञान पांडुलिपि-विज्ञानार्थी की प्रारम्भिक आवश्यकता है, जबकि इतिहासकार के लिये भी सामग्री प्रदान करने वाला यह विज्ञानार्थी ही है।

सन्-संवत् को निरपेक्ष कालक्रम (Absolute chronology) माना जाता है, फिर प्रत्येक सन् या संवत् अपने प्राय में एक अलग इकाई की तरह राज्य-काल गणना की ही तरह काल-क्रम को ठीक बिठाने में अपने प्राय में सक्षम नहीं है। अशोक के राज्यारोहण के आठवें या बारहवें वर्ष का ऐतिहासिक कालक्रम में क्या महत्व या अर्थ है। मान लीजिये अशोक कोई राजा 'क' है, जिसके सम्बन्ध में हमें यह ज्ञात ही नहीं कि वह कब गद्दी पर बैठा। इस 'क' के राज्य वर्ष का ठीक ऐतिहासिक काल-निर्धारण तभी सम्भव है जब हम किसी प्रकार की अपनी परिचित काल-क्रम की श्रृंखला, जैसे ई० सन् या वि० स० में 'क' के राज्यारोहण का वर्ष विदित हो, अतः किसी अन्य साधन से अशोक का ऐतिहासिक काल-निर्धारण करना होगा। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, अशोक ने तेरहवें शिलालेख में समसामयिक कुछ विदेशी राजाओं के नाम लिये हैं जैसे-यूनानी राजा अंतिमाकस द्वितीय का उल्लेख है और उत्तरी अफ्रीका के शासक द्वितीय टालेमी का भी है। टालेमी का शासन-काल ई० पू० 288-47 था। डॉ० वासुदेव उपाध्याय¹ ने बताया है कि 'इस तिथि 282 में से 12 वर्ष (अभिषेक के 8वें वर्ष में तेरहवाँ लेख खोदा गया तथा अशोक अपने अभिषेक से चार वर्ष पूर्व सिंहासनावृद्ध हुआ था) घटा देने में ई० पू० 270 वर्ष अशोक के शासक होने की तिथि निश्चित हो जाती है।² अतः अशोक 'क' के समकालीन 'ख', 'ग' की निर्धारित तिथि के आधार पर 'क' के राज्यारोहण की तिथि निर्धारित की जा सकती।

इसी प्रकार विविध सबतो में भी परस्पर के सम्बन्ध का सूत्र जहाँ उपलब्ध हो जायगा वहाँ एक को दूसरे में परिणत करके परिचित या ख्यात कालक्रम-श्रृंखला बँटाकर सायंक काल-निर्णय किया जा सकता है।

यथा 'लक्ष्मणसेन संवत्' के निर्धारण में ऐसे उल्लेखों से सहायता मिलती है जैसे 'स्मृति तत्त्वामृत' तथा 'नरपतिजय चर्चा टीका' नामक हस्तलिखित ग्रन्थों में मिले हैं। पहली में पुष्यिका में ल० स० 505 शके 1546' और दूसरी में 'शके 1536 स'

1. उपाध्याय, वासुदेव (डॉ०) प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, पृ० 210

2. सी एम ब्रूक ने 'द कोनोवारी डॉब इंडियन हिस्ट्री' में इस सम्बन्ध में यों लिखा है "Among his Contemporaries were Antiochos II of Syria (B. C. 260-247), Ptolemy Philadelphos (285-247), Antigonos gonatos of Makedonia (278-242), Magas of kyrene (d 258), and Alexander of eperios (between 262 and 258), who have been identified with the kings mentioned in his thirteenth edict. Sepear has come to somewhat different conclusions regarding Asoka's initial date. Taking the synchronism of the greek kings as the basis of his calculation, he fixes Asoka's accession in B. C. 273 and his coronation in 269."

स० 494 लिखा है। लक्ष्मणसेन के एक सवत् के समकालीन समकक्ष दूसरे शक-सवत् का उल्लेख है। इससे दोनों का अन्तर विदित हो जाता है और हम जान जाते हैं कि यदि लक्ष्मणसेन सवत् में 1041 जोड़ दिये जायें तो शक सवत् मिल जायेगा। शक सवत् से अन्य सवत्ओं और सन् के वर्ष ज्ञात हो सकेंगे। फलतः किसी अन्य सवत् से सम्बन्ध होता है, तो काल-चक्र में यथास्थान बिठाने में सहायता मिलती है।

कुछ ऐसे सन् या सवत् भी हैं, जिनसे किसी प्रजात सवत् का सम्बन्ध ज्ञात हो जाय तब भी काल क्रम में ठीक स्थान जानना कठिन रहता है और इसके लिये विशेष गणित का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हिजरी सन् से संवत् विदित भी हो जाय तब भी गणित की विशेष सहायता लेनी पड़ती है क्योंकि इसके महीना और वर्षों का मान बदलता रहता है क्योंकि यह शुद्ध चान्द्र-वर्ष है। पचासों में यदि इस सवत् का भी उल्लेख हो तो उसकी सहायता से भी इसको काल क्रम में ठीक स्थान या कास जाना जा सकता है।

सवत्-काल जानना

भारत में काल-संकेत विषयक कुछ बातें ऊपर बतायी जा चुकी हैं। अब तक हम देख चुके हैं कि पहले राज्यवर्ष का उल्लेख और उस वर्ष का विवरण प्रक्षरों में दिया गया, बाद में प्रक्षरों और अक्षरों दोनों में, और फिर अक्षरों में ही। बाद में ऋतुओं के भी उल्लेख हुए—ग्रीष्म, वर्षा और हेमन्त, ये तीन ऋतुएँ बतायी गईं, उनके पाख (पक्ष) और उनके दिन भी दिये गये। प्रागे महीनों का उल्लेख भी हुआ। राज्य-वर्ष से भिन्न एक सवत् का और उल्लेख किया जाने लगा। नियमित सवत् के प्रचार से राज्य-वर्ष के उल्लेख की प्रथा धीरे-धीरे उठ गई, सवत् के साथ महीने, शुक्ल या कृष्ण पक्ष, तिथि और बार या दिन को भी बताया जाने लगा।

इतने विस्तृत विवरण के साथ और भी बातें दी जाने लगी—जैसे-शशि, सक्रान्ति, नक्षत्र, योग, करण, लग्न, मुहूर्त आदि।

इस सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि भारत में दो प्रकार के वर्ष चलते हैं सौर या चान्द्र।

वर्ष का आरम्भ कार्तिकादि, चैत्रादि ही नहीं होता, भाषाढादि और भावणादि भी होता है।

सौर वर्ष राशियों के अनुसार बारह महीनों में विभाजित होता है, क्योंकि एक राशि पर सूर्य एक महीने रहता है, तब दूसरी राशि में सक्रमण करता है, इसलिये वह दिन सक्रान्ति कहलाता है, जिस राशि में प्रवेश करता है उसी की सक्रान्ति मानी जाती है, उसी दिन से सूर्य का नया महीना आरम्भ होता है।

बारह राशियाँ इस प्रकार हैं :

1. मेष, [मेष राशि से सौर वर्ष आरम्भ होता है, यह मेष राशि का महीना बंगाल में बंशाख और तमिलभाषी क्षेत्र में चैत्र (या चित्तिरह) कहलाता है]। 2. वृष, 3. मिथुन, 4. कर्क, 5. सिंह, 6. कन्या, 7. तुला, 8. वृश्चिक, 9. धनुष, 10. मकर, 11. कुम्भ तथा 12. मीन। मेष से मीन तक सूर्य की राशि यात्रा भी आरम्भ से अन्त तक एक वर्ष में होती है। पञ्जाब तथा तमिलभाषी क्षेत्रों में सौर माह का आरम्भ उसी दिन से माना जाता है जिस दिन सक्रान्ति होती है, परं बंगाल में सक्रान्ति के दूसरे दिन से महीने

का आरम्भ होता है। सौर माह राशियों के नाम से होता है। सौर माह में तिथियाँ 1 से चलकर महीने के अन्तिम दिन तक की गिनती में वरक्त की जाती हैं। सौर माह, 29, 30, 31 या 32 दिन का होता है, अतः इसकी तिथियाँ एक से चलकर 29, 30, 31, 32 तक चली जाती हैं। चान्द्र वर्ष में ऐसा नहीं होता। उसमें महीना पहले दो पाखों में बाँटा जाता है। कृष्णपक्ष और शुक्ल पक्ष वदी या सुदी ये दो पाख प्रायः 15+15 तिथियों के होते हैं। ये प्रतिपदा से अमावस होकर द्वितीया (द्विज), तृतीया (तीज), चतुर्थी (चौथ), पंचमी (पाँचै), षष्ठी (छठ), सप्तमी (सातें), अष्टमी (आठें), नवमी (नीमी), दशमी (दसमी), एकादशी (ग्यारस), द्वादशी (बारस), त्रयोदशी (तेरस) चतुर्दशी (चौदस), पूर्णिमा (15) और अमावस्या (30) तक चलती है। ये सभी तिथियाँ कहलाती हैं और 15 तक की गिनती में होती है। उत्तरी भारत में चान्द्रवर्ष का मास पूर्णिमान्त माना जाता है क्योंकि पूर्णिमा को समाप्त होता है और कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ होता है। नर्मदा के दक्षिण के क्षेत्र में चान्द्रवर्ष का महीना अमान्त होता है और शुक्ल पक्ष (सुदी) की प्रतिपदा से आरम्भ होता है।

चान्द्रवर्ष के महीने उन नक्षत्रों के नाम पर रखे गये हैं जिन पर चन्द्रमा पूर्णकलाओं से युक्त होता है, यानी पूर्णिमा के दिन से नक्षत्र और महीनों के नाम इस प्रकार हैं :

1. चित्रा-चैत्र (चैत)
2. विशाखा-वैशाख (वैसाख)
3. ज्येष्ठा-ज्येष्ठ (जेठ)
4. अषाढा-आषाढ़ (असाढ़)
5. श्रवण-श्रावण (सावन)
6. भद्रा-भाद्रपद (भादो)
7. अश्विनी-आश्विन (या आश्वयुज) = (वदार)
8. कृत्तिका-कार्तिक (कातिक)
9. मृगशिरा-मार्गशीर्ष (आप्रहायन-भगहन)

(‘अप्रहायन’ सबसे आगे का ‘अयन’—यह नाम सभ्यतः इसलिये पड़ा कि बहुत प्राचीन काल में वर्ष का आरम्भ चैत्र से न होकर ‘मार्गशीर्ष’ से होता था—अतः यह सबसे पहला या भगला महीना था)।

10. पुष्य-पौष (पुस या फूस)
11. मघा-माघ
12. फाल्गु-फाल्गुण

काल-संकेतों में कभी-कभी ‘योगों’ का उल्लेख भी मिलता है। ‘योग’ सूर्य और चन्द्रमा की गति की ज्योतिष्कीय संगति को कहा जाता है। ऐसे योग ज्योतिष के अनुसार 27 होते हैं। इन्हे भी नाम दिया गया है। अतः नाम से 27 योग ये हैं—1. विष्कम्भ, 2. प्रीति, 3. आमुष्मत, 4. सौभाग्य, 5. शोभन, 6. प्रतिगन्ध, 7. सुकर्मन, 8. घृति, 9. शूल, 10. गण्ड, 11. घृद्धि, 12. घृष, 13. व्याघान, 14. हर्षण, 15. वच्च, 16. सिद्धि या अस्त्रज, 17. ‘म्यतोपात, 18. वरीयस, 19. परिधि, 20. शिव, 21. सिद्ध, 22. साध्य, 23. शुभ, 24. शुक्ल, 25. बृहन्, 26. ऐन्द्र तथा 27. वंपति।

'योग' की भाँति ही 'करण' का भी उल्लेख होता है। वरण तिथि के अर्धयोग को बहते हैं, और इनके भी विशिष्ट नाम रखे गये हैं पहले मात वरण होते हैं जिनके नाम हैं 1. बव, 2. वासव, 3. वीरव, 4. तंतिल, 5. गद, 6. वणिज एव 7. विष्टि (भाद्र या कल्याण)। ये सात चक्र के रूप में आठ बार प्रयोग में आते हैं और इस प्रकार 56 अर्द्ध तिथियाँ का काम दत्ते हैं। ये 56 अर्द्ध तिथियाँ सुदी प्रतिपदा से लेकर बदी 14 (चौदस) तक पूरी होती हैं। अब चार अर्द्ध तिथियाँ शेष रहती हैं, यदी का चौदस से सुदी प्रतिपदा तक की—इन करणों के नाम हैं 8. शकुनि, 9. चतुष्पद, 10. किन्तुष्पद और 11. नाग। बाल सकेतो म कभी कभी वरण का नाम भी आ जाता है, जैसे 1210 विश्वमी के अजमेर के शिलालेख में।

भारतीय कालगणना के आधार सीधे और सपाट न होकर जटिल हैं। इससे काल-निर्णय में अनेक अड़चनें पड़ती हैं

पहले, तो यह जानना ही कठिन होता है कि वह सब्द कार्तिकादि, चैत्रादि, आपाढादि या श्रावणादि है,

दूसरे—आमान्त है या पूर्णिमान्त है। फिर,

तीसरे—ये वर्ष कभी वृत्तमान (या प्रवर्तमान) रूप में कभी गत विगत या अतीत रूप में लिखे जाते हैं। इनकी और पक्षे 'वीरसलदेव रासो' के काल-निर्णय के सम्बन्ध में डॉ० माताप्रसाद गुप्त का उद्धरण देकर ध्यान आकर्षित कर दिया जा चुका है।

इन सबसे बड़ कर बठिनाई होती है इस तथ्य से कि तिथि लिखते समय लेखक से गणना में भी भूल हो जाती है।

यह त्रुटि उस गणक या ज्योतिषी के द्वारा की जा सकती है जो लेख लिखने वाले को बताता है। उसका गणिक का ज्ञान या ज्योतिष का ज्ञान सदोप हो सकता है। पत्रों या पत्रागो में भी दोष पाये जाते हैं। आज भी कभी-कभी वाराणसी और उज्जैन पत्रागो में तिथि के आरम्भ में ही अन्तर मिलता है, जिससे विवाद खड़े हो जाते हैं और यह विवाद पत्रों (पत्रागो) में भी प्रकट हो उठता है। जब आज भी यह मौलिक त्रुटि हो सकती है, तब पूर्व-काल में तो और भी अधिक सम्भव थी। गावों, नगरों की बात छोड़िये कभी-कभी तो राजदरबारों में भी अयोग्य ज्योतिषियों के होन का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। कलचुरि 'रत्नदेव द्वितीय' के सन् 1128 ई० के सर्वो लेख से यह सूचना मिलती है कि दरबार में ज्योतिषियों से ठीक गणित ही नहीं होती थी और वे 'ग्रहण' का समय ठीक निर्धारित नहीं कर पाते थे। तब पद्मनाभ नाम के ज्योतिषी ने 'बीज-संस्कार क्रिया' जिससे तिथियों का ठीक निर्धारण हो सके। राजा ने पद्मनाभ को पुरस्कृत किया, अतः ज्योतिषियों से भी भूल हो सकती है। ऐसी दशा में काल सकेत सदोप हो जायेंगे।

इससे किसी लेख या अभिलेख का काल-निर्धारण कठिन हो जाता है और यह आवश्यक हो जाता है कि दिये हुए काल सकेत को परीक्षा के उपरान्त ही सही माना जाय। जैसा ऊपर बताया जा चुका है विविध ज्योतिष केन्द्रों के बने पत्रागो और पत्रों में अलग अलग प्रकार से गणना होन के कारण तिथियों का मान अलग-अलग हो जाता है। इससे दो दुई तिथि की परीक्षा से भी सन्ताप नहीं हो पाता, वह तिथि एक पत्राग से ठीक और दूसरे से, गलत सिद्ध होती है। इससे परीक्षक को विविध पत्रागो की भिन्नता में

सगत तिथि के अनुसन्धान के आधार का निर्णय करने या कराने की योग्यता भी होनी चाहिये। वैसे आधुनिक ज्योतिषी एल० डी० स्वामीकन्नुपिल्ले की 'इण्डियन ऐफिमैरीज' से भी सहायता ली जा सकती है।

शब्द मे काल-सख्या

यह भी हम पहले देख चुके हैं कि भारत में शब्दों में अक्षरों को लिखने की प्रणाली रही है। इस प्रणाली से भी काल निर्णय में कठिनाईयें पडी हो जाती है। यह कठिनाई तब पैदा होती है जब जो शब्द अक्षरों के लिए दिया गया है, उससे दो दो सख्याएँ प्राप्त होती हैं जैसा सागर या समुद्र से दो सख्याएँ मिलती हैं 4 भी और 7 भी। एक तो कठिनाई यही है कि सागर शब्द से 4 का अक्षर लिया जाय या 7 का। पर कभी कवि दोनों को ग्रहण करता है, जैसे—

'अष्ट-सागर-पयोनिधि-चन्द्र' यह जगदुर्लभ की कृति उद्धव चमत्कार का रचना-काल है। इसमें सागर भी है और इसी का पर्याय पयोनिधि है। क्या दोनों स्थानों के अक्षर 4-4 समझे जायें, या 7-7 मानें जायें या किसी एक का 4 और दूसरे का 7, इस प्रकार हलने सवत् बन सकते हैं :

1448

1778

1748

1478

'नेत्र सम युग चन्द्र' से होगा $1+2=$ युग, $=3$, पुन 3 (नेत्र)। इसमें युग को '4' भी माना जा सकता है और नेत्र को '2' भी।

वस्तुतः ऐसे दा या तीन अक्षर बतलाने वाले शब्दों में व्यक्त सवत् को ठीक-ठीक निकालने में अलक्ष्य कठिनाई भी हो सकती है। तभी उक्त सदर्भ से डी० सी० सरकार¹ ने यह टिप्पणी की है -

"Indeed it would have been difficult to determine the date of the composition of the work, inspite of the years in both the eras being quoted"

उक्त पुस्तक में ये सवत् अक्षरों में भी साथ-साथ दिये गये हैं, अतः कठिनाई हल हो जाती है। किन्तु यदि अक्षरों में सवत् न होता तो उसे तिथि और दिन और पक्ष (शुक्ल या कृष्ण) तथा महीने के साथ पचासों में या 'इण्डियन ऐफिमैरीज' से निकाला जा सकता था।

अक्षरों में शब्दों में दिये जाते हैं, या अन्यथा भी, भारतीय सेखन में, 'अक्षराना वामतो गति' की प्रणाली अपनायी जाती रही है अर्थात् अक्षर उलटे लिखे जाते हैं, मानो लिखना है '1233' तो '3 3 2 1' लिखा जायगा और शब्दों में 'नेत्र राम पक्ष चन्द्र'—(नेत्र) 3, (राम) 3, (पक्ष) 2, (चन्द्र) 1, जैसे रूप में लिखा जायगा किन्तु यह दत्ता गया है कि इस पद्धति का अनुकरण भी बहुत ही नहीं किया गया है। फिनिशियों की पुष्पिफोनियों (Calophones)

मे सन् सवत् सीधी गति से ही दे दिया गया है । इससे भी कठिनाई उपस्थित हो जाती है ।

यथा सवत् 13 सीतालीसै समै माहा तीज सुद ताम ॥
सखहीयो पोहता सरग हाथापूरै हाम ॥¹

या

सतरै सै पचानवै कोतुक उत्तम वास ।
बद पप आठमवार रवि कीनी ग्रन्थ प्रगास ॥²

या

सवत् सत्रह सै वरप ता ऊपरि चौबीस ॥
मुकल पुप्य कातिक विपै दसमी सुन रजनीस ॥³

या

सवत सत्रहसै मये वर्षे दशोत्तर श्रीर ।
भादब सुदि एवादशी गुरुवार सिर भीर ॥⁴

या

सवत् सोलह सोसोतरै प्रापतीज दीवस मनपरं ॥
जोडी जंसलमेर मभार बाँव्या सूख पाभे ससार ॥⁵

या

अष्टादस बत्तीस मे । बदि दसमी मधुमास ।
करी दीन बिरदावली । या अनुरागी दास ॥⁶

या

समत पनरे सै पोचीतरै पुनम फागुण मास ॥
पच सहेली वरणवी कवि छीहल परगास ॥⁷

या

बदि चैतह साठे बरस तिथि चौदिसिगुरुवार ।
बघे कवित्त सुवित्त परि कु भल मेर मभारि ॥⁸

या

समत जगणी श्रीर बतीसा ॥
चौदह भाद्रु दीत को वासा ॥

1. मेनारिया, मोतीलाल—राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज (प्रथम भाग) पृ० 2 ।
2. वही, पृ० 10 ।
3. वही, पृ० 22 ।
4. वही, पृ० 36 ।
5. वही, पृ० 37 ।
6. वही, पृ० 45 ।
7. वही, पृ० 50 ।
8. वही, पृ० 53 ।

उत्तम पुला रो पक्ष बुद होई ।
लिख्यो प्रतीति कर आनो सोई ।¹

अथवा

माघ सुदी तिथि पूरना पग पुष्प अरु गुरुवार
गिनि अठारह सै बरस पुनि²तीस सबत सार ॥²

अब हम यहाँ डी० सी० सरकार की 'इण्डियन ऐपीग्राफी' से एक राजवंश के लेखों में दिये गये उनके राज्यारोहण (Regnal) सवत् का ऐतिहासिक कालक्रम में सगत स्थान निर्धारण करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए पूरी गवेषणा को संक्षेप में दे रहे हैं, साथ ही प्रक्रिया को समझाने के लिए टिप्पणियाँ भी दी जा रही हैं। यह हम इसलिए कर रहे हैं कि इस एक उदाहरण से सीधी और जटिल तथा परिस्थितिपरक साक्षियों का एक-साथ ज्ञान हो सकेगा।

प्रश्न 'भौमकार-सवत्' से सम्बन्धित है। भौमकार वंश ने 200 वर्षों के लगभग उड़ीसा में राज्य किया। इनके लेखों तथा इनके अधीनस्थ राज्यों के लेखों में इस सवत् का उल्लेख मिलता है।

डी.सी. सरकार का विवरण

टिप्पणियाँ

1. भौमकार राजाओं का सवत् इस वंश के प्रथम राजा के राज्यारोहण काल से ही आरम्भ हुआ होगा। इस वंश के अठारह राजाओं ने लगभग दो शताब्दी उड़ीसा पर राज्य किया। धर्म महादेवी सम्भवतः इस वंश को अन्तिम शासिका थी जिसका राज्य भौमकार सवत् के 200वें वर्ष के लगभग समाप्त हो गया।
2. एकमात्र अभिलेख-विज्ञान (पैलियो-ग्राफी) ही की सहायता से काल-निर्णय किया जा सकता था सो कीलहार्न ने दण्डी महादेवी की गजम प्लेटों का काल अभिलेख लिपि-विज्ञान के आधार पर तेरहवीं शताब्दी ई० के लगभग माना है। इन प्लेटों में एक में भौमकार सवत् 180 वर्ष पड़ा है।

- 1 यह पहली स्थापनाएँ हैं जो इस वंश के शिलालेखों एवं अन्य लेखों से मिले सवतों के आधार पर विद्वान इतिहासकार ने की हैं।

इसी राजवंश के मिले सवतों के सारतम्य को मिलाकर इतनी स्थापना तो की ही जा सकती थी। प्रश्न अब यह है कि दो-सौ वर्ष यह सवत् चला। ये 200 वर्ष हमारे आधुनिक ऐतिहासिक कालक्रम के मानक में ई० सन् में कहाँ रखे जा सकते हैं ?

- 2 कीलहार्न का अनुमान लिपि की विशेषता के आधार पर था, पर सरकार ने ऐतिहासिक घटनाक्रम देकर उसे असम्भव सिद्ध कर दिया है—फलतः ऐतिहासिक घटनाक्रम यदि निश्चित है तो उसके विरुद्ध कोई अनुमान नहीं माना जा सकता।

4. शही, पृ० 79।
5. शही, पृ० 108।

डी सी. सरकार का विवरण

टिप्पणियाँ

सरकार कीलहार्न के इस अनुमान को काट करते हैं—इसके लिए वे गगवश के अनन्तवर्मन कोडगवा की पुरी-कटक क्षेत्र की विजय का उल्लेख करते हैं। इस गग राजा का समय 1078-1147 (47) ई० निश्चित है, अतः उड़ीसा के पुरी कटक क्षेत्र पर गगवश का अधिकार 12 वीं शती के प्रथम चरण में हो गया था। तब भीमकार इस क्षेत्र में 13वीं शती तक कैसे विद्यमान रह सकते हैं? दूसरे, उक्त गगराजा ने पुरी कटक को सोमवशियो से छीना था या जीता था। अतः भीमकारों का शासन इस क्षेत्र पर उन सोमवशियो से भी पूर्व रहा होगा, जो गगवश से पूर्व पुरी-कटक क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। अतः कीलहार्न का अनुमान इन ऐतिहासिक घटनाओं से कट जाता है। फलतः भीमकारों का समय 1100 ई० से पूर्व होगा।

2 बी—इसी प्रसंग में सरकार यह भी कहते हैं कि भीमकारों ने अपने लेखों में सदा अक्षर प्रतीकों (numeral symbols) का उपयोग किया है, सख्या (Figure) का नहीं। इस तथ्य से यही सिद्ध होता है कि उनका 1000 ई० के बाद राज्य नहीं चला।

सरकार ने इन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया है —

1. गग राजा की विजय 1078
 - 2 इस राजा ने सोमवशियो 1147 से जीता ई के बीच
- इससे यह निष्कर्ष भी निकाला कि गगवश की विजय से पूर्व तो भीमकार वश का राज्य होगा ही, वरन् वह सोमवश के शासन से भी पूर्व होगा।

कीलहार्न के अनुमान के आधार को सरकार ने अभिलेख-लिपि विज्ञान से भी काटा है—अक्षर प्रतीकों का प्रयोग 1000 ई० तक रहा। बाद में सख्या का प्रयोग होने लगा। अतः सिद्ध है कि लेखों में 'सख्या' का प्रयोग प्रचलित होने से पूर्व, यानी 1000 ई० से पूर्व के भीमकारों के लेख हैं, क्योंकि उनमें अक्षर-प्रतीक हैं। अतः भीमकार भी 1000 ई० से पूर्व हुए।

इस प्रकार सरकार ने भीमकारों के काल की निचली सीमा भी निर्धारित कर दी।

अभिलेख-लिपि-विज्ञान प्रक्षरों के

डी सी सरकार का विवरण

टिप्पणियाँ

3 फिर सरकार ने सिल्वियन लेवी का सुझाव दिया है कि चीनी स्रोतों में जिस महायानी बौद्ध राजा का नाम मिलता है जो बु-वम (धोड-उडोसा) का राजा था और जिसने स्वहस्ताक्षरयुक्त एक पांडुलिपि चीनी सम्राट को 795 ई० में भिजवाई थी वह भौमकार वश का राजा शुभाकर प्रथम था। चीनी में इस राजा के नाम का अनुवाद यों दिया है भाग्यशाली सम्राट जो वही करता है जो मुकृत्य है सिंह इस चीनी विवरण के आधार पर लेवी ने शुभाकर प्रथम को वह राजा माना है और इसका मूल नाम शुमकरसिंह (या केसरिन) होगा यह कल्पना की है।

आर० सी० मजूमदार ने चीनी विवरण के आधार पर उक्त शुभाकर प्रथम के पिता को वह राजा माना है जिसने 795 ई० में पुस्तक भेजी थी—इसका नाम था शिवकर प्रथम उमत्त सिंह ।

इन आधारों पर भौमकार वश के राज्य की दो शताब्दियों 750-950 ई० या 775-975 ई० के बीच स्थिर होती हैं।—

4 भांडारकर ने भी इनका काल निर्णय किया इस आधार पर कि भौमकार-सवत् और 606 ई० वाल 'हय सवत्' को एक माना जाय। इस गणना से भौमकार 606-806 ई० में हुए। सरकार की आलोचना है कि अभिलेख

रूपों तथा लेखन वैशिष्ट्यों के आधार पर काल-निर्धारण में सहायक होता है—जब कोई अन्य साधन न हो तो इसे आधार माना जा सकता है।

3 उसमें सरकार ने उन साक्षियों का उल्लेख किया है जो विदेश से मिली हैं और समसामयिक हैं।

चीनी में भारतीय भौमकारों के किसी राजा के नाम का जो अर्थ दिया है उससे एक विद्वान् ने एक राजा के, दूसरे ने दूसरे के नाम को तद्वत् स्वीकार किया है।

चीनी में इस घटना का सन् दिया हुआ है जिससे ई० सन् हमें विदित हो जाता है और उक्त रूप में काल-निर्णय सम्भव हो जाता है।

4 सरकार ने भांडारकर की लिपि-पठन की भूल बताकर लिपि-विज्ञान के उस महत्त्व को और सिद्ध किया है, जिससे वह काल निर्णय में सहायक होता है।

लिपि-विज्ञान से भीमकारो का समय वाद का वैठता है। सरकार ने यह भी दिवाया है कि भाडारकर ने 100 और 200 के जा प्रतीक इन लेखो मे आये हैं उन्हे पढने म भूल कर दी है— लु-100 और लू-200। ये 'लु' को 'लू' पढ गये हैं।

- 5 अब सरकार महोदय एक ग्रन्थ ज्ञात काल से इस अज्ञात की गुत्थी सुलझाना चाहते हैं।

इसके लिए इन्होंने घृति-पुर और वजुलवक के भज राजाओ का आघार लिया है, उनमे से रणभज को सोमवशी सम्राट् महाशिव गुप्त ययाति प्रथम (970-1000 ई०) का समकालीन सिद्ध किया है और उधर पृथ्वी महादेवी उपनाम त्रिभुवन महादेवी द्वितीय को उक्त सोमवशी सम्राट् की पुत्री बताया है। इस भीमकर शती के लेखो का एक सवत् 158 है। यह भीमकर सवत् है।

पृथ्वी महादेवी के बौड (Baud) प्लेट का सवत् 158 और उसके पिता सोमवशी महाशिवगुप्त ययाति प्रथम का अपने राज्य के नवम् वर्ष का दान—लेख सरकार ने प्राय एक ही समय के माने हैं। यह नवम् राज्य वर्ष सन् 978 ई० मे पडता है। अत भीमकार सवत् का धारम्भ इसमे से 158 पृथ्वी महादेवी के लेख का वर्ष घटा देने से 820 ई० आता है। यही सन् अनुमानत. भीमवार संवत् के धारम्भ का सन् हो सकता है, इसके बाद नहीं।

- 6 अन्त में, सरकार ने शत्रु भज के लेख में आये विस्तृत तिथि-विवरण को

ये समस्त तर्क और युक्तियाँ ज्ञात सन् सवतो के समसामयिक सवतो की स्थापना कर उनसे भीमकारो के सवत् का सम्बन्ध बिठाकर इस अज्ञात सवत् के धारम्भ को ज्ञात करने के लिए दिये गये हैं।

इसमे कोई सन्देह नहीं कि कई ज्ञात सम्बन्धो की सन्धि बिठाकर अज्ञात की समस्या हल करने की पद्धति महत्त्वपूर्ण है।

- 6 उक्त ऐतिहासिक घटना 'भीरं' राज्य-कालों के साम्यो से जो वर्ष मिलता है

डॉ. सी. सरकार का विवरण	टिप्पणियाँ
<p>लिया है। इसमें भौमकार वश सवत् 198 के साथ यह विवरण भी दिया है : विपुव-सक्रान्ति, रविवार, पचमी, मृगशिरा नक्षत्र। अब इस सवकी पचास में खोज करने पर उस काल में 23 मार्च, 1029 ई० को ही उक्त तिथि बैठनी है। इस गणना से भौमकर-सवत् 831 ई० से आरम्भ हुआ।</p>	<p>उसमें और इसमें 11 वर्ष का अन्तर है। यह अन्तिम ज्योतिषीय प्रमाण अधिक अकाट्य लगता है, क्योंकि जो विवरण तिथि का लेख में है उस विवरण की तिथि एक-एक शताब्दी में दो-चार ही हो सकती हैं, अतः यह निष्कर्ष प्रामाणिक माना जा सकता है।</p>

इस एक उदाहरण में विस्तारपूर्वक हमने उस पद्धति का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया है, जिससे अज्ञात तथ्य पहुँचने के प्रयत्न किये जाते हैं। ये समस्त प्रयत्न अन्तिम को छोड़ कर बाह्य साक्ष्यों और प्रमाणों पर ही निर्भर करते हैं।

अब हमें यह देखना है कि जहाँ किसी भी प्रकार के सन्-सवत् का उल्लेख न हो वहाँ काल-निर्णय या निर्धारण की पद्धति क्या अपनायी जाती है।

साक्ष्य : बाह्य अन्तरंग

ऐसे लेखपत्र या ग्रन्थ का काल-निर्णय करने में जिन बातों का आश्रय लेना पड़ता है उनमें से कुछ ये हैं :

1. बाह्य साक्ष्य :

- क-बाह्य उल्लेख—ग्रन्थ कवियों द्वारा उल्लेख
- ख-अनुश्रुतियों—कवि-विषयक लोक-प्रचलित अनुश्रुतियाँ
- ग-ऐतिहासिक घटनाएँ
- घ-सामाजिक परिस्थितियाँ
- ङ-सांस्कृतिक-उपादान

2. अन्तरंग साक्ष्य :

क-अन्तरंग साक्ष्य का स्थूल पक्ष

1. तिथि
2. कागज-लिप्यासन
3. स्थाही
4. लेखन-पद्धति
5. अक्षरकरण
6. ग्रन्थ

ख-अन्तरंग साक्ष्य : सूक्ष्म पक्ष

1. विषयवस्तु से
2. ग्रन्थ में आये उल्लेखों से

- (क) ऐतिहासिक उल्लेख
 (ख) कवियों-ग्रन्थकारों के उल्लेख
 (ग) समय-वर्णन
 (घ) सांस्कृतिक बातें
 (ङ) सामाजिक परिवेश

3 भाषा वैशिष्ट्य से

- (क) व्याकरणगत
 (ख) शब्दगत
 (ग) मुहावरागत

3 वैज्ञानिक

क-प्राप्ति-स्थान की भूमि का परीक्षण

ख-वृक्ष परीक्षण

ग-कोयले से

भादि

बाह्य साक्ष्य

जब किसी ग्रन्थ में रचना-काल न दिया गया हो तो इसके निर्णय के लिए बाह्य साक्ष्य महत्त्वपूर्ण रहता है :

इसका एक रूप तो यह होता है कि सन्दर्भ ग्रन्थ में देखा जाय । ऐसी पुस्तकों और सन्दर्भ ग्रन्थ मिलते हैं जिनमें कवि और इनके ग्रन्थों का विवरण दिया होता है, उदाहरणार्थ, 'भक्तमाल और उसकी टीकाओं' में कितने ही भक्त कवियों के उल्लेख हैं । उनकी सामग्री में आये सकेतो से कवि या उसकी कृति के काल-निर्धारण में सहायता मिल सकती है । अन्य साक्षियों और प्रमाणों के अभाव में कम से कम 'भक्तमाल' में आये उल्लेख से काल-निर्धारण की दृष्टि से निचली सीमा तो मिल ही जाती है, क्योंकि जिन कवियों का उल्लेख उसमें हुआ है, वे सभी 'भक्तमाल' के रचना-काल से पूर्व ही हो चुके होंगे । दूसरे शब्दों में उनका समय 'भक्तमाल' के रचना काल के बाद नहीं जा सकता ।

किन्तु इस सम्बन्ध में भी एक बात ध्यान में रखनी होगी कि 'भक्तमाल' जैसी कृतियों में, जैसे सभी कृतियों में सम्भव है प्रक्षिप्ताश या क्षेपक हो, ऐसे अश जो बाद में जोड़े गये हो । प्रक्षेपों की विशेष चर्चा पाठानुचन वाले अध्याय में की गयी है, अतः ऐसे सन्दर्भ ग्रन्थ के उसी अश के ऊपर निर्भर किया जा सकता है जो मूल है, 'क्षेपक नहीं । इन सन्दर्भ ग्रन्थों में ऐसे ग्रन्थ भी हो सकते हैं जो पूरी तरह किसी कवि पर ही लिखे गये हो—जैसे 'तुलसी-चरित' और 'गोसाई-चरित' ।

तुलसी चरित महात्मा रघुवरदास रचित है । ये तुलसी के शिष्य थे । यह ग्रन्थ आकार में महाभारत के समान बड़ा गया है और 'गोसाई चरित' के लेखक बेनी माधव-दान हैं । यह बृहद् ग्रन्थ था जो आज उपलब्ध नहीं । बेनीमाधवदास ने इस 'गोसाई चरित' को दैनिक पाठ के लिए एक छोटा संस्करण तैयार किया—यह 'मूल गोसाई चरित' कहलाया, यह उपलब्ध है । बेनीमाधवदास गोस्वामी तुलसीदास के अन्तेवासी थे । इसमें इन्होंने

तुलसीदास की क्रमबद्ध विस्तृत जीवन-कथा दी है और जहाँ-तहाँ सबकु भी यानी काल-संकेत भी दिये हैं। अतः तुलसी की जीवन घटनाओं और उनकी विविध कृतियों की तिथियाँ हमें इस ग्रन्थ से प्राप्त हो जाती हैं—इससे बड़ी भारी काल-निर्णय सम्बन्धी समस्या हल होती प्रतीत होती है।

इसमें तुलसी विषयक सबकु निम्न रूप में दिये गये हैं :

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 1. | जन्म—स० 1554 (रजिया राजापुर) | |
| 2. | माता की मृत्यु तुलसी जन्म से चौथे दिन । | |
| 3. | विवाह—स० 1583 में । | |
| 4. | पत्नी का शरीर त्याग एवं तुलसी को विरक्ति | स० 1589 में |
| 5. | सूरदास तुलसी से मिले और अपना 'सागर' दिखाया | ,, 1616 में |
| 6. | रामगीतावली कृष्णगीतावली का सग्रह | ,, 1628 में |
| 7. | रामचरितमानस का आरम्भ | ,, 1631 में |
| 8. | दोहावली सग्रह | ,, 1640 में |
| 9. | बाल्मीकि रामायण की प्रतिलिपि | ,, 1641 में |
| 10. | सतसई रची | ,, 1642 में |
| 11. | मित्र टोडर की मृत्यु | ,, 1669 में |
| 12. | जहागोर मिलने आया | ,, 1670 में |
| 13. | मृत्यु | ,, 1680 में |
- श्रावण श्यामा
तीज

किन्तु स्वयं ऐसे सभी बहिःसाध्यों की प्रामाणिकता भी सबसे पहले परीक्षणीय होती है। 'मूल गोसाईं चरित' की प्रामाणिकता की जब ऐसी ही परीक्षा की गई तो विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह 'मूल गोसाईं चरित' अप्रामाणिक है। यह कथो अप्रामाणिक है, इसके लिए डॉ० उदयमानुसिंह¹ ने 14 कारण और तर्क साकलित किये हैं जो इस प्रकार हैं :

'मूल गोसाईं चरित' स० 1687 की कार्तिक शुक्ला नवमी को रचा गया।

'मूल गोसाईं चरित' अविश्वसनीय पुस्तक है। इसकी अविश्वसनीयता के मुख्य कारण हैं :

1. यह पुस्तक ऐसे धलौकिक चमत्कारों से भरी पड़ी है जिन पर विश्वास करना किसी विवेकशील के लिए असम्भव है।

2. इसमें कहा गया है कि तुलसी के बाल्यकाल में उनके भरणपोषण की चिन्ता चुनिया, पावंती, शिव और नरहर्षानिन्द ने की। स्पष्ट है कि तुलसी जीविका के विषय में निश्चित रहे। इसके विपरीत, कवि के स्वर में स्वर मिलाकर यह भी कह दिया गया है कि उस बालक का डार-डार डोलना हृदय-विशारक था। ये परस्पर विरोधिनी उक्तियाँ असाध्य हैं।

3. इसके अनुसार एक प्रेत ने तुलसी को हनुमान का दर्शन करा कर राम दर्शन

का मार्ग प्रशस्त किया। किन्तु अन्तस्ताप्य से सिद्ध है कि तुलसी भूतप्रेत पूजा के विरोधी हैं।²

4 इसमें 'विनय पत्रिका' को 'रामविनयावली' नाम दिया गया है। कोई ऐसी प्रति नहीं मिलती जिसमें यह नाम उपलब्ध हो। हाँ, रामगीतावली नाम प्रवेश पाया जाता है।

5 इसके अनुसार 'गीतावली' (सं० 1616-18) कवि की सर्वप्रथम कृति है। 'कृष्णगीतावली' (सं० 1628), 'कवितावली' (सं० 1628-42), 'रामचरित मानस' (1631-33), 'विनय पत्रिका' (1639), 'रामललानहछू' (1639), 'जानकी मंगल' (1639), 'पार्वती मंगल' (1639) और दोहावली (1640) बारह वर्षों के भ्राम्यम में लिखी गयी। स० 1670 में चार पुस्तकों की रचना हुई। 'बरवै रामायण', 'हनुमान बाहुक', 'वैराग्य सदीपनी' तथा 'रामाज्ञा प्रश्न'। इसमें अनेक असंगतियाँ अव्यवस्थायी हैं। 'गीतावली'-जैसी प्रौढ कृति प्रारम्भिक बतलायी गयी है और 'वैराग्य सदीपनी' एवं 'रामाज्ञा-प्रश्न' के सहस्र अप्रौढ कृतियाँ अन्तिम। तीस वर्षों (1640-70) तक कवि ने कोई रचना नहीं की। क्या उसकी प्रतिभा मूर्च्छित हो गई थी ?

6. इनमें 'रजियापुर' (राजापुर) को तुलसी का जन्म स्थान कहा गया है। लेकिन ऐतिहासिक स्रोतों से सिद्ध है कि स० 1813 तक उस स्थान का नाम 'विश्रमपुर' रहा है।

7. इसके अनुसार स० 1616 में सूरदास ने चित्रकूट पहुँचकर तुलसी को 'सागर' दिखाया और प्राणायाम माँगा। स० 1616 तक तो तुलसी ने एक भी रचना नहीं की थी। और उनकी कीर्ति 'रामचरित मानस' की रचना (स० 1631) के बाद फैली। उन्हें 'सागर' दिखाने की क्या तुक थी ? यह भी हास्यास्पद लगता है कि बयोवृद्ध, प्रतिष्ठित और ग्रंथ सूरदास ने चित्रकूट जाकर उन्हें 'सागर' दिखाया।

8. इसमें बर्णित है कि स० 1616 में मीराबाई ने तुलसी को पत्र लिखा था। मीरा सं० 1603 तक दिवंगत हो चुकी थी, 1616 में उन्होंने पत्र कैसे लिखा ?

9. यद्यपि लेखक ने केशवदास-सम्बन्धी घटनाओं के निश्चित समय का स्पष्ट निर्देश नहीं किया है तथापि सन्दर्भ से प्रवर्गत है कि वे 1643 के लगभग तुलसी से मिले और स० 1650 के लगभग केशव के प्रेत ने तुलसी को घेरा। स्वयं केशवदास के अनुसार 'रामचन्द्रिका' का रचना काल स० 1658 है,² न कि स० 1643। और, यह गण्य की हृद है कि केशव ने रात भर में 'रामचन्द्रिका' का निर्माण कर डाला-अपने को अप्राकृत कवि सिद्ध करने के लिए। इसके अतिरिक्त स० 1651 के लगभग केशव का प्रेत तुलसी से कैसे मिला ? यह तथ्य निर्विवाद है कि उनका देहान्त सं० 1670 के बाद हुआ। उन्होंने अपनी 'जहाँगीर-जस-चन्द्रिका' का रचना काल सं० 1669 बतलाया है।³

1. दोहावली, 65 ; रामचरितमानस, 2/167।

2. सोरू से अट्टावना बावक मुदि बुधवार।

रामचन्द्र की चन्द्रिका एवं लानो अवतार। रामचन्द्रिका, 1/6

3. सोरू से उनहतरा माघ मास बिचार। जहाँगीर सक साहि की करी चन्द्रिका बार॥
जहाँगीर जस चन्द्रिका, 2.

10 दिल्लीपति (मकबर) और जहांगीर वाली महत्त्वपूर्ण घटनाओं का इतिहास में कोई सकेत नहीं मिलता ; अतः वे तथ्य-विह्वल हैं ।

11 'चरित' के अनुसार टोडर की सम्पत्ति का बँटवारा उनके उत्तराधिकारी पुत्रों के बीच किया गया । परन्तु बँटवारे का पचायतनामा उपलब्ध है । इस 'पचायतनामे' से प्रमाणित है कि यह बँटवारा उनके पुत्र और पोत्रों के बीच हुआ था ।¹

12 इसमें कहा गया है कि तुलसी के शाप के फलस्वरूप हाथी ने गग को कुचल डाला । ऐतिहासिक तथ्य यह है कि जिस गग को हाथी से कुचलवाया गया था वह औरंगजेब का समकालीन था । औरंगजेब स० 1715 में बादशाह हुआ था । इसलिये स० 1639 में गग की कथित दुर्घटना सम्भव नहीं हो सकती ।

13. इसके अनुसार नाभादास 'विप्रसत' थे । इस विषय में कोई साक्ष्य नहीं है । परम्परा में उनको 'हनुमानवशी' अथवा डोम माना गया है ।

14 'चरित' में उल्लिखित तिथियों में से तुलसी के जन्म (स० 1554, श्रावण शुक्ला 7, कर्क के वृद्धस्पति-चन्द्रमा, वृश्चिक के शनि), यज्ञोपवीत (स० 1651,² भाद्र-शुक्ला 5, शुक्रवार), विवाह (स० 1583, ज्येष्ठ शुक्ला 13, गुरुवार), पत्नी निघन (स० 1589, आषाढ कृष्णा 10, बुधवार), मानस-समाप्ति (स० 1633, मार्गशीर्ष शुक्ला 5, मंगलवार) और स्वर्गवास (स० 1680, श्रावण कृष्ण 3, शनिवार), की तिथियाँ गणना योग्य हैं । पुरातत्त्व विभाग से जाँच करवा कर डॉ० रामदत्त भारद्वाज ने बतलाया है³ कि इनमें से केवल यज्ञोपवीत और विवाह की तिथियाँ ही सत्यापित हैं । डॉ० माता-प्रसाद गुप्त ने पत्नी-देहान्त की तिथि को भी शुद्ध माना है । शेष चार तिथियाँ किसी भी गणना-प्रणाली से शुद्ध नहीं उतरती ।⁴ तुलसी के अतेवासी की यह अनभिज्ञता 'चरित' की प्रामाणिकता को खंडित करती है ।'

सह्या 5 में डॉ० सिंह ने तुलसी की विविध कृतियों के काल को अप्रामाणिक बनाने के लिये उनकी प्रौढता को आधार बनाया है । यह साहित्यिक तर्क महत्त्वपूर्ण है । 'गीतावली' कवि की प्रारम्भिक कृति नहीं हो सकती, वह प्रौढ कृति है । डॉ० माता प्रसाद गुप्त ने अपने शोध प्रबंध 'तुलसीदास' में इन ग्रन्थों के रचनाकाल का निर्धारण वैज्ञानिक विधि से किया है । यह दृष्टव्य है ।

सह्या 7 में दिया सबत् इसलिये अमान्य बताया गया है कि वह असंगत है : सूर तो 'सागर' पूरा कर चुके थे, और तुलसी 1616 तक एक भी रचना नहीं कर पाये थे—तब सूर जैसे अघे और वृद्ध व्यक्ति का 1616 में तुलसी जैसे अविख्यात व्यक्ति से आशीष लेने जाने में संगति नहीं बैठती ।

सह्या 8 में घटना को असम्भवता के आधार पर अप्रामाणिक बताया गया है । मोरा की मृत्यु 1603 तक हो चुकी थी, 1616 में पत्र लिखना असम्भव बात है ।

सह्या 9 में अप्रामाणिकता का आधार 'तथ्य-विरोध' है । तथ्य यह है केशव ने

1 पचायतनामे के शब्द हैं—अनंदराम बिन टोडर बिन देवराय व कंधई बिन रामपद बिन टोडर वदकूद ।

2 यह वर्ष 1561 होना चाहिए ।

3 गोस्वामी तुलसीदास, पृ० 48 ।

4 तुलसीदास, पृ० 47 ।

रामचन्द्रिका 1658 में रची। मूल गुमाई चरित में 1643 ब्यजित होती है। फिर, तथ्य है कि केशव की मृत्यु 1670 के बाद हुई, तब 1651 में केशवका प्रेत तुलसी से कैम मिले, यह तथ्य-विरोधी बात है—अतः अमान्य है।

सख्या 14 में जो सवत् दिये गये हैं उनमें तिथियाँ तथा अन्य विस्तार भी हैं जिनसे उनकी परीक्षा 'गणना' द्वारा की जा सकती है। 'पुरातत्त्व विभाग' की गणना से तथा डॉ० माताप्रसाद गुप्त की गणना से कई तिथियाँ अमान्य हैं, क्योंकि वे सत्यापित नहीं होती। 'गणना' का आधार सबसे अधिक वैज्ञानिक और प्रामाणिक होता है।

इस प्रकार हमने इस एक उदाहरण से देखा है कि 'प्रौढता-बोतक' नाम की अव-हेलना, असंगति, असम्भावना, तथ्य विरोध एवं 'गणना' से अमिद्ध होना कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे प्रामाणिकता अमान्य हो जाती है।

ऐसा 'वहि साध्य' यदि प्रामाणिक हो तो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि वहि साध्य को महत्त्व देते समय उसकी प्रामाणिकता की परीक्षा हो जानी चाहिये। जो प्रामाणिक है, वहीं महत्त्व का हो सकता है। कितना ही ऐसा कवि या व्यक्त हो सकते हैं जिनका पता ही वहि साध्य से लगता है। जैसे—उपर्युक्त 'तुलसी चरित' और उसके लेखक का पहला उल्लेख 'शिर्वांसिंह सेंगर' के 'शिर्वांसिंह सरोज' में मिलता है। पर वह अन्य उपग्रन्थ नहीं हुआ। जो उपलब्ध हुआ वह अनावटी ग्रन्थ है।

इसी प्रकार संस्कृत आचार्य भामह ने दो स्थानों पर एक 'मेघाविन्' का उल्लेख किया है। 'त एत उपमादोषा सप्त मेघाविनोदिताः' (II-40) तथा 'यथासह्यमयोत्प्रेक्षामलकार विदुः। सख्यानमिति मेघाविनोत्प्रेक्षाभिहितं क्वचित्',¹ इनसे विदित होता है कि किसी मेघावी या मेघाविन् ने उपमा के मात दाप बनाये हैं, तथा वह 'यथासह्य' अलकार को 'सख्यान' नाम देना है, और उसको अलकार नहीं कहता। इस उल्लेख से 'मेघाविन्' का नाम सामने आता है जिससे पहले विद्वान् परिचित नहीं थे। तब, भामह के बाद इसकी पुष्टि नेमिमाधु से भी हो जाती है, मेघाविन् या मेघाविहद नाम का आचार्य हुआ है—यह भी अलकारशास्त्र का आचार्य था। भामह के उल्लेख से मेघाविन् की निचली काल सीमा भी निर्धारित हो जाती है। भामह की कालावधि काणे ने 500 और 600 ई० के बीच दी है। 500 भामह के काल की ऊपरी सीमा और 600 निचली अवधि। 'मेघाविन्' भामह से पूर्व हुए थे।

इस प्रकार बाह्य उल्लेखों से अज्ञात कवि का पता भी चलता है, और उनकी निचली कालावधि भी ज्ञात हो जाती है।

ऐसे अलग पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी के लिये चुनौती का काम करते हैं कि वह प्रयत्न करें और ऐसे कवि की किसी कृति का उद्घाटन करें।

अनुश्रुति या जन श्रुति

लोक में प्रचलित प्रवादों को एकत्र कर परीक्षापूर्वक प्रामाणिक मान कर उनके आधार पर काल विषयक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे—यह जनश्रुति कि औरों ने तुलसी को पत्र लिखा था, और तुलसी ने भी उत्तर दिया था। यदि यह सत्यापित हो

सकता तो दोनों समकालीन हो जाते और कालक्रम में तुलसी पहले रखे जाते क्योंकि वे इतनी ख्याति पा चुके थे कि मीराँ उनसे परामर्श माँग सकी। मीराँ उनसे उन्नत में छोटी सिद्ध होती, पर जैसा हम ऊपर देख चुके हैं कि यह जनश्रुति सत्यापित नहीं होती। मीराँ तुलसी से पहले ही दिवगत हो चुकी थी। अतः जनश्रुति का मूल्य उस समय तक नगण्य है जब तक कि अन्य ठोस आधारों से यह प्रामाणिक न सिद्ध हो जाय। फिर भी, जनश्रुति का सकलन और अध्ययन अपेक्षित तो है ही। उसमें से कभी कभी महत्वपूर्ण खोई कड़ी मिल सकती है।

इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाएँ

ऐतिहासिक घटनाएँ बाह्य साक्ष्य हैं। इनकी सहायता प्रायः किसी अन्तःसाक्ष्य के सहारे से ली जा सकती है। स्वतन्त्र रूप से भी इतिहास सहायक हो सकता है। जैसे—वामन के सम्बन्ध में राजतरंगिणी में उल्लेख है कि वह जयापीड का मन्त्री था और ब्यूहलर ने बताया है कि काश्मीरी पंडितों में यह जनश्रुति है कि यह जयापीड का मन्त्री वामन ही 'काव्यालंकार-सूत्र' का रचयिता और 'रीति' सम्प्रदाय का प्रवर्तक है। इस ऐतिहासिक आधार पर 'वामन' का काल 800 ई० के लगभग निर्धारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध का कोई सन्दर्भ हमें वामन की कृति में नहीं मिलता। इतिहास का उल्लेख और अनुश्रुति से पुष्टि—ये दो बातें ही इसका आधार हैं। हाँ, अन्य बहिःसाध्यों से पुष्टि अवश्य होती है। अतः किसी भी ऐसे स्वतन्त्र ऐतिहासिक उल्लेख की अन्य विधि से भी पुष्टि की जानी चाहिये।

कवि के अन्तःसाक्ष्य के सहारे इतिहास या ऐतिहासिक घटना के आधार पर काल-निर्णय करने की दृष्टि से 'भट्टि' को ले सकते हैं।

भट्टि ने 'भट्टि काव्य' में लिखा है कि 'वाध्यमिद विहितं मया वलाम्ब्या श्रीधरसेन-नरेन्द्रपालितायाम्'।

इससे प्रकट हाता है कि भट्टि ने राजा श्रीधरसेन के आश्रय में वलभी में 'भट्टि काव्य' की रचना की, किन्तु रचने का काल नहीं दिया। अब इनका काल-निर्धारण करने के लिए वलभी के श्रीधरसेन का काल निश्चित करना होगा, और इसके लिये इतिहास से सहायता लेनी होगी। इतिहास से विदित होता है कि 'श्रीधरसेन प्रथम' का कोई लेख नहीं मिलता। श्रीधरसेन द्वितीय का सबसे पहला लेख वलभी सं० 252 का है जो 571 ई० का हुआ। श्रीधरसेन चतुर्थ का अन्तिम लेख वलभी संवत् 332 का मिला है, जो ई० सं० 651 का हुआ। इसी प्रकार श्रीधरसेन क उत्तराधिवारी द्रोणसिंह का लेख वलभी संवत् 183 संवत् 502 ई० का मिला है। अतः भट्टि का समय 500 से 650 ई० के बीच होना चाहिये। मन्दीर के सूर्य मन्दिर के शिलालेख का सं० 473 ई० है। इसके लेखक वत्सभट्टि को वी० सी० मजूमदार ने 'भट्टि काव्य' से साम्य के आधार पर भट्टि माना है। तब भट्टि श्रीधरसेन प्रथम के समय में हुए जो 500 ई० से पहले था।

स्पष्ट है कि श्रीधरसेन नाम के चार राजा हुए, अतः समस्या रही कि किस श्रीधरसेन के समय भट्टि हुए, तब 'काव्य साम्य' के आधार पर वत्सभट्टि और 'भट्टि काव्य' रचयिता भट्टि को एक मान कर वत्सभट्टि के 413 ई० के लेख से भट्टि को प्रथम श्रीधरसेन के समय 500 ई० से पहले का मान दिया गया।

'कृति' में काल का संकेत न होने पर अन्त साक्ष्य के किसी सूत्र को पकड़ कर इतिहास की सहायता से काल-निर्धारण के रोचक उदाहरण मिलते हैं। एक है नाट्य-शास्त्र के काल-निर्णय की समस्या। अनेक विद्वानों ने अपनी तरह से 'नाट्य-शास्त्र' का रचना-काल निर्धारित करने के प्रयत्न किये हैं, पर काणे महोदय ने प्रो० सिल्वियन लेवी का एक उदाहरण दिया है कि उन्होंने 'नाट्य शास्त्र' में सम्बोधन सम्बन्धी शब्दों में 'स्वामी' का आधार लेकर और चष्टन जैसे भारतीय शक शासक के लेख में चष्टन के लिये 'स्वामी' का उपयोग देखकर, यह सिद्ध किया कि भारतीय नाट्य-कला का आरम्भ भारतीय शकों के क्षत्रपों के दरबारों से हुआ—अर्थात् विदेशी शक-राज्यों की स्थापना से पूर्व भारतवासी नाटक से अनभिज्ञ थे। नाट्य-शास्त्र में 'स्वामी' शब्द का सम्बोधन भी शक शासकों के दरबारों में प्रचलित शिष्ट प्रयोगों से लिया गया है। इन क्षत्रपों के राज्यकाल में ही प्राकृत भाषाओं का स्थान संस्कृत लेने लगी—या, भाषा विषयक प्रवृत्ति का परिवर्तन विदेशी शासन का प्रभाव था जो नाट्य-शास्त्र से विदित होता है। काणे महोदय की यह टिप्पणी इस विषय पर दृष्टव्य है।

"In spite of the brilliant manner in which the arguments are advanced, and the vigour and confidence with which they are set forth, the theory that the Sanskrit theatre came into existence at the court of the Kshatrapas and that the supplanting of the Prakrits by classical Sanskrit was led by the foreign Kshatrapas appears, to say the least, to be an imposing structure built upon very slender foundations"¹

इससे यह सिद्ध होता है कि इतिहास की सहायता लेते समय भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिये। यह भी परीक्षा कर लेनी चाहिये कि कहीं प्रक्रिया उलटी तो नहीं। चष्टन के लेख में 'स्वामी' का प्रयोग कहीं से कैसे आ गया? क्या यह शक शब्द है? जब ऐसा नहीं तो स्पष्ट है कि लेखक या सूत्रकार या शिल्पकार, जिसने चष्टन का लेख तैयार किया या उत्कीर्ण किया वह भारतीय नाट्य-शास्त्र से परिचित था, वही से सम्बोधन के लिये संस्तुत शब्दों में से 'स्वामी' शब्द को लेकर उसने चष्टन के लिये उसका प्रयोग किया। यह स्थिति अधिक सगत है।

धतः यह भी देखना होगा कि किसी स्थापना के लिये क्या कोई अन्य विकल्प भी है, यदि कोई अन्य विकल्प भी हो तो उसका समाधान भी कर दिया जाना चाहिये।

इतिहास के कारण कवि द्वारा दिये काल संकेत को लेकर सकट या भ्रमेले भी खड़े हो सकते हैं, इसे भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिये 'जायसी' के पद्मावत का उदाहरण महत्वपूर्ण है। इसको डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के शब्दों में उनके ग्रन्थ 'पद्मावत' के मूल और सजीवनी भाष्य की भूमिका से उद्धृत किया जा रहा है।

"जायसी कृत दूसरा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उल्लेख पद्मावत में है। उसमें सूरवशी सरनाट घोरसाह का शाहे वक्त के रूप में वर्णन किया गया है :

सेरसाहि दिल्ली मुलतग्नू । चारिउ खड तपइ जस भानू । 13।1

जायसी के वर्णन से विदित होता है कि शेरशाह उस समय दिल्ली के सिंहासन पर बैठ चुका था और उसका भाग्योदय चरम सीमा पर पहुँच गया था। हुमायूँ के ऊपर शेरशाह की विजय चौसा युद्ध में 26 जून, 1539 को और कन्नौज के युद्ध में 17 मई, 1540 को हुई। दिल्ली के मुलतान पद पर उसका अभिषेक 26 जनवरी, 1542 को हुआ। जायसी ने पद्मावत के आरम्भ में तिथि का उल्लेख इस प्रकार किया है

सन नौ सँ सँतालिस अहै । कथा आरम बैन कवि कहै ॥24॥

इसका 947 हिजरी 1540 ई० होता है। उस समय शेरशाह हुमायूँ को परास्त करके हिन्दुस्तान का सम्राट बन चुका था, यद्यपि उसका अभिषेक तब तक नहीं हुआ था। 947 के कई नीचे लिखे पाठान्तर मिलते हैं —

- | | |
|--|-------------------|
| 1. गोपाल चन्द्र जी की तथा माताप्रसाद जी की कुछ प्रतियाँ | 927 हि० = 1521 ई० |
| पद्मावत का अलाउल शूत बगला अनुवाद ¹ | 927 हि० = 1521 ई० |
| 2. भारत बलाभवन काशी की कँथी प्रति ² | 936 हि० = 1530 ई० |
| 3. 1109 हि० (1697 ई०) में लिखित माता-प्रसाद की प्रति द्वि० 3 | 945 हि० = 1539 ई० |
| 4. माताप्रसाद जी की कुछ प्रतियाँ, तथा रामपुर की प्रति | 947 हि० = 1540 ई० |
| 5. बिहार शरीफ की प्रति | 948 हि० = 1542 ई० |

927, 936, 945, 947, 948 इन पाँच तिथियों में हस्तलिखित प्रतियों के साक्ष्य के आधार पर 927 पाठ सबसे अधिक प्रामाणिक जान पड़ता है। पद्मावत की सन् 1801 की लिखी एक अन्य प्रति में भी ग्रन्थ रचना-काल 927 मिला था (खोज रिपोर्ट, 14 वाँ त्रैवार्षिक विवरण, 1929-31, पृ० 62)। 927 पाठ के पक्ष में एक तर्क यह भी है कि यह अपेक्षाकृत विलम्ब पाठ है। विपक्ष में यही युक्ति है कि शेरशाह के राज्यकाल से इसका मेल नहीं बैठता। शुक्ल जी ने प्रथम संस्करण में 947 पाठ रखा था, पर द्वितीय संस्करण में 927 को ही मान्य समझा क्योंकि अलाउल के अनुवाद में उन्हें यही सन् प्राप्त हुआ था। अवश्य ही यह एक ऐसी साक्षी है जो उस पाठ के पक्ष में विशेष ध्यान देने के लिये विवक्षित करती है। 927 या 947 की सख्या ऐसी नहीं जिसके पढ़ने या ग्रंथ समझने में क्वावट होती। अतएव उसके भी जब पाठ-भेद हुए तो उसका कुछ सविशेष कारण ऐसा होना चाहिये जो सामान्यतः दूसरे प्रकार के पाठान्तरों में लागू नहीं होता। मैंने ग्रंथ करते समय शेरशाह वाली युक्ति पर ध्यान देकर 947 पाठ को समीचीन लिखा था, किन्तु

1. यह अनुवाद 1645-1652 के बीच सुदूर अरकान राज्य के मन्त्री मगन ठाकुर ने अलाउल कामक कवि से कराया था—
लेख मुहम्मद जती । जबने रचिते पुयी ।
संख्या सप्तविंश नव शत ।
2. सन नौ सँ छत्तीस जब रहा ।
कथा जयहि कपूत कवि कवि कहा ।
(बाण, कथा पवन, काशी की कँथी प्रति)

अब प्रतियों की बहुल सम्पत्ति एक विलष्ट पाठ की युक्ति पर विचार करने से प्रतीत होता है कि 927 मूल पाठ या श्रीर जायसी ने पद्मावत का आरम्भ इसी तिथि में अर्थात् 1521 में कर दिया था। ग्रन्थ की समाप्ति कब हुई, वहना कठिन है, किन्तु कवि ने उस काल के इतिहास की कई प्रमुख घटनाओं को स्वयं देखा था। बाबर के राज्य काल का तो स्पष्ट उल्लेख है ही (आखिरी कलाम 811)। उसके बाद हुमायूँ का राज्यारोहण (836 हि०) चौसा में शेरशाह द्वारा उसकी हार (945 हि०), कन्नौज में शेरशाह की उम पर पूर्ण विजय (947 हि०), फिर शेरशाह या दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक (948 हि०), ये घटनाएँ उनके जीवन काल में घटीं। मेरे मित्र श्री शम्भुप्रसाद जी बहुगुणा ने मुझे एक बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव दिया है कि पद्मावत के विविध हस्तलेखों की-तिथियाँ इन घटनाओं से मेल खाती हैं। हि० 927 में आरम्भ करके अपना काव्य कवि ने कुछ वर्षों में समाप्त कर लिया होगा। उसके बाद उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ समय-समय पर बनती रही। भिन्न तिथियों वाले सब सस्करण समय की आवश्यकता के अनुकूल चालू किये गये। 927 वाली कवि लिखित प्रति मूल प्रति थी। 936 वाली प्रति की मूल प्रति हुमायूँ के राज्यारोहण की स्मृति रूप में चालू की गई। हि० 945 वाली प्रति जिसका माताप्रसाद जी गुप्त ने पाठान्तर में उल्लेख किया है, शेरशाह की चौसा युद्ध में हुमायूँ पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त चालू की गई। 947 वाली चौथी प्रति शेरशाह की हुमायूँ पर कन्नौज विजय की स्मृति का संकेत देती है। पाँचवी या अन्तिम प्रति 948 हि० की है, जब शेरशाह दिल्ली के तख्त पर बैठ कर राज्य करने लगा था। मूल ग्रन्थ जैसे का तैसा रहा, केवल शाहे बक्त वाला अंश उस समय जोड़ा गया। पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना के लिये चार वर्षों का समय लगा होगा। सम्भावना है कि उसके बाद कवि कुछ वर्षों तक जीवित रहा हो। पद्मावत के कारण उसके महान् व्यक्तित्व की कीर्ति फैल गई होगी। शेरशाह के अशुभकाल में कवि का बादशाह से साक्षात् मिलन भी बहुत सम्भव है। इस सम्बन्ध में पद्मावत का यह दोहा ध्यान आकृष्ट करता है।

दीन्ह असीस मुहम्मद करहु जुगहि जुग राज ।

पातसाहि तुम्ह जग के जग तुम्हार मुहताज ॥1318-9

दोहे के शब्दों में जो आत्मीयता है श्रीर प्रत्यक्ष घटना जैसा चित्र है, वह इंगित करता है कि जैसे वृद्ध कवि ने स्वयं सुलतान के सामन हाथ उठा कर आशीर्वाद दिया हो। इस घटना के बाद ही शाहे बक्त की प्रशंसा वाला अंश शुरू में जोड़ा गया होगा। रामपुर की प्रति में इस अंश का स्थान भी बदला हुआ है। उसमें माताप्रसाद जी के दोहों की सत्या का पूर्वापर क्रम यह है—दो 12, 20 (गुरु महेदी ...), 18 (सेपद असरफ.....), 19 (उग्ध घर रतन.....) 13, 14, 15, 16, 17, 21 अर्थात् शेरशाह वाले पाँच दोहों को गुरु-परम्परा के वर्णन के बाद रखा गया है। इससे अनुमान होता है कि बाद में बड़ाए हुए इस अंश का ठीक स्थान कहाँ हो, इस बारे में प्रतियों की कम से कम एक परम्परा में विकल्प अवश्य था।¹

इस उद्धरण से काल-निर्णय में भ्रमेले के लिये तीन कारण सामने आते हैं, पहला पाठ-भेद—5 पाठ-भेद मिले। पाठान्तेचन से भी इस सम्बन्ध में अन्तिम प्रकाट्य निर्णय

नहीं किया जा सका। यो 927 हिजरी का पक्ष डॉ० अश्रवाल को भी भारी लगता है। कारण यही है कि यह कई प्रतियों में है।

दूसरा—काल-संकेत में केवल सन् का उल्लेख है, विस्तृत तिथि-विवरण-तिथि, दिन, महीना, पक्ष नहीं दिया गया, अतः गणना और पचास से शुद्ध ‘काल’ की परीक्षा नहीं हो सकती।

तीसरा कारण है, ऐतिहासिक उल्लेख

‘सरसाहि दिल्ली मुलतानू
चारिउ खड तपइ जस भानू ॥”

यह शेरशाह का दिल्ली का मुलतान होना ऐतिहासिक काल-क्रम में 927, 936, 945 हिजरी से मेल नहीं खाता। 947 कुछ ठीक बँठता है। पर “तपे जस भानू” तो 948 हि० में ही सम्भव था। इस ऐतिहासिक घटना ने 927 से असंगत होकर यथार्थ भ्रमला खड़ा कर दिया है।

इसके समाधान में ही यह अनुमान प्रस्तुत करना पड़ा कि जायसी ने पद्मावत की रचना आरम्भ तो 927 हिजरी में की, केवल ‘शाहेवक्त’ विषयक पक्तियाँ सन् 948 हि० में लिखीं।

सन् के विविध पाठ-भेदों को विविध ऐतिहासिक घटनाओं का स्मारक मानने की कल्पना भी इतिहास की पृष्ठभूमि से सगति बिठाने की दृष्टि से रोचक है। प्रामाणिक कितनी हैं, यह कहना कठिन है।

सामाजिक परिस्थितियाँ एवं सांस्कृतिक उल्लेख

यह पक्ष भी उभयाश्रित है। अंतरंग से उपलब्ध सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री की सगति बाह्य साक्ष्य से बिठाकर काल-निर्णय में सहायता ली जाती है। बाह्य साक्ष्य बाल-निर्धारण में प्रमुख रहता है अतः इसे बाह्य साक्ष्य में रखा जा सकता है।

यह भी तथ्य है कि सामाजिक और सांस्कृतिक आधार को काल-क्रम निर्धारण में उपयोगी बनाने के लिए उनका स्वयं का काल-क्रम किसी अन्य आधार से, वह अधिकारशक्त ऐतिहासिक हो सकता है, सुनिश्चित करना होगा।

यह भी ध्यान में रखना होगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री को बिल्कुल अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। दोनों का इतना अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है कि दोनों को एक मान कर चलना ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

सांस्कृतिक एवं सामाजिक साक्ष्य से काल-निर्धारण का उदाहरण डॉ० माताप्रसाद गुप्त द्वारा सम्पादित ‘वसन्त विलास और उसकी भाषा’ शीर्षक पुस्तक से मिलता है।

डॉ० माताप्रसाद गुप्त से पूर्व ‘वसन्त विलास’ के काल-निर्णय का प्रयत्न प्रो० डबल्यू० नारमन ब्राउन और उनसे पूर्व श्री कान्तिनाथ बी० व्यास कर चुके थे। इन दोनों ने भाषा को आधार मान कर ऊपरली और निचली काल सीमाएँ निर्धारित की थी—वे थी 1400-1424 के बीच।

इसका खंडन और अपने मत का संकेत उक्त पुस्तक की भूमिका में रचना-काल भीषक में संक्षेप में यो दिया है

“कृति के रचना-काल का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। उसकी प्राचीनतम प्राप्त

प्रति सं० 1508 की है¹, इसलिये यह उसकी रचना-तिथि की एक सीमा है। सं० 1508 की प्रति का पाठ अथवा ही कुछ न-कुछ प्रक्षेप-पूर्ण हो सकता है, क्योंकि वही सबसे बड़ा है, और पाठान्तरो की दृष्टि से अनेक स्थलों पर उससे भिन्न प्रतियों के पाठ अधिक प्राचीन ज्ञात होते हैं, इसलिये, रचना का समय सामान्यतः उससे काफी पहले का होना चाहिये। यह स्पष्ट है जैसा ऊपर कहा जा चुका है, प्रायः विद्वानों ने रचना को उक्त प्राचीनतम प्राप्त प्रति की तिथि से उसे एक शताब्दी पूर्व माना है। किन्तु मेरी समझ में यहाँ उन्होंने घटकल से ही काम लिया है। पूरी रचना आमोद-प्रमोद और श्रीडापूर्ण नागरिक जीवन का ऐसा चित्र उपस्थित करती है जो मुख्य हिन्दी प्रदेश में 1250 वि० की जयचन्द पर मुहम्मद गौरी की विजय के अनंतर और गुजरात में 1356 वि० के अलाउद्दीन के सेनापति उलुगखा की विजय के अनंतर इस्लामी शासन के स्थापित होने पर समाप्त हो गया था। इसलिये रचना अधिक से अधिक विक्रमीय 14वीं शती के मध्य, ईस्वी 13वीं शती—की होनी चाहिये।²

फिर डॉ० गुप्त ने विस्तारपूर्वक 'बसन्त विलास' के उद्धरणों से उस जन-जीवन का विवरण दिया है और तब निष्कर्षतः लिखा है कि

“इस व्याख्या से यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि तेरहवीं शती ईस्वी की मुसलमानों की उत्तर-भारत विजय से पूर्व का ही नागरिक जीवन रचना में चित्रित है। मुसलमानों के शासन के अन्तर्गत इस प्रकार की स्वच्छन्दता से नगर के युवक-युवतियों की नगर क श्रीडा-वनो में मिलने की कोई कल्पना नहीं कर सकता है जैसी वह इस काव्य में वर्णित हुई है। कवि किसी पूर्ववर्ती ऐतिहासिक युग का इसमें वर्णन भी नहीं करता है, वह अपने ही समय के बसन्त के उल्लास-विलास का वर्णन करता है, इसलिये मेरा अनुमान है कि 'बसन्त-विलास' का रचना-काल सं० 1356 के पूर्व का तो होना ही चाहिये और यदि वह सं० 1250 से भी पूर्व की रचना प्रमाणित हो तो मुझे आश्चर्य न होगा। सम्भव है उसकी भाषा का प्राप्त रूप इस परिणाम को स्वीकार करने में बाधक हो। किन्तु भाषा प्रतिलिपि-परम्परा में घिसकर धीरे-धीरे अधिकाधिक आधुनिक होती जाती है। इसलिये भाषा का स्वरूप प्राप्त परिणाम को स्वीकार करने में बाधक नहीं होना चाहिये।”³

इस उद्धरण से उस प्रणाली का उद्घाटन होता है जिससे सांस्कृतिक-सामाजिक सामग्री को बाल-निर्धारण का आधार बनाया जा सकता है।

इसमें सांस्कृतिक सामाजिक जीवन का, बसन्त के अवसर का आमोद-प्रमोद वर्णित है। डॉ० गुप्त ने इस आधार को लेकर एक ऐतिहासिक घटना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयत्न किया है। वह घटना है उत्तरी भारत और गुजरात पर इस्लामी विजय और शासन—इनका काल विदित है 1250 तथा 1356। कल्पना यह है कि इस समय के बाद ऐसा जीवन जिपा नहीं जा सकता था; न कवि उसका ऐसा सजीव वर्णन ही कर सकता था।

1. (अ) बाह्य साध्य की दृष्टि से काल सकेत युक्त प्रतिलिपि भी महत्वपूर्ण होती है, यह इससे सिद्ध होगा है।
- (आ) यथा—धीं बंजुलाम मज्जुदार—गुजराती साहित्य ना स्वरूपो पद्य विभाग पृ० 225।
2. गुप्त, माताप्रसाद (डॉ०)—बसन्त विलास और उसकी भाषा, पृ० 4-5।
3. . गुप्त, माताप्रसाद (डॉ०)—बसन्त विलास और उसकी भाषा, पृ० 8।

बैसा वर्णन उस काल में रहने वाला कवि ही कर सकता है। 'बसन्त विलास' से उसकी वर्तमानकालिकता प्रकट है। स्पष्ट है कि एव प्रकरण का मेल इतिहास काल-क्रम वाली एक घटना से स्थिर किया गया, तब काल विषयक निष्कर्ष पर पहुँचा गया।

इस काल निर्धारण में भाषा का साक्ष्य बाधक प्रतीत होता था क्योंकि गुप्त से पूर्व दो विद्वानों ने भाषा के साक्ष्य पर ही 1400-1425 के बीच काल निर्धारित किया था, अतः इस तर्क को इस सिद्धान्त से काट दिया कि 'प्रतिलिपि परम्परा' में भाषा अधिकाधिक आधुनिक होती जाती है।

स्पष्ट है कि सांस्कृतिक बाह्य साक्ष्य + इतिहास-सिद्ध कालक्रमयुक्त घटना से यहाँ निष्कर्ष निकाला गया है।

जिस प्रकार समाज और सस्कृति को उक्त रूप में काल निर्धारण के लिये साक्ष्य बनाया जा सकता है, उसी प्रकार धर्म, राजनीति, शिक्षा, आर्थिक तत्त्व, ज्योतिष आदि भी अपनी अपनी तरह से काल सापेक्ष होते हैं, अतः काल निर्धारण में मात्र किसी एक आधार से काम नहीं चल पाता जितनी भी बातों में काल सूचक बीज होने की सम्भावना हो सकती है, उनकी परीक्षा की जाती है। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने पाणिनि का काल निर्णय करने में साहित्यिक तर्क (Literary argument),¹ मस्करी परिव्राजक एक विशेष शब्द² बुद्ध धर्म³, आदिष्ठा प्रथम नक्षत्र⁴, नन्द से सम्बन्ध⁵, राजनीतिक सामग्री (data), यवनानी लिपि का उल्लेख, पशु विषयक⁶ कथान्त स्थान नाम, क्षुद्रक मालय⁷ पाणिनि और वोटिल्य⁸, सिक्को का साक्ष्य, व्यक्ति-नाम (गोत्रनाम एव नक्षत्र-नाम के आधार पर), पाणिनि और जातक, पाणिनि तथा मध्यम पथ आदि की परीक्षा की। स्पष्ट है कि काल निर्धारण में एक नहीं अनन्त प्रकार के साक्ष्यों की परीक्षा करनी होती है। पहले वे तर्कों और प्रमाणों की समीचीनता सिद्ध या असिद्ध करनी होती है। बाह्य साक्ष्य में से बहुत से अंतरंग साक्ष्य से युक्त हुए हैं।

अंतरंग साक्ष्य

अंतरंग साक्ष्य को दो पक्षों में बाँट सकते हैं, एक है स्थूल पक्ष, दूसरा है सूक्ष्म। स्थूल पक्ष का सम्बन्ध उन भौतिक वस्तुओं से होता है जिनसे ग्रथ निमित्त हुमा है। इसे वस्तुगत पक्ष कह सकते हैं, जैसे ग्रन्थ का कागज, ताड़पत्र आदि। उसका आकार प्रकार भी कुछ ग्रथ रखते ही हैं। स्याही भी इसमें सहायक हो सकती है। इसी स्थूल पक्ष का एक और पहलू है लेखन। लेखन व्यक्तिगत पहलू माना जा सकता है। व्यक्ति ग्रथात् लेखक

1. वस्तुतः यह तर्क मोल्डस्तुकर ने इस तर्क को काटने के लिये दिया है कि पाणिनि आरम्भिक, उपनिषद, प्रातिशास्त्र, वाजसनेयी संहिता शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद और पद-दर्शन से परिचित नहीं थे, अतः पाणिनि ने बाद पाणिनि हुए थे।
2. यह सिद्ध करने के लिये कि इस व्यक्ति से पाणिनि परिचित थे, अतः इसके बाद ही हुए।
3. मोल्डस्तुकर के इस तर्क का खंडन करने के लिये कि पाणिनि बुद्ध से पूर्व हुए।
4. ज्योतिष पर आधारित साक्ष्य।
5. ऐतिहासिक आधार।
6. एक विशेष ज्ञान सम्बन्धी।
7. गर्भों का संघ एवं अन्य सगठन तथा युद्ध विद्या सम्बन्धी।
8. कुछ विशिष्ट शब्दों से दोना परिचित थे, इस आधार पर काल निर्धारण में सहायक।

या लिपिकार का लिखने का अपना ढंग होता है। इसमें लिपि का पहला स्थान है : इसमें देखना होता है कि कौनसी लिपि में लेखक ने लिखा है ? यही नहीं, वरन् यह भी देखना होता है कि जिस लिपि में उसने लिखा है, उसके किस रूप में और अक्षर के किस प्रकार में लिखा है। लिपि का भी इतिहास होता है, और उसकी वर्णमाला के अक्षरों का भी होता है। प्रत्येक लेखक कालगत स्थिति में अपनी पद्धति में लिखता है। इसे भी क्या काल-निर्धारण का आधार बनाया जा सकता है, यह देखना होता है। लेखन में अलकरणों का भी स्थान होता है। लिपि को भी विविध प्रकार से अलकृत किया जाता है, तथा तोप में जहाँ-तहाँ मंगल उपकरणों में तथा अन्य प्रकार से सजाया जाता है। क्या इनसे भी काल-निर्णय में कोई सहायता मिल सकती है, यह भी देखना होगा। पृष्ठांकन प्रणाली का अन्तर भी इसी वर्ग में आयेगा। सचित्र ग्रन्थ हो तो चित्र-योजना पर भी काल-निर्धारण की दृष्टि से विचार करना होगा। इनके बाद हमें यह अनुसंधान भी करना होगा कि क्या कोई और ऐसा तत्त्व हो सकता है जो व्यक्तिगत पक्ष में आता हो और उक्त वस्तुओं में न पाया हो। अब हम पहले वस्तुगत पक्ष में कागज को लेते हैं।

कागज—लिप्यासन

यहाँ कागज का व्यापक अर्थ लिया गया है, इसीलिए इसे 'लिप्यासन' नाम दिया गया है। यह हम पहले देख चुके हैं कि लिप्यासन में पत्थर, ईंट, धातु चमड़ा, पत्र छाल, कागज आदि सभी आते हैं।

हम यह देख चुके हैं कि लिप्यासनों के प्रकारों से लेखन के विभिन्न युगों से सम्बन्ध है। ईंटों पर लेखन ईसा के 3000 वर्ष पूर्व तक हुआ, यह माना जा सकता है। इसी प्रकार 3000 ई०पू० से पेपिरस के खरडों (Rolls) का युग चलता है। ई०पू० 1000 से 800 के बीच कोडेक्स या चर्म-गुस्तकों का युग आरम्भ हुआ माना जा सकता है। तब कागज का आरम्भ चीन से होकर यूरोप पहुँचा। सन् 105 ई० से कागज का प्रचार ऐसा हुआ कि अन्य लिप्यासनों का उपयोग समाप्त हो गया। भारत में कागज सिक्न्दर के समय में भी बनता था किन्तु ईंटों के बाद पत्थर, और उसके बाद ताड़-पत्र एवं भूज-पत्रों का उपयोग विशेष होता रहा। भूज-पत्र से भी अधिक ताड़-पत्र का उपयोग भारत में हुआ है।

कागज का प्रचार सबसे अधिक हुआ है।

ये लिप्यासन काल-निर्धारण में केवल इसीलिये सहायक माने जा सकते हैं कि इन पर भी काल का प्रभाव पड़ता है। काल का प्रभाव अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में अलग-अलग पड़ता है। नेपाल में ताड़-पत्रीय संस्कृत ग्रन्थों के अनुसन्धान के विवरण में यह उल्लेख है कि ताड़पत्र-ग्रन्थों के लिये नेपाल का वातावरण, जलवायु अनुकूल है। वहाँ कालगत प्रभाव जलवायु से कुछ परिसीमित हो जाता है। फिर भी, प्रभाव पड़ता तो है ही। इसी काल-प्रभाव को अभी तक केवल अनुमान से ही बताया जाता रहा है। यह अनुमान पांडुलिपि-विज्ञानवेत्ता या पांडुलिपियों से सम्बन्धित व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर करता है। अनुभवी व्यक्ति ग्रन्थ के कागज का रूप देख कर यह बात बता सकता है कि अनुमानतः यह पुस्तक कितनी पुरानी हो सकती है। यह अनुभवधरित अनुमान अन्य प्रयोग से पुष्ट भी होना चाहिये। यदि प्रमाण से पुष्ट नहीं होता तो यह अभी तक दुर्बल

आधार के रूप में बना रहेगा जब तक कि या तो इसे खंडित नहीं कर दिया जाता या पुष्ट नहीं कर दिया जाता ।

हाँ, एक स्थिति ऐसी हो सकती है जिससे अनुभवाश्रित अनुमान अधिक महत्व का हो सकता है । दो हस्तलेखों की तुलना में एक पुरानी प्रति अपनी जीर्णता शीर्णता आदि के कारण निश्चय ही कुछ वर्षों दूसरे से पहले की मानी जा सकती है । अनुसंधान विवरणों और हस्तलेखों के काल-निर्णायक तर्कों में प्रति की प्राचीनता भी एक आधार होती है ।

वास्तविक बात यह है कि काल-क्रम की दृष्टि से कागजों के सम्बन्ध में दो बातों पर अनुसंधानपूर्वक निर्णय लिया जाना चाहिये । एक तो कागजों के कई प्रकार मिलते हैं । हाथ के बने कागज भी स्थान भेदों से कितने ही प्रकार के हैं और इसी प्रकार मिल के बने कागजों के भी कितने ही भेद हैं । इनमें परस्पर काल-क्रम निर्धारित किया जाना चाहिये ।

हमारे यहाँ 20 वीं शताब्दी से पूर्व हाथ का बना कागज ही काम में आता था । प्रायः सभी पांडुलिपियाँ उन्हीं कागजों पर लिखी मिलती हैं ।

अब यह आवश्यक है कि कोई वैज्ञानिक विधि रासायनिक या राशिक आधार पर ऐसी आविष्कृत की जाय कि ग्रन्थ के कागज की परीक्षा करके उनके काल का वैज्ञानिक अनुमान लगाया जा सके ।

जब तक ऐसा नहीं होता तब तक अनुभवाश्रित अनुमान से जो सहायता ली जा सकती है, ली जानी चाहिये ।

स्याही

स्याही को भी काल निर्णय में कागज की तरह ही सहायक माना जा सकता है । काल का प्रभाव स्याही पर भी पड़ता ही है, पर उसको जानने के लिए और उस प्रभाव में समय को आकने के लिए कोई निश्चित साधन नहीं है ।

इन दोनों के सम्बन्ध में एक विद्वान¹ का कथन है कि 'जब किसी सग्रह के ग्रन्थों को देखते हैं तो उसकी विभिन्न प्रतियाँ विभिन्न दशाओं में मिलती हैं । कोई कोई ग्रन्थ तो कई शताब्दी पुराना होने पर भी बहुत स्वस्थ और ताजी अवस्था में मिलता है । उसका कागज भी अच्छी हालत में होता है, और स्याही भी जैसी की तैसी चमकती हुई मिलती है, परन्तु कई ग्रन्थ बाद की शताब्दियों के लिखे होने पर भी उनके पत्र तड़कने से और अक्षर रगड़ से विकृत पाये जाते हैं ।'

इस कथन से यही निष्कर्ष निकलता है कि कागज और स्याही को काल निर्णय का साधन बनाते समय बहुत सावधानी अपेक्षित है, और उन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखना होगा जिनसे कागज और स्याही पर कालगत प्रभाव या तो पड़ा ही नहीं, या बहुत कम पड़ा, या कम पड़ा, या सामान्य पड़ा, या अधिक पड़ा ।

पांडुलिपि विदों ने काल निर्णय में जहाँ इन दोनों का उपयोग किया है वहाँ तुलना के आधार पर ही किया है ।

लिपि

लिपि काल निर्धारण में सहायक हो सकती है, क्योंकि उसका विकास होता आया

1. श्री मोरार्य नाटय्य बहूच की टिप्पणियाँ ।

है, उस विकास में अक्षरों के लिपि-रूपों में परिवर्तन हुए हैं, जिन्हें काल-सीमाओं में बाँधा गया है। अक्षर का एक लिपि-रूप एक विशेष काल-सीमा में चला, फिर उसमें विकास या परिवर्तन हुआ और नया रूप एक विशेष काल-सीमा में प्रचलित रहा। आगे भी इसी प्रकार होता गया और विविध अक्षर-रूप विविध काल-सीमाओं में प्रचलित मिले। इस कारण एक विशेष अक्षर-रूप वाली लिपि को उस विशेष काल-अवधि का माना जा सकता है, जिसमें लिपि वैज्ञानिकों ने उसे प्रचलित सिद्ध किया है।

शिलालेखों एवं अभिलेखों में लिपि के विकास की इन कालावधियों को सुविधा के लिये नाम भी दे दिये गये हैं।

अशोक-कालीन ब्राह्मी लिपि की कालावधि ई०पू० 500 से 300 ई० तक मानी गई। इस बीच में इसके अक्षर-रूपों में कुछ परिवर्तन हुए मिलते हैं। इन परिवर्तनों से एक नया रूप चौथी शती ई० में उभर उठता है।

इसे गुप्तलिपि का नाम दिया गया, क्योंकि गुप्त सम्राटों के काल में इसका अशोक कालीन ब्राह्मी से पृथक् रूप उभर आया। गुप्तलिपि का यह रूप छठी शती ई० तक चला। अन्य परिवर्तनों के साथ इसमें एक वैशिष्ट्य यह मिलता है कि सभी अक्षरों में कोण तथा मिररे या रेखा का समावेश हुआ। इसी को 'सिद्ध मातृका' का नाम दिया गया है।

इस लिपि में छठी से नवमी शताब्दी के बीच फिर ऐसा वैशिष्ट्य उभरा जो इसे गुप्तलिपि से पृथक् कर देता है। ये वैशिष्ट्य हैं (1) गुप्तलिपि के अक्षरों की खड़ी रेखाएँ नीचे की ओर बायीं दिशा में मुड़ी मिलती हैं तथा (2) मात्राएँ टेढ़ी और लम्बी हो गई हैं, इसलिये इन्हें 'कुटिलाक्षर' या 'कुटिल लिपि' कहा गया। कहीं-कहीं 'विकटाक्षरा' भी नाम है।

'सिद्ध मातृका' से 'नागरी लिपि' का विकास हुआ। इसका आभास तो सातवीं शती से ही मिलता है, पर नवमी शताब्दी से अभिलेख और ग्रन्थ इस लिपि में लिखे जाने लगे। 11 वीं शती में इसका व्यापक प्रयोग होने लगा।

यह स्थूल काल-विधान दिया गया है, यह बताने के लिए कि विशेष युग में लिपि का विशेष रूप मिलता है, अतः किसी विशेष लिपि रूप से उसके काल का भी अनुमान लगाया जा सकता है, और लगाया भी गया है।

ग्रन्थों में उपयोग में आने पर भी लिपि विकास रुकता नहीं, मन्द हो सकता है। यही कारण है कि ग्रन्थों की लिपियों में भी काल-भेद से रूपान्तर मिलता है, अतः उसके आधार को काल-निर्णय का आधार किसी सीमा तक बनाया जा सकता है :

इसके लिये 'राउलवेलि' के सम्बन्ध में यह उद्धरण उदाहरणार्थ दिया जा सकता है। 'राउलवेलि' एक कृति या ग्रन्थ ही है, जो शिलालेख के रूप में धार से प्राप्त हुआ है। यह प्रिंस ऑव वेल्स म्यूजियम, बम्बई में सुरक्षित है।

इस शिलालेखित कृति में रचना-काल नहीं दिया गया। इसकी अंतरंग सामग्री से किसी ऐतिहासिक व्यक्ति या घटना का भी सघान नहीं मिलता। इस कारण इतिहास से भी काल-निर्धारण में सहायता नहीं मिलती। अतः इस कृति के सम्पादक डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने लिखा :

‘रचना का नाम ‘राउल बेल’=राजकुल-विलास है, इसलिये शिलालेख के व्यक्ति राजकुल के प्रतीत होते हैं। किन्तु प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री से इन पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। लेख के अन्त में दोनो छोरों पर दो आकृतियाँ हैं, जिनमें से एक भग्न है, जो शेष है वह कमल-वन की है, और जो भग्न है निश्चय ही वह भी उसी की रही होगी। इस प्रकार की आकृतियाँ लेखों के अन्त में उनकी समाप्ति सूचित करने के लिये दी जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में लेख का समय निर्धारण केवल लिपि-विन्धास के आधार पर सम्भव है। इसकी लिपि सम्पूर्ण रूप से भोज देव के ‘कूर्मशतक’ वाले धार के शिलालेख से मिलती है (दे० इपिग्राफिया इडिका, जिल्द 8, पृ० 241)। दोनो में किसी भी मात्रा में अन्तर नहीं है, और उसके कुछ बाद के लिखे हुए अर्जुनवर्म देव के समय के ‘पारिजात मजरी’ के धार के शिलालेख की लिपि किंचित् बदली हुई है (दे० इपिग्राफिया इडिका, जिल्द 8, पृ० 96) इसलिये इस लेख का समय ‘कूर्मशतक’ के उक्त शिलालेख के आस-पास ही अर्थात् 11वीं शती ईस्वी होना चाहिये।”¹

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि लिपि भी काल-निर्धारण में सहायक हो सकती है। लिपि का विशेष रूप काल से सम्बद्ध है और ज्ञात कालीन रचना की लिपि से तुलना पर साम्य देखकर काल-निर्णय किया जा सकता है। ‘कूर्मशतक’ भोजदेव की कृति है, उसका काल भोजदेव के काल के आधार पर ज्ञात माना जा सकता है। जिस काल में ‘कूर्मशतक’ की रचना हुई, उसके कुछ समय बाद की शिलाकृत ‘पारिजात मजरी’ की लिपि भिन्न है, अतः ‘राउलबेल’ की लिपि उससे पूर्व की और ‘कूर्मशतक’ के समकालीन ठहरती है तो रचनाकाल 11 वीं शती माना जा सकता है।

इसमें 1 लिपि साम्य, और 2 लिपि-भेद के दो साक्ष्य लिये गये हैं। वास्तव में, लिपि के अक्षरों और मात्राओं के रूप ही नहीं अक्षरकरणों के रूप को भी काल-निर्धारण में साक्ष्य मानना होगा।

ऐतिहासिक दृष्टि से तो ‘भारतीय लिपि और भारतीय अभिलेख’ विषयक रचनाओं में लिपियों के कालगत भेदों और उनके अक्षरों और मात्राओं के रूपों में अन्तर का उल्लेख सोदाहरण और सचित्र हुआ है। किन्तु ग्रन्थों की लिपियों का इतना गहन और विस्तृत अध्ययन नहीं हुआ। लिपि के आधार पर ग्रन्थों के काल-निर्धारण की दृष्टि से शताब्दी क्रम से ग्रन्थों में मिलने वाले लिपि-अन्तरों और वैशिष्ट्यों का अध्ययन होना चाहिये। इसका कुछ प्रयत्न ‘लिपि-समस्या’ वाले अध्याय में किया भी गया है।² पर, वह अपर्याप्त ही है।

इस सम्बन्ध में पहला महत्त्वपूर्ण कार्य क०मु० हिन्दी तथा भाषा-विज्ञान-विद्यापीठ के अनुसन्धानाधिकारी विद्वद्भार प० उदयशंकर शास्त्री का है। इन्होंने परिश्रमपूर्वक काल-क्रम से मिलान वाले अक्षर, मात्रा और अक्षरों के रूप शिलालेख आदि के साथ ग्रन्थों के आधार पर भी दिये हैं। इस अध्ययन को पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी को और आगे बढ़ाना चाहिये। इनका यह फलव हमने ‘लिपि समस्या’ शीर्षक अध्याय में दिया है। उसमें कुछ और रूप भी हमने जोड़े हैं।

1. गुप्त, माताप्रसाद, (सं०)-राउल बेल और उसकी धारा, पृ० 19।

2. इच्छ-अध्याय-5।

लिपि रचना-काल निर्धारण में तभी यथार्थ सहायता कर सकती है जब बाल-क्रम से प्राप्त प्रायः सभी या अधिकांश हस्तलेखों से अक्षर, मात्रा और अंक के रूप तुलनापूर्वक कालक्रमानुसार दिये जायें और कालक्रमानुसार उनके वैशिष्ट्य भी प्रस्तुत किये जायें।

लेखन पद्धति, अलकरण आदि

वैसे तो लेखन पद्धति, अलकरण आदि का भी सम्बन्ध कालावधि से होता ही है, क्योंकि लिखन की पद्धति, उसे अलकृत करने के चिह्न और उपादान, इनसे सम्बन्धित सकेताक्षरों और चिह्नों का प्रयोग, भागलिक तत्त्वों का अवन, सभी का काल-सापेक्ष प्रयोग होता है। इनसे प्रयोग को काल-क्रम में बांध कर अध्ययन किया जा सकता है, और तब काल निर्धारण में इनकी सहायता ली जा सकती है। यथा—

सकेताक्षरों की कालावधि

पाँचवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व	1	स, समु, सब, सम्ब या सबत्—	सवत्सर के लिए
	2	प	पक्ष के लिए
	3.	दि या दिव	दिवस के लिए
	4	गि गृ०, ग्र०	घोष्य के लिए
	5	व या वा	वर्ष (प्रा० वासी) के लिए
	6	हे या हेम आदि	हेमन्त के लिए
पाँचवीं शती से और आगे	1	दू०	दूतक के लिए
	2	रू०	रूपक के लिए
	3	द्वि०	द्वितीया के लिए
	4	नि०	'निरीक्षित' के लिए, निबद्ध के लिए
	5	महाक्षनि (समुक्त शब्द)	महाक्षपटलिक-निरीक्षित के लिए
	6	श्रीनि	श्रीहस्त श्रीचरण निरीक्षित के लिए
	7	श्री नि महासाम	श्री हस्तनिरीक्षित एव महा-सधिविग्रहिक निरीक्षित के लिए।

वस्तुतः काल निर्णय में सहायक होने की दृष्टि से अभी सकेताक्षरों को काल क्रम और कालावधि में बाँध कर प्रस्तुत करने के प्रयत्न नहीं हुए।

लेखन-पद्धति में ही सम्बोधन और उपाधिवोधक शब्द भी स्थान रखेंगे। हम देख चुके हैं कि शब्दों के लेख में 'स्वामी' सम्बोधन को 'देख कर और नाट्यशास्त्र में राजा के लिये उसे प्रयुक्त बताया देख कर कुछ विद्वान नाट्य कला का आरम्भ भी विदेशी शासकों में मानने लगे थे।

सम्बोधन और उपाधिवोधक शब्दों को काल-क्रम से इस प्रकार रखा जा सकता

272-232 ई०पू०

द्वितीय शती ई०पू०

प्रथम शताब्दी

द्वितीय शती ई०पू०

प्रथम शती ई०पू०

चौथी शती ईसवी
(गुप्त काल)

6ठी शती ईसवी

9वीं, 10वीं शती ई०

- 1 राजन् (अशोक जैसे सम्राट के लिए)
देवी (राज्ञी-रानी)
2. महाराज (भारतीय यूनानी शासकों के लिए)
- 3 महाराज्ञी (महादेवी) वृत्तर
(संस्कृत वाचु रक्षक राजा के लिए)
- 4 अक्षरकरण (स अक्षरप्रत्यय, जप्रतिद्वन्द्वी रहित)
- 5 राजन् (यह शब्द भी प्रयोग में था)
- 6 महरजस रजरजस (या रजदिरजस) महत्स
(स० महाराजस्य राजराजस्य महत्
या राजाधिराजस्य महत्)
- 7 महाराजाधिराज या भट्टारक महाराज
राजाधिराज । महाराजाधिराज परमभट्टारक
- 8 महाराज (7 के आधीन राजा)
- 9 राजाधिराज परमेश्वर
- 10 पच महाशब्द - 'प्राप्त पचमहा शब्द' या
'समाधिगत पच महाशब्द'

पचमहाशब्द—1. महाप्रतिहार

या 2 महासधिद्विग्रहिक

अशेष महाशब्द—3 महाअश्वशालाधिकृत

4 महाभाण्डागारिक

5 महासाधनिक

अथवा

1 महाराज

2 महासामन्त

3. महाकार्ताकृतिक

4 महादण्डनायक

5 महाप्रतिहार

अथवा

पचमहाशब्दपच महावाच्य आदि

ऐसे उपाधियों और नामों की एक लम्बी सूची बनायी जा सकती है और प्रत्येक की कालावधि ऐतिहासिक काल क्रमणिका में स्थिर की जा सकती है, तब ये काल-निर्धारण में अधिक सहायक हो सकते हैं ।

इसी प्रकार से अथ वैशिष्ट्य भी लेखन पद्धति में काल भेद से मिलते हैं, जिन्हें काल-साधिका में यथा-स्थान निबद्ध करना चाहिये और पांडुलिपि विज्ञानार्थी को स्वयं ऐसी कालक्रम तालिकाएँ बना लेनी चाहिये ।

इसी प्रकार अलकरण-विधान भी काल-क्रमानुसार मिलते हैं, अतः इनकी भी मूची प्रस्तुत की जा सकती है और काल-क्रम निर्धारित किया जा सकता है ।

अन्तरंग पक्ष - मूकम साक्ष्य

ऊपर स्थूल-पक्ष पर कुछ विस्तार से चर्चा की गई है । अब मूकम साक्ष्य पर भी संक्षेप में दिशा-निर्देश उचित प्रतीत होता है । मूकम साक्ष्य में वह सबकुछ समाहित किया जाता है जो स्थूल पक्ष में नहीं आ पाता । इसमें पहला साक्ष्य भाषा का है ।

भाषा

भाषा का विकास और रूप-परिवर्तन भी काल-विकास के साथ होता है, अतः भाषा का गम्भीर अध्ययन उसकी रूप-रचना और शब्द-सम्पत्ति तथा व्याकरणगत स्थिति के आधार पर विकास के विविध चरणों को बालाबोधों में बाँट कर, काल निर्धारण में सहायक के रूप में उसका उपयोग कर सकता है । इसका एक उदाहरण 'बसन्त विलास' के काल-निर्धारण का दिया जा सकता है । यह हम देख चुके हैं कि 'बसन्त-विलास' में काल विषयक पुष्पिका नहीं है । तब डॉ० माताप्रसाद गुप्त से पूर्व जिन विद्वानों ने 'बसन्त विलास' का सम्पादन किया था उन्होंने भाषा के साक्ष्य को ही महत्व दिया था । उनके तर्क को डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने संक्षेप में यों दिया है

“श्री व्यास (श्री कान्तिलाल बी० व्यास) ने 1942 में प्रकाशित ध्वनि पूर्वोक्त संस्करण में कृति की रचना-तिथि पर बड़े विस्तार से विचार किया है (भूमिका पृ० 29-37) । उन्होंने बताया है कि सं० 1517 के लगभग लिखते हुए रत्नमन्दिर गणि ने अपनी 'उपदेशतरंगिणी' में 'बसन्त-विलास' का एक दोहा उद्धृत किया है, और रचना की सबसे प्राचीन प्रति, जो कि चित्रित भी है, सं० 1508 की है, इससे स्पष्ट है कि रचना विक्रमीय 16वीं शती की प्रारम्भ में ही पर्याप्त ख्याति और लोकप्रियता प्राप्त कर चुकी थी ।” (यहाँ तक ब्राह्म साक्ष्यों का उपयोग किया गया है) “साथ ही उन्होंने लिखा है कि भाषा की दृष्टि से विचार करने पर कृति की तिथि की दूसरी सीमा सं० 1350 वि० मानी जा सकती है । भाषा-सम्बन्धी इस साक्ष्य पर विचार करने के लिए उन्होंने सं० 1330 में लिखित 'आराधना', सं० 1369 में लिखित 'अतिचार' सं० 1411 में लिखित 'सम्पत्कव कथानक' सं० 1415 में लिखित 'गोतम रास' सं० 1450 में लिखित 'मुग्धावबोध श्रौक्तिक', सं० 1466 में लिखित 'श्रावक अतिचार', सं० 1478 में लिखित 'पृथ्वी चन्द्र चरित्र' तथा सं० 1500 में लिखित 'नमस्कार बालावबोध' से उद्धरण देते हुए उनकी भाषाओं से 'बसन्त-विलास' की भाषा की तुलना की है और लिखा है कि 'बसन्त-विलास' की भाषा 'श्रावक अतिचार' (सं० 1466) तथा मुग्धावबोधश्रौक्तिक, (सं० 1450) से पूर्व की और 'सम्पत्कव कथानक' (सं० 1411) तथा 'गोतम रास' (सं० 1412) के निकट की ज्ञात होती है । इस भाषा सम्बन्धी साक्ष्य से तथा इस तथ्य से कि रत्नमन्दिर गणि के समय (सं० 1517) तक कृति ने पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी, यह परिणाम निकाला जा सकता है कि 'बसन्त विलास' की रचना सं० 1400 के आस-पास हुई थी । इसलिए मेरी राय में विक्रमीय 15 वीं शती का प्रथम चतुर्थांश ही (सं० 1400-1425) 'बसन्त विलास' का सम्भव रचनाकाल होना चाहिये (भूमिका पृ० 37)।”

1. गुप्त, माताप्रसाद (डॉ०)—बसन्त-विलास और उसकी भाषा, (भूमिका 1), पृ० 4 ।

डॉ० गुप्त के इस उद्धरण से स्पष्ट होता है कि 'वसन्त-विलास' के काल-निर्धारण में भाषा साक्ष्य के लिए 1330 से लेकर 1500 सावत् तक के काल युक्त प्रामाणिक ग्रन्थों को लेकर उनसे तुलनापूर्वक वसन्त विलास के काल का निर्धारण किया गया है। इसमें मुख्य साक्ष्य भाषा का ही है।

भाषा का साक्ष्य सहायक के रूप में अन्य साक्ष्यों और प्रमाणों के साथ या सकता है।

वस्तुविषयक साक्ष्य

वस्तु विषयक साक्ष्य में वस्तु सम्बन्धी बातें आती हैं, उदाहरणार्थ, भारत के नाट्य-शास्त्र के काल निर्धारण में एक तर्क यह दिया जाता है कि नाट्यशास्त्र में केवल चार अलंकारों का उल्लेख है कारणे महोदय ने लिखा है

“(h) All ancient writers on alankara, Bhatta (between 500-650 A C), Bhamaha, दण्डी, उद्भट, define more than thirty figures of speech, भरत defines only four, which are the simplest viz उपमा, दीपक, रूपक and यमक भरत gives a long disquisition on metres and on the prakrits and would not have scrupled to define more figures of speech if he had known them Therefore he preceded these writers by some centuries atleast The foregoing discussion has made it clear that the नाट्यशास्त्र can not be assigned to a later date than about 300 A C ”¹

इसमें काल-निर्धारण का आधार है

1. अलंकारों की संख्या
2. अलंकारों की सरल प्रकृति
3. ज्ञात प्राचीनतम अलंकार-शास्त्रियों द्वारा बताये गये संख्या में 35 अलंकार।
4. यदि भरत को चार से अधिक अलंकार विदित होते या उस काल में प्रचलित होते तो वह उनका वर्णन अवश्य करते, जैसे छन्द-शास्त्र और प्राकृत भाषाओं का किया है। निष्कर्ष—उन के समय चार अलंकार ही शास्त्र में स्वीकृत थे।
5. चार की संख्या से 35-36 अलंकारों तक पहुँचने में 200-300 वर्ष तो अपेक्षित ही हैं। यह कारणे महोदय का अपना अनुमान है—जिसके पीछे हैं नये अलंकारों की उद्भावना में लगने वाला सम्भावित समय।

स्पष्ट है कि यहाँ 'वस्तु के अर्थ' को आधार मान कर काल-निर्णय में सहायता ली गई है।

इसी प्रकार 'वस्तु' का उपयोग काल निर्धारण के लिए किया जा सकता है। पाणिनि के काल निर्धारण में डॉ० अग्रवाल ने वस्तुगत सदृशों से ही काल-निर्धारण किया है, उपनिषद्, श्लोक श्लोककार मस्कत नट सूत्र, शिशुक्रन्दीय, यमसभ्य, इन्द्रजननीय, अन्तरयन देश, दिष्ट मति, निर्वाण, कुमारी धमणा चौवरयते, श्रीतरायर्ष, श्रविष्ठा यवनानी लिपि तथा अन्य भी पाणिनि के सूत्रों में आने वाले शब्दों से काल-निर्धारण में

¹ Kaue, P V, Sahitya darpan-(Introduction), p XL.

सहायता ली गई है। ये सभी वर्ण्य वस्तु के भ्रम हैं। ये सभी भ्रम गत साहित्यिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, ज्योतिष आदि के उल्लेख हैं, अतः उनकी सहायता से इन शब्दों से काल-सन्दर्भ ढूँढा जा सका है।

तात्पर्य यह है कि काल-निर्धारण एक समस्या है, जिसे अत साध्य के आधार पर अनेक विधियों से सुलझाने का प्रयत्न किया जा सकता है। पांडुलिपि-विज्ञानार्थी को इस दिशा में सहायक सिद्ध हो सकने के लिए विविध विषयगत काल-क्रमानुसार तालिकाएँ प्रस्तुत करनी चाहिये।

वैज्ञानिक प्रविधि

काल-निर्धारण विषयक हमारा क्षेत्र 'पांडुलिपि' का ही है, किन्तु जब पांडुलिपि भूमि-गर्भ में दबी मिले और सन्-संवत् या तिथि आदि के जानने का कोई साधन न हो तो कुछ अन्य वैज्ञानिक साधनों का उपयोग किया जा सकता है, किया जाता है जैसे—मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सामग्री। इसके काल-निर्धारण के लिए एक प्रणाली तो पहले से प्रचलित थी, पृथ्वी पर जमे पत्तों के आधार पर

"As the result of excavations carried out at the statue of Ramses II, at Memphis in 1850, Horner ascertained that 1 feet 4 inches of mud accumulated since that monument had been erected, i.e. at the rate of $3\frac{1}{2}$ inches in the century"

इसी प्रकार भूमि के मिट्टी के पत्तों के अनुसार जिस गहराई पर वस्तु मिली है, उसका अनुमानिक काल निर्धारित किया जा सकता है, प्रायः किया भी जाता रहा है। यदि उस भूमि पर वृक्ष उगे हुए हैं तो वृक्षों के तने को काट कर देखने पर उसमें एक के ऊपर एक कितने ही पतं दिखाई पड़ते हैं, उनके आधार पर उस वृक्ष का भी समय निर्धारित किया जा सकता है। भूमि और वृक्ष दोनों के परतों से उस वस्तु का काल प्राप्त हो सकता है। ये दोनों ही प्रणालियाँ वैज्ञानिक हैं। ज्योतिष की गणना की पद्धति भी वैज्ञानिक ही है। पर अभी हाल ही में समुक्त राज्य के प्रो० एम० सी० लिथ्वी ने रेडियोऐक्टिव कार्बन से काल-निर्धारण की वैज्ञानिक विधि का उद्घाटन किया। टाटा इस्टीम्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक बम्बई स्थित संस्थान ने 1951 से 'रेडियो-कार्बन काल-निर्धारण विभाग' स्थापित कर रखा है, इसकी प्रयोगशाला में 'कार्बन' रेडियोधर्मिता के आधार पर काल-निर्धारण की विषय पद्धति विकसित करली है। इससे वस्तुओं के काल-निर्धारण का कार्य सम्पन्न किया जाता है। इसके परिणामों में 100 वर्षों का ही हेर-केर रहता है, अन्यथा बहुत ही ठीक काल ज्ञात हो जाता है।

इस अध्याय में हमने काल-निर्धारण सम्बन्धी समस्याओं, कठिनाइयों और उनके समाधान के प्रयत्नों का संक्षेप में उल्लेख किया है—यह उल्लेख भी संकेतरूप में ही है, केवल दिशा-निर्देशन के लिए। वस्तुतः व्यक्तियों की प्रतिभा अपनी समस्याओं और कठिनाइयों के समाधान के लिए अपना रास्ता स्वयं निकालती है।

कवि निर्धारण समस्या

कवि-निर्धारण की समस्या तो बहुत ही जटिल है। वितनी ही उलझनें उसमें आती हैं, कितने ही सूत्र गुंथे रहते हैं, वे सूत्र भी अनिश्चित प्रकृति वाले होते हैं।

इनसे कभी-कभी जटिल समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। कभी-कभी यह जानना कठिन हो जाता है कि कृति का कवि कौन है।

इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं।

1. कवि ने नाम ही न दिया हो जैसे ध्वन्यालोक में।
2. कवि ने नाम ऐसा दिया हो कि वह सन्देहास्पद लगे।
3. कवि ने कुछ इस प्रकार अपने नाम दिये हो कि प्रतीत हो कि वे अलग-अलग कवि हैं—एक कवि नहीं—सूरदास, सूर, सूरज आदि या ममारिक और मुबारक या नारायणदास और नाभा।
4. कवि का नाम ऐसा हो कि उसके ऐतिहासिक अस्तित्व का सिद्ध न किया जा सके, यथा, चन्दबरदायी।
5. ग्रन्थ सम्मिलित कृतित्व हो, कहीं एक कवि का तो कहीं दूसरे का नाम दिया गया हो। जैसे—'प्रवीण सागर' का।
6. ग्रन्थ अप्रामाणिक हो और कवि का जो नाम दिया गया हो, वह झूठा हो यथा—'मूल गुसाई चरित', बाबा बेणीमाधवदास कृत।
7. कवि में पूरक कृतित्व हो इससे यथार्थ वे सम्बन्ध में भ्रान्ति होती हो, जैसे—चतुर्भुज का मधुमालती और पूरक कृतित्व उसमें गोयम का।
8. विद्वानों में किसी ग्रन्थ के कृतिकार कवि के सम्बन्ध में परस्पर मतभेद हो।
9. ग्रन्थ के कई पक्ष हो, यथा—मूल ग्रन्थ, उसकी वृत्ति और उसकी टीका। हो सकता है मूल ग्रन्थ और वृत्ति का लेखक एक ही हो या अलग-अलग हो—जिससे भ्रम उत्पन्न होता हो। उदाहरणार्थ ध्वन्यालोक की कारिका एवं वृत्ति।
10. लिपिकार को ही कवि समझ लेने का भ्रम, आदि। ऐसे ही और भी कुछ कारण दे सकते हैं।

एक उदाहरण लें—संस्कृत में 'ध्वन्यालोक' के लेखक के सम्बन्ध में समस्या खड़ी हुई। 'ध्वन्यालोक' का अलंकार-शास्त्र या साहित्य शास्त्र के इतिहास में वही महत्व है जो पाणिनि की अष्टाध्यायी का भाषा-शास्त्र में और वेदान्तसूत्र का वेदान्त में। ध्वन्यालोक से ही साहित्य-शास्त्र का ध्वनि-सम्प्रदाय प्रभावित हुआ। ध्वन्यालोक के तीन भाग हैं। पहले में हैं 'कारिकाएँ', दूसरे में हैं वृत्ति, यह गद्य में कारिकाओं की व्याख्या करती है, तीसरा है उदाहरण।—इन उदाहरणों में से अधिकांश पूर्वकालीन कवियों के हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि ये तीनों अथवा एक लेखक के लिखे हुए हैं या दो के। दो इसलिए कि वृत्ति और उदाहरण वाले अथवा तो निःसन्देह एक ही लेखक के हैं, अतः मुख्य प्रश्न यह है कि क्या कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही व्यक्ति हैं? यह प्रश्न इसलिए जटिल हो जाता है कि 'ध्वन्यालोक' के 150 वर्ष बाद अभिनवगुप्त पादाचार्य ने इस पर लोचन नामक टीका लिखी और ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें उन्होंने धानन्दबर्धन को वृत्तिकार माना है, कारिकाकार नहीं,।

इस 'ध्वन्यालोक' की पुष्पिका में इसका नाम 'सहृदयालोक' भी दिया गया है और काव्यालोक भी। 'सहृदयालोक' के आधार पर एक विद्वान¹ ने यह सुझाव दिया कि 'सहृदय' कवि का या लेखक का नाम है इसी ने कारिकाएँ लिखी। 'सहृदय' को कवि मानने में प्रो० सोवानी न लोचन के इन शब्दों का सहारा लिया है 'सरस्वत्यास्तस्य कविसहृदयाख्य विजयनात्।' यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ सहृदय का अर्थ सहृदय अर्थात् साहित्य का आलावक या वह जो हृदय के गुणों से युक्त है, हो सकता है। 'कवि सहृदय' का अर्थ 'सहृदय' नाम का कवि नहीं वरन् कवि एव सहृदय व्यक्ति है। 'सहृदय' के द्वयर्थक होने से किसी निर्णय पर निश्चयपूर्वक नहीं पहुँचा जा सकता।

किन्तु सहृदय नामक व्यक्ति ध्वनि सिद्धान्त का प्रतिपादक था इसका ज्ञान हमें 'अभिधावृत्ति भातृका' नामक ग्रन्थ से, मुकुल और उसके शिष्य प्रतिहारेन्दुराज के उल्लेखों से विदित होता है। तो क्या कारिका का लेखक 'सहृदय' था।

राजशेखर के उल्लेखों से यह लगता है कि आनन्दवर्धन ही कारिकाकार है और वृत्तिकार भी—अर्थात् कारिका और वृत्ति के लेखक एक ही व्यक्ति हैं।

उधर प्रतिहारेन्दुराज यह मानते हुए कि कारिकाकार 'सहृदय' है, आगे इंगित करते हैं कि वृत्तिकार भी 'सहृदय' ही है ?

प्रतिहारेन्दुराज ने आनन्दवर्धन के एक पद्य को 'सहृदय' का बताया है। उधर 'वक्रोक्ति जीवितकार' ने आनन्दवर्धन को ही ध्वनिकार माना है। समस्या जटिल हो गई—क्या सहृदय कोई व्यक्ति है ? लगता है, यह व्यक्ति का नाम है। तब क्या यही कारिकाकार है और वृत्तिकार भी। या वृत्तिकार आनन्दवर्धन हैं, और क्या वे ही कारिकाकार भी हैं ? क्या कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही व्यक्ति हैं या दो अलग-अलग व्यक्ति हैं ?

इस विवरण से यह विदित होता है कि समस्या खड़ी होने का कारण है

- 1 कवि ने ध्वन्यालोक में कही अपना नाम नहीं दिया।
- 2 एक शब्द 'सहृदय' द्वयर्थक है—व्यक्ति या कवि का नाम भी हो सकता है और सामान्य अर्थ भी इससे मिलता है।
- 3 किसी ने यह माना कि कारिकाकार और वृत्तिकार एक है और वह सहृदय है, नहीं वह आनन्दवर्धन है, एक अन्य मत है।
- 4 किसी ने माना कारिकाकार भिन्न है और वृत्तिकार भिन्न है।

इन सबका उल्लेख करते हुए और खण्डन-मण्डन करते हुए काणे महोदय ने निष्कर्षतः लिखा है कि

"At present I feel inclined to hold (though with hesitation) that the लोचन is right and that प्रतिहारेन्दुराज, महिमभट्ट, क्षेमेन्द्र and others had not the correct tradition before them. It seems that सहृदय was either the name or title of the कारिकाकार and that आनन्दवर्धन was his pupil and was very closely associated with him. This would serve to explain the confusion of authorship that arose within a short time. Faint indications of this relationship may be traced in the ध्वन्यालोक. The word 'सहृदय' भना

प्रीतये' in the first कारिका is explained in the वृत्ति as 'रामायणमहाभारत प्रभृ-
त्तिनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्ध व्यवहार लक्ष्यता सहृदयानामानन्दो मनसि लभता प्रतिष्ठामिति
प्रकाशयते'. It will be noticed that the word प्रीति is purposely rendered by
the double meaning word आनन्द (pleasure and the author आनन्द) The
whole sentence may have two meanings 'may pleasure find room in the
heart of the men of taste etc' and 'may आनन्द (the author) secure
regard in the heart of the (respected) सहृदय who defined (the nature of
ध्वनि) to be found in the रामायण &c' Similarly the words सहृदयोदयलाभ
हेतो in the last verse of the वृत्ति may be explained as 'for the sake of
the benefit viz the appearance of man of correct literary taste' or 'for
the sake of securing the rise (of the fame) of सहृदय (the author).¹

काणे महोदय के उक्त अवतरण से स्पष्ट है कि विविध साक्ष्यों, प्रमाणों से उन्हे
यही समीचीन प्रतीत हुआ कि 'सहृदय' और 'आनन्दध्वनि' को अलग-अलग मानें, सहृदय
और आनन्द में गुरु-शिष्य जैसा निकट-सम्बन्ध परिकल्पित करें, और 'सहृदय' एवं 'प्रीति'
जैसे शब्दों को श्लेष मानकर एक अर्थ को 'सहृदय' नाम के व्यक्ति तथा दूसरे को 'आनन्द'
नाम के व्यक्ति के लिए प्रयुक्त मानें। कवि ने 'सहृदय' की ध्वनिकार का नाम नहीं माना,
'उपाधि' माना है, क्योंकि 'ध्वनि' में 'सहृदय' शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है, इसलिए उन्हे
यह उपाधि दी गई। उपाधि दी गई या 'सहृदय' उपाधि है। इसका कोई अन्य वाह्य या
अन्तरंग प्रमाण नहीं मिलता।

जो भी हो, इस उदाहरण से कवि-निर्धारण विषयक समस्या और समाधान की
प्रक्रिया का कुछ ज्ञान हमें होता है।

कभी दो कवियों के नाम साम्य के कारण यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि अमुक कृति
किस कवि की है।

'काल-निर्धारण' के सम्बन्ध में 'बीसलदेव रासो' का उल्लेख हो चुका है। कुछ
विद्वानों ने यह स्थापना की कि बीसलदेव रासो का रचयिता 'नरपति' वही 'नरपति' है जो
गुजरात का एक कवि है जिसने स० 1548 ई० तथा 1503 ई० में दो अन्य ग्रन्थों की
रचना की। इन विद्वानों ने दोनों को एक मानने के लिए दो आधार लिये—

- 1—भाषा का आधार, और
- 2—कुछ पक्तियों का साम्य

इस स्थापना को अन्य विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। उनके आधार में रहे—

- 1—नाम— गुजराती नरपति ने कहीं भी 'नाह्ल' शब्द अपने नाम के साथ नहीं
जोड़ा, जैसा कि बीसलदेव रासो के कवि ने किया है।
- 2—भाषा— भाषा 'बीसलदेव' रास की 16 वीं शती की नहीं, 14 वीं शती की
है।

3—साम्य- (क) कुछ पक्तियों में ऐसा साम्य है जो उस युग के कितने ही कवियों में मिल सकता है ।

(ख) जो सात पक्तियाँ तुलनायें दी गई हैं, उनमें से चार वस्तुतः प्रक्षिप्त ग्रन्थ की हैं, शेष तीन का साम्य बहुत साधारण है, जिसे यथार्थ में साधारण नहीं बनाया जा सकता ।

4-विषय भेद-गुजराती नरपति की दोनो रचनाएँ जैन धर्म गम्भीर हैं । ये जैन धर्म, धर्म वस्तु की प्रकृति और कवि के विश्वास-क्षेत्र में स्पष्ट अंतर होने से दोनो एक नहीं हो सकते ।

यह विवाद यह स्पष्ट करता है कि एक नाम में कई कवि हो सकते हैं और उससे कौनसी रचना किस कवि की है, यह निर्धारण करना शकित हो जाता है । नाम साम्य के कारण कई भ्रान्तियाँ खड़ी हो सकती हैं, यथा-एक 'भूषण' विषयक समस्या को उदाहरणार्थ ले सकते हैं 'भूषण' कवि का नाम नहीं उपाधि है । भक्त खोजकर्ताओं ने 'भूषण' का असली नाम क्या था, इस पर अटकलें भी लगायीं । जब एक विद्वान को 'मुरलीधर कवि भूषण' की कृतियाँ मिलीं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने घोषित किया कि 'भूषण' का मूल नाम 'मुरलीधर' था । इस प्रकार यह भ्रम प्रस्तुत हुआ कि 'भूषण' और 'मुरलीधर कवि भूषण' दोनो एक हैं । तब अन्तरंग और बाह्य साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकाला गया कि दोनो कवि भिन्न हैं । कबो भिन्न हैं, उसके कारण तुलनापूर्वक निम्नलिखित बताये गये हैं

महाकवि भूषण

मुरलीधर कवि भूषण

- | | |
|---|--|
| 1. इनके पिता का नाम रत्नाकर है । | 1 इनके पिता का नाम रामेश्वर है । |
| 2 इनका स्थान त्रिविक्रमपुर (तिकवापुर) है तथा गुह का नाम धरनीधर था । | 2 इन्होंने स्थान का नाम नहीं दिया । |
| 3 इनके आश्रयदाता हृदयराम सुत रुद्र न इन्हे 'भूषण' की उपाधि दी । "कुल मुलक चित्रकूट पति साहस शील समुद्र । कवि भूषण पदधी दई हृदयराम सुत रुद्र ।" (शिवराज भूषण)। | 3. इनके आश्रयदाता देवी सिंह देव ने इन्हे 'कवि भूषण' की उपाधि दी । |
| 4 इनके एक आश्रयदाता शिवाजी थे । | 4 इनके एक आश्रयदाता हृदयशाह गढ़ाधिपति थे । |
| 5 इन्होंने केवल अलंकार ग्रन्थ लिखा जिसका वर्ष इतना अलंकार नहीं जितना शिवराज का यशवर्णन था । | 5 इन्होंने रस, अलंकार और पिंगल तीनों पर रचना की । पिंगल को इन्होंने कृष्ण-चरित बना दिया है । |
| 6 इनका रचना काल 1730 के लगभग है । | 6 इनका रचना-काल 1700-1723 है । |
| 7 इनकी भनिता है 'भूषण भनत' और अवि-काश इन्होंने इसी रूप में या केवल भूषण नाम से छाप दी है । | 7 इन्होंने 'कविभूषण' छाप बहुधा दी है । कभी-कभी केवल 'भूषण' छाप भी है, 'भनत' शब्द का प्रयोग सम्भवतः नहीं किया । |
| 8 इन्होंने अपने ग्रन्थों को 'भूषण' नाम दिया । | 8 इन्होंने अपने समस्त ग्रन्थों को 'प्रवात' नाम दिया । |

महाकवि भूषण

मुरलीधर कवि भूषण

- | | |
|--|--|
| <p>9 इनकी प्राप्त सभी रचना वीररस की है ।</p> <p>10 रचना के ग्रन्थ के अन्त की कथा या ग्रन्थ के अन्त की पुष्पिका बहुत सामान्य है, अतः 'कविभूषण' की पद्धति से बिल्कुल भिन्न है ।</p> <p>11 ये शिवाजी के भक्त थे, शिवाजी को अवतार मानने वाले ।</p> | <p>9 इनकी रचना में शृंगार और कृष्ण चरित का प्राधान्य है ।</p> <p>10 इनकी पुष्पिका में आश्रयदाता का विशद वर्णन तथा अपने पूरे नाम मुरलीधर कवि भूषण के साथ पिता के नाम का भी उल्लेख है ।</p> <p>11 ये कृष्ण-भक्त थे ।¹</p> |
|--|--|

कोई-कोई कृति किसी कवि विशेष के नाम से रची गई होती है पर उस कवि का ऐतिहासिक अस्तित्व कहीं न मिलने पर यह कह दिया जाता है कि यह नाम ही बनावटी है । पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक, 16वीं-17वीं शती का और प्रक्षिप्त मानने के लिए जब विद्वान चल पड़े तो यह भी किसी ने कह दिया कि इतिहास से किसी ऐसे चन्द का पता नहीं चलता जो पृथ्वीराज जैसे सम्राट का लँगोटिया यार रहा हो और पृथ्वीराज पर ऐसा प्रभाव रखता हो जैसा रासो से विदित होता है और जा सिद्ध कवि है । अतः यह नाम मात्र किमी चतुर की कल्पना का ही फल है, किन्तु एक जैन ग्रन्थ म चन्दबरदायी के कुछ छन्द मिल गये तो मुनि जिनविजय जी ने यह मिथ्या धारणा खण्डित कर दी । तो अब चन्द-बरदायी का अस्तित्व दो बाह्य साधन से सिद्ध हो गया । रासो फिर भी खटाई म पडा हुआ है ।

इसी प्रकार की समस्या तब खड़ी होती है जब एक कवि के कई नाम मिलते हैं—जैसे महाकवि सूरदास के सूरसागर के पदों में 'सूरदास' 'सूरधाम', 'सूरज', 'सूरस्वामी' आदि कई छापें मिलती हैं । क्या ये छापें एक ही कवि की हैं या अलग अलग छाप वाले पद अलग अलग कवियों के हैं । यद्यपि आज विद्वान प्रायः यही मानते हैं कि ये सभी छापें 'सूरदास' की हैं फिर भी, यह समस्या तो है ही और इन्हे एक कवि की ही छापें मानने के लिये प्रमाण और तर्क तो देने ही पड़ते हैं ।

'नलदमन' नामक एक काव्य को भी सूरदास का लिखा बहुत समय तक माना गया, किन्तु बाद में जब यह ग्रन्थ प्राप्त हो गया तब विदित हुआ कि इसके लेखक सूरदास सूफी हैं, और महाकवि सूरदास से कुछ शताब्दी बाद में हुए । अब यह ग्रन्थ क० मु० हिन्दी तथा भाषा-विज्ञान विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा से प्रकाशित भी हो गया है ।

अतः हमने देखा कि कितनी ही प्रकार से 'कवि' कौन है या कौनसा है की समस्या भी पाहुल्लिपि विज्ञानार्थी के लिये महत्त्वपूर्ण है ।

एक और प्रकार से यह समस्या सामन आती है कवि राज्याश्रय में या किसी अन्य व्यक्ति के आश्रय में है । ग्रन्थरचना कवि स्वयं करता है, पर उस कृति पर नाम-छाप अपने आश्रयदाता की देता है । इसके कारण यह निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है कि वस्तुतः उसका रचनाकार कौन है ?

उदाहरण के लिये 'शृंगारमञ्जरी' ग्रन्थ है, कुछ लोग इसे 'चिन्तामणि' कवि की रचना मानते हैं, कुछ उनके आश्रयदाता 'बड़े साहिब' धकवर साहिब की । इस सम्बन्ध में

1. ब्रह्मेन्द्र (सं.)—बड़े साहिब का इतिहास, पृ० 366 ।

ब्रज साहित्य के इतिहास से ये पक्तियाँ उद्धृत करना समीचीन प्रतीत होता है।¹

‘कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि यह शृंगारमजरी बड़े साहिब अकबर साहि की लिखी हुई है, क्योंकि पुस्तक के बीच-बीच में बड़े साहिब का उल्लेख है, परन्तु ध्यान से देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह ग्रन्थ चिन्तामणि ने बड़े साहिब अकबर साहि के लिये लिखा। इसके अन्त का उदाहरण है

‘इति श्रीमान् महाराजघिराज मुकुटतटघटित मनि प्रभाराजिनी राजित चरणराजीव साहिराज गुरुराज तनुज बड़े साहिब के अकबर साहि विरचिता शृंगार मजरी समाप्ता।’

निश्चय है कि लेखक स्वयं अपने लिए इस प्रकार से विशेषण नहीं लिख सकता था। ये विशेषण बड़े साहिब के लिए ‘चिन्तामणि’ ने ही प्रयुक्त किये होंगे। ‘शृंगार मजरी’ के प्रारम्भिक छंदों में ‘चिन्तामणि’ का नाम भी आया है, यथा -

सोहत है सतत विबुधन सौं मडित बहे कवि चिन्तामनि सब सिद्धिन को घर ।
पूरन के लाख अभिलाप सब लोगनि के जाके पचसाख सदा लानत कनक भर ।।
सुन्दर सरूप सदा सुमन मनोहर है जाके दरसन जग नैननि को तापहर ॥
पीर पातसाहि साहिराज रत्नाकर ते प्रकटित भये हैं बड़े साहिब बरूपतर ।

इन्हीं बड़े साहिब को ‘शृंगार मजरी’ के रचयिता के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए चिन्तामणि ने लिखा है—

“गुरुपद कमल भगति माद मगन ह्वं सुवरन जुगल जवाहिर सचत है”

“निज मत ऐसी”

“भाँति थापित करत जाते औरनि के मत लधु लागत लचत है” ।

“सकल प्रवीन ग्रन्थ लपनि विचारि कहे चिन्तामणि रस के समूहन सचत है” ।

“साहिराज नन्द बड़े साहिब रसिकराज शृंगार मजरी’ ग्रन्थ रूचिर रचत है” ।

इससे प्रकट होता है कि यह ग्रन्थ बड़े साहिब के लिये उनके नाम पर चिन्तामणि ने ही लिखा। अपने आश्रयदाता के नाम से ग्रन्थ प्रारम्भ और समाप्त करने की परिपाटी उस समय प्रचलित थी। डॉ० नगेन्द्र की माय्यता है कि “यह ग्रन्थ बड़े साहिब ने मूलतः आद्य की भाषा में रचा, फिर संस्कृत में अनूदित हुआ। उसकी छाया पर चिन्तामणि ने रचा।” यह भी सम्भव है।

ऐसे ही यह प्रश्न उठा है कि ‘ममारिख’ और ‘मुबारक’ छाप वाले कवि दो हैं या एक ही हैं। एक ही पद्य में एक सग्रह में ‘मुमारिख’ का प्रयोग हुआ है और दूसरे सग्रह में एक छाप है ‘मुबारक’ तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों नाम एक ही के हैं। ‘मुबारक’ ही उच्चारण भेद से ‘मुमारख’, या ‘ममारिख’ हो गया है, किन्तु उक्त प्रमाण अपने आपमें प्रबल नहीं है। कुछ और भी प्रमाण ढूँढने होंगे कि तर्क अकाट्य हो जाय। पूरक कृतित्व में भी कवि विषयक भ्रान्ति हो सकती है।

चतुर्भुजदास कृत ‘मधुमालती’ में दो पूरक कृतित्व हुए हैं 1—माधव नाम के कवि द्वारा, 2—गोयम (गौतम) कवि द्वारा।

पूरक कृतित्व में किसी पूर्व के या प्राचीन ग्रन्थ में किसी कवि को कोई कमी दिखाई

पडती है तो वह उसकी पूर्ति करने के लिये अपनी ओर से कुछ प्रसंग बढ़ा देता है, और इसका उल्लेख भी वह कही या पुष्पिका म कर देता है। गोयम कवि ने उस प्रसंग का उल्लेख कर दिया है, जो उसने जोड़े है, अतः उसके कृतिस्त्व को 'चतुर्भुजदास' के कृतिस्त्व से अलग किया जा सकता है, और यह निर्देश किया जा सकता है कि किस अश का कवि कौन है।

पर 'प्रक्षेपो के सम्बन्ध म यह बताना सम्भव नहीं। प्रक्षेप वे अश होते हैं जो कोई अन्य कृतिकार किसी प्रसिद्ध ग्रन्थ मे किसी प्रयोजन से बढ़ा देता है और अपना नाम नहीं देता। आज पाठालोचन की वैज्ञानिक प्रक्रिया से प्रक्षेपो को अलग तो किया जा सकता है पर यह बताना असम्भव ही लगता है वह अश किस कवि ने जोड़े हैं।

कभी-कभी एक और प्रकार से कवि निर्धारण सम्बन्धी समस्या उठ खड़ी होती है। वह स्थिति यह है कि रचनाकार का नाम तो मिलता नहीं पर लिपिकार ने अपना नाम आदि पुष्पिका मे विस्तार से दिया है। कभी-कभी लिपिकार को ही कृतिकार समझने का भ्रम हो जाता है अतः लिपिकार कौन है और कृतिकार कौन है, इस सम्बन्ध मे निर्णय करने के लिए ग्रन्थ की सभी पुष्पिकाओं को बहुत ध्यानपूर्वक देखना होगा तथा ग्रन्थ प्रमाणों की भी सहायता लेनी होगी।

कभी मूल पाठ मे आये कवि नाम का अर्थ सदिग्ध रहता है। यद्यपि एक परम्परा उसका ऐसा अर्थ स्वीकार कर लेती है, जो शब्द से सिद्ध नहीं होता, यथा-सन्देश 'रासक' मे कवि का नाम 'अद्दहमाण दिया हुआ है, 'सन्देशरासक' की दो सस्कृत टीकाओं मे अद्दहमाण का 'अब्दुलरहमान' मूल रूप स्वीकार किया है। उनके पास कवि को 'अब्दुलरहमान' मानने का क्या आधार था, यह विदित नहीं। शब्द स्वयं इस नाम को सकेतित करने मे भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ असमर्थ है। अब्दुल का 'अद्' और रहमान का 'हमाण' कैसे हुआ होगा। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी को यह टिप्पणी देनी पड़ी है—'किन्तु यहाँ भी कवि ने शब्द गठन मे कुछ स्वतन्त्रता का परिचय दिया है। अब्दुल रहमान मे रहमान मुख्य पद है। इसमे से आरम्भ के अक्षर का छोड़ना उचित नहीं था।' डॉ० द्विवेदी ने यह टिप्पणी यही मान कर की है कि सस्कृत टीकाकारा ने जो नाम सुझाया है 'अब्दुल रहमान' वह ठीक है। कवि अपने नाम के साथ भी श्लेष के मोह से खिलवाड़ कर सकता है और उसको कोई विकृत रूप दे सकता है, यह कुछ अधिक जचने वाली बात नहीं लगती। हो सकता है 'अद्दहमाण' 'अब्दुलरहमान' न होकर कुछ और नाम हो। समस्या तो यह है ही। कुछ ने इसे समस्या ही माना है, पर क्योकि कोई और उपयुक्त समाधान सप्रमाण नहीं है, अतः लकीर पीटी जा रही है ?

तो पाठ का रूप ही ऐसा हो सकता है कि या तो कवि का नाम ठीक प्रकार से निकाला ही न जा सके, या जो निकाला जाय वह पूर्णतः सतोपप्रद न हो तो भागे अनुसंधान की अपेक्षा रहती है।

इसी प्रकार किसी काव्य की कवि ने स्पष्ट रूप से कोई पुष्पिका न दी हो, जिसमे कवि-परिचय हो या कवि का नाम ही हो, तो भी कवि का नाम उसकी छाप से जाना जा सकता है, पर ऐसी भी कृतियाँ हो सकती हैं, जिनमे कुछ शब्द इस रूप म प्रयुक्त हुए हों कि वे नाम-छाप से लगे, उदाहरणार्थ 'वसन्त विलास' मे कवि ने आरम्भ किया है कि मैं

पहले सरस्वती की भजना करता हूँ फिर 'बसन्त विलास' की रचना करता हूँ, पर कही भ्रपना नाम या भ्रपती नाम छाप नहीं दी। किन्तु दो शब्द कुछ इस रूप में प्रयुक्त हुए हैं कि उन्हें नाम-छाप भी मान लिया जा सकता है। एक है 'त्रिभुवन', दूसरा 'गुणवन्त'। डॉ० गुप्त द्वारा सम्पादित ग्रन्थ में सहा 3 के छंद में—

बसन्त तणा गुण महमह्या सवि सहकार ।

• त्रिभुवनि जय जयकार पिकारव करइ भगार ॥²

छंद—17

बनि बिलसई श्रीम नन्दनु चन्दन चन्द चु मीत ।

रति भनइ प्रीतिसिउ सोहए मोहए त्रिभुवन चीतु ॥³

इन दोनों छंदों में 'त्रिभुवन' कवि की नाम-छाप जैसा लगता है, क्योंकि इसकी यहाँ ग्रन्थ सार्थकता विशेष नहीं। 'त्रिभुवन' शब्द यहाँ भी न हो तो भी भ्रम पूरा मिलता है। पहले में 'कोकिल जयजयकार कर रहा है स भ्रम पूरा हो जाता है। त्रिभुवन या तीनों लोकों में जय जयकार कर रहा है, स कोई विशेष अभिप्राय प्रकट नहीं होता। इसी प्रकार दूसरे छंद में चित्त को मोहता ह स भ्रम पूरा है। 'त्रिभुवन' का 'चित्त मोहता' है म 'त्रिभुवन' कवि छाप स सार्थकता रखता प्रतीत होता है, 'तीनों लोका का चित्त मोहित करता है' या मोहित होता है म कोई वैशिष्ट्य नहीं लगता।

इसी प्रकार अन्तिम 84वें छंद में 'गुणवन्त' शब्द आया है :

इणि परि साह ति रीभवी सीभवी भणई ठाँइ

धन धन ते गुणवन्त बसन्त विलासु जे गाइ ॥³

इसमें अन्तिम पंक्ति का यह भ्रम अधिक सार्थक लगता है कि गुणवन्त नामक कवि कहता है कि वे धन्य हैं जो बसन्त विलास गायेंगे। इसका यह भ्रम करना कि 'वे गुणवन्त जो बसन्त विलास गायेंगे धन्य होंगे उतना समीचीन नहीं लगता क्योंकि 'गुणवन्त' शब्द के इस भ्रम में कोई वैशिष्ट्य नहीं प्रतीत होता है। यदि यह बसन्त विलास का अन्तिम छंद माना जाय, जैसा डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने माना है तो काव्यान्त में गुणवन्त कवि की छाप ही, यह सम्भावना और बढ़ जाती है। यह प्रस्ताविक उक्ति (Hypothesis) ही है क्योंकि—

- 1 किसी ग्रन्थ विद्वान ने इन्हें नाम छाप के लिये स्वीकार नहीं किया। इसके रचनाकार कवि का नाम सोचन का प्रयास नहीं किया।
- 2 'नाम' के अतिरिक्त जो इस शब्द का भ्रम होता है वह भ्रम उतना सार्थक भले ही न हो, पर भ्रम देता है ही।
- 3 ऊपर जो तर्क दिये गये हैं उनकी पुष्टि में कुछ और ठोस तर्क तथा प्रमाण होने चाहिये। 'त्रिभुवन' या 'गुणवन्त' नाम के कवियों की विशेष खोज करनी होगी।

1 गुप्त, माताप्रसाद (डॉ०) बसन्त विलास और उसकी भाषा, पृ० 19

2 कही पृ० 21

3 कही पृ० 29

शब्द और अर्थ की समस्या

पाण्डुलिपि-विज्ञान की दृष्टि से अब तक जो चर्चाएँ हुई हैं वे महत्त्वपूर्ण हैं, इसमें मन्देह नहीं। पर, ये सभी प्रयत्न पाण्डुलिपि की मूल समस्या अथवा उनके मूल-रूप तक पहुँचने के लिए सोपानों की भाँति थे। पाण्डुलिपि का लेखन, लिप्यासन, लिपि, काल या कवि मात्र से सम्बन्ध नहीं, उसका मूल तो ग्रन्थ के शब्दों में है, अतः 'शब्द और अर्थ' पाण्डुलिपि में यथार्थतः सबसे अधिक महत्त्व रखते हैं।

शब्द और अर्थ में शब्द भी एक सोपान ही है। यह सोपान ही हमें कृतकार के अर्थ तक पहुँचाता है। शब्द के कई प्रकार के भेद किये गये हैं।

शब्द भेद

एक भेद है 'रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़'। यह भेद शब्द के द्वारा अर्थ-प्रदान की प्रक्रिया को प्रकट करता है। ये प्रक्रियाएँ तीन प्रकार की हो सकती हैं

रूढ़-शब्द का एक मूल रूप मानना होगा, यह मूल शब्द कुछ अर्थ रखता है, और उस शब्द के मूल रूप के साथ यह अर्थ 'रूढ़' हो गया है। सामान्यतः इस शब्द-रूप से मिलने वाले रूढ़ अर्थ के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं उठता कि 'घोड़ा' जो अर्थ देता है, क्यों देता है? 'घोड़ा' शब्द-रूप का जो अर्थ हमें मिलता है, वह रूढ़ है क्योंकि इन दोनों का अभिन्न सम्बन्ध न जाने कब से इसी प्रकार का रहा है, अतः शब्द के साथ उसका अर्थ परम्परा या रूढ़ि से सर्वमान्य हो गया है। इसी प्रकार 'विद्या' भी रूढ़ शब्द है और 'बल' भी वैसा ही किन्तु 'विद्याबल', 'विद्यार्थी', 'विद्यालय' आदि शब्दों के अर्थ में प्रक्रिया कुछ भिन्न है। यहाँ रूढ़ शब्द तो है ही पर एक से अधिक ऐसे शब्द परस्पर मिल गये हैं, इनका याग हो गया है, अतः ये यौगिक हो गये हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द अपने रूढ़ अर्थ के साथ परस्पर मिला है, और ये परस्पर मिलकर यानी 'यौगिक' होकर अर्थाभिव्यक्ति को वैशिष्ट्य प्रदान करते हैं। 'विद्या-बल' से उस शक्ति का अर्थ हमें मिलता है जो विद्या में अन्तर्निहित है, और विद्या में से विद्या के द्वारा प्रकट हो रहा है।

तीसरी प्रक्रिया में दो या अधिक शब्द परस्पर इस प्रकार का योग करते हैं कि उनके द्वारा जो अर्थ मिलता है, वह निमायक शब्दों के रूढ़ार्थों से भिन्न होता हुआ भी, रूप में यौगिक उस शब्द को, एक अलग रूढ़ार्थ प्रदान करता है, यथा जलजे शब्द जल+ज (= उत्पन्न) दो शब्दों का 'यौगिक' है, यौगिक अर्थ में जल से उत्पन्न सभी वस्तुएँ, मछली, सीप, मृगा, मोती, इससे साकेतिक होगी, किन्तु इसका अर्थ 'कमल' नाम का पुष्प विशेष होता है। उसका यह अर्थ इस शब्द के रूप के साथ रूढ़ हो गया है। जल+ज का अर्थ जल से उत्पन्न माती, सीप, घोड़े, सेवार आदि सभी ग्राह्य हो तो शब्द यौगिक रहेगा पर केवल पुष्प विशेष से इसका अर्थ रूढ़ि ने बाँध दिया है, अतः इसे 'योगरूढ़' कहा जाता है।

शब्द के ये भेद अर्थ-प्रक्रिया की समझने में सहायक हो सकते हैं, पर ये भेद

पांडुलिपि-विज्ञानार्थों के लिए सीधे-सीधे उपयोगी नहीं हैं, और पांडुलिपि-विज्ञान की दृष्टि से सीधे-सीधे ये भेद कोई समस्या नहीं उठाते। आधुनिक भाषा-वैज्ञानिकों के लिए प्रत्येक भेद समस्याओं से युक्त है। 'शब्द' का रूप और उसके साथ अर्थों की रूढ़ता स्वयं एक समस्या है।

फिर व्याकरण की दृष्टि से सज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के भेद भी हमें यहाँ इष्ट नहीं, क्योंकि इनका क्षेत्र भाषा और उसका शास्त्र है।

शब्दों के भेद विविध शास्त्रों के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार किये जाते हैं। यहाँ संक्षेप में इन विविध भेदों की संकेत रूप में एक तालिका दे देना उपयोगी होगा। ये इस प्रकार हैं—

शास्त्र एवं विषय

शब्द-भेद

1. व्याकरण, रचना एवं गठन	1. रूढ़, 2. यौगिक, (अतःकेन्द्रित) एवं 3. योगरूढ़ (बहिःकेन्द्रित)
2. व्याकरण : भाषा-विज्ञान बनावट	1. समास शब्द, 2. पुनरुक्त शब्द, 3. अनुकरण मूलक, 4. अनर्गल शब्द, 5. अनुवाद युग्म शब्द, 6. प्रतिध्वन्यात्मक शब्द।
3. व्याकरण + भाषा-विज्ञान : शब्द विकास	1. तत्सम, 2. अर्द्ध-तत्सम, 3. तद्भव, 4. देशज, 5. विदेशी।
4. व्याकरण . कोटिगत	(क) 1. नाम, 2. आख्यात, 3. उपसर्ग, 4. निपात।
कोटिगत (शब्दभेद)	(ख) 1. सज्ञा, 2. सर्वनाम, 3. विशेषण, 4. क्रिया, 5. क्रिया विश्लेषण, 6. समुच्चय बोधक, 7. सम्बन्ध सूचक, 8. विस्मयादि-बोधक।
5. प्रयोग सीमा के आधार पर (विशेषतः पारिभाषिक)	1. काव्य शास्त्रीय, 2. संगीतशास्त्रीय, 3. सौन्दर्यशास्त्रीय, 4. ज्योतिषशास्त्रीय आदि विषय सम्बन्धी।
6. अर्थ-विज्ञान	1. समानार्थी (पर्यायवाची), 2. एकार्थ-वाची, 3. नानार्थवाची (अनेकार्थी), 4. समान-रूपी भिन्नार्थवाची (श्लेषार्थी) आदि।
7. काव्य-शास्त्र	वाचक, लक्षक और व्यञ्जक

हमारा क्षेत्र है पांडुलिपि में भाष्ये या लिखे गये शब्द, जो लिखे गये वाक्य के अर्थ हैं, और जिनसे मिलकर ही विविध वाक्य बनते हैं, जिनकी एक वृद्ध शृंखला ही ग्रन्थ बना देती है। ग्रन्थ रचना में प्रयुक्त शब्दावली निश्चय ही सार्थक होती है। अर्थ-ग्रहण शब्द-रूप पर निर्भर करता है, जैसे-शब्द हो, 'मानुस हो तो' तो इनका अर्थ होगा कि 'मदि मैं, मनुष्य

होऊँ और यदि शब्द-रूप हो, मानु सही तो' तो अर्थ होगा कि 'यदि मैं मान (छठने को
1 2 3 4 5

सहन कर तो' इससे स्पष्ट है कि अक्षरावली दोनों में बिल्कुल एक-सी है 'मा नु स हो तो'। केवल शब्द रूप खड़े करने से भिन्नता आई है। पहले पाठ में 1, 2, 3 अक्षरों को एक शब्द माना गया है और '3' भी स्वतन्त्र शब्द है और 4 भी, दूसरे पाठ में शब्द-रूप बनाने में 1 + 2 को एक शब्द, 3 + 4 को दूसरा, 5 को स्वतन्त्र शब्द पूर्ववत्।

फलतः पहले पाठ में जो शब्द-रूप बनाए गए, उनसे एक अर्थ मिला। उन्हीं अक्षरों से दूसरे पाठ में अन्य शब्द रूप खड़े किये गये जिससे उस अक्षरावली का अर्थ बदल गया।

इस उदाहरण से अत्यन्त स्पष्ट है कि अर्थ का आधार शब्द-रूप है। 'शब्द-रूप' में मूल आधार 'अक्षरयोग' है, ये अक्षर योग हमें लिपिकार या लेखक द्वारा लिखे गये पृष्ठों से मिलते हैं।

पाण्डुलिपि में शब्द-भेद हम निम्न प्रकार कर सकते हैं।

1 मिलित शब्द

इसमें शब्द अपना रूप अलग नहीं रखते। एक-दूसरे से मिलते हुए पूरी पंक्ति को एक ही शब्द बना देते हैं, ऐसा प्रायः पाण्डुलिपि-लेखन की प्राचीन प्रणाली के फलस्वरूप होता है, यथा 'मानुसहोतोवहीसखा नवसोमिलिगोकुलगोपगुवारनि'

इसमें से शब्द-रूप खड़े करना पाठक का काम रहता है और वह अपनी तरह से शब्द खड़े कर सकता है यथा-मानु सहीं तोव' हीर' सखान'..... आदि शब्द होंगे या 'मानुस' हो' तो' वही रसखान ... आदि शब्द होंगे। मिलित शब्दों से पाठक उन्हें अपने ढंग से 'भंग' करके मुक्त शब्दों का रूप दे सकता है और अपनी तरह से अर्थ निकाल सकता है।

2. विकृत शब्द

- (अ) मात्रा विकृत
- (ब) अक्षर विकृत
- (स) विभक्त अक्षर विकृति युक्त
- (द) युक्ताक्षर विकृति युक्त
- (त) घसीटाक्षर विकृति युक्त
- (थ) अलङ्कार निर्भर विकृति युक्त

3. नव रूपाक्षरयुक्त शब्द

4. लुप्ताक्षरी शब्द

5. भागमाक्षरी

6 विपर्याक्षरी शब्द

7. संकेताक्षरी शब्द (Abbreviated Words)

8 विशिष्टार्थी शब्द (Technical Expression)¹

1. Surcar, D. C. Indian Epigraphy P. 327.

9. सख्यावाचक शब्द
10. वर्तनीच्युत शब्द
11. भ्रमात् स्थानापन्न शब्द
12. अपरिचित शब्द

पाडुलिपि को दृष्टि म रखकर हमने जो शब्द भेद निर्धारित किये हैं वे ऊपर दिए गए हैं। किसी अन्य के अर्थ तक पहुँचने के लिए हमने शब्द को इकाई माना है। इनमें से बहुत स शब्द विकृति क परिणाम हो सकते हैं। पाठालोचक इनका विचार अपनी तरह से करता है। उस पर पाठालोचन वाले अध्याय में लिखा जा चुका है। पर डॉ० चन्द्रभान रावत¹ ने इस विषय पर जो प्रकाश डाला है उसे इन शब्द भेदों के अन्तरग को समझने के लिए, यहाँ दे देना समीचीन प्रतीत होता है।

'मुद्रण-पूर्व युग में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी। मूल प्रति की कालान्तर में प्रतिलिपियाँ होती थी। प्रतिलिपिकार आदर्श या मूल पाठ की यथावत् प्रतिलिपि नहीं कर सकता। अनेक कारणों से प्रतिलिपि में कुछ पाठ सम्बन्धी विकृतियाँ आ जाना स्वाभाविक है। इन अशुद्धियों के स्तरो को चीरते हुए मूल आदर्श पाठ तक पहुँचना ही पाठानुसन्धान का लक्ष्य होता है। विकृतियों की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है उन समस्त पाठों को विकृत-पाठ की सज्ञा दी जायेगी जिनके मूल लेखक द्वारा लिखे जाने की किसी प्रकार की सम्भावना नहीं की जा सकती और जो लेखक की भाषा, शैली और विचारधारा से पूर्णतया विपरीत पडते हैं।² इन अशुद्धियों के कारण ही पाठानुसन्धान की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के ये सोपान हो सकते हैं

1. मूल लेखक की भाषा, शैली और विचारधारा से परिचय,
2. इस ज्ञान के प्रकाश में अशुद्धियों का आकलन,
3. इन सम्भावित अशुद्धियों का परीक्षण,
4. पाठ-निर्माण,
5. पाठ-सुधार तथा
6. आदर्श-पाठ की स्थापना

पाठ विकृतियों के मूल कारणों का वर्गीकरण इस प्रकार दिया जा सकता है³ :

- | | | |
|--------------------|--------------|---|
| | (स्रोतगत | मूल पाठ विकृत हो। |
| | (सामग्रीगत | पन्ने फटे हो, अक्षर अस्पष्ट हो। |
| 1. बाह्य विकृतियाँ | (क्रमगत | पन्नों का क्रमनियोजन दोषपूर्ण हो या अन्तःक्रम |
| | (| दूषित हो। |
| | (एक से अधिक | स्रोत हो। |

1. अनुसन्धान—पृ० 269-271

2. वहीं, विमलेश कान्ति-पाठ विकृतियों और पाठ सम्बन्धी निवारण में उनका महत्त्व—परिचय पत्रिका (वर्ष 3, अंक 4) पृ० 48

3. Encyclopaedia Britannica Postgate Essay

(प्रतिलिपिकार की असावधानी ।

2. अंतरंग विकृतियाँ • (प्रतिलिपिकार का भ्रम प्रक्षेप, वर्णभ्रम, अक्षुभ्रम ।

(प्रतिलिपिकार का अपना आदर्श और सही करने की इच्छा ।

कुछ अशुद्धियाँ दृष्टि-प्रसाद के कारण हो सकती हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक । दृष्टि-प्रसाद में पाठ्य-हास, पाठ्यवृद्धि और पाठ-परिवर्तन आते हैं । मनोवैज्ञानिक में आदर्श के अनुसार मूल पाठ की अशुद्धियों को समझकर उनको सुधारने की प्रवृत्ति आती है । हाल ने इन पर एक और प्रकार से विचार किया है ।¹ इन्होंने पाठ विकृतियों के तीन भेद किये हैं भ्रम तथा निवारण के उपाय, पाठ-हास और पाठ-वृद्धि ।

भ्रम 13 प्रकार के माने गये हैं . समान-अक्षर सम्बन्धी भ्रम, सादृश्य के कारण शब्दों का गलत लिखा जाना, सकोचों की अशुद्ध व्याख्या, गलत एकीकरण, अथवा गलत पृथक्करण, शब्द-रूपों का समीकरण और समीपवर्ती रचना को आश्रय देना, अक्षर या वाक्य-व्यत्यय, संस्कृत का प्राकृत में या प्राकृत का संस्कृत में गलत ढंग से प्रतिलिपित होना, उच्चारण-परिवर्तन के कारण अशुद्धि, अक-भ्रम, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में भ्रम, अपरिचित शब्दों के स्थान पर परिचित शब्दों का प्रयोग, प्राचीन शब्दों के स्थान पर नवीन शब्दों का प्रयोग तथा प्रक्षेप अथवा अज्ञात भाव से की गई भूलों का सुधार ।

पाठ-हास में शब्दों का लोप आता है । यह लोप साधारण भी हो सकता है और आदि-अन्त के सम्प के कारण भी हो सकता है । पाठवृद्धि में (1) परवर्ती अथवा पार्श्ववर्ती सन्दर्भ के कारण पुनरावृत्ति, (2) पक्तियों के बीच अथवा हाशिये पर लिखे पाठ का समावेश, (3) मिश्रित पाठान्तर अथवा (4) सदृश लेख के प्रभाव के कारण वृद्धि ।

अनुसन्धान के इस क्षेत्र में डॉ० माताप्रसाद गुप्त का स्थान प्राधिकारिक है । उन्होंने विकृतियों के आठ प्रकार माने हैं (1) सचेष्ट पाठ विकृति, (2) लिपि जनित, (3) भाषा-जनित, (4) छन्द-जनित, (5) प्रतिलिपि-जनित, (6) लेखन-सामग्री-जनित, (7) प्रक्षेप-जनित और (8) पाठान्तर-जनित ।² लिपिकार के द्वारा सचेष्ट पाठ-विकृति में अपने ज्ञान और तर्क से सशोधन करने की प्रवृत्ति ही है । अन्य सभी कथित प्रकार स्वयं स्पष्ट है । भाषा जनित भ्रमों में शब्दों का अनुपयुक्त प्रयोग, तद्भव शब्दों को संस्कार शोध के उद्देश्य से तत्सम रूप देना और आवश्यकतानुसार भाषा को परिनिष्ठित बनाने का उद्योग करना आते हैं ।

ऊपर हमने जो शब्द भेद दिये हैं, उनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि पाण्डुलिपि के सम्पर्क में आने पर अन्वय बातों के साथ लिपि की समस्या हल हो जाने पर पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी को पाण्डुलिपि की भाषा से परिचित होना होता है, और उसके लिए पहली 'इकाई' शब्द है, पाण्डुलिपि में शब्द हमें किन रूपों में मिल सकते हैं, उन्हीं को इन भेदों में प्रस्तुत किया गया है । ये शब्द-भेद पाण्डुलिपि को समझने के लिए आवश्यक हैं अत आवश्यक है कि इन भेदों को कुछ विस्तार से समझ लिया जाय ।

1. Hall, F. W. — Companion to Classical Text की मिडिलेस वान्टि बर्मा, परिषद् पत्रिका (वर्ष 3, अंक 4), पृ. 50 पर उद्धृत ।

2. अनुसन्धान की प्रथमा ।

मिलित शब्दों के सम्बन्ध में कुछ विस्तार से आरम्भ में ही दिया गया है। मिलित शब्दों में पहली समस्या शब्द के अर्थों को निर्दिष्ट करना है अर्थात् ऊपर दिये गये उदाहरण में यह निर्दिष्ट करना होगा कि 'मानु सहो' या 'मानुस हो' में से कवि को अभिप्रेत शब्दावली कौनसी हो सकती है। इसके लिए पूरे चरण को ही नहीं, पूरे पद को शब्दों में स्थापित करना होगा, और तब पूरे सन्दर्भ में शब्द-रूप का निर्धारण करना होगा।

इस प्रक्रिया में भग-पद और भ्रमण पद-श्लेष को भी दृष्टि में रखना होगा।

मिलित शब्दावली में से ठीक शब्दरूपों को न पकड़ने के कारण अर्थ में कठिनाई पड़ेगी ही। यहाँ इसके कुछ उदाहरण और देना समीचीन होगा। 'नवीन' कवि कृत 'प्रबोध सुधासर' के छन्द 901 के एक चरण में 'शब्द-रूप' यो ग्रहण किये गये हैं : 'तू तो पूजै ब्राह्म तले वह तो नखत से' 'शब्द-रूप देने वाले को पूरे सन्दर्भ का ध्यान न रहा। मिलित शब्दावली में ये शब्द-रूप यो ग्रहण किये जाने चाहिये थे 'तू तो पूजै ब्राह्म तले से' आदि। ब्राह्म तले से अर्थ नहीं मिलता। ब्राह्मत = अक्षत = चावल से अर्थ ठीक घनता है।

साथ ही, किसी शब्द का रूप भौतिक कारणों से क्षत-विक्षत हुआ है तो उसकी पूर्ति करनी होती है। गिला पर होने से कोई चिप्ट उखड़ जाने से अथवा किसी स्थल के घिस जाने से 'कागज फट जाने से, दीमक द्वारा खा लिये जाने से अथवा अन्य किसी कारण से शब्द-रूप क्षत-विक्षत हो सकता है। इस स्थिति में पूरे पाठ की परिकल्पना कर शब्द के अक्षतों की पूर्ति करनी होगी। ऐसे प्रस्तावित या अनुमानित शब्दाक्षतों को कोष्ठों में () रख दिया जाता है : उदाहरण के लिए 'राउलवेल' की पंक्तियाँ दी जा सकती हैं :

पहली पंक्ति

(1) नमः सिध (2)
.....

रोडे राउस बेस बखाना

जइ (3) इ भायणु ज (4)
.....

जा जेम्ब जाणइ सो तेम्ब बखानइ ।

हासे तो से राजइ राणइ

(5) (6) (7)
.....

दूसरी पंक्ति

भा (8) उ भाव इ

इतने से अर्थ में अर्थात् पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के आरम्भ में 8 स्थल ऐसे हैं जो क्षत हैं। अब पाठ-निर्माण की दृष्टि से (1) पर (ऊ) की कल्पना की जा सकती है। (2) के स्थान पर 'न्य ॥' रखा जा सकता है। सख्या 3 के क्षत स्थान की पूर्ति में कल्पना सहायक नहीं हो पाती है, अतः इसे बिन्दु..... लगाकर ही छोड़ दिया जायेगा। 4 के खाली स्थान पर ज के साथ (णी) ठीक बैठता है। 5 का अर्थ पूरे उपवाक्य का होगा, इसी प्रकार सख्या 6 का अर्थ इनकी पूर्ति के लिए। शब्दों तक भी कल्पना से नहीं

पहुँचा जा सकता, अतः इन्हें विन्दुओं से रिक्त ही दिखाना होगा। 6 सख्या पर छन्द समाप्ति की (1) हो सकती है। 7 वें पर (ल) ठीक रहेगा, किन्तु ऐसे पाठोद्धार में जो शब्द अक्षत उपलब्ध हैं अर्थ तक पहुँचने के लिए उनमें भी किसी सशोधन का सुझाव देना आवश्यक हो सकता है जिससे कि वाक्य का रूप व्याकरणिक की दृष्टि से ठीक अर्थ देने में सक्षम हो जाय। ऐसे सुझावों को छोटे कोष्ठकों () में रखा जा सकता है।

दूसरे प्रकार के शब्दों को विकृत शब्द कह सकते हैं। विकारों के कारणों की दृष्टि में रखकर 'विकृत शब्दों' के 6 भेद किये गये हैं :

पहला विकार मात्रा-विषयक हो सकता है, जो विकार मात्रा की दृष्टि से प्राज हमें सामान्य लेखन में मिलता है, वह इन पाण्डुलिपियों में भी मिल जाता है। हम देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति 'रात्रि' को 'रात्री' लिख देते हैं। किसी-किसी क्षेत्र विशेष में तो यह एक प्रवृत्ति ही हो गई है कि लघु मात्रा के लिए दीर्घ और दीर्घ के लिए लघु लिखी जाती है। अत्रात् किसी अन्य मात्रा के लिए अन्य मात्रा लिख दी जा सकती है। इसका एक उदाहरण डॉ० माहेश्वरी ने यह दिया है .

139 घोरं > घोरं । ई > घो

(अ) यहाँ लिपिक ने 'ी' की मात्रा को कुछ इस रूप में लिखा कि वह 'ओ' पढ़ी गयी।¹ इसी प्रकार 'ओ' की मात्रा को ऐसे लिखा जा सकता है कि वह 'ई' पढ़ी जाय। 1846 में मनरूप द्वारा लिखित मोहन विजय कृत 'चन्द-चरित्र' के प्रथम पृष्ठ की 13 वीं पक्ति में दायी ओर से सातवें अक्षर से पूर्व का शब्द 'अनुप' में मात्रा विकृति है, यह यथार्थ में 'अनूप' है। इसी के पृ० 3 पर ऊपर से सातवीं पक्ति में 16 वें अक्षर से पूर्व शब्द लिखा है, 'अगुड' जो मात्रा-विकृति का ही उदाहरण है। इसकी पुष्टि दूसरे चरण की तुक के शब्द 'दिगमूड' से हो जाती है। 'दिगमूड' में लिपिक ने दीर्घ 'ऊ' की मात्रा ठीक लगाई है। 'मात्रा-विकृति' के रूप कई कारणों से बनते हैं 1—मात्रा लगाना ही भूल गये। यथा डॉ० माता प्रसाद गुप्त को 'सन्देश रासक' के 24 में छन्द में द्वितीय चरण में 'णिहई' शब्द मिला है, डॉ० गुप्त मानते हैं कि यहाँ 'आ' मात्रा भूल से छूट गई है। शब्द होगा 'णिहाई'। डॉ० माता प्रसाद गुप्त ने बताया है कि 'उ' बाद में 'उ' तथा 'ओ' दोनों ध्वनियों के लिए प्रयुक्त होने लगा था। यथा—सन्देश रासक छंद 72 ओसहे > उसहे। 2—यह विकृति दो मात्राओं में अभेद स्थापित हो जाने से हुई है। ऐसे ही 'दिव' का 'दय'। 3—यह अनवधानता से हुआ है। 4—'स्मृति-भ्रम' से भी विकृति होती है, जैसे—'फरिसउ' लिखा गया 'फरसउ' के लिए। 5वा कारण वह अनवधानता है जिसमें मात्रा कही की कहीं लग जाती है। यह 'मात्रा-व्यत्यय' इस शब्द में देखा जा सकता है—'बिसु ठलय' लिखा मिला है 'बिस ठलय' के लिए।²

(आ) अक्षर-विकृत शब्द उन्हें कहेंगे जिनमें 'अक्षर' ऐसे लिखे गये हों कि उन्हें कुछ का कुछ पद लिया जाय। डॉ० माहेश्वरी ने ऐसे अक्षरों की एक सूची प्रस्तुत की है,

1. 'सन्देश रासक' में 100वें छन्द में दूसरे चरण में 'पाडिल्लो' शब्द मिला है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त का मत है कि यह 'पडिल्लो' होगा यहाँ 'ई' का मात्रा-लेखन या पाठ प्रसाद से 'ओ' की मात्रा हो गयी। (भारतीय साहित्य—जनवरी, 1960, पृ० 103)। इससे भी डॉ० माहेश्वरी के उदाहरण की पुष्टि होती है। ऐसी मात्रा विकृति का कारण 'स्मृति भ्रम' भी हो सकता है।
2. भारतीय साहित्य (जनवरी 1960), पृ० 101, 104, 108 ।

जिसे प्रसरविकृति को समझने के लिए उदाहरणार्थ यहाँ दिया जाता है। उन्हें वर्णों के अनुसार दिया जा रहा है—

नागरी लिपि जन्य भूल

क वर्ण

च वर्ण

क=फ। क, फ, क, फ

प=फ। प=प

ग=ग। ग, ग, ग

ग=भ। " "

घ=घ

घ=व

कृ=उ। कु

ख=स्व

भ=ल। भारी > लारी

ज > ज > ऊ > ल > ल

भ=ऊ। भल > ऊल

ऊ > ऊ।

दु=व। व=व

=घ (घ)

च=व

(च=च, व)

ज=त। ज ज=ज

त त त=त

च=व।

थ. च. थ

भ=भु मु। (बंगला लिपि के कारण)

ट वर्ण

त वर्ण

ड=म भ। डेर > मेरा

म, भ, क=म

उ=क। उड > उक। ड=द

न रु रु = ड

त=ढ।

ण=ण। पा, पा=ण्य

ट=ह। ट ट ट

ड=उ। ड उ, उ

ट=द

ट=द

थ=थ

घ व=थ। थाप > धाप
घड़ी > थड़ी

घ. व=घ

थ=व। व > व। थोवडो > वोवडा

त=ट। त त त=त त

घ=घ

न=त। न, न, न=न, त

द=व। द, द, द, द

न=व (नचाई > वचाई)

न=र (कैथी म)

न=म। म, म

प वर्ग

अन्तस्य वर्ग

भ = म

र = द ।

प = म् । प्र, प्र, प्र = प, म्र, प्र

र र द = र. द

फ = क । फ, फ, फ = फ, क

प्र = म

म = स । म, म, म = म. स

ल = त

म्या = ज्या

व = न । न, न, न

न = य, भ, ग

र = न् । धा-या > धान्या

र = ट । र (-) र का हलन्त रूप

(रबाब = रबाब)

संयुक्ताक्षर वर्ग

उष्मवर्ण वर्ग

त्र = प्र । त्र, त्र

स = म

त्र = च । त्र, त्र

ज, ग = स, म

ह = ड

ह, ह, ह

ह = द

ट = री । का, का = का, की

१ १ १ = आ ई

ऊ = अ । अ = उ, अ

उ = ख घ = घ

कमोदरी = कामादरी

> कामादरी

स = से । २ ३ (गुरुमुक्ती)

उ = डु । (कबीर P110)

१० = ११ मेंमाती > मैमाती

इ > ओ । धोरै, ३

व्यजन मात्रा

भ्रामक प्रक्षर रूप

य > थ | थ > य

माय > माथ

भ्र = ऊ | ऊ = भ्र

भ्रगी = अगी

द > व | (ठ = छ)

उ = क | क = उ (ऊ उ)

डावड़ा > कावड़ा

ष > ख | (ब = ष)

लाष > लाख

रा > ए | ए > रा | (रा = ए)

क्र > त्रु | (क्र = क्र, 'र' 'उ')

स्य > च

हेर्यो > हेरचो

द्व = य | (द्व = द्य)

चद्वो > चयो

सांख्या > साया

द्व > स | (द्व = द्र)

पद्व > पस

ठ	ठ	ब	क	ऊ	ख
ठ	छ	ब	क	ऊ	ख

ए	क्र	द्व	स्य = द्र
ए	क्र	द्व	पत्रि 443 से

यह 'उ' की मात्रा भी हो सकती है। बंगाली लिपि का प्रभाव है।

(इ) विभक्त प्रक्षर = विकृत शब्द, यथा—'ऊर्ध्व' को विभक्त करके 'ऊरध' लिखना इसी कोटि में आवेगा। 'ऊरध' 'तद्भव' माना जायेगा और पाडुलिपि की दृष्टि से यहाँ विभक्त-प्रक्षर है। 'ऊर्ध्व' का 'ऊर्ध' फिर 'ऊरध'। इसमें 'र' को 'ध' से विभक्त करके लिखा गया है। 'आत्म' को 'चन्द-चरित्र' में 'आतम' लिखा गया है। 'परिसह' भी आतम गुण पुण्डी युगतिनी प्राप्ति विचार है।

(पन्ना 82 चन्दचरित्र का हस्तलेख)

ऐसे ही मध्यात्म को 'मध्यातम' लिखा गया है।

'लुवघो' मिलेगा, लुवघो के लिए । 'चन्दचरित्र' (पन्ना 79 पूर्व)

(ई) युक्ताक्षर-विकृति-युक्त शब्द-शब्द परस्पर विभक्त न होकर युक्त हो और तब उनमें से किसी में भी यदि कोई विकार आ जाता है तो वे ऐसे ही वर्ग में आयेगे, यथा— 'कीतिलता' द्वितीय पत्रव ख० 7 में 'महाजन्हि' का एक पाठ 'महजन्हि' मिलता है । यह विकृति हमारे इसी वर्ग के शब्दों में आयेगी ।

इसी सम्बन्ध में 'आवट्टवट्ट विवट्टवट्ट' पर 'कीतिलता' के सजीवनी भाष्य में डॉ० बाबुदेवशरण अग्रवाल¹ ने जो टिप्पणी दी है वह इस प्रकार है

'आवट्ट वट्ट विवट्ट— श्री बाबूरामजी के सस्करण में 'अति बहुत भानि विवट्ट वट्टहि' पाठ है और पाठ टिप्पणी में वट्ट पाठान्तर दिया है । वस्तुतः यहाँ पाठ-सशोधन की समस्या इस प्रकार है । मूल संस्कृत शब्द आवत्त-विवत्त के प्राकृत में आवत्त-विवत्त और आवट्ट विवट्ट ये दो रूप होते हैं । (पामट्ट 152, 998, 999) । सयोग से विद्यापति ने 'कीतिलता' में तीनों शब्द-रूपों का प्रयोग किया है ।

1—आवत्तं विवत्तं रोलहो, नभर नहि नर समुद्रयो (2 । 112)

2—आवत्त विवत्ते पभ परिवत्ते जुग परिवत्तन माना (4 । 114)

इस प्रकार यह लगभग निश्चित ज्ञात होता है कि यहाँ अति बहूत वट्ट का मूल पाठ आवट्ट वट्ट ही था । विवट्ट वट्ट तो स्पष्ट ही है ।

'आवट्ट वट्ट विवट्ट वट्ट' में युक्ताक्षरों की विकृति की सीला स्पष्ट है । कीतिलता में ही एक स्थान पर यह चरण है ।

'पाइग पय भरे भउ पल्लानिञ्ज उ तुरग' यहाँ 'पाइगा' शब्द 'पायगाट्ट' का युक्ताक्षर विकृत शब्द है 'गा' का 'गा' कर दिया गया है ।

इसी प्रकार 'ढोला मारू रा दूहा' 16 में 'ऊलवे सिर ह्ण्डड़ा' इस दोहे के 'ऊलबी' शब्द का एक पाठ 'उक्कंबी'² भी है । इसमें 'ल' को क 'युक्ताक्षर' मानकर लिखा गया है, अतः यह भी इस वर्ग का शब्द रूप है ।

'चन्दचरित्र' की पाण्डुलिपि में 83 वें पृष्ठ पर ऊपर से दूसरी पक्ति में 'सज्जन उद्वरज्यो जी' को इस रूप में लिखा गया है ।

सज्जन उद्वरज्यो

इसमें युक्ताक्षर 'ज्य' को जिस रूप में लिखा गया है उस रूप की विकृति माना जा सकता है ।

कवि हरचरणदास को 'कवि-प्रिया भरण' टीका है केशव की कवि प्रिया पर है उसकी एक पाण्डुलिपि 1902 की प्रतिलिपि है । उसमें 149वें पृष्ठ पर कवि ने अपना जन्म सबत् दिया है । प्रतिलिपिकार ने उसे यों लिखा है :

7 सत्रहसो सटि मही कवि को जन्म विचारि ।

1. अग्रवाल, बाबुदेवशरण (डॉ०)—कीतिलता, पृ० 60-61 ।

2. मवीहर, हम्भूविह—ढोला मारू रा दूहा, पृ० 156 ।

युक्त अक्षर-विकृत-रूप' शब्द रेखांकित है। यह है छापासठ = 66।

इस पृष्ठ से आगे के पन्ने में कृष्ण से अपना सम्बन्ध बताने के लिये लिखा है कि

“पूरोहित श्रीनन्द के मुनि साडिल्ल महान।

हैं तिनके हम गोत में मोहन मो जजमान ॥16॥”

यहाँ 'साडिल्ल' में 'युक्ताक्षर विकृत' स्पष्ट है, शाडिल्य 'साडिल्ल' हो गये हैं। यहाँ भाषा-विज्ञान की दृष्टि से इसकी व्याख्या की जा सकती है, यह और बात है। अप्रसमीकरण से त्य का 'य' 'ल' में समीकृत हो गया है, पर युक्ताक्षर की दृष्टि से विकृति भी विद्यमान है, इसीलिए इसे हम इस वर्ग में रखते हैं।

(उ) घसीटाक्षर विकृति युक्त शब्द

कभी-कभी कोई पाडुलिपि 'घसीट' में लिखी जाती है। त्वरा में लिखने से लेख घसीट में लिख जाता है। घसीट में अक्षर विकृत होते ही हैं। चिट्ठी-पत्रियों में, सरकारी दस्तावेजों में, दफतरी टीपो में, ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में घसीट में लिखना नियम ही समझना चाहिये। अधिकारी व्यक्ति त्वरा में लिखता है और उसे अभ्यास ही ऐसा हो गया होता है कि उसका लेखन घसीट में ही हो जाता है। इसी कारण कितने ही विभागों में घसीट पढ़ने का भी अभ्यास कराया जाता है और इस विषय में परीक्षाएँ भी ली जाती हैं। स्पष्ट है कि घसीटाक्षरों को अभ्यास के द्वारा ही प्रढा जा सकता है। अभ्यास में यह आवश्यक होता है कि घसीट-लेखक की लेखन-प्रवृत्ति को भली प्रकार समझ लिया जाय। उससे घसीट पढ़ने में सुविधा होती है।

(ऊ) घसीट की भाँति ही व्यक्ति-वैशिष्ट्य की दृष्टि से अलकरण-निर्भर-विकृति-युक्त शब्द भी कभी-कभी किन्हीं पाडुलिपियों में मिल जाते हैं। अलकरण युक्त अक्षर को भी पहले समझने पढ़ने में कठिनाई होती है।

'अलकरण' का अर्थ है किसी भी 'अक्षर' को उसके स्वाभाविक रूप में सन्तुलित प्रकार से न लिखकर कुछ क्लामय या अनोखा रूप देकर लिखना, उदाहरणार्थ : 'प'। यह 'प' का सन्तुलित रूप है। अब इसको लिपिकार कितने ही रूपों में लिख सकता है, अलकरण की प्रवृत्ति से अक्षररूपों के साथ शब्द-रूप भी बदलते हैं। हम अलकरण की प्रवृत्ति को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक अक्षर के आधार पर देख सकते हैं। इसके लिए 'प' अक्षर को ले सकते हैं। देवनागरी में 'अलकरण' की प्रवृत्ति ई० पू० की पहली शताब्दी से ही दृष्टिगोचर होने लगती है। इसे शताब्दी-क्रम से नीचे के फलक से समझा जा सकता है :

अशोक कालीन

ई० पू० पहली
पञ्चम
शताब्दी

मयुरा

ई० पहली
दूसरी शताब्दी
नासिक

म.प.म.

उ

ख

ख

ख

दूसरी से चौथी
कूड़ा

ध्र

तीसरी
जगायपेट

धु

477-78 ई०
पाली

अ

571-72

स

छठी शताब्दी
ऊष्णीष विजय धारणी पुस्तक की होर्युजी (जापान)
मठ की प्रति के अन्त में दी गई वर्ण माला से

म

7 वीं
शताब्दी
मामलपुर

661 ई०
कुटेश्वर

689 ई०
भालरापाटन

म

8वीं शती
मावलीपुर

म

837 ई०
जोधपुर

अ

861
पट्टिभाला

अ

861
पट्टिभाला

र

11वीं शती
उज्जैन

अ

1122 ई०
तर्पण्डिणी

ध्र

1185 ई०
भसम

अ

12 वीं

हलाकाल (पूरी वर्णमाला से)

अ

इसी प्रकार अन्य अक्षरों में भी अक्षरालकरण मिलते हैं। ग्रन्थों में भी इनका विविध रूप में प्रयोग मिलता है, अतः अलकरण के प्रभाव को समझकर ही 'शब्द-रूप' का निर्णय करना होगा। हस्तलेखों में से पाण्डुलिपियों में मिलने वाले अलकरणों का कम सकलन हुआ है, किन्तु भारतीय शिलालेखों के अलकरणों पर चर्चा आवश्यक हुई है। डॉ० अहमद हसन दानी ने 'इंडियन पैलियोग्राफी' में इस पर व्यवस्थित ढंग से प्रकाश डाला है। इस सम्बन्ध में उनकी पुस्तक से एक चित्रफलक अलकरण के स्वरूप को भारतीय लिपि में दिखाने के लिए यहाँ देने का हम अपने लोभ का संवरण नहीं कर सकते (चित्र पृ 323 पर)

(ए) नवरूपाक्षर युक्त-शब्द

कभी-कभी पाण्डुलिपि में हमें ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनमें कोई-कोई अक्षर अनोखे रूप में लिखा मिलता है। यह अनोखा रूप एक तो उस युग में उस अक्षर का प्रचलित रूप ही था, दूसरे लिपिकार की लेखनी से विकृत होने के कारण और अनोखा हो गया। इन दोनों प्रकारों पर 'लिपि समस्या' वाले अध्याय में चर्चा हो चुकी है।

असकृत वर्णमाला

BILSAO	MEHRAULI	YASOOHARMAN	MAHANAMAN	BAHSEHARA	MADHUBAN
INS	INS	INS	INS	PL	PL
BHĀ	RĀ	PĀ RĀ	KĀ BHĀ	MĀ	HĀ
DHI	DHI	VI	RI	VI	RI
HĪ	KĪ	DHĪ	DHĪ	HĪ	SĪ
FU	MU BHU	YU KU	SU	CU	TU
PŪ	TYRŪ	BHŪ MŪ	BHŪ SU	PU	DU
ME	VE	SRE	YE	RE	SE
YAI	NCHAI	DAI	CHCHAI	DE	VE
LO	TO	YO	TO PTO	SO	CHCHO
KAU	RAU	LAU	NAU	NAU SAU	SAU
MRI	SRI	NRI	KRI	GRI	

(ऐ) लुप्ताक्षरी शब्द

पाडुलिपि में ऐसे शब्द भी मिल जाते हैं, जिनमें कोई अक्षर ही छूट गया है। ऐसे शब्दों का उद्धार 'प्रसंग' को देखकर प्रयुक्त शब्द को जानकर लुप्ताक्षर की पूर्ति से होता है। कीर्तिलता में एक चरण है, 'बादशाह जे वीराहिमसाही'। इसमें इबराहिम शाह का 'विराहिम साह' हो गया है। संदेश रासक में 'संभासिय' में 'संभसिय' का 'ज' लुप्त है। तक है 'लक'।

(भो) प्रागभाक्षरी

पाडुलिपियों में ऐसे शब्द भी मिलते हैं जिनमें एक या दो अक्षरों का प्रागम होता है।

(भो) विपर्यय स्ताक्षरी शब्द

मात्रा का विपर्यय तो बेस चुने हैं, वर्ण-विपर्यय भी होता है। कभी-कभी भाषा-वैज्ञानिक नियमों से और कभी-कभी लेखक प्रमाद से भी अक्षर-विपर्यय हो जाता है।

(अ) संकेताक्षरी शब्द

संकेताक्षरी शब्दों की चर्चा ऊपर हो चुकी है। पूरे शब्द को जब उसके एक छोटे अक्षर के द्वारा ही अभिहित कराया जाता है तो यह निरर्थक-सा छोटा अक्षर-संकेत पूरे शब्द के रूप में ही ग्राह्य होता है। 'सं' का प्रयोग 'सम्बन्ध' के लिए हुआ मिलता है। ऐसे ही प्रयुक्त संकेतों की सूची एक पूर्व के अध्याय में दी जा चुकी है। पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी अपने लिए ऐसी सूचियाँ स्वयं प्रस्तुत कर सकता है। नाम-संकेत की दृष्टि से 'अद्दहमाणा' हम देख चुके हैं कि इसमें 'अद्दुल' का संकेत 'अद्' और 'रहमाण' का संकेत 'हमान' है। ऐसे शब्द जिनमें सख्या से उस सख्या की वस्तुओं का ज्ञान होता है, संकेताक्षरी ही माने जायेंगे। कीर्तिलता में आया दान पञ्चम' भी ऐसा ही शब्द है।

(अ) विशिष्टार्थी शब्द

पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी के लिए विशिष्टार्थी शब्दों का भेद महत्वपूर्ण है। यह रूप-गत नहीं है। कुछ शब्दों के कुछ विशिष्ट अर्थ होते हैं, और जब तक उन विशिष्ट अर्थों तक पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी नहीं पहुँचेंगे उस स्थल का ठीक अर्थ नहीं हो सकेगा। ऐसे शब्दों के विशिष्ट क्षेत्रों का पता न होने के कारण सामान्य अर्थ किये जाते हैं, जिससे अर्थाभास मिलता है; यथार्थ अर्थ नहीं। ऐसे शब्दों से सामान्य अर्थ तक पहुँचने में भी शब्दों और वाक्यों के साथ खीचातानी करनी पड़ती है,

यथा—

“कही कोटि गदा, कही वादि बदा
कही दूर रिक्काविए हिन्दु गन्दा ॥”¹

अब इसका एक अर्थ हुआ—‘करोडो गुप्ते’, कही ‘वादी बदे’ आदि। दूसरा अर्थ हुआ ‘बहुत से गदे लोग और वादि बदे’ आदि। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने बताया है कि ‘गदा’ और ‘वादि’ विशिष्टार्थी शब्द हैं गन्दा का० गोयन्द अर्थात् गुप्तचर, वादी भी विशिष्टार्थक है : वादी=फरियादी

इसी प्रकार कीर्तिलता 2/190 का चरण है
मपद्रूम नरावइ दोम जञ्जो हाय ददस दस णारओ ।²

इसमें प्रायः सभी शब्द विशिष्टार्थ देने वाले हैं। उन अर्थों से अपरिचित व्यक्ति इस पक्ति का अर्थ खींचतान कर ऐसे करेंगे :

“मखद्रूम डोम की तरह दसों दिशाओं से हाय में भोजन ले आता है” (?) या

“मखद्रूम (मालिक) दसों तरफ डोम की तरह हाय फैलाता है।”

डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा है कि “इस एक पक्ति में सात शब्द पारिभाषिक प्राकृत और फारसी के हैं।” ये शब्द विशिष्ट या पारिभाषिक शब्द हैं यह न जानने से ठीक-ठीक अर्थ तक नहीं पहुँचा जा सकता। इनके विशिष्ट अर्थ ये बताये गये हैं :

1. अर्थात्. वासुदेवशरण, (डॉ०)—कीर्तिलता, पृ० 93

2. वही, पृ० 108

1. मखदूम : भूत प्रेत साधक मुसलमानी धर्म-गुरु
2. नरावइ : भ्रोसविया—अर्थात् जो नरक के जीवो या प्रेतात्माओ का अधिपति हो ।
3. दोष : यातना देना
4. हाथ . शीघ्र, जल्दी
- 5 ददस हदस (अरबी)—प्रेतात्माओ को अगूठी के नग में दिखाने की प्रक्रिया ।
6. दस दिखाता है ।
7. णारओ : नरक के-जीव, प्रेतात्माएँ कीर्तिलता¹ में एक पक्ति है
“सराफे सराहे भरे वे वि बाजू ॥”

“तोलन्ति हेरा लसूला पेभाजू” । अर्थ करने वालो ने इसमें विशिष्टार्थक शब्दो को न पहचान सकने के कारण सराफे में लहसुन व प्याज और हल्दी तुलवा दी है । ठीक है, लसूला का अर्थ लहसुन स्पष्ट है । प्याज का अर्थ भी स्पष्ट है । एक ने ‘हेरा’ को हलदी मान लिया । किंचित् ध्यान देने से यह विदित हो जाता है कि एक तो इन अर्थों में ‘प्रसंग पर ध्यान नहीं रखा गया । वर्णन सराफे का है । मराफे में जोहरी बँठते हैं’ । वहाँ हलदी, लहसुन, प्याज जैसे खाने में काम आने वाले पदार्थ कहीं ? तो ‘प्रसंग’ पर ध्यान नहीं दिया गया । दूसरे, इन शब्दों के विशिष्ट अर्थ पर भी ध्यान नहीं गया । लसूला का अर्थ लहसुनिया नाम का रत्न, ‘पेभाजू’ का अर्थ ‘फीरोजा’ नाम का रत्न, और हेरा ‘हीरा’ हो सकता है, इस पर ध्यान नहीं गया, जो जाना चाहिये था । इसी प्रकार ‘कीर्तिलता’² में ही एक अन्य चरण है

“चतुस्सम पत्त्वल करो परमार्य पुच्छहि मिमान” ।

इसमें ‘चतुस्सम’ शब्द है । किसी विद्वान के द्वारा इसमें भाये ‘चतुस्सम’ का सामान्य अर्थ ‘चौकोन’ या ‘चौकोर’ कर लिया गया । वस्तुतः यह विशिष्टार्थक शब्द है । इसे लेकर हस्तलेखो के पाठो में भी गडबडभाला हुई है । वह गडबडभाला क्या है और इसका यथार्थ रूप और अर्थ क्या है, यह डॉ० त्रिशोरीलाल के शब्दों में पढ़िये -

“डॉ० वामुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार जायसी-कृत पद्मावत में प्राप्त ‘चतुरसम’ पाठ को न समझने के कारण इसका पाठ ‘चित्रसम’ दिया गया । फारसी में चित्रसम और ‘चतुरसम’ एक-सा पढ़ा जा सकता है, अतः ‘चतुरसम’ पाठ सम्पादक को बिलिष्ट लगा और ‘चित्रसम’ सरल । जायसी के भाग्य विद्वान आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल ने ‘चित्रसम’ पाठ ही माना । यही नहीं कही-कही उन्होंने ‘चित्रसम’ पाठ भी किया है—

वरिस्नान चित्र सब सारहुँ—जायसी ग्रन्थावली पृ० 121 ॥ शुद्ध पाठ ‘चतुरसम’ ही है । इसे डॉ० अग्रवाल ने पूर्ववर्ती रचनाओं से प्रमाणित भी किया है, यथा-जायसी से दो शताब्दी पूर्व के ‘वर्ण रत्नकार’ में भी चतुसम का प्रयोग मिला है—‘चतुसम ह्य मिये

मण्डु'—(वर्णरत्नाकर पृ० 13) वर्णरत्नाकर से भी दो शती पूर्व हेमचन्द्र के 'प्रमिधान चिन्तामणि' से भी उन्होंने इसे प्रमाणित किया है—

कपूर् रागुरव्वकोल कस्तूरी चन्दनद्रव्वं । 3।302

स्पाद पक्षकर्मो मिश्रं वंतिगान्नातुलेपकी ।

चदनागह कस्तूरी कुकुर्मस्तु चतुःसमन् ।

चन्दनादि चत्वारि समान्यत्र चतु समम्

प्रमिधान चिन्तामणि 3।303

सबसे पुष्ट प्रमाण रामचरित मानस में मिला है—

धीधी सीची चतुरसम शोकं चार पुराई

बालकाड 296।10, काशिराज संस्करण

डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने भी 'विभ्रसम' पाठ ही अपनी जायसी ग्रन्थावली काशिराज संस्करण में माना था लेकिन मानस के ऐसे प्रयोग को देख लेने पर उन्होंने अपने पूर्व पाठ को त्याग दिया। चतुरसम 'संस्कृत' के 'चतु सम' शब्द का विकृत रूप है, जिसका अर्थ—चदन, अगह, कस्तूरी और केसर का समान अंश लेकर निमित्त सुगंध है।¹

शिलालेखों और अभिलेखों में आने वाले पारिभाषिक और विशिष्टार्थक शब्दों पर विस्तार से विचार किया गया है, डॉ० सी० सरकार कृत 'इंडियन एपीग्राफी' में आठवें अध्याय में जिसका शीर्षक है 'टेकनीकल ऐक्सप्रेशन'।

(क) संख्या-वाचक शब्द

शिलालेखों, अभिलेखों और पाण्डुलिपियों में ऐसे शब्द मिलते हैं जिनका अपना प्रमिचार्थ नहीं लिया जाता। उनसे जो संख्या-बोध होता है, वही ग्रहण किया जाता है मानो वह शब्द नहीं संख्या ही हो। इस पर ऊपर के अध्याय में विचार किया जा चुका है। यहाँ तो इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे शब्द-भेद माना है कि पाण्डुलिपि में आये शब्दों का एक वर्ग संख्या का काम भी देता है, अतः, ऐसे शब्द-रूपों को संख्या-रूप में ही मान्यता दी जानी चाहिये।

(ख) वर्तनी च्युत शब्द

ये ऐसे शब्द होंगे जिनमें वर्तनी की भूल हो गई हो, जैसे-चदचरित्र' में पहले पन्ने में दूसरी पंक्ति में 'सिंधु शलिल प्रवाह' आया है। यहाँ 'शलिल' वर्तनी च्युति है। 'मात्रा विकृति' कही कही छंद की तुक या अन्य कारणों से जान बूझ कर कवि को करनी पड़ती है, उसे विकृति या वर्तनी-च्युति नहीं माना जायगा, किन्तु ऊपर के उदाहरण में 'स' के स्थान पर 'श' वर्तनी च्युति ही है। इसी प्रकार उसी पन्ने पर 11वीं पंक्ति में है : 'जब वार सार'

इसमें भी 'जवूतरूसार' में 'तर' को 'तर्' लिखने में वर्तनी च्युति है।

(ग) स्थानापन्न शब्द (अमात् अथवा अन्यथा)

किसी चरण में एक शब्द ऐसा आया है कि अध्येता को समझ में नहीं आ रहा,

अतः वह यह मान लेता है कि यह कोई शब्द नहीं है तब, उसके स्थान पर कोई अन्य सार्थक शब्द रखकर अपना अर्थ निकाल लेता है। इस प्रकार रहे गये शब्द ही स्थानापन्न कहे जायेंगे। पांडुलिपि-विज्ञानार्थी को ऐसे शब्दों को पहचानने का अभ्यास अवश्य होना चाहिये।

इसका एक उदाहरण डॉ० अग्रवाल द्वारा सम्पादित 'कीर्तिलता' से ही और लेते हैं। 'कीर्तिलता' 21190 के चरण पर पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से विचार किया जा चुका है। उसी में 'णारमो' पर डॉ० अग्रवाल ने जो टिप्पणी दी है उससे 'स्थानापन्नता' पर प्रकाश पड़ता है। उनकी टिप्पणी इस प्रकार है ¹

'णारमो—नरक के जीव, प्रेतात्मा। स० नारक > प्रा० णारय-नरक का जीव (पासद् 478)। यहाँ श्री बाबूराम सक्सेना जी की प्रति में 'ल' प्रति का पाठ 'णारमो' पाठ टिप्पणी में दिया हुआ है, वही वस्तुतः मूल-पाठ था। जब इस पंक्ति का शुद्ध अर्थ भोभल हो गया तब अर्थ को सरल बनाने के लिए द्वारमो यह अण-पाठ प्रचलित हुआ। स्पष्ट है कि मूल 'णारमो' के स्थान पर 'द्वारमो' शब्द किसी लिपिकार ने स्थानापन्न कर दिया। 'णारमो' से वह परिचित नहीं था, अतः उसे अपनी सूझबूझ से 'द्वारमो' शब्द ठीक लगा।'

कलत पांडुलिपि-विज्ञानार्थी को हस्तलेखों में स्थानापन्नता की बात-भी ध्यान में रखनी होगी।

(घ) अपरिचित शब्द

हस्तलेख या पांडुलिपियाँ सहस्रो वर्ष पूर्व तक की मिलती हैं। वह युग हमारे युग से अनेक रूपों में भिन्न होता है। लिपि भिन्न होती है, शब्द-कोष भी भिन्न होता है, शब्दों के अर्थ भी भिन्न होते हैं। लिपि की समस्या हल हो जाने पर शब्दों की समस्या सामने आती है। ऊपर जो शब्द-रूप बताये गये हैं, उनके साथ ही ऐसे शब्द भी हो सकते हैं, जिन्हें हम अपरिचित हो। एक लिपिकार ने अपरिचित शब्द के साथ जो व्यवहार किया उसे हम अभी ऊपर देख चुके हैं। उसने अपरिचित शब्द को हटा ही दिया। उसका संकं रहा होगा कि "वह स्वयं जब 'णारमो' शब्द को नहीं जानता तो ऐसा कोई शब्द ही नहीं सकता"। उसने अपनी सूझबूझ से उससे मिलता-जुलता परिचित शब्द वहाँ रख दिया पर उसका उस तरह सोचना समीचीन नहीं था, अतः अपरिचित शब्द को अपरिचित मान कर उसके अनुसंधान में प्रवृत्त होना चाहिये और उस युग की शब्दावली को देखना चाहिए, जिस युग का वह ग्रन्थ है, जिसमें वह अपरिचित शब्द मिला है।

अपरिचित शब्दरूप में ऐसे शब्द भी आयेंगे जिनके सामान्य अर्थ से हम भले ही परिचित हो पर उसका विशिष्ट अर्थ भी होता है। वे किसी ऐसे क्षेत्र के शब्द हो सकते हैं, जिन्हें हमारा परिचय नहीं, और विशेषतः उस युग के विशिष्ट क्षेत्र की शब्दावली से जिस युग में वह पांडुलिपि प्रस्तुत की गयी थी। प्राचीन काव्यों में ऐसे विशिष्ट शब्द पर्याप्त मात्रा में मिल सकते हैं।

प्रथमतः परिचित लगने वाले किन्तु मूलतः विशिष्टार्थक ऐसे शब्द-रूपों की चर्चा

ऊपर हो चुकी है। यहाँ 'अपरिचित रूप' की दृष्टि से 'कीर्तिलता' से एक और उदाहरण दे रहे हैं :

कीर्तिलता के 2133 वें दोहे का पाठ डॉ० अग्रवाल¹ ने मो दिया है ,

“हृद्दिह हृद्दि भमन्तओ ह्रमओ राज कुमार ॥214

दिद्विट कुतूहल कज्ज रस तो इट्ठ दरबार ॥215 ॥”

इस दोहे में 'कज्ज रस' दो शब्द हैं। इन शब्दों के रूपों से प्रथमतः हम अपरिचित नहीं प्रतीत होते, किन्तु युगीन शब्दावली की दृष्टि से ये विशिष्टार्थक हैं अतः इन्हें अपरिचित माना जा सकता है। प्रसंग दरबार का है अतः उस सम्बन्ध में इसका अर्थ ग्रहण करना होगा। डॉ० अग्रवाल की 'कज्ज' और 'रस' पर टिप्पणी पठनीय है। वे लिखते हैं :

“215 कज्ज = आवेदन, न्यायालय या राजा के सामने फरियाद। स० कार्य > प्रा० कज्ज का यह एक पारिभाषिक अर्थ भी था। कार्य = अदालती फरियाद। (स्वैरालापे स्त्री वयस्यापचारे कार्यारम्भे लोकवादाश्रये च। क श्लेष कञ् शब्दाक्षराणा पुष्पापीडे कण्टकाना यथैव ॥ पद्मप्राभृतकम् श्लोक 18 ॥ कार्यारम्भ का अर्थ यहाँ लिखित फरियाद या अदालती अर्जी दावा है। 'पाठताडितकम्' में अर्जी देने वाले वादी या फरियादी लोगों को कार्यक कहा गया है, 'अधिकरणगतऽपि क्रोशता कार्यकानाम्'। कालिदास ने भी कार्य शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त किया है। वहिर्निष्क्रम्य ज्ञायता क क कार्यर्षोति (मालविकाग्निमित्र, आष्टे, मोनियर विलियम्स स० कोश)। रस-स० रस√ > प्रा० रस = चिल्लाकर कहना।

कज्ज रस = अपनी फरियाद कहने के लिए।

स्पष्ट है कि कज्ज या कार्य और रस दोनों प्रतिपरिचित शब्द हैं पर प्रसंग विशेष से अर्थ पर पहुँचने के लिए मूलतः अपरिचित हैं। ऐसे शब्दों को विशिष्टार्थक कोटि में रखा जा सकता है, पर क्योंकि ये रूपतः विशिष्टार्थक नहीं सामान्य ही लगते हैं, अतः इन्हें 'अपरिचित' कोटि में रखा जा सकता है।

अब एक उदाहरण अपरिचित शब्द की लीला का 'काव्य निर्णय' के दोहे में देखिये। 'चन्दमुखिन के कुचन पर जिनको सदा बिहार।

'अहह करेँ ताही करन चरबन फेरबदार ॥' 'चरबन फेरबदार' पर टिप्पणी करते हुए डॉ० विश्वोरीलाल² ने जो लिखा है उसे यहाँ उद्धृत किया जाता है। इससे अपरिचित शब्दों की लीला स्पष्ट हो सकेगी। डॉ० विश्वोरीलाल ने सम्मेलन पत्रिका में लिखा है :

“इस (चरबन फेरबदार) का पाठ विभिन्न प्रतिषों में किस प्रकार मिलता है उसे देखें—

- (1) भारत जीवन प्रेस काशीवासी प्रति का पाठ-‘चखन फेरबदार’
- (2) वेमवेडियर प्रेस प्रयाग वाली प्रति का पाठ-‘चिरियन फेरबदार’
- (3) वैकटेश्वर प्रेम बम्बई की प्रति का पाठ-‘चखदन फेरबदार’
- (4) कल्याण दास ज्ञानवापी वाराणसी का पाठ-‘चखन फेरबदार’

1. वही, पृ० 120-121

2. विश्वोत्तम, (डॉ०)—सम्मेलन पत्रिका (भाग 56, पृष्ठा 2-3) पृ० 181-182

वास्तव में केरवदार¹ का अर्थ श्रृगालिनी है, उसे न समझने के कारण 'फैलदार' आदि पाठ स्वीकार किया गया और चर्वण के अर्थ से अनभिज्ञ रहने के कारण 'चखन' आदि मन-गढ़न्त पाठों की कल्पना करनी पड़ी। इस प्रकार के पाठ गढ़न्त के नमूने अन्यत्र भी मिलते हैं। ब्रजभाषा के पुराने टीकाकार सरदार कवि ने 'रसिक प्रिया' की टीका में इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख किया है कि किस तरह लोच (रिश्वत) शब्द से परिचित न रहने के कारण, लोगो ने किसी-किसी प्रति में लोच कर दिया है। 'लोच' शब्द वाली पक्तियाँ हैं

'जालगि लाच खुगाइन दै दिन नानन चावत सौंभ पहारै'

रसिक प्रिया', केशवदास 5/12 प्र० सं० पृ० 75 नवल किशोर प्रेस, लखनऊ।

पापाण मुद्रणालय, मथुरा से प्रकाशित ग्वालकवि कृत 'कवि-हृदय-विनोद' में एक शब्द 'बाधनीपोरि' मिला है। इस शब्द से परिचित न रहने के कारण 'ग्वाल रत्नावली' के सम्पादक न 'बाधनी' और 'पोरि' दो भिन्न शब्दों की कल्पना करली और 'पोरि' की टिप्पणी दी है 'घर में' जो अर्थ की दृष्टि से नितान्त अशुद्ध है। 'सक्षिप्त शब्द-सागर' में भी इस शब्द के शुद्ध अर्थ को देखा जा सकता था। वहाँ इसका अर्थ इस प्रकार किया गया है 'बाधनीपोरि'-पशुओं के बाधने का स्थान (सक्षिप्त शब्द सागर, पृ० 803)। बाधनीपोरि वाली पक्तियाँ हैं—'फिर बाधनी पोरि मुहावनि है (कविहृदयविनोद, पृ० 89)। इसी प्रकार 'कविहृदयविनोद' के अन्य छन्द में पाठ की दुर्गति ही नहीं की गई वरन् उसका बड़ा विचित्र रूप देखने का मिला है

'खासो है तमासा चलि देख मुखमा सो बीर,
कुज में भवासी है मयूर मजु लाल की।
चाह चादनी की वर विमल बिछावन पै,
चदवा तन्यो है, रविनाती रगलाल की।'

अंतिम अक्षर होना तो चाहिये—री बनाती रगलाल की।' किन्तु सम्पादक जी ने उसे 'रविनाती' (सूर्य का नाती) समझा।²

इस उद्धरण से और इसमें दिये उदाहरणों से अपरिचित शब्दों की पांडुलिपि-विज्ञान की दृष्टि से लीला सिद्ध हो जाती है।

कुपठित

इन रूपों के अतिरिक्त शब्द की दृष्टि से 'कुपठित' शब्द की ओर भी ध्यान जाना चाहिये। 'कुपठित' शब्द उन शब्दों को कहते हैं, जो लिपिकार ने तो ठीक लिखे हैं किन्तु पाठक द्वारा ठीक नहीं पढ़े जा सके। एक शब्द था त्रसरेणु। 'त्रसरेणु' ही लिखा गया था किन्तु 'त्र' के चिमटे की दानों रेखाएँ परस्पर मिल-सी रहीं थी, अतः 'व' पढ़ी गई। 'व' पढ़ने से अर्थ ठीक नहीं बँट रहा था, तब सम्पादक ने आतिशी शीशे (Magnifying glass) की सहायता ली तो समझ में आया कि यह 'व' नहीं त्र है, और 'कुपठित' शब्द सुपठित हो

1. यह शब्द 'केरुदार' होगा। केरु=श्रृगाल, वर केरव=अज्ञान और दार=दार, स्त्री=श्रृगालिनी

2. किछीपिछास, सम्भजन-पत्रिका (भाग 56, सख्या 2-3), पृ० 181-82

गया, तथा अर्थ ठीक बैठ गया, अतः ऐसे कुपठित शब्दों के जाल से भी बचने के उपाय पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी को करने होंगे।

यहाँ तक हमने शब्दरूपों की चर्चा की। लिपि के उपरान्त शब्द ही इकाई के रूप में उभरते हैं—और ये शब्द ही मिलकर चरण या वाक्य का निर्माण करते हैं। ये चरण या वाक्य ही किसी भाषा की यथायं इकाई होते हैं। शब्द तो इस इकाई को तोड़कर विश्लेषित कर अर्थ तक पाठक द्वारा पहुँचाने की सोपानें हैं। यथार्थ अर्थ शब्द में नहीं सार्यक शब्दावली की सार्यक वाक्य-योजना में रहता है। वस्तुतः किसी भी पाण्डुलिपि का निर्माण या रचना किसी अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए ही होती है। यह विश्लेषित शब्द यदि अपने ठीक रूप में ग्रहण नहीं किया गया तो अर्थ भी ठीक नहीं मिल सकता। भर्तृहरि ने 'वाक्य-पदीय' में बताया है :

“धारमरूप यथा ज्ञाने ज्ञेय रूपच दृश्यते
अर्थरूप तथा शब्दे स्वरूपश्च प्रकाशते।”

अर्थात् ज्ञान जैसे अपने को और अपने ज्ञेय को प्रकाशित करता है उसी प्रकार शब्द भी अपने स्वरूप को तथा अपने अर्थ को प्रकाशित करता है।¹

शब्द के साथ अर्थ जुड़ा हुआ है। अर्थ से ही शब्द सार्यक बनता है। यह सार्यकता शब्द में यथार्थतः पदरूप से आती है। वह वाक्य में जो स्थान रखता है, उसके कारण ही उसे वह अर्थ मिलता है जो कवि या कृतिकार को अभिप्रेत होता है।

अर्थ समस्या

पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी के लिए अर्थ की समस्या भी महत्त्व रखती है। अर्थ ही तो ग्रन्थ की भात्मा होती है। 'शब्द-रूप' की समस्या तो हम देख चुके हैं कि मिलित शब्दावली में से ठीक शब्द-रूप पर पहुँचने के लिए भी अर्थ समझना आवश्यक है और ठीक अर्थ पाने के लिए ठीक शब्द-रूप। यहाँ एक और उदाहरण 'कीर्तिलता' से लेने हैं। डॉ० वासुदेवशरण भद्रवाल ने यह भूमिका देते हुए कि “इन पूर्व टीकाग्रो में कीर्तिलता के अर्थों की जो स्थिति थी उसकी तुलना वर्तमान सजीवनी टीका के अर्थों से करने पर यह समझा जा सकेगा कि कीर्तिलता के अर्थों की समस्या कितनी महत्त्वपूर्ण थी और उसे किस प्रकार उलझा हुआ छोड़ दिया गया था।” अपने इस कथन का पुष्ट करने के लिए उन्होंने बहुत-से स्थलों की चर्चा की है। इसी सन्दर्भ में पहली चर्चा है इस पंक्ति की।

(1) भेद्र करन्ता मम उवइ दुर्जन वरिण होइ । 1/22

डॉ० भद्रवाल ने इस पर लिखा है कि—

“वासुरामजी ने 'भेद्रक हन्ता मुञ्जुजइ' पाठ रखा है जो 'क' (प्रति) का है। भद्रारो को गलत जोड़ देने से यहाँ उन्होंने अर्थ किया है—यदि दुर्जन मुझे काट डाले अथवा मार डाले तो भी वरि नहीं। उन्होंने टिप्पणी में 'भेद्र कहन्ता' देते हुए अर्थ दिया है—'यदि दुर्जन मेरा भेद्र कह दे।' शिवप्रसाद सिंह ने इसे ही अपनाया है। यास्तव में 'अ' प्रति से इसके मूल पाठ का उद्धार होता है। मूल का अर्थ है—मर्म का भेद्र करता हुआ दुर्जन पास

1. डॉ० किशोरलाल के निबन्ध 'प्राचीन हिन्दी काव्य पाठ एवं अर्थ विवेचन' से उद्धृत। सम्मेलन पत्रिका (भाग 56, सं० 2-3), पृ० 187।

भावे तो भी शत्रु नहीं होगा । 'उवई' < प्राकृत-भवहट्ट वातु है, जिसका अर्थ पास आना है ।¹

इस विवेचन से एक और तो यह स्पष्ट होता है कि 'मिलित शब्दावली' में से शब्द-रूप बनाते समय भ्रक्षरो को गलत जोड़ देने से गलत शब्द बन जाता है । भ्रक्षरकहन्ता । करन्ता, में से 'भ्रक्षक' बनाने में 'कहन्ता' या 'करन्ता' के 'क' को भ्रक्ष से जोड़कर 'भ्रक्षक' बना दिया है, यह गलत शब्द बन गया । इससे अर्थ गलत हो गया, उत्पन्न गया और समस्या बना रह गया ।

दूसरी यह बात विदित होती है कि एक अपरिचित शब्द 'उवह' पूर्व टीकाकारों ने ग्रहण नहीं किया । यह प्राकृत भवहट्ट का रूपान्तर था ।

अतः अर्थ-समस्या के दो कारण ये प्रकट हुए

1. मिलित शब्दावली में से ठीक शब्द-रूप का न बनना, और

2. किसी अपरिचित शब्द को परिचित शब्दों की कोटि में लाने की असमर्थता ।

डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'सन्देश-रासक' के समस्यार्थक स्थलो पर प्रकाश डालते हुए 'भ्रारद्' शब्द के सम्बन्ध में बताया है कि 'भ्रारद्' शब्द का यह अर्थ (अर्थात् जुलाहा) भ्रक्षरपूर्व अवश्य है । देशीनाममाला कोश में उन्हे यह शब्द नहीं मिला, हाँ, 'भ्रारद्ध' मिला और 'भ्रारद्ध' भ्रक्षर समीकरण से 'भ्रारद्' हो सकता है । 'भ्रारद्ध' के अर्थ कोश में दिये हैं : प्रबद्ध, सतृष्ण और गृह में आया हुआ । तन्तुवाय या जुलाहा अर्थ नहीं हैं । उधर टीकाकारों ने इसका अर्थ 'जुलाहा' किया है—आगे कवि ने अपने को कोरिया या कोरिया लिखा भी है, अतः जुलाहा तो वह था । इसलिए डॉ० द्विवेदी ने यह निर्देश भी दिया है कि 'किसी शब्द के अन्य ग्रन्थों में न मिलने मात्र से उसके अर्थ के विषय में शका उठाना उचित नहीं है । सम्भव है किसी अधिक जानकार को वह शब्द अन्यत्र मिल भी जाय ।'²

इस कथन से यह तो सिद्ध हो गया कि 'भ्रारद्' शब्द पक्की तरह से अपरिचित शब्द है, रूप में भी और अर्थ में भी, वरन् उसके अर्थ का स्रोत केवल टीकाएँ हैं । इन टीकाओं ने यह अर्थ 'भ्रारद्' का किस आधार पर किया, किस प्रमाण से इसे सिद्ध किया, यह भी हमें विदित नहीं ।

अतः कही-कही अर्थ-समस्या उक्त प्रकार से एक नया रूप ले लेती है । शब्द अपरिचित अर्थ परिचित किन्तु अप्रामाणिक आधार पर जिसका स्रोत तक ज्ञात नहीं । अर्थ परिचित हैं क्योंकि ग्रन्थ की टीका में मिल जाता है । टीका का स्रोत क्या है यह अविदित है ।

इसी पद्य में एक और प्रकार से अर्थ-समस्या पर विचार किया गया है । वह है 'मीर से ण (न) स्स' पर व्याकरण की दृष्टि से विचार । पद्य में 'मीर से ण स्स' शब्द है, टीकाकारों ने 'मीर से नाख्य' रूप में इसकी व्याख्या की है । अर्थ की यह समस्या डॉ० द्विवेदी ने यो प्रस्तुत की है ।

'भ्रारद्दो मीरसेणस्स' का अर्थ 'भ्रारद्दो मीरसेनाख्य' नहीं हो सकता । 'मीरसेणस्स' पठ्यन्त पद है, उसकी व्याख्या 'मीर सेनाख्य' प्रथमात् पद के रूप में नहीं होनी चाहिये ।

1. अवलोकन, वायुदेवधारण (डॉ०)—कीर्तिलता, पृ० 19-20 ।

2. द्विवेदी, हजारीप्रसाद—संक्षेप उल्लेख, पृ० 11 ।

स्पष्ट है कि टीकाकारों ने व्याकरण रूप पर (मीरसेन का प्रयोग पठ्यन्त में है इस पर) ध्यान नहीं दिया, अतः अर्थ की समस्या जटिल हो गयी। अर्थ की दृष्टि से व्याकरण के प्रयोग पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है।

इसे भी स्पष्ट करते हुए डॉ० द्विवेदी लिखते हैं कि 'वम से वम धारद्' को 'ग्रह प्रागत' करने में 'मीरसेनस' की सगति बँठ जाती है। 'धारद्' शब्द का अर्थ 'तन्तुवाय' न भी होता हो तो यह अर्थ ठीक बँठ जाता है। "मीरसेन के घर आया हुआ, (विशेषण विच्छिन्ति वक्ष जुलाहा भी) उसी का पुत्र कुल-वमल प्रसिद्ध महद्गण हुआ।" यह अर्थ ठीक जमता है।¹

व्याकरण पर ध्यान न देने से भी अर्थ-समस्या जटिल हो जाती है, यह इस उदाहरण से सिद्ध है।

सन्देश रासक के ही एक शब्द के सम्बन्ध में डॉ० द्विवेदी ने यह स्थापना की है कि शब्द के जिस रूपान्तर को अर्थ के लिए ग्रहण किया गया है वह न केवल व्याकरण मूलतः ही होना चाहिये, भाषा-शास्त्र द्वारा अनुमोदित भी होना चाहिये, तभी ठीक अर्थ प्राप्त हो सकता है। यह स्थापना उन्होंने 'अक्षरहीणत' शब्द पर विचार करते हुए की है। इस शब्द का अर्थ टिप्पणकार ने बताया है 'अक्षरहीण' (= भाषा उद्दिग्) और अवचूरिकाकार ने 'अक्षरहीण' (= रासना चलने से उद्दिग् या यका हुआ-सा)। यह अर्थ इसलिए किया गया कि दोनों ने उद्दिग्ण को उद्दिग्ण का रूपान्तर मान लिया। द्विवेदी जी ने बताया है कि स० रा० में उद्दिग्ण का रूपान्तर 'उद्दिग्' हुआ है, और कई स्थला पर आया है फिर यहाँ उद्दिग्ण का रूप उद्दिग् ही होना चाहिये था 'उद्दिग्' नहीं। 'उद्दिग्' भाषा शास्त्र से उद्दिग्ण का रूपान्तर नहीं उठर सकता, अतः इसका अर्थ उद्दिग्ण भी नहीं किया जा सकता। 'उद्दिग्' का अर्थ 'उडता हुआ' और पूरे शब्द का अर्थ होगा भाषा उडता हुआ-सा।²

अर्थ की समस्या का एक कारण होता है—जिसी शब्द-रूप के बाह्य-साम्य से अर्थ कर बँठना। स० रा० में एक शब्द है 'कोसिल्लि' इसका बाह्यसाम्य 'कुशल' से मिलता है, अतः टिप्पणकार और अवचूरिका म (श० 22) इसका अर्थ 'कुशलान् अर्थात् कुशलतापूर्वक' कर दिया गया। पर 'देशीनाममाला' में इस शब्द का अर्थ दिया गया है 'प्राभृतम्'। स्पष्ट है कि टिप्पणकार और अवचूरिका म लेखकों ने इस शब्द के यथार्थ अर्थ को ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं किया। प्राभृतम् अर्थ ठीक है, यह डॉ० द्विवेदी का अभिमत है।³

शब्द-रूप को अर्थ की दृष्टि से समीचीन मानने में छन्द की अनुकूलता भी देखनी होती है। डॉ० द्विवेदी ने स० रा० में 'उरहृवदण केणइ विरहृभल पुणावि अगं परिहिसर्याहि' में बताया है कि छन्द की दृष्टि से इसमें दो मात्राएँ अधिक होती हैं। उनका सुभाव है कि 'सो' तथा 'ज' प्रति के पाठ में 'विरहृव' शब्द है, 'विरहृभल' के स्थान पर यही ठीक है। 'हृव' का अर्थ अग्नि है। इसी अर्थ में स० रा० में अ-यत्र भी आया है। इसी प्रकार छन्द-दोष भी दूर हो जाता है, इसीलिए डॉ० द्विवेदी इसे कविसम्मत भी मानते हैं।

1 द्विवेदी, हजारीप्रसाद—संदेश-रासक, पृ० 12।

2 वही, पृ० 21।

3 वही, पृ० 53।

इस प्रकार हमने पाडुलिपि की दृष्टि से अर्थ की समस्या को विविध पहलुओं से देखा है। इसमें हमने पाडुलिपियों के अर्थ-विशेषज्ञों के साध्यों का सीधे उपयोग किया है।

किन्तु इसी के साथ सामान्यतः अर्थ-ग्रहण के उपायों का शास्त्र में (काव्य-शास्त्र में) जिस रूप में उल्लेख हुआ है, उसका भी विवरण अत्यन्त संक्षेप में दे देना उचित होगा।

काव्य शास्त्र द्वारा प्रतिपादित तीन शब्द शक्तियों से सभी परिचित हैं, वे हैं अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जना।

एक शब्द के बोध में कई अर्थ होते हैं। स्पष्ट है कि कितने ही शब्द अनकार्यो हात हैं, किन्तु एक रचना में एक समय में एक ही अर्थ ग्रहण किया जा सकता है ऐसी 14 बातें काव्य-शास्त्रियों ने बतायी हैं जिनके कारण अनेकार्थी शब्दों का एक ही अर्थ माना जाता है, ये 14 बातें हैं 1 सयोग, 2 वियोग, 3 साहचर्य, 4 विरोध, 5 अर्थ, 6 प्रकरण, 7 लिंग, 8 अर्थ साम्य, 9 सामर्थ्य, 10 औचित्य, 11 देश, 12 काल, 13. व्यक्ति, एवं 14 स्वर।

किन्ती भी शब्द का एक अर्थ पाने के लिए इन बातों की सहायता ली जाती है। इनका विस्तृत ज्ञान किन्ती भी काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थ (जैसे—काव्य प्रकाश) से किया जा सकता है। वस्तुतः इतना तो किन्ती भी अर्थ को प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक ज्ञान ही माना जा सकता है।

इस सम्बन्ध में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो चेतावनी दी है, वह ध्यान में रखन योग्य है। वे कहते हैं, “प्राचीन कवियों के प्रयुक्त शब्दों का अर्थ करने में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। एक ही शब्द विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है।” इस वाक्य में आचार्य महोदय ने देशभेद से शब्दार्थ-भेद की ओर संकेत किया है, अतः अर्थ-ग्रहण के लिए ग्रन्थ और लेखक के देश का भी ध्यान रखना हीता है। यही बात काल के सम्बन्ध में भी है। कालभेद से भी शब्दार्थ-भेद हो जाता है।

विशिष्ट ज्ञान, जो पाडुलिपि-विज्ञानार्थी में अपेक्षित है, उसकी ओर कुछ संकेत ऊपर किये गये हैं। विविध विद्वानों के अर्थानुसंधान के प्रयत्न भी उनके उद्घरणों और उदाहरणों सहित बताय गये हैं। इनसे अर्थ तक पहुँचने की व्यावहारिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है। उससे मार्ग का निर्देश मात्र होता है।

(

□ □ □

रख - रखाव

पाडुलिपियों के रख-रखाव की समस्या

पाडुलिपियों के रख-रखाव की समस्या भी अन्य समस्याओं की भाँति ही बहुत महत्त्वपूर्ण है। हम यह देख चुके हैं कि पाडुलिपियाँ ताड़पत्र, भूर्जपत्र, कागज, कपड़ा, लकड़ी, रेशम, चमड़े, पत्थर, मिट्टी, चाँदी, सोने, ताँबे, पीतल, कसि, लोहे, सगमरमर, हाथीदाँत, सीप, शकल आदि पर लिखी गई हैं, अतः रख-रखाव की दृष्टि से प्रत्येक की भलग-भलग देख रेख आवश्यक होती है।

डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द भोभा ने बताया है कि "दक्षिण की अधिक ऊष्ण हवा में ताड़पत्र की पुस्तकें उतने अधिक समय तक रह नहीं सकती जितनी कि नेपाल आदि शीत देशों में रह सकती हैं।"¹

यही कारण है कि उत्तर में नेपाल में ताड़पत्र पुस्तकों की खोज की गई तो ताड़पत्र की पुस्तकें अच्छी दशा में मिली। इसी कारण से 11वीं शताब्दी से पूर्व के ग्रन्थ कम मिलते हैं। 11वीं शती से पूर्व के ताड़पत्र के ग्रन्थ इस प्रकार मिले हैं—

दूसरी ईस्वी शताब्दी	एक नाटक की पाडुलिपि का ग्रन्थ जो नुटित है।	
चौथी ईस्वी शताब्दी	ताड़पत्र के कुछ टुकड़े।	काशगर से मैकटिन द्वारा भेजे हुए।
छठी ईस्वी शताब्दी	1. प्रजापारमिता-हृदय-सूत्र ।) 2. ऊष्णीष विजय-धारणी (बौद्ध ग्रन्थ)।)	जापान के होरियूजी मठ में।
सातवीं ईस्वी शताब्दी	स्कन्द-पुराण।	नेपाल ताड़पत्र संग्रह।
नवीं (859 ई०) शताब्दी	परमेश्वर-तन्त्र।	केंब्रिज संग्रह में।
दसवीं (906 ई०) शताब्दी	लकावतार।	नेपाल के ताड़पत्र संग्रह में।
और बस।		

यही स्थिति भोजपत्र पर लिखी पुस्तकों की है। ये भूर्जपत्र या भोजपत्र पर लिखी पुस्तकें अधिकांश काश्मीर से मिली हैं —

1. भारतीय प्राचीन लिपि-शास्त्र, पृ० 143।

दूसरी-तीसरी शताब्दी ई०	धम्मपद) भाषा—प्राकृत,) लिपि—खरोष्ठी ।)	खोतान (मध्य एशिया) से प्राप्त ।
चौथी शताब्दी ई०	सयुक्तागम सूत्र (संस्कृत)	खोतान से प्राप्त ।
छठी ,, ,,	मि० वेदर को प्राप्त ग्रन्थ	
आठवीं ,, ,,	प्रकगणित	बश्शाली से प्राप्त ।

इन पर महामहोपाध्याय श्रीभाजी की टिप्पणी है कि 'ये पुस्तके स्तूपों के भीतर रहने या पत्थरों के बीच गढ़े रहने से ही उतने दीर्घकाल तक बच पायी हैं, परन्तु खुले वातावरण में रहने वाले भूर्जपत्र के ग्रन्थ ई०स० की 15वीं शताब्दी से पूर्व के नहीं मिलते, जिसका कारण यही है कि भूर्जपत्र, ताडपत्र या कागज अधिक टिकाऊ नहीं होता।'¹

इन उल्लेखों से विदित होता है कि—

1. ताडपत्र-भूर्जपत्र आदि यदि कहीं स्तूप आदि में या पत्थरों के बीच बहुत भीतर दबा कर रखे जाएँ तो कुछ अधिक काल तक सुरक्षित रह सकते हैं ।
2. ऐसे खुले ग्रन्थ 4-5 शताब्दी से पूर्व के नहीं मिलते अर्थात् 4-5 शताब्दी तो चल सकते हैं, अधिक नहीं ।

इसी प्रकार की कागज के ग्रन्थों की भी स्थिति है ।

पाचवीं शताब्दी ई०	4 ग्रन्थ (मि० वेदर को मिले) भारतीय मुस्त-लिपि में लिखे	कुगिघर (म०ए०) में यारकद से 60 मील दक्षिण, जमीन में गढ़े मिले ।
॥	संस्कृत ग्रन्थ	काशगर (म०ए०) में

कागज के सम्बन्ध में भी श्रीभाजी² ने यही टिप्पणी दी है कि "भारतवर्ष के जल-वायु में कागज बहुत अधिक काल तक नहीं रह सकता ।"

ऊपर उदाहरणार्थ जो तथ्य दिये गये हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि ताडपत्र, भूर्ज-पत्र, या कागज या ऐसे ही अन्य लिप्यासन यदि बहुत नीचे या बहुत भीतर दबा कर रखे जायें तो दीर्घजीवी हो सकते हैं । पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ऐसे दबे हुए ग्रन्थ भी ई० सन् की पहली-दूसरी शताब्दी से पूर्व के प्राप्त नहीं होते ।

इसका एक कारण तो भारत पर विदेशी आक्रमणों का चक्र हो सकता है । ऐसे कितने ही आक्रमणकारी भारत में आये जिन्होंने मन्दिरों, मठों, बिहारों, पुस्तकालयों, नगरों, बाजारों को नष्ट और ध्वस्त कर दिया, जसा दिया ।

अपने यहाँ भी कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने ऐसे ही कृत्य किये । अजयपाल ने सम्बन्ध में टॉड ने लिखा है कि—

1. भारतीय प्राचीन लिपि-शास्त्र, पृ० 144 ।

३६. "इसके शासन में सबसे पहला कार्य यह हुआ कि उसने अपने राज्य के सब मन्दिरों को, वे ब्राह्मणों के हो अथवा नास्तिकों के, जैनो के हो अथवा ब्राह्मणों के, नष्ट करवा दिया ।¹ इसी में धरुण यह भी बताया गया है कि समधर्मानुयायियों के मतभेदों और वंशान्तरों के कारण भी लाखों को क्षति पहुँची है । उदाहरणार्थ—तपागच्छ और खरतरगच्छ नामक मुख्य (जैन धर्म के) भेदों के आपसी कलह के कारण ही पुराने लेखों का नाश अधिक हुआ है और मुसलमानों द्वारा कम ।"² टॉड को यह तथ्य स्वयं विद्वान् जैनो के मुख से सुनने को मिला ।

अतः ग्रन्थों और लेखों के नाश में साम्प्रदायिक विद्वेष का भी बहुत हाथ रहा है, सम्भवतः बाहरी आक्रमणों से भी अधिक । यद्यपि अलाउद्दीन के आक्रमण का उल्लेख करने हुए टॉड ने लिखा है कि "सब जानते हैं कि खून के प्यासे अल्ला (अभिप्राय अलाउद्दीन से है) ने बीवारों को ताड़कर ही दम नहीं ले लिया था वरन् मन्दिरों का बहुत-सा माल नीवों में गड़वा दिया, महल खड़े किये और अपनी विजय के अन्तिम चिह्नस्वरूप उन स्थलों पर गधों से हल चलवा दिया, जहाँ वे मन्दिर खड़े थे ।"³

अतः इन स्थितियों के कारण ग्रन्थों के रख-रखाव के साथ ग्रन्थागारों या पोथी-भण्डारों को भी ऐसे रूप में बनाने की समस्या थी कि किसी आक्रमणकारी को आक्रमण करने का लालच ही न हो पाये । इसीलिये ये भण्डार तहखानों में रखे गये । टॉड ने बताया है कि "यह भण्डार नये नगर के उस भाग में तहखानों में स्थित हैं जिसको सही रूप में अणुहिलवाडा का नाम प्राप्त हुआ है । इसकी स्थिति के कारण ही यह अल्ला (उद्दीन) की गिद्ध-दृष्टि से बचकर रह गया अन्यथा उसने तो इस प्राचीन आवास में सभी कुछ नष्ट कर दिया था ।"⁴

टॉड महोदय का यही विचार है कि भू-गर्भ स्थित होने के कारण यह भण्डार बच गया, क्योंकि ऊपर ऐसा कोई चिह्न भी नहीं था जिससे आक्रमणकर्त्ता यह समझ कर आकर्षित होता कि यहाँ भी कोई नष्ट करने योग्य सामग्री है ।

'जैन ग्रन्थ भण्डारों इन राजस्थान' में डॉ० कासन्नीवाल जी ने भी बताया है कि : अत्यधिक असुरक्षा के कारण अथ भण्डारों को सामान्य पहुँच से बाहर के स्थानों पर स्थापित किया गया । जैसलमेर में प्रसिद्ध जैन-भण्डार इसीलिए बनाया गया कि उधर रेगिस्तान में आक्रमण की कम सम्भावना थी । साथ ही मन्दिर में भूगर्भस्थ कक्ष बनाये जाते थे और आक्रमण के समय ग्रन्थों को इन तहखानों में पहुँचा दिया जाता था । सागानेर, ग्रामेर, नागौर, मौजमाबाद, अजमेर, जैसलमेर, फतेहपुर, दूनी, मालपुरा तथा कितने ही अन्य (जैन) मन्दिरों में आज भी भूगर्भस्थ कक्ष हैं, जिनमें ग्रन्थ ही नहीं मूर्तियाँ भी रखी जाती हैं । ग्रामेर में एक बृहद् भण्डार था, जो भू-गर्भ कक्ष में ही था और अभी केवल तीस बर्ष पहले ही ऊपर लाया गया । जैसलमेर के प्रसिद्ध भण्डार का सम्पूर्ण अंश तहखाने में ही सुरक्षित था । ऐसे तहखानों में ही ताडपत्र की पुस्तकें तथा कागज की बहुमूल्य पुस्तकें रखी

1. टॉड, ग्रन्थ—पश्चिमी भारत की यात्रा, पृ० 202 ।

2. वही, पृ० 298 ।

3. वही, पृ० 237 ।

4. वही, पृ० 246 ।

जाती थी। लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि इससे भी बड़ा भण्डार जैसलमेर में अब भी भूगर्भस्थ-कक्ष में है।¹

सामान्य पहुँच से दूर स्थानों पर ग्रन्थ-भण्डारों के रखने के कई उदाहरण मिलते हैं। डॉ० रघुवीर ने मध्य एशिया में तुन्हुँङ्ग स्थान की यात्रा की थी। यह स्थान बहुत दूर रेगिस्तान से घिरा हुआ है। यहाँ पहाड़ी में खोदी हुई 476 से ऊपर गुफाएँ हैं जिनमें सज-ता जैसी चित्रकारी है, और मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर एक बन्द कमरे में, जिसमें द्वार तक नहीं था, हजारों पाडुलिपियाँ बन्द थी, ब्राह्मिक रूप से उनका पता चला + एक बार नदी में बाढ़ आ गई, पानी ऊपर चढ़ आया और उसने उस कक्ष की दीवार में सघ बर दी जिसमें किताबें बन्द थी। पुजारी न ईंटों को खिसका कर पुस्तकों का ढेर देखा। कुछ पुस्तकें उसने निकालीं। उनसे विश्व के पुराशास्त्रियों में हलचल मच गई। सर श्रीरल स्टार्डन दौड़े गये और 7000 खरड़े (Rolls) या कुडली ग्रन्थ वहाँ के पुजारी से खरीद कर उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम को भेज दिये। 'ट्रेजर्स ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम' में इसका विवरण यों दिया गया है :

"Perhaps his (Stein's) most exciting discovery, however, was in a walled up chamber adjoining the caves of the thousand Buddhas at Tunhuang on the edge of the Gobi Desert. Here he found a vast library of Chinese Manuscript rolls and block prints, many of them were Buddhist texts translated from the Sanskrit. The climate which had driven away the traders by depriving them of essential water supplies had favoured the documents they had left behind. The paper rolls seemed hardly damaged by age. Stein's negotiations with the priest in charge of the sanctuary proved fruitful. He purchased more than 7,000 paper rolls² and sent them back to the British Museum. Among them are 380 pieces bearing dates between A D 406 and 995. The most celebrated single item is a well-preserved copy of the Diamond Sutra, printed from wooden blocks, with a date corresponding to 11 May, A D 868. This scroll has been acclaimed as 'the world's oldest printed book', and it is indeed the earliest printed text complete with date known to exist."³


सभी ग्रन्थ अच्छी दशा में मिले। कहीं सातवीं शताब्दी ईस्वी शताब्दी से पूर्व के ग्रन्थ कहीं बीसवीं शताब्दी ई०। इतने दीर्घकाल तक अच्छी दशा में अच्छी तरह सुरक्षित (Well Preserved) ग्रन्थों के रहने का कारण एक तो दूर-दराज का रेगिस्तानी पहाड़ी

1 Kashiwal, K C (Dr)—Jain Grantha Bhandars in Rajasthan p 23-24

2 आचार्य रघुवीर की शायरी के आधार पर उक्त लेख में डॉ० लोहेगचन्द ने बताया है कि यह 17 न० की गुफा थी। इनमें 30,000 कल्पितारों (Paper rolls) थीं। उन्होंने यह भी बताया है कि स्टार्डन के बाद वेरिस के प्राध्यापक वेरियो आये, वहाँ 6 महीने रह कर बहुत-सी कल्पितारों ले गये। अब 8000 कल्पितारों बरखा गईं।

— धर्मपुत्र, 23 दिसम्बर, 1973

3. Francis, Frank (Ed)—Treasures of the British Museum, p 251.



तुम्हादर की 476 गुफाओं का शं० लोकाचन्द्र द्वारा प्रयुक्त किया गया रेखाचित्र—विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र में ये कला दुर्ग हैं। इतने यश के समय जहाँ
 चीनी सैनिकों की मशालें देश की रक्षा करती थीं। इन्होंने मशालों के कारण इसका नाम तुन् (धधकती) त्साह् (केतु) पड़ा।

रेगिस्तान, पहाड़, नदी के कारण यह सुरक्षित स्थान माना गया।

स्थान दूसरे, रखने की व्यवस्था—जिस कक्ष में उन्हें रखा गया था वह अच्छी तरह बन्द कर दिया गया था, यहाँ तक कि बौद्ध पुजारी को भी उनका पता ही नहीं था कि वहाँ कोई ग्रन्थ-भण्डार भी है। उसका आकस्मिक रूप से ही पता लगा।¹

इसी प्रकार हम बचपन में यह अनुश्रुति सुनते आये थे कि सिद्ध लोग हिमालय की गुफाओं में चले गये हैं। वहाँ वे आज भी तपस्या कर रहे हैं। डॉ० बशीलाल शर्मा ने 'किन्नोरी लोक-साहित्य' पर अनुसन्धान करते हुए एक स्थान पर लिखा है :

'निडपा-लामा भी कन्दरामो में प्राचीन ग्रन्थों व लामामो की खोज करने लगे और उनके शिष्यों ने इन स्थानों में साधना आरम्भ की। उन लोगों का कथन था कि इन गुप्त स्थानों पर पद्मसम्भव द्वारा रचित ग्रन्थ है तथा इस धर्म में विश्वास करने वाले कुछ महात्मा भी कन्दरामो में छिपे बंटे हैं।'²

इन्होंने मौखिक रूप से मुझे बताया था कि वे एक बौद्ध लामा के साथ एक कन्दरा में होकर एक विशाल बिहार में पहुँचे, जहाँ सबकुछ सोने से युक्त जगमगा रहा था। इन्हें वहाँ एक ग्रन्थ देखना और समझना था, अतः हिमालय की कन्दरामा और गुफामो में ग्रन्थ-भण्डारों की बात केवल कपोल-कल्पना ही नहीं है।

तात्पर्य यह है कि सुरक्षा और स्वस्थता की दृष्टि से हिमालय की गुफामो में भी ग्रन्थ रखे गये। बिहारों में तो पुस्तकों का सग्रह रहता ही था, उसकी पूजा भी की जाती थी। श्री राम-कृष्ण कौशल ने 'कमनीय किन्नोर'³ में बताया है कि "15 आषाढ़ की कानम् में 'कजुरजनो' उत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर सब शिक्षित अथवा अशिक्षित जन श्रद्धाभाव से कानम् बिहार के बृहद् पुस्तकालय के दर्शनों के लिए जाते हैं। कानम् का यह पुस्तकालय ज्ञान-मन्दिर के रूप में प्रतिष्ठित है।"

इन उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि ग्रन्थों की रक्षा की दृष्टि से ही पुस्तकालयों के स्थान चुने जाते थे और उन स्थानों में सुरक्षित कक्ष भी उनके लिए बनाये जाते थे। साथ ही उनका ऊपर का रूप भी ऐसा बनाया जाने लगा कि आक्रमणकारी का ध्यान उस पर न पड़े।

'भारतीय जैन धर्मण संस्कृति घने लेखन कला' के लेखक मुनि श्री पुण्यविजय जी⁴ ने 'पुस्तक घने ज्ञान भण्डारोंनु रक्षण' शीर्षक में बताया है कि पुस्तकों और ज्ञान-भण्डारों के रक्षण की आवश्यकता चार कारणों से सही होती है :

- (1) राजकीय उदय-पुषल
- (2) वाचक की लापरवाही

1. आचार्य रघुवीर के सुपुत्र डॉ० लोकेशचन्द्र ने अपने लेख 'मध्य-एशिया की छवटनी गुफाओं में आचार्य रघुवीर' कोर्बन लेख (धर्मपुत्र : 23 दिसम्बर, 1973) में बताया है कि "यह विज्ञानलेख गोपात्रोद्गु गुफा में है जो बुद्धों की सबसे पहली गुफा है। वाइनालीन विज्ञानलेख के अनुसार सन् 366 में भारतीय भिक्षु लोचुन ने इसका मगत्तरम्भ किया था।" (पृ० 28)। तो स्पष्ट है कि 4वीं शताब्दी ईस्वी में इन गुफाओं का आरम्भ हो गया था।
2. शर्मा, बशीलाल (डॉ०)—किन्नोरी लोक-साहित्य (अप्रकाशित शोध-प्रबंध), पृ० 501।
3. कौशल, रामकृष्ण—कमनीय किन्नोर, पृ० 22।
4. भारतीय जैन धर्मण संस्कृति घने लेखन कला, पृ० 109।

(3) चूहे, कसारी आदि जीव-जन्तुओं के धात्रमण, घोर

(4) बाहर का प्राकृतिक वातावरण ।

राजकीय उयल-पुयल की दृष्टि ग रक्षा के लिए उन्होंने लिखा है, 'मा तेमज घाना जेवा बीजा उयल पायलता जमानामा ज्ञान मण्डारोनी रक्षा माट बहारयो गादा दिखातां मकानों मा तेने राखवात आवता ।' यद्यपि मुनि पुण्यविजय जी यह मानते हैं कि कितने ही बड़े मन्दिरों में जो भूगर्भस्थ गुप्त स्थान हैं वे बड़ी भूतिया को सुरक्षित रखने के लिए हैं क्योंकि उनको घनायास ही स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता था । इससे भी यह बात सिद्ध है कि मन्दिरों में गुप्त स्थान थे घोर हैं घोर उनमें अन्य-भण्डारों को भी सुरक्षित किया गया । कुछ ग्रन्थ भण्डारों के तहखानों में हान के प्रमाण बर्तल टाड की साथी से ही मिल जाते हैं तो ये दोनों उपाय राजकीय उयल पुयल से रक्षा करने के लिए काम में लाये जाते थे ।

वाचको घोर पाठको की लापरवाही से बचाने के लिए जो बातें की जाती थी उनमें से एक तो यह कि वाचकों के ऐसे सस्कार बनाये जाते थे कि जिससे वे पुस्तकों के माथ प्रमाद न कर सकें । दूसरे इसी सांस्कृतिक शिक्षण की व्याप्ति भारत के घर घर में दर्शा जा सकती है यथा जहाँ लिखन-पढ़ने की कोई वस्तु, पुस्तक हो, दवात हो, लगनी हा कागज का टुकड़ा हो क्यों न हो, नीचे जमीन पर कहीं गिर जाय प्रशुद्ध स्थल पर गिर जाय प्रशुद्ध हाथा से छू जाए ता उस पश्चाताप के भाव से गिर पर लगा कर तब यथा-स्थान रखने की सांस्कृतिक परम्परा आज भी मिलती है । इससे ग्रन्थों घोर तद्विषयक सामग्री की रक्षा की भावना सिद्ध होती है ।

पुस्तकों को पढ़ने के लिए या तो चौकी का उपयोग होता था या सम्पुटिका (टिखटी) का उपयोग किया जाता था । इससे पुस्तक का जमीन से स्पर्श नहीं होता था । यह भी नियम था कि स्वच्छ होकर हाथ-पैर धोकर पुस्तक पढ़ी जानी चाहिये । वैसे यह नियम यद्यपि हमारे समय में धीरे धीरे केवल धार्मिक पुस्तकों के लिए लागू होने लगा था । फिर भी, इसकी प्रकृति से भी पता चलता है कि पुस्तकों की सुरक्षा की दृष्टि से उनके प्रति अत्यधिक आदर-भाव पैदा किया जाता था व पुस्तकों किसी भी विषय की क्यों न हों । इसी को मुनिजी ने इन शब्दों में बताया है 'पुस्तकन् धममान वाइ नही से बगडे नही, तेने चानु बने के उडे नही पुस्तक ने शर्दी गर्मी धगेरेनी प्रसर न लागे ये माटे पुस्तक ने पाठानि बचमा राखी तेने ऊपर कबुली घने बधन बीटानि तेने सापडा ऊपर राखता । जे पाना वाचनमा चालू होय तेमने एक पाटी ऊपर मूहकी, तेने हाथनो पासेबी ना लाग ये माटे पानू घने प्र गुठानी बचमा काम्नी के छेवटे कागज ना टुकडो जे बु काई राखी ने वाचता । चौमासानो श्रुतुमा शर्दी भरमा वातावरणो समयाना पुस्तक न भेज न लागे घन ते चौटीन जाय ये माटे खास वाचननो उपयोगी पानाने बहारराखी वाकीना पुस्तक न कबली कपडु बगैरे लपेटी ने राखता ।'¹ इन विवरणों से स्पष्ट है कि वाचन पठन के लिए टिखटी पर पुस्तक रखी जाती थी । सत्र प्रकार से स्वच्छ होकर पढ़ने बँटते थे । पढ़ने न खराब हो इसलिए काम्बी या पटरो जैसी वस्तु पत्तियों के सहारे रखकर पढ़ते थे, इस प्रकार से जंगलियाँ नहीं लग पाती थीं । गर्मी-सर्दी से बचाने के लिए ग्रन्थों को कपड़ों के थैले,

1 भारतीय जैन धर्मण संस्कृति बने लेखन कला, पृ० 113 ।

बस्ते में बन्द करके रखते थे या उन्हें संदूक या पेटी में । उनके ऊपर ग्रन्थ-विषयक आवश्यक सूचना भी रहती थी ।

चूहे तथा कसारी एव अन्य जीव-जन्तुओं से रक्षा के लिए मुनिजी ने प्राचीन-जैन-परम्परा में घोड़ा वड्ड या स० उग्रगधा पुस्तकों की सग्रह पट्टियों में डाली जाती थी । कपूर का उपयोग भी इसीलिए किया जाता था । इसी के लिए यह विधान था कि पुस्तकें दोनों ओर से दावडों से दाब कर पुट्टों को पार्श्वों में रख कर खूब कस कर बाँध दें । फिर इन्हें बस्तों में बाँध कर पेटी में रख दें ।

वाहरी प्राकृतिक वातावरण से रक्षा

इस सम्बन्ध में मुनिजी ने बताया है कि धूप में ग्रन्थ नहीं रखे जान चाहिये । यदि प्रयोग में चौमासे या बरसात की नमी बँध गई हो तो धूप से बचा कर ऐसे गर्म स्थान में रख कर सुखाना चाहिये, जहाँ छाया हो ।

पुस्तकों में नमी के प्रभाव से पन्ने कभी-कभी चिपक जाते हैं । ऐसा स्याही के बनाने में गोंद मात्रा से अधिक पड़ जाने से होता है । नमी से बचाने के लिए एक उपाय तो यही बताया गया है कि पुस्तक का बहुत कस कर बाँधना चाहिये, इससे कीड़े मकोड़ों से ही रक्षा नहीं होती, वातावरण के प्रभाव से भी बच जाते हैं ।

दूसरा उपाय यह बताया गया है कि चिपकने वाली स्याही वाले पन्नों पर गुलाल छिड़क देना चाहिये, इससे पन्ने चिपकेंगे नहीं ।

चिपके हुए पन्नों को एक-दूसरे से अलग करने के लिए यह आवश्यक है कि आवश्यक नमी वाली हवा उसे दी जाय और तब धीरे-धीरे सम्भाल कर पन्नों को एक-दूसरे से अलग किया जाय या चौमासे की भारी बरसात की नमी का लाभ उठा कर पन्ने सम्भाल कर धीरे-धीरे अलग किये जायें, और बाद में उन पर गुलाल छिड़क दिया जाय, अर्थात् भुरक दिया जाय ।

ताड़-पत्र की पुस्तकों के चिपके पन्नों का अलग-अलग करने के लिए भीगे बपड़े को पुस्तक के चारों ओर लपेट कर अपेक्षित नमी पहुँचायी जाय, और पन्ने जैसे-जैसे नम होते जायें, उन्हें अलग-अलग किया जाय ।

इस प्रकार जैन-शास्त्रीय परम्परा में ग्रन्थ-सुरक्षा के उपाय बताये गये हैं ।

और, इसी दृष्टि से हम 1822 ई० में लिखे अह्लिवाडे के ग्रन्थ-भण्डार (पोथी-भण्डार) के टॉड के वर्णन में कुछ उद्धरण पुनः देते हैं

क—“अब हम दूसरे उल्लेखनीय विषय पर आते हैं वह है, पोथी-भण्डार अथवा पुस्तकालय जिसकी स्थिति जिस समय मैंने उसका निरीक्षण किया उस समय तक बिल्कुल 'भज्ञात थी ।”

ख—“तहखानों में स्थित है ।”

ग—“मेरे गुरु जी वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले वे भण्डार की पूजा करने के लिए जा पहुँचे । यद्यपि उनकी सम्मानपूर्ण उपस्थिति ही कुलुक (मोहर) छोड़ने के लिए पर्याप्त थी परन्तु नगर-सेठ के आज्ञा-पत्र बिना कुछ नहीं हो सकता था । पचासत बुनाई गई और उनके समक्ष मेरे यति ने अपनी पत्रायली अथवा हेमाचार्य की प्राध्यात्मिक शिष्य-परम्परा में होने का वश-वृथा उपस्थित किया, - जिसमें देखते ही उन-श्रीयोग पर जादू का-ना अंतर हुआ और उन्होंने गुरुजी को तहखाने में उतर कर 'पुणों पुराने भण्डार' की पूजा करने के

लिए ग्रामन्त्रित किया ।”

घ-सहखाने के तग, अत्यन्त घुटनपूर्ण वातावरण के कारण उनको इस (ग्रन्थ) ग्रन्थेपण से विरत होना पडा ।

ङ-’ सूची की एक बड़ी पोथी है और इसको देख कर इन कमरो में भरे हुए ग्रन्थो की सख्या का जो अनुमान मुझे उन्होंने बताया उसे प्रकट करने मे मुझे अपनी एव मेरे गुरु की सत्य शीलता को सन्देह मे डालने का भय लगता है ।”

च-’वे ग्रन्थ (I) सावधानी से सन्दूको में रखे हुए थे जो

(II) मुद्द ग्रन्थवा बगार की सकडी (Caggar wood) के बुरादे से भरे हुए थे । यह मुद्द का बुरादा कीटाणुमो से रक्षा करने का भ्रूक उपाय है ।

छ-सूची मे और सन्दूको की सामग्री में बहुत अन्तर था ।

ज-’ इस सग्रह की रखवाली बड़े सन्देहपूर्ण ढग से की जाती है और जिनका इसम प्रवेश है वे ही इसके बारे मे कुछ जानते हैं ।”

इन विवरणों से विदित होता है कि भारत मे प्राचीन-काल से ग्रन्थो की रक्षा के प्रति बहुत सचेतन दृष्टि थी, इसके लिए स्थान के चुनाव, उसको आक्रमणकारी की दृष्टि से बचान के उपाय, उनके रख-रखाव मे अत्यन्त सावधानी तथा अत्यन्त पूज्यभाव से उनके उपयोग की सांस्कृतिक आचारिकता पैदा करने के प्रयत्न निरन्तर रहे हैं ।

रख-रखाव की जिस व्यवस्था का कुछ संकेत ऊपर दिया गया है, उसी की पुष्टि ब्यूह्लर¹ के इस कथन से भी होती है :

(93) Wooden covers, cut according to the size of the sheets, were placed on the Bhurja and palm-leaves, which had been drawn on strings, and this is still the custom even with the paper MSS⁵⁵³ In Southern India the covers are mostly pierced by holes, through which the long strings are passed The latter are wound round the covers and knotted This procedure was usual already in early times⁵⁵⁴ and was observed in the case of the old palm leaf MSS from Western and Northern India But in Nepal the covers of particularly valuable MSS (Pustaka) which have been prepared in this manner are usually wrapped-up in dyed or even embroidered cloth. Only in the Jaina libraries the palm-leaf MSS sometimes are kept in small sacks of white cotton cloth, which again are fitted into small boxes of white metal. The collections of MSS, which, frequently are catalogued, and occasionally, in monasteries and in royal courts, are placed under librarians, generally are preserved in boxes of wood or cardboard Only in Kashmir, where in accordance with Muhammadan usage the MSS are bound in leather, they are put on shelves, like our books.

1. Buhler, G. — *Indian Palaeography*, p. 147-48.

553. Bernal, India I, 171, (Sachau).

554 Cf. Harsacarita, 95, where the sutravastanam of a MS is mentioned.

इं ब्यूज़र के उक्त कथन से उन सभी बातों की पुष्टि हो जाती है, जो हमने ग्रन्थ स्रोतों से दी है। कर्नल टॉड ने वृत्ति कीटा से रक्षा के लिए जिस बुरादे का उल्लेख किया है, उसकी चर्चा ब्यूज़र महोदय ने नहीं की। अच्छे बड़े भण्डारा में सूची-पत्र (कैंटेलॉग) भी रहते थे, यह सूचना भी हमें टॉड महोदय में मिल गयी थी। यह अवश्य प्रतीत हुआ कि लम्बे उपयोग के कारण जो ग्रंथ छ्दर-उधर हो गये उनसे सूचीपत्र का ताल-मेल नहीं बिठाया जाता रहा; इसीलिए सूचीपत्र और सन्दूकों के ग्रन्थों में अन्तर पाया गया। सिले पैली-नुमा बस्तों में ग्रन्थों की रखने की प्रथा भी केवल जैन प्रयागारों में ही नहीं ग्रन्थ प्रयागारों में भी मिलती है। प्रयागारों में ग्रन्थों के वेष्टनों के ऊपर ग्रथनाम ग्रथकर्त्तानाम, लिपिकर्त्तानाम, रचनाकाल, निषिवाल, ग्रथप्रदाता का नाम, श्लोक मख्या आदि सूचनाएँ दावों पर, पाटों या पुट्टों पर लिखी जाती थी। इससे बस्ते या पैटी के ग्रन्थों का विवरण मिल जाता था।

बनेल महोदय ने जाने कैसे यह आरोप लगा दिया था कि ब्राह्मण पाडुलिपियों को बुरी तरह रखते हैं। इसका ब्यूज़र ने ठीक ही प्रतिवाद किया है कि यह समस्त भारत के सम्बन्ध में सही नहीं है, समस्त दक्षिण भारत के लिए भी ठीक नहीं। ब्यूज़र ने बताया है कि गुजरात, राजपूताना, मराठा प्रदेश तथा उत्तरी एवं मध्य भारत में कुछ अव्यवस्थित संप्रदों के साथ, ब्राह्मणों तथा जैनो के अधिकांश में विद्यमान अत्यन्त ही सावधानी से सुरक्षित पुस्तकालयों को देखा है।

इस कथन से भी यह सिद्ध होता है कि भारत में ग्रन्थों की सुरक्षा पर सामान्यतः प्रच्छा ध्यान दिया जाता था।

प्राचीन काल में पारश्चात्य देशों में पेपीरस के खरीतों (Scrolls) को सुरक्षित रखने के लिए पार्चमेंट के खोले बनाये जाते थे और उनमें खरीतों को रखा जाता था।¹ बहुत महत्त्व के वागज-पत्रों को रखने के लिए भारत में भी लोहे या टीन के ढक्कन वाले खोखों का उपयोग कुछ समय पूर्व तक होता रहा है।

कागज में विकृतियाँ कुछ ग्रन्थ कारणों से भी होती हैं, उनमें से एक स्याही भी है। श्री गोपाल नारायण बहुरा न इस सम्बन्ध में जो टिप्पणी प्रस्तुत की है उसमें उन बातों का उल्लेख किया है जिनसे पाडुलिपियाँ रूग्ण हो जाती हैं। इन बातों में ही स्याही के विकार से भी पुस्तकें रूग्ण हो जाती हैं यह भी बताया है।² साथ ही इन विकारों से सुरक्षित रखने के उपायों का भी उल्लेख किया है।³

यहाँ तक हमने प्राचीनकालीन प्रयत्नों का उल्लेख किया है किन्तु आधुनिक युग तो वैज्ञानिक युग है। इस युग के वैज्ञानिक प्रयत्नों से पाडुलिपियों की सुरक्षा के बहुत उपयोगी साधन उपलब्ध हुए हैं। अभिलेखागारों (आर्काइव्स), पाडुलिपि संप्रहालयों (मैन्युस्क्रिप्ट

1 The Encyclopedia Americana (Vol IV), p 224

2 देखें द्वितीय अध्याय, पृ० 52-61।

3 "The ink used in making records is also important in determining the longevity of the record, certain kinds of ink tend to fade, the writing disappearing completely after a length of time. Other inks due to their acid qualities eat into the paper and destroy it. An ink in an alkaline medium containing a permanent pigment is what is required."

लाइब्रेरी) आदि में अब इन नये-वैज्ञानिक ज्ञान और उपादानों और साधनों के कारण हस्तलेखागारों की उपयोगिता का क्षेत्र भी बढ़ गया है।

क्षेत्र को बढ़ाने वाले साधनों में दो प्रमुख हैं - एक है, माइक्रोफिल्म तथा दूसरा है, फोटोस्टैट। माइक्रोफिल्म के एक फीते पर कई हजार पृष्ठ उतारे जा सकते हैं, इस पर एक फीते पर कितने ही ग्रन्थ अंकित हो जाते हैं। ऐसा एक फीता छोटे-से डिब्बे में बन्द कर रखा जा सकता है। इस प्रकार ग्रन्थ अपने लेखन-दक्षिण के साथ पृष्ठ या पन्ने के यथार्थ चित्र के साथ माइक्रोफिल्म पर उतार कर सुरक्षित हो जाता है। इसे वे शत्रु नहीं स्पर्श कर पाते जिनके कारण मूल ग्रन्थ की वस्तु को हानि पहुँचती है। हाँ, माइक्रोफिल्म की सुरक्षा की वैज्ञानिक विधियाँ भी हैं, जिनसे कभी किसी प्रकार की क्षति की आशंका होती ही उसे सुरक्षित किया जा सकता है।

किन्तु माइक्रोफिल्मांकित ग्रन्थ को आसानी से किसी भी व्यक्ति को माइक्रोफिल्म की प्रति करके दिया जा सकता है। इस पर व्यय भी अधिक नहीं होता। हाँ, माइक्रोफिल्मांकित ग्रन्थ को पढ़ने के लिए 'रीडर' (पठन-यन्त्र) की आवश्यकता होती है। बड़े सग्रहालयों में ये बहुत बड़े आकार के यन्त्र भी मिलते हैं। साथ ही 'मिजी-यन्त्र'¹ भी होता है। ऐसे पठन-यन्त्र भी हैं, जिनके साथ ही फिल्म-कैमरा भी लगा रहता है। क. मु. हिन्दी तथा भाषा-विज्ञान विद्यापीठ, आगरा में माइक्रोफिल्म कैमरा के साथ रीडर भी है। इस रीडर से पुस्तक का यथार्थ आकार ही दर्शित होता है।

इसी प्रकार फोटो-स्टैट (Photo-stat) यन्त्र से ग्रन्थ की फोटो-प्रतियाँ निकाली जा सकती हैं। ये ग्रन्थ-प्रतियाँ यथार्थ ग्रन्थ की भाँति ही उपयोगी मानी जा सकती हैं। ऐसी प्रतियाँ कोई भी पाठक प्राप्त कर सकता है, अतः सुरक्षा भी बढ़ती है, साथ ही उपयोगिता का क्षेत्र भी बढ़ जाता है।

आज पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारों आदि के रख-रखाव ने स्वयं एक विज्ञान का रूप ग्रहण कर लिया है। इस पर अंग्रेजी में कितने ही ग्रंथ मिलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (National Archives of India) में अभिलेखागार के रख-रखाव (Archives-keeping) में एक डिप्लोमा-पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। पाण्डुलिपि-विज्ञानार्थी को यह प्रशिक्षण भी प्राप्त करना चाहिए।

हम यहाँ संक्षेप में कुछ सकेतात्मक और काम-चलाऊ बातों का उल्लेख किये देते हैं जिसे इसके स्वरूप का कुछ आभास मिल सके और पाण्डुलिपि-विज्ञान का एक पक्ष प्रकृत न रह जाय।

हम यह संकेत ऊपर कर चुके हैं कि जलवायु और वातावरण का प्रभाव सभी पर पड़ता है, तो वह लेखों और तत्सम्बन्धी सामग्री पर भी पड़ता है। किसका, कौसा, क्या प्रभाव पड़ता है, वह नीचे की तालिका में बताया गया है :

जलवायु	वस्तु	प्रभाव
1. गर्म और शुष्क जलवायु	कागज चमड़ा तथा पुष्पा	तड़कने लगता (Brittle) है सूख जाता है

1. मेव वर रख कर उपयोग में लाया जाने वाला यन्त्र।

जलवायु	वस्तु	प्रभाव
2 अधिक नमी (humidity)	कागज	सिकुड़ जाता है एव सील जाता है ।
3 तापमान में अत्यधिक वैविध्य [जाहो में 10 ⁰ से. (50 ⁰ फा०) तथा गर्मी में 45 ⁰ (113 ⁰ फा०) तक] ।	कागज, चमड़े एव पुठे	लोच पर प्रभाव पडता है ।
4 तापमान 32 ⁰ से० (90 ⁰ फा० एव नमी 70 प्रतिशत		कीड़े-मकाडो, पुस्तक-कीट, सिल्वर-फिश, कौकोच, दीमक और फफूँद या चैपा उत्पन्न हो जाता है ।
5 वातावरण में प्रम्ल-गैसो का होना — विशेषतः सल्फर हाइड्रोजन से विकृत वातावरण ।	कागज आदि	बुरा प्रभाव । जल्दी नष्ट हो जाते हैं ।
6. घूल कण	कागज, चमड़ा, पुट्टा आदि	इनसे प्रम्ल-गैसो की घनता आती है और फफूँदाणु पनपते हैं ।
7. सीधी धूप	कागज आदि	कागज आदि पर पडने वाली सीधी धूप को पुस्तको का शत्रु बताया गया है । इससे कागज आदि विवर्ण हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं तथा स्याही का रंग भी उडने लगता है ।

उपाय :

भंडारण-भवन को 22⁰ और 25⁰ से० (72⁰ - 78⁰ फा०) के बीच तापमान और नमी (humidity) 45⁰ और 55 प्रतिशत के बीच रखा जाय ।

साधन :

वातानुकूलन-यन्त्र द्वारा वातानुकूलित भवन में उक्त स्थिति रह सकती है । बहुत ध्यय-साध्य होने से यदि यह सम्भव न हो तो अत्यधिक नमी को नियन्त्रित करने के लिए जल-निष्कासक रासायनिको का उपयोग कर सकते हैं । ये हैं : ऐल हाइड्रस कैलसियम क्लोराइड और सिलिका गैल (Silica gel) ।
20-25 घन मीटर क्षमता के कक्ष के लिए 2-3 किगोग्राम सिलिका गैल पर्याप्त है । इसे कई तश्तियों में भर कर कमरे में कई स्थानों पर रख देना चाहिये । 3-4 फीटे

के बाद यह सिलिका गेल और नमी नहीं सोख सकेगा क्योंकि वह स्वयं उस नमी से परिपूरित हो चुका होगा, अतः सिलिका गेल की दूसरी मात्रा उन तश्तरियों में रखनी होगी। पहले काम में आये सिलिका गेल को खुले पात्रों में रख कर गरम कर लेना चाहिये इस प्रकार वह पुनः काम में आने योग्य हो जाता है।

उक्त साधनों से वातावरण की नमी तो कम की जा सकती है पर यह नमी कभी-कभी कमरो में सीला (Dampness) होने से भाव्य होती है। इस कारण यह आवश्यक है कि भंडारण के कमरो का पहले ही देख लिया जाय कि उनमें सीलन तो नहीं है। भवन बनाने के स्थान या बनाने की सामग्री या विधि में कोई कमी रह गई है, इससे सीलन है, अतः मकान बनाते समय ही यह ध्यान रखना होगा कि भंडार भवन सीलन-मुक्त विधि से बनाया जाय। यही इसका एकमात्र उपाय है। नमी और सील को कम करने में खुली स्वच्छ वायु का उपयोग भाव्य होता है अतः भंडारण में लिडकियाँ आदि इस प्रकार बनायी जानी चाहिये कि भंडार की वस्तुओं का खुली हवा का स्पर्श लग सके। कभी-कभी विजली के पक्षों से भी हवा की जा सकती है।

किंतु साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि भंडार-कक्ष में वस्तुओं पर कागज पत्रों पर सीधी धूप न पड़े। इससे हानि वाती हानि का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यदि ऐसी लिडकियाँ हों जिनमें से धूप सीधे पत्रों पर पड़ती है, तो इन लिडकियों में शीशे लगवा कर पदों डाल देना चाहिये, और इस प्रकार धूप के स्पर्श से रक्षा करनी चाहिये।

पांडुलिपियाँ रखने की अलमारियों का भी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्त्व है। एक तो अलमारियाँ खुली होनी चाहिये जिससे उन्हें खुली हवा लगती रहे और सील न भरे। दूसरे, ये अलमारियाँ लोहे की या किसी धातु की हो और इन्हें दीवाल से सटा कर न रखा जाय, और परस्पर अलमारियों में भी कुछ फासला रहना चाहिये इससे सील नहीं चढ़ेगी। ये अलमारियाँ ही आदर्श मानी जाती हैं। दीवाल में बनायी हुई सीमेन्ट की अलमारियाँ भी ठीक नहीं बतायी गई हैं। धातु की अलमारियों में सबसे बड़ी सुविधा यह है कि इन पर मौसम और कीटों (दीमक आदि) का प्रभाव नहीं पड़ता, जो लकड़ी पर पड़ता है, फिर इन्हें अपनी आवश्यकता, सुरक्षा और उपयोगिता के अनुसार व्यवस्थित भी किया जा सकता है।

पांडुलिपियों के शत्रु

मुकुंडो (Mould) और फूँद नामक दो शत्रु हैं जो पांडुलिपियों में ही पनपते हैं। फूँद तो पुस्तिका में पनपने वाला वनस्पतीय फंगस (Fungus) होता है जबकि माल्ड में शेष सभी अन्य सूक्ष्म अवयवों में आते हैं जो पांडुलिपियों में ही होते हैं। यह पाया गया है कि ये 45° से 40° फा० पर धीरे-धीरे बढ़ते हैं पर 27-35 से 80-95° फा० पर इनकी बहुत बढवार होती है। 38° से 100° फा० से अधिक तापमान में इनमें से बहुत से नष्ट हो जाते हैं, अतः इन्हें रोकने के लिए भंडारण भवन का तापमान 22-24° से 72-75° फा० तक रखा जाना चाहिये। साथ ही नमी (रू मिडिटी) 45-55 प्र० श० के बीच रहनी चाहिये।

यदि भंडारण-कक्ष को उक्त मात्रा में तापमान और नमी का अनुकूलन सम्भव न हो तो एक दूसरा उपाय फाईमल रसायन से वाष्प चिकित्सा (Fumigation) है।

थाईमल चिकित्सा की विधि

एक वायु विरहित (एयरटाइट) बाक्स या बिना खाने की अलमारी लें। इसमें नीचे के तल से 15 सें० मी० की ऊँचाई पर तार के जालो का एक बस्ता लगायें, उस पर ग्रन्थो को बीच से खोल इस प्रकार रखे कि उसकी पीठ ऊपर रहे और वह रूप में रहे। थाईमल वाष्प-चिकित्सा के लिए जो ग्रन्थ इस यन्त्र में रखे जायें उनमें उक्त अवयवाणुओं न जहाँ घर बनाये हो पहले उन्हें साफ कर दिया जाय। इस सफाई द्वारा फफूँदादि एक पात्र मड़कट्टी कर जला दी जाय। उसे भंडार में न वितरने दिया जाय। इसके बाद ग्रन्थ को यन्त्र में रखें। इसके नीचे तल पर 40-60 वाट का विद्युत लैम्प रखें और उस पर एक तप्तरी में थाईमल रख दें जिसमें लैम्प की गर्मी से गर्म होकर वह थाईमल पाडुलिपियो को वाष्पित कर सके। एक क्यूबिक मीटर के लिये 100-150 ग्राम थाईमल ठीक रहता है। 6-10 दिन तक पाडुलिपियो को वाष्पित करना हागा और प्रतिदिन दा से चार घन्टे विद्युत लैम्प जला कर वाष्पित करना अपेक्षित है।

इससे ये सूक्ष्म अवयवाणु मर जायेंगे, पर जो क्षत और धब्बे इनके कारण उन पर पड़ चुके हैं, वे दूर नहीं होंगे।

जहाँ नमी को 75 प्रतिशत से नीचे करने के कोई साधन उपलब्ध नहीं हो वहाँ मिथिलेटड स्पिरिट में 10 प्रतिशत थाईमल का घोल बनाकर, ग्रन्थागार में कार्य के समय के बाद सध्या को कमरे में उसको फुहार कर दिया जाय और खिड़कियाँ तथा दरवाजे रात-भर के लिये बन्द कर दिये जायें। इन अणुओं के कमरे में ठहरे हुए सूक्ष्म तंतु, जो पुस्तकों पर बैठ कर फफूँद आदि पैदा करते हैं, नष्ट हो जायेंगे। इस प्रकार ग्रन्थागार की फफूँद आदि से रक्षा हो सकेगी।

कीड़े-मकोड़े :

कई प्रकार के कीड़े-मकोड़े भी पाडुलिपियो और ग्रन्थो को हानि पहुँचाते हैं। ये दो प्रकार के मिलते हैं : एक प्रकार के कीट तो ग्रन्थ के ऊपरी भाग को, जिल्द आदि को, जिल्दबन्दी के ताने बान को, चमड़े को पुट्टे आदि को, हानि पहुँचाते हैं। इनमें एक तो सबके सुपरिचित हैं कोक्राच, दूसरे हैं, रजत कीट (सिल्वर फिस)। यह कीट बहुत छोटा, पतला चाँदी जैसा चमकता होता है।

इनके सम्बन्ध में पहला प्रयत्न तो यह किया जाना चाहिये कि इनकी संख्या-वृद्धि न हो। इसके लिए एक बात तो यह ध्यान में रखनी होगी कि भंडार गृह में खान-पीने की चीजें नहीं भानी चाहिये। इनसे ये आकर्षित होते हैं, फिर फलते फूलते हैं। दूसरे, दीवालों में कहीं दरारें और छेदें हो तो उन्हें सीमेंट से भरवा दिया जाय, इससे कीड़ा के छिपने और फलने-फूलने के स्थान नहीं रहेंगे, और उनकी वृद्धि रुकेगी। साथ ही नेफथलीन की गोलियाँ अलमारियों में हर छ फीट पर रख दी जायें, इससे ये कीट भागते हैं। किन्तु इन कीटों से पूरी तरह मुक्ति पाने के लिए तो जहरीली दवाओं का छिड़काव करना होगा, य है— डी० डी० टी०, पाट्रोथ्यम, सोडियम फ्लोराइड आदि, इन्हें पुस्तकों पर नहीं छिड़कना चाहिये। घंघेरे बोनो, दरारा, छिद्र और दीवालों आदि पर छिड़कना ठीक रहता है। इन जहरीले छिड़कावों का गृह ग्रन्थों पर छिड़काव ममा तो ग्रन्थों को दाग-धब्बों से युक्त हो जायेंगे।

ये कीट तो उपरी सतह को ही हानि पहुँचाते हैं, पर दो ऐसे कीट हैं जो ग्रन्थ के

भीतर भाग को भी नष्ट करते हैं। इनमें से एक हैं, पुस्तक कीट (Book-worm), तथा दूसरा सोसिड (Psocid) है।

ये दोनों कीट ग्रन्थ के भीतर घुसपैठ कर भीतर के भाग को नष्ट कर देते हैं। बुक-वोर्म या पुस्तक-कीट के लारवे तो ग्रन्थ के पन्नों में ऊपर से लेकर दूसरे छोर तक छेद कर देता है, और गुफाएँ खोद देता है। लारवा जब उड़ने लगता है तो दूसरे स्थानों पर पुस्तक-कीटों को जन्म देता है। इस प्रकार यह रोग बढ़ता है। सोसिड को पुस्तक का जूँ भी कहा जाता है। ये भीतर ही भीतर हानि पहुँचाते हैं, अतः इनकी हानि का पता पुस्तक खोलने पर ही विदित होता है।

इनको दूर करने का इलाज वाष्प चिकित्सा है, पर यह वाष्प-चिकित्सा घातक गैसों से की जाती है—ये गैसें हैं, एथिलीन ऑक्साइड (Ethylene Oxide) एवं कार्बन डाई आक्साइड मिला कर वातशून्य (Vacuum) वाष्पन करना चाहिये। इसके लिए विशेष यन्त्र लगाना पड़ता है। यह यन्त्र व्यय-साध्य है, अतः बड़े ग्रन्थागारों की सामर्थ्य में तो हो सकता है, पर छोटे ग्रन्थागारों के लिए यह असाध्य ही है, अतः एक दूसरी विधि भी है पैरा-डाइक्लोरो-बेनजीन (Para-dichloro benzene) या तरल क्लिप्टेरा (Liquid Kelloptero) जो कार्बन टेट्राक्लोराइड और ऐथिलीन डाइक्लोराइड का सम्मिश्रण होता है, लिया जा सकता है। इससे वाष्प-चिकित्सा के लिये एक स्टील की ऐसी झलमारी लेनी होगी, जिसमें हवा न घुस सके। इसमें खानों के लौह तख्तों में छेद कर दिए जाने चाहिये। इन तख्तों पर सम्पूर्ण ज़ेलो को बिछा दिया जाता है और नत्थियों तथा ग्रन्थों को इस रूप में बीच खोल कर रख दिया जाता है।

यदि पैरा-डाइक्लोरो-बेनजीन से वाष्पित करना है तो शीशे के एक जार (Jar) में एक घन मीटर के लिए 1.5 किलोग्राम उक्त रासायनिक घोल भर कर उक्त तख्तों के सबसे नीचे के तल में रख देना चाहिये और झलमारी बन्द कर देनी चाहिये। इसकी गैस हलकी होती है, अतः ऊपर की ओर उठती है। यह रसायन स्वयमेव सामान्य तापमान में ही वाष्पित हो उठती है। सात-आठ दिन तक रुग्ण ग्रन्थों को वाष्पित होने देना चाहिये।

यदि क्लिप्टेरा से वाष्पित करना है तो यह रसायन प्रति एक घन-मीटर के लिए 225 ग्राम के हिसाब से लेकर इसका पात्र सबसे ऊपर के तन्त्र में या खाने में रखना चाहिये। इसकी गैस या वाष्प भारी होती है, अतः यह नीचे की ओर गिरती है। सात-आठ दिन इससे भी रुग्ण सामग्री को वाष्पित करना चाहिये। इससे ये कीट, इनके लारवे आदि सब नष्ट हो जायेंगे।

पर सघियों में या जिल्द बघने के स्थान पर बनी नालियों में इनके जो छंड़े होगे वे नष्ट नहीं हो पायेंगे, और ये अर्द्ध 20-21 दिनों में लारवे के रूप में परिणत होते हैं, अतः पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए उक्त विधि से 21-22 दिन बाद फिर वाष्पित करने की आवश्यकता होगी।

दीमक :

सभी जानते हैं कि दीमक का आक्रमण अत्यन्त हानिकर होता है। ऊपर जिन शत्रुओं का उल्लेख किया गया है वे दीमक की तुलना में कहीं नहीं ठहरते। दीमक का घर भूगर्भ में होता है। वहाँ से खल कर ये मकानों में, लकड़ी, कागज आदि पर आक्रमण करती

रख-रखाव में केवल शत्रुओं से रक्षा ही नहीं करनी होती है, परन्तु पाण्डुलिपियों को ठीक रूप में प्रौर स्वस्थ दशा में रखना भी इसी का एक अंग है। जब पाण्डुलिपियाँ बही से प्राप्त होती हैं तो अनेक की दशा विकृत होती है।

इसमें नीचे लिखी बातें या विकृतिमाँ सम्मिलित हैं :

- 1 सिकुड़ने, सिलवट, गुड़ी-मुड़ी हुए पत्र।
- 2 किनारे गुड़ी-मुड़ी हुए कागज (पत्र)।
- 3 बटे-फटे स्थल या किनारे।
- 4 तडकने वाले या कुरकुरे कागज।
- 5 पानी से भीगे हुए कागज।
- 6 धिपके कागज।
- 7 धुंधले या धुले लेख।
- 8 जले कागज।
- 9 कागजों पर मुहुरों की विकृतियाँ।

इन विकृतियों को दूर करने के अनेक उपाय हैं, पर सबसे पहले एक कदा चिकित्सा के लिए अलग कर देना चाहिये। इसमें निम्नलिखित सामग्री इस कार्य के लिए अपेक्षित है :

1. मेज जिस पर ऊपर शीशा जुड़ा हो।
2. छोटा हाथ प्रेस (दाब देने के लिए)।
3. पेपर ट्रिमर (Paper Trimmer)
4. कैंची (लम्बी)
5. चाकू
6. Poring Knives
7. प्याले (पीतल के या इनामिल किये हुए)।
8. तश्तरियाँ (पीतल की या इनामिल की हुई)।
9. ब्रुश (ऊँट के बाल के 205-1.25 सें० मी० चौड़ी)।
10. Paper Cutting Slices (सींग के बने हो तो अच्छा है)।
11. फुटा
12. सुइयाँ (बड़ी और छोटी)।
13. बोदकन (छेद करने के लिए)।
14. तख्त इनामिल किए हुए।
15. शीशे की प्लेटें।
16. देगची लेई बनाने के लिए।
17. बिजली की इस्तरी।

संरम्भत या चिकित्सा की विधि

क-अपेक्षित सामग्री

ढाँ० के० डी० भागवत ने ये सामग्रियाँ बतौयी हैं :

1. हाथ का बना कागज :—यह कागज केवल चियड़ों का बना होना चाहिये। के

चिपड़े सूती बस्त्रों के या क्षोम (linen) का या दोनों से मिलकर, इसका बना हो, यह सफेद या क्रीम के रंग का हो। इसकी तोल 9-10 कि० ग्रा० (आकार 51×71 सें० मी० फ० 500 कागज) होनी चाहिये। इसका पी० एच० 5.5 से कम न हो। अन्य वैशिष्ट्यों के लिए मूल पुस्तक देखें।¹

2 ऊलि (टिगू) पत्र — पाडुलिपियों की चिकित्सा के लिये निम्न विशेषताओं वाला पत्र होना चाहिये

- (1) इसमें एलफा सैल्यूलोज 88 प्रतिशत से कम न हो,
- (2) तौल और आकार 25-35 कि० ग्रा० (63.5×127 स० मी० 500 पत्रों)।
- (3) राख 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं।
- (4) पी० एच० 5.5 से कम नहीं।

इसमें तैल या मोम के तत्त्व न हो।

3 शिफन (Chiffon) नालिबस्तन — जिसमें जालरध्र की सख्या 33×32 प्रति वर्ग सें० मी० (83×82 प्रति इंच) हो। इसकी मोटाई 0.085 मि० मी० (श्रीसतन) हो। पी० एच० 6.0-6.5।

4 तैल कागज या मोमी कागज — यह ऐसा हो कि पानी न छने और डेक्सट्राइन या लेई (Starch Paste) को चिपकन को न पकड़े। साथ ही, इसके तैल और मोम के भ्रश कागज पर धब्बे न डाले।

इनकी तौल निम्न प्रकार की हो तो अच्छा है,

तैल कागज 22.7 कि० ग्रा० (61×46 सें० मी० 500 पत्र)

मोमी कागज " " "

5 मलमल यह चित्रों और चार्टों पर चढ़ाई जाती है। यह मध्यम आकार की यानी फुलस्कैप व दुगने आकार से भी बड़ी हो। बढ़िया किस्म की श्रीसत से 0.1 मि मी मोटाई की। इसके सूत में कोई गाठ नहीं होनी चाहिये।

6 लकलाट — (Long cloth)

7. सैल्यूलोज एसीटेट फायल — यह पर्ण पाडुलिपि का परतोपचार (लेमीनेशन) करने के काम आता है यह पर्ण 107 सें मी (4.2 इंच) चौड़े बेलनो के रूप में मिलता है। परतोपचार के लिए यह पर्ण 0.223 मि मी मोटाई का अच्छी लोच वाला, भद्र-भद्रता कवचित (Semi moisture proof), इसमें नाइट्रेट भ्रश न हो।

चिकित्सा

1 चौरस करना

पाडुलिपि पत्र के किनारे तुड़े मुड़े हो तो उन्हें चौरस कर देना चाहिये। इसके लिए पहले भीगे ब्लॉटिंग कागज को पत्रों के किनारों पर कुछ दूर रख कर उन्हें नम किया जाय

फिर रखे ब्लॉटिंग कागज उस पर रखकर घाड़न को कुछ गरम करके उसको स्तरित कर दिया जाय और हाथ के कागज को बतरन चिपका कर किनारे ठीक कर दिये जायें। यदि लिखावट दोनों ओर हो तो टिश्यू कागज का उपयोग किया जाय। यदि पत्र बीच में जहाँ-तहाँ कटा-कटा हो तो उन स्थानों पर पत्र की पीठ पर हाथ के कागज की चिप्पियाँ चिपका दें। यदि दोनों ओर लिखावट हो तो टिश्यू-कागज चिपका दें।

चिपकाने में गूदा और पेस्ट का उपयोग नहीं होना चाहिये क्योंकि ये भीगने पर फूलत हैं और गरमी में सूखते हैं और सिबुडते हैं। इसके लिए मैदा की लेई जिसमें थोड़ा नीला घोधा हो तो अच्छा रहता है, किन्तु दो-तीन दिन बाद फिर नई लेई बनानी चाहिये। टिश्यू कागज का उपयोग किया जाय तो यह लेई नहीं डेक्स्ट्राइन (dextrine) या स्टार्च की पतली लेई काम में लानी चाहिये।

2. अन्य चिकित्साएँ :

पूरा पृष्ठ वर्णन, टिश्यू चिकित्सा, शिकन् चिकित्सा तथा परतोपचार। तड़कने वाले (Brittle) कागजों का सैल्युलाइज एसीटेट वर्ण से परतोपचार करना आधुनिक पद्धति है। इसके लिए समीचीन परतोपचारक प्रेम (दाब-यन्त्र) की आवश्यकता होती है, उसके अन्य उपकरण भी होते हैं। सब मिलाकर बहुत व्यय पड़ता है, एक लाख रुपये तो आसानी से लग सकता है, किन्तु इसके लिये विकल्प भी है, जहाँ इतना कीमती यन्त्रादि नहीं लिए जा सकते वहाँ विकल्प वाली पद्धति से परतोपचार (Lamination) किया जा सकता है।

(क) पूर्ण पृष्ठ वर्णन

पाण्डुलिपि का कागज तिरकना हो गया हो, उसका पूर्ण पृष्ठ वर्णन द्वारा चिकित्सा कर दी जाती है। पाण्डुलिपि एक ओर लिखी हो तो पीठ पर पूरे पृष्ठ पर वर्णन किया जाता है। हाँ, ऐसी पाण्डुलिपि के पन्ने की पीठ को पहले साफ कर लेना होगा। यदि पीठ पर पहले की चिप्पियाँ चिपकी हो तो उन्हें छुटा देना चाहिये। इसकी प्रयोग-विधि का वर्णन इस प्रकार है।

पाण्डुलिपि के पन्ने को मोमी कागजों या तैली कागजों के बीच में रख कर पानी में घाघे से एक घंटे तक डुबा कर रखें, फिर निकाल लें। अब चिप्पियाँ आसानी से छुटाई जा सकती हैं। यदि पाण्डुलिपि की स्याही पानी में डालने से फँसती हो तो इसे पानी में न डुवाएँ, अन्य विधि का उपयोग करें चिप्पियों के आकार की ब्लॉटिंग पेपर की चिप्पियाँ काट कर पानी में भिगो कर चिप्पियों के ऊपर रख दें। जब गोद कुछ ढीला होने लगे तो छुटा लें।

जब पाण्डुलिपि की पीठ साफ हो जाय तो पाण्डुलिपि के पन्ने के आकार से कुछ बड़ा हाथ का बना कागज (पूरा कागज चिपडो से बना) लिया जाय। यह कागज पानी में डुबा कर शीशे से युक्त मेज पर फँला दिया जाय, यदि मेज लकड़ी की हो और ऊपर शीशा न हो तो मोमी या तैली कागज उस पर फँला कर, इस कागज पर वह भीगा कागज फँलाया जाय और एक भुलायम कोमल कपडे को फेर कर उसकी सिलवटें निकाल कर उसकी कूंडलित रूप में घड़ी कर लें, इस प्रकार वह बेलन के आकार का हो जायगा। अब पाण्डुलिपि के पन्ने को तैली कागज पर घोधा बिछा कर उस पर लेई (Starch Paste) बूथ से कर दीजिये। कूंडलित हाथ बने कागज को एक छोर पर ठीक बिठा कर इस

कागज को ऊपर फँसा दें। साथ ही एक कपड़े से या रुई के swale से उसे पांडुलिपि पर दाब-दाब कर भली प्रकार जमा दें। तब पांडुलिपि को तैल-कागज पर से उठा लें और दाब में रख कर सूखने दें। इस समय पांडुलिपि की पीठ नीचे होगी। सूख जाने पर 2-3 मि मी पांडुलिपि मूल-पत्र के चारों ओर इस कागज की गोट छोड़कर शेष को कैंची से कतर दीजिये। 2-3 मि मी चारों ओर इसलिये कागज छोड़ा जाता है कि पांडुलिपि के किनारे गुड़-मुड़ न हो।

शिफन-चिकित्सा

शिफन या उच्च कोटि की पारदर्शी सिल्क का गॉज इन पांडुलिपियां पर लगाया जाता है जो बहुत जर्जर, स्याही से खाई हुई या कीड़ों ने खाली हो।

पांडुलिपि के पत्र को साफ कर लें। उस पर लगी चिप्पियों को हटा दें, और उसे मोमी या तैल कागज पर भली प्रकार बिछा दें। उस पर शिफन का टुकड़ा, जो पांडुलिपि से चारों ओर से कुछ बड़ा हो, फँसा दें। अब ब्रुश से लेई (स्टार्च पेस्ट) लगा दें—लेई लगाना बीचोबीच केन्द्र से शुरू करें और चारों ओर फैलाते हुए पूरे शिफन पर लगा दें। इस पांडुलिपि को मोमी या तैल कागज सहित दूसरे मोमी या तैल कागज पर सावधानी से उलट दें जिससे सिलवटें न पड़ें। पहले वाला तैली कागज, जो अब ऊपर आ गया है, उसे धीरे धीरे पांडुलिपि से अलग कर लें, अब पांडुलिपि के इस ओर भी पहले की तरह शिफन का टुकड़ा बिछा कर बीच से लेई लगाना शुरू करें और पूरे शिफन पर लेई बिछा दें। अब उसे सूखने दें। आधा सूख जाने पर दूसरा तैली या मोमी कागज ऊपर से रख कर दाब-यन्त्र में या दो तख्तों के बीच रखकर ऊपर से दाब के लिए बोझ रख दें। पूरी तरह सूख जाने पर पांडुलिपि को सम्भाल कर निकाल लें और किनारों से बाहर निकले शिफन को कैंची से कतर दें।

यदि पांडुलिपि की स्याही पानी से धुलती हो या फँसती हो तो इस प्रक्रिया में कुछ धन्तर करना पड़ेगा। तैली या मोमी कागज पर पांडुलिपि से कुछ बड़ा शिफन का टुकड़ा बिछा दें और लेई (स्टार्च पेस्ट) बीच से आरम्भ कर चारों ओर बिछा दें। उस पर पांडुलिपि जमा दें। उसके ऊपर मोमी या तैली कागज फँसा कर दाब दें। तब शिफन का दूसरा टुकड़ा लेकर तैली या मोमी कागज पर रख कर उपर्युक्त प्रकार से लेई लगा दें और उस पर पांडुलिपि उस पीठ की ओर से बिछा दें जिस पर शिफन नहीं लगा। उस पर मोमी या तैली कागज रख कर दाब में यथापूर्व सुखा लें। सूख जाने पर किनारों से बाहर निकले शिफन को कैंची से कतर दें।

टिश्यू-चिकित्सा

जिन पांडुलिपियों की स्याही फीकी नहीं पड़ी और जो अधिक जीर्ण नहीं हुए उनकी चिकित्सा टिश्यू-कागज से की जाती है। इसमें सरेसरहित इमिडेशन जापानी टिश्यू-कागज ही, जिसमें तैली या मोमी धरा न हों, काम में आता है। तैली या मोमी कागज पर पांडुलिपि साफ करने फँसा दें। उस पर पतला लेप डेक्स्ट्राइन (Dextrine) का बना दें। पांडुलिपि से कुछ बड़ा उस प्रकार का टिश्यू कागज लेकर अब पांडुलिपि पर फँसा दें और भीगे कपड़े या रुई के पाहे से इस कागज का पांडुलिपि पर दाब दें। इसी प्रकार पांडुलिपि की दूसरी ओर भी टिश्यू कागज लगा दें।

किया जाय। डब्ल्यू. जे. बॅरो (W. J. Barrow) ने इसके लिए बहुत बारगर चिकित्सा निकाली है। इस चिकित्सा में कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड और कैल्सियम बाईकार्बोनेट के घोल से कागज को स्नान कराते हैं। इससे कागज की अम्लता दूर हो जाती है तथा धागे भी अम्ल के प्रभाव से कागज की रक्षा हो जाती है, अतः अन्य बाह्य चिकित्साओं से पहले यह अम्ल-निवारण-चिकित्सा करनी चाहिये। राष्ट्रीय-अभिलेखागार (National Archives) में अम्ल-निवारण की जो पद्धति अपनायी जाती है, वह कुछ इस प्रकार है :

पहले दो घोल तैयार किये जाय

1 कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड का घोल (घोल-1)

5-8 लीटर की क्षमता का शीशे का जार (Jar) लेकर उसमें आधा किलो अच्छी बिस्म का खूब पिसा हुआ कैल्सियम आक्साइड लें और 2-3 लीटर पानी लें और थोड़ा-थोड़ा चूर्ण जार में डालते जाय और तदनुसार पानी भी डालें और उसे हलके-हलके चलाते जायें। यो हिलाते-हिलाते समस्त चूर्ण और पानी मिल कर दूधिया श्रीम-सी बन जायगी। यह क्रिया बहुत हलके-हलके करनी है। यह घोल बन जाये, 10-15 मिनट बाद इस घोल को 25-30 लीटर की क्षमता के इनामिल्ड (Enamelled) या पोर्सिलेन के जार में भर देना चाहिये। अब फिर हलके-हलके चलाते हुए इसमें पानी डालना चाहिये, इस प्रकार घोल का आयतन 25 लीटर हो जाना चाहिये, अब इसे नियरने के लिए कुछ देर छोड़ देना चाहिये। इससे चूना नीचे बैठ जायगा। अब पानी को हलके से नियार कर झलक कर दिया जायगा और अब फिर धीरे-धीरे चलाते-चलाते उसमें पानी मिलाइए, यहाँ तक कि आयतन में फिर 25 लीटर पानी हो जाय। इस घोल को बराबर और खूब चलाते जाना चाहिये। 25 लीटर पानी हो जाने पर पुनः चूने को तल में बैठने दें। इस प्रकार अपेक्षा से अधिक चूना तल में बैठ जायगा। अब दूधिया रंग का पानी उसके ऊपर रहेगा। इसे नियार कर झलक रख लें। यही अपेक्षित घोल है, जो हमारे काम में आयेगा। बैठे हुए चूने में 25 लीटर पानी फिर मिलाइए और खूब अच्छी तरह चलाइए। फिर चूने को तल में बैठने दीजिये और ऊपर का दूधिया पानी नियार कर काम के लिये रख लीजिये। इस प्रकार वही मात्रा कैल्सियम की 15-20 बार कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड का काम का घोल दे सकेगी।

अब दूसरा घोल तैयार करें :

2 कैल्सियम बाईकार्बोनेट घोल (घोल-2)

25-30 लीटर की क्षमता का इनामिल्ड या पोर्सिलेन के जार में 1/2 किलो बहुत महीन चूर्ण कैल्सियम कार्बोनेट का घोल बनाये और उसे खूब चलाते-चलाते उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस 15-20 मिनट तक प्रवाहित करें। इससे कैल्सियम बाईकार्बोनेट का अपेक्षित घोल मिल जाता है।

इसे बनाने की एक वैकल्पिक विधि भी है। पहले स्वच्छ (2) घोल को लेकर उसमें दुगुना पानी मिलाइये, अब इस घोल को हिलाते-हिलाते चलाते-चलाते इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कीजिये, पहले इसका रंग सफेद हो

जायगा, तब भी चलाते-चलाते और गैस प्रवाहित करें, अब यह स्वच्छ जल जैसा घोल हो जायगा। 30 लीटर के घोल को 30-48 मिनट तक गैसोपचार देना होता है। अपेक्षित घोल कैल्शियम बाईकार्बोनेट का पाने के लिए।

जब ये दोनों घोल तैयार हो जाय तो निम्न विधि से पाडुलिपियो का निरम्लीकरण

किया जाना चाहिये

विधि

तीन इनामिल्ड तश्तरियाँ इतनी बड़ी कि उनमें अपने भण्डार से बड़ी पाडुलिपि समा सके, लें। एक तश्तरी में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का घोल (0.15 प्रतिशत का) दूसरी में ताम्रा स्वच्छ जल, तीसरी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट का घोल (0.15 प्र०श० का) भर कर रखें। अब मोमी कागज (मोमी कागज की बजाय स्टेनलेस स्टील के तारों की बुनी पेटिका में रख कर भी डुबाया जा सकता है) पाडुलिपि के आकार से बड़ा लेकर उस पर पाडुलिपियो के इतने कागज रखें कि वे तश्तरियों के घोल में डूब सकें—उन्हे मोमी कागज नीचे रख कर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के घोल में डुबा दें। 20 मिनट डूबे रहने दें, फिर निकाल कर पहले पाडुलिपियो में से घोल निचोड़ दें, तब दो मिनट के लिए इस पाडुलिपि को स्वच्छ जल में डुबो लें। अन्त में कैल्शियम बाईकार्बोनेट के घोल में 20 मिनट तक रखें। उसमें से निकाल कर घोल निचोड़ देने के बाद फिर स्वच्छ जल में 2 मिनट के लगभग रखें। घोलों में और पानी में डुबाने पर तश्तरियों के घोलों और पानी को हलके हलके तश्तरियों को एक ओर से कुछ उठा कर फिर दूसरी ओर से कुछ उठा कर हिलाते रहना चाहिये।

यह उपचार हो जाने के बाद पानी निचोड़ दें और कागजों के ऊपर दोनों ओर सोखते रख कर दाब से पानी सुखा दें, फिर उन्हें रंको पर सूखने के लिए रख दें—यह ध्यान रखना होगा कि जब तक ये पूरी तरह न सूख जाय तब तक इनको उलटा-पलटा न जाय।

अमोनिया गैस से उपचार

उक्त उपचार उन्ही पाडुलिपियो का हो सकता है, जिनकी स्याही पक्की है, और जो पानी में न तो फँसती हैं, न घुलती हैं अतः उपचार से पहले स्याही की परीक्षा करनी होगी। यदि स्याही पर पानी का प्रभाव पड़ता है, तो उसके कागज के निरम्लीकरण करने के लिए एक अन्य विकल्प से काम लेना होगा। यह विकल्प है अमोनिया गैस से उपचार। इसके लिए खानों वाली ऐसी अलमारी की आवश्यकता होती है जिसमें खाना के तख्ते चलनी की भाँति छेदों से युक्त होते हैं। इन पर पाडुलिपियाँ खोस कर फँसा दी जाती हैं। अब 1-10 अनुपात में पानी में अमोनिया का घोल बना कर एक तश्तरी में सबसे नीचे के खाने के तख्त में रख दें। इस प्रकार अमोनिया गैस कागजों का निरम्लीकरण कर देगी। चार-पाँच घण्टों के लिए अलमारी बिल्कुल बंद करके रखनी होगी। इसके बाद, इन पाडुलिपियो को 10-12 घण्टे स्वच्छ वायु में रखना होता है।

ताडपत्र एवं भोजपत्र का उपचार

बीड़े-मक्खोडा से रक्षा के लिए छोटी पड़ी और छोटा बेच कपड़ों में बाँध कर कपड़ों

मे या अलमारियो मे रखने से कीड़े-मकोड़े नहीं आते । आजकल नेपथलीन की गोलियाँ या कपूर से भी यह काम लिया जा सकता है ।

तिरकने वाले (Brittle) ताड़ एव भोजपत्रों का उपचार पहले कागज के लिए बताए शिफन-उपचार की विधि से किया जाना चाहिये । शिफन ताड़पत्र के आकार से चारो ओर से कुछ बड़ी होनी चाहिये ताकि पत्रों के किनारे क्षतिग्रस्त न हो सकें । कुछ विशेष सुरक्षा के लिए शिफन उपचारित पाण्डुलिपियों को पाण्डुलिपि के योग्य पुट्टे के खोलो या बक्सों में रख देना चाहिये ।

ताड़पत्रों एव भोजपत्रों पर धूल जम जाती है जो उन्हें क्षति पहुँचाती है । इनमें से जिनकी स्याही पानी से प्रभावित न हाती हो उनकी सफाई पानी में ग्लिसरीन (1:1) का घोल बना कर उससे रुई के फाड़े से करनी चाहिये । जिनकी स्याही पानी से प्रभावित होती हो, उनकी सफाई कार्बन टेट्राक्लाराइड या ऐनीटोन से की जानी चाहिये ।

ताड़पत्र या भोजपत्र, जो कागज की स्याही से लिखे गये हैं, यदि उनकी स्याही फीकी पड़ जाय या उड़ जाय तो उनका उपचार नहीं हो सकता है, किन्तु यदि ताड़पत्र पर शलाका से कौर कर लिखा गया है तो उनकी स्याही उड़ जाने पर उपचार सम्भव है । तब ग्रेफाइट का चूर्ण रुई के पैड से उस ताड़पत्र पर मला जाता है और बाद में रुई के फाड़े से उसें पोछ दिया जाता है, जिससे ताड़पत्र में अक्षर स्याही से जगमगाने लगते हैं और ताड़पत्र स्वच्छ भी हो जाता है ।

यदि ताड़पत्र या भोजपत्र चिपक जायें तो इन्हें तरल, गर्म पैराफीन में डुबोया जाता है और तब बहुत अधिक सावधानी से एक-एक पत्र अलग किया जाता है । इस प्रक्रिया के लिए बहुत अभ्यास अपेक्षित है । बिना अभ्यास के पत्रों को अलग करने से ग्रन्थ की हानि हो सकती है, अतः दक्ष और अभ्यस्त हाथों से ही यह काम करना चाहिये ।

ऊपर ग्रन्थों के रख-रखाव और सुरक्षा और मरम्मत के लिए जो उपचार दिये गये हैं, उनमें डेक्सट्राइन तथा स्टार्च की लेई का उपयोग बताया गया है । इनके बनाने की विधि निम्न प्रकार है

डेक्सट्राइन की लेई

डेक्सट्राइन	2.5 किलो
पानी	50 किलो
लौंग का तेल	40 ग्राम
सफ़रोल	40 ग्राम
बेरियम कार्बोनेट	80 ग्राम

विधि

एक पीतल की देगची में पानी उबालने रखें । 90° से० का तापमान हो जाने पर डेक्सट्राइन का चूर्ण पानी में मिलाइये, धीरे-धीरे पानी को खूब चलाते जाइये ताकि डेक्सट्राइन समान रूप से मिले और गुठले न पड़ने पायें । 2.5 किलो डेक्सट्राइन इस विधि से मिलाने में 30-40 मिनट तक लग सकते हैं । अब इस घोल को बराबर चलाते जाइये और इसमें बेरियम कार्बोनेट और मिला दीजिये । तब लौंग का तेल और सफ़रोल भी

डाल दीजिये, और सबको एकमेल कर दीजिये। सबके भली-भाँति मिल जाने पर 6-8 मिनट तक पकाइये, तब भाग से उतार लीजिये। डेक्सट्राइन की लेई तैयार है।

मैदे (स्टार्च) की लेई

मैदा	250 ग्राम
पानी	5 00 किलो
लौंग का तेल	40 ग्राम
सफरौल	40 ग्राम
वेरियम कार्बोनेट	80 ग्राम

बनाने की विधि ऊपर जैसी है, केवल डेक्सट्राइन का स्थान मैदा ले लेती है।

चमड़े की जिल्दों की सुरक्षा

कुछ पाडुलिपियाँ चमड़े की जिल्दों में मिलती हैं। चमड़ा मजबूत वस्तु है और पाडुलिपि की अच्छी रक्षा करता है। फिर भी वातावरण के प्रभाव से कभी कभी यह भी प्रभावित होता है जिससे चमड़ा भी तडकने लगता है, अतः चमड़े की सुरक्षा भी आवश्यक है।

इसके लिए पहले तो चमड़े को निरमल करना होगा। एक मुलायम कपड़े की गदेली से पहले जिल्द के चमड़े से धूल के कण बिस्कुल हटा दें। फिर 1-2 प्रतिशत सोडियम बेंजोएट (Sodium Benzoate) के घोल से भीगे पाहे से जिल्द पर वह घोल पोत दें और जिल्द का सूख जाने दें।

इसके बाद नीचे दी गई वस्तुओं से बने मिश्रण से उसे उपचारित करें

1 लेनोलिन एन्हीड्रस	300 ग्राम
2 शहद के छत्ते का मोम	15 ग्राम
3 सीडर वुड तेल	30 मि०ग्रा०
4 बेनजीन (Benzene)	350 मि०ग्रा०

पहले बेनजीन को कुछ गरम करके उसमें मोम मिला दिया जाता है। तब सीडर-वुड तेल मिलाते हैं और बाद में लेनोलिन इस मिश्रण को खूब हिला कर काम में लेना चाहिये। इसे एक ब्रश से चमड़े पर भली प्रकार चुपक देना चाहिये। उसके सूख जाने पर मण्डार में यथास्थान रख दिया जाना चाहिये। इससे चमड़े की भाव पहले जैसी हो जाती है, और यह भली प्रकार पुष्ट भी हो जाता है।

यह मिश्रण अत्यन्त ज्वलनशील है, अतः भाग से दूर रखना चाहिये। यह सावधानी बहुत आवश्यक है।

वस्तु रख-रखाव का पूरा क्षेत्र 'प्रबन्ध-प्रशासन' के अन्तर्गत आता है। प्रबन्ध-प्रशासन एक अलग ही अंग है, जिस पर अलग से ही विचार किया जा सकता है। इसके लिए कितने ही प्रकार के प्रतिपादन भी दिये जाने लगे हैं, यह सीधे हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, पर रख रखाव का पाडुलिपि पर बहुत प्रभाव पड़ना है, इसलिए कुछ अर्थों में इस विषय की यहाँ भारतीय अभिलेखागार (नेशनल आर्बाइव्ज) से प्रकाशित दो महत्वपूर्ण पुस्तकों के आधार पर बर दी गई है।

इस विषय के अच्छे ज्ञान के लिए इन्हीं पुस्तकों में कुछ चुनी हुई उपयोगी सामग्री का विवरण भी दिया गया है, उस विवरण में से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है :

Back E A

Book-worms

पुस्तक-कीटों के सम्बन्ध में यह लेख 'द इंडियन आर्काइव्स' नामक पत्रिका के खंड सख्या 2, 1947 में निकला। यह पत्रिका 'नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया', नई दिल्ली का प्रकाशन है।

Barrow, W J

Manuscripts and Documents, Their Deterioration and Restoration

यह पाण्डुलिपियों और अभिलेखों के ह्रास और चिकित्सा पर, 'यूनीवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, प्रेस', शारलोट्स विले, वर्जीनिया का प्रकाशन है।

Barrow, W J

Procedure and Equipment in the Barrow Method of Restoring Manuscripts and Documents

बरो प्रणाली से पाण्डुलिपियों और अभिलेखों की चिकित्सा की प्रविधि और उसके लिए अपेक्षित यन्त्र-साधनादि पर यह कृति 'यूनीवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया प्रेस' से प्रकाशित है।

Basu Purnendu

Common Enemies of Records.

अभिलेखों के सामान्य शत्रुओं पर यह लेख 'द इंडियन आर्काइव्स' के खंड-5, अंक 1, 1951 में प्रकाशित।

Chakravorti, S

Vacuum Fumigation : A New technique for Preservation of Records

वाष्पीकरण से अभिलेखों की सुरक्षा पर यह कृति 'साइंस एंड कल्चर' - अंक II (1943-44) में प्रकाशित।

A Review of Lamination Process

परतोपचार चिकित्सा पर यह कृति 'द इंडियन आर्काइव्स' में खंड 1, अंक 4, 1947 में प्रकाशित।

Goel, O P.

Repair of Documents with Cellulose Acetate on small scale

यह सेल्यूलोज ऐसीटेट चिकित्सा पर लेख 'द इंडियन आर्काइव्स' खंड 7, अंक 2, 1953 में प्रकाशित।

Gupta, R. C.

How to Fight White Ants

दीमक से रक्षा पर यह कृति 'द इंडियन आर्काइव्स' खंड 8, अंक 2, 1954 में प्रकाशित।

Kathpadia, Y. P.

Hand Lamination with Cellulose Acetate

शुष्क से सेल्यूलोज ऐसीटेट से परतोपचार चिकित्सा पर कृति 'अमेरिकन आर्किविस्ट', जुलाई, 1959 में प्रकाशित।

- Majumdar, P C Birch-bark and Clay-coated Manuscripts
भोजपत्र तथा मृदलोपित पाडुलिपियो पर यह कृति 'द इंडियन आरकाइव्ज' के खड-11, अंक-1-2, 1956 में प्रकाशित ।
- Ranbir Kishore The Preservation of Rare Books and Manuscripts
दुर्लभ ग्रन्थो और पाडुलिपियो की सुरक्षा पर यह कृति 'द सनडे स्टेट्ममेन्' मार्च 1, 1955 में प्रकाशित ।
- " , Preservation and Repair of Palm leaf Manuscripts
ताडपत्र की पाडुलिपियो की सुरक्षा और चिकित्सा पर यह कृति 'द इंडियन आरकाइव्ज' खड-14 (जनवरी 1961-दिसम्बर 1962) में प्रकाशित ।
- Talwar, V V Record Materials Their Deterioration and Preservation
अभिलेख सामग्री के क्षण होने और सुरक्षा पर यह कृति 'जरनल ऑव द मध्य-प्रदेश इतिहास परिषद', भोपाल, अंक-11 (1962) में प्रकाशित ।

उक्त साहित्य से प्रस्तुत विषय पर कुछ और अधिक जानकारी मिल सकती है ।

यहाँ हमने ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन और उसके साथ नवीन वैज्ञानिक रक्षा-प्रणालियो पर प्रकाश डाला है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पाडुलिपि विज्ञान के विद्यार्थी के लिए रख-रखाव के विषय में इतना ज्ञान अत्यन्त अपेक्षित है ।

उपसंहार

अब इस ग्रन्थ का समापन करते हुए इतना ही कहना और शेष है कि 'पाडुलिपि-विज्ञान' की वस्तुतः यह प्रथम पुस्तक है । इसमें विविध क्षेत्रों से आवश्यक सामग्री लेकर एक सूत्र में गूँथ कर एक नये विज्ञान की आधार शिला प्रस्तुत की गई है भरोसा यह है कि इससे प्रेरणा लेकर यह विज्ञान और अधिक पल्लवित, पुष्पित एवं फलित होगा ।

परिशिष्ट-एक

(प्रथम अध्याय के पृष्ठ 17 के लिए यह परिशिष्ट है)

कुछ और प्रसिद्ध पुस्तकालय

क्रम संख्या	समय	स्थान/नाम	विवरण
1.	2300 ई० पू० से पूर्व	ऐब्ले [आधुनिक तैलमारडिख (Telimardich) के निक्ट]	सीरिया में मिट्टी की ईंटों पर लेख मिले हैं। इनकी लिपि ब्यूनीफार्म रूप की है। इन ईंटों के लेखों को पढ़ने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐब्ले में प्राचीन सस्कृति का केन्द्र था। वहीं यह पुस्तकालय था।
2	324 ई० पू० से पूर्व	तक्षशिला (सिकन्दर ने इसे बहुत समृद्ध और विशाल नगर पाया)	'मिट्टी के मनम' में श्री कृष्ण चन्दर ने लिखा है — "पजा साहूब से लौटकर टेकनला आए, जहाँ पुराने जमाने की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक तक्ष-शिला यूनीवर्सिटी के छण्डहर छोड़े जा रहे थे। तक्षशिला के एस्कीयियेटर, तक्षशिला के होस्टल, तक्षशिला के नहाने के तालाब यूनिवर्सिटी के दूसरे प्रबन्ध देख कर अक्ल दग रह जाती है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व इस पुरानी यूनिवर्सिटी में शिक्षा-दीक्षा को कितनी उत्तम और उच्च व्यवस्था थी।" (धर्मपुग, 27 फरवरी, 1966, पृष्ठ 31)। यही पाणिनि जैसे वैयाकरण ने, जौनक जैसे वैद्य ने, और चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ और धर्मशास्त्री ने यही शिक्षा पायी थी। ऐसे विश्वविद्यालय में ऐसा ही महान पुस्तकालय रहा होगा। इसमें क्या सदेह किया जा सकता है? इसके गणु नामक स्तूप से खरोष्ठी लिपि में लिखा सोने का एक पत्तर जनरल कनिंघम को मिला था। इसमें एक

1	2	3	4	1
				<p>आचार्य के पास 500 छात्र अध्ययन करते थे। इसमें विश्व ख्याति के कई आचार्य थे।</p> <p>"Takshila contained the celebrated University of Northern India (Rajovad-Jataka) up to the first century A D like Balabhi of Western, Nalanda of Eastern, Kanchipura of Southern and Dhanakataka of Central India "</p>
3.	246 ई० पू० से पूर्व	पाटलिपुत्र/पटना	246 ई० पू०	<p>मे तृतीय बौद्ध परिषद् हुई थी। इसमें बौद्ध-सिद्धान्त ग्रन्थों पर चर्चा हुई थी। पाटलिपुत्र अजातशत्रु के दो मन्त्रियों ने बसाया था। मौर्यकाल में यह विशिष्ट विद्या का केन्द्र था।</p>
4.	140 ई० पू०	काश्मीर		<p>पतञ्जलि काश्मीर में रहे थे।</p>
5		काश्मीर सरस्वती, मन्दिर, काश्मीर		<p>यहाँ से प्राठ व्याकरण ग्रन्थ हेमचन्द्राचार्य के लिए मगाये गए थे।</p>
6	80 ई० पू०	लका		<p>बौद्ध ग्रन्थ लिपिबद्ध किये गए थे।</p>
7		लका—हगुरनकेत, बिहार (कडि जिले में)		<p>इसके चैत्य में हजारों रुपये के बहुमूल्य ग्रन्थ गढ़वा दिये गए थे। चाँदी के पत्रों पर 'विनय पिटक' के दो प्रकरण, अभिधम्म के सात प्रकरण तथा 'दीर्घ-निकाय' गढ़वाये गए थे।</p>
8.		पेइचिङ्		<p>चीन का यह पुस्तकालय भी प्राचीन होना चाहिए। तुनहाङ् की शेष 8000 बलिताएँ इसी पुस्तकालय में भेज दी गयी थी। (डॉ० लोकेशचन्द्र जी ने बताया है कि उनके पिताजी डॉ० रघुवीर इन 8000 बलिताओं की माइक्रो-फिल्म करा लाये थे। ये उनके सग्रह में हैं)।</p>
9	126 ई०	उज्जैन		<p>उज्जैन बहुत पुराना नगर है। भारतीय संस्कृति का यहाँ स्रोत था। सम्राट</p>

1	2	3	4
			अशोक यहाँ रहे थे। विप्रमादित्य की राजधानी थी। यह नव-रत्नों की नगरी है। यहाँ ग्रन्थागार थे। भगवान् वृष्ण के गुह्य सादीपनि का आश्रम अंकपाद उज्जैन से कुछ ही दूर है। महाभारत युग में यहाँ प्रसिद्ध विद्यापीठ था, भर्तृहरि की गुफा भी उज्जैन में है। भर्तृहरि विद्वान् और योगी थे। उनके पास भी अच्छा ग्रन्थागार था।
10.	160 ई०	घाडिवीसा (उडीसा)	नागार्जुन ने विहार स्थापित कराये। इनमें पुस्तकालय होगा ही।
11.	160 ई०	धान्यकूट	नागार्जुन ने यहाँ के मन्दिरों की परिसर (raiding) बनवायी। नागार्जुन ने बौद्ध विषयविद्यालय भी स्थापित किया था, पुस्तकालय होगा ही।
12	222 ई०	मध्य भारत	यहाँ से धर्मपाल दम धर्य चीन गया। चीन में इसने पाति मोक्ष' का अनुवाद 250 ई० में किया था।
13	241 ई०	बू का राज्य	Sang-huru। धमण ने विहार बनवाया। 251 ई० में अनुवाद कार्य आरम्भ किया।
14	252 ई०	लोपाग (चीन)	अनुवाद पीठ। 313 से 317 तक 'तुनह्लाड' के धमण धर्मरक्ष ने अनुवाद कार्य किया।
15	366 ई०	तुनह्लाड (मध्य एशिया) [गोबी रेगिस्तान के किनारे]	इसमें 30 000 बलिताएँ थी। 1957 वि० में अनायास ही इनका पता चला था। सहस्र बुद्ध गुफा के चंद्रय की कुछ पाण्डुलिपियाँ भारत में मध्य एशियाई संग्रहालय में हैं। (266 ई० में 'चु-फान्हु' अर्थात् 'धर्मरक्ष' धमण तुनह्लाड लोपाग गया था। 366 से 100 वर्ष पूर्व ही 'तुनह्लाड' में अच्छा पुस्तकालय स्थापित हो चुका होगा।)

1	2	3	4
16.	381 ई०	कुभा	यहाँ के श्रमण सचभूति ने चीनी भाषा में अनुवाद किया ।
17.	383 ई०	चंग-घन(चीन)	गौतम सच देव का अनुवाद पीठ था ।
18.	383 ई०	लिघग-पाउ(चीन)	कुमार जीव श्रमण ने यहाँ बहुत से बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद सन् 402 से 412 के बीच किया ।
19	500 ई० से पूर्व	धानेश्वर विश्वविद्यालय	इसका उल्लेख ह्वेनसांग ने भी किया है । हर्ष के गुरु 'गुणप्रभ' का इस विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रहा होगा ।
20.	568 ई० से पूर्व	बुड्ढा बौद्ध बिहार (बलभी)	बलभी सौराष्ट्र की राजधानी था । यहाँ 84 जैन मन्दिर थे । यह बौद्ध विद्या-केन्द्र हो गया था । विश्वविद्यालय और पुस्तकालय यहाँ थे । Balabhi....It became the capital of Saurashtra of Gujrat. It contained 84 Jain temples (SRAS XIII, 159) and afterwards became the seat of Buddhist learning in Western India in the seventh century A. D., as Nalanda in Eastern India (Ancient Geographical Dictionary).
21	630 ई० से पूर्व	नालन्दा	ह्वेनसांग के भारत प्रागमन के समय यह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था । उस समय इसमें धर्मपाल के शिष्य और उत्तराधिकारी शीलमद्र, भावार्थिवेक, जयसेन, चन्द्रगोमिन, गुणमति, वसुमित्र, ज्ञानचन्द्र एव रत्नसिंह आदि प्रसिद्ध विद्वान् यहाँ प्राध्यापक थे । इनका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है । ज्ञानचन्द्र एव रत्नसिंह ह्वेनसांग के भी प्राध्यापक थे, ऐसा इतिहास ने लिखा है । ह्वेनसांग के समय में 10000 भिक्षु इसमें रहते थे ।

1	2	3	4
22	8वीं शती ई०	विक्रम शिला (बिहार)	इने धर्मपाल ने स्थापित किया था, ऐसा विश्वास है। इनके समय में इसके प्रमुख थे — श्रविद्ध ज्ञान पाद। इसके छह द्वार, जिन पर एक-एक विद्वान पण्डित नियुक्त था। इस विश्वविद्यालय में वही व्यक्ति प्रवेश पा सकता था, जो शास्त्रार्थ में इन द्वार-पण्डितों को हरा देता था। 12वीं शती में इसे बहल्यार खिलजी ने नष्ट कर दिया था।
23	10वीं शती से पूर्व	सरस्वती महल तजीर	इसे महाराजा सरकोजी ने सन् 1798-1832 के बीच विशेष समृद्ध किया था।
24.	1010 ई०	घार, भोज भाण्डानगर	राजा भोज की नगरी थी। यहाँ भोज द्वारा स्थापित विद्यालय एवं पुस्तकालय थे। सिद्धराज जयसिंह इसे ग्रन्थिलवाडा ले गए थे।
25.	11वीं शती से पूर्व	जंन भण्डार, जंसलमेर	श्री भण्डारकर ने बताया है कि यहाँ एक नहीं दस पुस्तक सग्रह हैं। (प्रकाशन सदेश, पृष्ठ 7, अग्रस्त-ग्रन्थद्वार, 65)।
26.	1140 ई०	भोज भण्डारगर उदयपुर बीकानेर हनुमानगढ़ नागीर भलवर किशनगढ़	सिद्धराज जयसिंह की मालव विजय पर ग्रन्थिलवाडा गया। 11 पुस्तकालय) 19 पुस्तकालय) 1 पुस्तकालय) श्री भण्डारकर ने ये 2 पुस्तकालय) पुस्तकालय देते थे। 6 पुस्तकालय) 1 पुस्तकालय)
27.	1242-1262 ई०	चालुक्य-भाण्डानगर, ग्रन्थिलवाडा	चालुक्य बीसलदेव या विश्वमल्ल का।
28.	आदिम युग (1520 ई० से कुछ पूर्व इसका उद्घाटन स्पेनवासी लोगों ने किया था)	तक्षकोकी (प्राचीन मैक्सिबो)	स्पेन के हरनडी कार्टेज ने दिसम्बर, 1520 में तक्षकोकी नगर पर विजय प्राप्त की। इस आक्रमण में यहाँ का एक विशाल पुस्तकालय जला दिया गया। इसमें अनगिनत अमूल्य हस्त-लिखित ग्रन्थ थे।

1	2	3	4
29	युकातान (प्राचीन मैक्सिको)		युकातान प्रांत में मय जाति की हजारों हस्तलिखित पुस्तकों के भण्डार थे। डीगो द लदा नाम के स्पेनी पादरी ने उन सबकी होली जलवा दी। यह सब 16वीं शताब्दी में हुआ। (कादम्बिनी, मार्च, 1975)
30	1540 ई० के लगभग	मुल्ला अब्दुल कादिर (अकबरी दरबार) के पिता, मलूकशाह का पुस्तकालय, बदायूँ	हेमू ने नष्ट किया।
31	1556 ई० के लगभग	आगरा	अकबर का शाही पोथीखाना। 30,000 ग्रन्थ थे।
32.		पद्मसम्भव द्वारा स्थापित तिब्बत का साम्बेविहार पुस्तकालय	संस्कृत-तिब्बती भाषा के ग्रन्थों का भण्डार था।
33.	1592 ई० के लगभग	आमेर-जयपुर पोथीखाना	राजा भारमल्ल के समय से आरम्भ। 16000 कुलभ ग्रन्थ। 8000 महत्त्वपूर्ण पुस्तकों का सूची पत्र 1977 में श्री गोपाल नारायण बोहरा द्वारा सम्पादित, प्रकाशित। आमेर-जयपुर राजघराने ने अपने 400 वर्षों के राज्यकाल में इस ग्रन्थ को समृद्ध बनाया।
34.	19वीं शती से पूर्व	अस्त्रालान (हम)	पाण्डुलिपि भण्डार है। अग्रदास वृत्त ध्यात अक्षरी की प्रतिलिपि अस्त्रालान में 1808-9 ई० में की गयी। यहाँ हिन्दी और पंजाबी की भी पुस्तकें मिली हैं। यहाँ बुजारा में प्रतिलिपि की गयी अनेक हिन्दी पुस्तकें मिली हैं। गुरु विलास तो सचित्र है। (धर्मपुग, 21 अक्टूबर, 1973)
35.	1871 ई० से पूर्व	बुजारा	यहाँ पुस्तकालय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ में अनेक ग्रन्थ प्रतिलिपि होने के बाद अस्त्रालान गए। (धर्मपुग, 8 मार्च, 1970, पृ० 23)

1	2	3	4
36		खुत्तन	यही ।
37		काशगर	यही ।
38		ददा उइलिक	यहाँ ग्रन्थ भण्डार हाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही एक भससी ब्राह्मी ग्रन्थ नबली ग्रन्थ तैयार करन वाले इस नाम भसुन के पास मिला था । यहाँ के लइहरो मे दवे ग्रन्थ ग्रन्थ भी मिले थे ।
39		प्राच्य विद्या मन्दिर, बडोदा	यहाँ अनेक पाण्डुलिपियो से वाल्मीकि रामायण का पाठ सशोधन हो रहा है ।
40		लाख भाई दलपत भाई भारतीय सस्कृति विद्या मन्दिर, अहमदाबाद	इसमे अच्छे हस्तलेख उपलब्ध है । एव 676 पृष्ठों की सचित्र तुलसी कृत रामचरितमानस है जिसमे एव पक्ति नागरी मे और एक पक्ति पारसी लिपि मे है, (सम्भव है यह कृति 18वीं शती की होगी)।
41	11 मार्च, 1891 को स्थापित	राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली	1. स्थापना के समय इसका नाम था— 'इपीरियल रेकार्ड डिपार्टमेंट' । 2 नई दिल्ली के भवन मे आने पर इसे 'राष्ट्रीय अभिलेखागार' का नाम दिया गया । इसमे महत्वपूर्ण अभिलेख तो सुरक्षित हैं ही, 1 लाख के लगभग ग्रन्थ भी हैं । माइक्रोफिल्म के रूप मे भी लाखों पृष्ठों की सामग्री संग्रहित है ।
42	1891	पटना खुदाबक्श ओरियंटल पुस्तकालय	इसमे 12000 पाण्डुलिपियाँ हैं और 50,000 मुद्रित पुस्तकें । यह पहले खुदाबक्श का निजी पुस्तकालय था । खुदाबक्श को अपने पिता मुहम्मदबक्श (1815-1876) मे उत्तराधिकार मे मिला था । खुदाबक्श ने उसमे बहुत वृद्धि की और 1891 मे उसे सार्वजनिक पुस्तकालय का रूप द दिया । इसमे कुरान का एक पन्ना 1300 वर्ष पुराना सुरक्षित है । हाफिज का दीवान अत्यन्त मूल्यवान माना जाता

1	2	3	4
			<p>है। इस पर हुमायूँ, जहाँगीर और शाहजहाँ के हस्ताक्षरो में कुछ टीपें हैं। 400 वर्ष पुरानी अरबी की पुस्तकों में कुछ वे पुस्तकें भी हैं जो सुन्दर इस्त-लिफि में स्पेन की पुरानी राजधानी कोसेडोला में लिखी गयी थी। हिन्दी की भी कुछ ऐसी पुस्तकें जो ज्ञात नहीं थी, इस पुस्तकालय में मिली हैं।</p> <p>अब तक इसके तीस सूची पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। इन्हें वैपटिन्ट मिशन प्रेस, कलकत्ता ने छापा है। इनमें केवल पुस्तकालय की आधी पुस्तकों का ही विवरण है। इन सूची-पत्रों को आदर्श माना जाता है।</p>
43.	<p>1904 ई० के आसपास (बूहलर के अनुसार)</p>	<p>भारती भाण्डारगार, या सरस्वती भाण्डारगार या शास्त्र भाण्डार</p>	
44.		<p>उज्जैन : सिधिया पुस्तकालय</p>	<p>इसमें 10000 के लगभग पुस्तकें हैं। इनमें ढाई हजार के लगभग दुर्लभ ग्रन्थ हैं। इसमें एक ग्रन्थ मुत्तकालीन लिपि में लिखा हुआ है। यह चालीस पृष्ठों का है। इस पुस्तकालय ने यह ग्रन्थ काश्मीर के गिलगिट क्षेत्र से बीस वर्ष पूर्व प्राप्त किया था। पाँच सौ वर्ष पूर्व के भोज पत्र पर लिखे ग्रन्थ भी इसमें हैं। इसी प्रकार साड़ पत्र पर सुन्दर इस्तलिफि में लिखे 25 ग्रन्थ भी हैं। मुगलकालीन अदालत और काश्मीर के शासक के बीच हुए पत्राचार के मौलिक दस्तावेज यहाँ सुरक्षित हैं, वे पारसी में हैं।</p>
45.	1912	<p>भरतपुरा। श्रीगोपालनारायण सिंह ने इसे निजी पुस्तकालय के रूप में विकसित किया</p>	<p>इसमें लगभग चार हजार पाण्डुलिपियाँ हैं। इसमें सबसे पुरानी लिखी पुस्तकें साठवत्त साली हैं। उसके बाद तम में भोजपत्र की पुस्तकें घाठी हैं, सब पुराने</p>

1	2	3	4
			<p>कागज की पुस्तकें। इस ग्रन्थागार की ये पुस्तकें बहुत महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं 'शाहनामा', यह फिरदौसी की कृति है। यह 500 पृष्ठों का ग्रन्थ है। इसमें 52 चित्र हैं। पृष्ठों के बीच में जो चित्र हैं वे सोने और नीलम के रंगों में बनाये गए हैं। यह कृति बाबुल-कघार के सूबेदार अली मर्दानाई ने अकबर को भेंट में दी थी।</p> <p>सिकन्दरनामा 17वीं शती से पूर्व की कृति है। लेखक हैं—निजामी। इसमें भी चित्र हैं। सोने और नीलम के रंगों का प्रयोग इनमें भी है।</p> <p>मुताउल हिन्द' अकबर के हकीम सलामत अली की कृति है। यह विश्व कोष है। इसमें दर्शन, गणित और भौतिक विज्ञान, रसायन और संगीत पर भी अच्छी सामग्री है।</p>
46	नेपाल	दरबार पुस्तकालय	<p>यह ताडपत्र की पाण्डुलिपियों के लिए प्रसिद्ध है। 448 पाण्डुलिपियाँ महामहोपाध्याय ह० प्र० शास्त्री जी ने बताया थी, सन् 1898-99 ई० में।</p>
47.	नेपाल :	यूनीवर्सिटी पुस्तकालय	<p>इसमें 5000 पाण्डुलिपियाँ शास्त्री जी ने बताया हैं।</p>
48.		पूना : भठारकर रिसर्च	
49	1320 ई०	इंस्टीट्यूट विज्ञाननगर	<p>तुगभद्रा के तट पर। यादव वंश के राज्य काल में विद्या का केन्द्र। प्रसिद्ध वैदिक भाष्यकार सायणाचार्य यहीं के राजा के मन्त्री थे।</p>
50	14वीं शती ई०	मिथिला = तिरहुत	<p>यह हिन्दू विद्या का केन्द्र था। यहाँ के ब्राह्मण राजाओं के समय में महाकवि मैथिल कोकिल विद्यापति हुए थे। राजा का नाम था शिवसिंह।</p>
51	14वीं-15वीं शती	नदिया / जवद्वीप	<p>यह चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव स्थल है। यह भी हिन्दू-विद्या केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ।</p>

1	2	3	4
52	7वीं शती ई० से पूर्व	दुर्वासि आश्रम विक्रमशिला सघाराम	यहाँ गुफाएँ हैं जो पहाड़ों में खुदी हुई हैं। चपा की यात्रा में ह्येनसाग यहाँ घाया था। बौद्ध तीर्थ है।
53.	443 ई०पू० 377 ई०पू० से पूर्व	वंशाली	यह वृज्जियो/लिच्छवियों की राजधानी थी। यहाँ बौद्ध धर्म का द्वितीय सघ सम्मेलन हुआ था। इससे यहाँ धार्मिक ग्रन्थागार था, यह अनुमान किया जा सकता है।
54	प्रायदिक/वैदिक	काशी	यहाँ भी 'तक्षशिला जैसा विद्या केन्द्र था। 500 विद्यार्थियों को पढ़ाने की क्षमता वाले प्राचार्य यहाँ थे। तक्षशिला की भाँति ही यह वैदिक शिक्षा प्रीर विद्या के लिए प्रतिष्ठ था।
55	वैदिक काल	नैमिवारण्य	भृगु वंशी षोडश ऋषि का ऋषिकुल नैमिषा राज्य में था। इसमें दस सहस्र ऋन्तेवासी रहते थे।
56	रामायणकाल	प्रयाग भारद्वाज आश्रम	इस काल का यह विशालतम आश्रम था। यह भारद्वाज ऋषि का आश्रम था।
57.	"	अयोध्या	अयोध्या नगर के पास ब्रह्मचारियों के आश्रम घोर छात्रावासी का रामायण में उल्लेख है।
58.	7वीं 8वीं शती से पूर्व	मोदन्तपुरी (बिहार शरीफ)	पाल वंश को स्थापित करने वाले गोपाल ने यहाँ एक बौद्ध विहार बनवाया था।
59.	1801 ई० में स्थापित	इन्दिया प्रॉन्जिंग साइब्रेरी, सन्दन	इसमें 25000 मुद्रित पुस्तकें : 175000 पूर्वी भाषाओं में क्षेत्र यूरोपीय भाषाओं में। पूर्वी में 20000 हिन्दी की, 20,000 संस्कृत-प्राकृत की, 24000 बंगला की, 10,000 गुजराती की, 9000 मराठी की, 5000 पंजाबी की, 15000 उर्दू की, 6000 तेलुगु की, 5500 चरकी की, 5500 फारसी की हैं।

1	2	3	4
---	---	---	---

“भारतीय विषयो पर यूरोपीय भाषाप्रो मे लिखे 2000 हस्तलेख हैं। पूर्वी भाषाप्रो के हस्तलेख 20,000 हैं। यहाँ 8300 संस्कृत के, 3200 अरबी के, 4800 फारसी के, 1900 तिब्बती के, 160 हिन्दी के, 30 बंगला के, 140 गुजराती के, 250 मराठी के, 50 उडिया के, 60 परतो के, 270 उर्दू के, 250 बर्मी के, 110 इंडोनेशिया के, 111 मो सो के, 21 स्यामी के, 70 सिधली के, 23 तुर्की के, हस्त-लिखित ग्रन्थ हैं। और भी बहुत से अभिलेख हैं। (21 दिसम्बर, 1969 के धर्मयुग मे प्रकाशित श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र, प्राध्यापक, प्रयाग विश्व-विद्यालय के लेख, इंग्लैण्ड मे भारतीय अनुसंधान की विरासत के आधार पर।)

भारतीय सग्रहालय जिनमे पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित है

क्रमांक	नाम	स्थापित	विवरण
1.	मद्रास सग्रहालय	1851 ई०	400 ताम्र पत्र ऐतिहासिक महत्व के है।
2	नागपुर सग्रहालय	1863 ई०	नागपुर म भीमले राजवंश की पाण्डु-लिपियाँ है।
3	लखनऊ सग्रहालय	1863 ई०	सचित्र पोथियाँ, कुण्डती प्रकार की पोथी आदि है।
4	सूरत बिचेंस्टर सग्रहालय	1890 ई०	जैनधर्म के कल्पसूत्रो की पाण्डुलिपियाँ, ताम्रलेख ताडपत्रीय पोथियाँ, चित्रित जन्मपत्रियाँ आदि हैं।
5	अजमेर सग्रहालय	1908 ई०	इसमे शिला लेखाकित नाटक सुरक्षित हैं।
6.	भारत कला भवन, वाराणसी	1920 ई०	रामचरितमानस की सचित्र प्रति।

1	2	3	4
7.	मध्य एशियाई संग्रहालय	1929 ई०	अरबो-पारसी द्वारा लायी गयी तुनहाइड की 'सहस्र बुद्ध गुफा' से प्राप्त अग्रगणित पाण्डुलिपियाँ, रेशमी पत्र सुरक्षित ।
8.	आशुतोष संग्रहालय, बलबत्ता	1937 ई०	कागज पर लिखी प्राचीन पाण्डुलिपियाँ नेपाल से प्राप्त, 1105 ई० की यहाँ हैं ।
9.	गंगा स्पर्ष जयन्ती संग्रहालय, बीकानेर	1937 ई०	सचित्र तथा अग्र्य दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ ।
10.	अलवर संग्रहालय	1940 ई०	इसके पाण्डुलिपि विभाग में 7000 पोथियाँ सुरक्षित हैं जो संस्कृत, फारसी, हिन्दी आदि की हैं । हाथी दाँत पर लिखित पुस्तक 'हृषत वद काशी' भी इसमें है । यह अस्थि या दाँत के लिप्यासन वाली पाण्डुलिपियों का उदाहरण है ।
11.	कोटा संग्रहालय		अनेक महत्वपूर्ण पोथियाँ हैं, कुण्डली प्रकार की भी हैं, और एक इञ्च परिमाण की मुष्टा भी है ।
12.	प्रयाग संग्रहालय		विभिन्न युगों और शैलियों की मूल्यवान सचित्र पाण्डुलिपियाँ हैं ।
13.	राष्ट्रीय संग्रहालय		सचित्र पोथियाँ ।
14.	शिमला संग्रहालय		मुन्ला दाऊद का 'लोरचन्दा' की पाण्डुलिपि का कुछ अंश यहाँ उपलब्ध है ।
15.	सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद		अद्वारहवें शताब्दी में दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ हैं ।
16.	कुतुबगाना-ए संयंत्रिया, टीर		

एक परिशिष्ट में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकालयों या ग्रन्थालयों का उल्लेख दिया गया है । इनमें से यहाँ का ऐतिहासिक महत्त्व रहा है । ये ग्रन्थालय, ये विश्वविद्यालय, ये विहार और सपाराम आज अतीत के गर्भ में गो चुके हैं । इनमें हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में किस समय ग्रन्थालयों का अन्तना महत्त्व था । इन सूची में लिखे ही स्थानों पर, ग्रन्थालय होने की सम्भावना अनुमान के आधार पर मानी गयी है । जहाँ विकास विश्वविद्यालय होंगे, जहाँ सपाराम एवं विहार होंगे, जहाँ अनुवाद करने कराने के केंद्र होंगे, जहाँ परिपक्व हुई होंगी, वहाँ पर यह अनुमान किया जा सकता है कि ग्रन्थालय होंगे ही ।

उक्त सूची में इन ग्रन्थागारों के विद्यमान होने का बर्ण भी दिया गया है। ये भी अधिकांशतः अनुमानाश्रित ही हैं। पाण्डुलिपि विज्ञान की दृष्टि से इन ग्रन्थागारों के सबेत में, उनमें स्थान और स्थूल विशेषताओं में कुछ आवश्यक सामान्य ज्ञान मिल जाता है।

परिशिष्ट-दो

काल निर्धारण तिथि विषयक समस्या

काल निर्धारण में तिथि' विषयक एक समस्या तब सामने आती है जब तिथि का उल्लेख उग तिथि के स्वामी के नाम से किया जाता है। उदाहरणार्थ—'वीरसतसई' का यह दोहा है

'वीरम वरसा वतियो गणचीचद गुणीम ।

बिसहर तिथि गुरु जेठ वदि समय पलट्टी सीस ।'

डॉ० शम्भुसिंह मनोहर ने बताया है कि—

विषहर तिथि का यहाँ भीष्मा सादा एव स्पष्ट अर्थ है—'पंचमी' (विषहर की तिथि)।' आगे बताया है कि यश भास्कर म सुवर्णसुल ने तिथि निर्देश में प्रायः एक विशिष्ट पद्धति का अनुसरण किया है। वह यह कि उन्होंने कहीं कहीं तिथियों का ज्योतिष शास्त्र में निर्देशित उनके स्वामियों के आधार पर नामोल्लेख किया है। उदाहरणार्थ—'त्रयोदशी की वधि ने यशभास्कर में मनसिज तिथि' कह कर ज्ञापित किया है, क्योंकि त्रयोदशी का स्वामी कामदेव है, यथा—

सक खट बसु सत्रह १७८६ समय,

उज्ज माग अश्वदात ।

वूरम मालव कुच किय,

मनसिज तिथि अश्वदात ॥

इसी भाँति चतुर्दशी को उ हाने शिव की तिथि' कह कर सूचित किया है, चतुर्दशी के स्वामी शिव होने के कारण—

'सषत मान अक बसु सत्रह १७८६ ।

अरु सित बाहुल मालचन्द अह ॥'

इस विवेचन से स्पष्ट है कि तिथि का उल्लेख उस तिथि के स्वामी या देवता के नाम से भी किया गया। 'ज्योतिष तत्त्व सुधारणक' नामक ज्योतिष ग्रन्थ में तिथियाँ के स्वामियों / देवताओं के नाम इस श्लोक द्वारा बताये गए हैं

अथ तिथ्यधिदेवतामाह—

अग्नि प्रजापति शैवी गणेशोऽहि गुरु रवि ।

जिवी दुर्गान्तको विश्वोहरि कामो हर शशी ।

पितर, प्रति पदादीना तिथीनामधिया क्रमात् ॥इति॥

—वीरसतसई का एक दोहा एक प्रयासोचना ले डॉ० शम्भुसिंह मनोहर, 'विश्वम्भरा', वर्ष 7, अंक 4, 1972 ।

परिशिष्ट-तीन

ग्रन्थ सूची

- | | | |
|-----|---|--|
| 1 | अप्रवाल, वासुदेव शरण (डॉ०) | कीर्तिलता साहित्य सदन, चिरगांव, भाँसी
(1962) |
| 2 | “ “ “ | पद्मावत, सजीवनी भाष्य—बही । |
| 3 | “ “ “ | हर्षचरित, सांस्कृतिक अध्ययन, बिहार राष्ट्र
भाषा परिषद्, पटना 1964 । |
| 4 | अप्रवाल, वासुदेवशरण (डॉ०)
तथा सत्येन्द्र (डॉ०) | पोद्दार अभिनन्दन ग्रन्थ, ब्रज साहित्य मण्डल,
मथुरा, 1952 । |
| 5 | आर्य मजु श्री कला | त्रिवेन्द्रम सीरीज । |
| 6 | उपाध्याय, वासुदेव (डॉ०) | प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन
मोतीलाल बनारसीदास, पटना (61) । |
| 7 | श्रीभा, गौरीशंकर हीराचन्द | भारतीय प्राचीन लिपि माला, मुन्शीराम
मनोहरलाल, दिल्ली (59) । |
| 8 | कौशल, रामकृष्ण | कमनीय किष्नोर । |
| 9 | गहड़ पुराण | |
| 10. | गुप्त, विशारोलाल (डॉ०) | सरोज सर्वेक्षण, हिन्दुस्तानी एन्सेडेमी,
इलाहाबाद (67) । |
| 11. | गुप्त, जगदीश (डॉ०) | प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, नेशनल
पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली (1967) । |
| 12 | गुप्त, माताप्रसाद (डॉ०) | तुलसीदास, हिन्दी परिषद् प्रयाग विश्व-
विद्यालय, 1953 । |
| 13. | “ “ “ | पृथ्वीराज रासो, साहित्य सदन, चिरगांव,
भाँसी । |
| 14 | “ “ “ | वसंत विलास और उसकी भाषा, क मु हिन्दी
सथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ, आगरा । |
| 15 | “ “ “ | राउर बेल और उसकी भाषा, मित्र प्रकाशन
प्राइवेट लि०, इलाहाबाद, 1962 । |
| 16 | गुप्त म ताप्रसाद (डॉ०), नाहटा,
अगरचन्द | धोमलदेव रास । |
| 17 | गैरोला वाचस्पति | अक्षर अक्षर रहे । |
| 18 | जैन समवाययोग सूत्र | |
| 19 | टॉड, जेम्स | पश्चिमी भारत की यात्रा, मंगल प्रकाशन,
अजमेर । |

- 20 तिवारी, भोलानाथ (डॉ०) भाषा विज्ञान, किताब महल, इलाहाबाद, (1977)।
- 21 तुलसीदास दोहावली, गीताप्रेस, गोरखपुर (1960)।
- 22 " रामचरितमानस, साहित्य कुटीर, प्रयाग (1949)।
- 23 दलाल, चिमनलाल व० खेल पद्धति, बडोदा केन्द्रीय पुस्तकालय, (1925)।
- 24 दशकुमार चरित
- 25 दश वैकालिक सूत्र हरिभद्री टीका
- 26 देवी पुराण
- 27 द्विवेदी, हजारोप्रसाद (डॉ०) सदेश रासक, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर (प्राइवेट) लि० बम्बई, 1965।
- 28 द्विवेदी हरिहरनाथ महाभारत (पाठ्यचरित) विद्या मन्दिर प्रकाशन, ग्वालियर, 1973।
- 29 नाथ राम (डॉ०) मध्यकालीन भारतीय कलाएँ और उनका विकास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर (1973)।
- 30 पत्र कौमुदी
- 31 पद्म पुराण
- 32 पद्मवर्णा सूत्र
- 33 प्रवीण गंगर (हस्तलिखित—प० कृपाशंकर तिवारी का व्यक्तिगत सग्रह, जयपुर)।
- 34 भारद्वाज रामदत्त (डॉ०) गोस्वामी तुलसीदास, भारतीय साहित्य मंदिर, दिल्ली (1962)।
- 35 मजूमदार, भजुनाल गुजराती साहित्य ना स्वरूप।
- 36 मत्स्यपुराण
- 37 मनोहर, शम्भुसिंह (डॉ०) दोला मारु रा इहा, स्टूडेंट बुक कम्पनी, जयपुर, 1966।
- 38 माहेश्वरी, हीरालाल (डॉ०) जाम्भोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य, वी० आर० पब्लिकेशन्स, बलकत्ता, 1970।
- 39 मिथ, गिरिजाशंकर प्रसाद : भारतीय अभिलेख सग्रह, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
- 40 मिश्रबन्धु मिश्रबन्धु विनोद, गंगा पुस्तक माला कार्यालय लखनऊ (1972)।
- 41 मुनि जितविजयजी विज्ञप्ति त्रिवेणी।
- 42 मुनि पुष्पविजयजी भारतीय जैन धर्मण सस्कृति अने लेखन कला।
- 43 राज, जोन राज तरंगिणी।
- 44 सेकमश, एस० तलित विस्तर हाते—(1902)।
- 45 वर्णक समुच्चय

46. वृहद् कल्प-सूत्र
47. शर्मा, नलिन बिलोचन : साहित्य का इतिहास दर्शन, बिहार राष्ट्रमापा परिषद्, पटना (1960)।
48. शर्मा, बशीलाल (डॉ०) : किन्नोरी लोक साहित्य, ललित प्रकाशन, लंडी सटेल, बिलासपुर (1976)।
49. शर्मा हनुमानप्रसाद : जयपुर का इतिहास।
50. शास्त्री, धर पदति
51. शुक्ल, जयदेव (स०) : वास्तवदत्ता कथा।
52. सत्येन्द्र (डॉ०) : अनुसंधान, नन्दकिशोर एण्ड सन्स, वाराणसी।
53. " " : ब्रह्म साहित्य का इतिहास, भारती भण्डार, इलाहाबाद (1967)।
54. सिंह, उदयभानु (डॉ०) : तुलसी काव्य मीमांसा, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली (67)।
55. सिन्हा, सावित्री (डॉ०) : अनुसंधान प्रक्रिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
56. सेंगर, शिवसिंह : शिवसिंह सरोज, शिवसिंह सेंगर, लखनऊ, 1966।
57. Agarwal, V. S. (Dr.) : India as known to Panini, University of Lucknow, Lucknow (1953).
58. Agarwalla, N. D. : On Common Script, Bharat Art Press, Calcutta (68).
59. Basu, Purendu : Archives & Records : What are they?
60. Bhargava, K. D. : Repair and Preservation of Records.
61. Bhattacharyya, Harendra : The Language of Scripts of Ancient India, Kumar
62. Bordin, R. B. and Warner, R. M. : The Modern Manuscript Library, The Scerectow Press Inc., New York-66.
63. Brown, W. Norman (Dr.) : The Mahimnastava.
64. Buhler, G. : Indian Palaeography, Firms K. L. Mukhopadhyaya, Calcutta-62.
65. " " : Inscriptions Report.
66. Burgess, James : The Chronology of Indian History, Cosmo Publications, Delhi-72.
67. Clodd, E. : The Story of the Alphabet.
68. Dani, Ahmad Hasan : Indian Palaeography, Clarendon Press Oxford-63.

69. Diringer, David . The Alphabet
70 , " Writing, Thomas & Hudson,
London-62
- 71 Duff, C Mabel The Chronology of Indian History,
Cosmo Publications, D.lhi-72
- 72 Edgerton, Franklin The Panchatantra Reconstructed
American Oriental Society, U. S. A
1929
- 73 Francis Frank Treasures of the British Museum
74 Pall F W Companion to Classical Text
75 Hunter G R The Script of Hadappa & Mohan-
jodero and its connection with other
Scripts
- 76 Kane, P V Sahityadarpan
77 Kashliwa , K C (Dr) Jain Granth Bhandars in Rajasthan
78 Kielhorn, F Examination of questions connected
with the Vikram Era
- 79 Manuscripts from Indian Collection
- 80 Martin, H J The Origin of Writing
81 Masper, The Dawn of Civilization
82. Masson, W A The History of the Art of Writing
83 Moorhouse A C Writing the Alphabet
84 Pandey Rajbali (Dr) Indian Palaeography, Motilal
Banarsidas Varanasi-57
- 85 Pargeter F E Ancient Indo-Historical Traditions
86 Prinsep Indian Antiquities
87 Reed, Herbert The Meaning of Art
88 Sircar, D C Indian Epigraphy, Motilal Banarsidas
Delhi-65
- 89 Sircar, D C Selected Inscriptions
90 Siccar, J Topography of the Mughal Empire
91 Tessetoric L P Vachanika, Bibliotheca Indica
Calcutta, 1919
- 92 Tod James Annals & Antiquities of Rajasthan,
K M N. Publishers, New Delhi,
(1971).
- 93 Uimann, B L The Origin and Development of
Alphabet

94. Waddell, L. A. : Indo-Sumerian Seals Deciphered,
Indological Book House, Delhi-72.
95. Wolley, C L. : The Sumerian.

कोश तथा विश्व-कोश

- 1 बसु नागेन्द्रनाथ : हिन्द विश्व-कोष ।
- 2 अमर कोष ।
3. वाचस्पत्यम् ।
- 4 English Persian Dictionary.

5. Ep grdeh c Indica

- 6 The Oxford English Dictionary.
7. A Dictionary of Sanskrit and English.
8. Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology.
9. Chambers's Encyclopedia.
- 10 Encyclopedia Americana
- 11 Encyclopedia Britanica
- 12 Encyclopedia of Religion and Ethics.
- 13 Newnes Popular, Encyclopedia
- 14 The American Peoples Encyclopedia
- 15 The Columbia Encyclopedia.
- 16 The New Universal Encyclopedia.
17. The World Book Encyclopedia.

खोज रिपोर्टें

- 1 गांधी, लालचन्द भगवानदास : जंसलमेर भाण्डागारीय प्रधानी सूची ।
- 2 भानावत, नरेन्द्र (डॉ०) : आचार्य श्री विनयचंद्र ज्ञान भण्डार ग्रन्थसूची ।
3. मेनारिया, मोतीलाल (डॉ०) : राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, (साहित्य संस्थान, उदयपुर)।
- 4 सूरि, विजय कुमुद : श्री खम्भान, शान्तिनाथ प्राचीन शाहपत्रीय जैन ज्ञान भण्डार नू सूची पत्र ।
5. हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों का शैवादि क विवरण (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी)।
6. Sastri, H P. : A Catalogue of Palm leaf and Selected Paper M S S. Belonging to the Durbar Library, Nepal.

पत्रिकाएँ

- (1) घमंयुग, (2) परम्परा (3) परिषद् पत्रिका,
 (4) भारतीय साहित्य, (5) राजस्थान भारती, (6) विश्व भारती,
 (7) बीणा, (8) शोध पत्रिका, (9) स्वाहा,
 (10) सम्मेलन पत्रिका, (11) सप्त सिन्धु,
 (12) Journal of the Asiatic Society of Bengal.
 (13) Journal of the United Provinces Historical Society.
 (14) Orientalia Lovaniensia Periodica.
 (15) Hindustan Times Weekly.



